ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

टाटा मोटर्स लि॰

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 585 of 2017. Decided on 28th March, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 451 एवं 482—अधिहृत वाहन की निर्मुक्ति–वाहन के स्वामित्व के संबंध में विवाद नहीं है–दंडाधिकारी ने वाहन निर्मुक्त करते हुए कतिपय निबंधन एवं शर्त रखा है कि स्वामी को वाहन पेश करने की आवश्यकता थी जब और जैसे इसकी आवश्यकता होगी और आगे यह निर्देश दिया गया था कि मामले के निपटान तक वाहन का रंग एवं मेक के संबंध में परिवर्तन अथवा इसका विक्रय नहीं किया जाना चाहिए–याची को आशंका है कि चूँकि वाहन जो दांडिक मामले का विषय वस्तु है का मास एमिशन स्टैन्डर्ड BS III है, यह याची कंपनी को अप्रील 1, 2017 को और से वाहन बेचने से अपवर्जित करेगा–सम्यक रूप से अभिप्रमाणित एवं प्रमाणपत्रित वाहन का आवश्यक फोटोग्राफ लेकर वाहन के भौतिक प्रस्तुती को अभिमुक्त किया जा सकता है और फोटोग्राफ को विचारण के दौरान द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाए–न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को इस सीमा तक उपांतरित किया गया कि वाहन के फोटोग्राफ लिए जाएँगे जिन्हें सम्यक रूप से अभिप्रमाणित एवं प्रमाणपत्रित किया जाएगा और याची द्वारा शीघ्रातिशीघ्र विचारण न्यायालय के समक्ष फोटो प्रस्तुत किया जाए। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–(2002) 10 SCC 283—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh & Rashmi Kumari, For the Petitioner; Mr. Ashok Kumar, For the State.

आदेश

याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री अशोक कुमार सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने पिथोरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 2016 (जी॰ आर॰ सं॰ 2126 वर्ष 2016) के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 11.5.2016 के आदेश के भाग के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन वाहन जिसका याची निर्माता एवं स्वामी है को निर्मुक्त करने का आदेश इस शर्त्त पर दिया गया था कि वाहन का स्वामी वाहन पेश करेगा जब एवं जैसे इसकी आवश्यकता होगी और मामले के निपटान तक वाहन का विक्रय नहीं करेगा अथवा इसका रंग एवं मेक परिवर्तित नहीं करेगा।

3. प्राथमिकी संस्थित की गयी थी जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि सूचना प्राप्त की गयी थी कि टाटा से लाया गया सफेद रंग का नया चेसिस ट्रक पिथोरिया क्षेत्र में बेचा गया था। घटना स्थल पर पहुँचने पर, चेसिस का पता लगाया गया था और ट्रक चालक पकड़ा गया था जिसने प्रकट किया कि वाहन हापुड़ में डिलीवर किया जाना था किंतु असद्भावपूर्ण आशय से, उसने रुट बदल दिया था और चेसिस बेचने की योजना बना रहा था। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर पिथोरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 2016 संस्थित किया गया था।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि याची टाटा मोटर्स लिमिटेड ट्रक के चेसिस का निर्माता है और निर्माण के बाद ट्रकों को अनेक क्षेत्रों में भेजा जाता है जहाँ से उन्हें अनेक गंतव्यों पर भेजा जाता है। यह कथन किया गया है कि स्वीकृत रूप से याची चेसिस जिसे जब्त किया गया था का स्वामी होने के नाते निर्मुक्ति आवेदन दाखिल किया था और दिनांक 11.5.2016 के आदेश के तहत उक्त चेसिस याची कंपनी के पक्ष में कतिपय शर्तों पर निर्मुक्त किया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत वाहन बी॰ एस॰ III वाहन था और भारत सरकार की अधिसूचना की दृष्टि में मास एमिशन स्टैन्डर्ड पुनर्मूल्यांकित किया गया है और 1 अप्रैल 2017 से झारखंड राज्य में भी प्रभाव में आया है। यदि विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्त उपांतरित नहीं की जाती है, याची वाहन बेचने में सक्षम नहीं होगा जो कंपनी को भारी नुकसान की ओर ले जाएगा। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित निबंधनों एवं शर्तों को उपांतरित करने के संबंध में अपने प्रतिवाद के समर्थन में **जेनरल इन्श्योरेन्स काउंसिल एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, [डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 14 वर्ष 2008** (निपटान की तिथि 19.4.2010) के मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

5. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

6. यह प्रतीत होता है कि अस्थायी रजिस्ट्रेशन सं॰ JH05AO 881J16 वाले वाहन के स्वामित्व के संबंध में विवाद नहीं है। याची के प्रश्नगत वाहन के स्वामी एवं निर्माता होने के नाते सही प्रकार से वाहन निर्मुक्त करने की अनुमति दी गयी है। विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक 11.5.2016 के आदेश के तहत वाहन निर्मुक्त करते हुए कतिपय निबंधन एवं शर्त रखा है कि स्वामी को वाहन पेश करने की आवश्यकता थी जब और जैसे यह आवश्यक होगा और आगे निर्देश दिया गया था कि मामले के निपटान तक वाहन का विक्रय अथवा इसके रंग एवं मेक का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। याची विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित निबंधन एवं शर्त से व्यथित प्रतीत होता है। याची द्वारा पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है जो पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अंतर्विष्ट करती है जिसमें स्वयं अधिसूचना में संगणित बी॰ एस॰ IV के संबंध में मास एमिशन स्टैन्डर्ड का अनुपालन करने के लिए अनेक राज्यों को निर्देश जारी किया गया है। बी॰ एस॰ IV को अप्रिल 1, 2017 से पूरे देश में प्रभाव में आना है। याची को आशंका है कि चूँकि वाहन जो दांडिक मामले का विषय वस्तु है के लिए मास एमिशन स्टैन्डर्ड बी॰ एस॰ III है, यह याची कंपनी को 1 अप्रिल 2017 से वाहन बेचने के लिए अपवर्जित करेगा। केवल बी॰ एस॰ IV मास एमिशन स्टैन्डर्ड वाला वाहन देश में बेचा जाएगा। **जेनरल इन्श्योरेंस काउंसिल एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (ऊपर)** मामले में वाहन की निर्मुक्ति के संबंध में शर्त के अतिरिक्त, जैसा **सुन्दरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002)10 SCC 283** के मामले में उपदर्शित किया गया है, अतिरिक्त निबंधन एवं शर्त उपदर्शित किए गए हैं जो सुझाते हैं कि सम्यक रूप से अभिप्रमाणित एवं प्रमाणपत्रित वाहन का आवश्यक चित्र लेकर वाहन की भौतिक प्रस्तुति अभिमुक्त की जा सकती थी और विचारण के दौरान फोटोग्राफ का उपयोग द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किया जाए।

7. निर्णय से संकेत लेते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची कंपनी वाहन बेचने में सक्षम नहीं होगी चूँकि यह बी॰ एस॰ III मास एमिशन स्टैन्डर्ड से संबंधित है जो 1 अप्रिल 2017 से पुराना

पड़ जाएगा, दिनांक 11.5.2016 के आदेश में दंडाधिकारी द्वारा उपदर्शित निबंधन एवं शर्त उपांतरित करने की आवश्यकता है।

8. तद्नुसार, पिथोरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 2016 (जी॰ आर॰ सं॰ 2126 वर्ष 2016) के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 11.5.2016 का आक्षेपित आदेश इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि वाहन का चित्र लिया जाएगा जिसे सम्यक रूप से अभिप्रमाणित एवं प्रमाण पत्रित किया जाएगा और उक्त चित्र याची द्वारा शीघ्रातिशीघ्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी इंगित किया जाता है कि फोटोग्राफ जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, अभिलेख पर रखा जाएगा और विचारण के दौरान द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

9. याची को प्रश्नगत वाहन की भौतिक प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है और उक्त उपदर्शित औपचारिकता का अनुपालन किए जाने के बाद याची वाहन बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त उपदर्शित सीमा तक पिथोरिया पी॰ एस॰ केस सं॰ 42 वर्ष 2016 (जी॰ आर॰ सं॰ 2126 वर्ष 2016) के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 11.5.2016 का आक्षेपित आदेश उपांतरित किया जाता है। किंतु, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पारित किया गया है।

10. यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

श्रीमती शीला देवी

cuke

डॉ॰ ब्रज भूषण सिंह

First Appeal No. 187 of 2010. Decided on 28th March, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 9 नियम 13—हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—एकपक्षीय तलाक डिक्री अपास्त किया जाना–अपीलार्थी को जारी नोटिस वैध रूप से उसपर तामील किया गया था और उसने इसे अभिस्वीकृत करते हुए और मामले के अंतरण के लिए आदेश लाने के लिए समय इप्सित करते हुए अवर न्यायालय को पत्र भी लिखा था–अपीलार्थी पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय में मामले के अंतरण के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया गया था और पर्याप्त अवधि तक प्रतीक्षा करने के बाद मामला एकपक्षीय कार्यवाही के लिए नियत किया गया था–तलाक डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित करने वाली एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने का वैध कारण नहीं है–स्थायी निर्वाह भत्ता की राशि की वृद्धि के लिए अपीलार्थी पत्नी को सक्षम न्यायालय के पास जाने और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन ऐसी किसी वृद्धि के लिए अपना मामला सिद्ध करने की छूट सदैव है–अपील खारिज। (पैराएँ 9, 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–Mrs. Pratyush Kumar, For the Appellant; Mr. S.K. Murari, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी पत्नी वैवाहिक वाद सं॰ 28 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22.5.2010 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपने विरुद्ध पारित तलाक की एकपक्षीय डिक्री से व्यथित है।

3. यह कथन किया जा सकता है कि यह अपील 101 दिनों के अत्यधिक विलंब के बाद दाखिल की गयी थी जिसे आई॰ ए॰ सं॰ 3700 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 13.5.2011 के आदेश द्वारा माफ किया गया था।

4. याची प्रत्यर्थी ने तलाक की डिक्री का वाद यह कथन करते हुए लाया था कि वह होमियोपैथी दवा का पेशा कर रहा था और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु 14.9.2005 को कैंसर के कारण हो गयी थी। तत्पश्चात्, उसने अविवाहित स्त्री से विवाह करना चाहा और अपीलार्थी का पिता उसके पास यह कथन करते हुए आया कि उसकी पुत्री अविवाहित थी और अच्छे स्वभाव की थी और इस पर विश्वास करते हुए पक्षों के बीच विवाह पटना सिटी, पटना के मंदिर में 14.6.2008 को संपन्न किया गया था। तत्पश्चात दोनों पक्ष डालटेनगंज आए जहाँ पति होमियोपैथी दवा का पेशा कर रहा था और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। यह अभिकथित किया गया है कि कुछ समय बाद पत्नी पति पर अपनी संपूर्ण संपत्ति उसके नाम में अंतरित करने के लिए दबाव डालने लगी जिसे याची प्रत्यर्थी द्वारा अनदेखा किया गया था जिस पर वह उसे क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने लगी। वह उस चैम्बर को भी बंद कर देती थी जिसमें पति पेशा करता था। तत्पश्चात, याची प्रत्यर्थी अपनी पत्नी को अपने ससुराल लाया, जहाँ उसके ससुर ने उसको अपनी पत्नी को अपने घर में छोड़ देने के लिए कहा और वह उसका व्यवहार सुधारने का प्रयास करेगा। याची पति के ससुर ने पहली बार 15.8.2008 को सूचित किया कि उसकी पत्नी का पहले ही विवाह हो चुका था और उसके पहले पति से उसको एक पुत्री थी और उसे पुत्री का भरण-पोषण भी करना था। याची पति को यह सुनकर आघात पहुँचा और वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी पत्नी 9.8.2009 को याची प्रत्यर्थी के निवास स्थान पर डालटेनगंज लगभग 2½ वर्ष की पुत्री के साथ आयी और तत्पश्चात उसने अनेक तरीकों से याची प्रत्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक यातना देना शुरू किया। उसने उसके मरीजों की उपस्थिति में स्वयं पर किरासन तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया किंतु मरीजों की मदद से उसे आत्महत्या करने से रोका जा सका था। वह याची प्रत्यर्थी का जीवन दु:खदायी बनाते हुए अनेक तरीकों से प्रत्यर्थी याची को क्रूरता के अध्यधीन किया करती थी जिसने याची प्रत्यर्थी को तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए अवर न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए मजबूर किया।

5. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी पक्षकार अपीलार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया था जिसे उस पर 12.12.2009 को वैध रूप से तामील किया गया था। तत्पश्चात, उसने नोटिस की प्राप्ति अभीस्वीकृत करते हुए अवर न्यायालय को पत्र लिखा और कथन किया कि वह डालटेनगंज से जमशेदपुर जहाँ वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी, मामला के अंतरण के लिए उच्च न्यायालय जाने का आशय रखती थी, किंतु उसके द्वारा वह भी नहीं किया गया था और अवर न्यायालय द्वारा अंतरण आदेश प्राप्त नहीं किया गया था। अंतत: दिनांक 30.3.2010 के आदेश द्वारा मामला एकपक्षीय कार्यवाही द्वारा नियत किया गया था।

6. आक्षेपित निर्णय से यह प्रतीत होता है कि याची द्वारा अवर न्यायालय में चार गवाहों का स्वयं सहित परीक्षण किया गया था और गवाहों ने याची प्रत्यर्थी पर क्रूरता एवं मानसिक क्रूरता का मामला सिद्ध किया। अपीलार्थी उन गवाहों के प्रति परीक्षण के लिए भी अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी और

अंतत: दिनांक 22.5.2010 के एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री द्वारा पत्नी को 1,00,000/- रुपयों का स्थायी निर्वाह भत्ता देते हुए अवर न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित किया गया था।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याची प्रत्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य का अवर न्यायालय में परीक्षण नहीं किया गया था, बल्कि केवल गैर परिवार सदस्यों का परीक्षण किया गया था जिन्होंने याची प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में उसको प्रदान किया गया स्थायी निर्वाह भत्ता काफी कम है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि नोटिस पाने के बावजूद, अपीलार्थी अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी यद्यपि उसने अवर न्यायालय को पत्र लिखकर अभिस्वीकृत किया था कि उसने नोटिस प्राप्त किया था। अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर देने के बाद मामला एकपक्षीय कार्यवाही के लिए नियत किया गया था और याची प्रत्यर्थी के गवाहों का परीक्षण करने के बाद, जिन्होंने विरोधी पक्षकार पत्नी द्वारा याची पर क्रूरता एवं मानसिक क्रूरता का मामला सिद्ध किया, तलाक डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में अवैधता नहीं है और वर्तमान अपील भी 101 दिनों के अत्यधिक विलंब के बाद दाखिल की गयी थी।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने को वैध कारण नहीं पाते हैं। यह स्वीकृत अवस्था है कि अपीलार्थी को जारी नोटिस वैध रूप से उस पर तामील किया गया था और उसने इसे अभिस्वीकृत करते हुए और मामले के अंतरण के लिए आदेश लाने के लिए समय इप्सित करते हुए अवर न्यायालय को पत्र भी लिखा था। अपीलार्थी पत्नी द्वारा मामले के अंतरण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था और पर्याप्त अवधि तक प्रतीक्षा करने के बाद मामला एकपक्षीय कार्यवाही के लिए नियत किया गया था। याची प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा क्रूरता एवं मानसिक क्रूरता का मामला सिद्ध करने के लिए स्वयं सहित चार गवाहों का परीक्षण किया और तद्नुसार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री किया गया था। हम आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं पाते हैं और तलाक डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित करने वाले एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री अपास्त करने का वैध कारण नहीं पाते हैं।

10. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का संबंध है कि अपीलार्थी को प्रदान किया गया स्थायी निर्वाह भत्ता निचले पक्ष पर है, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि स्थायी निर्वाह भत्ता की राशि वृद्धि के लिए अपीलार्थी पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन ऐसी किसी वृद्धि के लिए अपना मामला सिद्ध करने और सक्षम न्यायालय के पास जाने की छूट सदैव है।

11. हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

शांति देवी

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 59 of 1992 (R). Decided on 22nd March, 2017.

एस॰ सी॰ सं॰ 272 वर्ष 1989 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 9.3.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 201—हत्या–साक्ष्य का गायब करना–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है–मृतक सह-अभियुक्त जिसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था के साथ मदिरा सेवन का आदी था–शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा बाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं पाया था और समय बीतने के कारण मृत्युपश्चात विघटन के सिवाए कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया था–अ॰ सा॰ 2 के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति करने की कहानी पर उसके द्वारा अपने प्रति परीक्षण में स्वीकरण कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया था की दृष्टि में विश्वास नहीं किया जा सकता है–यद्यपि सूचक ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है किंतु अंतरों के कारण उसके साक्ष्य पर अन्य गवाह अथवा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा किसी संपुष्टि की अनुपस्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता है–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया गया और आरोप से दोषमुक्त किया गया–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 12, 13 एवं 14)

अधिवक्तागण.–M/s Mahesh Tewari, Abhishek Kumar Dubey, For the Appellant; Mr. S.K. Shrivastava, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. एकमात्र अपीलार्थी एस॰ सी॰ सं॰ 272 वर्ष 1989 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 9.3.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी जो मृतक की पत्नी है को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला सूचक जो अपीलार्थी एवं मृतक का पुत्र है के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। अभियोजन मामले में, सूचक ने अभिकथित किया है कि उसकी माता अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी का सह-अभियुक्त फागू कर्माकर के साथ अवैध संबंध था। फागू कर्माकर सूचक के पिता के साथ मदिरा का सेवन किया करता था और जब उसका पिता सो जाता था, वह उसकी माता के साथ अवैध संबंध बनाता था। फागू कर्माकर अपना अवैध संबंध जारी रखने के लिए उसके पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आता था और यह प्रेम प्रसंग कुछ माह से चल रहा था। पिछले रविवार (अर्थात् 17.4.1988 को) साथ लगभग 5 बजे अपराह्न में फागू कर्माकर पुनः सूचक के घर आया तथा फागू कर्माकर तथा उसके पिता लगभग 8.00 बजे अपराह्न में साथ भोजन किया। तत्पश्चात फागू कर्माकर ने सूचक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कमरा में सोने के लिए कहा क्योंकि वर्षा होने की संभावना थी जिस पर सूचक उसकी पत्नी एवं उसके भाई बहन सोने के लिए एक कमरा में चले गए। लगभग

एक घंटा बाद, उसकी माता अर्थात् अपीलार्थी भी उसी कमरा में सोने के लिए आयी। सुबह में, उसकी माता ने सूचित किया कि फागू कर्माकर वहाँ नहीं था और सूचक का पिता मृत पाया गया था और उसकी गर्दन में रस्सी बंधी थी। तत्पश्चात, सूचक ने दरवाजे से झाँका और अपने पिता का मृत शरीर चादर से ढँका बिस्तर पर पड़ा पाया। उसकी माता ने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसने कमरा बंद कर दिया और अपने माता-पिता को सूचित करने उनके पास गयी। वह शाम में लौटी और तत्पश्चात, सह-अभियुक्त जगदीश कर्माकर जो सूचक का नाना है भी आया और उन दोनों ने घर की रसोई में गड्ढा खोदा और मृत शरीर उस गड्ढे में दफना दिया। सूचक को 19.4.1988 को मुखिया अर्थात् राम प्रसाद द्वारा बुलाया गया था जिस पर वह अपने परिवार के समस्त सदस्यों के साथ मुखिया के घर गया जहाँ उसको अपराध प्रकट किया गया था। सूचक और उसकी माता ने पुलिस को घटनास्थल भी दिखाया जहाँ मृत शरीर दफन था। सूचक ने दावा किया कि उसके पिता की हत्या उसकी माता एवं फागू कर्माकर द्वारा की गयी थी और मृत शरीर उसकी माता एवं जगदीश कर्माकर द्वारा छुपाया गया था। सूचक का पूर्वोक्त प्रभाव का फर्दबयान घटनास्थल पर दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर कतरास पी॰ एस॰ केस सं॰ 109 वर्ष 1988, जी॰ आर॰ सं॰ 321 वर्ष 1988 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध और सह-अभियुक्तों अर्थात् फागू कर्माकर एवं जगदीश कर्माकर के विरुद्ध भी आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी पर अभियुक्तगण शांति देवी (अपीलार्थी) और जगदीश कर्माकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए आरोप और अपीलार्थी एवं फागू कर्माकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों के निर्दोषिता के अभिवचन पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। यह प्रतीत होता है कि बाद में विचारण के क्रम में फागू कर्मकार बीमार हो गया और उसे केंद्रीय अस्पताल, राँची इलाज के लिए भेजा गया था जिस कारण उसका विचारण पृथक किया गया था और अपीलार्थी तथा उसके पिता जगदीश कर्माकर के विरुद्ध विचारण जारी रहा। आक्षेपित निर्णय से यह भी प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त जगदीश कर्माकर को विचारण के बाद आरोप से दोषमुक्त किया गया था।

5. विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था जो अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर, सूचक, अ॰ सा॰ 2 राम प्रसाद सिंह मुखिया, अ॰ सा॰ 3 यमुना दूबे, मामले का आई॰ ओ॰ और अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ विनोद कुमार जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया हैं।

6. अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और कथन किया है कि घटना की तिथि पर फागू कर्माकर उसके घर आया था। उसने रात में उसके पिता के साथ भोजन किया था और सूचक एवं परिवार के अन्य सदस्यों को कमरा में सोने के लिए कहा था क्योंकि वर्षा होने की संभावना थी। इस गवाह ने पुनः कथन किया है कि उसका पिता, उसकी माता एवं फागू कर्माकर दूसरे कमरे में सोए। सुबह में उसकी माता द्वारा उसको सूचित किया गया था कि फागू कर्माकर चला गया था और उसका पिता मृत था। उसने आगे कथन किया है कि यद्यपि उसने अपने पिता का मृत शरीर उसकी गर्दन में बंधी रस्सी के साथ चौकी पर पड़ा देखा किंतु वह चादर हटाकर मृत शरीर नहीं देख पाया था। शाम में उसका नाना जगदीश कर्माकर आया और उसकी माता एवं उसके नाना ने गड्डा खोदा और मृत शरीर दफनाया। तीसरे दिन उन्हें मुखिया द्वारा बुलाया गया था जिसके समक्ष सब कुछ प्रकट किया गया

था। पुलिस को सूचित किया गया था और उसने तथा उसकी माता ने घटनास्थल दिखाया जहाँ मृत शरीर छुपाया गया था और मृत शरीर बरामद किया गया था। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था। यद्यपि इस गवाह ने अपीलार्थी को न्यायालय में पहचाना है, किंतु उसने कथन किया है कि वह जगदीश कर्माकर (जो गवाह का सगा नाना है) को नहीं पहचान रहा है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी उसके साथ उसी घर में थी किंतु उसे घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 2 राम प्रसाद सिंह मुखिया है और यद्यपि उसने कथन किया है कि अपीलार्थी शांति देवी ने उसके समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया था और कथन किया था कि उसने तथा फागू कर्माकर ने हत्या किया था, किंतु अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

8. अ॰ सा॰ 3 यमुना दूबे मामले का आई॰ ओ॰ है और इस गवाह ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है। उसने कथन किया है कि उसने सूचक द्वारा इंगित किए जाने पर मृत शरीर बरामद किया। अपीलार्थी भी घर में उपस्थित था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिसे उसने पहचाना था और इसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने मृतक की बहु बसन्ती देवी का बयान दर्ज किया था।

9. अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ विनोद कुमार ने 20.4.1988 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण के समय पर लगभग पूरे शरीर से त्वचा का क्यूटिक्ल छिल कर बाहर आ गया था और मृत्यु पश्चात फफोले मौजूद थे। गर्दन साफ की गयी थी और उपहति के किसी निशान का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया था, किंतु गर्दन पर अथवा शरीर के किसी भाग पर बाह्य उपहति नहीं देखी गयी थी। सभी अंग सामान्य थे यद्यपि वे विघटन की दशा में थे। गर्दन के विच्छेदन करने पर, मुलायम उत्तक पर उपहति नहीं पायी गयी थी। स्वायडू अस्थि, थायरायड कार्टिलेज, ट्रेकियल रिंग और गर्दन में अन्य अंग सामान्य थे, यद्यपि वे विघटन की दशा में थे। उन्होंने कथन किया है कि वह विघटन की उन्नत दशा के कारण गला दबाया जाना सिद्ध या असिद्ध करने की अवस्था में नहीं थे और वह मृत्यु के कारण के बारे में निश्चित मत निर्मित नहीं कर सके थे। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिल्कुल अवैध है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है क्योंकि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और एकमात्र गवाह जिसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि की गयी है अ॰ सा॰ 1 है जो मृतक एवं इस अपीलार्थी का पुत्र है। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि अभियोजन मामले जैसा प्राथमिकी में कथन किया गया है और सूचक द्वारा न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया गया है में अनेक अंतर हैं, क्योंकि यद्यपि प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि माता भी कुछ देर बाद आयी थी और उसी कमरा में सोयी थी जिसमें सूचक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सो रहा था किंतु अपने अभिसाक्ष्य में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी माता अपने पति एवं सह-अभियुक्त फागू कर्माकर के साथ अलग कमरा में सो रही थी, जिस तथ्य का कथन प्राथमिकी में नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि इस गवाह ने जगदीश कर्माकर को

न्यायालय में पहचानने से इनकार किया है, किंतु तथ्य बना रहता है कि जगदीश कर्माकर इस गवाह का सगा नाना है और यह विचित्र है कि उसने क्यों उसे पहचानने से इनकार किया है। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि वह सह-अभियुक्त फागू कर्माकर को पहले से नहीं जानता था, बल्कि उसे केवल घटना की तिथि पर इसकी जानकारी हुई, किंतु प्राथमिकी में यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि अपीलार्थी का घटना की तिथि से कुछ समय पहले से फागू कर्माकर के साथ अवैध संबंध है और फागू कर्माकर प्राय: सूचक के घर आता था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि सुरक्षित करने के लिए अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 2 रामप्रसाद सिंह ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति किया था, किंतु उसने स्पष्टत: कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और तद्नुसार, उसके साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 3 यमुना दूबे जो आई॰ ओ॰ है ने कथन किया है कि केवल सूचक के इंगित करने पर पुलिस द्वारा मृत शरीर बरामद किया गया था किंतु अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर ने कथन किया है उसने और उसकी माता ने पुलिस को घटनास्थल दिखाया था जहाँ से मृत शरीर बरामद किया गया था। अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ विनोद कुमार ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह मृत्यु के बारे में कोई मत देने की अवस्था में नहीं थे और शव परीक्षण के समय पर गर्दन के समस्त टिशु एवं अस्थि सामान्य पाए गए थे। अ॰ सा॰ 4 ने यह कथन भी किया है कि मृत शरीर पर बाह्य उपहति नहीं थी। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को कम से कम संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि सूचक अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर और कोई नहीं बल्कि सूचक का पुत्र है और उसने अपनी माता का सह-अभियुक्त के साथ अवैध संबंध होने के बारे में कथन किया है जो सामान्यत: संभव नहीं है जब तक इसमें कुछ सच नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि मृतक का मृत शरीर सूचक द्वारा भी देखा गया था यद्यपि यह चादर से ढँका था और वह अपीलार्थी द्वारा मृत शरीर छुपाए जाने का गवाह भी था और स्वयं घर में गड्ढा खोदा गया था जहाँ से मृत शरीर बरामद किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन ने यह स्थापित करने के लिए कि सह-अभियुक्त फागू कर्माकर के साथ अवैध संबंध होने के कारण सूचक के पिता की हत्या की गयी थी और मृत शरीर छुपाया गया था, अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला पूरा करने में सक्षम हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। मृतक सह-अभियुक्त जिसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था के साथ मदिरा सेवन करने का आदी था। अभियोजन मामले के अनुसार घटना की तिथि पर भी सह-अभियुक्त फागू कर्माकर ने मृतक के साथ भोजन किया था और तत्पश्चात, यह अभिकथित किया गया है, जब वह सोया, रस्सी जो उसकी गर्दन में बंधी पायी गयी थी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। किंतु तथ्य बना रहता है कि यद्यपि गर्दन में रस्सी बांधकर उसका गला घोंटकर मृतक की हत्या

का मामला बनाया गया है, किंतु तथ्य बना रहता है कि गर्दन के टिशु एवं अंग सामान्य पाए गए थे, और शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा बाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं पायी गयी थी और समय बीतने के कारण मृत्यु पश्चात विघटन के सिवाए कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया था। अ॰ सा॰ 2 राम प्रसाद सिंह के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति करने की कथा पर भी उसके द्वारा अपने प्रति परीक्षण में स्वीकरण कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, की दृष्टि में विश्वास नहीं किया जा सकता है। यद्यपि प्राथमिकी में कथन किया गया है कि सूचक पहले से सह-अभियुक्त फागू कर्माकर को जानता था क्योंकि वह प्राय: सूचक के घर उसकी माता के साथ अवैध संबंध स्थापित करने आता था, किंतु अपने साक्ष्य में सूचक ने कथन किया है कि उसे केवल घटना की तिथि पर उक्त सह-अभियुक्त के बारे में जानकारी हुई और उसने पहली बार उसी तिथि पर उसको पहचाना जो प्राथमिकी में दिए गए बयान के विरुद्ध है। यद्यपि प्राथमिकी में कथन किया गया है कि घटना की रात में यह अपीलार्थी उसी कमरा में सो रही थी जिसमें सूचक सो रहा था, किंतु अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर द्वारा अपने साक्ष्य में यह भाग छुपाया गया है और उसने नया कहानी बनाया है कि यह अपीलार्थी उसी कमरा में सो रही थी जिसमें उसका पति एवं अन्य सह-अभियुक्त सो रहा था। सूचक ने सह-अभियुक्त जगदीश कर्माकर जो उसका सगा नाना है को पहचानने से इनकार किया है और यह भी सूचक के साक्ष्य पर संदेह डालता है। हमारा सुविचारित मत है कि यद्यपि सूचक ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, किंतु पूर्वोल्लिखित अंतरों के कारण अन्य गवाह अथवा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा किसी संपुष्टि की अनुपस्थिति में उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तथ्य बना रहता है कि आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 3 यमुना दूबे ने कथन किया है कि उसने मृतक की बहु का बयान दर्ज किया था किंतु अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर ने कथन किया कि उसकी पत्नी घटना के बारे में नहीं जानती थी। इस दशा में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अ॰ सा॰ 1 हरधन कर्माकर के एकमात्र साक्ष्य पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी संदेह के लाभ की हकदार है।

13. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, एस॰ सी॰ सं॰ 272 वर्ष 1989 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 9.3.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी शांति देवी को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14. तद्नुसार यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को भेजा जाए।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

पति ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 322 of 2001. Decided on 28th February, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन आवेदन के मामले में।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 380—चोरी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–प्राथमिकी इस अभिकथन पर संस्थित की गयी थी कि याची सूचक के घर गया था और सूचक के पति का लाइसेंस्ड बंदूक चुराया था और भागने में सफल हुआ था–अभियोजन के संगत साक्ष्य जिसने घटना स्थल एवं घटना का तरीका सिद्ध किया है की दृष्टि में अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने बचाव पर प्रतिकूलता कारित नहीं किया है–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है–विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और तद्नुसार उसको दंडादेशित किया है–अपीलीय न्यायालय ने भी दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करके सुतार्किक आदेश दर्ज किया है–मामला वर्ष 1984 में संस्थित किया गया था और याची तीन दशकों से अधिक से अभियोजन मामले की कठिनाई का सामना कर रहा है–याची को अधिनिर्णीत दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया गया।

(पैराएँ 4, 13, 14 एवं 15)

अधिवक्तागण.–Mr. P.C. Tripathi, For the Petitioner; Mr. Krishna Shankar, For the Opp. Party.

न्यायालय द्वारा.–याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ त्रिपाठी और विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री कृष्णा शंकर सुने गए।

2. यह आवेदन विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा दांडिक अपील सं॰ 104 वर्ष 1991-92 में पारित दिनांक 25.9.1999 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए और उसको छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए जी॰ आर॰ सं॰ 3063 वर्ष 1984 में पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन के गवाह हितबद्ध गवाह हैं; अत: उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि बंदूक जिसे याची द्वारा चुराया गया अभिकथित किया गया है कभी नहीं बरामद किया गया था जो स्वयं अभियोजन मामला झुठलाता है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में मुख्य विरोधाभास हैं और याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव का वैकल्पिक तर्क किया गया है कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, याची पर अधिरोपित दंडादेश की अवधि इस तथ्य पर विचार करते हुए घटायी जाए कि याची वर्ष 1984 से अभियोजन मामले की कठिनाई का सामना कर रहा है और कुछ समय के लिए अभिरक्षा में बना रहा था।

4. यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी इस अभिकथन पर संस्थित की गयी थी कि 31.10.1984 को याची सूचक के घर गया था और सूचक के पति का लाइसेंसी बंदूक चुराया था और भागने में सफल हुआ था।

5. पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए रातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 117 वर्ष 1984 संस्थित किया गया था।

6. अन्वेषण का परिणाम भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन आरोप-पत्र की दाखिली में हुआ और संज्ञान लिए जाने के बाद मामला विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची के न्यायालय

को अंतरित किया गया था जिसमें दिनांक 20.11.1991 के निर्णय द्वारा याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तद्नुसार दंडादेशित किया गया था।

7. याची द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 104 वर्ष 1991-92 भी 25.9.1999 को खारिज की गयी थी।

8. यह प्रतीत होता है कि अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में छह गवाहों का परीक्षण किया है।

9. अ॰ सा॰ 5 शिव खोरेन मिंज स्वयं सूचक है जिसने कथन किया था कि याची उसके घर आया था और उसकी भाभी/ननद (अ॰ सा॰ 1) से बात करने लगा और बंदूक लेकर भागने में सफल हुआ।

10. अ॰ सा॰ 1 सुमरा रेन मिंज सूचक सिवा खोरेन मिंज की भाभी/ननद है जिसने कथन किया था कि याची उसके पास आया था और उससे बात कर रहा था। यह कथन भी किया गया है कि याची चला गया था किंतु कुछ समय बाद वापस आया था और बिस्तर से बंदूक लिया था और भाग गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया था कि बंदूक उसके साला/बहनोई (अ॰ सा॰ 4) की थी। इस गवाह ने यह तथ्य भी स्वीकार किया था कि याची उससे संबंधित था।

11. अ॰ सा॰ क्रिस्टो मिंज सूचक का पति है और यद्यपि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है किन्तु लाइसेंस्ड बंदूक उसकी थी।

12. अ॰ सा॰ 2 नोबेल मिंज एवं अ॰ सा॰ 3 सुनील कुमार मिंज क्रमशः सूचक के बहनोई एवं पुत्र हैं जिन्होंने भी याची द्वारा बंदूक चुराए जाने एवं भागने में सफल होने के बारे में कथन किया था।

13. यद्यपि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है जिस तथ्य पर याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा काफी जोर दिया गया है किंतु अन्वेषण अधिकारी के ऐसे गैर परीक्षण ने अभियोजन के संगत साक्ष्य जिसने घटना स्थल और घटना का तरीका सिद्ध किया है की दृष्टि में बचाव पर प्रतिकूलता कारिता नहीं किया है। यद्यपि अ॰ सा॰ 1, 2, 3 एवं 4 सब एक-दूसरे से संबंधित हैं किंतु यह स्वयं में उनका परिसाक्ष्य इस तथ्य की दृष्टि में त्यक्त नहीं करेगा कि अ॰ सा॰ 1, 2, 3 एवं 4 का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और एक-दूसरे का परिसाक्ष्य संपुष्ट करता है।

14. अतः, मामले के ऐसे दृष्टिकोण में विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और तद्नुसार उसको दंडादेशित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करके सुतार्किक आदेश दर्ज किया है। यह न्यायालय इस दृष्टिकोण का है कि चूँकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है, अतः, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया जाता है।

15. किंतु, जहाँ तक याची पर अधिरोपित दंडादेश का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि मामला वर्ष 1984 में संस्थित किया गया था और याची तीन दशकों से अधिक से विचारण की कठोरता का सामना कर रहा है। याची कुछ समय तक अभिरक्षा में भी बना रहा है। याची भी सूचक पक्ष से संबंधित प्रतीत होता है। उक्त परिदृश्य पर विचार करते हुए याची को अधिनिर्णीत दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाता है।

16. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

मलय कुमार सेन

cuke

बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 600 of 2012. Decided on 28th April, 2017.

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 73—सेवा निवृत्ति की आयु–संहिता के नियम 73 के संशोधन के परिणामस्वरुप राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ा दी गयी थी और बिहार राज्य द्वारा इस प्रभाव की अधिसूचना 24.3.2005 को जारी की गयी थी–प्रत्यर्थी निगम ने अपने कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाते हुए 29.7.2006 को संकल्प पारित करके इस विवाद्यक पर अंतिम निर्णय किया–याची के मामले के तथ्य पटना उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ के समक्ष दाखिल एवं विनिश्चित एल॰ पी॰ ए॰ में रिट याचिका के तथ्यों के सदृश है चूँकि याची पहले ही अधिवर्षित हो चुका है, यह मानते हुए कि मानो याची अधिवर्षिता की आयु तक सेवा दिया है, जैसा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित है, वेतन का भुगतन करके निर्णय क्रियान्वित किया जाएगा–तद्नुसार, याची को समस्त पारिणामिक सेवा-निवृत्ति लाभों को उपलब्ध कराया जाएगा। (पैराएँ 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2006) 11 SCC 464—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s S.S. Choudhary, Rahul Pandey, For the Petitioner; Mr. Randhir Kumar, For the BSFC; Mr. Mrinal Kanti Roy, For the JSFC.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट आवेदन निम्नलिखित अनुतोषों के लिए याची द्वारा दाखिल किया गया है:–

(I) Hkry{kh çHkko l vfèkof"krk dh vk; d 58 o"k l 60 o"k rd foLrkj.k d ykHk dk çnku dju rFkk >kj[kM lok lfgrk d l'kkfèkr fu;e 73 d erkfcd ;kph dh lokfuofÙk dh frfFk 30.6.2006 d ctk, 30.6.2008 ekuu d fy, çR;fFk;k dk fun'k nu d fy,A

(II) mldh lokfuofÙk dh vk; 60 o"k ekur g, li.k oru] oru cdk;k] minku] lokfuofÙk ,o vU; leLr èkuh; ykHkk dk Hkxrku dju d fy, çR;fFk;k dk fun'k nu d fy,A

(III) vU; leLr ykHkk ,o çkIkguk ftudk ;kph Hkry{kh çHkko l viuh c<k;h x;h lok e gdnkj g dk Hkxrku dju d fy, çR;fFk;k dk fun'k nu d fy,A

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

3. याची को 11.12.1974 को बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति (संक्षेप में ''बी॰ एस॰ एफ॰ सी॰ एस॰'') में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और काफी समय बाद उसे 5.10.1989 को भूतलक्षी प्रभाव से सहायक प्रबंधक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। पहले प्रत्यर्थी निगम ने 21.5.1973 को संकल्प लिया है जिसके प्रासंगिक अंश का पठन निम्नलिखित है:–

*^^ldYi fy;k x;k g fd ,l le; rd tc rd fuxe }kjk lok lfgrk] foÙkh; fu;ekoyh] vkfn fofpr ugh fd;k tkrk g] fcgkj lok lfgrk d cuk, x, çkoèkku] jkT; ljdkj depkfj;k d çfr ç;kT;] fuxe d depkfj;k d fy, viuk;k x;kA**

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के निबंधनानुसार मार्च 23 मार्च, 2005 तक राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष थी। राज्य सरकार ने 24 मार्च, 2005 को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाकर उक्त सेवा संहिता का नियम 73 संशोधित किया। इस संबंध में, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याची नियम 73 के संशोधन, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ायी गयी हैं, के बाद 30.6.2006 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवर्षित हुआ था।

4. समस्थित व्यक्तियों जिनके साथ प्रत्यर्थियों द्वारा इस आधार पर भेदभाव किया गया था ने सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1241 वर्ष 2006, 5945 वर्ष 2006, 16139 वर्ष 2006, 7257 वर्ष 2006 एवं 752 वर्ष 2007 दाखिल करके पटना उच्च न्यायालय के पास गए जिनमें वे अपना मामला हार गए। किंतु, एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 829 वर्ष 2007 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी निगम के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति के लिए हकदार हैं और प्रत्यर्थियों को आदेश के कठोरतापूर्वक अनुपालन के लिए निर्देश जारी किया गया था। किंतु निगम ने एस॰ एल॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 10387-10388 वर्ष 2008 दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 2.5.2008 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल पूर्वोक्त एस॰ एल॰ पी॰ खारिज कर दिया है। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी ने पुन: पुन–र्विलोकन याचिका सं॰ 2111-2112 वर्ष 2009 दाखिल किया किंतु इसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.2009 के अपने आदेश के तहत खारिज कर दिया था और इसलिए, अब यह पूरा नियम बन गया है कि प्रत्यर्थी निगम के कर्मचारी जो 24.3.2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए, 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति के लाभ के हकदार हैं।

5. जब याची को पूर्वोक्त आदेश की जानकारी हुई, उसने गुमला जहाँ से वह सेवानिवृत हुआ है में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को 20.1.2008 को सेवा ग्रहण करने के लिए आवेदन दिया किंतु प्रत्यर्थियों ने उसको सेवा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी है। याची ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष दिनांक 22.2.2010 के अभ्यावेदन सहित अनेक अभ्यावेदन दिया है किंतु वे मामले की उपेक्षा कर रहे हैं और संशोधित नियम 73 तथा माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित अनेक आदेशों को अनदेखा किया है। अत:, अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए याची ने इस रिट याचिका को दाखिल किया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰ एस॰ चौधरी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों की असद्भावपूर्ण एवं मनमानी कार्रवाई इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियम 73 के संशोधित प्रावधानों का लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष रिटों को दाखिल किया है और याची को इससे इनकार किया गया है क्योंकि उसने पहले कोई रिट दाखिल नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में, याची पूर्णत: अनुतोषों का हकदार है जैसा रिट आवेदन के पैरा I में दावा किया गया है और याची के पास रिट आवेदन के रूप में इस माननीय न्यायालय के समक्ष आने के सिवाए कोई अन्य वैकल्पिक अथवा प्रभावकारी उपचार नहीं है।

7. इसके विपरित प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याची की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और निवेदन करते हैं कि निगम के प्रबंध निदेशक ने कार्यालय आदेश जारी किया था जिसके द्वारा निगम के समस्त कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवर्षित होने का निर्देश दिया गया था। ऐसे निर्देश पर, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने कार्यालय आदेश (रिट आवेदन का परिशिष्ट 1) जारी किया था जिसके द्वारा याची को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30.6.2006 को अधिवर्षित होने का निर्देश दिया गया था। बाद में, प्रत्यर्थी निगम के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 29.7.2006 की अधिसूचना जारी किया था, तद्द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष 60 वर्ष तक बढ़ाया था। बाद में, एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 829 वर्ष 2007 और अन्य सदृश मामलों में पारित 17.1.2008 के आदेश के तहत पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थी निगम को संबंधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा देने वाला मानने के लिए निर्देश दिया था और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट भी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, अनेक कर्मचारियों, जो 24.3.2005 एवं 28.7.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने जा रहे थे, ने भी आयु के विस्तारण के आधार पर धनीय लाभों के लिए रिट दाखिल किया है किंतु याची माननीय न्यायालय के पास कभी नहीं आया है और स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि स्वीकार किया था और काफी समय बाद यह रिट आवेदन दाखिल किया है जिसे समय वर्जित के रूप में खारिज किया जा सकता है।

8. चाहे जो भी, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों की श्रृंखला की दृष्टि में याची का मामला विचार किए जाने योग्य है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद समय के भीतर माननीय न्यायालय के पास आए थे और दूसरे जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति स्वीकार कर लिया था किंतु जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक सुनिश्चित किया गया था, तब वे उसी अनुतोष के लिए माननीय उच्च न्यायालय के पास आए। जहाँ तक समस्त कर्मचारियों जो 24.3.2005 से 28.7.2006 के बीच अधिवर्षित हुए थे के संबंध में खंड न्यायपीठ के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करने के लिए निगम के कारणों का संबंध है, प्रत्यर्थियों ने **उ॰ प्र॰ जल निगम एवं एक अन्य बनाम जसवन्त सिंह एवं एक अन्य, (2006)11 SCC 464,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास किया है, जिसने समरुप विनिश्चित किया जिसका प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^tc dkb 0;fDr viu vfèkdkjk d çfr lpr ugh g vkj fLFkfr rFkk iokxg l mier gkrk g] vFkok vfèkdkjk dk vfHkdfFkr :i l mYy?ku dju oky i{k dh vkj l voLFkk e ifjoru g] ,l 0;fDr dk fjV foyc d ckn bl vkèkkj ij ugh luk tk ldrk g fd ml ogh vurk"k çnku fd;k tkuk pkfg, tk v0; lefLFkr 0;fDr;k tk vfèkdkjk d çfr lpr Fk dk çnku fd;k x;k FkkA***

9. पूर्वोक्त निर्णयों पर विश्वास करते हुए, प्रत्यर्थी निगम ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 850 वर्ष 2009 तथा 922 वर्ष 2009 दाखिल किया जिन्हें दिनांक 22.2.2011 के निर्णय एवं आदेश के तहत खारिज किया गया है और उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल एस॰ एल॰ पी॰ विचार किए जाने के लिए लंबित है। मामले के प्रासंगिक तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के निबंधनानुसार, सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष थी। संहिता के नियम 73 के संशोधन के परिणामस्वरुप, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों

की अधिवर्षिता 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ायी गयी थी और बिहार राज्य द्वारा 24.3.2005 को इस प्रभाव की अधिसूचना जारी की गयी थी। चूँकि बिहार सेवा संहिता के प्रावधान स्वमेव प्रत्यर्थी निगम के प्रति प्रयोज्य नहीं थे, प्रत्यर्थी निगम द्वारा 21.5.1973 को इस प्रभाव का संकल्प लिया गया था कि निगम द्वारा सेवा संहिता, वित्तीय नियमावली आदि विरचित किए जाने के समय तक बिहार सेवा संहिता में बनाए गए प्रावधान जैसा राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रति प्रयोज्य हैं, निगम के कर्मचारियों के लिए अपनाए जाए। प्रत्यर्थी निगम ने अपने कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाते हुए 29.7.2006 को संकल्प पारित करके इस विवाद्यक पर अंतिम निर्णय लिया। यह विवाद्यक एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 829 वर्ष 2007 में माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचारार्थ आया और खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *^^-------;|fi 24 ekp] 2005 dk vkj l jkT; ljdkj d depkfj;k d çfr ;Fkk ç;kT; lok lfgrk d fucèkuku lkj jkT; ljdkj d depkjh 60 o"k dh vk; rd lok nu d gdnkj cu x, pfd mI le; rd fuxe }kjk lok lfgrk vFkok foÙkh; fu;ekoyh fojfpr ugh dh x;h Fkh] fnukd 21 eb] 1973 d ldYi d fucèkuku lkj fuxe d vfèkdkjh ,o depkjh blh ykHk d gdnkj cu x,A***

उक्त संप्रेक्षणों के आधार पर, पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने घोषित किया था कि निगम के वे कर्मचारी जिन्हें 24 मार्च, 2005 और 29 जुलाई, 2006 के बीच सेवानिवृत्त कर दिया गया था, 60 वर्ष की अपनी आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार थे और तद्नुसार वे 60 वर्ष की आयु तक अपने वेतन के हकदार थे।

10. पूर्वोक्त नियमों, दिशा निर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, मैं पूर्णत: आश्वस्त हूँ कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट **उ॰ प्र॰ जल निगम (ऊपर)** में दिए गए निर्णय वर्तमान मामले में याची के मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं होंगे। दूसरी ओर, याची के मामले के तथ्य माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष दाखिल एवं विनिश्चित एल॰ पी॰ ए॰ में रिट याचियों के तथ्यों के सदृश हैं।

11. परिणामस्वरुप, रिट याचिका एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 829 वर्ष 2007 तथा सदृश अपीलों में पारित पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में यथा अंतर्विष्ट उन्हीं निबंधनों तथा उन्हीं निर्देशों में निपटायी जाती है। चूँकि याची पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, अत:, याची को अधिवर्षिता की आयु तक सेवारत रहता मानते हुए वेतन का भुगतान करके निर्णय क्रियान्वित किया जाएगा जैसा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित है। तद्नुसार, याची को समस्त पारिणामिक सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त कथित निबंधनों में निर्णय प्रत्यर्थियों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस आदेश की प्रति की प्रत्यर्थियों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर लिया और क्रियान्वित किया जाएगा।

12. यह कहना अनावश्यक है कि चूँकि विवाद्यक अब अनिर्णीत नहीं है, प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण इस आदेश की प्रति की प्राप्ति पर और इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 829 वर्ष 2007 एवं सदृश मामलों में समरुप आदेश पारित किए गए हैं और माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अभिपुष्ट किए गए हैं, मामला विनिश्चित करेंगे और यदि

विधिक अवरोध नहीं है, निर्णय की तिथि से एक माह की अतिरिक्त अवधि के भीतर याची को लाभ दिया जा सकता है।

13. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

अशोक कुमार उपाध्याय

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 897 of 2006. Decided on 16th May, 2017.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–बर्खास्तगी–सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 2001 का नियम 36—सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ में कॉंस्टेबल के पद से–अभिलेखों, विभागीय जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य, अभियोजन गवाहों, बचाव गवाहों के बयानों, जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट पर विचार करते हुए और याची द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने अवचार के सिद्ध किए गए कृत्य के लिए सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिनिर्णीत किया है–याची का मामला अत्यधिक अथवा अननुपातिक दंड की कोटि के अधीन नहीं आता है–याची को अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते आचरण एवं नियमावली के मुताबिक अपने कर्तव्यों से उन्मोचित किया जाना चाहिए और अनुशासित बल में लेश मात्र अनुशासन एवं अवचार को सहन नहीं किया जा सकता है और याची के प्रति दर्शायी गयी नरमी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कुस्थापित सहानुभूति के तुल्य होगी–उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्यतः दंड की मात्रा के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के स्थान पर अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं करता है जब तक यह अभिकथित अवचार के प्रति घोर रूप से अननुपातिक नहीं है अथवा दंड स्पष्ट रूप से अत्यधिक नहीं है जो विवेकशील व्यक्ति की अंतरात्मा को चोट पहुँचाए–आकस्मिक परिस्थितियों के मुकाबले अवचार की गंभीरता पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(1999) 3 SCC 679; (AIR 2006 SC 2129)—Referred; (2013) 1 SCC 598; (2009) 8 SCC 310—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Kumar, Amit Kumar, For the Petitioner; M/s Rajiv Sinha, A.S.G.I., Niraj Kumar, For the Resp.-UOI.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–इस रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित कमांडेन्ट, सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ द्वारा पारित दिनांक 21.4.2003 के अंतिम आदेश और अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.8.2003 के पश्चातवर्ती आदेश और पुनरीक्षण प्राधिकारी के दिनांक 10.5.2004 के आदेश, जिसके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट किया गया है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

2. संक्षेप में रिट आवेदन में चित्रित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को वर्ष 1985 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीन कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2000 में, बिहार राज्य

में विधान सभा चुनाव के दौरान उसकी इकाई प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा पारित दिनांक 6.2.2000 के आदेश द्वारा चुनाव कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया गया था और चुनाव के दौरान श्री एम॰ एल॰ मीना, इंसपेक्टर ने परिवादी के विरुद्ध उप–महानिरीक्षक, सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ यूनिट, एच॰ ई॰ सी॰, राँची से रिट याचिका के परिशिष्ट 1 के मुताबिक परिवाद किया। उक्त परिवाद के आधार पर सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 1969 के नियम 30 के उपनियम 1 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए याची के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात की गयी थी और याची को तुरन्त के प्रभाव से निलंबित किया गया था। चूँकि घटना बिहार पुलिस की अधिकारिता के अंतर्गत हुई, हटिया पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने मामले के दर्जकरण के लिए बिहारशरीफ पुलिस को पत्र लिखा। तद्नुसार, 29.2.2000 को दीपनगर पुलिस थाना के समक्ष इंस्पेक्टर श्री एम॰ एल॰ मीना द्वारा दीपनगर पुलिस थाना मामला सं॰ 29/2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। याची को उक्त ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए 18.3.2000 को आरोप ज्ञापन दिया गया था। याची ने उक्त आरोपों से विमुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों का खंडन करते हुए अपना उत्तर दाखिल किया। मामले की जाँच की गयी थी और जाँच अधिकारी ने 29.3.2003 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जाँच रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.4.2004 के आदेश के तहत अंतिम आदेश पारित किया गया है जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 7 से स्पष्ट है। अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.8.2003 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 9) द्वारा संपुष्ट किया गया है। अनुशासनिक एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर याची ने बिंदुओं को उठाते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया और पुनरीक्षण अधिकारी ने रिट याचिका के परिशिष्ट 11 के तहत दिनांक 10.5.2004 के आदेश के तहत उक्त याचिका खारिज कर दिया। रिट आवेदन में प्रकथन किया गया है कि याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन संस्थित दांडिक मामला सत्र विचारण सं॰ 666/2000 का अंत विद्वान सत्र न्यायाधीश, नालंदा द्वारा पारित दिनांक 17.11.2005 के निर्णय द्वारा दोषमुक्ति में हुआ। अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, कोई वैकल्पिक एवं प्रभावी उपचार के बिना, याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि विभागीय कार्यवाही एवं दांडिक कार्यवाही आरोपों के एक ही संवर्ग पर आधारित थी और याची को दांडिक मामले में मात्र तकनीकी खामियों पर दोषमुक्त नहीं किया गया है बल्कि इस आधार पर दोषमुक्त किया गया है कि अभियोजन याची के विरुद्ध आरोप स्थापित करने में विफल रहा है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि दोनों कार्यवाहियों में मापदंड सुभिन्न एवं भिन्न हैं किंतु विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का विभागीय कार्यवाही पर प्रभाव होना चाहिए था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि संपूर्ण कार्यवाही किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि अनुशासनिक प्राधिकारी ने विकृत जाँच रिपोर्ट के आधार पर दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसे अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आदेश मुख्य दंड है जो अभिकथित अवचार के प्रति घोर रूप से अननुपातिक है और अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका के परिशिष्ट 12 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश की दृष्टि में याची के मामले पर **कैप्टेन एम॰ पॉल एन्थोनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लि॰ एवं एक अन्य, (1999)3 SCC 679,** और **जी॰ एम॰ टन्क बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य, AIR 2006 SC 2129** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में नए सिरे से विचार किया जाए।

5. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है प्रत्यर्थी सं॰ 4 अनुशासनिक प्राधिकारी ने याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर सावधानीपूर्वक विभागीय जाँच के दौरान गवाह द्वारा दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले उसके मामले में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया और याची द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 21.4.2003 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड उसको अधिनिर्णीत करते हुए अंतिम आदेश पारित किया है जो उचित एवं न्यायोचित है। अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपराध की गंभीरता पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दंड का आदेश संपुष्ट किया। याची को कर्तव्य के निर्वहन में अपने अवचार के लिए और अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते'' चुनाव कर्तव्य'' के दौरान चुनाव के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 1969 के नियम 34 (अब सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली 2001 के नियम 36 के रूप में संशोधित) के अधीन आरोपित किया गया था। न तो याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया था और न ही विभाग द्वारा उसकी जाँच की गयी थी जिसके लिए वह न्यायालय में विचारण के अधीन था और इसलिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दंड उचित, न्यायोचित एवं याची द्वारा किए गए सिद्ध अवचार की गंभीरता के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त, सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ संघ का सशस्त्र बल है जहाँ अत्यन्त ऊँची डिग्री का अनुशासन अपेक्षित है, किंतु याची ने उस तरीके से कृत्य किया जिसने उसे बल में बने रहने अनुपयुक्त बना दिया है। याची को दर्शायी गयी वर्तमान मामले में कोई नरमी संगठन के रचनात्मक विकास के प्रति हानिकारक होगी और बल की छवि धूमिल करेगी और यह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कुस्थापित सहानुभूति के तुल्य होगा।

6. प्रत्यर्थी भारत संघ की ओर से उपस्थित ए॰ एस॰ जी॰ आई॰ श्री राजीव सिन्हा प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराने के अलावा अनुशासनिक बल का सदस्य होने के नाते दांडिक मामले में याची की दोषमुक्ति की दृष्टि में पुनर्विचार किए जाने के लिए मामला वापस भेजने पर जोरदार आपत्ति करते हैं।

7. परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद एवं अभिलेख के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम नहीं हुआ है:–

(I) वर्तमान मामले में, याची के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन ये हैं कि याची ने चुनाव कर्तव्य के दौरान उसको जारी यूनिट बट्ट सं॰ 176 रजिस्ट्रेशन सं॰ A-10006 वाले अपनी सर्विस राइफल 7.62 (बी॰ ए॰) से जानबूझकर एवं आशयपूर्वक इंसपेक्टर एम॰ एल॰ मीना पर एक राउन्ड गोली चलाया। सौभाग्यवश, इंस्पेक्टर एम॰ एल॰ मीना घायल हुए बिना बच निकला जब उसने राइफल का बैरल पकड़ लिया और इसका रुख आसमान की तरफ कर दिया और एम॰ एल॰ मीना पर याची द्वारा गोली चलाने का दूसरा प्रयास घटनास्थल पर उपस्थित बल के सदस्यों द्वारा नाकाम कर दिया गया था। सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ जैसे

संघ के अनुशासित सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते याची की ओर से ऐसा जघन्य कृत्य घोर अननुशासन, अवचार, कर्तव्य की अवहेलना और विधानसभा चुनाव के दिशा–निर्देश की अवज्ञा के तुल्य है जिसे सिद्ध किया गया है। अभिलेखों, विभागीय कार्यवाही के दौरान दिए गए साक्ष्य, अभियोजन गवाहों, बचाव गवाहों के बयानों, जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट पर विचार करते हुए और याची द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने अवचार के सिद्ध कृत्य के लिए सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिनिर्णीत किया है। अत:, याची का मामला अत्यधिक अथवा अननुपातिक दंड की कोटि के अधीन नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, याची को अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते आचरण एवं नियमावली के मुताबिक अपने कर्तव्य से उन्मोचित किया जाना चाहिए और अनुशासित बल में लेशमात्र अननुशासन एवं अवचार सहन नहीं किया जा सकता है और याची के प्रति दर्शायी गयी सहानुभूति अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कुस्थापित सहानुभूति के तुल्य होगी।

(II) जहाँ तक दांडिक मामले में दोषमुक्ति के संबंध में याची के प्रतिवाद का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय **आरक्षी उपमहानिरीक्षक एवं एक अन्य बनाम एस॰ सामुथिरम, (2013)1 SCC 598,** में अभिनिर्धारित किया है कि दांडिक मामले में दोषमुक्ति सेवा में पुनर्बहाली आवश्यक नहीं बनाती है।

(III) उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्यत: अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं करता है जब एक बार दंड की मात्रा के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी निर्णय करता है जब तक यह अभिकथित अवचार के प्रति घोर रूप से अननुपातिक नहीं है अथवा दंड स्पष्ट रूप से अत्यधिक नहीं है जो किसी विवेकशील व्यक्ति की अंतरात्मा को चोट पहुँचाए। वर्तमान मामले में, आकस्मिक परिस्थिति के मुकाबले अवचार की गंभीरता पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(IV) इस न्यायालय का दृष्टिकोण **उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम मनमोहन नाथ सिन्हा एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 310,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सुदृढ़ होता है जिसमें विशेषत: पैराग्राफ 15 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"15. fofèkd voLFkk lfuf'pr g fd U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr fu.k; d fo#) funf'kr ugh g cfYd ;g fu.k; yu dh çfØ;k rd lhfer gA U;k;ky; fu.k; d x.kkx.k ij fu.k; ugh djrk gA tkp vfèkdkjh d le{k fn, x, lk{; dk iuvfèkeY;u ,o iuvkdyu dju vkj vihy d U;k;ky; d :i e tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k dk ijh{k.k dju vkj Lo; viu fu"d"k ij igpu dh NV mPp U;k;ky; dk ugh g---------***

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों से कथित कारणों की दृष्टि में दिनांक 21.4.2003 के दंड के आक्षेपित आदेश, जिसे अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा क्रमश: दिनांक 16.8.2003 तथा 10.5.2004 के आदेशों के तहत संपुष्ट किया गया है, में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. तद्नुसार, गुणागुणरहित रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. किंतु, रिट आवेदन की खारिजी प्रत्यर्थीत प्राधिकारी को एस॰ टी॰ सं॰ 666 वर्ष 2000 में पारित दिनांक 17.11.2005 के निर्णय की संलग्न छाया प्रतिलिपि के साथ दिनांक 6.1.2006 के याची के अभ्यावेदन पर विचार करने और विधि के अनुरुप आदेश पारित करने, यदि इसे पहले ही पारित नहीं किया गया है, से अपवर्जित नहीं करेगी।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

अर्जुन दास एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 2050 of 2016. Decided on 6th March, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 304B/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 82 एवं 482—क्रूरता एवं दहेज मृत्यु–गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट और उद्घोषणा जारी किया जाना–याचीगण इस तथ्य का लाभ इप्सित करते हैं कि पति को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है–याचीगण ने इस तथ्य के कारण विचारण का सामना नहीं किया है कि वे फरार थे और मात्र इसलिए कि पति को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, यही लाभ अन्य अभियुक्तों को नहीं प्रदान किया जा सकता है क्योंकि उन अभियुक्तों का विचारण नए सिरे से करना होगा–यह ऐसा मामला नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया था जबकि याचीगण को दोषसिद्ध किया गया था और उन्होंने अपील दाखिल नहीं किया था और उनका मामला उसी आधार पर खड़ा हुआ जो आधार पति का था–किंतु, आक्षेपित आदेश किसी व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि के बिना अन्वेषण अधिकारी के तलब पर पारित मात्र किया गया है जैसा उक्त आदेश में परिलक्षित किया जा सकता था–चूँकि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा तर्कपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण कारण नहीं दिया गया है, आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–2017(1) JBCJ 281 (SC)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Prasad Sinha, For the Petitioners; Mr. Sudhanshu Kumar Deo, For the Opp. Parties.

आदेश

याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश प्रसाद सिन्हा एवं विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री सुधांशु कुमार देव सुने गए।

2. इस आवेदन में याचीगण ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A/304B/34 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 18.12.2015 एवं 7.1.2016 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट एवं उद्घोषणा जारी किए जाने का आदेश दिया गया है को चुनौती देते हुए प्रार्थना की गयी है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि पति को गिरफ्तार किया गया था और विचारण के क्रम में चूँकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ था, उसे दोषमुक्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पति की दोषमुक्ति का लाभ याचीगण के पक्ष में इस तथ्य की दृष्टि में जाना चाहिए कि अभियुक्तों के विरुद्ध किए गए अभिकथन का समर्थन करने के लिए कोई भी गवाह आगे नहीं आया है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **2017(1) JBCJ 281 (SC)** में रिपोर्ट किये गये **मो॰ सज्जाद उर्फ**

राजू उर्फ सलीम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया है कि जहाँ तक दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी किए जाने का संबंध है, यह कोई वैध कारण अंर्तविष्ट नहीं करता है।

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याचीगण द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

4. संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए याचीगण द्वारा की गयी प्रार्थना के संबंध में उन्होंने **मो॰ सज्जाद उर्फ राजू सलीम (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। उक्त मामले के तथ्य एवं वर्तमान मामले के तथ्य बिल्कुल भिन्न हैं और निर्देशाधीन निर्णय से जो चीज निकाली गयी है वह इस प्रभाव की है कि यदि दोषसिद्ध अपील दाखिल नहीं करता है, अपील पर दोषमुक्ति का लाभ अन्य दोषसिद्धों को प्रदान किया जाता है, वही लाभ समस्थित सह-अभियुक्तों को दिया जाना होगा। वर्तमान मामले के तथ्य निर्देशाधीन मामले के तथ्यों से बिल्कुल विपरीत हैं। वर्तमान मामले में याचीगण इस तथ्य का लाभ इप्सित करते हैं कि पति को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। याचीगण ने इस तथ्य के कारण विचारण का सामना नहीं किया है क्योंकि वे फरार थे और मात्र इसलिए कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पति को दोषमुक्त किया गया है, वह लाभ अन्य अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उन छह अभियुक्तों का विचारण नए सिरे से करना होगा।

5. मामला यह नहीं है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पति को दोषमुक्त किया गया था जबकि याचीगण को दोषसिद्ध किया गया था और उन्होंने अपील दाखिल नहीं किया था और उनका मामला उसी आधार पर खड़ा था जिस पर पति का मामला था। यदि परिस्थितियाँ ऐसी थी, पति को प्रोद्भूत होने वाला लाभ निश्चय ही अन्य अभियुक्तों तक गया होता किंतु वर्तमान मामले के तथ्य ऐसा नहीं होने के कारण संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की प्रार्थना एतद् द्वारा नकारी जाती है।

6. किंतु, जहाँ तक दिनांक 7.1.2016 के आक्षेपित आदेश का संबंध है, इसे किसी व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि जैसा उक्त आदेश में परिलक्षित किया जा सकता था, हुए बिना मात्र अन्वेषण अधिकारी के तलब पर पारित किया गया प्रतीत होता है। चूँकि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गिरीडीह द्वारा तर्कपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण कारण नहीं दिया गया है, दिनांक 7.1.2016 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

उक्त उल्लिखित सीमा तक यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

लंबित आई॰ ए॰ भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vferkHk dqekj xIrk] U;k;efr

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

cuke

श्रीमती कमला देवी एवं अन्य

M.A. Nos. 473 of 2014 with I.A. No. 334 of 2015. Decided on 20th March, 2017.

मोटर यान अधिनियम, 1988—धाराएँ 168 एवं 173—दुर्घटनावश मृत्यु–अधिकरण ने 6% ब्याज सहित 55,86,773/- रुपयों की मुआवजा राशि अधिनिर्णीत किया–भावी संभावनाओं

की ओर अतिरिक्त राशि नहीं दी जानी चाहिए यदि मृतक 50 वर्ष से अधिक आयु का है–तथ्यों एवं परिस्थितियों में, 50,00,000/- रुपया अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा भुगतेय न्यायोचित, युक्तियुक्त एवं साम्यापूर्ण मुआवजा होगा। (पैराएँ 6, 8, 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–(2009) 6 SCC 121; **2013(3) JBCJ 161 (SC)** : (2013) 9 SCC 65—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Manish Kumar, For the Appellant; Mr. Birendra Kumar, For the Resp. Nos. 1 to 5.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 334 वर्ष 2015

यह अंतर्वर्ती आवेदन इस वर्तमान विविध अपील को दाखिल करने में 164 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कोई गंभीर आपत्ति नहीं किया है।

3. सुना गया। समर्थनकारी शपथ पत्र के पैराओं 4, 5 एवं 6 में दिए गए कारणों पर विचार करते हुए पर्याप्त कारण एवं युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है। तद्नुसार, विलंब माफ किया जाता है।

4. आई॰ ए॰ सं॰ 334 वर्ष 2015 अनुज्ञात किया जाता है।

एम॰ ए॰ सं॰ 473 वर्ष 2014

5. यह अपील जिला न्यायाधीश II सह–एम॰ ए॰ सी॰ टी॰, धनबाद द्वारा अपीलार्थी/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आवेदन की दाखिली की तिथि से इसकी वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ 55,86,773/- रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए पारित दिनांक 29.1.2014 का निर्णय आक्षेपित करते हुए दाखिल की गयी है।

6. अपीलार्थी/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आक्षेपित निर्णय का विरोध यह प्रतिवाद करते हुए किया है कि अधिनिर्णीत मुआवजा अत्यधिक है क्योंकि अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करके कि मृतक शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 50 वर्ष की आयु का था जबकि मृतक की सेवा पुस्तिका के कागजात एवं दस्तावेज प्रकट करते हैं कि मृतक 53 वर्ष की आयु का था, अत: प्रयोज्य गुणक 11 है और न कि 13 जैसा अधिकरण द्वारा लागू किया गया है, मुआवजा निर्धारित करने में गलती किया है।

अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य, (2009)6 SCC 121,** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार, जिसे **रेशमा कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन एवं एक अन्य, (2013)9 SCC 65 [: 2013 (3) JBCJ 161 (SC)],** में निर्दिष्ट एवं अनुसरित किया गया है, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भावी संभावनाओं हेतु योग नहीं किया जाना चाहिए यदि मृतक 50 वर्ष से अधिक आयु का है। यह आग्रह किया गया है कि यदि 11 का गुणक लागू किया जाता है, भुगतेय मुआवजा 36,00,000/- (छत्तीस लाख) रुपया होगा और ब्याज के साथ 45,00,000/- (पैंतालीस लाख) रुपया होगा।

7. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दावेदारों/प्रत्यर्थियों को आपत्ति नहीं है यदि 50,00,000/- रुपया मुआवजा के रूप में अधिनिर्णीत किया जाता है।

8. सुना गया। तथ्यों एवं परिस्थितियों में 50,00,000/- (पचास लाख) रुपया अपीलार्थी/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतेय न्यायोचित, युक्तियुक्त एवं साम्यापूर्ण मुआवजा होगा। तद्नुसार,

अपीलार्थी/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर प्रत्यर्थी सं॰ 1 अर्थात् कमला देवी को 50,00,000/- (पचास लाख) रुपयों की एकमुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 10,00,000/- (दस लाख) रुपया प्रत्येक का निवेश दोनों पुत्रियों के नाम में पाँच वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में और 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपयों का निवेश अवयस्क पुत्रों के नाम में और 10,00,000/- (दस लाख) रुपयों का निवेश पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 के नाम में करेगी। प्रत्यर्थी सं॰ 1 अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधि जमा के प्रोद्भूत ब्याज को प्राप्त करने की हकदार होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्वोक्त मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, अपीलार्थी इस आदेश की तिथि से उक्त राशि पर 10% वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

9. उक्त उपदर्शित सीमा तक अवर न्यायालय का दिनांक 29.1.2014 का आक्षेपित निर्णय उपांतरित किया जाता है।

10. रजिस्ट्री को अपीलार्थी/ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में 25,000/- (पचीस हजार) रुपयों की सांविधिक राशि लौटाने का निदेश दिया जाता है।

11. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ यह अपील एतद् द्वारा निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

बिनोद सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 1040 of 2016. Decided on 15th December, 2016.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धारा 138—चेक का अनादर–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही और अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना–जैसा अभिकथित किया गया है, यह याची द्वारा धोखा एवं छल करने का मामला है–यह निवेदन किया गया है कि एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध याची के विरुद्ध नहीं बनता है, क्योंकि याची को कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया था और न ही चेकों का अनादर दर्शाने वाले किसी बैंक रसीद को परिवाद के साथ संलग्न किया गया है और इसके अलावा चेकों की संख्या भी परिवाद में उल्लिखित नहीं की गयी है–द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है और याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री त्यक्त करने में सक्षम नहीं हुआ है–वर्तमान दांडिक विविध याचिका में गुणागुण नहीं है–याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–2015 (1) JBCJ 500 (SC) : (2014)10 SCC 663; (2014) 10 SCC 616—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Shresth Gautam, For the Petitioner; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the Opp. Parties.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यह दांडिक विविध याचिका धनवार पी॰ एस॰ केस सं॰ 143 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ केस सं॰ 1374 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 3.9.2015 के आदेश एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि विद्वान सी॰ जे॰ एम॰, गिरीडीह के समक्ष परिवाद याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे बाद में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन प्राथमिकी के दर्जकरण के लिए भेजा गया था और उस आधार पर प्राथमिकी उसमें यह अभिकथित करते हुए दाखिल की गयी थी कि 8.9.2009 को याची एवं अन्य सूचक के गाँव आए और उनकी भूमि पर एशियन नेट टावरों को लगाने का प्रस्ताव गाँववालों को दिया जिसके लिए वे किराया के रूप में 1695/-रुपया प्रति माह की राशि और रख–रखाव प्रभारों की ओर 800/-रुपया प्रतिमाह पाएँगे। याची ने गाँववालों से प्रतिभूति धन हेतु 50,000/- रुपयों की राशि मांगा था, जो अपनी भूमि पर कंपनी के टावरों को लगवाने में दिलचस्पी रखते थे। आठ ग्रामीणों ने प्रस्ताव स्वीकार किया है और उक्त प्रतिभूति राशि याची के पास जमा किया है। तत्पश्चात आठों व्यक्तियों को कंपनी के साथ करार निष्पादित करने के लिए बोकारो ले जाया गया था जहाँ कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि तीन माह की अवधि के भीतर उनकी भूमि पर एशियन नेट लगा दिया जाएगा। तीन माह बीतने के बाद, जब कंपनी द्वारा एशियन नेट का टावर नहीं लगाया गया था, समस्त व्यक्ति याची के पास गए, जिसने उन्हें आश्वासन दिया कि 8 दिन के भीतर एशियन नेट लगा दिया जाएगा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि बार–बार कहे जाने के बाद जब कंपनी द्वारा एशियन नेट नहीं लगाया गया था, उन्होंने याची से अपना प्रतिभूति धन वापस मांगा जिस पर याची ने उन सबों को पृथक चेक दिया और उन्हें तीन माह बाद इसे जमा करने के लिए उनको कहा। यह अभिकथित किया गया है कि चेक की समय सीमा बीत गयी है और जब याची सूचक के गाँव आया, उन्होंने अपने धन की वापसी की मांग की किंतु उसने इसे लौटाने से इनकार कर दिया और उनको गाली भी दिया। अत:, सूचक ने याची के विरुद्ध वर्तमान परिवार दर्ज किया।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची बिल्कुल निर्दोष है और कोई अपराध नहीं किया है जैसा प्राथमिकी में अभिकथित किया गया है और इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह निवेदन किया गया है कि परिवार घटना की तिथि से तीन वर्ष बीतने के बाद दर्ज किया गया था और ऐसे विलंब के लिए सूचक द्वारा कारण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि टावर लगाने अथवा सूचक से याची द्वारा लिए गए धन के संबंध में याची एवं सूचक के बीच करार निष्पादित नहीं किया गया था और किसी करार अथवा धन रसीद की अनुपस्थिति में यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि सूचक एवं अन्य ने याची को अग्रिम धन दिया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी के कोरे पठन से यह स्पष्ट है कि एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन याची के विरुद्ध मामला नहीं बनता है, चूँकि याची को न तो कोई कानूनी नोटिस भेजी गयी थी और न ही चेकों का अनादर दर्शाने वाले किसी बैंक रसीद को परिवाद के साथ संलग्न किया गया है और परिवाद में चेकों की संख्या उल्लिखित नहीं की गयी है जिसे याची द्वारा सूचक को दिया जाना अभिकथित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, गिरीडीह ने मात्र इसलिए कि आरोप–पत्र दाखिल किया गया है, पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना दिनांक 3.9.2015

का संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन करते हैं कि कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य होगा और इसलिए, दिनांक 3.9.2015 का आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है और याची अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है एवं निवेदन किया है कि यह याची द्वारा गरीब ग्रामीणों के साथ धोखा एवं छल करने का मामला है। परिवाद से यह स्पष्ट है कि याची ने सूचक एवं अन्य को एशियन नेट का टावर लगवाने का प्रस्ताव दिया था और इसके बदले ग्रामीणों को 1695/- रुपया प्रतिमाह किराया के रूप में और रख–रखाव प्रभारों के रूप में 800/- रुपया प्रतिमाह देने का प्रस्ताव दिया। याची ने प्रत्येक गाँव वालों, जो उक्त टावर लगाने का इरादा रखते है, से उनकी भूमि पर टावर लगाने के लिए प्रतिभूति धन के रूप में 50,000/- रुपयों की राशि मांगा है। ग्रामीणों ने प्रस्ताव स्वीकार करने पर याची के पास पूर्वोक्त राशि जमा किया था किंतु जब कुछ माह बीतने के बाद उनकी भूमि पर टावर नहीं लगाए गए थे, सूचक एवं अन्य ने इसके बारे में याची से पूछा जिस पर याची ने आश्वासन दिया कि अगले आठ दिनों में टावर लगाए जाएँगे। आगे यह निवेदन किया गया है कि जब बार–बार अनुरोध के बाद टावर नहीं लगाया गया था, समस्त व्यक्तियों ने धन वापस मांगा जिस पर याची ने ग्रामीणों को विभिन्न चेक दिया किंतु बैंक में चेकों की प्रस्तुति पर इनका अनादर किया गया था। तत्पश्चात, ग्रामीणों ने याची से उनका धन वापस करने कहा किंतु इस बार याची ने धन वापस करने से इनकार किया और समस्त व्यक्तियों को गाली दिया।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन पर मेरा दृष्टिकोण है कि द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया है और याची अपने विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री त्यक्त करने में सक्षम नहीं हुआ है।

7. बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2014)10 SCC 663 [: 2015 (1) JBCJ 500 (SC)], में पैरा 8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^nkfMd ifjokn ij lfLFkr dk;okgh e] dk;okgh vfHk[kfMr dju dh vrfufgr 'kfDr;k dk ç;kx doy mu ekeyk e vko';d g tgk ifjokn dkb vijkèk çdV ugh djrk gA vFkok rPN gA ;g lfuf'pr g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk voyc pkdlh d lkFk fd;k tkuk pkfg, vkj fdQk;r l ç;kx fd;k tkuk pkfg,] ;g n[ku d fy, fd fofèk dh çfØ;k dk n#i;kx ugh fd;k tk;A fofèk dk lfuf'pr fl)kr g fd ifjokn@çkFkfedh nt dju d le; ij mPp U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèkHkk0;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk d çfr tkp ugh djuk gA**

एन॰ सौन्द्रम बनाम पी॰ के॰ पौनराज, (2014)10 SCC 616, में पैरा 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

> *"13. ekeyk dh J[kyk e bl U;k;ky; }kjk lfuf'pr fd;k x;k g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk ç;kx fdlh U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vkj U;k; dk mí'; ljf{kr dju d fy, fdQk;riod vkj lrdrkiod fd;k tkuk gkxkA oèk vfHk;ktu dk xyk ?kkVu d fy, vrfufgr*

'kfDr dk ç;kx ugh fd;k tkuk pkfg,A mPp U;k;ky; dk çFke n"V;k fu.k; nu l ijgt djuk pkfg, tc rd ,l k dju d vfuok; dkj.k ugh gA vfHkdFkuk ,o ifjokn dk mlh rjg yr g, tl o g] mue dN Hkh tkM&?kVk, fcuk] ;fn vijkèk ugh curk g] doy rc mPp U;k;ky; n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr d ç;kx e dk;okgh vfHk[kfMr dju e U;k;kfpr gkxkA vfHk;ktu vkjHk e gh cn ugh djuk pkfg, ;fn vfHkdFku e dN lkj gA

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थिति और ऊपर की गयी चर्चा और न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, मैं इस दांडिक विविध याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुरूप अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है। याची भी समुचित चरण पर ऐसे समस्त बिंदुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

सुभाष रॉय उर्फ छोटा बूढ़ा रॉय

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (SJ) No. 626 of 2003. Decided on 13th July, 2016.

एस॰ टी॰ केस सं॰ 133 वर्ष 2002/07 वर्ष 2003 में श्री बिरेश्वर झा ''प्रवीर'' द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) जामतारा द्वारा पारित दिनांक 31.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 354—मर्यादा भंग का प्रयास–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अपीलार्थी द्वारा सूचक के साथ बलात्कार एवं अन्य अभद्र कृत्य करने का प्रयास–अपराध अनेक गवाहों द्वारा देखा गया जो सूचक के हल्ला करने पर घटनास्थल पर आए–स्वयं पीड़िता के अलावा उसकी माता ने भी घटना देखा–ऐसे मामलों में, जब वह दावा करती है कि उसकी मर्यादा भंग की गयी थी, इसे सामान्यतः संपोषणीय माना जाता है–किंतु, जब एक अन्य विश्वसनीय गवाह है, तब साक्ष्य दो गुना मजबूत हो जाता है–ऐसे अभिकथन सामान्यतः नहीं किए जाते हैं जब तक उनमें सत्य का तत्व नहीं है–अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय मान्य ठहराया गया–किंतु, चूँकि यह पुराना मामला है और अपीलार्थी कुछ समय तक अभिरक्षा में रहा है और विचारण की कठिनाई एवं अनिश्चितता को भुगता है, उसका दंडादेश अभिरक्षा में पहले ही बितायी गयी अवधि तक उपांतरित किया गया। (पैराएँ 12 से 15)

अधिवक्तागण.–M/s Sanjay Prasad, Rajeev Lochan, For the Appellant; Mr. Mukesh Kumar, For the Respondent.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–वर्तमान अपील एस॰ टी॰ केस सं॰ 133 वर्ष 2002/07 वर्ष 2003 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जामतारा द्वारा पारित दिनांक 31.3.2003 की दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के अधीन दोषी पाया गया है और एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। उसकी अभिरक्षा की अवधि को दंडादेश की अवधि के विरुद्ध मुजरा करने का आदेश दिया गया था।

2. सूचक पीड़िता (अ॰ सा॰ 5) द्वारा दिया गया अभियोजन मामला यह है कि सूचक ने 12.10.2002 को प्रातः लगभग 5 बजे छोटी टोकरी में गोबर इकट्ठा किया था और मजूरा राय के घर के बगल में अवस्थित गड्ढा में इसे फेंकने गयी थी। ज्योंही उसने गोबर फेंका, 20 वर्षीय अपीलार्थी सुभाष सूचक की ओर आया और सूचक के माथा पर सिंदूर लगा दिया और तत्पश्चात अपीलार्थी ने सूचक की चोली पर अपना हाथ रखा और इसे फाड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने सूचक को जमीन पर पटका और सूचक के साथ जबरन बलात्कार करने के उसकी सलवार का नाड़ा खोला। सूचक ने शोर मचाया जिस पर उसकी माता, भाई बपन राय एवं पड़ोसी अर्थात् बुधन राय, कालीपद राय एवं अन्य वहाँ पहुँचे। उस समय तक अपीलार्थी बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था और पूरा जोर लगा रहा था। सूचक के भाई एवं ग्रामीणों के मध्यक्षेप पर अपीलार्थी ने सूचक को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। अपीलार्थी जोर से बोल रहा था कि वह उसको नहीं छोड़ेगा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अनेक अवसरों पर अभियुक्त ने सूचक को उसके साथ बलात्कार करने की धमकी दिया था।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, दिनांक 12.10.2002 का नाला पी॰ एस॰ केस सं॰ 72 वर्ष 2002 भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376/511 के अधीन दर्ज किया गया था और पुलिस ने अन्वेषण किया। अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यह प्रतीत होता है कि संज्ञान के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था क्योंकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376/511 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

4. यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से इनकार किया है और उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया और कहा कि वह निर्दोष है।

5. विचारण किया गया था और निष्कर्षित किया गया था और अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया था।

6. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 5 इस मामले की सूचक/पीड़िता है। उसने पैराग्राफ सं॰ 1 पर अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तिथि पर, वह अपने घर के बगल में गोबर फेंकने गयी थी। अभियुक्त दौड़ता हुआ आया और उसको पीछे से पकड़ लिया। उसने अपना हाथ उसकी चोली के अंदर रखा और उसका सलवार खोला। उसने जबरन उसके माथा पर सिन्दूर लगाया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उसको अवरुद्ध किया, उसकी माता, भाई बपन राय, बुधन राय, कालीपद राय और अन्य गाँववाले आए, तब अभियुक्त भाग गया। पैरा 3 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने उसे छेड़ने के आशय से ऐसा कृत्य किया। पैरा 7 पर उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त उसके साथ विवाह करना चाहता था। सुलह याचिका पर सूचक का हस्ताक्षर प्रदर्श A के रूप में चिन्हित किया गया है।

7. अ॰ सा॰ 4 जनाना बाला दासी सूचक की माता है। वह घटना की चश्मदीद गवाह है। पैरा 1 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि सूचक गोबर फेंकने गयी थी। उसकी चीख पर, वह घटना स्थल पर गयी और देखा कि अभियुक्त ने उसको जमीन पर पटक दिया और उसका सलवार खोल दिया और उसकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया। पैरा 4 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने सूचक की ''बचाओ बचाओ'' की आवाज सुनी। गोबर फेंकने का स्थान उसके घर के दक्षिण में है। पैरा 12 पर उसने कहा कि सूचक जमीन पर गिरी हुई थी। पैरा 13 पर उसने कहा कि उसने अभियुक्त को पाँच हाथ की दूरी से देखा था।

8. अ॰ सा॰ 1 कालीपद राय सूचक का पड़ोसी है। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 2 बुधन राय सूचक का पड़ोसी है। उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 3 बपन राय सूचक का

भाई है। वह घटना का चश्मदीद गवाह है। पैरा 1 पर उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि सूचक गोबर फेंकने गयी थी। उसके हल्ला करने पर, जब वह घटनास्थल पर गया, उसने सूचक के माथा पर सिंदूर देखा और उसके कपड़े खुले थे। तब अभियुक्त उसको देखकर भाग गया और कालीपद राय के घर में घुस गया।

9. अ॰ सा॰ 6 सुरेश प्रसाद सिंह है जो इस मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 3 पर उसने कहा कि घटना स्थल उसकी भूमि में अवस्थित गड्ढ़ा है जहाँ गोबर फेंका जाता है। घटना स्थल पर उसने सिंदूर पाया। उसने उसके फ्रॉक के पिछले हिस्से पर भी कुछ सिंदूर देखा।

10. आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया है। उन्होंने निवेदन किया है कि पीड़िता एवं अपीलार्थी के बीच सुलह हो गया था अथवा सुलह करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि सुलह प्रदर्श A के रूप में चिन्हित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि पीड़िता एवं संबंधित युवती की माता के सिवाए कोई स्वतंत्र गवाह यह न्यायोचित ठहराने आगे नहीं आया है कि उन्होंने वस्तुत: घटना देखा है, अत: स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को दोषी होने का दायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अ॰ सा॰ 3 के अभिसाक्ष्य के पैरा 5 को उपदर्शित किया है और कहा है कि प्रकटत: पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी थी और इसलिए झूठे रूप से अभिकथन किए गए हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि अ॰ सा॰ 3, 4 एवं 5 के अभिसाक्ष्य में अंतर है और इसलिए, उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अन्वेषण त्रुटिपूर्ण है और इसलिए विश्वसनीय नहीं है। अ॰ सा॰ 5 के अभिसाक्ष्य की ओर इंगित करते हुए उन्होंने आगे पैरा 17 इंगित किया है और कहा है कि स्वयं पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उनके बीच विवाद था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि यदि यौन प्रकृति का अपराध सत्य माना जाता है, तब कम से कम युवती के वस्त्रों को जब्त किया जाना चाहिए था ताकि उनका परीक्षण किया जा सके और अभियोजन मामला मजबूत बनाया जा सके किंतु चूँकि अभियोग में सच्चाई नहीं है, अत: वस्त्र जब्त नहीं किए गए थे और इन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि पीड़िता मासूम उम्र की होने का दावा कर रही है और उसकी आयु विनिश्चित करने के लिए उसका चिकित्सीय रूप से परीक्षण भी नहीं किया गया था अत: मासूम उम्र होने का दावा करने के कारण भी अपीलार्थी का दायित्व प्रोद्भूत नहीं होता है क्योंकि यह चिकित्सीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में टिका नहीं रहता है।

11. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कहा है कि उपलब्ध अभिलेख से यह प्रकट है कि आशय था और कृत्य भी किया गया था और इससे इनकार करना मुश्किल होगा। अपराध की कारिता के समय में अंतर के संबंध में, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाया गया है, उपलब्ध साक्ष्य से वह कहते हैं कि यह तर्क नहीं है क्योंकि फर्द बयान में और अभिसाक्ष्य में भी लड़की ने 12.10.2002 को 5 बजे प्रात: के समय होने का कथन किया है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह भी कहा कि घटना प्रात: हुई, अत: घटना से इनकार नहीं किया गया है और समय प्रात: का होना कथित किया गया है, अत: लघु अंतर अपराध किए जाने से विमुक्त नहीं करेगा। अ॰ सा॰ 5 स्वयं पीड़िता ने कहा है कि घटना प्रात: हुई थी, तब उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उसने कहा है कि धाराएँ जिसके लिए अपीलार्थी को आरोपित किया गया है, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376/511 के अधीन है जो आयु को ध्यान में लिए बिना किसी महिला से संबंधित है जबकि वह अवयस्क अथवा वयस्क थी और कम से कम उसको भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376

के अधीन दायित्व से उसको विमुक्त नहीं करेगा। उन्होंने यह तर्क करने का प्रयास किया है कि अपराध जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के बजाए धारा 376 होना चाहिए था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने यह भी कहा है कि सुलह का प्रश्न ही नहीं है।

12. निवेदनों को सुनने पर मैंने सावधानीपूर्वक अभिलेख पर उलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है। यह देखा गया है कि अपराध होने के दो गवाह हैं। एक अ॰ सा॰ 5 है जो स्वयं पीड़िता है और दूसरा अ॰ सा॰ 4 है जो सूचक की माता है। अ॰ सा॰ 5 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अपने घर के बगल में गोबर फेंकने गयी थी, जब अभियुक्त दौड़ता आया और उसको पीछे से पकड़ लिया। उसने उसके चोली के अंदर हाथ डाला और उसका सलवार खोल दिया। उसने जबरन उसके माथा पर सिंदूर लगाया। उसने उसको अवरुद्ध करना चाहा। जब उसकी माता, भाई एवं पड़ोसी आए, तब अपीलार्थी भाग गया। अ॰ सा॰ 4 सूचक की माता है। अ॰ सा॰ 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री गोबर फेंकने स्थान विशेष पर गयी थी और उसकी पुत्री द्वारा हल्ला किए जाने पर वह घटना स्थल पर गयी और उसने देखा कि अपीलार्थी ने उसे नीचे पटक दिया था और उसका सलवार खोल दिया था और उसकी मर्यादा भंग करने का प्रयास कर रहा था। इस मामले में स्वयं पीड़िता का साक्ष्य जो संगत है जैसा उसने अपने फर्दबयान में और साक्ष्य में भी कहा है पर विश्वास किया जा सकता है। किंतु, इस मामले में स्वयं पीड़िता के अतिरिक्त उसकी माता ने भी घटना देखा है। ऐसे मामलों में, सामान्यत: जब वह दावा करती है कि उसकी मर्यादा भंग की गयी थी, इसे सामान्यत: संपोषणीय माना जाता है। किंतु, जब एक अन्य विश्वसनीय गवाह है, तब साक्ष्य दो गुना मजबूत हो जाता है। ऐसे अभिकथन तब तक नहीं किए जाते हैं जब तक उनमें सच्चाई का तत्व नहीं है। अ॰ सा॰ 3 सूचक का भाई है। उसके अभिसाक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि उसने पीड़िता का हल्ला सुना था और तब वह घटना स्थल पर गया, उसने सूचक के माथा पर सिंदूर देखा और उसके कपड़े खुले थे। उसने अभियुक्त को भागते देखा। यद्यपि वह छेड़खानी की घटना का प्रत्यक्ष रूप से चश्मदीद गवाह नहीं है किंतु परिस्थितियों से और साक्ष्य से जिसमें वह सामने आया था और अग्र मस्तक पर सिंदूर देखा था और पीड़िता के कपड़े खुले थे और अपीलार्थी भाग रहा था, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पीड़िता द्वारा किए गए अभिकथन सत्य हैं। अंत में, अ॰ सा॰ 6 इस मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके अतिरिक्त उसने कहा है कि वह घटनास्थल पर गया था जहाँ अपीलार्थी ने प्रकटत: पीड़िता को पटका था और घटनास्थल पर उसने सिंदूर पाया था। उसने यह भी कहा है कि उसने फ्रॉक के पिछले हिस्से पर सिंदूर देखा था यद्यपि मिट्टी जब्त नहीं की गयी थी। उसका अभिसाक्ष्य पीड़िता एवं दूसरे चश्मदीद गवाह के अभिसाक्ष्य के साथ लिए जाने पर समस्त स्थितियाँ अपीलार्थी का दोष इंगित करती है।

13. मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में मैं आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। अत:, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.3.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय मान्य ठहराया जाता है।

14. किंतु, चूँकि यह पुराना मामला है और अपीलार्थी ने पहले ही कुछ समय अभिरक्षा में बिताया है और विचारण की कठिनाई एवं अनिश्चितता का सामना किया है, दंडादेश अभिरक्षा में पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाता है। उसे जमानत बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

15. तद्नुसार, दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

अजय राम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3542 of 2010. Decided on 16th May, 2017.

सेवा विधि–सेवानिवृत्ति लाभ–नियमित वेतनमान में पद के विरुद्ध कार्यरत निर्धारित कर्म कर्मचारीगण अपनी सेवानिवृत्ति पर और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी/आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपदान, अवकाश नगदकरण, आदि सहित जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा राशि जैसे मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ का दावा करने के हकदार हैं यदि वे अन्यथा पेंशन, उपदान एवं अवकाश नगदकरण अर्जित करने के लिए अध्यपेक्षित अर्हित अवधि परिपूर्ण करते हैं–चूँकि याची की सेवा वर्ष 2009 में नियमित की गयी है और सरकारी परिपत्र 2004 में प्रभाव में आया है, याची की सेवा पूर्वोक्त परिपत्र द्वारा शासित होनी है–याची की सेवा वर्ष 2009 में नियमित की गयी है, वह उक्त संकल्प के मुताबिक नयी पेंशन योजना के अधीन शासित होगा और नयी पेंशन योजना के अधीन जो भी लाभ उपलब्ध हैं, याची के प्रति प्रयोज्य होंगी–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2009) 5 SCC 65—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Saurabh Shekhar, For the Petitioner; Mrs. Richa Sanchita, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–इस रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ कार्यालय आदेश सं॰ 1536 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 29.10.2009 के आदेश के भाग के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जहाँ तक कॉलम (3) में उल्लिखित शर्त का संबंध है जिसके द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि याची रिट याचिका के परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 9.12.2009 के वित्त विभाग के परिपत्र की दृष्टि में जी॰ पी॰ एफ॰ एवं पेंशन लाभों को पाने का हकदार नहीं होगा और आगे याची की सेवा उसकी नियुक्ति की आरंभिक तिथि के प्रभाव से अर्थात 19.6.1987 के प्रभाव से गिनने और डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3588 वर्ष 2004 में पारित निर्णय जिसके आधार पर परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 29.10.2009 का कार्यालय आदेश जारी किया गया है में अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में शास्ति ब्याज के साथ संपूर्ण पारिणामिक लाभों को देने के लिए प्रत्यर्थियों को आज्ञा देते हुए निर्देश दिए जाने के लिए प्रार्थना किया है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित तथ्य, जैसा रिट याचिका में प्रकट किया गया है, यह है कि याची 1987 से निर्धारित कर्म कर्मचारी के रूप में बना हुआ था, क्योंकि उसकी सेवा स्थायी/नियमित स्थापन में नहीं लायी गयी थी। याची डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3588 वर्ष 2004 में इस न्यायालय के पास आया और उक्त रिट याचिका मामलों के समूह के साथ दिनांक 16.5.2005 के आदेश के तहत निपटायी गयी थी। पूर्वोक्त रिट याचिका प्रत्येक याची के वैयक्तिक मामला को विनिश्चित करने और आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर निर्णय संसूचित करने के निर्देश के साथ सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजकर निपटायी गयी थी जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 1 से स्पष्ट है। पूर्वोक्त आदेश के अननुपालन के कारण याची ने अवमान मामला (सी॰) सं॰ 463 वर्ष 2006 दाखिल किया जिसे

भी दिनांक 5.4.2010 के आदेश के तहत निपटाया गया था। याची रिट याचिका के परिशिष्ट–4 के तहत दिनांक 29.10.2009 के आदेश के भाग से व्यथित होकर, जहाँ तक उसकी विगत सेवा समाप्त कर दी गयी है, अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का अवलंब लेते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान आग्रह किया है कि परिशिष्ट 4 के तहत आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्यक अनुपालन में पारित नहीं किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जब एक बार याची की सेवा नियमित की गयी है, यह सेवा की निरंतरता और आरंभिक नियुक्ति की तिथि से पारिणामिक लाभों के तुल्य है किंतु चूँकि निर्धारित कर्म स्थापन में याची की विगत सेवा समाप्त कर दी गयी है, प्रत्यर्थी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के तुल्य है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यदि निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन याची की नियुक्ति की आरंभिक तिथि अर्थात् 19.6.1987 तात्पर्यित रूप से वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 9.12.2009 के परिपत्र के आधार पर समाप्त की जाती है, यह इस तथ्य के कारण विधित: संपोषणीय नहीं हो सकता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 9.12.2009 के परिपत्र का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, परिपत्र जो आरंभिक नियुक्ति के समय के दौरान प्रचलन में था, याची के प्रति प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए था और उक्त परिपत्र के आधार पर याची जी॰ पी॰ एफ॰ के लाभ एवं पेंशन लाभ का हकदार है।

4. रिट याचिका में किए गए प्रतिवादों को ठुकराते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अन्य बातों के साथ यह प्रतिवाद किया गया है कि याची को निर्धारित कर्म स्थापन में ग्रेड IV कर्मचारी के रूप में किसी मंजूर पद धारण किए बिना 20.6.1987 के प्रभाव से तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किया गया था जो अब नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी नहीं था क्योंकि निर्धारित कर्म कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति दिनांक 25.7.1975 के पी॰ डब्लू॰ डी॰ पत्र के तहत इंजीनियर–इन–चीफ/चीफ इंजीनियर/एडिशनल चीफ इंजीनियर को प्रत्यायोजित की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने निर्धारित कर्मस्थापन से नियमित स्थापन में अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए और उस अवधि के बकाया के भुगतान के लिए डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3588 वर्ष 2004 दाखिल किया जब उसकी सेवा निर्धारित कर्म कर्मचारी के मामले में सरकार की सामान्य नीति के मुताबिक अभिमुक्त की गयी थी जिसे प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के तहत दिनांक 14.9.2002 के पथ निर्माण विभाग पत्र के तहत प्रसारित किया गया है। विभाग के पूर्वोक्त पत्र की दृष्टि में विभाग ने 22.9.2002 से याची से काम लेना रोक दिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची 22.9.2002 से 29.10.2009 तक अर्थात् सात वर्षों से अधिक के लिए विभाग में काम पर नहीं था और सरकारी कर्मचारी की सेवा जो पाँच वर्षों से अधिक तक सेवा में बने नहीं रहते हैं, स्वत: झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 के मुताबिक समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, याची के पास पद के लिए अध्यपेक्षित शैक्षणिक अर्हत्ता नहीं थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा 22.9.2002 से एवं इसके आगे काम नहीं किया गया था किंतु उसके दावा पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थियों ने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से कृत्य किया और याची को उक्त पद के लिए अध्यपेक्षित अर्हता अर्थात् आठवीं पास होना नहीं होने के बावजूद सेक्शनल चपरासी के रूप में नियमित स्थापन में नियुक्त किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 9.12.2004 के वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 518 के मुताबिक कर्मचारियों जिन्हें 1 दिसंबर, 2004 को

अथवा इसके बाद नियुक्त किया गया है के लिए नया अंशदायी पेंशन योजना लायी गयी है और चूँकि याची को भी 1 दिसंबर, 2004 के बाद नियुक्त किया गया है, वित्त विभाग के दिनांक 9.12.2004 के संकल्प की दृष्टि में याची के प्रति नयी पेंशन योजना लागू की गयी है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराते हुए जोरदार निवेदन किया है कि चूँकि निर्धारित कर्म स्थापन में याची की आरंभिक नियुक्ति प्रकटत: अवैध थी क्योंकि संबंधित प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में प्रतिष्ठापित समानता के सिद्धांत के साथ प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था और निर्धारित कर्म स्थापन में नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन याची की सेवा 1987 से 2002 तक जारी रही किंतु 2002 से 2009 तक याची को निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन काम नहीं दिया गया था, किंतु माननीय न्यायालय के आदेशों के प्रति सम्यक् सम्मान में और सहानुभूति दर्शाते हुए परिशिष्ट 4 के तहत आक्षेपित आदेश जारी किया गया है, जिसका अर्थ अवैध, अन्यायोचित अथवा विधित: असंपोषणीय के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **बिहार राज्य बनाम उपेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य, (2009)5 SCC 65,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

6. परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर एवं दस्तावेजों के परिशीलन पर मैं रिट याचिका के परिशिष्ट 4 पर आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता अथवा अवैधता निम्नलिखित आधारों पर नहीं पाता हूँ:–

(i) bl U;k;ky; dh i.k U;k;ihB u fnukd 16.5.2005 d vkn'k d rgr fuiVk, x, fjV ;kfpdkvk d leg e vU; ckrk d lkFk vfHkfuèkkfjr fd;k g fd fu;fer orueku e in d fo#) dk;jr fuèkkfjr de depkjh viuh lokfuofÙk ij vkj mudh eR; d ckn mud mÙkjkfèkdkjh@vkfJr th0 ih0 ,Q0 ,o lkefgd chek jkf'k d vfrfjDr i'ku@ikfjokfjd i'ku] minku] vodk'k uxndj.k vkfn tl eR;&lg&lokfuofÙk ykHkk dk nkok dju d gdnkj g ;fn o vU;Fkk i'ku] minku] vodk'k uxndj.k vftr dju d fy, vè;if{kr vgd vofèk ifji.k djr g] fdr fjV ;kfpdk fuiVkr g, bl U;k;ky; u çR;d ;kph d o;fDrd nkok dk fofuf'pr dju ,o fu.k; llfpr dju d fy, çR;FkZ;k dk fun'k d lkFk ekeyk l{ke çkfèkdkjh d ikl okil Hkt fn;kA rnulkj] ;kphx.k dh lok fu;fer djr g, ljdkj }kjk ifjf'k"V 4 d rgr fu.k; fy;k x;k g] fdr mDr vkn'k e ;g mYy[k fd;k x;k g fd foÙk foHkkx d fnukd 9.12.2004 d ifji= dh nf"V e ljdkjh depkjh ftUg 1.12.2004 dk vFkok bld ckn fu;Dr fd;k x;k g fd lh i'ku vFkok vU; lokfuofÙk ykHk d gdnkj ugh gA pfd ;kph dh lok o"k 2009 e fu;fer dh x;h g vkj ljdkjh ifji= 2004 e çHkko e vk;k g] ;kph dh lok iokDr ifji= }kjk 'kkflr dh tkuh gA bld vfrfjDr] bl U;k;ky; dh i.k U;k;ihB u vè;if{kr vgd vofèk ifji.k dju dh mifjdk d lkFk fu;ferhdj.k ,o i'ku ykHk d fy, ;kph d ekey ij fopkj dju dk fun'k fn;kA

(ii) çfr'kiFk i= d ifjf'k"V D d rgr fnukd 9 fnlcj] 2004 d foÙk foHkkx d ldYi l0 518 d erkfcd depkfj;k ftUg 1 fnlcj] 2004 dk vFkok bld

ckn fu;Dr fd;k x;k g d fy, u;h v'knk;h i'ku ;ktuk yk;h x;h gA ;kph dh lok o"k 2009 e fu;fer dh x;h g] og mDr ldYi d erkfcd u;h i'ku ;ktuk d vèkhu 'kkflr gkxk vkj u;h i'ku ;ktuk d vèkhu tk Hkh ykHk miyCèk g] o ;kph d çfr ç;kT; gkx] vr%] ;kph d ikl f'kdk;r dk dkb dkj.k ugh gk ldrk g tgk rd u;h i'ku ;ktuk o"k 2004 d vèkhu lokfuofÙk i'pkr ykHkk dk lcèk gA bld vfrfjDr] ;kph d fo}ku vfèkoDrk }kjk ljdkj d fdlh ifji= dk iLrr ugh fd;k x;k g ftld vèkhu fu;ferhdj.k d igy fuèkkfjr de depkjh dh lok dh lx.kuk i'ku ykHkk d ç;ktu l dh tk ldrh gA vr%] fdlh ifji= vFkok fn'kk fun'k dh vuifLFkfr e ;kph }kjk nkok fd;k x;k vurk"k Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA

7. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गयी पूर्वोक्त चर्चा के तार्किक परिणति के रूप में रिट याचिका के परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 29.10.2005 का आक्षेपित आदेश, जैसा कार्यालय आदेश सं॰ 1536 में अंतर्विष्ट है, में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मनबोध कुमार प्रधान

cuke

कल्पना प्रधान एवं एक अन्य

F.A. No. 72 of 2008. Decided on 11th January, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 11—वैवाहिक मामला–विवाह की अकृतता की डिक्री द्वारा शून्य के रूप में पक्षों के बीच विवाह समाप्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल याचिका खारिज करते हुए अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती–चूँकि पक्षों के बीच वर्तमान विवाह पुलिस के दबाव के अधीन मंदिर में संपन्न किया गया था और तद्नुसार याची अपीलार्थी की सहमति वैध सहमति नहीं थी–अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि याची अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाह किसी दबाव और प्रपीड़न के बिना उनकी मृदुल इच्छा से संपन्न किया गया था–यौन लालसा और बाद में दहेज लोभ ने इस मामले को उद्भूत किया है–इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 के अधीन दाखिल मामला विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं था–अपीलार्थी का मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंडों (i), (iv) एवं (v) की कोटियों में से किसी में नहीं आता था, अवर न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच विवाह शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था और अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से मामला खारिज किया गया था–अपील खारिज। (पैराएँ 9 से 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Arup Kumar Dey, For the Appellant; Mr. R.C.P. Sah, For the Respondents.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी वैवाहिक मामला सं॰ 13 वर्ष 1997 में विद्वान प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 13 फरवरी, 2008 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा विवाह की अकृतता की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह शून्य के रूप में घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन दाखिल मामला अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

3. अपीलार्थी का मामला यह है कि पक्षों के बीच विवाह 11.6.1996 को पुलिस के दबाव के अधीन खरसावाँ पुलिस थाना के परिसर में अवस्थित मंदिर में संपन्न किया गया था और तद्नुसार याची अपीलार्थी की सहमति वैध सहमति नहीं थी। इस आधार पर विवाह की अकृतता की डिक्री से विवाह की शून्य के रूप में घोषणा के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। यह स्वीकृत मामला है कि 11.6.1996 को पुलिस थाना में विवाह के बाद अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं॰ 1 पत्नी को अपने घर ले गया और वह अपीलार्थी के घर में रहने लगी, यद्यपि पृथक कमरा में और विवाहेतर संभोग नहीं किया गया था जैसा अपीलार्थी ने अभिकथित किया है। विवाह की अकृतता के लिए वाद 22.7.1997 को अर्थात् उक्त विवाह के एक वर्ष बीतने के बाद दाखिल किया गया था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का मामला है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं अपीलार्थी के बीच पहले से प्रेम प्रसंग था जिस कारण उसके साथ विवाह करने के अपीलार्थी के आश्वासन पर उनके बीच यौन संबंध भी था। जब अपीलार्थी ने उसके साथ विवाह करने से इनकार किया, प्रत्यर्थी सं॰ 1 के पिता द्वारा मामला पुलिस थाना लाया गया था और यह कथन किया गया है कि याची अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं॰ 1 के साथ विवाह करने के लिए तुरन्त तैयार हो गया और तद्नुसार, पुजारी बुलाया गया था और अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में मंदिर में विवाह संपन्न किया गया था। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी पत्नी को दांपत्य गृह लाया गया था, जहाँ वे लगभग एक वर्ष विवाह पूरा करते हुए पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। केवल तत्पश्चात दहेज लोभ के कारण प्रत्यर्थी पत्नी को क्रूरता के अध्यधीन किया जा रहा था, जिस कारण वह अपना दांपत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर हुई।

5. दोनों पक्षों द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया गया था और अपीलार्थी पक्ष के साक्ष्य में विरोधाभासों को और प्रत्यर्थियों द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य को भी, जिन पर निर्णय में पूरी चर्चा की गयी है, विचार में लेते हुए अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि अपीलार्थी याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 1 के बीच विवाह किसी दबाव एवं प्रपीड़न के बिना उनकी मृदुल इच्छा से संपन्न किया गया था और तद्नुसार संबंधित विवाद्यकों को प्रत्यर्थी सं॰ 1 के पक्ष में और याची के विरुद्ध विनिश्चित किया गया है।

6. अवर न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने विवाह की अकृतता की डिक्री द्वारा विवाह शून्य घोषित करवाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन वाद दाखिल किया था, किंतु अपीलार्थी का मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था और तद्नुसार, इस आधार पर भी अवर न्यायालय द्वारा याची द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी गयी थी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि वाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन पोषणीय नहीं था।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि यौन लालसा एवं बाद में दहेज लोभ ने इस मामले को उद्भूत किया है। किंतु, तथ्य बना रहता है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल मामला विधि की दृष्टि में इसमें इसके बाद चर्चा किए गए कारणों से पोषणीय नहीं था।

10. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 का पठन निम्नलिखित है:

*"11. **'kU; fookg**&bl vf/kfu;e d iz kjEHk d i'pkr vuf"Br fd;k x;k ;fn dkb fookg /kkjk 5 d [k.M (i), (iv) vkj (v) e mfYyf[kr 'krk e l fdlh ,d dk mYy?ku djrk g] rk og vÑr vkj 'kU; gkxk vkj mle d fdlh Hkh i{kdkj d }kjk i{kdkj d fo:) i'k dh x;h ;kfpdk ij vÑrrk dh vkKfIr }kjk ,lk ?kkf"kr fd;k tk ldxkA**

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (i), (iv) एवं (v) का पठन निम्नलिखित है:–

*5. **fgUn fookg d fy, 'kÙk**&nk fgUnvk d chp fookg ml lj r e vuf"Br fd;k tk ldxk ftle fd fuEu 'kÙk ijh gk tkrh gk] vFkkr&*

(ii) fookg d le; nkuk i{kdkjk e l dkb Hkh i{kdkj dh thfor ifr/iRuh ugh gA&

(ii) ------------

(iii) ------------

(iv) tc fd mu nkuk e l iR;d dk 'kkflr djuokyh :f< ;k iFkk l mu nkuk d chp fookg vuKkr u gk] i{kdkj ifrf"k) ukrnkjh dh fMfx;k d Hkhrj ugh g(

*(v) tc rd fd mue l iR;d dk 'kkflr djuokyh :f< ;k iFkk l mu nkuk d chp fookg vuKkr u gk i{kdkj ,d&nlj d lfi.M ugh g(**

11. इस प्रकार, इन प्रावधानों के कोरे पठन से यह प्रकट है कि पक्षों के बीच विवाह विवाह की अकृतता की डिक्री द्वारा शून्य केवल उस मामले में घोषित किया जा सकता था यदि याची का मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के खंडों (i), (iv) एवं (v) के अंतर्गत आता था, अर्थात्, यदि किसी पक्षकार का विवाह के समय पति/पत्नी जीवित नहीं था अथवा कि पक्षगण प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत थे अथवा पक्षगण एक दूसरे के सपिण्ड थे।

12. इस तथ्य की दृष्टि में कि अपीलार्थी उक्त तीन कोटियों में से किसी के अधीन नहीं आता था, पक्षकारों के बीच विवाह अवर न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था और अपीलार्थी द्वारा दाखिल मामला बिल्कुल पोषणीय नहीं था। इस दशा में, अवर न्यायालय द्वारा मामला सही प्रकार से खारिज किया है।

13. चूँकि अपीलार्थी द्वारा दाखिल मामला स्वयं विधि के बिंदु पर बिल्कुल पोषणीय नहीं है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर हम संतुष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से उनका अधिमूल्यन किया गया है।

14. इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार, इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

हरिंग नाथ द्विवेदी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4075 of 2007. Decided on 8th March, 2017.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धारा 73—कैडर का आवंटन–आक्षेपित अधिसूचना द्वारा याची की सेवा बिहार राज्य को इस शर्त के साथ पुनर्आवंटित की गयी है कि वह प्रत्यर्थी के साथ कैडर के आपसी अंतरण के आधार पर कैडर में अपनी वरीयता का दावा नहीं कर सकता है–कर्मचारियों जिन्होंने परस्पर स्थानांतरण चुना है को अपनी वरीयता खोनी होगी क्योंकि वे धारा 73 के परन्तुक अथवा विधि के किसी अन्य प्रावधान के अधीन संरक्षित नहीं हैं–कर्मचारियों के बीच कोई सुभिन्नता नहीं की जा सकती है जिन्होंने किसी तिथि के पहले अथवा तत्पश्चात् आपसी स्थानांतरण के लिए आवेदन दाखिल किया था, व्यक्ति जिसने आपसी स्थानांतरण चुना था को एक वर्ग मानना होगा तथा उन कर्मचारियों जिन्होंने 2006 के पहले या 2006 के बाद आपसी स्थानांतरण चुना है का उपवर्ग नहीं हो सकता है–आपसी कैडर आवंटन के लिए आवेदन एकपक्षीय रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है–न्यायालय आक्षेपित अधिसूचना अभिखंडित करने के लिए याची की प्रार्थना स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–2014 (3) JBCJ 244 (HC) : 2014 (3) JLJR 76—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, Ruchi Rampuria, For the Petitioner; Mr. Jayant Franklin Toppo, For the Resp. Nos. 1 to 4; M/s S.P. Roy, Pankaj Kumar, For the Resp. Nos. 5 to 7; M/s Abhay Kumar Mishra, Bhola Nath Ojha, For the Resp. No.10.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट याचिका में याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 29.6.2007 के मेमो में अंतर्विष्ट अधिसूचना अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा याची की सेवा इस शर्त के साथ बिहार राज्य को पुनर्आवंटित की गयी है कि वह प्रत्यर्थी सं॰ 10 के साथ कैडर के आपसी अंतरण के आधार पर कैडर में अपनी वरीयता का दावा इसके प्रत्यर्थियों द्वारा जारी दिनांक 21.5.2005 के विपरीत होने के कारण नहीं कर सकता है और आगे रिट आवेदन के निपटान तक 29.6.2007 को जारी अधिसूचना को प्रभाव नहीं देने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेश देने की प्रार्थना किया है जहाँ तक यह याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 10 से संबंधित है।

2. अनावश्यक विवरण के बिना रिट आवेदन में प्रकथित तथ्य ये हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1990 में जिला मत्स्य अधिकारी के पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में याची चयनित होने पर उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2000 में याची की अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ प्रोन्नति के लिए विचार किया गया था और तद्नुसार, उसे उप निदेशक मत्स्य पालन के पद पर प्रोन्नत किया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की दृष्टि में, याची को अंततः झारखंड राज्य आवंटित किया गया था, अतः, याची ने जुलाई, 2006 में झारखंड राज्य में अपना पदग्रहण किया। तब से, वह उप निदेशक, मत्स्य पालन के रूप में कार्यरत था और कार्यरत रहते हुए, याची ने और प्रत्यर्थी सं॰ 10 ने कैडर के आपसी अंतरण के लिए आवेदन (रिट याचिका का परिशिष्ट 1) दिया। चूँकि याची परिशिष्ट 2 में यथा

अंतर्विष्ट दिनांक 21.5.2005 के पत्र का परिशीलन करने के बाद इस धारणा के अधीन था कि आपसी अंतरण के मामले में उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी, किंतु वरीयता गँवाने की जानकारी होने के बाद याची ने अपनी सहमति, जिसे पहले दिनांक 27.7.2006 के आवेदन पर दिया गया था जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 4 से स्पष्ट है, वापस लेने के संबंध में समुचित चैनल के माध्यम से प्रत्यर्थियों के समक्ष दिनांक 14.6.2007 के पत्र के तहत एक आवेदन दिया। दिनांक 29.6.2007 की अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके द्वारा रिट याचिका के परिशिष्ट 6 के मुताबिक याची की सेवा बिहार राज्य को पुनर्आवंटित की गयी थी और प्रत्यर्थी सं॰ 10 की सेवा झारखंड राज्य को पुनर्आवंटित की गयी है।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 29.6.2007 की आक्षेपित अधिसूचना जारी करते हुए यह विचार में नहीं लिया है कि कैडर के आपसी अंतरण के लिए सहमति देते हुए वरीयता खोने के संबंध में शर्त नहीं थी, अत: आक्षेपित अधिसूचना दिनांक 21.5.2005 के पत्र के विपरीत है, अत: विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 29.6.2007 की आक्षेपित अधिसूचना जारी करते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा जारी दिनांक 14.2.2007 के आदेश जिसके द्वारा याची को जानकारी हुई कि कैडर के आपसी अंतरण के मामले में वह वरीयता का दावा नहीं कर सकता है, के निबंधनानुसार अपनी सहमति वापस लेने के संबंध में याची के दिनांक 14.6.2007 के आवेदन को ध्यान में नहीं लिया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान आई॰ ए॰ सं॰ 3808 वर्ष 2014 के दिनांक 22.6.2013 की अधिसूचना (परिशिष्ट 15) और दिनांक 30.6.2014 की अधिसूचना (परिशिष्ट सं॰ 16) को निर्दिष्ट किया है जिसमें याची का नाम क्रमांक 1 पर है और प्रत्यर्थी सं॰ 10 का नाम क्रमांक 10 पर है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने झारखंड राज्य के दिनांक 26.2.2014 की वरीयता सूची को भी निर्दिष्ट किया है, जिसमें याची का नाम और प्रत्यर्थी सं॰ 10 का नाम क्रमश: क्रमांक 1 और 3 पर है। पुन: याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 10 के प्लेसमेंट से संबंधित दिनांक 16.4.2012 की अधिसूचना (परिशिष्ट–18) और वेतन नियतिकरण से संबंधित दिनांक 13.7.2013 के परिशिष्ट 19 की ओर आकृष्ट किया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने उक्त अंतर्वर्ती आवेदन के परिशिष्ट 20 को भी निर्दिष्ट किया है, जहाँ झारखंड राज्य ने दिनांक 16.1.2012 के पत्र के तहत बिहार राज्य को याची के झारखंड राज्य में बने रहने का कारण सूचित किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने 1.7.2014 को की गयी विभागीय प्रोन्नति कमिटी की बैठक (आई॰ ए॰ सं॰ 6286 वर्ष 2014 का परिशिष्ट–23) भी निर्दिष्ट किया है जब याची का मामला विचार के अधीन है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने दिनांक 29.6.2010 के मेमो (दिनांक 17.12.2014 के पूरक शपथ पत्र का परिशिष्ट 28) को भी निर्दिष्ट किया है जहाँ अंतर्राज्यीय अंतरण के लिए कट–ऑफ तिथि 31.8.2010 थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने पूर्वोक्त दस्तावेजों को निर्दिष्ट करके जोरदार आग्रह किया है कि याची रिट आवेदन में इप्सित अनुतोष का हकदार है।

4. रिट आवेदन में किए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 10 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। अन्य बातों के साथ निवेदन दिया गया है कि यद्यपि परिशिष्ट 4 के तहत दिनांक 14.6.2007 का आवेदन परिशिष्ट 6 जारी किए जाने के 15 दिन पहले लिखा गया था, किंतु वस्तुत: इसे मुख्य सचिव,

बिहार सरकार के कार्यालय में 2.7.2007 को प्राप्त किया गया था अर्थात् कैडर के आवंटन का अंतिम आदेश जारी किए जाने के बाद जैसा दिनांक 2.7.2007 की रसीद से स्पष्ट है। याची और प्रत्यर्थी सं॰ 10 द्वारा काफी पहले 27.7.2006 को आपसी अंतरण के लिए संयुक्त याचिका दी गयी थी और याची ने एक वर्ष बाद अपना विचार बदल लिया है जब दोनों राज्य सरकारों ने अपनी सहमति भेज दिया है और कैडर अंतिम रूप से आवंटित किया गया है। आगे यह कथन किया गया है कि सरकार के सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार ने आपसी सहमति के बाद कैडर के आवंटन के संबंध में कतिपय दिशा निर्देशों के साथ दिनांक 15.10.2008 का मेमो सं॰ 5460 जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अंतिम कैडर विभाजन के केवल चार माह के भीतर याची का आवेदन ग्रहण किया जाएगा और आगे कि बिहार राज्य की अनुशंसा के बाद आवेदन अग्रसर किए जाने के बाद आपसी सहमति वापस लिया जाना ग्रहण नहीं किया जाएगा और दिनांक 15.10.2008 का निर्णय निदेशक, फिशरी, झारखंड, राँची द्वारा समस्त कार्यपालक अभियंताओं, मत्स्य निदेशालय, राँची, उपनिदेशक, फिशरी, राँची/हजारीबाग को संसूचित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशकों के केवल तीन पद हैं और इस दशा में झारखंड राज्य में अन्य व्यक्ति समायोजित नहीं किए जा सकते हैं।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 10 के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार राज्य के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है कि दिनांक 27.9.2006 का पत्र स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि बिहार राज्य ने सहमति मांगी और सहमति प्राप्त करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 10 के आई॰ ए॰ सं॰ 1387 वर्ष 2013 के प्रति प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट किया है जिसमें उक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 4 में व्यक्तियों जिन्हें बिहार से झारखंड अंतरित किया गया है, के नामों को उल्लिखित किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 10 के विद्वान अधिवक्ता ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 10928 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 10.12.2007 के आदेश (प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं 6 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट-D) को भी निर्दिष्ट किया है जहाँ न्यायालय ने अंतरण के लिए याचिका को एक पक्षीय रूप से वापस लेने में हस्तक्षेप नहीं किया था।

6. रिट याचिका में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 7 बिहार राज्य द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद गृह (विशेष) विभाग ने दिनांक 29.6.2007 की अधिसूचना के प्रत्यर्थी सं॰ 10 के साथ याची के अंतर-राज्यीय अंतरण के लिए आदेश जारी किया और दिनांक 14.6.2007 का पत्र (रिट याचिका का परिशिष्ट 4) विभाग में प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपसी आधार पर अंतर राज्यीय अंतरण के लिए संयुक्त अभ्यावेदन दाखिल करने के बाद एक पक्षीय रूप से सहमति वापस लेने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान मामले में, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 10 के साथ अपने अंतर-राज्यीय अंतरण के लिए संयुक्त अभ्यावेदन दाखिल किया है किंतु अभ्यावेदन वापस लेने का अनुरोध केवल याची द्वारा किया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 10928 वर्ष 2006 में संप्रेक्षित किया है कि आपसी अंतरण के लिए संयुक्त अभ्यावेदन केवल संयुक्त रूप से वापस लिया जा सकता है। प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-D के मुताबिक याची के एकपक्षीय रूप से अभ्यावेदन वापस लेने का प्रभाव नहीं है।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 झारखंड राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें याचिका की पोषणीयता को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि बिहार राज्य की दिनांक 29.6.2007

की अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है, जैसा रिट याचिका के पैराग्राफ 12 एवं 13 में उल्लिखित है, कि उसे 14.2.2007 को ज्ञात था कि आपसी अंतरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए वरीयता प्रभावित होती है, किंतु उसने आपसी अंतरण के लिए आवेदन के रद्दकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया था, बल्कि इसके विपरीत यह प्रकट है कि स्वयं उसको ज्ञात कारणों से उसने दिनांक 29.6.2007 का आक्षेपित आदेश जारी किए जाने के बाद आवेदन वापस लेने के लिए अपना अभ्यावेदन दिया। आवेदन 2.7.2007 को सचिव, पशुपालन एवं फिशरी विभाग, झारखंड सरकार, राँची के कार्यालय में प्राप्त किया गया था।

8. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम नहीं हुआ है।

(i) oreku ekey e] ;kph u dMj d vkilh vrj.k d fy, vkonu d vkèkkj ij fcgkj jkT; dMj e vkj çR;Fkh l0 10 d >kj[kM jkT; e vkoVu l lcfèkr fnukd 29.6.2007 d vkn'k dk vfHk[kMu bfllr fd;k gA vk{kfir vkn'k dk pukrh nu dk e[; vkèkkj ;g fd vkilh vrj.k d ekey e ;kph viuh ojh;rk [kk nxk] fdr mDr fook|d vc vfu.khr ugh g] D;kfd bl igy gh bl U;k;ky; dh ekuuh; [kM U;k;ihB }kjk **fcgkj jkT; cuke jfoUnj çlkn flg ,o vU;]** *(2014)3 JLJR 76* ***[: 2014 (3) JBCJ 244 (HC)]****, ekey e fofuf'pr fd;k x;k gA fnukd 22.4.2014 d ,y0 ihO ,0 l0 511 o"k 2009 e [kM U;k;ihB }kjk ikfjr vkn'k fdlh çdkj dk lng vFkok vLi"Vrk ugh NkMrh g] D;kfd depkjh ftUgku vkilh vrj.k puk g viuh ojh;rk [kk nx D;kfd o èkkjk 73 d ijUrd vFkok fofèk d fdlh vU; çkoèkkuk d vèkhu ljf{kr ugh gA depkfj;k ftUgku fdlh frfFk d igy vFkok rRi'pkr vkilh vrj.k d fy, vkonu nkf[ky fd;k Fkk d chp dkb lfHkUurk ugh dh tk ldrh g] 0;fDr ftlu vkilh vrj.k puk Fkk dk ,d ox d :i e ekuuk gkxk vkj depkfj;k dk miox ugh gk ldrk g ftUgku 2006 d igy vFkok 2006 d ckn vkilh vrj.k puk gA*

(ii) fnukd 21.5.2005 d dMj vkoVu dh ;kuk (fjV vkonu dk ifjf'k"V 2) d vulj.k e] ;kph ,o çR;Fkh l0 10 u vkilh dMj vkoVu d fy, viuk l;Dr vkonu nkf[ky fd;k g ftl lfpo] i'kikyu ,o fQ'kjh foHkkx] fcgkj ljdkj }kjk lgefr d fy, fnukd 27.7.2006 d i= d rgr vxlkfjr fd;k x;k g ftle lfpo u fy[kk g fd vkonu ftl vkilh dMj vkoVu d fy, çklr fd;k x;k g] >kj[kM jkT; dh lgefr vko';d g vkj >kj[kM jkT; }kjk bl çnku fd;k x;k gA >kj[kM jkT; }kjk lgefr fn, tku d ckn bl fcgkj jkT; }kjk Lohdkj fd;k x;k g vkj vk{kfir vkn'k ikfjr fd;k x;k g vkj 'kr mfYyf[kr fd;k x;k g fd vkilh dMj vkoVu d ckn ojh;rk ugh nh tk,xhA vkilh dMj vkoVu dh ,d i{kh; okilh d fy, vkonu ;kph }kjk vk{kfir vkn'k ikfjr fd, tku d ckn nkf[ky fd;k x;k g tk fofèk dh nf"V e ekU; ugh gA

(iii) fcgkj jkT; }kjk vu'klk fd, tku d ckn l;Dr :i l vFkok ,d i{kh; :i l Hkh vkilh vkonu oki l yu d fy, dkb Hkh vkonu xg.k ugh fd;k tk,xk tlk fnukd 15.10.2008 d i= l Li"V gA vr%] fofèk dh lfuf'pr çfriknuk d erkfcd vkilh dMj vkoVu d fy, vkonu ,d i{kh; :i l oki l ugh fy;k tk ldrk gA bld vfrfjDr] ekey e mBk;k x;k fook|d igy gh ***jfoUn çlkn flg ,o vU; (Åij)*** *ekey e fn, x, fu.k; }kjk fofuf'pr fd;k x;k gA fofèk dh iokDr lfuf'pr çfriknuk d erkfcd fcgkj iuxBu vfèkfu;e] 2000 dh èkkjk 72 d vèkhu çnku fd;k x;k lj{k.k ekey ij ykx ugh gkrk g tc vkilh dMj vkoVu d vkèkkj ij vrj.k fd;k tk jgk gA*

9. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में यह न्यायालय दिनांक 29.6.2007 की आक्षेपित अधिसूचना के अभिखंडन के लिए याची की प्रार्थना स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, गुणागुणरहित रिट याचिका एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

पाँचू गोस्वामी (65 में)

अभिमन्यु गोस्वामी (105 में)

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) (दोनों में)

Criminal Appeal Nos. 65 with 105 of 1992 (R). Decided on 16th May, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 49 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रिल 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 325—हत्या एवं घोर उपहति–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–मामले के सूचक जो भी घटना में घायल हुआ था द्वारा घटना का पूर्णतः समर्थन किया गया है–मृतक की पत्नी, सूचक के भतीजा एवं सूचक की पत्नी ने भी घटना का लगभग वही विवरण जैसा सूचक द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है देते हुए चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है–गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य डॉक्टर के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट भी किया गया है–अभियोजन मामले एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के मुताबिक सूचक ने केवल झगड़ा कर रही महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया था और अभियुक्त ने ही अभियोजन पक्ष को उकसाया था–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध समस्त आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अपीलार्थियों को सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है और आरोपित अपराधों के लिए दंडादेशित किया गया है–अपीलें खारिज की गयी।

(पैराएँ 15 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Yogesh Modi, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–चूँकि दोनों अपीलें सामान्य निर्णय से उद्भूत होती हैं, उन्हें साथ सुना जा रहा है और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. दोनों अपीलों में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ सं॰ 49 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रिल, 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। अपीलार्थी सुरेश गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोष सिद्धि किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करने पर अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और अपीलार्थी सुरेश गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दो वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश भी दिया गया है।

4. अभियोजन मामले के अनुसार, घटना 3.6.1989 को अपराह्न लगभग 7.30 बजे हुई। सूचक महादेव गिरी द्वारा गोविन्दपुर पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष लिखित रिपोर्ट यह कथन करते हुए दाखिल की गयी थी कि उसका भतीजा लखन गोस्वामी की पत्नी और उसके गोत्रज पाँचू गोस्वामी की पत्नी भद्दी भाषा में आपस में झगड़ा कर रही थी, जिसमें उसने मध्यक्षेप किया और उनको झगड़ा नहीं करने के लिए कहा। यह अभिकथित किया गया है कि पाँचू गोस्वामी के पुत्र अभिमन्यु गोस्वामी ने उस पर प्रहार करने की धमकी दी, यदि उसने मध्यक्षेप किया, जिसपर सूचक ने उसको चुनौती दिया। इस बीच उसका भतीजा लखन गोस्वामी अपने घर के बाहर आया और यह पूछते हुए आपत्ति किया कि वह क्यों उसके चाचा पर प्रहार करेगा। यह अभिकथित किया गया है कि इस पर अभिमन्यु गोस्वामी टांगी से लैस होकर और सुरेश गोस्वामी लाठी से लैस होकर और उनका पिता पाँचू गोस्वामी लाठी से लैस होकर वहाँ आए और अभिमन्यु गोस्वामी ने लखन गोस्वामी पर टांगी से प्रहार किया और सुरेश गोस्वामी तथा पाँचू गोस्वामी ने उस पर लाठी से प्रहार किया और उसको खून बहने की उपहति कारित किया जिस कारण वह गिर गया और बेहोश हो गया। जब सूचक ने उसे बचाने का प्रयास किया, सुरेश गोस्वामी ने उस पर लाठी से प्रहार किया और उसकी हाथ में फैक्चर कारित किया और वह भी गिर गया। अपिन्दो गोस्वामी (अ॰ सा॰ 3), जनार्दन गोस्वामी (अ॰ सा॰ 5) एवं किरण बाला देवी (अ॰ सा॰ 4) भी वहाँ आए और उन्होंने भी घटना देखा। यह कथन किया गया था कि घटना के क्रम में पाँचू गोस्वामी पत्थर पर गिर गया था जिसने उसके मस्तक एवं हाथ में उपहति कारित किया। घटना के कारण के बारे में, यह कथन किया गया है कि लखन गोस्वामी नया घर बना रहा था और पाँचू गोस्वामी ने घर के बगल में नाला खोदा था, जिस कारण महिलाएँ आपस में झगड़ रही थी। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 123 वर्ष 1989 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 324, 325, 326 एवं 307 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। लखन गोस्वामी की मृत्यु सदर अस्पताल, धनबाद में इलाज के क्रम में हो गयी, और तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 भी जोड़ी गयी थी। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

5. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर, समस्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त सुरेश गोस्वामी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए पृथक आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता के अभिवचन और विचारण किए जाने के दावा पर उनका विचारण किया गया था।

6. विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से दस गवाहों का परीक्षण किया था और बचाव की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 7 महादेव गिरी (गोस्वामी) मामले में सूचक है और उसने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि घटना 3.6.1989 को हुई थी। लखन गोस्वामी एवं पाँचू गोस्वामी की पत्नियाँ भद्दी भाषा में झगड़ा कर रही थी, जिसे उसने पसन्द नहीं किया था और उसने उनको झगड़ा नहीं करने कहा था, जिसपर उसे अभिमन्यु द्वारा धमकी दी गयी थी। इस गवाह ने उसको चुनौती दिया और लखन गोस्वामी ने भी मध्यक्षेप किया और यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त अभिमन्यु गोस्वामी टांगी से लैस होकर और पाँचू तथा सुरेश लाठी से लैस होकर वहाँ आए और अभिमन्यु ने लखन पर टांगी से प्रहार किया और उसके मस्तक पर उपहति कारित किया, जिसपर लखन गिर गया और अभियुक्तों पाँचू एवं सुरेश ने उसपर लाठी से प्रहार किया। यह गवाह उसको बचाने आया, जिसपर सुरेश ने उसपर लाठी से प्रहार किया और उसके हाथ का फ्रैक्चर कारित किया। पाँचू ने भी उस पर लाठी से प्रहार किया जिस पर वह भी गिर गया। गवाहों ने भी घटना देखा था। भागते हुए, पाँचू गोस्वामी वहाँ रखे पत्थरों पर गिर गया और उसकी मस्तक पर उपहति कारित हुई। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि लखन गोस्वामी अपना घर बना रहा था और उसके बगल में पाँचू गोस्वामी ने घर के गिरने का खतरा कारित करते हुए नाला खोदा था जिस कारण महिलायें आपस में लड़ रही थी। दोनों घायलों को थाना लाया गया था, जहाँ इस गवाह ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दिया, जिसे नाबो गोपाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया था, जैसा इस गवाह द्वारा लिखवाया गया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किया। उसने लिखित रिपोर्ट पहचाना है, जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि चूँकि लखन की दशा नाजुक थी, उसे अस्पताल भेजा गया था और इस गवाह को भी बाद में अस्पताल भेजा गया था, जहाँ उसका इलाज किया गया था और उसकी उपहति का एक्स-रे भी किया गया था। लखन को सदर अस्पताल, धनबाद निर्दिष्ट किया गया था जहाँ उसे भरती किया गया था और सुबह में इस गवाह को सूचित किया गया था कि अस्पताल में लखन की मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। अभियोजन द्वारा इस गवाह का विस्तारपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया था किंतु लघु अंतर के सिवाए उसके प्रति परीक्षण में अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है ताकि उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय बनाया जा सके।

7. अ॰ सा॰ 2 कदम देवी जो मृतक की पत्नी है, अ॰ सा॰ 3 अपिन्दो गोस्वामी जो सूचक का भतीजा है, अ॰ सा॰ 4 किरण बाला देवी जो सूचक की पत्नी है और अ॰ सा॰ 5 जनार्दन गोस्वामी जो भी सूचक का भतीजा है ने पूर्णत: घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है और घटना का वही विवरण दिया है जैसा सूचक द्वारा अपने साक्ष्य में कथित किया गया है। अ॰ सा॰ 2 कदम देवी जो मृतका की पत्नी है ने भी कथन किया है कि धनबाद सदर अस्पताल निर्दिष्ट किए जाने पर वह अपिन्दो गोस्वामी एवं अशोक के साथ मृतक को सदर अस्पताल, धनबाद लायी जहाँ उसे उसी रात पूर्वाह्न लगभग 12 बजे भरती किया गया था और उसी रात 3-4 बजे मृतक की मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 3 अपिन्दो गोस्वामी द्वारा अपने साक्ष्य में इस तथ्य का समर्थन किया गया है जिसने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में संपूर्ण अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 3 अपिन्दों गोस्वामी को उसके प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया था कि क्या उसने पुलिस के समक्ष कथन किया था कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा, उसने मृतक को पहले से ही घायल दशा में गिरा हुआ देखा था, जिसके प्रति इस गवाह ने नकारात्मक उत्तर दिया और कथन किया कि जब वह घटनास्थल पहुँचा, उसने मृतक को गिरा हुआ देखा था और अभियुक्तगण अभी भी उस पर प्रहार कर रहे थे। अन्य पूर्वोक्त गवाहों के प्रति परीक्षण

में अधिक महत्व का कुछ भी नहीं है जिन्होंने अन्यथा घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है।

8. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ भुवनेश्वर शर्मा ने मृतक जब वह जीवित था की उपहतियों का परीक्षण किया था और सूचक की उपहतियों का भी परीक्षण किया था। उन्होंने कथन किया है कि मृतक के परीक्षण पर उन्होंने दाएँ पेराइटल अस्थि के डीप्रेस्ड अस्थिभंग के 2½" x 1/2" x अस्थि तक गहरा विदीर्ण जख्म पाया। उन्होंने कथन किया है कि लखन गोस्वामी की दशा अच्छी नहीं थी और मस्तक उपहति के रोग लक्षण थे, अत:, उन्होंने घायल को सदर अस्पताल, धनबाद निर्दिष्ट किया। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में लखन गोस्वामी की उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था।

उसी दिन, उसने महादेव गोस्वामी का परीक्षण किया था और उस पर निम्नलिखित उपहति पाया था:–

(i) dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr ck;h dykb ij 1"x1/3"x1" dk [kjkp jfM;l vfLFk dk fMldVhU;'ku FkkA ck, jfM;l dk ÝDpj FkkA

(ii) dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr Nkrh d nk, Hkkx ij 1/2"x1/3" dk [kjkpA

(iii) dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr Nkrh d ihN 1½"x1/3" dk [kjkpA

उन्होंने यह कथन भी किया है कि उन्होंने महादेवी गिरी (गोस्वामी) को गोविन्दपुर के डॉ॰ साहा के एक्सरे क्लिनिक निर्दिष्ट किया था। उनको एक्सरे प्लेट एवं रिपोर्ट दिखायी गयी थी और उन्होंने दो एक्सरे रिपोर्ट सिद्ध किया है और उन्हें प्रदर्श 4 एवं 4/1 चिन्हित किया गया था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में महादेव गिरी (गोस्वामी) की उपहति रिपोर्ट पहचाना है और इसे प्रदर्श 5/1 चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसी दिन पर उसने पाँचू गिरी (गोस्वामी) का भी परीक्षण किया था और उसकी खोपड़ी पर एक विदीर्ण जख्म तथा उसकी छाती के पीछे और दाएँ अग्रबाहु पर खरोंच पाया था। उन्होंने न्यायालय में पाँचू गिरी को पहचाना है।

9. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ ए॰ एस॰ मंडल, रेडियोलॉजिस्ट और उनके चिकित्सीय सहायक अ॰ सा॰ 10 दशरथ मंडल को सूचक महादेव गिरी (गोस्वामी) की उपहतियों का एक्सरे रिपोर्ट सिद्ध करने के लिए परीक्षण किया गया है और उन्होंने इस तथ्य को सिद्ध किया है।

10. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ डी॰ के॰ धीरज ने लखन गोस्वामी के मृत शरीर का परीक्षण किया था और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया था:–

(i) vutM fdukjk d lkFk flyu dk t[e ,o vxeLrd d nk, Hkkx ij nk fLVp d lkFk 1/2" yck fonh.k djDVj] nk, Hkkg d ckgjh flj d 3½"mijA

(ii) ijkbVy ,o VEikjy {k= ,o efDlyjh ,o tkbxkefVd {k= d ck, fgLl dk fM¶;TM ltu uhp e ,fpekfll d lkFk n[kk x;k FkkA

(iii) vkx foPNnu ij ijkbVy ÝVy ,o VEikjy {k=k e flj dh [kky dk dV;tu mu {k=k e 1/5" l 1/4" ekVk flj dh [kky d uhp jDr FkDdk dh mifLFkfr e n[kk x;k FkkA nk, ijkbVy {k= dk 2"x1 ,o 1/4" dk fMçLd ÝDpj vkj nk, VEikjk&ijkbVy {k= dk 1½"x1" dk MhçLM] ÝDpj n[kk x;k FkkA ikLVhfj;j :i l nk, ijkbVy vfLFk l c<h gb ÝDpj ykbu 4½" rd l vkDlhihVy d nk, {k= rd ck, VEikjy vfLFk d mij l tkr g, ,d 'kk[kk

f}Hkkftr dju d fy, ijkbVy vfLFk d mij l tkrk gvkA ljhcy dkVD l d mijh lrg ij lCM;jy ,fpekfl l n[kk x;k FkkA

उन्होंने यह कथन भी किया है कि थोरेको एबडोमिनल अंग धुँधले थे, पेट में 30CC काला तरल था और मृत्यु ब्लंट फोर्स के क्रेनियोसेरी ब्रल उपहति के कारण कोमा से हुई। इस गवाह ने कथन किया है कि उपहतियाँ टांगी की मूठ से कारित की जा सकती है। उन्होंने यह कथन भी किया है कि ये उपहतियाँ प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था। इस गवाह का प्रति परीक्षण किया गया था और न्यायालय गवाह के रूप में विस्तार में परीक्षण किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 1 गोपाल सिंह मामले का आई॰ ओ॰ है। इस गवाह ने कथन किया है कि 3.6.1989 को महादेव गोस्वामी घायल दशा में लखन गोस्वामी जो भी घायल था के साथ पुलिस थाना आया और लिखित रिपोर्ट दिया, जिसके आधार पर गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 123 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। उसने पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के लेखन एवं हस्ताक्षर में लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने लिखित रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने दोनों घायलों की उपहति रिपोर्ट के तलब को भी सिद्ध किया है, जिन्हें प्रदर्श 3 एवं 3/1 चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि वह अस्पताल गया जहाँ उसे सूचित किया गया था कि घायलों की दशा अच्छी नहीं थी और उन्हें सदर अस्पताल, धनबाद निर्दिष्ट किया गया था। उसे 4.6.1989 को सदर अस्पताल, धनबाद में लखन गोस्वामी की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था। इस गवाह ने अपने द्वारा देखे गए घटना स्थल का वर्णन भी दिया है और कथन किया है कि अपराध से संबंधित सामग्री नहीं थी जिसे जब्त किया जा सकता था, सिवाए रक्त रंजित मिट्टी के जिसे भी जब्त नहीं किया जा सका था। उसने अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है और कथन किया है कि आरोप पत्र पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के माध्यम से दाखिल किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि अभियुक्त पाँचू गोस्वामी भी पुलिस थाना आया था और उसको भी मस्तक उपहति हुई थी, जो सरल प्रतीत हुई। पाँचू गोस्वामी के बयान के आधार पर पुलिस थाना में सनहा दर्ज किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने पाँचू गोस्वामी की उपहति रिपोर्ट का तलब तैयार किया जिसे उसने सिद्ध किया और प्रदर्श B के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने अपने प्रति परीक्षण में कथन भी किया है कि उसने गोविन्दपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 268 वर्ष 89 में अन्वेषण किया था जिसे पाँचू की पत्नी देवकी देवी के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें उसने फाइनल फॉर्म दाखिल किया था और उसे जानकारी नहीं थी कि क्या इसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था या नहीं।

12. बचाव की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया है जो ब॰ सा॰ 1 लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, अपीलार्थी सुरेश गोस्वामी का मामा, ब॰ सा॰ 2 प्रभुलाल पांडे एवं ब॰ सा॰ 3 मोती लाल कुंभकर है जिनका परीक्षण यह सिद्ध करने के लिए किया गया था कि घटना की तिथि पर अभियुक्त सुरेश गोस्वामी अपने मामा लक्ष्मी नारायण स्वामी के घर में भिन्न गाँव में था। इस प्रकार, इन गवाहों का परीक्षण केवल अभियुक्त अपीलार्थी सुरेश गोस्वामी के अन्यत्र होने का अभिवचन सिद्ध करने के लिए किया गया था।

13. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता

है, क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अंतरों से भरे हैं। यह निवेदन किया गया है कि केवल हितबद्ध गवाहों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है और अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र गवाह आगे नहीं आए हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि घटना दो महिलाओं के झगड़े के कारण हुई और प्राथमिकी में एवं साक्ष्य में भी यह आया है कि सूचक ने स्वयं चुनौती दिया था और घटना के लिए उकसाया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले का प्रति-विवरण है, जिसमें अभियुक्त पाँचू गोस्वामी भी घायल हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा बिल्कुल संपुष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि मृतक पर तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित उपहति नहीं पायी गयी थी यद्यपि विनिर्दिष्ट अभिकथन है कि उस पर टांगी से प्रहार किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सुयोग्य मामला है कि अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध यह निवेदन करते हुए किया है कि गवाहों ने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है और यहाँ-वहाँ साक्ष्य में लघु अंतर हो सकते हैं जो ऐसे मामले में सामान्य है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गवाह परिवार का सदस्य एवं पड़ोसी होने के कारण घटना के स्वाभाविक गवाह हैं, जो घटना के समय पर उपस्थित थे। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गवाहों ने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है और गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य पूर्णत: अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ भुवनेश्वर शर्मा, जिन्होंने मृतक का जब वह घायल था का और मामले के सूचक का भी परीक्षण किया था, के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है और उन्होंने उपहति रिपोर्ट भी सिद्ध किया है। इस गवाह द्वारा मृतक को इलाज के लिए सदर अस्पताल, धनबाद निर्दिष्ट किया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ डी॰ के॰ धीरज ने मृतक का शव परीक्षण किया था और उस पर पायी गयी उपहतियों को मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए सामान्य क्रम में पर्याप्त पाया था और उपहतियाँ टांगी के मूठ द्वारा कारित की जा सकती थी। इस दशा में, उनका साक्ष्य भी गवाहों के चाक्षुक साक्ष्य को संपुष्ट करता है। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह अभियुक्तों के विरुद्ध समस्त आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

15. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि मामले के सूचक अ॰ सा॰ 7 महादेव गोस्वामी जो भी घटना में घायल हुआ था द्वारा घटना का पूर्णत: समर्थन किया गया है। अ॰ सा॰ 2 कदम देवी, मृतक की पत्नी, अ॰ सा॰ 3 अपिन्दो गोस्वामी, सूचक का भतीजा, अ॰ सा॰ 4 किरन बाला देवी, सूचक की पत्नी और अ॰ सा॰ 5 जनार्दन गोस्वामी सूचक का भतीजा ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का पूर्णत: समर्थन किया है जैसा सूचक द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है। इन गवाहों का साक्ष्य भी अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ भुवनेश्वर शर्मा और उनके द्वारा सिद्ध किए गए उपहति रिपोर्ट एवं अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ डी॰ के॰ धीरज, जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया था और उनके द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 7 के रूप में सिद्ध भी किया गया था जिन्होंने यह कथन भी किया कि मृतक पर उपहतियाँ प्रकृति के सामान्य क्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और उपहतियाँ टांगी की मूठ से कारित की जा सकती थी, के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। हम पाते हैं कि ऐसी उपहतियाँ टांगी के भोथरे भाग और लाठी द्वारा भी कारित की

जा सकती थी। अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ ए॰ एस॰ मंडल, रेडियोलॉजिस्ट और उनके चिकित्सीय सहायक अ॰ सा॰ 10 दशरथ मंडल ने भी इस तथ्य को सिद्ध किया है कि सूचक की उपहतियों का एक्सरे किया गया था। यद्यपि अपीलार्थी पाँचू गोस्वामी को भी घायल पाया गया था, जैसा अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ भुवनेश्वर शर्मा द्वारा सिद्ध किया गया है, किंतु तथ्य बना रहता है कि उसकी उपहतियाँ अभियोजन द्वारा छुपायी नहीं गयी है बल्कि उन्हें स्वयं प्राथमिकी में और सूचक अ॰ सा॰ 7 महादेव गिरी (गोस्वामी) के साक्ष्य में भी स्पष्ट किया गया है, जिसने कथन किया है कि भागते हुए पांचू गोस्वामी पत्थरों पर गिर गया था जिस कारण उस पर उपहति कारित हुई। यद्यपि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि स्वयं सूचक ने अभियुक्तों को चुनौती दिया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि अभियोजन मामले तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के मुताबिक सूचक ने केवल झगड़ा कर रही महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया था और अभियुक्त अभिमन्यु गोस्वामी ने ही अभियोजन पक्ष को पहले उकसाया था।

16. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध समस्त आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अपीलार्थियों को आरोपित अपराधों के लिए सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

17. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में हम एस॰ टी॰ सं॰ 49 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 30.4.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं पाते हैं जिसे हम एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थीगण जमानत पर है और उनका जमानत बंध पत्र द्वारा रद्द किया जाता है। अपीलार्थियों को दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में तुरन्त आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। दंडादेश भुगतने के लिए अपीलार्थियों का आत्मसमर्पण/ प्रस्तुती अनिवार्य करने के लिए विचारण न्यायालय को आदेशिका जारी करने का निर्देश भी दिया जाता है।

18. तद्नुसार, ये दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं इस निर्णय के प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुजाता कुजूर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(Cr.) No. 407 of 2016. Decided on 3rd March, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धाराएँ 3 (viii) (ix) (x) एवं 7—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1989–नियम 7—एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण आरक्षी उप-अधीक्षक की श्रेणी के नीचे से अन्यून दर्जे के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना होगा–चूँकि पुलिस सब-इंस्पेक्टर अन्वेषण कर रहा है जो

विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, रिट आवेदन आरक्षी अधीक्षक को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के निबंधनानुसार अन्वेषण करने के लिए सक्षम व्यक्ति नियुक्त करने के निर्देश के साथ निपटाया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2009) 12 SCC 649—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Harendra Kumar Mahato, For the Petitioner; Mr. Vijyant Verma, For the Respondents.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र कुमार महतो तथा जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ श्री विजयन्त वर्मा सुने गए।

2. इस रिट आवेदन में याची ने प्रार्थना किया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰/गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2016 में अन्वेषण संविधि के निबंधनानुसार सक्षम व्यक्ति को सौंपा जाए।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची प्रखंड विकास अधिकारी (बी॰डी॰ओ॰)-सह-अंचलाधिकारी, कामदारा प्रखंड है जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (viii) (ix) (x) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353, 509, 504, 332 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दांडिक रूप से अभियोजित किया जाना इप्सित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰/गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2016 के संस्थापन के बाद अन्वेषण पुलिस सब-इंस्पेक्टर धरमवीर सिंह को सौंपा गया था जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के निबंधनानुसार सक्षम नहीं है।

4. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि प्रतिशपथ पत्र ने इस तथ्य के बारे में कथन किया है कि अन्वेषण अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपराध में अन्वेषण करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं किंतु ऐसा प्रतिवाद सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज नहीं लाया गया है।

5. जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ श्री विजयन्त वर्मा ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है और कथन किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना की दृष्टि में पुलिस सब-इंस्पेक्टर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराध में अन्वेषण करने के लिए सक्षम था।

6. यह विवादित नहीं है कि अपराध में अन्वेषण पुलिस सब-इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 का पठन निम्नलिखित है:–

> "7. **vUo"k.k vfèkdkjh-**&(1) vfèkfu;e d vèkhu fd, x, fdlh vijkèk dk vUo"k.k ,l ifyl vfèkdkjh }kjk fd;k tk,xk tk ifyl mivèkh{kd d jd l de dk u gkA vUo"kd vfèkdkjh dh fu;fDr jkT; ljdkj@ifyl vèkh{kd }kjk mld io vuHko] ekey dh foo{kkvk dk le>u vkj ekey dk vUo"k.k lgh fn'kk e de l de le; d Hkhrj dju dh ;kX;rk vkj U;k; dh Hkkouk dk è;ku e j[kdj dh tk,xhA
>
> (2) fu;e (1) d vèkhu bl idkj fu;Dr vUo"k.k inkfèkdkjh mPp ikFkfedrk d vkèkkj ij rhl fnuk d Hkhrj vUo"k.k ijk djxk rFkk vkj{kh vèkh{kd dk fjikV iLrr djxk tk ckn e rjr jkT; ljdkj d vkj{kh egkfun'kd dk fjikV vxlkfjr djxkA

*(3) jkT; d xg lfpo rFkk lekt dY;k.k lfpo] vfHk;ktu fun'kd] vfHk;ktu d iHkkjh inkfèkdkjh rFkk vkj{kh egkfun'kd iR;d frekgh d vr e vUo"k.k inkfèkdkjh }kjk fd, x, lHkh vUo"k.kk dh fLFkfr dh leh{kk djxA***

7. पूर्वोक्त नियम का परिशीलन प्रकट करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण आरक्षी उप अधीक्षक की श्रेणी से अन्यून दर्जे के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के प्रावधान को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **म॰ प्र॰ राज्य बनाम चुनी लाल, (2009)12 SCC 649,** में आगे स्पष्ट किया गया है:–

*"8. vfèkfu;e dh èkkjk, fu;ekoyh d fu;e 7 ,o lfgrk dh èkkjk 4 e çkoèkkuk dk tc l;Dr :i l iBu fd;k tkrk g ;g bl vçfrjkè; fu"d"k dh vkj y tkrk g fd fu;e 7 d fucèkukuklkj fu;Dr ugh fd, x, vfèkdkjh }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk dk vUo"k.k voèk gA fdr tc ifjokn fd;k x;k vijkèk HkkO n0 l0 vkj vfèkfu;e dh èkkjk 3 e lxf.kr fdlh vijkèk nkuk d vèkhu g] vUo"k.k ftl lfgrk d çkoèkkuk d vu:i l{ke ifyl vfèkdkjh }kjk fd;k tk jgk g dk l{ke ifyl vfèkdkjh }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk d xj vUo"k.k d fy, vfHk[kfMr ugh fd;k tk ldrk gA ,lh fLFkfr e vUo"k.k d ckotn HkkO n0 l0 d vèkhu nMuh; vijkèk d fy, lefpr U;k;ky; e dk;okgh vxlj gkxh vkj vkjki i= ml vijkèk dk lKku yu d fy, vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk d lcèk e Lohdkj fd, tku dk nk;h ugh gkxkA***

8. उक्त संगणित प्रावधान और उक्त प्रावधान के संबंध में न्यायिक उद्घोषणा की दृष्टि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन किए गए अभिकथित किसी अपराध का अन्वेषण आरक्षी उप अधीक्षक की श्रेणी से अन्यून दर्जे के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना होगा। चूँकि पुलिस सब–इंस्पेक्टर अन्वेषण कर रहा है जो विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, यह रिट आवेदन प्रत्यर्थी सं॰ 2 को एस॰ सी॰/एस॰ टी॰/गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2016 के संबंध में अन्वेषण करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के निबंधनानुसार सक्षम व्यक्ति नियुक्त करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o jkxku e[kkikè;k;] U;k;efrx.k

कैलाश पंडित

cuke

झारखंड राज्य

Cri. App. (DB) Nos. 1436 of 2008 with I.A. No. 5809 of 2016. Decided on 18th May, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 2 वर्ष 2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 23.10.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.10.2008 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 304B एवं 201/34—दहेज मृत्यु–साक्ष्य छुपाया जाना–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–मृतका का विवाह घटना के चार वर्ष पहले अपीलार्थी के साथ हुआ था–विवाह के तुरन्त बाद मृतका को ससुराल में दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था जिसके लिए पुलिस मामला भी दाखिल किया गया था–अभियोजन साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट–मृतका के परिवार के सदस्य इस तथ्य के स्वाभाविक गवाह हैं कि मृतका के पति एवं ससुराल वालों द्वारा दहेज मांग की गयी थी और उसे इसके लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था–सामान्यतः परिवार के सदस्यों से भिन्न कोई गवाह इन तथ्यों के बारे में कथन नहीं कर सकता है–परिवार के सदस्यों ने अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था जिसके लिए दांडिक मामला भी था जिसमें सुलह किया गया था और उसके बाद उसे ससुराल ले जाया गया था–किंतु, मृतका के शरीर पर बाह्य अथवा आंतरिक हिंसा का निशान नहीं था और मृत्यु का कारण डूबने के कारण दम घुटना पाया गया था–मामले के उस दृष्टिकोण में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित धारा 304B के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश अत्याधिक दंडादेश है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–अपीलार्थी अब तक 10 वर्ष से कुछ कम के लिए अभिरक्षा में रहा है–न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के कठोर कारावास का दंडादेश दिया जाता है। (पैराएँ 11 से 17)

अधिवक्तागण.–M/s Kaushik Sarkhel, D.K. Deo, For the Appellant; Mr. Azimuddin, For the Resp.-State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी सत्र विचारण सं॰ 2 वर्ष 2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 23.10.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.10.2008 के दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201/34 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करने पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, घटना के चार वर्ष पहले मृतका अनीता देवी का विवाह अपीलार्थी कैलाश पंडित के साथ हुआ था। यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के तुरन्त बाद मृतका को अपने ससुराल में क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था जिसके लिए पुलिस मामला भी दाखिल किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि 27.6.2009 को उसके ससुराल में उसकी हत्या की गयी थी और उसका मृत शरीर कुआँ में फेंक दिया गया था। सूचक गणेश कुमार पंडित जो मृतका का भाई है को 29.6.2007 को घटना के बारे में अपीलार्थी के सह ग्रामीण अर्थात् नारायण पंडित द्वारा फोन पर सूचित किया गया था जिस पर सूचक अपने परिवार के सदस्यों एवं गाँववालों के साथ अपनी बहन के ससुराल वालों के गाँव गया, जहाँ उसने कुआँ में मृत शरीर पाया। सूचक गणेश पंडित द्वारा पूर्वोक्त

प्रभाव की लिखित रिपोर्ट कोडरमा जिला के जयनगर पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दी गयी थी जिसमें यह कथन किया गया था कि मृतका के दोनों हाथ बंधे पाए गए थे और मृतका के मृत शरीर पर प्रहार के निशान भी थे और उसके मुख, नाक एवं आँख से खून बह रहा था। सूचक ने लिखित रिपोर्ट में दावा किया कि अभियुक्तों जो अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्य हैं ने 27.6.2007 को मृतका की दहेज मृत्यु कारित किया था और साक्ष्य छुपाने के लिए मृतका का मृत शरीर कुआँ में फेंक दिया था। लिखित रिपोर्ट के आधार पर जयनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 46 वर्ष 2007, जी॰ आर॰ सं॰ 426 वर्ष 2007 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अपीलार्थी एवं उसके माता/पिता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B, 201/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन एवं विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने 13 गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से केवल अ॰ सा॰ 6 विश्वनाथ पंडित एवं अ॰ सा॰ 13 बदरी पंडित अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था। बचाव द्वारा एक गवाह का परीक्षण किया था।

5. अ॰ सा॰ 12 गणेश कुमार पंडित सूचक और मृतका का भाई है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना के 4-5 वर्ष पहले मृतका का विवाह अभियुक्त कैलाश पंडित के साथ हुआ था, और तत्पश्चात, वह ससुराल में रह रही थी। उसने यह कथन भी किया है कि लगभग एक वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गयी और सूचना पाने पर यह गवाह अन्य के साथ उसके ससुराल वालों के गाँव गया और किसी द्वारका ठाकुर के कुआँ में मृतका का मृत शरीर पाया। पुलिस को सूचित किया गया था और पुलिस की उपस्थिति में कुँआ से मृत शरीर निकाला गया था। मृतक के ससुराल वाले भाग गए थे। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसकी बहन का पति एवं परिवार के अन्य सदस्य 50,000/- रुपया एवं मोटरसाइकिल की दहेज मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने लगे थे, जिसके लिए उसने न्यायालय में मामला भी दाखिल किया था जिसमें सुलह हुआ था और तत्पश्चात उसे उसके ससुराल ले जाया गया था, जहाँ अंततः उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी थी। इस गवाह ने लिखित रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर भी पहचाना है, जिसे प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया गया था और उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि घटना के लगभग एक सप्ताह पहले उसकी बहन अपने मायका आयी थी और उसके शरीर पर प्रहार के चिन्ह थे और उसने कथन किया था कि उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने इस तथ्य को दोहराया है कि घटना के एक सप्ताह पहले, मृतका अपने मायका आयी थी और क्रूरता एवं यातना के बारे में सूचित किया था, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस मामला संस्थित नहीं किया गया था अथवा इसके लिए कोई अन्य सूचना नहीं दी गयी थी। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि कैलाश पंडित ने तलाक के लिए मामला दाखिल किया था जिसमें उसने मृतका के अवैध संबंध को अभिकथित किया था।

6. अ॰ सा॰ 1 कैलाश पंडित भी मृतका का भाई है जिसने सूचक अ॰ सा॰ 12 गणेश कुमार पंडित द्वारा कथित अभियोजन मामला का इस तथ्य सहित समर्थन किया है कि उसके विवाह के बाद मृतका को 50,000/- रुपया एवं मोटरसाइकिल की दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी थी। वह भी मृतका के ससुराल वालों के गाँव गया था

और मृतका के मृत शरीर पर हिंसा का निशान पाया था, जब कुँआ से उसका मृत शरीर निकाला गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसकी उपस्थिति में लिखित रिपोर्ट दाखिल की गयी थी, जिसपर उसने हस्ताक्षर किया था। उसने लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 4 कार्तिक पंडित है जो मृतका का एक अन्य भाई है। अ॰ सा॰ 10 मुंशी पंडित एवं अ॰ सा॰ 11 यशोदा देवी मृतका के पिता एवं माता हैं और इन गवाहों ने अ॰ सा॰ 12 गणेश कुमार पंडित द्वारा यथाकथित अभियोजन मामले का इस तथ्य सहित पूर्णत: समर्थन किया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी थी। ये गवाह मृतका के ससुराल वालों के घर गए थे और मृतका के मृत शरीर पर हिंसा का निशान देखा था जब मृत शरीर कुँआ से निकाला गया था।

8. अ॰ सा॰ 2 दशरथ यादव एवं अ॰ सा॰ 3 सुरेश सिंह गाँववाले हैं जिन्हें भी घटना के बारे में सूचित किया गया था और वे भी सूचक के साथ मृतका के ससुराल वालों के गाँव गए थे जहाँ कुआँ से मृत शरीर बरामद किया गया था और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था।

9. अ॰ सा॰ 5 केदार नाथ कसेरा एवं अ॰ सा॰ 8 बालेश्वर पंडित अभियुक्त अपीलार्थी के सहग्रामीण हैं। अ॰ सा॰ 5 केदार नाथ कसेरा ने केवल यह कथन किया है कि मृतका की मृत्यु डूबने से हुई थी जबकि अ॰ सा॰ 8 बालेश्वर पंडित पक्षद्रोही हो गया है।

10. अ॰ सा॰ 7 नागेश्वर रजक मामले का आई॰ ओ॰ है, जिसने कथन किया है कि 29.6.2007 को गणेश कुमार पंडित की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना में प्राप्त की गयी थी, जिसके आधार पर जयनगर पी॰ एस॰ केस सं॰ 46 वर्ष 2007 संस्थित किया गया था और उसने अन्वेषण का प्रभार लिया। उसने लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। वह घटनास्थल गया जहाँ कुआँ से मृत शरीर बरामद किया गया था और उसके द्वारा मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी। किंतु, इस मामले में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है। उसने घटना स्थल का वर्णन भी किया है और अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है और उसने केवल अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता के विरुद्ध आरोप पत्र यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि उसने अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने केस डायरी के पैराग्राफ 17 में स्वीकार किया है कि यह दर्ज किया गया है कि मृतका के अवैध संबंध के कारण पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था।

11. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ शिव कुमार तीन डॉक्टरों की मेडिकल टीम का सदस्य है, जिसने 30.6.2007 को मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित पाया था:-

> *"(i) **ckâ;&ijh{k.k dju ij**:-*
> *'ko dh vdMu vuifLFkr Fkh]*
> *eg [kyk]*
> *nk;h vk[k cn]*
> *ck;h vk[k vkjfcVy dfoVh d ckgj fudyh]*
> *vkjy dfoVh e dhM ik, x,] ijk 'kjhj l tk FkkA*

ckâ; tuufn; l ij 'kjhj dh Ropk vyx&vyx Fk dkb lk{; ugh ik;k x;kA

(ii) ***foPNnu dju ij:–***

*QQMk d fMlU'ku ij ikuh dk cycyk ik;k x;k] Liyhu dtLVM] ân; èkèkyk] nkuk fdMuh dtLVM] yhoj dtLVM] ;jhujh CyMj [kkyh] iV ip [kku l Hkjk] ;Vjl uuxoh] cu iyA***

इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि मृत्यु का कारण डूबने से दम घुटना था। इस गवाह ने मेडिकल टीम द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया, जिसपर उसने भी अपना हस्ताक्षर किया और इसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि मृतका के मृत शरीर पर बाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं थी और मृत्यु डूबने के कारण कारित हुई थी।

12. बचाव ने भी एक गवाह ब॰ सा॰ 1 बैजनाथ पंडित का परीक्षण किया है जो अपीलार्थी का पड़ोसी है और उसने केवल यह कथन किया है कि मृतक और उसके ससुराल वालों के बीच अच्छा संबंध था और मृतका के परिवार के सदस्यों ने कोई परिवाद कभी नहीं किया था कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी अपने माता–पिता से अलग रहता खाता था।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और यह ऐसा मामला है जिसमें मृतका ने अपने अवैध संबंध के कारण आत्महत्या किया था। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है, क्योंकि अभियोजन का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि जब कुआँ से मृत शरीर निकाला गया था, मृत शरीर पर हिंसा के निशान थे, किंतु यह साक्ष्य अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ शिवकुमार के साक्ष्य से पूर्णत: झुठलाया जाता है जिन्होंने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि मेडिकल टीम ने मृतका के मृत शरीर पर हिंसा का कोई निशान नहीं पाया था और मृतका के मृत शरीर पर बाह्य अथवा अंतरिक उपहति नहीं थी बल्कि मृत्यु डूबने से कारित हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि अ॰ सा॰ 12 सूचक गणेश कुमार पंडित के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि पक्षों के बीच तलाक का मामला था, जिसमें मृतका का अवैध संबंध अभिकथित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि केवल मृतका के परिवार के सदस्यों द्वारा अभियोजन मामला का समर्थन किया गया है और दो स्वतंत्र गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 5 केदारनाथ कसेरा एवं अ॰ सा॰ 8 बालेश्वर पंडित ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि घटना के तुरन्त पहले मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था, और इस दशा में, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस कारण से कि सूचक के प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि तलाक मामला में तलाक के लिए आधार मृतका का अवैध संबंध था, अवैध संबंध का अभिकथन आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 7 नागेश्वर रजक के प्रति परीक्षण में भी स्वीकार किया गया है और इस तथ्य की दृष्टि में यह मृतका द्वारा आत्महत्या करने का मामला है क्योंकि मृत शरीर पर बाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं पायी गयी है, अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है एवं निवेदन किया है कि गवाहों विशेषत: परिवार के सदस्यों जो मृतका के भाई एवं माता–पिता हैं ने पूर्णत: अभियोजन मामले

का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और मृतका के परिवार के सदस्यों के साक्ष्य में यह भी आया है कि विवाह के तुरन्त बाद मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था, जो मृतका की मृत्यु तक जारी रहा क्योंकि घटना के एक सप्ताह पहले भी मृतका अपने मायका आयी थी, जहाँ उन्होंने मृतका पर हिंसा का निशान पाया था और मृतका ने प्रकट किया था कि उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। यद्यपि उस बारे में पुलिस में परिवाद नहीं किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध नहीं बनता है। यह निवेदन भी किया गया है कि यह साक्ष्य में आया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था जिसके लिए दांडिक मामला भी दाखिल किया गया था, जिसमें पहले सुलह हो गया था, और मृतका को ससुराल ले जाया गया था जिसके बाद उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि मृतका के परिवार के सदस्य इस तथ्य के स्वाभाविक गवाह हैं कि मृतका के पति एवं ससुराल वालों द्वारा दहेज मांग की गयी थी और उसे इसके लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। सामान्यत: परिवार के सदस्यों से भिन्न कोई गवाह इन तथ्यों के बारे में कथन नहीं कर सकता है। परिवार के सदस्यों ने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि दहेज मांग के लिए मृतका को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था जिसके लिए दांडिक मामला भी था, जिसमें सुलह हुआ था और उसके बाद उसे ससुराल ले जाया गया था। सूचक सहित परिवार के सदस्यों के साक्ष्य में यह भी आया है कि घटना के एक सप्ताह पहले मृतका अपने मायका आयी थी जब उसके शरीर पर हिंसा का निशान पाया गया था और उसने परिवाद किया था कि दहेज मांग के लिए उसे क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। यद्यपि समय के उस बिन्दु पर पुलिस या अन्य परिवाद नहीं था, किंतु केवल उस कारण से उनका साक्ष्य पूर्णत: त्यक्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हमारा ध्यान सूचक अ॰ सा॰ 12 गणेश कुमार पंडित के प्रति परीक्षण की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि पति द्वारा तलाक मामला दाखिल किया गया था जिसमें उसने मृतका के अवैध संबंध का आधार लिया था और यह अभिकथन अन्वेषण के दौरान आई॰ ओ॰ द्वारा भी पाया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि बचाव ने ब॰ सा॰ 1 के रूप में एक गवाह बैजनाथ पंडित का परीक्षण किया है जिसने ऐसे अवैध संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा है, बल्कि कथन किया है कि पति-पत्नी के बीच अच्छा संबंध था और पक्षों के बीच दहेज मांग नहीं की गई थी। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

16. यह हमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश की मात्रा पर लाता है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। यद्यपि गवाहों अ॰ सा॰ 12 गणेश कुमार पंडित, अ॰ सा॰ 1 कैलाश पंडित, अ॰

सा॰ 4 कार्तिक पंडित, अ॰ सा॰ 10 मुंशी पंडित और अ॰ सा॰ 11 यशोदा देवी द्वारा कथन किया गया है कि मृतका के मृत शरीर पर हिंसा के निशान थे, किंतु तथ्य बना रहता है कि इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ शिव कुमार के चिकित्सीय साक्ष्य और उनके द्वारा प्रदर्श 4 के रूप में तैयार किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा बिल्कुल संपुष्ट नहीं किया गया है बल्कि चिकित्सीय साक्ष्य इस बिंदु पर स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर बाह्य अथवा आंतरिक उपहति नहीं थी, और मृत्यु का कारण डूबने के कारण दम घुटना पाया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 304B के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश अत्यधिक दंडादेश है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। हम अवर न्यायालय अभिलेख से पाते हैं कि अपीलार्थी ने स्वेच्छापूर्वक 9.7.2007 को अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और तब से वह अब तक 10 वर्षों से कुछ कम तक अभिरक्षा में बना हुआ है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, न्याय का उद्देश्य पूरा होगा, यदि अपीलार्थी को उसके द्वारा भुगती गयी अवधि के लिए कठोर कारावास का दंडादेश दिया जाता है।

17. यद्यपि, पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, हम सत्र विचारण सं॰ 2 वर्ष 2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 23.10.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय को अभिपुष्ट करते हैं, किंतु हम एतद् द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.10.2008 के दंडादेश को अपास्त करते हैं और अपीलार्थी कैलाश पंडित को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि के लिए कठोर कारावास का दंडादेश देते हैं। तद्नुसार, अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसका निरोध आवश्यक नहीं है। वर्तमान मामले में निर्मुक्ति आदेश तुरन्त जारी किया जाए।

18. तद्नुसार दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज किया जाता है। पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; MkW ,l ,uW ikBd] U;k;efr

मो॰ जमाल अहमद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. M.P. No. 928 of 2016. Decided on 15th December, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—अभिखंडन–सी॰ जे॰ एम॰ के आदेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका को अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध अपोषणीय अभिनिर्धारित करते हुए सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना–साक्ष्य देने के लिए परिवादी को कुल 18 स्थगन दिए गए थे किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा और परिवादी का साक्ष्य बंद किया गया था–वर्ष 2008 के मामले में साक्ष्य देने के लिए पुनरीक्षक को पर्याप्त अवसर दिया गया था, किंतु वह समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा–पुनरीक्षक ने भी मामले में दिलचस्पी खो दिया और पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का अतिलंघन नहीं हुआ है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–आवेदन खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Shravan Kumar, For the Petitioner; Mr. Tapas Roy, For the Opp/ Parties.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यह दांडिक विविध याचिका दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 63 वर्ष 2015 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 11.2.2016 के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायालय ने सी॰ केस सं॰ 33 वर्ष 2008 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा द्वारा पारित दिनांक 3.9.2015 के आदेश को अपास्त करने से इनकार किया है। याची ने विद्वान विचारण न्यायालय को याची एवं अन्य गवाहों का विचारण में परीक्षण किए जाने के लिए अनुमति देने का निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य हैं कि याची ने परिवाद मामला सं॰ 33 वर्ष 2008 दाखिल किया था, जो अभी भी लंबित है और आरोप विरचित करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायालय द्वारा नियत चार तिथियों के भीतर परिवादी की ओर से साक्ष्य देने का आदेश दिया था। अगली नियत तिथि पर, अर्थात् 7.10.2013 को याची ने फायर ब्रिगेड के स्टाफ जितेन्द्र तिवारी को अपने गवाह के रूप में प्रस्तुत किया है किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त गवाह का परीक्षण नहीं किया है और जिसके परिणामस्वरुप, इस गवाह को तीन लगातार तिथियों पर परीक्षण किए गए बिना लौटना पड़ा था और अंततः, 15.1.2015 को गवाह का परीक्षण करवाया गया था। तत्पश्चात, मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए 21.4.2015 को मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था जहाँ तीन क्रमवार तिथियों पर अर्थात् 22.4.2015, 23.4.2015 एवं 24.4.2015 को समझौता के लिए प्रयास किए गए थे किंतु चूँकि विरोधी पक्षों ने सुलह करने की इच्छा नहीं दर्शाया था, मामला वापस विचारण न्यायालय को भेजा गया था। याची प्रत्येक नियत तिथि पर अपने साक्ष्य के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था किंतु विभिन्न कारणों से उसका परीक्षण नहीं किया जा सका था। यह निवेदन भी किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याची ने अनेक नियत तिथियों पर अपनी उपस्थिति दाखिल किया है, इसे मामले के ऑर्डरशीट में उल्लिखित नहीं किया गया है और अंततः, विचारण न्यायालय ने 20.6.2015 को परिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया था और विरोधी पक्षकारों के बयान के लिए मामला 27.7.2015 को नियत किया गया था। किंतु याची ऑर्डरशीट का परिशीलन नहीं कर सका था, वह उक्त तिथि पर गवाह के रूप में उपस्थित हुआ जबकि विरोधी पक्ष ने समय याचिका दाखिल किया है।

जब याची को जानकारी हुई कि उसकी ओर से साक्ष्य बंद कर दिया गया था, उसने स्वयं का गवाह के रूप में परीक्षण करवाने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सी॰ केस सं॰ 33 वर्ष 2008 दाखिल किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.6.2015 के अपने आदेश के तहत याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया। तब याची विद्वान विचारण न्यायालय का दिनांक 20.6.2015 का आदेश अपास्त करवाने के लिए दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 63 वर्ष 2015 के तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश, चतरा के पास गया जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.2.2016 के अपने आदेश के तहत मात्र इस तकनीकी आधार पर अस्वीकार किया गया था कि अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है और पुनरीक्षण आवेदन में याची द्वारा लिए गए आधारों पर भी विद्वान विचारण न्यायालय के ऑर्डरशीट में बिल्कुल चर्चा नहीं की गयी है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि याची को साक्ष्य देने अथवा गवाह के रूप में परीक्षण किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची समस्त निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है यदि इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अवर न्यायालय ने यंत्रवत किसी आधार के बिना आदेश पारित किया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इस प्रकार, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध और निवेदन किया है कि याची द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 11.2.2016 का आदेश अभिखंडित करवाने के लिए लिए गए आधार मान्य नहीं हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया है, चूँकि अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर और अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि दिनांक 11.2.2016 के आदेश में हस्तक्षेप करना निम्नलिखित आधारों पर आवश्यक नहीं है:–

(I) दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 397 (2) की दृष्टि में और **मोहित उर्फ सोनू एवं एक अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य, (2013)7 SCC 789; एस॰ के॰ भटट् बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य (2005)3 SCC 634,** और **अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य, (1977)4 SCC 137** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की दृष्टि में अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

(II) अंतर्वर्ती आवेदन की पोषणीयता पर उठाए गए प्रश्न और क्या यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 397 की उपधारा 2 के अधीन वर्जित है, का उत्तर देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** में पारित अपने निर्णय के पैरा 3 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^3.; fi ge fo}ku U;k;kèkh'k }kjk fy, x, nf"Vdk.k l i.kr% lger g fd tgk voj U;k;kèkh'k d vkn'k d fo#) mPp U;k;ky; e iujh{k.k vfHk0;Dr :i l 1973 lfgrk dh èkkjk 397 dh mièkkjk (2) d vèkhu oftr g] èkkjk 482 e vrfo"V vrfufgr 'kfDr èkkjk 397 (2) e vrfo"V otuk foQy dju d fy, miyC;k ugh gkxhA lfgrk] 1973 dh èkkjk 482 U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k vrfo"V djrh g vkj dkbu;h 'kfDr çnÙk ugh djrh g cfYd mu 'kfDr;k dk ljf{kr djrh g tk mPp U;k;ky; d ikl igy l gh gA èkkjkvk 397 ,o 482 dk lketL;i.k vFkkUo;u bl vçfrjkè; fu"d"k dh vkj y tk,xk fd tgk vkn'k fo'k"k vfHk0;Dr :i l èkkjk 397 (2) d vèkhu oftr g vkj mPp U;k;ky; }kjk iujh{k.k dk fo"k; ugh gk ldrk g] rc ,l eksey d çfr èkkjk 482 d çkoèkku ykx ugh gkxA ;g lfuf'pr g fd U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx lkèkkj.kr% fd;k tk ldrk g tc fo"k; oLr ij vfHk0;Dr çkoèkku ugh gA tgk vfHk0;Dr çkoèkku g] mipkj fo'k"k dk NkMdj U;k;ky; vrfufgr 'kfDr d ç;kx dk lgkjk ugh y ldrk gA**^*

7. पूर्वोक्त मामले के तथ्यों से और आक्षेपित आदेश से यह पता चलता है कि यद्यपि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन बयान के लिए केस रिकॉर्ड नियत किया गया था और तिथि 7.8.2013 को नियत की गयी थी, परिवादी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 27.9.2013 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया था और परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए चार तिथियों का समय दिया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि 27.9.2013 के बाद परिवादी को साक्ष्य देने के लिए कुल 18 स्थगन दिए गए थे किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा, अत: परिवादी का साक्ष्य 20.6.2015 को बन्द किया गया था। अत: यह दर्शाता है कि वर्ष 2008 के मामले में साक्ष्य देने के लिए पुनरीक्षक को पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

8. पूर्वोक्त पैराग्राफों में की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षक ने मामले में दिलचस्पी खो दिया था और संबंधित पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का अतिलंघन नहीं है क्योंकि

वे स्वयं पूर्वोक्त मामलों में दिलचस्पी खो बैठे हैं क्योंकि साक्ष्य देने के लिए परिवादी को 18 स्थगन दिए गए थे किंतु वह ऐसा करने में विफल रहा और इस दशा में, साक्ष्य सही प्रकार से 20.6.2015 को बन्द किया गया था।

9. पूर्वोक्त नियमों एवं विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना की दृष्टि में, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस दशा में अभिखंडन आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

हरिहर भुइयाँ एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal No. 174 of 1992 (R). Decided on 16th May, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 307 सहपठित धाराएँ 34 एवं 323—हत्या, हत्या का प्रयास एवं घोर उपहति–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–घटना स्थल सूचक के घर के ठीक बगल में है और तद्नुसार, गवाह स्वाभाविक गवाह हैं जिनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है–गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य डॉक्टर के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित है–समस्त के सामान्य आशय को अग्रसर करने में मृतक पर एवं सूचक पर भी प्रहार करने और उनको घायल करने के जीवित अपीलार्थियों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट कथन की दृष्टि में अपीलार्थी के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 302/34 तथा धारा 307/34 के अधीन अपराध का मामला स्पष्टतः बनता है–भा० दं० सं० की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंततः अभिपुष्ट।(पैराएँ 11, 14 से 17)

निर्णयज विधि.–(1987) 1 SCC 679; 1994 Supp (2) SCC 289, (2008) 16 SCC 99; 2004 (1) East Cr. C. 557 (Jhr)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Pankaj Kumar Dubey, For the Appellants; M/s Satish Kumar Keshari, For the State.

एच० सी० मिश्रा, न्यायमूर्ति–जीवित अपीलार्थियों हरिहर भुइयाँ एवं सुदेश्वर भुइयाँ के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थीगण एस० टी० सं० 172 वर्ष 1990 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 को विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा इन अपीलार्थियों को दो अन्य सह–अपीलार्थियों जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 सह–पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। अपीलार्थी हरिहर भुइयाँ को अ० सा० 3 कालो देवी पर प्रहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया था। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था और अन्य अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था?

3. आरंभ में ही यह कथन किया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी हरिहर भुइयाँ की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसे उस अपराध के लिए आरोपित भी नहीं किया गया था और उस अपराध के लिए आरोप विरचित किए बिना और उसके लिए विचारण किए बिना उसे इसके लिए दोषसिद्ध किया गया है। अन्य दो अपीलार्थियों भीखू भुइयाँ एवं महीपत भुइयाँ की मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी और तद्नुसार 11.8.2016 के आदेश द्वारा उनके प्रति अपील उपशमनित हो गयी।

4. अभियोजन मामले के अनुसार, 16.5.1989 को प्रात: लगभग 8 बजे सूचक प्रभुवन भुइयाँ अपने घर के बगल में राज्य हैन्ड पंप पर नहाने गया था, जब यह अभिकथित किया गया है कि भीखू भुइयाँ (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) टांगी से लैस होकर आया और उसके मस्तक एवं कंधा पर प्रहार किया और उसे घायल किया। अन्य तीन अपीलार्थीगण हरिहर भुइयाँ, सुदेश्वर भुइयाँ एवं महीपत भुइयाँ (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) भी लाठी से लैस होकर वहाँ आए और सूचक पर प्रहार किया। हल्ला करने पर, उसका पिता रमन भुइयाँ उसे बचाने आया, जिसपर भीखू भुइयाँ ने उस पर टांगी से प्रहार किया और उसे घायल किया और अन्य तीन अपीलार्थियों ने भी उस पर लाठी से प्रहार किया और उसे बुरी तरह घायल किया। प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि सूचक के परिवार के सदस्यों ने भी घटना देखा था और घटना पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण हुई थी। दोनों घायलों को रिक्शा पर पुलिस थाना लाया जा रहा था, किंतु सूचक के पिता की मृत्यु रास्ता में हो गयी। तत्पश्चात्, सूचक मृत शरीर के साथ पुलिस थाना आया और प्राथमिकी दर्ज किया जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 324 एवं 323 के अधीन अपराधों के लिए लेसलीगंज पी॰ एस॰ केस सं॰ 30 वर्ष 1989, जी॰ आर॰ सं॰ 612 वर्ष 1989 के तत्सम, दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

5. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था। अभियुक्त भीखू भुइयाँ (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और शेष तीन अभियुक्तों के विरुद्ध धाराओं 307/34 के अधीन उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से प्रभुवन भुइयाँ को उपहति कारित करने के लिए पृथक आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर एवं विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। यह प्रतीत होता है कि चूँकि प्राथमिकी में अ॰ सा॰ 3 कालो देवी को कोई उपहति कारित करने का अभिकथन नहीं था, इसके लिए किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था।

6. विचारण के क्रम में अभियोजन ने 12 गवाहों का परीक्षण किया। मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और तद्नुसार प्राथमिकी, अभिग्रहण सूची एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट औपचारिक गवाह पूरणचंद सिंह द्वारा सिद्ध किया गया है जिसका परीक्षण सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के रूप में किया गया था। अ॰ सा॰ 6 भगवानो देवी को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 8 प्रभुवन भुइयाँ मामले का सूचक है, जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है उसने कथन किया है कि घटना के दिन प्रात: लगभग 8 बजे वह स्नान करने स्टेट हैंड पंप पर गया था जब भीखू भुइयाँ वहाँ टांगी से लैस होकर वहाँ आया और उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसके मस्तक पर प्रहार किया। अभियुक्तगण महीपत भुइयाँ, हरिहर भुइयाँ एवं सुदेश्वर भुइयाँ भी वहाँ आए और उन्होंने ने भी उस पर अंधाधुंध लाठी से प्रहार किया। उसके द्वारा हल्ला किए जाने पर उसकी पत्नी कालो

देवी उसे बचाने आयी जब हरिहर भुइयाँ ने उस पर लाठी से प्रहार किया। उसकी माता पूना देवी, राधिका देवी एवं बिरो भुइयाँ भी वहाँ आए और शोर मचाया जिस पर उसका पिता जो निकट के खेत में पशुओं की देखभाल कर रहा था, उसे बचाने आया जिस पर अभियुक्तगण उस पर भी प्रहार करने लगे। भीखू भुइयाँ ने उस पर टांगी से प्रहार किया जबकि हरिहर भुइयाँ, सुदेश्वर भुइयाँ एवं महीपत भुइयाँ ने उस पर लाठी से प्रहार किया और उसे बुरी तरह घायल किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण भाग गए। इस गवाह की पत्नी ने चौकीदार को बुलाया और दो रिक्शा मंगवाया गया था जिस पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया था किंतु जब वे जगतपूरवा मोड़ पहुँचे, सूचक के पिता की मृत्यु हो गयी थी और तत्पश्चात वे पुलिस थाना आए और इस गवाह ने अपना बयान दिया जिसे दर्ज किया गया था और उसने इस पर अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने कथन किया है कि उसका और उसकी पत्नी का अस्पताल में इलाज किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि घटना पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण हुई थी। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। यद्यपि बचाव द्वारा इस गवाह का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया है, किंतु लघु अंतरों के सिवाए उसके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है ताकि उसका परिसाक्ष्य त्यक्त किया जा सके।

8. अ॰ सा॰ 1 बीरो भुइयाँ सूचक का मामा है। अ॰ सा॰ 3 कालो देवी सूचक की पत्नी है। अ॰ सा॰ 4 पूना देवी सूचक की माता है और मृतक की पत्नी है। अ॰ सा॰ 5 राधिका देवी सूचक के छोटे भाई की पत्नी है। उन सबों ने अ॰ सा॰ 8 प्रभुवन भुइयाँ द्वारा यथाकथित अभियोजन मामले के बारे में कमोबेश वही विवरण देते हुए अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 2 बाल कुअँर भुइयाँ जो सूचक का अन्य मामा है और अ॰ सा॰ 7 महंगू भुइयाँ जो सूचक का साला है ने भी अनुश्रुत गवाह के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है क्योंकि वे घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन्होंने घटना के बारे में सूचना पाने पर जगतपूरवा मोड़ पर मृतक का मृत शरीर देखा था।

9. अ॰ सा॰ 10 रामजीत भुइयाँ रिक्शा चालकों में से एक है जिसके रिक्शा पर घायल को अस्पताल ले जाया गया था और उसने कथन किया है कि जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, मृतक की रास्ते में मृत्यु हो गयी और उन्हें पुलिस थाना लाया गया था। अ॰ सा॰ 11 सीताराम भुइयाँ दूसरा रिक्शा चालक है, किंतु यह गवाह पक्षद्रोही बन गया है।

10. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ कामेन्द्र सिंह है, जिन्होंने 17.5.1989 को प्रात: 10 बजे मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया था:–

(i) vnj dh ekli'kh dh fonh.krk ,o nkuk vfLFk;k d ÝDpj dh vkj y tkr g, ,Mh d tkM d 4" mij ck,j ij dh fonh.k migfrA

(ii) 3" l 1" l 1 x 1½" rd vyx vyx vkdkj oky nk,j ij ij vud fonh.k migfr;kA leLr migfr;k ekli'kh rd xgjh FkhA

(iii) ck;h ckg ij 1" x 1/2" x 1/2" dh fonh.k migfrA

(iv) xnu ,o pgj ij ltuA foPNnu dju ij xky d ck, Hkkx ij efDlyk ,o efMCy dk ,fpekfll ,o ÝDpj ik;k x;k FkkA

(v) ck, VEikjy vfLFk d ÝDpj dh vkj y tkr g, ck, dku d Bhd mij [kkiMh d ck, fgLlk ij fonh.k migfrA cu d foPNnu dju ij ;g fuLrt ik;k x;k FkkA

उन्होंने कथन किया है कि मृत्यु का कारण टांगी एवं लाठी के भोथरे भाग जैसे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित पूर्वोल्लिखित उपहतियों द्वारा कारित आघात एवं हेमरेज के कारण था। उन्होंने यह कथन भी किया है कि समस्त उपहतियाँ प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण का पहचान किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि उपहति सं॰ (iii) अकेला एवं व्यक्तिगत रूप से प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इसी प्रकार से उपहति सं॰ (i) एवं (ii) भी अकेले मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जबकि उपहति सं॰ (iv) अकेले तुरन्त मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने मृतक पर कोई 'कटने का जख्म नहीं पाया था।

11. अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ राकेश कुमार सिन्हा चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने सूचक की पत्नी कालो देवी का और सूचक प्रभुवन भुइयाँ का भी 16.5.1989 को परीक्षण किया था। कालो देवी पर उन्होंने निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

(i) nk,¡ vxckg d dykb d Åij 1" x 1/2" dk ltuA

(ii) ck,¡ gkFk d Mkjle ij 1" x 1" dk ltuA

दोनों उपहतियाँ लाठी जैसे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी और सरल प्रकृति की थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में कालो देवी की उपहति रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

प्रभुवन भुइयाँ पर उन्होंने निम्नलिखित उपहतियाँ पायी थीं:–

(i) jDr çokg d lkFk ck,¡ ,fDlyk ij 3" x 1" x 1/2" dk dVu dk t[eA

(ii) ck,¡ vxckg ij 2" x 1/2" x Qfl;k rd xgjk ,d dVu dk t[eA

(iii) nk,¡ ijkbVy {k= ij 1" x 1/2" x Ropk rd xgjk fonh.k t[eA

(iv) dkguh d uhp ck,¡ vxckg ij 1" x 1/2" x Ropk rd xgjk fonh.k t[eA

(v) nk,¡ gkFk dh rtuh ,o eè;ek mxyh d chp 1" x fojkèkh fdukjk x 1/2" xgjk dVu dk t[eA

(vi) ,dy ikLVhfj;j lrg d mij nk,¡ ij e 1" x 1" dk [kjkpA

(vii) migfr l0 (vi) d 1" ik'o 2" vkdkj d [kjkp ij 2" x 1" dk [kjkpA

(viii) ck,¡ lçk Ldkiyj {k= d 3" x 1" mij vkj ck,¡ Ldkiyk d mij 4" x 1/2" d nk fyfu;j [kjkpA

उन्होंने कथन किया है कि उपहति सं॰ (i), (ii) एवं (v) टांगी जैसे तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी जबकि उपहति सं॰ (iii), (iv), (vi), (vii) एवं (viii) लाठी जैसे कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी। उपहति (i) एवं (vii) सरल प्रकृति की थी, किंतु उपहति सं॰ (viii) के संबंध में मत एक्सरे जिसे उसके समक्ष नहीं लाया गया था के कारण आरक्षित रखा गया था। उन्होंने सूचक प्रभुवन भुइयाँ के उपहति रिपोर्ट को पहचाना है जिसे प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया है।

12. बचाव की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से ब॰ सा॰ 1 बिकाउ भुइयाँ एवं ब॰ सा॰ 2 सच्चिदानंद शुक्ला अभियुक्त महीपत भुइयाँ (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) के अन्यत्र होने के अभिवचन के बिन्दु पर गवाह हैं, और वे अब अधिक महत्व के नहीं हैं। ब॰ सा॰ 3 भर्दुल भुइयाँ ने अभिसाक्ष्य दिया है कि कोई निहोरा शुक्ला घटना के पहले सूचक के घर में घुसा था और सूचक के भाई प्रदीप भुइयाँ की पत्नी की मर्यादा भंग किया था, जिसके लिए पुलिस मामला संस्थित किया गया था।

बचाव का मामला यह है कि घटना इस मामले के कारण हुई थी। ब॰ सा॰ 4 महेश प्रसाद औपचारिक गवाह है जिसने दोनों मामलों की प्राथमिकी एवं आरोप पत्र सिद्ध किया था जिन्हें क्रमशः प्रदर्श A श्रृंखला एवं प्रदर्श B श्रृंखला चिन्हित किया गया था।

13. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यद्यपि गवाहों द्वारा कथन किया गया है कि पड़ोस के लोग जमा हुए थे, किंतु इस मामले में स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि समस्त गवाह सूचक के परिवार का सदस्य होने के कारण हितबद्ध गवाह हैं और केवल उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि गवाहों के साक्ष्य में अंतर है और चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि किसी तेजधार वाले हथियार द्वारा कारित उपहति मृतक के शरीर पर नहीं पायी गयी थी, यद्यपि टांगी द्वारा उस पर प्रहार का विनिर्दिष्ट अभिकथन है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि मामले के अन्वेषण अधिकारी का मामले में परीक्षण नहीं किया गया है जिसने बचाव पर प्रतिकूलता कारित किया है। किंतु विद्वान अधिवक्ता आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण के कारण बचाव पर प्रतिकूलता कारित होने के बारे में साक्ष्य से कुछ भी इंगित नहीं कर सके थे। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **अमर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1987)1 SCC 679, मनिराम एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, 1994 Supp (2) SCC 289; कपिलदेव मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2008)16 SCC 99,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा **गोविद शाह बनाम झारखंड राज्य, 2004 (1) East Cr. C. 557 (Jhr.)** एवं अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है।

14. दूसरी ओर, अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले के चश्मदीद गवाह स्वाभाविक गवाह हैं जो परिवार का सदस्य होने के कारण घटना के समय पर सूचक को बचाने आए थे। घटना स्थल सूचक के घर के ठीक बगल में है और तद्नुसार, ये गवाह स्वाभाविक गवाह हैं जिनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य पूर्णतः अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ कामेन्द्र सिंह एवं अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ राकेश कुमार सिन्हा के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है। यद्यपि मृतक पर केवल विदीर्ण जख्म थे किंतु डॉक्टर ने कथन किया है कि यह टांगी के भोथरे भाग द्वारा कारित किया जा सकता था और उपहतियाँ सामूहिक रूप से मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी जबकि एक उपहति निजी रूप से मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। सूचक पर टाँगी जैसे तेज धारदार हथियार द्वारा कारित और लाठी जैसे कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित उपहतियों सहित अनेक उपहतियाँ पायी गयी थी, जो अभियोजन मामला पूर्णतः संपुष्ट करती हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि इन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि सूचक प्रभुवन भुइयाँ जिसका परीक्षण अ॰ सा॰ 8 के रूप में किया गया था ने पूर्णतः अभियोजन मामले का समर्थन किया है। यद्यपि इस गवाह ने कथन किया है कि अपीलार्थी हरिहर भुइयाँ द्वारा उसकी पत्नी पर भी प्रहार किया गया था और उसकी उपहति रिपोर्ट मामले में सिद्ध की गयी है किंतु तथ्य बना रहता है कि प्राथमिकी में यह अभिकथन नहीं है और इस साक्ष्य के लिए आरोप भी विरचित नहीं किया

गया था। किंतु, जहाँ तक अभियुक्तों द्वारा स्वयं पर एवं उसके मृतक पिता पर प्रहार के अभिकथन का संबंध है, इस गवाह ने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है और यह साक्ष्य अ॰ सा॰ 1 बीरो भुईयाँ, अ॰ सा॰ 3 कालो देवी, अ॰ सा॰ 4 पूना देवी एवं अ॰ सा॰ 5 राधिका देवी द्वारा भी पूर्णत: समर्थित है जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 2 बाल कुअँर भुइयाँ और अ॰ सा॰ 7 महंगू भुइयाँ ने भी अनुश्रुत गवाह के रूप में मामले का समर्थन किया है क्योंकि उन्हें घटना के बारे में सूचित किया गया था और वे जगतपूरवा मोड़ पहुँचे, जहाँ उन्होंने रिक्शा पर मृतक का मृत शरीर और घायल सूचक एवं उसकी पत्नी को देखा। एक रिक्शा चालक अ॰ सा॰ 10 रामजीत भुइयाँ ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि पीड़ितों को दो रिक्शों पर ले जाया जा रहा था और रास्ते में मृतक की मृत्यु हो गयी। ये चाक्षुक साध्य पूर्णत: अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ कामेन्द्र सिंह एवं अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ राकेश कुमार सिन्हा के चिकित्सीय साक्ष्य एवं मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट एवं सूचक के उपहति रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट किए गए है जिन्हें क्रमश: प्रदर्श 1 एवं 2/1 के रूप में सिद्ध किया गया है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि मृतक एवं सूचक पर लाठी द्वारा प्रहार किए जाने और सबों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में उनको घायल करने के बारे में जीवित अपीलार्थियों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन की दृष्टि में उनके विरुद्ध मृतक रमन भुइयाँ की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन और सूचक प्रभुवन भुइयाँ पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से प्रहार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध स्पष्टत: बनता है। पहले ही उक्त कथित कारणों से अ॰ सा॰ 3 कालो देवी को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी हरिहर भुइयाँ की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है।

16. तद्नुसार, हम एतद् द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपीलार्थी हरिहर भुइयाँ की दोषसिद्धि एतद् द्वारा अपास्त करते हैं, किंतु मृतक रमन भुइयां की मृत्यु कारित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए इन दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से सूचक प्रभुवन भुइयाँ को उपहति कारित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि एतद् द्वारा संपुष्ट की जाती है। हम एस॰ टी॰ सं॰ 172 वर्ष 1990 में पूर्वोक्त सीमा तक विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित दिनांक 5.9.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

17. परिणामस्वरुप, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं, और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है। दोनों अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनका जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है। उन्हें दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय को अपीलार्थियों को दंडादेश भुगतने के लिए प्रस्तुत होने/आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

18. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

सीताराम भुइयाँ

cuke

इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P.(S) Nos. 1959 of 2014. Decided on 7th April, 2017.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–याची मृतका कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हो गयी का पति है–अनुकंपा पर नियुक्ति निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग भविष्य में किसी समय पर किया जा सकता है–समय बीतने के बाद एवं संकट समाप्त होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है और इसका प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है–अनुकंपा आधारों पर नियुक्ति के लिए प्रावधान बनाने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हो गयी के आश्रितों को राहत पहुँचाना है–ऐसा दावा इप्सित करने में विलंब उस प्रयोजन का विरोधी है जिसके लिए अनुकंपा नियुक्ति की परिकल्पना की गयी थी–ऐसा दावा करने में विलंब प्राप्त किए जाने के लिए इप्सित उद्देश्य के विरोधाभासी है–अब तक 27 वर्ष बीत चुके हैं और इस दशा में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उत्तरजीवी दावा नहीं हो सकता है–अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याची का दावा विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–2009 (13) SCC 112; (1994) 4 SCC 138; 1997 (11) SCC 390; 1998 (9) SCC 485; 2004 (7) SCC 265; 1995 (6) SCC 476; 1996 (8) SCC 23; 1998 (2) SCC 412; (1994) 4 SCC 138—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tiwari, For the Petitioner; Mr. Rajesh Lala, For the Respondents;

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री महेश तिवारी एवं प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला सुने गए।

2. वर्तमान रिट आवेदन दाखिल करके याची ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना किया है:–

"(i) ;kph dh lok] ftl çnku fd;k tkuk Fkk fdr ftl e[;ky; }kjk fnukd 26.7.1994/12/22.11.1994 d viu i= d rgr eneu dkfy;jh d çcèkd dk ykVk fn;k x;k Fkk ftld ckn mldh iRuh ftldh eR; lokjr jgr gk x;h vFkkr Jherh Lo0 fctkyk Hkb;k] ,Dl LVd ykMj] eneu dkfy;jh d LFkku ij ;kph lhrkjke Hkb;k dk vudik vkèkkj ij lok çnku ugh dh x;h Fkh] l lcfèkr leLr vfHky[kk dk bl ekuuh; U;k;ky; dk Hktu d fy, çR;fFk;k fo'k"kr% çR;Fkh lO 4 ,o 5 dk vkKk nr g, ijekn'k çÑfr d lefpr fjV d fy,A

(ii) rRi'pkr] viuh ekrk fctkyk Hkb;k ftldh eR; lokjr jgr gk x;h d cny dkfy;jh dh lok e fu;ktu d fy,] ftld fy, fu;ktu dh çkFkuk firk lhrk jke Hkb;k dh vkj l dh x;h Fkh] fdr ckn e] dkxt okil dj fn, x, Fk vkj vc firk u vk; ikj dj fy;k g] bl n'kk e jk"Vh; dk;yk etnjh djkj d çkoèkkuk d vulkj ;kph lhrkjke Hkb;k d i= d fy, fu;ktu dh ekx dh tk jgh g] ;kph d i= vFkkr dUgkb Hkb;k d ekey ij fopkj dju d fy, çR;fFk;k dk vkx fun'k nu d fy,A

*(iii) oreku ;kph d i= vFkkr dUgkb Hkb;k dk ,u0 lh0 MCY;0 ,0 d çkoèkkuk d vulkj rjUr fu;ktu çnku dju d fy, çR;fFk;k dk vkKk nr g, ijekn'k çÑfr d fjV d fy, D;kfd mldh ekrk dh eR; eneu dkfy;jh e lokjr jgr g, gk x;hA***

3. रिट आवेदन में यथा कथित याची का मामला यह है कि याची की पत्नी अर्थात् बिजोला भुइयाँ मेसर्स इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मगमा क्षेत्र के अधीन मंदमन कोलियरी में स्टैकर/लोडर थी। उक्त बिजोला भुइयाँ का पहला विवाह किसी जगदीश भुइयाँ के साथ हुआ था और उनके विवाह से एक पुत्र प्रकाश भुइयाँ का जन्म हुआ है। जगदीश भुइयाँ की मृत्यु वर्ष 1982 में हो गयी और तत्पश्चात, उसने वर्ष 1984 में वर्तमान याची के साथ दूसरा विवाह किया और उनके विवाह से वर्ष 1985 में कन्हाई भुइयाँ का जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश, उक्त बिजोला भुइयाँ की मृत्यु कर्तव्य पर रहते हुए सेवारत रहते हो गयी थी और वह अपने पीछे निम्नलिखित सदस्यों को अपने विधिक उत्तराधिकारियों/आश्रितों को छोड़ गयी है:–

(a) lhrkjke Hkb;k (mldk ifr)

(b) çdk'k Hkb;k (mld igy fookg l mldk i=)

(c) dUgkb Hkb;k (mld nlj ifr oreku ;kph l mldk i=)

बिजोला भुइयाँ की मृत्यु के बाद, वर्तमान याची को सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ राशि का भुगतान भी किया गया था। तत्पश्चात, याची ने एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के खंड 9.4.3 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के मुताबिक अनुकंपा आधार पर अपने नियोजन के लिए आवेदन दिया, जिसमें विनिर्दिष्ट प्रावधान है कि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उक्त कर्मचारी के आश्रित को नियोजन दिया जाना है। याची द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद, मंदमन कोलियरी के प्रबंधक को दिनांक 28/29.7.1993 के पत्र के तहत वर्तमान याची को उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद दी जाने वाली नियुक्ति के संबंध में संपूर्ण परिदृश्य से अवगत कराया गया था। अंत में, दिनांक 26.7.1994/19/22.11.1994 के पत्र द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में वर्तमान याची की संपूर्ण फाइल को कार्मिक प्रबंधक (I/c) मगमा क्षेत्र को लौटा दिया गया था। मेसर्स इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नोटशीट सं॰ 160 के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का मामला संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान याची की पत्नी की मृत्यु कर्तव्य पर सेवारत रहते हुए हो गयी और अनुकंपा नियुक्ति के प्रदान के लिए उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था और अंततः, याची प्रत्यर्थियों की ओर से उपेक्षा एवं ढिलाई के कारण आयु सीमा के पार चला गया। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी संविधि का सृजन होने के नाते इसके परे कृत्य नहीं कर सकते हैं। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को याची को नियोजन प्रदान करने के लिए मामला दबाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिस कारण याची आयु सीमा के पार चला गया। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ का पक्षों पर बाध्यकारी प्रभाव है, जिन्होंने हस्ताक्षर किया है और इसलिए, चूँकि याची आयु सीमा के पार चला गया है, उसका पुत्र एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन नियोजन का हकदार है।

विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के खंड 9.4.3 के अधीन नियोजन का हकदार था। याची ने अपने पुत्र कन्हाई भुइयाँ को नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थियों के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एवं कोयला मंत्रालय के समक्ष भी अभ्यावेदन दिया, किंतु आज

की तिथि तक प्रत्यर्थी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए मामले की उपेक्षा कर रहे हैं। याची के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय का ध्यान रिट आवेदन के परिशिष्टों 9 एवं 10 की ओर आकृष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकार किया गया है कि कन्हाई भुइयाँ का जन्म 1984 में बिजोला भुइयाँ एवं सीताराम भुइयाँ के विवाह से हुआ था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार की दृष्टि में याची का पुत्र अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का हकदार है क्योंकि अवयस्क का नाम जीवित रोस्टर पर रखने और वयस्कता प्राप्त करने के बाद इस पर विचार करने का प्रावधान है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का जोरदार विरोध एवं निवेदन करते हैं कि श्रीमती बिजोला भुइयाँ की हत्या 18.1.1987 को की गयी थी और उसकी हत्या के संबंध में उसके पति सीताराम भुइयाँ (याची) को जी॰ आर॰ केस सं॰ 28 वर्ष 1987 (एस॰ टी॰ केस सं॰ 66 वर्ष 1987) के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। तत्पश्चात, याची को पूर्वोक्त दांडिक मामले से विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा दिनांक 16.6.1989 के अपने आदेश द्वारा दोषमुक्त किया गया था। अपने सेवा के दौरान स्व॰ बिजोला भुइयाँ ने ब्लॉक वर्ष 1983-86 के लिए ''एल॰ टी॰ सी॰/एल॰ एल॰ टी॰ सी॰ घोषणा फॉर्म'' दाखिल किया था, जिसमें निम्नलिखित नाम उल्लिखित किए गए थे:–

(a) fctkyk Hkb;k&33 o"k

(b) çdk'k Hkb;k&i=&13 o"k

(c) ejkuh Hkb;k&ekrk&56 o"k

(d) vdky Hkb;k&firk&62 o"k

किंतु, वर्ष 1990 में इस याची ने दावा किया है कि वह स्व॰ बिजोला भुइयाँ का पति है और एन॰ सी॰ डब्लू॰ ए॰ III के प्रावधानों के अनुसार उसने 10.8.1989 को सेवारत रहते हुए अपनी पत्नी की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना दावा किया। इसके समर्थन में, याची ने कार्यपालक दंडाधिकारी, आसनसोल के समक्ष शपथ पत्र भी दिया था, जिसमें याची द्वारा यह कथन किया गया था कि उसने स्व॰ जगदीश भुइयाँ की पत्नी अर्थात् स्व॰ बिजोला भुइयाँ के साथ 2 फरवरी, 1984 को विवाह किया था। उक्त शपथ पत्र में यह कथन भी किया गया है कि जगदीश भुइयाँ स्व॰ बिजोला भुइयाँ का पहला पति है और उसकी मृत्यु 3.10.1982 को हुई। किंतु, बिजोला भुइयाँ ने अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान, इन तथ्यों को प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा रखे गए उसके आधिकारिक सेवा अभिलेख में उल्लेख नहीं पाते हैं। याची की आयु में अंतर है, जैसा न्यायालय के आदेश एवं उसके द्वारा अन्य कागजातों में अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा करते हुए उल्लेख किया गया है।

दावा की वास्तविकता के बारे में ऐसे भ्रम के कारण, याची की वास्तविकता के सत्यापन के लिए नियोजन फाइल संबंधित कोलियरी प्राधिकारी को लौटायी गयी थी। याची से दिनांक 15/18.10.2008 के पत्र के माध्यम से नया वैध दस्तावेज दाखिल करने का अनुरोध किया गया था किंतु उसने इस संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया था और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से विलंब नहीं है। आगे याची अपने नियोजन में दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मेहनतवाला काम करने में अक्षम था।

तत्पश्चात, याची ने अपनी पत्नी की वर्ष 1987 में मृत्यु के विरुद्ध अपने पुत्र कन्हाई भुइयाँ की अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध करते हुए 25.3.2011 को विलंबित आवेदन दिया है।

विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से याची अपनी माता जिसकी मृत्यु 1987 में ही हो गयी की मृत्यु की तिथि से 27 वर्ष की अवधि के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए इस माननीय न्यायालय के पास आया है और याची द्वारा अपने पुत्र की नियुक्ति के लिए आवेदन 2011 में अर्थात् 24 वर्ष बाद दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बदले आश्रित को नियोजन केवल तब प्रदान किया जा सकता है जब आश्रित सन्नियम एवं मापदंड परिपूर्ण करता है जैसा प्रासंगिक समय पर प्रचलित एन॰ सी॰ डब्लू॰ ए॰ द्वारा विहित किया गया है। बिजोला भुइयाँ की मृत्यु के समय पर एन॰ सी॰ डब्लू॰ ए॰ III प्रवर्तन में था और इसके प्रावधान के अनुसार उम्मीदवार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पाने के लिए 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कन्हाई भुइयाँ का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह बिजोला भुइयाँ की मृत्यु के समय पर 2 वर्ष का था और एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ III के प्रावधान के अधीन नहीं आता है। तथ्यों एवं परिस्थितियों में, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि अपने पुत्र की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने में घोर विलंब हुआ है और स्वीकृत रूप से, आवेदन मृत्यु की तिथि से 24 वर्ष बाद दिया गया है क्योंकि माता की मृत्यु 1987 में ही हो गयी और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन 2011 में दिया गया था। याची भी कर्मचारी की मृत्यु के 27 वर्ष बाद इस न्यायालय के समक्ष आया है। यह स्वयं में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए मामला के अस्वीकरण के लिए पर्याप्त आधार है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रावधान बनाने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु दुर्भाग्यवश सेवारत रहते हो गयी है पर आश्रित परिवार को राहत देना है। ऐसी मृत्यु पर, परिवार अचानक स्वयं को विपत्ति अपने एकमात्र अन्नदाता की अनुपस्थिति के कारण विपत्ति में पाता है। ऐसा दावा इप्सित करने में विलंब उस प्रयोजन का विरोधी है जिसके लिए अनुकंपा नियुक्ति परिकल्पित की गयी है। ऐसा दावा करने में विलंब प्राप्त किए जाने के लिए इप्सित उद्देश्य का विरोधाभासी है। अब तक 27 वर्ष बीत गए हैं और इस दशा में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उत्तरजीवी दावा नहीं हो सकता हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याची का दावा विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ बनाम अनिल वाद्यकर एवं अन्य, 2009 (13) SCC 112** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक प्रकाशित निर्णयों को ध्यान में लिया था। **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994)4 SCC 138** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"6. ..... bUgh dkj.kk l] vudik fu;ktu ;fDr;Dr vofèk ft l fu;ek e fofufn"V djuk gkxk] chru d ckn çnku ugh fd;k tk ldrk gA , l fu;ktu d fy, fopkj fd;k tkuk fufgr vfèkdkj ugh g ft ldk ç;kx Hkfo"; e fdlh le; ij fd;k tk ldrk gA* ***mí'; ifjokj dk foÙkh; ldV ft ldk lkeuk ;g ,dek= vUunkrk dh eR;q d le; ij djrk g ij fot; iku d fy, l{ke cukuk gku d ukr vudik fu;ktu le; chru d ckn ,o ldV lekIr gku d ckn ugh fd;k tk ldrk gA****

एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ लि॰ बनाम प्रमोद देई, (1997)11 SCC 390, में इस न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है: SCC P 393 पैरा 4:–

*"4. .... tlk bl U;k;ky; }kjk bfxr fd;k x;k g] vudEik ij fu;fDr dk mís'; erd depkjh d fuèku ifjokj dk vpkud vku oky foÙkh; ldV ij fot; iku d fy, l{ke cukuk g vkj u fd fu;ktu çnku djuk vkj depkjh dh eR;q ek= mld ifjokj dk vudEik ij fu;fDr dk gdnkj ugh cukrh gA**

एस॰ मोहन बनाम तमिलनाडू सरकार, 1998 (9) SCC 485, में न्यायालय ने कथन किया कि: (SCC P 487) Para 4).

*"4........ **mís'; ifjokj dk foÙkh; ldV ftldk lkeuk ;g ,dek= vUunkrk dh eR;q d le; ij djrk g ij fot; iku d fy, l{ke cukuk gku d ukr vudEik fu;ktu le; cmru d ckn ,o ldV lekIr gku d ckn ugh fd;k tk ldrk gA****

पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा, 2004 (7) SCC 265, में न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया था कि : (SCC P. 268 Para 4):—

*"4. .... ;g n[kk tkuk g fd vudEik vkèkkj ij fu;fDr Hkjrh dk lkr ugh g cfYd x.kkx.k ij vkonu d [ky fue=.k ij dh tk jgh fu;fDr d lcèk e vko';drk d çfr vioku gA ey vk'k; ;g g fd lcfèkr depkjh dh eR;q ij mld ifjokj dk thfodk d lkèkuk l ofpr ugh fd;k tkrk gA mís'; ifjokj dk vpkud foÙkh; ldV ij fot; iku d fy, l{ke cukuk gA**

ऐसी नियुक्ति के लिए प्राधिकारियों के पास जाने में विलंब पर इस न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम भगवान सिंह, 1995 (6) SCC 476,** में विचार किया गया था और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"8. ;g Li"V g fd bl ekey e rF; bfxr djr g fd vudEik ij fu;ktu dk vfHkopu ifjokj dk vpkud vku oky ldV vFkok foink tk dkQh igy flrcj] 1972 e ifj.kr gb ij fot; iku d fy, ifjokj dk l{ke cukuk ugh gA ml le; tc jke flg dh eR;q 12.9.1972 dk gb] mld nk o;Ld i= vkj lrkuk dh ekrk Fkh tk çdVr% ifjokj dh t:jrk dk ijk dju ;kX; Fk vkj blfy, mUgku vudEik vkèkkj ij fdlh dke d fy, vkonu ugh fn;k FkkA yxHkx 20 o"kk rd ifjokj çdVr% fdlh ef'dy d fcuk thfor gA bl i"BHkfe e] gekjk nf"Vdk.k g fd dnh; ç'kklfud vfèkdj.k u çkfèkdkfj;k dk vudEik vkèkkj ij fu;fDr d fy, çR;Fkh d ekey ij fopkj dju vkj mldk fu;fDr çnku dju] ;fn og mi;Dr ik;k tkrk g] d fy, fun'k nu e voèk :i l vkj i.kr% vfèkdkfjrk d fcuk ÑR; fd;kA**

हरियाणा एस॰ ई॰ बी॰ बनाम नरेश तनवर, 1996 (8) SCC 23 में पैरा 9 पर यह कथन किया गया था:–

*"9. me'k dekj ukxiky d fu.k; e ;g minf'kr fd;k x;k g fd vudEik ij fu;fDr ;fDr;Dr vofèk cmru d dkQh le; ckn çnku ugh fd;k tk ldrk g vkj [kyh Hkjrh d lkekU; fl)kr d vioknk d :i e] vudEik ij fu;fDr erd depkjh d ifjokj d lnL;k }kjk >yh tk jgh foÙkh; leL;k dk lkeuk dju d fy, vk'kf;r gA txnh'k çlkn ekey e bl U;k;ky; d vU; fu.k; e] ;g Hkh minf'kr fd;k x;k g fd erd depkjh ftldh eR;q lokjr jgr gkrh g d vkfJr dk fu;fDr çnku dju dk mís'; ifjokj d vUunkrk dh vpkud eR;q }kjk ifjokj dk dkfjr dfBukb ,o foink l bl HkkjeDr djuk g vkj ,lk fopkj o"kk rd ckè;dkjh ugh j[kk tk ldrk gA**

उ॰ प्र॰ राज्य बनाम पारस नाथ, 1998 (2) SCC 412, में इस न्यायालय ने पैरा 5 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"5. fdlh vU; dh çkFkfedrk e lokjr jgr er ljdkjh lod d vkfJr dk fu;ktu çnku dju dk ç;ktu lok e jgr g, mldh vçR;kf'kr eR; d dkj.k depkjh d ifjokj dk dkfjr dfBukb dk de djuk gA ifjokj dk foink l mckju d fy, , lh fu;fDr vudik vkèkkj ij vuK; g ijUr ;g fd , lh fu;fDr çkoèkkfur dju oky fu;e gkA ç;ktu erd ljdkjh lod d ifjokj dk Rofjr foÙkh; lgk;rk çnku djuk gA bue l dkb Hkh fopkj çofrr ugh gk ldrk g tc le; dh ych vofèk d ckn tlk bl oreku ekey e 17o"k ckn fd;k x;k g vkonu fn;k tkrk gA***

उक्त उपदर्शित सिद्धांत स्पष्ट संकेत देंगे कि अनुकंपा पर नियुक्ति निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग भविष्य में किसी समय पर किया जा सकता है। समय बीतने और संकट समाप्त होने के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा एवं प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है।

7. वर्तमान मामले में, कर्मचारी की मृत्यु सेवारत रहते वर्ष 1987 में हो गयी और मृतक के आश्रितों द्वारा लंबे समय तक झगड़ा के बाद, वे समझौते पर आए हैं कि पिता आयु सीमा पार कर चुका है, पुत्र जो बेरोजगार है अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध इस आधार पर स्वीकार किया जा था कि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से लगभग 27 वर्ष बाद मृतक कर्मचारी के तथाकथित आश्रित को ऐसी नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है।

8. मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, नियोक्ता का निर्णय पूर्वोक्त निर्णयों विशेषत: **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994)4 SCC 138** के निर्णय के अनुकूल था। विधि के सुनिश्चित सिद्धांतों, नियमों, दिशा-निर्देशों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि रिट याचिका में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o Mk ,l ,u ikBd] U;k;efrx.k

करमन मंडल एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 385 of 1992(P). Decided on 16th May, 2017.

सत्र मामला सं॰ 59 वर्ष 1991/3 वर्ष 1991 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 9.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.9.1992 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 304B एवं 201—दहेज मृत्यु–साक्ष्य छिपाया जाना–आजीवन कारावास–एक अपीलार्थी जो मृतका का देवर है के विरुद्ध सामान्य अभिकथन है–प्राथमिकी में ससुर एवं पति के विरुद्ध दहेज मांगने और इसके लिए मृतका को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का अभिकथन है–समस्त गवाहों के साक्ष्य में केवल सामान्य

अभिकथन है कि ससुराल वाले उसको दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करते थे और अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट कुछ भी नहीं है–अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन एवं साक्ष्य नहीं होने के कारण यह अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है और उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश ससुराल वालों के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथनों के आधार पर सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी–अपीलार्थी के संबंध में जो मृतका का पति है, उसके विरुद्ध दहेज मांगने और दहेज मांग के लिए अपनी पत्नी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है–मामले के आई॰ ओ॰ ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि उसने अस्थियों सहित अन्य जली सामग्रियों एवं जली चारपाई के रूप में सकारात्मक साक्ष्य पाया था जो स्पष्टतः सुझाते थे कि मृतक की हत्या जला कर की गयी थी और अपराधियों को विधिक दंड से बचाने के लिए साक्ष्य गायब करने के आशय से उसका मृत शरीर छुपे रूप से ठिकाने लगाया गया था–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश आंशिक रूप से अभिपुष्ट। (पैराएँ 17 से 21)

अधिवक्तागण.–Mr. Sidhartha Ray, For the Appellant; Mr. Krishna Shankar, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील दिनांक 3.5.2017 के आदेश के तहत सह-अपीलार्थियों बाजो मंडल एवं बिजो देवी जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है के प्रति उपशमनित हो गयी है।

3. उत्तरजीवी अपीलार्थीगण करमन मंडल एवं मूसो मंडल विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा सत्र मामला सं॰ 59 वर्ष 1991/3 वर्ष 1991 में पारित दिनांक 9.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.9.1992 के दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा उत्तरजीवी अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करने पर, अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

4. अपीलार्थी करमन मंडल मृतका का पति है और अपीलार्थी मूसो मंडल मृतका का देवर है। सह-अपीलार्थीगण बाजो मंडल एवं बिजो देवी जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है मृतका के सास-ससुर थे। अभियोजन मामला के अनुसार, लगभग 18 वर्षीया मृतका शीला देवी का विवाह अपीलार्थी करमन मंडल के साथ वर्ष 1987 में हुआ था। मृतका के पिता सूचक तरनी मंडल द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अभिकथित किया गया है कि उसके विवाह के बाद अभियुक्तगण बाजो मंडल (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) एवं करमन मंडल दहेज मांगते थे और वे इसके लिए उस पर प्रहार भी किया करते थे। घटना के लगभग एक वर्ष पहले उन्होंने मृतका की हत्या करने के लिए उसको जहर भी दिया था। सीता राम मंडल जो सूचक तरनी मंडल का साला है 25.11.1990 को उसके घर आया और सूचित किया कि उसे उसके दामाद द्वारा सूचित किया गया था कि सूचक की पुत्री की हत्या उसके ससुराल में कर दी गयी थी और

उसके मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया था। सूचना पाने पर, सूचक अपने पुत्र दामोदर मंडल, भाई धरनीधर मंडल एवं साला सीता राम मंडल के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया, किंतु महिलाओं जो उनके देखने पर भाग गयी, के सिवाए घर में किसी को नहीं पाया था। बाजो मंडल के बड़े पुत्र धनेश्वर मंडल जो अलग रहता था से जब घटना के बारे में पूछा गया, वह भी भाग गया। किंतु, बाजो मंडल के बड़े भाई राजो मंडल ने सूचित किया कि पिछली रात घर में कुछ झगड़ा हुआ था और मृतका की मृत्यु जलने से हो गयी और उसके मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया था। यह अभिकथित करते हुए कि मृतका की दहेज मृत्यु अभियुक्तों बाजो मंडल, बिजो देवी जो सास-ससुर थे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है), करमन मंडल पति और मूसो मंडल देवर द्वारा कारित की गयी थी और साक्ष्य विनष्ट करने के लिए मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया था, सूचक तरनी मंडल द्वारा फर्दबयान दिया गया था जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201/34 के अधीन अपराधों के लिए सारथ पी॰ एम॰ केस सं॰ 152 वर्ष 1990 संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया।

5. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों के निर्दोषिता के अभिवचन एवं विचारण किए जाने के दावा पर उनका विचारण किया गया था।

6. विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से दस गवाहों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से केवल अ॰ सा॰ 6 रिन्कू देवी को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 8 तरनी मंडल मामले का सूचक है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री शीला का विवाह करमन मंडल के साथ वर्ष 1987 में हुआ था और दहेज में कलाई घड़ी तथा चांदी के गहने की मांग के लिए उसके ससुरालवालों द्वारा क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। उसने यह कथन भी किया है कि घटना के एक वर्ष पहले, अभियुक्तों ने उसको जहर दिया था। सीताराम मंडल 25.11.1990 को आया और उसकी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचित किया, जिस पर वह अपने पुत्र दामोदर मंडल और सीता राम मंडल के साथ उसके ससुराल गया जहाँ वे अगले दिन प्रातः लगभग 9 बजे पहुँचे। घर में पुरुष सदस्य उपस्थित नहीं था और महिलाएँ भी भाग गयी। जब उन्होंने बाजो मंडल के पुत्र धनेश्वर मंडल से घटना के बारे में पूछा, वह भी भाग गया। बाजो मंडल के भाई राजो मंडल ने सूचित किया कि रात में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और तत्पश्चात, उसे जलाया गया था। कुछ समय बाद, पुलिस घटना स्थल पर आयी, जहाँ उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया, जिसे प्रदर्श 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया था। पुलिस ने घर से कुछ जली सामग्रियों को भी बरामद किया है। उसने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। अपने प्रति-परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जिसकी मृत्यु पहले ही हो गयी थी। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन भी किया गया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन कर रहे थे और इस गवाह की उपस्थिति में उस पर उसके पति द्वारा प्रहार भी किया गया था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

8. अ॰ सा॰ 5 मृतका की माता पार्वती देवी है। उसने यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री का 15-16 वर्ष की आयु में करमन मंडल के साथ हुआ था और अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या की गयी थी। सीताराम मंडल के माध्यम से सूचना पाने पर उसका पति, पुत्र एवं अन्य व्यक्ति उसके ससुराल गए जहाँ

उसकी मृत्यु हुई थी। उसने यह कथन भी किया कि जब कभी भी मृतका अपने माएका आती थी, वह शिकायत करती थी कि दहेज मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था। घटना के पहले जब यह गवाह बासुकी नाथ गयी थी, वह वहाँ उसी गाँव के अकलू मंडल की पत्नी से मिली थी, जिसने उसको अपनी पुत्री को उसके ससुराल से वापस लाने के लिए कहा था अन्यथा अभियुक्तगण उसकी हत्या कर देंगे। उसने भी अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि विवाह के बाद उसकी पुत्री ने पुत्र को जन्म दिया था। उसने यह कथन भी किया है कि जब कभी भी वह उसके घर आती थी, वह शिकायत करती थी कि अभियुक्तगण दहेज मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करते थे और घटना के लगभग एक वर्ष पहले भी उसे अभियुक्तों द्वारा जहर दिया गया था, जब उसे अपने मायका लाया गया था। अभियुक्तगण लिखित में पंचनामा देने के बाद उसे वापस उसके दांपत्य गृह ले गए। उसने भी झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

9. अ॰ सा॰ 1 दामोदर मंडल मृतका का भाई है और उसने भी अभियोजन मामले का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि उसकी बहन का विवाह करमन मंडल के साथ हुआ था और जब कभी भी वह अपने मायका आती थी, वह शिकायत करती थी कि उसके ससुराल वाले कलाई घड़ी एवं गहनों की मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया करते थे। सीताराम मंडल ने 25.11.1990 को उनको घटना के बारे में सूचित किया था, जिस पर वे उसकी बहन के ससुराल गए जहाँ उन्हें सूचित किया गया था कि पिछली रात झगड़ा हुआ था और उसकी बहन को जलाकर मार दिया गया था। उसने कथन किया है कि उसके पिता का बयान उसकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था, जिस पर उसके पिता और इस गवाह ने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे उसने पहचाना और उन्हें प्रदर्श–1श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया था। उसके प्रति परीक्षण में कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

10. अ॰ सा॰ 3 सीताराम मंडल सूचक का साला है, जिसने सूचक को घटना के बारे में सूचित किया था, जिस तथ्य का समर्थन उसने अपने साक्ष्य में किया है। वह भी सूचक के साथ मृतका के ससुराल गया था और उसने अपने हस्ताक्षर सहित फर्दबयान पर सूचक का हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि मृतका का ससुराल उसके घर से 4-5 मील दूर है और विवाह के बाद वह अनेक बार मृतका के ससुराल गया था और दहेज मांग के कारण उसके ससुराल में झगड़ा होता था।

11. अ॰ सा॰ 2 त्रिवेणी मंडल मृतका का मामा है और अ॰ सा॰ 4 धरनीधर मंडल मृतका का चाचा है, जिन्होंने भी अभियोजन मामले का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि घटना के बारे में सूचना पाने पर वे भी मृतका के ससुराल गए थे। उन्होंने कथन किया है कि ससुराल में मृतका की हत्या की गयी थी। उन्होंने यह कथन भी किया है कि मृतका को अभियुक्तों द्वारा दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। अ॰ सा॰ 7 महादेव मंडल ने कथन किया है कि उसने सीताराम मंडल को सूचक को घटना के बारे में सूचित करने के लिए भेजा था और उसने यह कथन भी किया कि मृतका की हत्या ससुराल में की गयी थी।

12. अ॰ सा॰ 9 अशोक कुमार डालमिया मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर सूचक का फर्दबयान दर्ज किया था और उसने घटना स्थल पर अन्वेषण भी किया था। उसने

कमरा की दीवारों पर जलने का निशान पाया और कमरा की कुछ वस्तुएँ भी जली हुई थी। उसने चारपाई का जला भाग एवं अधजली चारपाई भी पाया जिसे उसने जब्त किया था और गवाहों की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची भी तैयार किया था। उसने जब्ती सूची भी सिद्ध किया था, जिसे प्रदर्श-2 चिन्हित किया गया था। उसने द्वितीय घटना स्थल का भी निरीक्षण किया जो नदी का किनारा था, जहाँ उसने जला भूसा एवं अधजला बाँस पाया जिन्हें बालू से छुपाने का प्रयास किया गया था। बालू हटाने पर, उसने कुछ अस्थियाँ भी पाया और वह जगह अभी भी गर्म थी। उसने उनको जब्त किया, अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे उसने सिद्ध किया और इसे प्रदर्श 2/1 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने जब्त अस्थि को न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा है, किंतु उसने रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया है। इस गवाह ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसने घर में अवैध शराब भी पाया था।

13. गोविन्द जी सिंह अ॰ सा॰ 10 एक अन्य पुलिस अधिकारी है जिसने केवल मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया है।

14. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थियों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिल्कुल अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी मूसो मंडल जो मृतका का देवर है के विरुद्ध प्राथमिकी में अथवा किसी गवाह के साक्ष्य में विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि दहेज की मांग और उसके लिए मृतका को क्रूरता के अध्यधीन किए जाने का अभिकथन केवल बाजो मंडल (अब मृत) जो ससुर है और मृतका के पति करमन मंडल के विरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्ष्य में भी समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथन है और अपीलार्थी 'मूसो मंडल के विरुद्ध कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं है, और तद्नुसार, अपीलार्थी मूसो मंडल की दोषसिद्धि एवं दंडादेश गवाहों के साक्ष्य में केवल सामान्य अभिकथन के आधार पर विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी करमन मंडल जो मृतका का पति है की दोषसिद्धि एवं दंडादेश भी विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने 7.12.2015 को विनिश्चित **दांडिक अपील सं॰ 1263 वर्ष 2011** में **माया देवी एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सुयोग्य मामला है जहाँ दोनों अपीलार्थियों को कम से कम संदेह का लाभ दिया जाए और दोषमुक्त किया जाए।

16. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि गवाहों ने पूर्णत: इस तथ्य का समर्थन किया है कि विवाह के तुरन्त बाद मृतका को जलाकर उसकी हत्या करने तक दहेज मांग ले लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और जब कभी भी वह अपने मायका आती थी, वह अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत करती थी कि उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। अ॰ सा॰ 5 पार्वती देवी जो मृतका की माता है ने भी कथन किया है कि घटना के कुछ दिन पहले वह बासुकीनाथ गयी थी, जहाँ वह उसी गाँव के अकलू मंडल की पत्नी से मिली थी, जिसने उसको अपनी पुत्री वापस लाने के लिए कहा था अन्यथा

उसके ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। मृतका के पिता अ॰ सा॰ 8 तरनी मंडल ने भी कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में उसके पति द्वारा मृतका पर प्रहार किया गया था और दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। इन गवाहों ने यह कथन भी किया है कि घटना के लगभग एक वर्ष पहले उसे उक्त मांग के लिए जहर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि मृतका को उसके ससुराल में जलाया गया था और उसके माता-पिता को सूचित किए बिना अभियुक्तों द्वारा उसके मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया था, जो तथ्य गवाहों द्वारा पूर्णत: समर्थित है। अ॰ सा॰ 9 अशोक कुमार डालमिया जो इस मामले का आई॰ ओ॰ है, ने भी घर में जलने का निशान पाया था और अधजला चारपाई एवं नदी किनारे जली अस्थियों को पाया था। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

17. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाते हैं कि अपीलार्थी मूसा मंडल जो मृतका का देवर है के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथन है। प्राथमिकी में, ससुर एवं पति के विरुद्ध दहेज मांग करने तथा इसके लिए मृतका को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का अभिकथन है। समस्त गवाहों के साक्ष्य में केवल सामान्य अभिकथन है कि ससुराल वाले दहेज मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करते थे। अपीलार्थी मूसो मंडल के विरुद्ध कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अपीलार्थी मूसो मंडल के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन एवं साक्ष्य नहीं होने के कारण यह अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है, और ससुराल वालों के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथनों के आधार पर उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

18. अपीलार्थी करमन मंडल जो मृतका का पति है के संबंध में हम पाते हैं कि उसके विरुद्ध दहेज मांग करने और दहेज मांग के लिए अपनी पत्नी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का विनिर्दिष्ट कथन है। अ॰ सा॰ 8 तरनी मंडल जो इस मामले का सूचक है ने कथन किया है कि उसने उसको अपनी पुत्री पर प्रहार करते देखा था। अन्य गवाहों ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि उसके विवाह के तुरन्त बाद मृतका को जलाकर उसकी हत्या करने तक सदैव क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। साक्ष्य में यह आया है कि घटना के एक वर्ष पहले भी मृतका को उसके ससुराल में जहर दिया गया था। अ॰ सा॰ 5 पार्वती देवी जो मृतका की माता है ने भी कथन किया है कि घटना के पहले बासुकीनाथ में, उसे उसी गाँव की एक महिला द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आने की सलाह दी गयी थी अन्यथा उसके ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। मामले के आई॰ ओ॰ ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि उसने अस्थियों सहित जली चारपाई एवं अन्य जली सामग्रियों के रूप में सकारात्मक साक्ष्य पाया था जो स्पष्टत: सुझाता था कि मृतका की जलाकर हत्या की गयी थी और अपराधियों को विधिक दंड से बचाने के लिए साक्ष्य गायब करने के आशय के साथ उसका मृत शरीर छुपे रूप से ठिकाने लगाया गया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की दृष्टि में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी करमन मंडल के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है, और अवर न्यायालय द्वारा पारित उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

19. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र मामला सं॰ 59 वर्ष 1991/3 वर्ष 1991 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 9.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 14.9.1992 को दण्डादेश के

आक्षेपित निर्णय को, जहाँ तक यह अपीलार्थी मूसो मंडल से संबंधित है, एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी मूसो मंडल को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यह अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

20. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए अपीलार्थी करमन मंडल की दोषसिद्धि एवं दंडादेश एतद् द्वारा अभिपुष्ट की जाती है। अपीलार्थी करमन मंडल की जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और दंडादेश भुगतने के लिए उसे अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अवर विचारण न्यायालय को दण्डादेश भुगतने के लिए अपीलार्थी करमन मंडल के समर्पण/प्रस्तुती के लिए तुरंत आदेशिका निर्गत करने का भी निदेश दिया जाता है। भुगतने के लिए अपीलार्थी दिया जाता है।

21. तद्नुसार यह अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efr

बमरी पहाड़िन

cuke

इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 850 of 2015. Decided on 5th May, 2017.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–किसी तलाक प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र के रूप में केवल तब माना जाता है यदि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है–वर्तमान मामले में तलाक के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है–प्रत्यर्थियों ने पाया है कि याची को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी अवैध रूप से किया गया था जिसके लिए पहले ही जाँच की गयी है कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों के अधीन विधि के प्रावधानों के विरुद्ध एवं अवैध रूप से उक्त राशि निकाली एवं याची को भुगतान की गयी है–चूँकि याची के पति की मृत्यु स्वयं 26.2.2006 को हो गयी और याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए 10 वर्ष बाद उच्च न्यायालय के पास आयी है जो स्वयं कहता है कि याची अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं थी–वर्तमान मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए 10 वर्ष की अवधि के बाद न्यायालय के पास आयी है–प्रत्यर्थियों ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए याची का मामला अस्वीकार करने में गलती नहीं किया है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 10, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2004) 7 SCC 265—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pradeep Kumar Verma, For the Petitioner; Mr. Rajesh Lala, For the Respondents.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–याची निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ इस माननीय न्यायालय के पास आयी है:–

(i) viu erd ifr vFkkr LoO ckxk igkfM;k ft ldh eR; lokjr jgr g, 26.2.2006 dk gk x;h d LFkku ij ;kph dk vudik fu;fDr çnku dju d fy, lefpr fjV vFkok fjVk] fun'k vFkok fun'kk] vkn'k vFkok vkn'kk dk tkjh djoku d fy,]

(ii) e[; çcèkd (dkfed)] b0 lh0 ,y0] jktegy [kku leg] ih0 vk0 ,o ih0 ,l0 jktegy }kjk tkjh fnukd 12.5.2013 dk i=] ft ld }kjk mlu ;kph dk lfpr fd;k g fd b0 lh0 ,y0 d l{ke çkfèkdkjh u vudik ij fu;fDr d fy, mldk nkok bl rF; ij fd ;kph dk erd depkjh dh fofèkor iRuh gku d ukr leLr eR; lg lok fuofÙk ykHkk dk Hkxrku fd;k x;k g ij fopkj fd, fcuk bl vkèkkj ij vLohdkj dj fn;k g fd erd dh rhljh iRuh dk vfèkdkj ugh g] dk vikLr dju d fy, lefpr fjV vFkok fjVk] fun'k vFkok fun'kk] vkn'k vFkok vkn'kk dk tkjh djoku d fy,A

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

2. याची का मृतक पति बागा पहाड़िया सिमलाँग में इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सिमलाँग कोलियरी में ExCV.Operator U.Man संख्या 903123 के रूप में कार्यरत था। उसकी जन्मतिथि 10.10.1964 है और उसने 28.9.1985 को सेवा ग्रहण किया था। याची के पति के जीवनकाल के दौरान बागा पहाड़िया ने किसी डरमी पहाड़िन के साथ प्रथम रुढ़ि जन्य विवाह किया है जिसकी मृत्यु नि:संतान 18.7.1986 को हो गयी। इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 1)18.7.2007 को जारी किया गया है। याची के पति की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद याची ने किसी सूरजी पहाड़िन के साथ पहाड़िया रीति के मुताबिक दूसरा विवाह किया किंतु उससे संतान नहीं होने के कारण, याची के पति ने उसे पहाड़िया रीति के मुताबिक तलाक दिया है और उक्त सूरजी पहाड़िन ने तत्पश्चात एक अन्य व्यक्ति के साथ दूसरा विवाह किया है और वर्तमान में वह उस व्यक्ति की पत्नी के रूप में रह रही है। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने तलाक प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2) दिया है। तत्पश्चात् याची के पति ने पहाड़िया रुढ़िजन्य विधि के मुताबिक वर्तमान याची के साथ विधिक तीसरा विवाह किया है और विवाह संबंध से उनके चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं। याची स्व॰ बागा पहाडिया की एकमात्र पत्नी है जो जीवित है क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसने दूसरी पत्नी से तलाक लिया है और उसकी दूसरी पत्नी अब एक अन्य व्यक्ति की पत्नी है। याची के पति बागा पहाडिया की मृत्यु सेवारत रहते हुए 26.2.2006 को अपने पीछे याची (एकमात्र विधवा), चार पुत्र एवं तीन पुत्री को छोड़ते हुए सिमलाँग हो गयी जब वह Excv. Operator u. Man No. 903123 के रूप में पदस्थापित था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने दिनांक 12.6.2006 के अभ्यावेदन (परिशिष्ट–3) के तहत ई॰ सी॰ एल॰ की सिमलाँग कोलियरी से संबंधित प्रत्यर्थी से अपने मृतक पति के संपूर्ण मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों को देने के लिए और अपने मृतक पति के स्थान पर उसको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है। याची के पूर्वोक्त दावा प्राप्त करने पर ई॰ सी॰ एल॰ के सक्षम प्राधिकारी ने दावा और याची के अधिकार की पूरी जाँच की ओर याची के पति की संपूर्ण मृत्यु सह–सेवानिवृत्ति लाभों का याची को भुगतान अनुशंसित किया और उसने मृतक कर्मचारी की विधिवत पत्नी होने के नाते उसको अनुकंपा पर नियुक्ति देने के लिए दिनांक 13.5.2009 की नोटिंग शीट (परिशिष्ट 4) के तहत अनुशंसा भी किया। याची के पक्ष में जारी मतदाता पहचान पत्र (परिशिष्ट 5) भी दर्शाता है कि वह मृतक पति की विधिवत ब्याहता पत्नी है। तत्पश्चात् ई॰ सी॰ एल॰ प्राधिकारियों ने उसको अपने

मृतक पति के संपूर्ण मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति लाभों को निर्मुक्त किया है और सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ ने भी ई॰ सी॰ एल॰ प्राधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 1.7.2011 के पत्र के तहत उसको उसके मृतक पति की भविष्यनिधि का भुगतान किया है और सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ ने दिनांक 23.8.2011 के पत्र (परिशिष्ट 6) के तहत याची को मृतक कर्मचारी की पत्नी के रूप में पेंशन भी निर्मुक्त किया है। तत्पश्चात, याची ने मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) इ॰ सी॰ एल॰, राममहल खान समूह, पी॰ ओ॰ एवं पी॰ एस॰ राजमहल द्वारा जारी दिनांक 12.5.2013 का पत्र पाया है जिसके द्वारा उन्होंने याची को सूचित किया है कि ई॰ सी॰ एल॰ के सक्षम प्राधिकारी ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उसका दावा इस तथ्य कि याची को मृतक कर्मचारी की विधिवत पत्नी होने के नाते समस्त मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया है पर विचार किए बिना इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि मृतक कर्मचारी की तीसरी पत्नी को अधिकार नहीं है। अत: दिनांक 12.5.2013 के अस्वीकरण आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक कर्मचारी की तथाकथित तीसरी पत्नी को अनुतोष का दावा करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन विधिक अधिकार नहीं है। क्योंकि विधि के मुताबिक किसी स्थानीय विधि अर्थात् पहाड़िया विधि एवं इसकी रीतियों के अधीन विवाह के विघटन/तलाक को विधिक मान्यता नहीं है। तद्नुसार, बागा पहाडिया द्वारा याची के साथ तीसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन वैध विवाह नहीं है।

6. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि भूतपूर्व कर्मचारी बागा पहाड़िया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी सूरजी पहाड़िन को ''पहाड़िया रुढिजन्य विधि'' के अधीन दिए गए तथाकथित तलाक जिसके लिए याची द्वारा ई॰ सी॰ एल॰ प्राधिकारियों के समक्ष वैध प्रमाण अथवा इसे न्यायालय के समक्ष समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, के बारे में याची का प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है और विधि की दृष्टि में भी संपोषणीय नहीं है। इस प्रकार, बागा पहाड़िया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी को तलाक के किसी रुढ़ि जन्य विधि के अधीन अथवा हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन मान्यता नहीं दी जा सकती है।

7. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि याची ने मृतक पति का संपूर्ण मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किया है और पेंशन पा रही है, वह अनुकंपा पर नियुक्ति की हकदार नहीं है।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि यद्यपि उसने संपूर्ण लाभ प्राप्त किया है, इसका भुगतान उसको अवैध रूप से किया गया है जिसके लिए उपमहाप्रबंधक (पी॰) (प्रभारी, राजमहल क्षेत्र, ई॰ सी॰ एल॰) द्वारा यह पता लगाने के लिए जाँच स्थापित की गयी है कि किन परिस्थितियों के अधीन मृत्यु सह सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान श्रीमती बमरी पहाड़िन को किया गया है।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ सं॰ 2 की ओर आकृष्ट किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

> *^^fd vkfnokfl;k e jkfr fu;e crkj ,d iRuh çFkk dh vkKk nrk gA ;g fuonu fd;k x;k g fd ;kph b0 lh0 ,y0 depkjh ckxk igkfM;k dk viuh nljh iRuh vFkkr ljth igkfMu l fookg dk fo?kVu l>ku d fy, dkb nLrkot vFkok lk{; çLrr dju e foQy jgh g vkj vkx bl fjV ;kfpdk d lkFk lyXu ifjf'k"V 2 oreku fjV ;kfpdk d ç;ktu l lftr nLrkot g vkj dVjfpr ,o eux<r nLrkot gA mDr çklfxd vofèk d fy, rykd d lcèk e nLrkot ;kph }kjk çLrr ugh fd;k x;k gA vr% Hky gh rd d ykHk d fy, ;g Lohdkj fd;k tkrk g fd ckxk igkfM;k u ;kph cejh igkfMu d lkFk rhljk fookg fd;k Fkk] fdr bl nljk fookg vfLrRo;Dr gku d nkjku fd;k x;k Fkk vkj bl n'kk e ;kph d lkFk rhljk fookg 'kU; gA***

10. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थियों द्वारा गलती नहीं की गयी है। यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी तलाक प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र केवल तब माना जाता है यदि यह सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान मामले में तलाक के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थियों ने पाया है कि याची को अवैध रूप से सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान भी किया गया है जिसके लिए पहले ही जाँच की गयी है कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों के अधीन उक्त राशि अवैध रूप से एवं विधि के प्रावधान के विरुद्ध निकाली गयी है और याची को इसका भुगतान किया गया है। चूँकि याची के पति की मृत्यु सेवारत रहते हुए स्वयं 26.2.2006 को हो गयी और याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए 10 वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आयी है जो स्वयं कहता है कि याची अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं थी और दस वर्ष बाद नींद से जागी। वर्तमान मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए दस वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आयी है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा, (2004)7 SCC 265,** पैरा 4 में संप्रेक्षित किया है:–

*^^;g n[kk tkuk g fd vudik d vkèkkj ij fu;fDr Hkjrh dk lkr ugh g cfYd x.kkx.k ij vkonu d [ky vke=.k ij dh tku okyh fu;fDr;k d lcèk e vko';drk dk viokn ek= gA ey vk'k; ;g g fd lcfèkr depkjh dh eR; ij mldk ifjokj thfodk d lkèkuk l ofpr ugh fd;k tk;A mí'; ifjokj dk vpkud vk, foÙkh; ldV ij fot; iku d fy, l{ke cukuk gA***

12. ग्यारह वर्ष से परिवार किसी मुश्किल के बिना जीवित रहा और इस तथ्य की दृष्टि में कि वे धनीय लाभों का उपभोग कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, मेरा दृष्टिकोण है कि प्रत्यर्थियों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याची के मामले को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं किया है।

13. पूर्वोक्त नियमों, दिशा निर्देशों, विधिक प्रतिपादनाओं एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, मैं आक्षेपित आदेश में गलती नहीं पाता हूँ और इस दशा में रिट याचिका गुणागुण रहित है और परिणामस्वरुप खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

अनिमा देवी

cuke

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 3460 of 2011. Decided on 28th April, 2017.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–सेवारत रहते मृत्यु–प्रत्यर्थीगण स्वयं इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मृत्यु तब हुई जब मृतक पहले शिफ्ट में कर्तव्य पर आ रहा था–याची का पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योग्य है–चूँकि याची के पिता की मृत्यु की तिथि पर न तो कोई जाँच आरंभ की गयी थी और न ही याची का दावा कि उसके

पति-मृतक कर्मचारी की मृत्यु अपने नियोजन के क्रम में हुई, खंडित करने के लिए कोई साक्ष्य आया है, यह समझा जाएगा कि उसकी मृत्यु नियोजन के क्रम में हुई, और इस दशा में उसके आश्रित कंपनी की नियमावली के अधीन उपलब्ध समस्त लाभों को पाने के हकदार होंगे और कंपनी याची के पुत्र की नियुक्ति सहित याची को समस्त लाभ देने की दायी है–प्रत्यर्थियों को तीन माह की अवधि के भीतर अनुकंपा आधार पर अपने पुत्र की नियुक्ति के लिए और उसके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए याची के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–M/s Abhay Kumar Mishra, Manoj Kumar Choubey, For the Petitioner; M/s Indrajeet Sinha, Kaustav Panda, For the Respondents.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दिनांक 8.3.2011 के पत्र Ref. No. PD/112/2011/383 (परिशिष्ट 10) के अभिखंडन के लिए प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आयी है जिसके द्वारा अनुकंपा आधार पर अपने पुत्र की नियुक्ति के लिए याची की दिनांक 27.1.2011 के अभ्यावेदन (परिशिष्ट 9) को प्रबंधक (PL) (C & J) इसको स्टील प्लान्ट (प्रत्यर्थी सं॰ 4) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उक्त आवेदन उसके द्वारा डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5605 वर्ष 2010 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2011 के आदेश के अनुसरण में दाखिल किया गया था। याची ने आगे दिनांक 20.3.2008 के पत्र (परिशिष्ट 2) के आधार पर याची के दावा पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची का 55 वर्षीय पति रामानन्द सिंह, निजी सं॰ 40075, माइनिंग सरदार, अपर सीम खनन विभाग, चासनाला कोलियरी, चासनाला के रूप में कार्यरत था। याची के पति की 20.3.2008 को दुर्घटनावश मृत्यु होने पर यू॰ डी॰ केस सं॰ 258 वर्ष 2008 दर्ज किया गया था जहाँ मृतक के पुत्र ने दावा किया कि उसके पिता की मृत्यु अपने कर्तव्य पर जाते हुए हुई थी। यह रिपोर्ट किया गया था कि 20.3.2008 को प्रातः लगभग 7.45 बजे मृतक चासनाला कोलियरी में अपने कर्तव्य पर पैदल जा रहा था और प्रातः लगभग 8 बजे वह कांद्रा के आयरन पुल को पार कर रहा, वह फिसल गया और गिर गया और बेहोश हो गया। सूचना पाने पर उसके परिवार के सदस्य घटनास्थल पर गए और स्थानीय लोग की मदद से मृतक को चासनाला कोलियरी अस्पताल लाया गया था। जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। जाँच के दौरान यह संपुष्ट किया गया था कि उक्त लोहे का पुल बहुत पुराना हो गया था और जर्जर हालत में था जिसका परिणाम मृतक के गिरने और उसकी मृत्यु में हुआ। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कड़े पदार्थ से मस्तक एवं छाती में कारित उपहतियों का होना प्रकट किया गया था। सहायक प्रबंधक (PL) प्रत्यर्थी सं॰ 3) ने अपने पत्र सं॰ PD/111/08/420 दिनांक 20.3.2008 (परिशिष्ट 2) के तहत याची को सूचित किया कि मृतक का मृत शरीर 20.3.2008 को प्रातः 9 बजे चासनाला डिस्पेंसरी लाया गया था। पत्र आगे उल्लेख करता है कि मृत्यु तब हुई जब मृतक पहले शिफ्ट के लिए कर्तव्य पर आ रहा था और आगे, मृत्यु के विरुद्ध नियोजन एक सप्ताह के भीतर कंपनी के नियम के मुताबिक शव परीक्षण रिपोर्ट के बाद दिया जाएगा। शव परीक्षण रिपोर्ट 21.3.2008 को प्राप्त किए जाने के बाद, जिसने कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा मस्तक एवं छाती में कारित उपहतियों के कारण मृत्यु संपुष्ट किया, याची अनेक बार अपने पुत्र चंदन कुमार सिंह जो अध्यपेक्षित मापदंड परिपूर्ण

करता है को नियोजन प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थियों के पास गयी। किंतु, जब दिनांक 29.8.2008, 10.9.2208 एवं 27.7.2010 के अभ्यावेदनों को दाखिल करने के बाद भी प्रत्यर्थियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था, वह रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5605 वर्ष 2010 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आयी। उक्त रिट याचिका याची को प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ 13.1.2011 को निपटायी गयी थी। अभ्यावेदन की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करने और यदि याची के पुत्र को हकदार पाया जाता है, उसे नियोजन देने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्टत: निर्देश दिया गया था। यह प्रकथन किया गया है कि दिनांक 8.3.2011 के Ref. No. PD/112/2011/383 के तहत उसमे यह अभिकथित करते हुए कि याची के पति की मृत्यु नियोजन के क्रम में नहीं हुई थी, याची द्वारा दाखिल दिनांक 27.1.2011 का अभ्यावेदन तथ्यों को सत्यापित किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है और इस प्रकार प्रत्यर्थियों ने किसी आधार के बिना अपना दृष्टिकोण पूर्णत: बदल दिया है, अत: यह रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार चौबे निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार VI एवं VII, अध्याय IX के मुताबिक प्रत्यर्थी नियोक्ता कर्मकार जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हो जाती है के एक आश्रित को नियोजन देने के लिए बाध्य है। याची का पुत्र आश्रित की परिभाषा के सुअंतर्गत है जैसा एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ VI के अध्याय IX के खंड 9.3.3 के अधीन प्रावधानित किया गया है और शारीरिक रूप से स्वस्थ और नियोजन के लिए उपयुक्त है जैसा उक्त करार के खंड 9.3.4 में आवश्यक हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची के पति की मृत्यु अपनी सेवा के क्रम में हुई थी और, इसलिए, उसके पुत्र को नियोजन से इनकार पूर्णत: अन्यायोचित, मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5605 वर्ष 2010 में पारित निर्देश की दृष्टि में याची को परेशान नहीं किया जाना चाहिए था जिसके पति की मृत्यु काफी पहले 20.3.2008 को हो गयी। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों को शव परीक्षण रिपोर्ट का आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि चिकित्सीय विधि शास्त्र के मुताबिक स्वयं शव परीक्षण रिपोर्ट का लगभग 4-10 घंटा का समयांतर है और चिकित्सीय साक्ष्य को साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किए जाने की आवश्यकता होती है।

5. दूसरी ओर, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

श्री कौस्तभ पांडा द्वारा सहायित प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट से मृत्यु का समय शव परीक्षण के समय के 36-41 घंटा पहले उपदर्शित किया गया है, जिसे 21.3.2008 को अपराह्न 1.15 के रूप में दर्ज किया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट के ऐसे निष्कर्ष के आधार पर, मृत्यु का समय 19.3.2008 को अपराह्न 8.15 से 20.3.2008 को पूर्वाह्न 1.15 आता है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि मृतक कर्मचारी 'A' शिफ्ट ड्यूटी पर था जो 19.3.2008 को अपराह्न 3 बजे समाप्त होता है और वह 20.3.2008 को प्रात: 7 बजे शुरू होने वाले 'A' शिफ्ट पर कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुआ था। इस संगणना पर, विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि मृत्यु के समय 20.3.2008 को कर्तव्य आरंभ होने के बीच विशाल अंतर है और इस दशा में याची का प्रतिवाद कि 20.3.2008 को प्रात: लगभग 7.45 बजे मृतक चासनाला कोलियरी में अपने कर्तव्य पर जा रहा था, संभव नहीं है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि 16.2.2006 के प्रभाव से, सेवारत रहते मृत्यु होने के मामलों में, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के मुताबिक कोलियरी के गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन एवं लाभ की संरचना उक्त तिथि से एन॰ जे॰ सी॰ एस॰ संरचना के अधीन लाए जाने के बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ (प्रत्यर्थी सं॰ 1) की कोलियरी में समाप्त हो गयी है। एन॰ जे॰ सी॰ एस॰ करार के खंड 3.4.5 को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विचार केवल उपहति मामलों में किया जा सकता है

जो निवास स्थान से कार्यस्थल जाने और अपने कर्तव्य घंटों के आरंभ अथवा अंत के एक घंटा के भीतर वापस आने के दौरान उद्भूत होने वाली मृत्यु अथवा स्थायी/अस्थायी नि:शक्तता कारित करते हैं परन्तु यह कि दुर्घटना कार्यस्थल की ओर यात्रा के सामान्य रूट पर हुई हो और उद्भूत हाने वाली दुर्घटना के कारण और नियोजन के क्रम में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण नि:शक्तता हुई हो।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है। सब डिविजनल दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय में दर्ज यू॰ डी॰ मामला (परिशिष्ट 1 श्रृंखला) सहपठित पत्र संदर्भ सं॰ PD/111/08/420 दिनांक 20.3.2008 (परिशिष्ट 2) के परिशीलन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वयं प्रत्यर्थीगण इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मृत्यु तब हुई थी जब मृतक पहले शिफ्ट के लिए कर्तव्य पर जा रहा था जहाँ तक शव परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह स्वीकृत तथ्य है और निर्णयों की श्रृंखला में पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सीय विधि शास्त्र के मुताबिक शव परीक्षण रिपोर्ट का सदैव 4-10 घंटा का समयांतर होता है। आगे, जबतक चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता है, यह प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण न्यायोचित नहीं ठहरा सकता था।

7. पूर्वोक्त विधिक अवस्था की दृष्टि में, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि याची का पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योग्य है। मैं आगे अभिनिर्धारित करता हूँ कि याची के पिता की मृत्यु की तिथि से याची का दावा कि उसके पति मृतक कर्मचारी की मृत्यु अपने नियोजन के क्रम में हुई थी का खंडन करने के लिए न तो जाँच की गयी थी और न ही कोई साक्ष्य आया है, अत: यह समझा जाएगा कि उसकी मृत्यु नियोजन के क्रम में हुई और इस दशा में उसके आश्रित कंपनी की नियमावली के अधीन उपलब्ध समस्त लाभों के हकदार होंगे और कंपनी याची के पुत्र की नियुक्ति सहित याची को समस्त लाभ देने की दायी है।

8. परिणामस्वरुप, यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और पत्र Ref. No. PD/112/2011/383 दिनांक 8.3.2011 (परिशिष्ट 10) के तहत जारी आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसके पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए और आगे उसके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए याची के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

प्रभु राम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3561 of 2006. Decided on 8th June, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–सेवा निवृत्ति लाभ–दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि योजना जिसके अधीन याची को पदस्थापित किया गया था को पहले ही बंद कर दिया गया था–याची अन्य ग्राह्य सेवानिवृत्ति देयों के अतिरिक्त उपदान एवं पेंशन के भुगतान के लिए प्रार्थना कर रहा है–प्रत्यर्थियों द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है कि याची राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी

नहीं था और उपदान एवं पेंशन सहित याची को सेवानिवृत्ति देयों से इनकार करने का कारण नहीं है–राज्य प्रत्यर्थीगण यह दृष्टिकोण लेने में न्यायोचित नहीं है कि चूँकि अनौपचारिक शिक्षा योजना 16 मई, 2001 के प्रभाव से समाप्त हो गयी और याची 31.1.2002 को सेवा से सेवा निवृत्त हुआ था, वह उपदान एवं पेंशन के भुगतान का हकदार नहीं होगा–आक्षेपित आदेश अपास्त–चूँकि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची को पहले ही जी॰ पी॰ एफ॰ तथा सामूहिक बीमा की राशि का भुगतान कर दिया गया है, जहाँ तक इसके भुगतान का संबंध है, निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है–जिला शिक्षा अधीक्षक को उपदान का भुगतान करने और याची के पेंशन के नियतिकरण के लिए तुरन्त कदम उठाने और चार माह की अवधि के भीतर उसको पेंशन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 8 से 11)

निर्णयज विधि.–W.P.(S) No. 4751 of 2003—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Amritansh Vats, For the Petitioner; Mr. Sharad Kaushal, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा–पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका के रूप में, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 5 के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश (वर्तमान रिट याचिका का परिशिष्ट 6) अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा अपने सेवा निवृत्ति देयों के भुगतान के लिए याची का दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि योजना जिसके अधीन याची पदस्थापित था पहले ही 16.5.2001 के प्रभाव से बंद कर दी गयी थी। रिट याचिका में आगे यह प्रार्थना की गयी है कि प्रत्यर्थियों को याची के उपदान एवं अवकाश नगदकरण सहित संपूर्ण सेवानिवृत्ति देयों को निर्मुक्त करने तथा पेंशन को तुरन्त अंतिम रूप देने एवं नियत करने तथा वेतन बकाया निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जा सकता है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के अधीन गढ़वा जिला में परियोजना अधिकारी के पद से 31.1.2002 को सेवानिवृत्त हुआ। याची ने पहले इस न्यायालय के समक्ष याची को सेवा-निवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1690 वर्ष 2005 दाखिल किया। उक्त रिट याचिका जिला शिक्षा अधिकारी, गढ़वा एवं सामान्य भविष्य निधि अधिकारी, गढ़वा को इस आदेश की प्रति की प्रस्तुति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर सांविधिक ब्याज के साथ याची को विधितः भुगतेय संपूर्ण स्वीकृत देयों को निर्मुक्त करने के निर्देश के साथ दिनांक 12.4.2005 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 1) के तहत निपटायी गयी थी।

4. वर्तमान रिट याचिका में याची की शिकायत यह है कि यद्यपि डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1690 वर्ष 2005 में अंतर्विष्ट इस न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में याची को सामूहिक बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि का भुगतान किया गया है, फिर भी दिनांक 20.2.2006 के आक्षेपित पत्र सं॰ 278 के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा ने याची को पेंशन एवं उपदान का भुगतान इस आधार पर करने पर इनकार कर दिया कि अनौपचारिक शिक्षा योजना 16.5.2001 को समाप्त हो गयी, किंतु याची 31.1.2002 को सेवानिवृत्त हुआ। दिनांक 20.2.2006 के उक्त पत्र को मनमाना एवं अवैध होने के नाते वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा चुनौती दिया गया है। याची ने यह कथन भी किया है कि उसे 17.3.1998 से 7.5.1998, 1.12.1998 से 28.12.1998, 28.2.1999 से 1.2.2000, 29.2.2000 से 1.5.2001

तक की अवधि के लिए वेतन के बकाया और 17.3.1998 से जून 1999 तक वेतन अंतर के बकाया और 17.3.1999 से फरवरी, 2000 तक वार्षिक वेतनवृद्धि के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय ने **भुवनेश्वर महतो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4751 वर्ष 2003)** मामले में दिनांक 21.11.2003 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 7) के तहत 16 मई 2001 से बंद किए जाने पर व्यापक शिक्षा विभाग के कर्मचारी को सेवा निवृत्ति देयों के भुगतान के संबंध में विवाद्यक पर विचार करते हुए प्रत्यर्थियों को उसको पूर्ण पेंशन, उपदान, अवकाश नगदकरण भविष्य निधि आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4751 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 21.11.2003 के उक्त आदेश को झारखण्ड राज्य ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 515 वर्ष 2004 में चुनौती दी गयी थी और इसे दिनांक 27.4.2005 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 8) के तहत खारिज किया गया था। तत्पश्चात् झारखंड राज्य अपील की विशेष अनुमति (सिविल) सी॰ सी॰ सं॰ 8793 वर्ष 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गया और इसे भी दिनांक 30.9.2005 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 9) के तहत खारिज किया गया था। परिणामस्वरुप, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड ने दिनांक 17.1.2006 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 10) के तहत उसके पक्ष में पेंशन, उपदान, सामान्य भविष्य निधि, अवकाश नगदकरण आदि जैसे समस्त ग्राह्य सेवानिवृत्ति देयों को उक्त भुवनेश्वर महतो के पक्ष में निर्मुक्त करने का निर्णय किया। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची का मामला उक्त भुवनेश्वर महतो के मामले के समरुप है जिसको पहले ही वेतन बकाया, जी॰ पी॰ एफ॰, अवकाश नगदकरण, उपदान एवं पेंशन सहित समस्त सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया है। इस दशा में, कोई कारण नहीं है कि क्यों याची को प्रत्यर्थियों द्वारा उपदान एवं पेंशन सहित समस्त ग्राह्य सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

6. समानांतर स्तंभ में, विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ के जे॰ सी॰ प्रत्यर्थी सं॰ 5 एवं प्रत्यर्थी सं॰ 7 की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि 16.5.2001 को अनौपचारिक शिक्षा योजना बंद किए जाने पर विचार करते हुए जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा की राशि का भुगतान याची को पहले ही कर दिया गया है, किंतु याची उपदान एवं पेंशन के भुगतान का हकदार नहीं है क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा योजना याची की अधिवर्षिता के पहले समाप्त हो गयी। यह निवेदन भी किया गया है कि उक्त भुवनेश्वर महतो के मामले में पारित आदेश याची के मामले में प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसके पक्ष में न्यायिक उद्घोषणा नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर, यहाँ विनिश्चित किया जाने वाला विवाद्यक यह है कि क्या याची अन्य ग्राह्य सेवानिवृत्ति देयों के अतिरिक्त उपदान एवं पेंशन के भुगतान का हकदार है। उक्त पहलू के न्याय निर्णयण के लिए **भुवनेश्वर महतो बनाम झारखंड राज्य मामले** में **डब्लू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4751 वर्ष 2003** में पारित दिनांक 21.11.2003 के आदेश का परिशीलन करना प्रासंगिक होगा। मामले के बेहतर अधिमूल्यन के लिए उक्त आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^çR;fFk;k d vulkj ;kph jkT; d tu f'k{kk foHkkx l 31 tykb] 2001 dk lok fuoÙk gvkA mDr foHkkx (tu f'k{kk) 15 eb] 2001 l 31 tykb] 2001 rd cn fd, tku ij i'pkrorh vofèk d oru dk Hkxrku ugh fd;k x;k gA*
>
> *çR;fFk;k u bl foookfnr ugh fd;k g fd ;kph jkT; dk fu;fer depkjh FkkA og 1968 l dk;jr Fkk vkj fofèk d vu:i i'ku] minku] vodk'k uxndj.k*

vkfn iku dk gdnkj gA ;fn jkT; ljdkj dh ;kstuk 16 eb 2001 l cn dh x;h Fkh fdr depkfj;k dh NVuh ugh dh x;h Fkh vkj çkfèkdkfj;k u ,l depkfj;k l dkb dke ugh fy;k gA depkfj;k dh vkj l dkb f<ykb ugh gku d dkj.k çR;Fkhx.k mld oru l budkj ugh dj ldr gA jkT; ljdkj dk dke ugh yu dh NV lno g fdr o oru dk Hkxrku dju d fy, dr0; ckè; g ;fn depkjh lok e gA

*bu rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] çR;fFk;k dk 16 eb] 2001 l 31 tykb] 2001 (lok fuofÙk dh frfFk) rd iokDr vofèk l fxur g, i.k i'ku] minku] vodk'k uxndj.k] Hkfo";fufèk vkfn tl leLr LohÑr lok fuofÙk n;k dk Hkxrku ;kph dk dju dk fun'k fn;k tkrk gA ;fn bl vkn'k dh çfr dh çkfIr@çLrfr dh frfFk l rhu ekg dh vofèk d Hkhrj Hkxrku ugh fd;k tkrk g] çR;Fkhx.k leLr LohÑr n;k ij lokfuofÙk dh frfFk 31 tykb] 2001) l 5% nj ij C;kt dk vkj ;kph d i{k e 10,000/- #i;k d 0;; dk Hkxrku dju d nk;h gkxA***

8. भुवनेश्वर महतो (ऊपर) मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्यर्थियों/राज्य प्राधिकारियों को पूर्ण पेंशन, उपदान, अवकाश नगदकरण, भविष्य निधि आदि जैसे समस्त स्वीकृत सेवानिवृत्ति लाभों का इस पर उपयुक्त ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त आदेश के विरुद्ध झारखंड राज्य द्वारा दाखिल अपीलें एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 515 वर्ष 2004 में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 27.4.2005 के आदेश के तहत और अपील (सिविल) सी॰ सी॰ 8793 वर्ष 2005 की विशेष अनुमति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.2005 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी। इस प्रकार, 16 मई, 2001 के प्रभाव से इसके बंद होने को ध्यान में लिए बिना अनौपचारिक शिक्षा योजना के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को उपदान एवं पेंशन के भुगतान सहित समस्त सेवानिवृत्ति देयों की ग्राह्यता के संबंध में विवाद्यक अंतिम बन गया है। प्रत्यर्थियों ने अपने परस्पर प्रतिशपथ पत्रों में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि भुवनेश्वर महतो का मामला याची के मामले के समरुप है। प्रत्यर्थियों द्वारा इससे भी इनकार नहीं किया गया है कि याची राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं था और इसलिए उपदान एवं पेंशन सहित याची को सेवा निवृत्ति देयों से इनकार करने का कारण नहीं है।

9. उक्त विधिक एवं ताथ्यिक पृष्ठभूमि में, राज्य प्रत्यर्थीगण यह दृष्टिकोण लेने में न्यायोचित नहीं थे कि चूँकि अनौपचारिक शिक्षा योजना 16 मई, 2001 के प्रभाव से समाप्त हो गयी और याची को सेवा से 31.1.2002 को सेवानिवृत्त होना था, वह उपदान एवं पेंशन के भुगतान का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में दिनांक 20.2.2006 का आक्षेपित आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 6) जिसमें यह कथन किया गया है कि याची उपदान एवं पेंशन के भुगतान का हकदार नहीं है क्योंकि वह योजना बंद होने के बाद सेवानिवृत हुआ था, विधित: संपोषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, दिनांक 20.2.2006 के पत्र सं॰ 278 में परिशिष्ट 6 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश अवैध, भेदभावपूर्ण एवं मनमाना होने के कारण अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

10. चूँकि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची को पहले ही जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा की राशि का भुगतान किया गया है, जहाँ तक इसके भुगतान का संबंध है, निर्देश पारित करने की आवश्कता नहीं है, जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर उसको उपदान के भुगतान के लिए और पेंशन बकाया का भुगतान करने और याची के

पेंशन के नियतकरण के लिए तुरन्त कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा को पूर्वोक्त अवधि के भीतर याची को वेतन बकाया (यदि पहले इसका भुगतान नहीं किया गया है) की स्वीकृत राशि और अवकाश नगदकरण जैसे अन्य देयों का भुगतान करने का निर्देश भी दिया जाता है। समस्त पूर्वोक्त राशि पर भुगतान की तिथि तक 6% ब्याज भी दिया जाएगा।

11. तद्नुसार, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और पूर्वोक्त निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

सेन्ट बार्नबास अस्पताल

cuke

सहायक भविष्य निधि आयुक्त, झारखंड, राँची एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 2954 of 2004. Decided on 12th June, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धाराएँ 7A एवं 7B—ई॰ पी॰ एफ॰ अंशदान–याची पर आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, राँची के पेशेवर डॉक्टरों और नर्सिंग छात्र जो याची के अस्पताल में नर्सिंग पाठ्यक्रम पूरा कर रहे थे के संबंध में भी भविष्य निधि दायित्व अधिरोपित किया गया है–नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, निष्पक्ष न्याय निर्णय एवं साम्या मांग करती है कि किसी आदेश जो सिविल परिणामों की ओर ले जाता है और किसी पक्ष के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था पारित किए जाने के पहले प्रशासनिक/न्यायिक कल्प प्राधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देना होगा–प्रत्यर्थी सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने पुनर्विलोकन आदेश पारित करने के पहले याची को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है और इस दशा में उक्त आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किया जाता है–सहायक भविष्य निधि आयुक्त को याची को अपने पुनर्विलोकन आवेदन पर नया नोटिस जारी करने और याची को पुनर्विलोकन कार्यवाही में अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद अधिनियम की धारा 7B के प्रावधानों के निबंधनानुसार आगे अग्रसर होने एवं विधि के अनुरूप समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–W.P(C) No. 6592/2007—Relied; W.P(C) No. 6617/2007; (2010) 125 FLR 172—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Satish Bakshi, For the Petitioner; Mr. Rupesh Singh, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (इसमें इसके बाद ''उक्त अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 7A एवं 7B के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित दिनांक 27.11.2003 एवं दिनांक 31.3.2004 के आदेशों को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किए जाने के लिए दाखिल की गयी है जिनके द्वारा, याची पर आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, राँची (राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के पेशेवर डॉक्टरों और नर्सिंग छात्रों जो याची के अस्पताल में नर्सिंग पाठ्यक्रम पूरा कर रहे थे के संबंध में भी भविष्य निधि दायित्वों को अधिरोपित किया गया है। याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेशों के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 की मांग नोटिस को भी चुनौती दिया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग में दिनांक 31.3.2004 का आदेश पारित करने में अपनायी गयी प्रक्रिया पर अपने तर्कों को सीमित करते हुए निवेदन करते हैं कि पुनर्विलोकन प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 7A के अधीन दिनांक 27.11.2003 के पुनर्विलोकन के लिए इसके द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन याचिका के अनुसरण में याची को कोई नोटिस जारी नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता ने याची द्वारा 18.12.2003 को प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष दाखिल पुनर्विलोकन याचिका (रिट याचिका का परिशिष्ट 4) को निर्दिष्ट किया और निवेदन करते हैं कि इस तथ्य सहित कि उक्त अधिनियम की धारा 7A के अधीन पारित आदेश में याची पर आर॰ आई॰ एम॰ एस॰ के विजिटिंग डॉक्टरों, नर्सिंग छात्रों आदि के संबंध में भी अत्यधिक वित्तीय दायित्व डाला गया था, दिनांक 27.11.2003 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 के ध्यान में अभिलेख पर प्रकट अनेक ताथ्यिक पहलूओं को लाया जाना आशयित था और उक्त ताथ्यिक स्पष्टीकरण के लिए याची निरीक्षण के लिए अस्पताल में रखे गए अपने अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार था, किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए और दिनांक 31.3.2004 का आदेश पारित करते हुए पुनर्विलोकन याचिका में किए गए प्रतिवादों का पूरी तरह गलत अर्थ लगाया और इस उपधारणा पर उक्त आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हुआ कि याची के अधीन कार्यालय सहायक किसी सुश्री रत्ना सरकार को याची की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 7A के अधीन आदेश पारित करते हुए मूल प्राधिकारी के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार नहीं था। उक्त पहलू का गलत अर्थ मुख्यत: इस कारण से लगाया गया था कि याची को उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन पुनर्विलोकन कार्यवाही में अपने मामले को प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

4. विद्वान अधिवक्ता **मेसर्स बिनोद कुमार जैन, बोकारो बनाम भविष्य निधि आयुक्त, ई॰ पी॰ एफ॰ ओ॰, राँची एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6592/2007)** और **मेसर्स सूरज लाल सिंह, बोकारो बनाम भविष्य निधि आयुक्त, ई॰ पी॰ एफ॰ ओ॰, राँची एवं अन्य (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6617/2007) (2010)125 FLR 172,** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें विधि कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन कार्यवाही में पुनर्विलोकन याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, पर विचार किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 का पठन निम्नलिखित है:–

> *9. çR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk dk çfrokn fd iufoykdu çkfèkdkjh dk ;kphx.k dk lu tku vFkok ekeyk Li"V dju d fy, dkb volj nu dh ckè; rk ugh Fkh] food lxr ugh g vkj Hkked çrhr gkrk gA ek= blfy, fd vfèkfu;e dh èkkjk 7B d vèkhu çkoèkku fofufn"Vr% çkoèkkfur djrk g fd ;fn iufoykdu d fy, vkonu etj fd;k tkrk g] rc etjh nu d igy i{k dk io ukfVl fn;k tkuk pkfg, vkj luk tkuk pkfg, vkj pfd ,lh rRle vko';drk dk mYy[k ekey e fofufn"Vr% ugh fd;k x;k g tgk lcfèkr çkfèkdkjh vkonu vLohdkj dju dk çLrko nr g] ;g vfèkdfFkr ugh djrk g fd ;kphx.k dk lu tku d volj l ofpr fd;k tkuk pkfg,A lkE;k ,o ulfxd U;k; dk fl)kr fu'p; gh ykx gkrk g vkj ekx djxk fd dkb vkn'k ikfjr fd, tku d igy] tk ;kphx.k d fgr d çfrdy flfoy ifj.kke dh vkj y tkrk g] mudk ,lk dkb vkn'k ikfjr fd, tku d igy viu ekeyk dk Li"V dju d fy, ;fDr ;Dr volj fn;k tkuk gkxkA e ;kphx.k d fo}ku vfèkoDrk }kjk fd, x, fuonuk l lr"V g fd iufoykdu vkonu ij vk{kfir vkn'k ikfjr dju d igy iufoykdu çkfèkdkjh }kjk mudk luokb dk ;fDr;Dr volj ugh fn;k x;k gA rnulkj] ; nkuk fjV vkonu MCY;0 ih0 (lh0) l0 6592 o"k 2007 vkj MCY;0 ih0 (lh0) l0 6617 o"k 2007 dk vuKkr fd;k tkrk gA***

5. याची की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित दिनांक 31.3.2004 का आक्षेपित आदेश मुख्यत: इस कारण से कि याची को पुनर्विलोकन कार्यवाही में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने का दायी है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रुपेश सिंह निवेदन करते हैं कि यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 7B के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.3.2004 का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले याची को नोटिस नहीं दिया गया था, फिर भी इसके परिशीलन पर यह स्पष्ट होगा कि पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी ने याची द्वारा अपनी पुनर्विलोकन याचिका में लिए गए आधारों पर विचार किया है और इसलिए दिनांक 31.3.2004 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं प्रासंगिक दस्तावेजों एवं न्यायिक उद्घोषणा का परिशीलन करने पर, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, निष्पक्ष न्यायनिर्णयन एवं साम्या मांग करती है कि कोई आदेश जो सिविल परिणामों की ओर ले जाता है और किसी पक्ष के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था पारित करने के पहले प्रशासनिक/न्यायिक कल्प प्राधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देना होगा। यह विवाद्यक अब अनिर्णीत नहीं है जैसा पहले ही इस न्यायालय द्वारा **मेसर्स विनोद कुमार जैन (ऊपर)** में विनिश्चित किया गया है।

8. यह स्वीकृत अवस्था है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने दिनांक 31.3.2004 का पुनर्विलोकन आदेश पारित करने के पहले याची को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है और इस दशा में उक्त आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

9. प्रत्यर्थी सं॰ 1 को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर याची को दिनांक 18.12.2003 के इसके पुनर्विलोकन आवेदन पर नया नोटिस जारी करने और अपने समक्ष याची के अभ्यावेदन की प्रथम हाजिरी की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप पुनर्विलोकन कार्यवाही में याची को अपना मामला प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 7B के प्रावधानों के निबंधनानुसार अग्रसर होने और समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। पुनर्विलोकन प्राधिकारी इसे विनिश्चित करते हुए पुनर्विलोकन याचिका में वर्णित याची के प्रतिवादों तथा समस्त प्रासंगिक तथ्यों को विचार में लेगा। पुनर्विलोकन लंबित रहने तक दिनांक 17.5.2004 के मांग नोटिस के अनुसरण में याची के विरुद्ध प्रपीड़क कदम नहीं उठाया जाएगा जो प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष उक्त कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर होगा।

10. रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षणों/निर्देशों के निबंधनानुसार अंशत: अनुज्ञात की जाती है और तद्नुसार, निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

तुलसी जयसी

cuke

मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ एवं अन्य

W.P.(S) No. 4199 of 2004. Decided on 8th June, 2017.

भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–यद्यपि याची ने मूसाबानी खानों के क्लोजर नोटिस के अनुसरण में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति विनिर्दिष्टतः नहीं चुना था, लगभग समस्त कर्मकारों को अन्य खानों में समायोजित किया गया था अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया गया था, इसका लाभ याची को केवल इस कारण नहीं दिया गया था कि उसने समय पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं चुना था जिसका परिणाम उसकी स्वतः सेवा समाप्ति में हुआ–याची को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ भी दिया जाना चाहिए जैसा अन्य समस्थित कर्मकारों को दिया गया था–कार्यपालक निदेशक को याची को खान बंद होने की तिथि के प्रभाव से याची को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया–कार्यपालक निदेशक को याची को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का धनीय लाभ का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Kishore Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. Amit Kumar Das, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी सं॰ 3 (कार्यपालक निदेशक (पी॰ एवं ए॰), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड) द्वारा जारी दिनांक 26.9.1998 के नोटिस के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिस कारण से याची की सेवा प्रत्यर्थी कंपनी का कर्मचारी होने के नाते 28.8.1998 को मूसाबानी खानों के बंद होने के आधार पर 30.9.1998 के प्रभाव से समाप्त कर दी गयी थी। याची ने सेवा में पुनर्बहाली और उसको समस्त पारिणामिक लाभ के भुगतान के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार सिंह निवेदन करते हैं कि 22.10.1963 को याची ने भूमिगत मजदूरों के रूप में प्रत्यर्थी कंपनी की सेवा ग्रहण किया। याची के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 3.2.1979 के नियुक्ति पत्र की नमूना प्रति (याची द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का परिशिष्ट 1) को भी निर्दिष्ट करते हैं जो उपदर्शित करता है कि कंपनी के कर्मचारी को भारत में कंपनी के किसी अन्य स्थापन में पदस्थापित किया जा सकता था। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 1.10.1997 के आदेश के तहत भारत सरकार ने प्रत्यर्थी कंपनी को मूसाबानी खान समूह के अधीन अपने मूसाबानी एवं बदिया खानों को 28.8.1998 के प्रभाव से बंद करने का अनुमति प्रदान किया था। तत्पश्चात, एक रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3113 वर्ष 1997 (R) भारत सरकार द्वारा लिए गए खानों को बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए मूसाबानी खान श्रमिक यूनियन द्वारा दाखिल किया गया था। किंतु, उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान दिनांक 26.9.1998 के आक्षेपित नोटिस के तहत याची सहित 200 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गयी थी।

4. यह निवेदन भी किया गया है कि संबंधित खानों को बंद करने के निर्णय के पहले उक्त खानों में कुल मिलाकर 2018 कर्मकार कार्यरत थे जिनमें से 834 कर्मकारों को अन्य खानों में समायोजित किया गया था, 626 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुना और 31 सामान्य रूप से सेवानिवृत हुए। बाद में, प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा 325 कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति भी दी गयी थी। किंतु, 200 कर्मकारों को उक्त खानों में छोड़ दिया गया था जो दिनांक 26.9.1998 की सेवा समाप्ति की आक्षेपित नोटिस से प्रभावित हुए थे। उक्त नोटिस जारी किए जाने पर, याची पाइप फिटर के रूप में कार्यरत था। तत्पश्चात, उन 200 कर्मकारों में से 161 कर्मकारों की सेवा समाप्ति वापस ले ली गयी थी। बाद में, शेष 39 कर्मकारों में से केवल याची और किसी मकरा पाटर जिनकी सेवाएँ परिणामस्वरुप दिनांक 26.9.1998 की सेवा समाप्ति नोटिस की दृष्टि में समाप्त कर दी गयी को छोड़ते हुए 37 कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुनने की अनुमति दी गयी थी।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची को स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति चुनने के लिए आमंत्रित करते हुए निजी नोटिस नहीं दी गयी थी और, इसलिए, इसे चुनने का अवसर याची के पास नहीं था। इसके विपरीत, याची की सेवा अत्यन्त भेदभावपूर्ण तरीके से समाप्त की गयी थी जैसा प्रत्यर्थी कंपनी और कॉपर मजदूर यूनियन के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए उनके कर्मकारों के बीच हुए दिनांक 21.11.2000 के समझौता ज्ञापन (रिट याचिका का परिशिष्ट 2) से स्पष्ट होगा। उक्त ज्ञापन के समझौते के निबंधनों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होगा कि जहाँ तक याची एवं किसी मकरा पाटर का संबंध है, इस प्रभाव का शर्त अधिरोपित किया गया था कि उन्हें उक्त समझौते का लाभ दिया जाएगा ज्योंही वे पटना उच्च न्यायालय, राँची न्यायपीठ, राँची के समक्ष लंबित सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3113 वर्ष 1997 (R) से स्वयं को वापस कर लेते है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यद्यपि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3113 वर्ष 1997 (R) का परिणाम उसको ज्ञात नहीं है फिर भी प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा याची पर अधिरोपित उक्त शर्त न्यायोचित नहीं कही जा सकती है।

6. तर्क के क्रम में, याची के विद्वान अधिवक्ता निष्पक्षत: निवेदन करते हैं कि समय प्रवाह के कारण दिनांक 26.9.1998 के सेवा समाप्ति आदेश को अभिखंडित करने के लिए रिट याचिका में की गयी मूल प्रार्थना कोई सकारात्मक प्रयोजन पूरा नहीं कर सकती है, फिर भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची के साथ प्रत्यर्थी कंपनी के अन्य समस्थित कर्मकारों के मुकाबले भेदभाव किया गया था, कम से कम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ याची को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

7. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमित कुमार दास प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र एवं पूरक प्रतिशपथ पत्र निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि यद्यपि घटनाओं जो मूसाबानी खानों को बंद करने के आदेश के अनुसरण में सामान्य सेवा समाप्ति नोटिस जारी किए जाने की ओर ले गयी के संबंध में ताथ्यिक विवाद नहीं है जैसा याची द्वारा कथन किया गया है, फिर भी वह निवेदन करते हैं कि याची को खानों को बंद करने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चुनने के अनेक अवसर दिए गए थे, किंतु उसने इसके लिए आवेदन नहीं दिया, जो स्पष्टत: क्लोज मुआवजा लाभों की तुलना में अधिक लाभकारी थी। चूँकि याची ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं चुना था, उसकी सेवा दिनांक 26.9.1998 की सेवा समाप्ति नोटिस के निबंधनानुसार समाप्त हो गयी।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किए गए परस्पर विपक्षी निवेदनों पर विचार करते हुए एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर मैं पाता हूँ कि यद्यपि याची ने मूसाबानी खानों के क्लोजर नोटिस के अनुसरण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विनिर्दिष्टत: नहीं चुना था, फिर भी पूर्वोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि मूसाबानी खानों में कार्यरत कुल 2018 कर्मकारों में से लगभग समस्त कर्मकारों को अन्य खानों में समायोजित किया गया था अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया था, किंतु याची को इसका लाभ इस कारण से नहीं दिया गया था कि उसने समय पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं चुना था जिसका परिणाम उसकी स्वत: सेवा समाप्ति में हुआ।

9. इस प्रकार, याची की ओर से की गयी सीमित प्रार्थना पर विचार करते हुए, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उक्त स्थिति के अधीन याची को भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ दिया जाना चाहिए जो अन्य समस्थित कर्मकारों को दी गयी थी और, इसलिए, मैं याची को खानों की बंदी की तिथि अर्थात् 30.9.1998 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ देने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 (कार्यपालक निदेशक (पी॰ एवं ए॰) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड) को निर्देश देना समुचित पाता हूँ। प्रत्यर्थी

सं॰ 3 को इस आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर याची को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के धनीय लाभों का भुगतान करने का निर्देश भी दिया जाता है। उक्त धनीय लाभ याची को इसका भुगतान किए जाने तक 30.9.1998 के प्रभाव से 6% दर पर ब्याज के साथ किया जाएगा।

10. पूर्वोक्त निर्देश/संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका तद्नुसार निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ,p॰ lh॰ feJk ,o Mk॰ ,l॰ ,u॰ ikBd] U;k;efrx.k

शौकत अली अंसारी

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 3 of 1993 (P). Decided on 15th May, 2017.

सत्र मामला सं॰ 64 वर्ष 1989/7 वर्ष 1990 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 9 नवंबर, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 11.11.1992 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–गवाहों के समक्ष दिए गए मृतका के मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है–मामले के आई॰ ओ॰ ने घटनास्थल का वर्णन किया है और उसने जमीन पर रक्त का धब्बा भी पाया था और रक्त के धब्बों के निकट एक रक्तरंजित चाकू भी पाया गया था–यह तर्क नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन मामले का प्रथम विवरण अभियोजन द्वारा छुपाया गया है–यह निवेदन नहीं किया जा सकता है कि चूँकि अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और उसे केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप की गैर-विरचना से प्रतिकूलता कारित हुई थी–अपीलार्थी को सही प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है–अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 9, 13 से 20)

निर्णयज विधि.–AIR 1955 SC 274—Distinguished; (2008) 3 SCC (Cr.) 500—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Ravi Prakash, Asadul Haque, For the Appellant; Mrs. Sadhna Kumar, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी शौकत अली अंसारी सत्र मामला सं॰ 64 वर्ष 1989/7 वर्ष 1990 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 9 नवंबर, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 11.11.1992 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, सूचक मनिरुद्दीन अंसारी बेकरी (प्राथमिकी में ब्रेड फैक्ट्री के रूप में वर्णित) का अपने छोटे भाई इरफान अंसारी के साथ सह-स्वामी था। घटना की तिथि पर, अर्थात्

23.12.1988 को प्रात: लगभग 5 बजे बेकरी में मजदूर संतोष रविदास दौड़ता आया और सूचक को सूचित किया कि उसके छोटे भाई इरफान अंसारी जो कारखाना में था पर चाकू से प्रहार किया गया था। सूचना पाने पर, सूचक दौड़ता हुआ कारखाना गया और अपने भाई को ब्रेड कारखाना के आंगन में खून से लथपथ पड़ा पाया। उसने अपने घायल भाई से पूछा जिसने उसको सूचित किया कि रात में वह कारखाना में सोया था और सुबह में जब वह स्वयं को नमाज के लिए तैयार कर रहा था, अभियुक्त अपीलार्थी शौकत अली अंसारी जो कारखाना से ब्रेड का खरीदार था, कारखाना के आंगन में आया और ज्यों ही पीड़ित अपना हाथ–पैर धो कर खड़ा हुआ, शौकत अंसारी ने उस पर चाकू से प्रहार किया। सह–अभियुक्त नूर आलम शौकत अंसारी को उसकी (मृतक) हत्या करने के लिए उकसा रहा था। हल्ला किए जाने पर सिकंदर और असीरुद्दीन घटना स्थल पर आए, जिसपर शौकत अंसारी आंगन में चाकू फेकर भाग गया। शैकत अली अंसारी एवं नूर आलम के पास क्रमश: 2,800/- रुपया एवं 1,200/- रुपया बकाया था जिसकी मांग की गयी थी और ब्रेड की आपूर्ति रोक दी गयी थी जिस कारण घटना हुई थी। घायल पीड़ित को चारपाई पर अस्पताल लाया गया था और डॉक्टर के आने तक उसकी मृत्यु हो गयी थी। सूचक मनिरुद्दीन अंसारी का पूर्वोल्लिखित प्रभाव का फर्दबयान पुलिस द्वारा अस्पताल में दर्ज किया गया था, जिस आधार पर महगामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 133 वर्ष 1988, जी॰ आर सं॰ 990 वर्ष 1988 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों शौकत अली अंसारी एवं नूर इस्लाम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से छह गवाहों का परीक्षण किया गया था। बचाव ने किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया था।

5. अ॰ सा॰ 5 मो॰ मनुरुद्दीन अंसारी मामले में सूचक है। उसने कथन किया है कि 23.12.1988 को प्रात: लगभग 5 बजे ब्रेड कारखाना का कर्मचारी संतोष रविदास आया और उसको सूचित किया कि शौकत अली एवं नूर इस्लाम द्वारा उसके छोटे भाई इरफान पर चाकू से प्रहार किया गया था। वह ब्रेड कारखाना भागा जहाँ उसने अपने भाई इरफान को कारखाना के आंगन में घायल पड़ा पाया और जब उससे पूछा गया, उसके भाई ने उसको सूचित किया कि शौकत ने उस पर चाकू से प्रहार किया था और नूर इस्लाम उसे उसकी हत्या करने करने के लिए उकसा रहा था। इरफान की छाती पर चाकू की दो उपहतियाँ थीं। इरफान ने उसको यह भी सूचित किया कि सुबह में वह स्वयं को हाथ पैर धोकर नमाज के लिए तैयार कर रहा था और ज्योंही वह उठ खड़ा हुआ, शौकत के उस पर चाकू से प्रहार किया। उसके द्वारा शोर किए जाने पर सिंकदर अंसारी और असीरुद्दीन अंसारी वहाँ आए। इरफान ने सूचक को यह भी सूचित किया था कि शौकत अली के पास 2,800/- रुपया बकाया था और नूर इस्लाम के पास 1,200/- रुपया बकाया था। उस पर धन की मांग करने के लिए प्रहार किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि वह चारपाई पर इरफान को महगामा अस्पताल लाया था जहाँ उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा अस्पताल में उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था, जिसे उसने पढ़ा था और इसे सत्य पाने पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था। उसकी पहचान पर फर्दबयान प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। इस गवाह का विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण किया गया था जिसमें उसने कथन किया है कि उसकी दो पत्नियाँ है, एक मुस्लिम समुदाय की और दूसरी संथाल, जिसने इस्लाम अपना लिया है। उसने

यह भी स्वीकार किया है कि किसी संथाल लड़की ने उसके पुत्र पर मामला भी दाखिल किया था, किंतु उसे मामले की प्रकृति की जानकारी नहीं थी। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उस समय तक जब वह कारखाना पहुँचा, सिकंदर एवं असुरीद्दीन पहले से उसके भाई के पास मौजूद थे। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उस समय तक जब वह घटना स्थल पहुँचा उसके भाई की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी।

6. अ॰ सा॰ 1 संतोष रविदास है जो बेकरी का कर्मचारी था और सूचक को घटना के बारे में सूचित करने गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि वह रात में कारखाना में सो रहा था और सुबह में वह मूत्र त्याग करने उठा जब उसने देखा कि शौकत मो॰ इरफान पर चाकू से उसके दाएं एवं बाएँ छाती पर प्रहार कर रहा था। इरफान मदद के लिए चिल्ला रहा था जिस पर वह इरफान के घर दौड़ कर गया और उसके बड़े भाई मनीरुद्दीन को घटना के बारे में यह कथन करते हुए सूचित किया कि शौकत ने इरफान पर चाकू से प्रहार किया था। तत्पश्चात वे दोनों घटना स्थल पर आए और शौकत अली इरफान को धक्का देकर भाग गया। उसने कथन किया कि नूर इस्लाम भी शौकत अली के साथ था। इस गवाह ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है। इस गवाह का प्रति परीक्षण किया गया था जिसमें उसने कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष कथन नहीं किया था कि वह अपने नियोक्ता द्वारा किए गए हल्ला पर जागा और उसे घायल पाया बल्कि उसने कथन किया था कि उसने शौकत को इरफान पर प्रहार करते देखा था।

7. अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकन्दर अंसारी वे व्यक्ति हैं जो मृतक द्वारा शोर किए जाने पर घटना स्थल पर पहुँचे। अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने कथन किया है कि जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लौट रहा था, उसने शौकत को भागते देखा। जब वह इरफान के ब्रेड कारखाना के निकट पहुँचा, उसने इरफान को गिरा देखा। पूछने पर इरफान ने उसको सूचित किया कि शौकत ने उस पर चाकू से प्रहार किया था। इरफान ने उसके समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को नामित नहीं किया था और तत्पश्चात, वह बेहोश हो गया था। अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी ने भी कथन किया है कि जब इरफान द्वारा हल्ला करने पर वह घटना स्थल पर पहुँचा, उसने इरफान की छाती के दोनों हिस्सों पर चाकू से कारित उपहतियाँ भी देखा और पूछने पर इरफान ने कथन किया कि उस पर शौकत द्वारा प्रहार किया गया था। उसने यह भी कथन किया है कि उसने शौकत को भागते देखा था और उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने कथन किया है कि वह कारखाना में नहीं घुसा था और उसने किसी को इरफान के निकट नहीं देखा था। वह इरफान के निकट मनीर (सूचक) अथवा सिकंकदर से नहीं मिला था। अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकन्दर अंसारी ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि जब वह घटना स्थल पहुँचा, सूचक मनीरुद्दीन वहाँ नहीं था जो बाद में आया और तत्पश्चात् मृतक को अस्पताल ले जाया गया था। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि पुलिस थाना में उसका बयान पहले दर्ज किया गया था जिसपर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

8. अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ अशोक कुमार है जिन्होंने 23.12.1988 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उस पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:–

(i) rrh; bVjdkLVy Lil e ,Vhfj;j pLV oky d nk, ikjkLVuy {k= ij 1¼" x ½" x 4½" xgjk Li"V gkf'k, d lkFk iDpj t[eA

(ii) uhp ikLVhfj;j :i l tkrh ,Vhfj;j vkDlhyjh ykbu d fudV f}rh; bVj dkLVy Lil e 1¼" x ½" x 2" xgjk iDpj t[eA

mUgku dFku fd;k g fd foPNnu ij fu"d"k Fk% LdkYi&fdlh vlkekU;rk dk irk ugh FkkA cu&dN èkèkyk@xyk&fdlh vlkekU;rk dk irk ugh FkkA ân;

*NkVk ,o [kkyhA "kfjdkfM;y ld ,Vhfj;jyh iDpj vkj ijh Fkkjkfld dfoVh cMh ek=k e fyfDoQk;M jDr l Hkjh@ck;k QQMk&d tLVMA nk;k QQMk Hkh ,VhjkehfM;y liQl ij dV t[e d lkFk dtLVM FkkA iV e jl tlh lkexh dk yxHkx vkl FkkA fyoj ,o Liyhu&dN fo'k"k ughA fdMuh fdlh vlkekU;rk dk irk ugh FkkA vkr&xl ,o eye= l HkjkA ;jhujh CyMj e yxHkx 30 ml ;jhu FkkA ,cMkfeuy dfoVh e Hkh fyfDoQk;M jDr FkkA***

इस गवाह ने कथन किया है कि उपहति छूरा जैसे तेज नुकीले हथियार द्वारा कारित की गयी थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उपहति भाला से कारित नहीं की जा सकती थी।

9. अ॰ सा॰ 6 मंगरा ओराँव मामले का आई॰ ओ॰ है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने महगामा अस्पताल में सूचक मनीरुद्दीन का फर्दबयान दर्ज किया था जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था और इसे सत्य पाने पर उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया। इस गवाह ने फर्दबयान पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। उसने फर्दबयान पर पृष्ठांकन भी पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था और उसने फर्दबयान के आधार पर तैयार की गयी प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया कि उसने मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार किया था जिसे उसकी पहचान करने पर प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने घटना स्थल का वर्णन भी किया है जो इस गवाह के अनुसार ब्रेड कारखाना के सामने खुला आंगन है जहाँ घटना हुई थी और उसने जमीन पर रक्त का धब्बा भी पाया था और रक्त के धब्बों के निकट एक रक्तरंजित चाकू भी पाया गया था। उसने रक्त रंजित मिट्टी एवं रक्त रंजित चाकू संग्रहित किया था और अभिग्रहण सूची तैयार किया था जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने अपने द्वारा किए गए अन्वेषण और आरोप पत्र की दाखिली के बारे में कथन किया है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि मनीरुद्दीन अंसारी ने उसके समक्ष कथन नहीं किया था कि संतोष ने उसको सूचित किया था कि शौकत अली एवं नूर इस्लाम ने मृतक पर चाकू से प्रहार किया था। उसने यह कथन भी किया है कि संतोष रविदास ने उसके समक्ष कथन किया था कि वह मृतक के शोर करने पर जागा और उसने कथन नहीं किया था कि उसने शौकत को मृतक पर प्रहार करते देखा था बल्कि उसने कथन किया था कि शौकत अपने हाथ में चाकू लिए इरफान को पकड़ रखा था।

10. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है, जबकि अन्य सह–अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिकी स्पष्टतः दर्शाती है कि सूचक को किसी अभियुक्त के बारे में संतोष रविदास द्वारा सूचित नहीं किया गया था, किंतु अपने साक्ष्य में सूचक ने कथन किया था कि संतोष रविदास ने उसे सूचित किया था कि अपीलार्थी शौकत अली एवं सह–अभियुक्त ने छुरा से इरफान पर प्रहार किया था और अ॰ सा॰ 1 संतोष रविदास द्वारा भी स्वयं का घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हुए समरुप बयान दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 6 मंगरा ओराँव ने स्पष्टतः कथन किया है कि उसके समक्ष उनमें से किसी के द्वारा ऐसा बयान नहीं दिया गया था। तद्नुसार,

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन दोनों गवाहों ने प्राथमिकी में यथाकथित अभियोजन मामले में सुधार किया है और तद्नुसार वे विश्वसनीय गवाह नहीं है और उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने कथन किया है कि उसने मृतक को घायल दशा में देखा था जो यह सूचित करने के बाद कि शौकत ने उस पर प्रहार किया था बेहोश हो गया। अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने यह कथन भी किया है कि उस समय तक कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा था और तद्नुसार इस बिंदु पर अन्य गवाहों का साक्ष्य कि मृतक ने उनको सूचित किया था कि उस पर शौकत द्वारा प्रहार किया गया था, विश्वसनीय नहीं है। यह भी इंगित किया गया है कि इस गवाह ने कथन किया है कि वह कारखाना में नहीं गया था, और इस दशा में वह मृतक को नहीं देख सकता था क्योंकि घटना स्थल कारखाना के भीतर है। इस दशा में उसका साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी ने कथन किया है कि पुलिस थाना में उसका बयान पहले दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया था, किंतु यह बयान अभियोजन का मामले का प्रथम विवरण होने के नाते अभियोजन द्वारा छुपाया गया था और उसका लाभ बचाव को दिया जाना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने पुन: निवेदन किया कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्त के बयान में भी उससे प्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछा गया था। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, किंतु उसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **नानक चंद बनाम पंजाब राज्य, AIR 1955 SC 274** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें अभियुक्त को धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था तथा उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले की परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित नहीं करने से अपीलार्थी पर प्रतिकूलता कारित नहीं हुई थी। अपने प्रतिवाद के समर्थन में कि अपीलार्थी से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछा गया था, विद्वान अधिवक्ता ने **लाटू महतो एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), (2008)3 SCC (Cr.)500,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। इन निर्णयों पर विश्वास करके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है और इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि मृतक की हत्या किसी संथाल द्वारा किए जाने की संभावना थी क्योंकि सूचक ने संथाल महिला से विवाह किया था और उसका धर्म परिवर्तन किया था और उसके पुत्र का भी संथाल लड़की से विवाद था जिसके लिए उसके पुत्र पर मामला भी दाखिल किया गया था।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है क्योंकि अभियोजन मामला घटना के एक चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 1 संतोष रविदास, बेकरी का कर्मचारी, द्वारा समर्थित है जिसने स्पष्टत: कथन किया है कि जब वह जागा, उसने अपीलार्थी को चाकू से मृतक पर प्रहार करते देखा और तत्पश्चात वह गया और मृतक के बड़े भाई अर्थात् सूचक मनीरुद्दीन अंसारी को सूचित किया और जब वे घटनास्थल पर आए, अपीलार्थी ने मृतक को धक्का दिया और भाग गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने मृतक को आंगन में घायल दशा में पाया था और पूछने पर मृतक ने उसको सूचित किया कि अपीलार्थी शौकत अली ने उस पर चाकू से प्रहार किया था। अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी जो मृतक द्वारा हल्ला किए जाने पर घटना स्थल पहुँचा था ने भी कथन

किया है कि मृतक ने उसको सूचित किया कि अपीलार्थी शौकत अली ने चाकू से उस पर प्रहार किया था और इन दोनों गवाहों ने अभियुक्त शौकत अली को घटना स्थल से भागते देखा था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सूचक अ॰ सा॰ 5 द्वारा भी समरुप बयान दिया गया है और इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ अशोक कुमार जिन्होंने मृतक की छाती पर चाकू द्वारा कारित दो उपहति पाया था के चिकित्सीय साक्ष्य और उनके द्वारा प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया गया शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा पूर्णत: समर्थित है। आई॰ ओ॰ ने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल बेकरी का खुला आंगन है जहाँ से रक्तरंजित मिट्टी एवं रक्तरंजित चाकू भी जब्त किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह ऐसा मामला है जिसमें गवाहों के समक्ष दिया गया मृतक का मृत्युकालिक कथन है और अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, यद्यपि हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 1 संतोष रविदास और अ॰ सा॰ 5 सूचक मो॰ मनीरुद्दीन अंसारी ने प्राथमिकी में यथा कथित अभियोजन मामले में सुधार किया है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 संतोष रविदास ने घटना का चश्मदीद गवाह बनने का प्रयास किया है जो मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 6 मंगरा ओराँव के साक्ष्य के अनुसार संदेहपूर्ण है, किंतु तथ्य बना रहता है कि अ॰ सा॰ 5 सूचक मो॰ मनीरुद्दीन अंसारी, अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 3 सिकंदर अंसारी इन सबों ने कथन किया कि जब वे घटनास्थल पहुँचे, मृतक ने उनको सूचित किया कि अपीलार्थी शौकत अली ने उस पर चाकू से प्रहार किया था। अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी ने अपीलार्थी शौकत अली को घटनास्थल से भागते देखा था। विशेषत: अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी के साक्ष्य की दृष्टि में हम इन गवाहों के समक्ष दिए गए मृतक के मृत्यु कालिक कथन पर अविश्वास करने की अवस्था में नहीं हैं।

14. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल नहीं पाते हैं कि चूँकि अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने कथन किया था कि अपीलार्थी शौकत अली का नाम प्रकट करने के तुरन्त बाद मृतक बेहोश हो गया था और इस दशा में मृतक अन्य गवाहों जो बाद में आए के समक्ष ऐसा बयान नहीं दे सकता था। तथ्य बना रहता है कि समस्त गवाह घटनास्थल पर समय की अत्यन्त निकटता में पहुँचे और यदि वे कह रहे हैं कि मृतक ने उनको सूचित किया था कि अपीलार्थी शौकत अली ने उस पर चाकू से प्रहार किया था, इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में गुणागुण नहीं है कि अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन ने कथन किया था कि वह कारखाना में नहीं घुसा था और इस दशा में वह मृतक को नहीं देख सकता था क्योंकि घटनास्थल कारखाना के भीतर है जैसा कि मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 6 मंगरा ओराँव द्वारा बताया गया है घटनास्थल कारखाना का सामने का खुला आंगन है।

15. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी ने कथन किया था कि पुलिस थाना में उसका बयान पहले दर्ज किया गया था, जिसपर, उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया था, किंतु अभियोजन द्वारा यह बयान छुपाया गया था और उसका लाभ बचाव को दिया जाना होगा। तथ्य बना रहता है कि सूचक का फर्दबयान पहले अस्पताल में दर्ज किया गया था, और तत्पश्चात कुछ गवाहों का बयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी का बयान शायद गवाहों जिनका बयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था के बीच में से पहले दर्ज किया गया था, किंतु पहला बयान जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था सूचक का फर्दबयान

है जिसे अस्पताल में दर्ज किया गया था। इस दशा में, यह तर्क नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन मामले का प्रथम विवरण अभियोजन द्वारा छुपाया गया है।

16. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल नहीं पाते हैं कि चूँकि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन विरचित किया गया था और उसे केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप की गैर-विरचना से उस पर प्रतिकूलता कारित हुई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **नानक चंद्र के मामले (ऊपर)**में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले के तथ्यों में यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल था कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित नहीं किये जाने से उक्त मामले के अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं हुई थी। वर्तमान मामले के तथ्य वही नहीं हैं और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह इंगित नहीं कर सके थे कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित नहीं किए जाने से वस्तुतः अपीलार्थी पर कौन सी प्रतिकूलता कारित की गयी है।

17. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल नहीं पाते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों को अभियुक्त को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज करते हुए समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था क्योंकि हम अभिलेख से पाते हैं कि उसके विरुद्ध साक्ष्य जो विचारण में आया था कि उसने चाकू से मृतक पर प्रहार किया था, उससे विनिर्दिष्टतः पूछा गया था और उसने इससे इनकार किया है।

18. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूँकि अ॰ सा॰ 2 असीरुद्दीन एवं अ॰ सा॰ 3 मो॰ सिकंदर अंसारी ने अन्य सह-अभियुक्त नूर इस्लाम को नामित नहीं किया था, उसे सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी शौकत अली अंसारी का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को न्यायोचित ठहराते हुए उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है।

19. पूर्वोक्त कारणों से हम पाते हैं कि अपीलार्थी शौकत अली अंसारी को सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है और सत्र मामला सं॰ 64 वर्ष 1989/7 वर्ष 1990 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 9 नवंबर, 2002 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 11.11.1992 के दंडादेश में अवैधता नहीं है जिसे हम एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थी जमानत पर है और उसका जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। अपीलार्थी शौकत अली अंसारी को दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में तुरन्त आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। दंडादेश भुगतने के लिए अपीलार्थी का आत्मसमर्पण/प्रस्तुती अनिवार्य बनाने के लिए अवर न्यायालय को तुरन्त निर्देशिका जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

20. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

चंद्रदेव शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2853 of 2008. Decided on 15th June, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 97—निलंबन–निर्वाह भत्ता का भुगतान–सेवा संहिता के नियम 97 का सहारा लेने के लिए सुनवाई का अवसर पूर्वशर्त है–वर्तमान मामले में, चूँकि केवल निर्वाह भत्ता के भुगतान की सीमा तक निलंबन अवधि के लिए उसके वेतन का भुगतान निर्वंधित करने के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची को नियम 97 के अधीन यथा आदेशित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, आक्षेपित आदेश विधितः संपोषित नहीं किया जाता है और अभिखंडित किया जाता है–प्रत्यर्थियों को तीन माह की अवधि के भीतर याची को (निर्वाह भत्ता घटाकर) शेष वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1997) 11 SCC 374; 2000 (3) PLJR 41—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s A. Allam, Priya Shrestha, Nehala Sharmin, For the Petitioner; Mr. Kaustav Roy, For the Resp.-Jharkhand; Mr. Ramit Satender, For the Resp.-Bihar

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने वर्तमान रिट याचिका के रूप में संपूर्ण विभागीय कार्यवाही एवं दिनांक 4.11.1997 के दंड के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा याची पर निंदा का दंड अधिरोपित किया गया था और निलंबन अवधि अर्थात् 24.6.1996 से 28.10.1997 तक के दौरान वेतन का भुगतान याची को भुगतान किए गए निर्वाह भत्ता तक सीमित किया गया था।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची वर्ष 1984-85 में जिला समस्तीपुर (अब बिहार राज्य में) मारवा में प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था। याची पर वर्ष 1992 में छह आरोपों के साथ आरोप ज्ञापन तामील किया गया था। याची को 24.6.1996 को निलंबित भी किया गया था किंतु बाद में उसका निलंबन 28.10.1997 को प्रतिसंहृत किया गया था। जाँच के समापन के बाद, पाँच आरोप सिद्ध नहीं किए गए पाए गए थे, किंतु आरोप सं॰ 6 के संबंध में (अर्थात् याची ने 112.50/- रुपयों के बजाए 130/- रुपयों के खुदरा मूल्य पर खाद बेचने की अनुमति डीलरों को दिया, जाँच अधिकारी ने इसे अंशतः सिद्ध किया गया पाया, किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी को अनुशंसित किया कि याची को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। तत्पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी ने कोई द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया था और (1) निंदा तथा (2) निलंबन अवधि अर्थात् 24.6.1996 से 28.10.1997 तक के दौरान वेतन का भुगतान याची को पहले ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ता तक सीमित किया गया था का दंड अधिरोपित करते हुए दिनांक 4.11.1997 का दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया, किंतु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजन से की जानी थी।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया था कि याची ने तत्पश्चात पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 6931 वर्ष 2000 दाखिल किया जिसे याची को अपेक्षित आदेश के विरुद्ध अपील करने की स्वतंत्रता देते हुए दिनांक 3.8.2000 के आदेश के तहत निपटाया गया था। बाद में, याची ने बिहार राज्यपाल के समक्ष 4.7.2001 को अपील दाखिल किया जो लंबित बना रहा और इस बीच, याची का कैडर वर्ष 2003 में झारखंड राज्य को आवंटित किया गया था। इस दशा में, याची ने 15.4.2008 को उक्त अपील झारखंड राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष अपील–सह–स्मरण पत्र दाखिल किया, किंतु अपील निपटायी नहीं गयी थी और इस दशा में, याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया। किंतु, वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, 28.4.2012 को याची की अपील परिसीमा के आधार पर अस्वीकार करते हुए अपील में आदेश पारित किया गया था।

5. पूर्वोक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि के अधीन, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपना तर्क केवल दिनांक 4.11.1997 के अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के उस भाग तक सीमित किया है जिसके द्वारा निलंबन अवधि के दौरान याची के वेतन का भुगतान निर्वाह भत्ता के भुगतान तक सीमित किया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि याची पर दिनांक 4.11.1997 के आक्षेपित आदेश के तहत निंदा का लघु दंड अधिरोपित किया गया था, फिर भी निर्वाह भत्ता की सीमा तक निलंबन अवधि के लिए याची का वेतनमान निर्बंधित करने वाला आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 97 का सहारा नहीं लिया गया है और इस दशा में दिनांक 4.11.1997 के आक्षेपित आदेश का उक्त भाग अवैध है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि याची को आरोप ज्ञापन के प्रति स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था और याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर को विचार में लेने के बाद उसे पाँच आरोपों से विमुक्त किया गया था, किंतु उसके विरुद्ध एक आरोप सिद्ध किया गया था और, इसलिए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने निंदा के लघु दंड का आदेश पारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि याची के विरुद्ध अधिरोपित दंड लघु दंड है, दंड का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसको द्वितीय कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि निलंबन अवधि के लिए याची के वेतन का भुगतान उसको भुगतान किए गए निर्वाह भत्ता की सीमा तक निर्बंधित किया गया है, फिर भी दिनांक 4.11.1997 के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि पेंशन आदि के नियतकरण के प्रयोजन से गिनी जाएगी। इस दशा में, दंड का आदेश पारित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अवैधता नहीं की गयी है और इसलिए इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद, यह प्रतीत होता है कि दिनांक 4.11.1997 के दंड के आक्षेपित आदेश के कारणों से निलंबन अवधि अर्थात् 24.6.1996 से 28.10.1997 तक की अवधि के लिए याची को वेतन का भुगतान निर्वाह भत्ता के भुगतान तक सीमित किया गया था। ऐसी स्थिति में, बिहार सेवा संहिता, 2001 के नियम 97 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं। बेहतर अधिमूल्यन के लिए, झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 97 को नीचे उद्धृत किया जाता है:

> *^^fu;e 97 (1) tc ljdkjh lod ftl c[kkLr fd;k x;k g] gVk;k x;k g vFkok fuyfcr fd;k x;k g] dk iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu oky l{ke çkfèkdkjh dk&*
>
> *(a) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, ljdkjh lod dk Hkxrku fd, tku oky oru rFkk HkÙkk d lEcUèk e] rFkk*
>
> *(b) D;k mDr vofèk dk dÙk0; ij fcrk;h x;h vofèk ekuh tk,xh ;k ugh d lcèk e fopkj djuk gkxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djuk gkxkA*
>
> *(2) tgk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh dk er g fd ljdkjh lod dk i.kr% foeDr dj fn;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] ljdkjh lod dk ijk oru vkj HkÙkk ft ldk og gdnkj gkrk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr ugh fd;k tkrk] gVk;k ugh tkrk vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrk] nuk gkxkA*
>
> ***(3) vU; ekeyk e ljdkjh lod dk ,l oru vkj HkÙkk dk ,lk vuikr fn;k tk,xk tlk ,lk l{ke çkfèkdkjh fofgr dj ldxkA***

ijUr ;g fd [kM (2) vFkok [kM (3) d vèkhu HkÙkk dk Hkxrku vU; leLr 'krk d vè;èkhu gkxk ftld vèkhu ,lk HkÙkk xkg; gA

(4) [kM (2) d vèkhu vku oky ekey e drO; l vuifLFkr jgu dh vofèk dk leLr ç;ktu l drO; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ekuk tk,xkA

(5) [kM (2) d vèkhu vku oky ekey e drO; l vuifLFkr jgu dh vofèk drO; ij fcrk;h x;h vofèk d :i e ugh ekuh tk,xh tc rd ,lk l{ke çkfèkdkjh fofufn"Vr% fun'k ugh nrk g fd bl fdlh fofufn"V ç;ktu l ,lk ekuk tk,xk%

ijUr ;g fd ;fn ljdkjh lod ,lk pkgrk g ,lk çkfèkdkjh fun'k n ldrk g fd drO; l vuifLFkr jgu dh vofèk dk ljdkjh lod dk n; rFkk xkg; fdlh çdkj d vodk'k e lifjofrr dj fn;k tk,xkA**

8. झारखंड सेवा संहिता के नियम 97 (3) का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट होगा कि सरकार को सरकारी सेवक का वेतन तथा भत्ता के किसी अनुपात का भुगतान करने का प्राधिकार है यदि उसे विभागीय कार्यवाही में पूर्णतः विमुक्त नहीं किया गया है, फिर भी उक्त सहारा लेने के पहले झारखंड सेवा संहिता के नियम 97 (3) में संगणित प्रक्रियात्मक आवश्यकता अनिवार्य है। किंतु, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा नियम 97 (3) का सहारा नहीं लिया गया है।

9. **''मंजूर अहमद मजुमदार बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य, (1997)11 SCC 374** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असम मूल नियम के नियम 54 जो बिहार सेवा संहिता तथा झारखंड सेवा संहिता के नियम 97 का समविषयक है पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"4. ,eO xkikyÑ".k uk;M e fu.k; dh nf"V e **;g vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd ;|fi vkn'k ikfjr dju d igy depkjh dk volj nu d fy, ey fu;e 54 (3) e vfHkO;Dr vko';drk ugh g] ,lk volj nuk 'kfDr d ç;kx e vrfufgr g ftl mDr çkoèkku }kjk çnÙk fd;k x;k gA vr% fuylcu vofèk (sic vuifLFkfr½ d lcèk e vihykFkh dk Hkxr; oru ,o HkÙkk d lcèk e vkn'k ikfjr dju d igy vihykFkh dk volj nuk l{ke çkfèkdkjh d fy, vko';d gA** pfd oreku ekey e ,lk ugh fd;k x;k Fkk] fnukd 12.8.1982 dk vkn'k eU; ugh Bgjk;k tk ldrk g vkj bl vikLr djuk gkxkA blh dkj.k l mPp U;k;ky; dk vk{kfir vkn'k Hkh vikLr fd;k tkuk gkxk--------"

10. पटना उच्च न्यायालय ने **''रामाश्रय प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य,' 2000 (3) PLJR 41,** में **''मंजूर अहमद मजुमदार'' (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 97 (प्रावधान के झारखंड सेवा संहिता के समविषयक होने के नाते) का सहारा लेने के लिए सुनवाई का अवसर पूर्व शर्त है।

11. वर्तमान मामले में, चूँकि केवल निर्वाह भत्ता के भुगतान की सीमा तक निलंबन अवधि के लिए वेतन के उसके भुगतान को निर्बंधित करने का निर्णय लेने के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा याची को बिहार सेवा संहिता के नियम 97 के अधीन यथा आदेशित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, दिनांक 4.11.1997 के मेमो सं॰ 9410 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश विधितः संपोषित नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, इसे अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, दिनांक 28.4.2012

का अपील में पारित आदेश भी अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याची को शेष वेतन अर्थात् निर्वाह भत्ता घटाकर) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त भुगतान आदेश की प्राप्ति की तिथि से याची को भुगतान किए जाने तक 7% की दर पर ब्याज पाएगा।

12. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

अशोक कुमार मेहता उर्फ अक्षय जी उर्फ निर्भय जी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (Cr.) No. 75 of 2017 decided on 3rd April, 2017.

झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000—धारा 12 (2)—निवारक निरोध–निरोध के आरंभिक आदेश के संबंध में कोई गलती अथवा अवैधता प्रतीत नहीं होता है–किंतु, झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान के निबंधनानुसार याची का निरोध सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के अध्यधीन किए जाने की अनुपस्थिति में याची का निरंतर निरोध अवैध निरोध और अधिनियम द्वारा सरकार पर प्रदत्त शक्तियों के पुनर्विलोकन के परे कहा जाएगा–निरोध आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2015)13 SCC 722.—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. R.S. Mazumdar, For the Petitioner; Mr. Binod Singh, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर॰ एस॰ मजुमदार एवं विद्वान एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) बिनोद सिंह सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने अवर सचिव, गृह विभाग, कारा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा पारित दिनांक 9.1.2017 के आदेश सं॰ 5/CCA/01/71/2016-119 के अभिखंडन के लिए समुचित रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन पारित निरोध आदेश 17.4.2017 तक बढ़ा दिया गया है।

3. सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, गढ़वा द्वारा 23.8.2016 को प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष इस तथ्य की दृष्टि में कि याची के विरुद्ध आठ दांडिक मामले लंबित थे, झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन याची को निरुद्ध करने के लिए उसमें अनुशंसा करते हुए अनुशंसा की गयी थी। सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, गढ़वा द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुसरण में, प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा 18.10.2016 को आदेश पारित किया गया था जिसमें याची को तीन माह की अवधि के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित निरोध आदेश बाद में राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट किया गया था। सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद याची को 17.1.2017 तक निरुद्ध किया जाना था। बाद में दिनांक 9.1.2017 के पत्र सं॰ 5/CCA/01/71/2016-119 के तहत गृह विभाग के अवर सचिव, कारा एवं आपदा प्रबंधन ने याची की निरोध अवधि तीन माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 17.4.2017 तक बढ़ायी गयी थी जो वर्तमान रिट आवेदन में चुनौती के अधीन है।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 9.1.2017 के आदेश में यह परिलक्षित होता है कि निरोध आदेश 17.1.2017 तक के लिए था और इसलिए, सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के बिना याची का आगे निरोध विधि में दोषपूर्ण था। किंतु, वह निवेदन करते हैं कि चूँकि विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है और राज्य अधिवक्ता द्वारा पूरक प्रति शपथ पत्र में लाया गया है, वह अपना तर्क केवल इस तथ्य के संबंध में सीमित कर रहे हैं कि झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के निबंधनानुसार सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोध के अग्रेतर आदेश को संपुष्ट करवाए बिना याची का आग्रेतर निरोध अवैध होने के नाते अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **चेरूकुरी मनि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य, (2015)13 SCC 722,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 282 वर्ष 2016 में पारित आदेश पर विश्वास किया है।

5. श्री बिनोद सिंह, विद्वान एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) ने प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट किया है और कथन किया है कि जब याची का आर्रंभिक निरोध समाप्त होने वाला था, उसके बाद प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने यह महसूस करने पर कि समाज की शांति खतरे के अधीन होगी यदि याची को निर्मुक्त किया जाता है, याची के निरोध की अवधि तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् 17.4.2017 तक आगे बढ़ायी गयी है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि डब्लू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 282 वर्ष 2016 में पारित आदेश वर्तमान मामले को मार्गदर्शित नहीं करेगा क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि जब एक बार सलाहकार बोर्ड बंदी के विरुद्ध पारित निरोध आदेश संपुष्ट करता है, झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 22 के निबंधनानुसार निरोध अवधि बढ़ाने का विशेषाधिकार राज्य को है।

6. यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आदेश पारित करते हुए सलाहकार बोर्ड द्वारा इसे संपुष्ट करवाने के संबंध में आवश्यक मेकेनिज्म का सम्यक रूप से अनुसरण किया गया था। निरोध के आर्रंभिक आदेश के संबंध में कोई गलती अथवा अवैधता प्रतीत नहीं होती है। किंतु अवर सचिव, गृह विभाग, कारा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश के फलस्वरुप निरोध अवधि का पश्चातवर्ती विस्तारण 17.4.2017 तक बढ़ाया गया है। आदेश जिसे अभिलेख पर लाया गया है और जिसे राज्य अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है, इस प्रकार प्रकट करता है कि झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 20 के अधीन यथा परिकल्पित सलाहकार बोर्ड का मत लिए बिना, याची का निरोध आगे बढ़ाया गया है। **चेरूकुरी मनि (ऊपर)** के मामले में, उक्त निर्णय के समापन भाग में सतर्कता का नोट दिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति का निरोध पुनर्विलोकित करने के लिए विधानमंडल ने विनिर्दिष्टत: ''सलाहकार बोर्ड'' का मेकेनिज्म प्रावधानित किया है और समुचित पुनर्विलोकन के बिना 12 वर्ष की लगातार अवधि के लिए निरोध आदेश पारित किया जाना बंदी का अधिकार समपहृत कर लेता है। वर्तमान मामले में भी यदि याची/बंदी का मामला समय-समय पर सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकित नहीं किया जाता है, यह असल में तीन माह की प्रत्येक अवधि द्वारा विस्तारणीय 12 वर्ष की अवधि के लिए निरोध आदेश पारित करने के तुल्य होगा जैसा अवर सचिव, गृह विभाग, कारा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा पारित विस्तारण के प्रथम आदेश में किया गया है। **प्रिंस खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 282 वर्ष 2016** में समरुप विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

*^^p: djh ¼Åij½ ekey ij okil vkr g,] ;g Li"Vr% vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd lefpr iufoykdu d fcuk yxkrkj 12 ekg dh vofèk d fy, fujkèk vkn'k ikfjr fd;k tkuk cnh d vfèkdkjk d çfr gkfudkjd gA mle vkx ;g minf'kr fd;k x;k Fkk fd foèkku eMy u 0;fDr dk fujkèk iufoykfdr dju d fy, ^^lykgdkj ckM** dk edfuTe fofufn"Vr% çkoèkkfur fd;k FkkA lykgdkj ckM d le{k ,lh vu'kIk fufn"V fd, fcuk ;kphx.k dh fujkèk vofèk c<ku e jkT; ljdkj dk ÑR; vly e 12 ekg dh yxkrkj vofèk d fy, fujkèk vkn'k ikfjr fd, tku d rY; g D;kfd lykgdkj ckM }kjk bldh lif"V rd cnh d fuokjd fujkèk dh vu'kIk d li.k ljpukRed igy e lokfèkd egRoi.k vx }kjk iufoykdu ugh fd;k tk jgk gA lj{kk ftl foèkkueMy }kjk cnh d i{k e çkoèkkfur fd;k x;k g dk ijh rjg vun[kk dj fn;k x;k g vkj jkT; dh vkj ls ,Ik ÑR; fu'p; gh cnh d fuokjd fujkèk d lcèk e vfèkfu;e dh li.k ;ktuk e lykgdkj ckM }kjk lif"V dh ,Ik edfuTe j[ku dk mí'; ,o ç;ktu foQy djrk gA*

vr% ekey d ,l nf"Vdk.k e mud fujkèk d çFke rhu ekg d volku d ckn ;kphx.k dk fujrj fujkèk fofèk e nk"ki.k g vkj blfy, oreku ;kphx.k d ekey e iFkd :i ls ikfjr vkn'k vikLr ; lHkh fjV vkonu vuKkrA

7. उक्त निर्दिष्ट निर्णयों से संकेत लेते हुए झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार सलाहकार बोर्ड द्वारा याची के निरोध के पुनर्विलोकन की अनुपस्थिति में याची का निरंतर निरोध उक्त अधिनियम द्वारा सरकार पर प्रदत्त शक्तियों के कार्यक्षेत्र के परे और अवैध निरोध कहा जाएगा।

8. मामले के ताथ्यिक एवं विधिक पहलूओं के समुचित अधिमूल्यन पर दिनांक 9.1.2017 के 5/CCA/01/71/2016-119 में अंतर्विष्ट आदेश के निबंधनानुसार याची का अग्रेतर निरोध अवैध होने के नाते अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और याची को निर्मुक्त करने, यदि किसी अन्य मामले में, उसकी आवश्यकता नहीं है का निर्देश आगे दिया जाता है।

9. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शिव प्रसाद साहू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4216 of 2012 Decided on 19th April, 2017.

जन वितरण प्रणाली–उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस का रद्दकरण–आक्षेपित आदेश मुख्यतः याची द्वारा आपूर्ति रजिस्टर में प्रविष्टियों में गलती के स्वीकरण पर दिए गए–आक्षेपित आदेशों में किए गए अभिकथन को संपुष्ट करने के लिए अन्य निष्कर्ष नहीं है–याची ने स्पष्ट दृष्टिकोण लिया है कि उस पर जाँच रिपोर्ट तामील नहीं की गयी थी और न ही उसकी उपस्थिति

में जाँच की गयी थी–याची ने अपने कारण बताओ में कतिपय कार्डधारकों के बयानों पर विश्वास करके अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का प्रयास किया है–अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर दंड की मात्रा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है–दंड की मात्रा पर नया आदेश पारित करने के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी-सह-उपायुक्त को वापस भेजा जाता है। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s Binod Kumar Dubey, Nawin Kumar, For the Petitioner; M/s Chandra Prabha, Rohit, Vishal Kr. Rai, For the Respondents.

आदेश

याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ग्राम डमडम, प्रखंड हंटरगंज, जिला चतरा में सं॰ 6/89 (परिशिष्ट 1) वाले उचित मूल्य दुकान का पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंसधारक है। एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा 2.6.2010 को किए गए निरीक्षण के आधार पर दिनांक 8.6.2010 के मेमो सं॰ 941 वाला निम्नलिखित आरोपों को अंतर्विष्ट करने वाला कारण बताओ जारी किया गया था:-

(i) fd dfri; dkMèkkjdk u vfHkdfFkr fd;k g fd ;kph }kjk doy 33 fdyksxke [kk|kUu forfjr fd;k x;k Fkk ftld cny e 50 #i;k çHkkfjr fd;k x;k Fkk(vfçy ekg d ih0 Mh0 ,l0 vkbVe forfjr ugh fd, x, Fk fdr vkifr jftLVj e 15, 16, 17 eb] 2010 dk vkbVek dk forj.k n'kk;k x;k FkkA

(ii) fdlh lkuofr;k noh] iRuh dkMèkkjd pnj Hkb;k dh iRuh] u ifjokn fd;k Fkk fd ;|fi vfçy e mld dkM e n'kk, x, eb ekg d [kk|kUu mBk, x, Fk] tkp u çdV fd;k fd vfçy ekg d ih0 Mh0 ,l0 [kk|kUu Hkh mBk, x, FkA

3. याची को तीन दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए कहा गया था। याची ने दिनांक 29.6.2010 के परिशिष्ट 2/1 के तहत अपने समर्थन में कतिपय कार्डधारकों ने बयान को संलग्न करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उसने आगे प्राख्यान किया कि अप्रिल माह में खाद्यान्न वितरित किए गए थे। द्वितीय आरोप के संबंध में उसने इसे लिपिकीय गलती के रूप में स्वीकार किया। अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी-सह-एस॰ डी॰ ओ॰ चतरा, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया था और दिनांक 20.7.2010 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 5) द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया। अपील पर, उपायुक्त, चतरा ने भी आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.4.2012 मान्य ठहराया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विरोध इस आधार पर किया है कि जाँच उसकी उपस्थिति में नहीं की गयी थी। किसी भी कार्ड धारक ने अभिकथनों का समर्थन नहीं किया है। अप्रिल माह में खाद्यान्न समुचित रूप से वितरित किए गए थे। सोनवतिया देवी ने भी कारण बताओ के साथ संलग्न शपथ पत्र के रूप में परिशिष्ट 4 के तहत आरोपों का खंडन किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रथम आरोप बिल्कुल सिद्ध नहीं किया गया है। किंतु, इस तथ्य के बावजूद कि याची ने द्वितीय आरोप लिपिकीय गलती के रूप में स्वीकार किया है, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कठोर दंड अधिरोपित किया गया है, जो अवचार की तुलना में अननुपातिक है। वह निवेदन करते हैं कि जाँच रिपोर्ट की गैर प्रस्तुती ने उसकी प्रतिकूलता के प्रति कृत्य किया है यद्यपि अभिकथन असिद्ध बना रहा क्योंकि कोई भी कार्डधारक आरोपों का समर्थन करने आगे नहीं आया हुए–आक्षेपित आदेशों में है। अत: इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। उनके द्वारा प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। परिवाद की गैर आपूर्ति तथा याची के पीठ पीछे संचालित जाँच के बारे में रिट याचिका के पैरा 6 में दिए गए बयानों को प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र के पैरा 13 में दिए गए बयान के मुताबिक स्पष्ट रूप से खंडित नहीं किया गया है। किंतु प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद कार्डधारकों का समर्थन जुटा लिया था। खाद्यान्नों का वितरण वितरण रजिस्टर और लाभार्थियों के कार्ड में की गयी प्रविष्टियों से परिलक्षित होता है। यदि अप्रिल एवं मई माह के खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित अभिकथन के सत्यापन पर सिद्ध किया गया पाया गया है और सोनवतिया द्वारा किया गया परिवाद भी स्वीकार किया गया है, अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी ने सही प्रकार से अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय किया है क्योंकि पी॰ डी॰ एस॰ आइटम के वितरण के मामले में अनियमितताओं के मामले में शून्य सहन की नीति अपनायी जाती है। अत: आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है।

6. पक्षों के निवेदन और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार किया गया। आक्षेपित आदेश सोनवतिया देवी के कार्ड जहाँ पी॰ डी॰ एस॰ आइटम का वितरण अप्रिल माह में प्रविष्ट किया गया है यद्यपि मई माह में वितरित किया गया है की तुलना में आपूर्ति रजिस्टर में प्रविष्टियों की गलती की याची के स्वीकरण पर मुख्यत: अग्रसर हुआ। जहाँ तक प्रथम आरोप का संबंध है, आक्षेपित आदेशों में किए गए अभिकथन को संपुष्ट करने के लिए अन्य निष्कर्ष नहीं है। याची ने स्पष्ट दृष्टिकोण लिया है कि उस पर जाँच रिपोर्ट तामील नहीं की गयी थी और न ही उसकी उपस्थिति में जाँच की गयी थी। याची ने अपनी ओर से सोनवतिया देवी जो बाद में कोई परिवाद करने से मुकर गयी सहित कतिपय कार्डधारकों के बयानों पर विश्वास करके अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का प्रयास किया है। जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुती की अनुपस्थिति में, प्रथम आरोप भी आक्षेपित आदेशों के परिशीलन से सिद्ध किया गया प्रतीत नहीं होता है। किंतु द्वितीय आरोप वितरण रजिस्टर तथा सोनवतिया देवी के कार्ड में की गयी प्रविष्टियों से संपुष्ट किया गया पाया गया है एवं यद्यपि वह बाद में कोई परिवाद करने से मुकर गयी है। किंतु पूर्वोक्त परिस्थितियों में स्वयं याची जो 1989 से कार्यरत है की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय कठोर एवं अननुपातिक है।

7. अत:, इस न्यायालय का मत है कि अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर दंड की मात्रा पर मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। याची को एक अवसर देने के बाद अधिरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा पर नया आदेश पारित करने के लिए पूर्वोक्त प्रश्न पर मामला अपीलीय प्राधिकारी–सह–उपायुक्त, चतरा के पास वापस भेजा जाता है। चूँकि मामला सीमित प्रश्न पर वापस भेजा जा रहा है, एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा पारित दिनांक 20.7.2010 का और उपायुक्त, चतरा द्वारा पारित दिनांक 25.4.2012 के आक्षेपित आदेश क्रमश: परिशिष्ट 5 एवं 6 मामले पर पुनर्विचार करने में अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के रास्ते में नहीं आने चाहिए।

8. उक्त तरीके में एवं यहाँ ऊपर उपदर्शित सीमा तक रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

संजु गुप्ता

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. No. 2375 of 2016. Decided on 22nd March, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 161 एवं 173 (2)—केस डायरी–यदि डायरी में प्रविष्टियों का उपयोग संबंधित पुलिस अधिकारी की याद ताजा करने के लिए किया जाता है अथवा न्यायालय इसका उपयोग ऐसे गवाहों के विरोधाभास के प्रयोजन से करता है, इसका उपयोग अभियुक्त की ओर से भी किया जा सकता है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज बयानों का उपयोग केवल विरोधाभास के प्रयोजन से किया जा सकता है–बचाव को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी के दस्तावेजों/संसूचनाओं की प्रस्तुती की प्रार्थना करने का संपूर्ण अधिकार नहीं है–अभिवचन जिसे बचाव द्वारा किया गया था इसको पूरे दौरान उपलब्ध था और ऐसी विलंबित प्रार्थना बचाव द्वारा अपनायी गयी जानबूझकर एवं विलंबित युक्तियों पर संदेह डालती है। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–2008(3) East Cr. C 60(SC); 1989 East Cr 542(Pat); AIR 1962 SC 1788—Discussed.

अधिवक्तागण.–Mr. P.P.N. Roy, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Niazi, For the Informant.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. इस आवेदन में, याची ने एस॰ टी॰ सं॰ 280 वर्ष 2007 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–II, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 28.9.2016 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन मूल दस्तावेजों के साथ गायब मूल केस डायरी की तलाश के लिए दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। दिनांक 29.6.2008 के आदेश को बंद करने का आदेश दिया गया है और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन याची एवं अन्य अभियुक्तों के परीक्षण के लिए मामला नियत किया गया है।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ रॉय द्वारा निवेदन किया गया है कि मूल केस डायरी में कुछ प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध हैं जो संपदा अधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी द्वारा जारी पत्र भी सम्मिलित करते हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मामले के अन्वेषण अधिकारी अर्थात् विरेन्द्र प्रसाद यादव जिनका परीक्षण अ॰ सा॰ 36 के रूप में किया गया है ने मूल केस डायरी एवं मूल दस्तावेजों के खोने के बारे में कथन किया था और चूँकि ऐसे दस्तावेज विवाद की नींव तक जाते हैं और अभियोजन का मामला असिद्ध करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं, याची द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किए जाने योग्य है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने याची द्वारा की गयी द्वितीय प्रार्थना पर कथन किया है कि विद्वान अवर न्यायालय गवाहों संजय कुमार सिंह एवं जगदीश यादव को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अभियोजन मामला बंद नहीं कर सकता था और विद्वान विचारण न्यायालय को अभियोजन मामला बंद करने के पहले उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि वास्तविक तथ्यों पर विचार किए बिना विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दोनों आवेदनों को अस्वीकार किए जाने पर आक्षेपित निर्णय दोनों आधारों पर अपास्त एवं अभिखंडित किए जाने योग्य है।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री नियाजी ने कथन किया है कि मूल दस्तावेजों की तलाश के लिए आवेदन दाखिल करने में याची की ओर से अत्यधिक विलंब हुआ है क्योंकि इसे विचारण का निपटान विलंबित करने के लिए किया गया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि मामला और प्रति-मामला दाखिल किया गया था और जहाँ तक प्रति-मामला का संबंध है, इसमें साक्ष्य पहले ही बंद कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि बचाव पक्ष को बहुत पहले से मूल केस डायरी गायब होने के बारे में जानकारी थी, किंतु विचारण के पहले अथवा विचारण के दौरान बचाव द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क के दूसरे चरण का उल्लेख करते हुए श्री नियाजी निवेदन करते हैं कि दो अभियोजन गवाहों की पेशी के संबंध में अभियोजन का आवेदन अस्वीकार किया गया था और अभियोजन ने दिनांक 28.9.2016 के आक्षेपित आदेश को चुनौती कभी नहीं दिया है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में याची को अभियोजन का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क आगे बढ़ाते हुए कथन किया है कि बचाव सदैव उन दो गवाहों को बचाव गवाहों के रूप में प्रस्तुत कर सकता है किंतु बचाव उन गवाहों को प्रस्तुत करने से परहेज कर रहा है क्योंकि वे अभियोजन द्वारा उनका प्रति परीक्षण किया जाना नहीं चाहते है। यह कथन किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 (3) के मुताबिक अभियोजन बचाव को केस डायरी देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि इसका उपयोग केवल संपुष्टि के प्रयोजन से किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता इस प्रकार निवेदन करते हैं कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 172 (3) तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 पर विचार करने पर विद्वान विचारण न्यायालय याची द्वारा दाखिल आवेदन और अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन भी खारिज करने में न्यायोचित था और चूँकि याची ने विचारण के निपटान को विलंबित करने के लिए जानबूझ कर प्रयास किया है, वर्तमान आवेदन उदाहरणीय व्यय के साथ खारिज किए जाने का दायी है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का उल्लेख करने के पहले दिनांक 28.9.2016 के आक्षेपित निर्णय को पारित किए जाने की ओर ले जाने वाले पृष्ठभूमि के तथ्यों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य की दस्तावेजों के साथ मूल केस डायरी गायब पायी गयी थी, के प्रति निर्देश करते हुए बचाव द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था और इसलिए मूल केस डायरी तथा दस्तावेजों को तलाश करने की प्रार्थना की गयी थी क्योंकि यह दावा किया गया था कि बचाव मामला संपदा अधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी द्वारा जारी पत्र पर आधारित है। बचाव द्वारा दाखिल पूर्वोक्त आवेदन के अतिरिक्त अभियोजन ने भी आवेदन दाखिल किया था कि अभियोजन द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गवाहगण संजय कुमार सिंह एवं जगदीश यादव उपस्थित नहीं हो रहे थे, अत: आवश्यक आदेश पारित किए जाएँ। बचाव द्वारा दाखिल आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर नकार दिया गया था कि इसे केवल विचारण दीर्घकालिक बनाने के लिए दाखिल किया गया था। अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन के संबंध में अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया था क्योंकि यह विचारण लंबा खींचने की अनुमति देगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी पर विचार करती है और धारा 172 की उपधारा (3) का पठन निम्नलिखित है:-

> *"(3) u rk vfHk;Dr vkj u mld vfHkdÙkk ,l h Mk;fj;k dk exku d gdnkj gkx vkj u og ;k o doy bl dkj.k mUg n[ku d gdnkj gkx fd o U;k;k;y; }kjk n[kh xb g] fdUr ;fn o ml ifyl vfèkdkjh }kjk] ft lu mUg fy[kk g] viuh Lefr dk rkt k dju d fy, mi;kx e ykb tkrh g] ;k ;fn U;k;k;y; mUg ,l ifyl vfèkdkjh dh ckrk dk [kMu dju d ç;ktu d fy, mi;kx e ykrk g rk Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e] 1872 (1872 dk 1) dh] ;FkkfLFkfr] èkkjk 161 ;k èkkjk 145 d micUèk ykx gkxA***

6. इस प्रकार, धारा 172 (3) का कोरा पठन सीमित परिस्थिति प्रकट करता है जिसमें केस डायरी मंगाया या देखा जा सकता है।

7. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 लिखित में पूर्व बयान के प्रति प्रति परीक्षण के संबंध में है। केस डायरी और संबंधित धाराओं अर्थात् दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 172 (3) एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में साक्ष्य का मूल्य **चंद्रशेखर राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले** में विचारार्थ आया था जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.6.2013 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"22. ekuuh; lokPp U;k;ky; u eyfd;r flg ,o vU; cuke itkc jkT;] (1991)4 SCC 341, e dl Mk;jh e vUo"k.k d nkjku ifyl }kjk nt lk{; d eY; rFkk mlent c;ku d lnHk e cpko }kjk çfrijh{k.k dh xtkb'k ij fopkj fd;k gA U;k;ky; u fopkj fd;k g fd fdl fLFkfr e cpko dk ç'u iNu dh Lor=rk gkxh vkj ijkxkQ 11 e fLFkfr rF; fn;k tk fuEufyf[kr g%

*"11. foLrr ,o vkykpukRed fo'y"k.k d vè;ekhu fd, fcuk bld dkj iBu l ;g Li"V g fd dl Mk;jh doy vUo"k.k d ekè;e l vfHkfuf'pr ifjfLFkfr;k d dFku dk vfHkfuf'pr dju d fy, vUo"k.k vfèkdkjh }kjk nfud vUo"k.k dk vfHky[k gA mièkkjk (2) d vèkhu U;k;ky; fopkj.k vFkok tkp e Mk;jh dk ekey e lk{; d :i e ugh cfYd fopkj.k vFkok tkp e lgk;rk d :i e mi;kx dju dk gdnkj gA u rk vfHk;Dr vkj u gh mldk , tUV mièkkjk (3) d çoru }kjk Mk;jh exku dk gdnkj gkxk vkj u gh og bldk mi;kx lk{; d :i e dju d fy, gdnkj ek= blfy, gkxk D;kfd U;k;ky; u bl fufn"V fd;kA mld vèkhu fn;k x;k ,dek= vfèkdkj ;g g fd ;fn ifyl vfèkdkjh ftlu dl Mk;jh e çfof"V fd;k bldk mi;kx viuh ;kn rktk dju d fy, djrk g vFkok ;fn U;k;ky; bldk mi;kx xokg d fojkèk dju d ç;ktu l djrk g] lfgrk dh èkkjk 161 vkj lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 145 d çoru }kjk bldk mi;kx xokg vFkkr vUo"k.k vfèkdkjh dk fojkèk dju d ç;ktu l vFkok U;k;ky; dh vuefr l vfHk;ktu }kjk iuijh{k.k e bl Li"V dju d fy, fd;k tk,xkA vr%] ;g Li"V g fd tc rd vUo"k.k vfèkdkjh vFkok U;k;ky; bldk mi;kx ;kn rktk dju d fy, vFkok èkkjk 161 d vèkhu io c;ku d çfr vUo"k.k vfèkdkjh dk fojkèk dju d fy,] og Hkh mldk è;ku bl vkj vkÑ"V dju d ckn tlh vkKk lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 145 d vèkhu nh x;h g] ugh djrk g] vfHk;Dr }kjk lk{; d :i e çfof"V;k dk mi;kx ugh fd;k tk ldrk gA u rk v0 lk0 5u] u gh v0 lk0 6u vkj u gh U;k;ky; u dl Mk;jh dk mi;kx fd;kA vr%] vfHk;ktu lk{; dk fojkèk dju d fy, mldk eDr mi;kx Li"Vr% voèk g vkj ;g lk{; e vxkg; gA rn}kjk cpko ml ij fo'okl ugh dj ldrk gA fdr Hky gh ge bl xkg; eku] lk{; dk og Hkkx vfHk;ktu lk{; dk vfrØe.k ugh djrk gA***

23. U;k;ky; u egkchj flg cuke gfj;k.kk jkT;] (2001)7 SCC 148 e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; e le#i ç'u ij fopkj fd;k g vkj iokDr ogh nf"V dk.k fu.k; d ijkxkQ 14 e nkgjk;k g tk fuEufyf[kr g%&

^^mDr mièkkjk dk iBu voLFkk Li"V djrk g fd ,lh Mk;fj;k dk mi;kx dju d fy, U;k;ky; dk fn;k x;k Lofood doy ,d fcn ij fofu'p; dju

d fy, U;k;ky; dh lgk;rk d fy, gA Lo; mièkkjk (2) e ;g i;kIr :i l Li"V fd;k x;k g fd U;k;ky; dk ,lh Mk;fj;k dh çfof"V;k dk lk{; d :i e mi;kx dju l euk fd;k x;k gA ftldk vfHk;Dr d fo#) fdlh Hkh idkj l lk{; d :i e mi;kx ugh fd;k tk ldrk g] mldk mi;kx mld fo#) fdlh Hkh rjhd l ugh fd;k tk ldrk gA ;fn U;k;ky; dl Mk;jh e çfof"V;k dk mi;kx ifyl vfèkdkjh dk fojkèk dju d fy, djrk g] bl doy lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 145 e çkoèkkfud rjhd l fd;k tkuk pkfg, vFkkr mldk è;ku dFku d ml Hkkx tk fojkèk dju d fy, bl çdkj mi;kfxr fd, tku d fy, vk'kf;r g dh vkj vkÑ"V dju d ckn fojkèkkHkkl Li"V dju dk volj dFku d y[kd dk nr g,A nlj 'kCnk e] lfgrk dh èkkjk 172 d vèkhu Mk;jh d ifj'khyu d fy, U;k;ky; ij çnÙk 'kfDr fojkèkkHkkl dk Li"V dju d fy, vk'kf;r ugh g ftl cpko u fofèk }kjk vuK; puy d ekè;e l lkeu yk;k gA lfgrk dh èkkjk 162 e vrfo"V fu"kèk fojkèkkHkkl Li"V dju d ç;ktu l lfgrk dh èkkjk 172 d vèkhu 'kfDr dk ç;kx dju l U;k;ky; dk oftr djrk gA**

24. vkj0 'kkth cuke djy jkT;] 2013 (2) PLJR 145 SC, ekey e ekuuh; lokPp U;k;ky; d gky d fu.k; e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd 'kiFk d vèkhu U;k;ky; e fn, x, lk{; dh vR;Ur ifo=rk g] ;gh dkj.k g fd bl lkjoku lk{; dgk tkrk gA lfgrk dh èkkjk 161 d vèkhu c;kuk dk mi;kx fojkèk d ç;ktu l fd;k tk ldrk g tcfd lfgrk dh èkkjk 164 d vèkhu nt c;ku dk mi;kx lif"V ,o fojkèk nkuk d fy, fd;k tk ldrk gA iokDr fu.k; d ijkxkQ l0 14 ,o 16 dk m)r djuk çklfxd gkxk%

"14. 'kiFk d vèkhu U;k;ky; e fn, x, lk{; dh vR;Ur ifo=rk g] ;gh dkj.k g fd bl lkjoku lk{; dgk tkrk gA n0 ç0 l0 dh èkkjk 161 d vèkhu c;kuk dk mi;kx doy fojkèkkHkkl d ç;ktu l fd;k tk ldrk g vkj n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu c;kuk dk mi;kx fojkèkkHkkl ,o lif"V nkuk d fy, fd;k tk ldrk gA ,l ekey e tgk nMkfèkdkjh dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu c;ku nt dju d dr0; dk ikyu djuk g] og leLr lpuk ftl xokg çdV djuk pkgrk g dk fudkyu dh ckè;rk d vèkhu g D;kfd xokg tk fuj{kj ngkrh 0;fDr gk ldrk g ml ç;ktu l voxr ugh gk ldrk g ftld fy, ml yk;k x;k g vkj ml n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu viu c;kuk e D;k çdV djuk gkxkA vr%] nMkfèkdkjh dk ml Li"Vhdj.kkRed ç'u iNuk pkfg, vkj mDr ekey d lcèk e leLr lHko lpuk çklr djuk pkfg,A

16. lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 157 bl Li"V djrh g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu nt c;ku ij xokg }kjk linxh U;k;ky; e fn, x, c;kuk dk li"V dju vFkok bldk fojkèk dju d ç;ktu l Hkh fo'okl fd;k tk ldrk gA pfd cpko dk xokgk ftud c;ku n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu nt fd, x, g dk çfr ijh{k.k dju dk volj ugh Fkk] ,l c;kuk dk lkjoku lk{; ugh ekuk tk ldrk gA**

25. iokDr fu.k;k d fo'y"k.k ij fuEufyf[kr fl)kr lkeu vkrk g fd ifyl vUo"k.k d nkjku nt c;ku dk mi;kx fopkj.k vFkok tkp e u rk vfHk;Dr }kjk u gh mld ,tUV }kjk vFkok vfHk;ktu }kjk lk{; d :i e ugh fd;k tk ldrk gA ;fn ifyl vfèkdkjh ftlu Mk;jh e çfof"V fd;k bldk mi;kx viuh ;kn rktk dju d fy, djrk g vFkok U;k;ky; ,l xokg d fojkèkkHkkl

*d ç;ktu l bldk mi;kx djrk g lfgrk dh èkkjk 161 ,o lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 145 d çoru }kjk] bldk mi;kx vfHk;Dr i{k dh vkj l U;k;ky; dh vuefr l vfHk;ktu }kjk iuijh{k.k e Li"V dju dh Lor=rk d lkFk vUo"k.k vfèkdkjh lfgr xokg dk fojkèkkHkkl n'kku d ç;ktu l fd;k tk ldrk gA vr% ;g Li"V g fd ifyl }kjk dl Mk;jh e nt c;ku dk mi;kx mld io c;ku d çfr è;ku vkÑ"V djr g, fojkèkkHkkl n'kku d flok, lk{; d :i e ugh fd;k tk ldrk gA***

8. इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि डायरी में प्रविष्टियों का उपयोग संबंधित पुलिस अधिकारी की याद ताजा करने के लिए किया जाता है अथवा न्यायालय इसका उपयोग ऐसे गवाह के विरोधाभास के प्रयोजन से करता है, इसका उपयोग अभियुक्त की ओर से किया जा सकता है। अत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों का उपयोग केवल विरोधात्मकताओं के प्रयोजन से किया जा सकता है। न्यायिक दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 172 (3) तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के प्रावधानों के संदर्भ में देखने पर ऊपर निर्दिष्ट न्यायिक उद्घोषणा इसे स्पष्ट करेगी कि बचाव पक्ष को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी के दस्तावेजों/संसूचनाओं की प्रस्तुती के लिए प्रार्थना करने का संपूर्ण अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभिवचन, जो बचाव द्वारा किया गया था, इसको पूरे दौरान उपलब्ध था और ऐसी विलंबित प्रार्थना बचाव द्वारा अपनायी गयी जानबूझकर एवं विलंबकारी युक्तियों के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

9. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन का नकारात्मक उत्तर देने पर, तर्क का दूसरा चरण बाद के पैराग्राफों में विचार के लिए लिया जा रहा है।

10. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने संजय कुमार सिंह एवं जगदीश यादव के परीक्षण की आवश्यकता के बारे में जोरदार कथन किया है और कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उन गवाहों को प्रस्तुत करने का अभियोजन को पर्याप्त समय नहीं दिया था। प्रतिवाद का समर्थन करते हुए, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने कतिपय निर्णयों को निर्दिष्ट किया है जिन्हें यहाँ नीचे ध्यान में लिया जाता है:-

(A) Vh0 uxlik cuke okb0 vkj0 ejyhèkj] 2008 (3) East Cr. C 60 (SC)

(B) x.k'k jke mQ x.k'k pekj cuke fcgkj jkT;] 1989 East Cr. C. 542 (Pat.)

(C) d0 fpUukLokeh jMMh cuke vkèk çn'k jkT;] AIR 1962 SC 1788

11. टी॰ नगप्पा (ऊपर) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण एवं अपने बचाव में साक्ष्य देने का अधिकार है और उसे गवाहों को समन करने के लिए न्यायालय की सहायता इप्सित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

12. गणेश राम उर्फ गणेश चमार (ऊपर) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय का कर्तव्य प्रपीड़क कदमों द्वारा गवाहों की उपस्थिति प्रवर्तित करना है और मात्र इसलिए कि अभियोजन गवाहों को प्रस्तुत नहीं कर सका था, यह स्वयं में अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद के समर्थन में प्रासंगिक पैराग्राफों को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:-

"24. ;g çrhr gkrk g fd vfHk;ktu d ,o U;k;ky; d Hkh ç;kl d ckotn u rk MkDVj vkj u gh vUo"k.k vfèkdkjh mifLFkfr g, gA dHkh&dHkkj vfHk;ktu rFkk U;k;ky; Mkek d ed n'kd cu tkr g tgk MkDVj ,o vUo"k.k vfèkdkjh

doy mudk Kkr dkj.kk l mifLFkr ugh gkr gA U;k;ky; ekeyk Vkyr g, frfFk d ckn frfFk nr jgr g vkj ckn e mudh xj&mifLFkfr d dkj.k fu%lgk; ,o fojDr gk tkr g] bl ifj.kke d lkFk fd vfHk;Dr ij rFkk vfHk;ktu ij Hkh çfrdyrk dkfjr djr g, vfHk;ktu ekeyk cn dj fn;k tkrk g vFkok vfHk;Dr nk"keDr dj fn;k tkrk gA fdr fofèk fuL lgk; ugh gA

25. ijkuh nM çfØ;k lfgrk e èkkjk 252 dh mièkkjk (2) u çkoèkkfur fd;k fd ifyl fjikV l vU;Fkk 'k: fd, x, ekeyk e xokgk dk vfHk;ktu }kjk fjikV ij U;k;ky; }kjk leu fd;k tk ldrk FkkA ifyl fjikV ij lfLFkr ekeyk d fy, çkoèkku ugh gA l'kkèkudkjh vfèkfu;e l0 26 o"k 1955 u okjUV ekeyk d ç;ktu l èkkjk 251A ij%LFkkfir fd;kA bldk mí'; nk"kflf) vFkok nk"kefDr e lekIr gku oky Rofjr ,o 'kh?kkfr'kh?k fopkj.k lfuf'pr djuk FkkA Jherh T;kfrek;h ckl cuke fcjUnjukFk çkèkku ekey e ;g dgk x;k Fkk fd èkkjk 251A (6) nMkfèkdkjh dk fdlh xokg dh mifLFkfr vfuok; cuku dh vkKk ugh nrh g tc rd bld fy, vkonu ugh fn;k tkrk g vkj fd èkkjk 251A d vèkhu fopkj.k fd, x, ekey e ekey dk fopkj.k ifyl fjikV l fHkUu lfLFkr okjUV ekeyk d :i e n0 ç0 l0 dh èkkjk 256 ,o 257 d fucèkuku lkj vxlj gku d fy, nMkfèkdkjh dk etcj ugh fd;k tk ldrk gA fdr bykgkckn mPp U;k;ky; u jkT; cuke jke Ykky] 1961(2) Cr. LJ 331 e lEif{kr fd;k fd èkkjk 251A d vèkhu U;k;ky; dk leu tkjh dju d fy, dgu d fy, vkj vfHk;ktu xokgk dh mifLFkfr vfuok; cuku d fy, 'kfDr ugh nh x;h g vkj blfy, èkkjk nMkfèkdkjh dk leu tkjh dju d fy, çkfèkÑr ugh djrh gA fdr mMhlk jkT; cuke f'kopj.k flg ekey e ;g lçf{kr fd;k x;k Fkk fd U;k;ky; i.kr% 'kfDrghu ugh Fkk tc i{kx.k ekey e çklfxd lk{; nu e foQy gkr g] U;k;ky; d ikl 0;kid 'kfDr g vkj U;k;ky; viu le{k fopkj.k d vèkhu ekey d rF;k dh lR;rk vFkok vU;Fkk fofuf'pr dju d fy, dk;okgh d fdlh pj.k ij fdlh xokg dk leu dj ldrk gA oLrr%] çihMd dnek }kjk Hkh xokgk dh mifLFkfr çofrr dju d fy, leu djuk U;k;ky; d dr0;k e l ,d g vkj ek= blfy, fd vfHk;ktu U;k;ky; d le{k xokgk dk çLrr ugh dj ldk Fkk] og Lo; e vfHk;Drk dk nk"keDr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk Fkk vkj èkkjk 251A d çkoèkkuk dk vFk ;g ugh g fd doy vfHk;ktu ij xokgk dk çLrr dju dh ftEenkjh Mkyh x;h gA cfYd xokgk dh mifLFkfr çofrr djuk Hkh U;k;ky; dk dr0; g tlk lfgrk d vèkhu çkoèkkfur fd;k x;k gA fcgkj jkT; cuke ikyh feL=h ekey e ;g Hkh lçf{kr fd;k x;k Fkk fd èkkjk 251A d çkoèkkuk dk vFk bl :i e fy;k tkrk g fd vfHk;ktu dk ,dek= dr0; viu ekey d leFku e xokgk dk çLrr djuk g vFkok dHkh dHkkj U;k;ky; dh ,tUlh d ekè;e l U;k;ky; e mudh mifLFkfr ljf{kr djuk gA ;fn vfHk;ktu xokgk dk çLrr dju dk opu nrk g] rc ;g bldh li.k ftEenkjh gk tkrh gA fdr tc vfHk;ktu U;k;ky; dh ,tUlh dk lgkjk yrk g] rc U;k;ky; e xokgk dh mifLFkfr ljf{kr dju d fy, dne mBkuk nMkfèkdkjh dk dr0; cu tkrk g vkj rc nMkfèkdkjh lfgrk dh èkkjk 90 (b) d vèkhu ;Fkk çkoèkkfur mudh mifLFkfr vfuok; dju d fy, dne mBk ldrk gA

jkT; cuke ujflEgk xkMk] (1965)2 Cr. LJ 48 e vfHk;ktu dk xokg çLrr dju d fy, vud LFkxuk d ckn vfre volj fn;k x;k Fkk fQj Hkh xokgk dk çLrr ugh fd;k x;k Fkk vkj ;g n'kku d fy, dN ugh Fkk fd igy tkjh fd,

x, leuk dk D;k gvk ftl ij nMkfèkdkjh u ;g vfHkfuèkkfjr djr g, fd vfHk;Dr d fo#) lk{; ugh g] ijkuh lfgrk dh èkkjk 251A (ii) d vèkhu vfHk;Dr dk nk"keDr dj fn;kA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd leu tkjh dju d ckn nMkfèkdkjh dk leu d xj&fjVu vFkok xj rkehy d ckj e iNrkN dju dh vko';drk FkhA rc xokgk dh mifLFkfr lfuf'pr dju dh Hkh vko';drk ml Fkh ;fn vfHk;ktu dh vkj l dkb xyrh vFkok ifjgkj ugh FkkA ftl çdkj fofèk vijkèkh dk vfHk;kftr djuk jkT; d fy, vko';d cukrh g] mlh çdkj l fofèk U;k;ky; d fy, ;g n[kuk vko';d cukrh g fd fu"i{k ,o Rofjr fopkj.k }kjk U;k; fd;k x;k FkkA

jkT; cuke un fd'kkj e ;g lçf{kr fd;k x;k Fkk%

ijk 7. xokgk dk vihy d iulKku }kjk vkj ifyl vfèkdkfj;k }kjk fopkj.k e vfHk;Dr d fo#) vkjki d ekey e lk{; nu d fy, vkc) fd;k tkuk pkfg, ¼n0 ç0 l0 dh èkkjk 170 (2)) ;fn o mifLFkr gku e foQy gkr g U;k;ky; mudh mifLFkfr lfuf'pr dju d fy, mud fo#) okjUV tkjh dj ldrk g ¼n0 ç0 l0 dh èkkjk 92). fdr ,l ekeyk e ef'dy mnHkr gkrh g tgk ifyl vfèkdkfj;k }kjk xokgk l ,lk iulKku ugh fy;k tkrk g vkj vfHk;ktd Lo; dk mudk çLrr dju e v{ke ikrk g vkj mudk leu dju d fy, U;k;ky; dk vkonu nrk gA D;k U;k;ky; ,lh fLFkfr e bl dju l budkj dj ldrk g] okLrfod ç'u ;gh gA lfgrk e ,lk dkb çkoèkku ugh g tk vfHk;ktd dk ekeyk U;k;ky; e tku d ckn Lo; viuh ,tUlh d ekè;e l xokgk dh mifLFkfr lfuf'pr dju d fy, l'kDr cukrh gA vr%] mld fy, NkMk x;k ,dek= jkLrk xokgk dh mifLFkfr d fy, mudk leu tkjh dju d fy, U;k;ky; d le{k vkonu nuk gA èkkjk 251A (7) e ,lk dN ugh g tk U;k;ky; dk xokgk dk leu tkjh dju l vioftr djrk gk ;fn vfHk;ktu }kjk ,lk vko';d cuk;k tkrk g mièkkjk (7) e 'kCn ^^i'k fd;k x;k** vfHk;ktu }kjk Lo; viuh çj.kk ij vFkok U;k;ky; dh çfØ;k d ekè;e l xokgk dk vkx yk;k tkuk lfEefyr djrk g ftudk ijh{k.k ;g fopkj.k e dju dh bPNk j[krk gA------ e le#i nf"Vdk.k fy;k x;k Fkk vkj---------A fdUr ej nf"Vdk.k e èkkjk 251 fdlh rjhd l xokgk dk leu tkjh dju dh U;k;ky; dh lkekU; 'kfDr lhfer ugh djrh g ;fn vfHk;ktu dh vkj l ,lk vujkèk fd;k x;k gA

ijk 8. èkkjk 251-A dh ;ktuk dk n[kr g, ;g Li"V g fd mièkkjk (11) d vèkhu nk"kefDr dk vkn'k ikfjr dju d pj.k ij doy rc igpk tkrk g tc vU; mièkkjkvk vFkkr (8), (9) ,o (10) dk vuikyu fd;k x;k gA èkkjk 251A d vèkhu nMkfèkdkjh vfHk;Dr dk mUekfpr dj ldrk g ;fn èkkjk 173 e fufn"V fd, x, nLrkotk d ifj'khyu d ckn og vkjki vkèkkjghu ikrk gA fdr ;fn og ikrk g fd ;g mièkkfjr dju d fy, vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] mI vfHk;Dr d fo#) vkjki fojfpr djuk gkxkA ;g U;k; foQy djuk gkxk ;fn ,l ekeyk e tgk nMkfèkdkjh }kjk vfHk;Dr d fo#) vkjki fojfpr fd;k x;k g] ml ek= bl vkèkkj ij nk"keDr fd;k tkuk g fd vfHk;ktu ekey e dkb lk{; çLrr dju e foQy jgk gA

nMkfèkdkjh dk ,lh fLFkfr e] Lo; dk vlgk; egll ugh djuk pkfg, vkj ,l xokgk dk leu dju d fy, lfgrk dh èkkjk 540 d vèkhu viuh vrfufgr 'kfDr dk ç;kx djuk pkfg, tlk og U;k; d mí'; d fy, vko';d le>rk gA ;fn vfHk;ktu xokgk dk çLrr dju e viuh ftEenkjh }kjk]---- --------, l xokgk dk ijh{k.k djuk U;k;ky;k d fy, ckè;dkjh g tlk ;g U;k; d mí'; e vko';d le>rk gA e viu nf"Vdk.k e------e vkj 1961 (2) Cr.

LJ 92 (Ker) e fuEufyf[kr fu.k;k }kjk lefFkr gA vr%] ejk nf"Vdk.k g fd èkkjk 251A dh mifLFkfr d fy, xokgk dk vknf'kdk tkjh dju dh nMkfèkdkjh dh 'kfDr lhfer ugh djrk g ;fn vfHk;ktu dh vkj l ,lk vujkèk fd;k tkrk g vkj f}rh;r% ;fn vfHk;ktu dkb xokg çLrr ugh djrk g mièkkjk (11) d vèkhu ÑR; dju d fy, vxlj gku d igy ,l xokgk dk ijh{k.k djuk U;k;ky; dk dr0; g tlk U;k; d mí'; d fy, vko';d gA ekey e fdlh xokg dk ijh{k.k fd, fcuk ikfjr nk"kefDr dk vkn'k ej er e èkkjk 251A dh mièkkjk (11) }kjk vko';d ugh gA

elj jkT; cuke jke ch0] 1973 Cr. L.J. 1257 e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd lfgrk dh èkkjk 251-A dh mièkkjk (7) d çkoèkkuk dk è;ku e j[kdj xokgk dh çLrrh dh li.k ftEenkjh vfHk;ktu ij ugh Mkyh tk ldrh gA çihMd dne mBku dk dr0; U;k;ky; ij Hkh Mkyk x;k gA

jkT; cuke ekxhyky] 1974 Cr.LJ 221 e bl U;k;ky; dh [kM U;k; ihB u lçf{kr fd;k%&

bl lcèk e fofèk dh lgh voLFkk ;g g fd ifyl fjikV ij lfLFkr okjUV ekey e xokgk dk çLrr dju dk e[; dr0; vfHk;ktu dk g fdr pfd vfHk;ktu tk jkT; vFkok ykd vfHk;ktd g d ikl xokgk dh mifLFkfr vfuok; cuku d fy, e'khujh dk 'kfDr ugh g] ;g mudh çLrfr d fy, U;k;ky; dh enn bfllr dju e i.kr% U;k;kfpr gA U;k;ky; dh lgk;rk vfHk;ktu xokgk dk leu tkjh dju dh çkFkuk U;k;ky; l djr g, yh tk ldrh gA ;fn leu d rkehy d ckn xokg mifLFkr ugh gkrk g] vfHk;ktu U;k;ky; dk fxj¶rkjh okjV tkjh dju d fy, dg ldrk gA fdr tc rd ,lh çkFkuk ugh dh tkrh g] vfHk;ktu xokgk dk dkb leu tkjh djuk vFkok fxj¶rkjh okjV tkjh djuk ;fn vfHk;ktu xokg leu d rkehy d ckn Hkh mifLFkr ugh gkrk g] U;k;ky; dk dr0; ugh gA e> tYnh l tkMuk gkxk fd ^^U;k;ky; dh 'kfDr ,o U;k;ky; d dr0;** d chp vrj gA ;fn vfHk;ktu leu tkjh dju d fy, vFkok fn, x, ekey e fxj¶rkjh okjV tkjh dju d fy, çkFkuk ugh djrk g] fQj Hkh tlk dN ekeyk u dgk g] U;k;ky; dh lkekU; 'kfDr;k d vèkhu 'kfDr g] rn}kjk ftldk vFk U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr g vFkok leu tkjh dju dh ,lh 'kfDr lfgrk dh èkkjk 450 d vèkhu of.kr dh tk ldrh g vkj fxj¶rkjh okjV tkjh dju dh 'kfDr fu'p; gh lfgrk dh èkkjk 90 d vèkhu gA bldk Loçj.kk ij ç;kx fd;k tk ldrk g vkj ,lk dju d fy, dgu ij ç;kx fd;k tk ldrk gA fdr rc ;g dguk fd Hkyh gh vfHk;ktu mi{kkoku g vFkok fxj¶rkjh okjV tkjh dju dh çkFkuk ugh djrk g] vfHk;ktd dh rjg vfHk;ktu xokgk dk Loçj.kk ij vulj.k djuk U;k;ky; d fy, vfuok; g] de l de dgr g,] ;g U;k;kfpr ugh gA ;g dguk Hkh lgh ugh g fd leu vFkok fxj¶rkjh okjV tkjh djuk U;k;ky; dk dr0; ugh g tc vfHk;ktu U;k;ky; dk ,lk dju d fy, dgrk gA fdr lkèkkj.kr% ,o lkekU;r% tc rd çkFkuk vLohdkj dju dk fo'k"k dkj.k ugh g] leu tkjh dju d fy, vFkok fxj¶rkjh okjV tkjh dju d fy,] ;Fkk fLFkfr] vfHk;ktu dh çkFkuk vuKkr djuk U;k;ky; dk dr0; g] rn}kjk ftldk vFk g fd leu ;k fxj¶rkjh okjV tkjh dju dh vfHk;ktu dh çkFkuk vuKkr djuk U;k;ky; d fy, vfuok; gA U;k;ky; ,lk dju l budkj dj ldrk g ;fn ;g ikrk g fd vfHk;ktu f'kfFkyrk vFkok f<ykb dk nk"kh gA fdr rc U;k;ky; ek= blfy, bl çkFkuk dk vLohdkj ugh dj ldrk g fd èkkjk 251-A dh mièkkjk (7) bld fy, çkoèkkfur ugh djrh gA

*6. ;fn ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e U;k;ky; ikrk g fd vfHk;ktu viu xokgk dk çLrr dju e l{ke ugh gvk g Hky gh bldk U;k;ky; dh enn nh x;h Fkh] rc dM ekeyk e tgk vfHk;Dr dk vud frfFk;k ij mifLFkr gku d fy, ij'kku fd;k x;k g fofèk d lkFk vfHk;ktu cUn dju e ;g U;k;kfpr g cfYd ;g bldk dr0; g tlk mièkkjk (7) d ckn èkkjk 251A dh vud mièkkjkvk e çkoèkkfur fd;k x;k gA***

13. के॰ चिन्नास्वामी रेड्डी (ऊपर) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्ष्य जिसे अभियोजन प्रस्तुत करना चाहता था, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बन्द नहीं किया जा सकता है। सामान्य सूत्र जो **टी॰ नगप्पा (ऊपर) एवं गणेश राम उर्फ गणेश चमार (ऊपर)** के मामले में निर्णय को पिरोता है यह है कि अभियुक्त को अनावश्यक रूप से विचारण दीर्घकालिक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और कि विधि न्यायालय के लिए यह देखना आवश्यक बनाती है कि निष्पक्ष एवं त्वरित विचारण द्वारा न्याय किया गया था। जहाँ तक **चंद्रशेखर राय (ऊपर)** के मामले का संबंध है, यह अभियोजन गवाहों की प्रस्तुती पर विचार करता है जिसे न्यायालय बंद नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन इस तथ्य की दृष्टि में आवश्यक आदेशों को पारित करने के लिए था कि समस्त प्रभावकारी कदम उठाने के बावजूद अभियोजन अपने दो गवाहों अर्थात् संजय कुमार सिंह एवं जगदीश यादव को प्रस्तुत करने में विफल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के पर्याप्त प्रयासों को फलीभूत होता नहीं पाने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया था और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण के लिए मामला नियत किया था। यह गौर करना प्रासंगिक होगा कि अभियोजन ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देने से परहेज किया किंतु बचाव ने निपुणता एवं मेहनत से स्वयं अपने हेतु के अनुकूल बनाने के लिए अभियोजन की प्रार्थना को आवरणित कर दिया। पर्दा उठाना स्पष्टत: ऐसा आशय प्रकट करेगा, जिसे विचारण लंबा खींचने के लिए बचाव द्वारा अपनायी गयी युक्ति के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। प्रति मामला में साक्ष्य बन्द कर दिया गया है। वर्तमान मामले में भी विचारण समाप्ति के कगार पर है। इस बीच एक दशक बीत गया है और बचाव विचारण दीर्घकालिक बनाने का प्रयास कर रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही रूप से बचाव का आवेदन अस्वीकार करते हुए और अभियोजन मामला बंद करते हुए बचाव का आशय अनाच्छादित किया है। दिनांक 28.9.2016 का आक्षेपित आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती नहीं किया है और, अतएव, ऐसी परिस्थिति आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं बनाती है।

14. ऊपर की गयी चर्चा के परिणामस्वरुप यह आवेदन विफल होता है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

लक्ष्मी राउत

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 1062 of 2011. Decided on 4th April, 2017.

बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध ग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981—धारा 4—नियमितिकरण–विद्यालय की प्राचार्या के रूप में नियमितिकरण के लिए दावा का अस्वीकरण–विद्यालय ले लिए जाने की तिथि पर प्रधानाध्यापक/संस्थापक प्रधानाध्यापक के

रूप में सात वर्षों के पूरा होने पर अथवा विद्यालय का अधिग्रहण किए जाने के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करते हुए सात वर्ष पूरा करने पर शिक्षक स्वतः प्रधानाध्यापक के पद पर नियमितिकरण अथवा संपुष्टिकरण का हकदार नहीं बन जाता है– प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के पद पर नियमितिकरण स्वतः नहीं होती है–विधि के अधीन प्रक्रिया विहित की गयी है जिसके अधीन विद्यालय सेवा बोर्ड की अनुशंसा आज्ञापक है–केवल शिक्षक की पात्रता एवं उपयुक्तता के संवीक्षण पर किसी को विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त/नियमित किया जा सकता है–याची के दावा पर पूर्व अवसर पर भी प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है, किंतु, याची यह स्थापित करने में विफल रही है कि वह 1981 अधिनियम एवं अनेक अधिसूचनाओं/परिपत्रों में यथा परिलक्षित सरकारी निर्णय के अधीन शर्त परिपूर्ण करती है–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1986 pat 218; 1993 (1) PLJR 221—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Subodh Kr. Pandey, For the Petitioner; M/s Chandra Prabha, Rohit, For the Respondents

आदेश

याची दिनांक 13.5.2010 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा प्रधानाध्यापिका के रूप में उसके नियमितिकरण के लिए दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

2. सुना गया।

3. संक्षिप्त रूप से कहते हुए, याची को श्रीमती जानकी देवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय धनवार, गिरीडीह के प्रबंधन कमिटी द्वारा 3.3.1982 को नियुक्त किया गया था। वह दावा करती है कि उसने 5.3.1982 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार लिया। दिनांक 10.10.1983 के पत्र में अंतर्विष्ट आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा उक्त विद्यालय का कार्यभार संभाल लिया गया था। याची प्रधानाध्यापक के वेतनमान में भुगतान की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय आयी। रिट याचिका (सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1183 वर्ष 1999 (R) 13.2.2001 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उसके दावा पर विचार करने के निर्देश के साथ निपटायी गयी थी। किंतु, उसका दावा दिनांक 26.4.2002 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। वह पुनः डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3182 वर्ष 2002 में इस न्यायालय के पास आयी जिसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को तार्किक आदेश पारित करने के निर्देश के साथ 12.5.2004 को अनुज्ञात किया गया था। दिनांक 11.12.2004 के आदेश द्वारा, याची का प्रधानाध्यापिका के रूप में नियमितिकरण के लिए दावा अस्वीकार कर दिया गया था। याची द्वारा इस निर्णय को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5744 वर्ष 2007 में चुनौती दी गयी थी, जिसे पुनः नियुक्त किए गए व्यक्तियों के वैयक्तिक मामलों पर विचार करके निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को निर्देश के साथ 7.1.2010 को निपटाया गया था। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 13.5.2010 का आदेश पारित किया गया है, जिसे वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित किया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि प्रभारी प्राचार्या के रूप में सात वर्ष पूरा करने पर याची विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के रूप में सेवा में अपने नियमितिकरण के लिए हकदार बन गयी। उन्होंने **''श्री सरयू प्रसाद रॉय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,'' (सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 11805 वर्ष 1993 (P)** और **''अमीन अंसारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,'' (डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1056 वर्ष 2011) एवं अन्य** मामलों में पारित आदेशों पर विश्वास किया है। दूसरी ओर, **''राम बल्लभ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य'', AIR 1986 Pat 218,** और **''ए॰ के॰ प्रधान बनाम बिहार राज्य,'' (1998)2 SCC 411,** में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि एक शिक्षक दिनांक 20.11.1981

की अधिसूचना सहपठित दिनांक 9.11.1987 की अधिसूचना के अधीन शर्तों को परिपूर्ण करने पर ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के रूप में नियमितिकरण/नियुक्ति का पात्र बनेगा।

5. प्रत्यर्थी राज्य ने अभिवचन किया है कि संस्थापक प्रधानाध्यापक विद्यालय का कार्यभार संभाल लेने पर स्वत: विद्यालय का प्रधानाध्यापक नहीं बन जाता है। बिहार गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध ग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 प्रावधानित करती है कि राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित विद्यालय के प्रत्येक प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि के प्रभाव से राज्य सरकार को अंतरित कर दिए गए समझे जाएँगे और ऐसे पदनाम जैसा राज्य सरकार विनिश्चित कर सकती है के साथ राज्य के कर्मचारी बन जाते हैं। किंतु, धारा 3 (3) प्रावधानित करती है कि विद्यालय में मंजूर नौ पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों की अर्हता एवं उपयुक्तता का परीक्षण यह परीक्षण करने के लिए कि क्या नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त था या नहीं, राज्य सरकार द्वारा गठित कमिटी द्वारा किया जाएगा। **''राम बल्लभ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य'', AIR 1986 Pat 218,** में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने 1981 अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

> *"17. tc ,d ckj ç'u 1 dk mÙkj mDr fucèkuk e n fn;k tkrk g] ;g nlj ç'u dh tM rd Hkh tk,xkA i;kIr lkn :i l] ;fn çèkkukè;kid èkkjk 3 (3) d f}rh; ijkxkQ e ^f'k{kd* dh ifjfèk d vrxr g] rc mldh vgrk ,o mldh mi;Drrk nkuk dk jkT; ljdkj }kjk xfBr dfeVh }kjk loh{k.k fd;k tkuk g] vkj doy ;fn ml ,lh fu;fDr d fy, mi;Dr ik;k tkrk g] og ljdkjh lok e fu;Dr fd;k tk ldrk gA oLrr%] vkj Hkh cMk ç'u tk lkeu vkrk g ;g g fd ;fn çèkkukè;kid Hkh fo|ky; e uk ink d fo#) dk;jr f'k{kdk e l ,d g] rc D;k bu leLr f'k{kdk dh vgrk ,o mi;Drrk dk ljdkjh lok e fu;fDr d igy foLrkjiod loh{k.k fd;k tkuk g\ vFkok D;k ,lk g fd ; leLr f'k{kd ¼çèkkukè;kid lfgr½ Lor% ,o Loeo ljdkjh lod cu tkr g vkj mudh lok mUgh fucèkuk ,o 'krk ij tlkfd io ekU;rk jfgr fo|ky; e Fkh] jkT; ljdkj dk vrfjr gk tkrh gA èkkjk 3 (3) dk f}rh; ijkxkQ bu f'k{kdk dh vgrk ,o mi;Drrk nkuk dk l{ere ijh{k.k dju d fy, çkoèkfur djrh gA ;g bl ç;ktu l jkT; ljdkj }kjk xfBr dfeVh }kjk fd;k tkuk gA doy ;fn bu f'k{kdk dk mi;Dr ik;k tkrk g] mUg ljdkjh lok e fu;Dr fd;k tkuk g vU;Fkk ugh tc fo|ky; dk çcèk xg.k dj fy;k x;k gA D;k ,lk loh{k.k ,o foLrr çfØ;k dk vfèkxg.k ij bu ink d çfr Lor% fu;fDr d fl)kr }kjk çglu e ?kVk fn;k tkuk g\ ;fn og tk èkkjk 3 (3) dk f}rh; ijkxkQ çkoèkkfur djrk g] ljdkjh lok e fu;fDr d fy, vekU;rk çkIr fo|ky; e igy f'k{kdk dh ey vgrk vkj rc mi;Drrk dk fuèkkj.k ,o vFki.k rFkk ç;ktui.k loh{k.k g] rc i;kIr :i l Li"Vr% fdlh dk;Hkkj lHkky fy, x, vekU;rk çkIr fo|ky; d çèkkukè;kid dk Lor% bldk dk;Hkkj y fy, tku ij bldk çèkkukè;kid cu tku dk ç'u ugh gA ,lk vfHkfuèkkfjr djuk èkkjk 3 (3) d f}rh; ijkxkQ dk feVk Mkyuk vkj bu inèkkfj;k dh vgrk ,o mi;Drrk d loh{k.k dh li.k çfØ;k vkj jkT; ljdkj }kjk dfeVh dk ltu i.kr% 'kU; cuk nuk gkxkA lkekU;r%*

f'k{kdk rFkk fo'k"kr% çèkkukè;kid d lnHk e f}rh; ijkxkQ d lkn iBu ij mld vèkhu fdlh f'k{kd vFkok çèkkukè;kid dh Lor% ljdkjh lod cuu d çfr dkb lkn';rk ugh gA fo'k"kr%] fo|ky; e çèkkukè;kid dk in foodghu Lor% #Vhu fd tc ,d ckj fo|ky; dk dk;Hkkj lHkky yuk vknf'kr fd;k tkrk g] fo|eku çèkkukè;kid vko';dr% v[kfMr f'k{kk lok e jk"Vh;Ñr fo|ky; dk çèkkukè;kid cu tk,xk] e vkuHkfod :i l Qd tku d fy, vR;Ur fu.kk;d gA

41. vfre :i l lekIr djr g,] vkjHk e iN x, ç'u l0 2 dk udkjkRed mÙkj fn;k tkrk gA ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g fd èkkjk 3(3) d vèkhu dk;Hkkj lHkky fy, x, fo|ky; dk çèkkukè;kid vfèkfu;e dh èkkjk 4(2) d vèkhu bldk dk;Hkkj lHkky fy, tku d ckn Lor% fo|ky; dk çèkkukè;kid ugh cu tkrk gA

42. vc ;g lkekU; vkèkkj g fd fdlh Hkh pj.k ij ;kphx.k dk ekeyk f'k{kk lok ckM dk fufn"V ugh fd;k x;k Fkk] jkT; ljdkj }kjk çkfèkÑr vfèkdkjh }kjk bl n'kk e fu;fDr d fy, mud i{k e ,l ckM dh vu'klk dh rk ckr gh njA vU;Fkk vfHkfuèkkfjr djuk fd ;kphx.k uo jk"Vh;Ñr fo|ky;k d çèkkukè;kid cu x, bl çdkj ljdkjh vFkok jk"Vh;Ñr fo|ky;k d çèkkukè;kidk dh fu;fDr dh ekud i)fr dk ijh rjg l mYy?ku rFkk Li"V lkfofèkd vun'k d fojèk e gkxkA gekj le{k ;g vfookfnr cuk jgk fd igy leLr ljdkjh fo|ky;k rFkk leku :i l ekU;rk çkIr çkboV fo|ky;k d çèkkukè;kid lok ckM d fun'k ,o vu'klk ij fu;Dr fd, tk ldr FkA ogÙkj uhfr ij og vR;Ur gh eèkkoh çfØ;k g vkj bl fcn ij lkfofèkd vun'kk }kjk vc lfgrkÑr dh x;h gA leku :i l vfèkfu;e dh èkkjk 10 d çfr Hkh fun'k djuk gkxk tk fo|ky; lok ckM dh LFkkiuk ,o dk; çkoèkkfur djrh gA nloh mièkkjk dk iBu fdlh çdkj dk lng ugh NkMrh g fd bl èkkjk dk ogÙkj ç;ktu ;g g fd jk"Vh;Ñr fo|ky;k d çèkkukè;kidk dh fu;fDr vFkok çkUufr vkuHkfod :i l ugh cfYd ,l lkfofèkd ckM }kjk fopkj fd, tku ,o vu'klk d ckn fd;k tkuk gA mièkkjk (9) dk çkIfxd Hkkx fuEufyf[kr çkoèkkfur djrk g%

"(9) ckM bl vè;kn'k vkj bld vèkhu fojfpr fu;ek d vu#i fun'kd dk jk"Vh;Ñr ekè;fed fo|ky;k d f'k{kdk dh fu;fDr d fy, ,o çèkkukè;kid dh çkUufr ij fu;fDr d fy, vu'klk djxkA

ijUr ;g fd p;u xM in d çfr f'k{kdk dh çkUufr d fy, ckM dh vu'klk vko';d ugh gkxh%

ijUr vkx ;g fd ckM dh vu'klk dh vuifLFkfr e] vkj fo'k"k ifjfLFkfr;k e ,o ckM dh vu'klk dh çR;k'kk e çèkkukè;kid d in d çfr Ng ekg d ij ugh tku okyh vofèk d fy, rnFk çkUufr dju vkj Ng eghu d ij ugh tku okyh vofèk d fy, f'k{kdk d in d çfr fofgr rjhd l rnFk fu;fDr dju d fy, jkT; ljdkj l{ke gkxhA

xxx xxx xxx

*ej food e] ;g çkoèkku ijh rjg l minf'kr djr g fd çkboV ekU; rk jfgr fo|ky;k d fo|eku çèkkukè;kidk dk jk"Vh;Ñr fo|ky;k d çèkkukè;kidk d :i e Lor% vrj.k ugh gA , lk fu"d"k p;u çfØ;k rFkk fo|ky; lok ckM tl fo'k"kK fudk; }kjk vu'klk d fo#) gkxkA***

6. ''देववंश पांडे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,'' 1993 (1) PLJR 221, में समरुप दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

^^11. fu;ekoyh dk fu;e@çèkkukè;kid d in d çfr fu;fDr@çkUufr d fy, ik=rk çkoèkkfur djrk g vkj fu;e 7 ¼d½ , lh fu;fDr@çkUufr d fy, çfØ;k çkoèkkfur djrk g vkj fu;e 4 ¼d½ (3) (3A) çkoèkkfur djrk g fd çèkkukè;kid d in d çfr çR;{k fu;fDr d ekey e çR;k'kh dk Lukrd d ckn ekU;rk çkIr fo|ky; e 10 o"kk dk f'k{k.k vuHko gkuk gkxk fdr vulfpr tutkfr] gfjtu ,o lLFkkid çèkkukè;kid d ekey e lkr o"k dk U;ure f'k{k.k vuHko i;kIr le>k tk,xkA mDr fu;e e lyXu ukV e ;g çkoèkkfur fd;k x;k g fd lLFkkid çèkkukè;kid dk vFk og f'k{kd gkxk ftl 2.10.80 d igy fo|ky; e fu;Dr fd;k x;k g vkj tk fdlh VV d fcuk yxkrkj bldh LFkkiuk dh frfFk l fo|ky; dh lok e g vkj ftld ikl vkjHk l çHkkjh çèkkukè;kid d in d fy, vè;if{kr 'k{kf.kd vgrk ,o ik=rk FkhA

*13. ej er e] u rk ;kph vkj u gh çR;Fkh l0 4 tk fo|ky; d çèkkukè;kid d in ij çkUufr bfIlr dju d fy, mDr ljdkjh i= d vkèkkj ij viuk nkok j[kr g , lh çkUufr dk nkok dju d gdnkj g vkj u gh çR;Fkh çkfèkdkfj;k dh vkj l mDr ljdkjh i=k d vulj.k e çR;Fkh l0 4 dk dkb ykHk çnku dju d fy, fuEufyf[kr dkj.kk l l{ke Fk((i) fu;ekoyh d çHkko e vku d ckn çkUufr@fu;fDr doy fu;ekoyh e vrfo"V çkoèkkuk d vu:i dh tk ldrh Fkh((ii) ç'uxr ljdkjh i= fu;ekoyh d fu;e 21 dh nf"V e fujfIr gk x;k vkj (iii) fu;ekoyh d vèkhu f'k{kd dk lLFkkid çèkkukè;kid le>k tk ldrk Fkk tk vU; vko';drkvk d vfrfjDr fo|ky; e lok xg.k dju d vkjHk l gh vè;if{kr vgrk ,o ik=rk j[krk g tk u rk ;kph vkj u gh çR;Fkh l0 4 d ikl Fkk D;kfd o viuh lok xg.k dju d dkQh ckn f'k{k.k e ch0 ,M0 ijh{kk ,o fMIykek e mÙkh.k g,A***

7. ''राम बल्लभ प्रसाद सिंह'' में निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी, किंतु सफलता के बिना। यह दर्ज करना लाभदायी होगा कि **''ए॰ के॰ प्रधान''** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह गौर करते हुए कि **''रामबल्लभ प्रसाद सिंह''** में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्व कार्यवाही में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रधानाध्यापक को सरकारी सेवक के रूप में स्वत: आमेलित किए जाने का अधिकार नहीं है जब मान्यता रहित विद्यालय को सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था, इस अभिवचन को स्वीकार नहीं किया था कि उस तिथि जब विद्यालय का अधिगृहण किया गया था से सात पूर्व पूरा करने पर यदि शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर बना रहा था, वह प्रधानाध्यापक के पद पर संपुष्टिकरण का हकदार बन जाता है और विशेष अनुमति याचिका इस संप्रेक्षण के साथ निपटायी गयी थी कि यदि नियुक्त व्यक्ति ने उस तिथि जिस पर

सरकार द्वारा संस्थान का अधिगृहण किया गया था से गिनी गयी सेवा का सात वर्ष पूरा किया था, नियमितिकरण के लिए उसके दावा पर विचार किया जाएगा। पूर्वोक्त निर्णयों से, इस प्रकार यह प्रकट है कि विद्यालय का अधिगृहण किए जाने की तिथि पर प्रधानाध्यापक/संस्थापक प्रधानाध्यापक के रूप में सात वर्ष पूरा करने पर अथवा विद्यालय का अधिगृहण किए जाने के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सात वर्ष पूरा करने पर शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर नियमितकरण/संपुष्टिकरण का हकदार स्वत: नहीं बन जाता है।'' **झारखंड राज्य बनाम निर्भय कुमार झा'', (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 114 वर्ष 2013)** में इस न्यायालय ने समरुप दृष्टिकोण लिया है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:

> *"12. mDr m)r fu.k;t fofèk;k dh nf"V e] fo|ky; dk çèkkukè;kid vfèkfu;e dh èkkjk 4 (2) d vèkhu bldk dk;Hkkj lHkky fy, tku d ckn Lor% fo|ky; dk çèkkukè;kid ugh cu tkrk gA çèkkukè;kid çkUufr dk in gku d ukr doy ,l lkfofèkd ckM dh vu'klk ij fopkj dju d ckn cuk;k tk ldrk g vkj ;kph ftl 2.10.1980 dk fo|ky; d ekU;rk çkIr dju d ckn ljdkjh f'k{kd d :i e vkefyr fd;k x;k Fkk] çèkkukè;kid dk ntk Lor% ugh ik ldrk g pfd mlu ljdkjh ekU;rk çkIr lLFkku e lkr o"kk dh fujrj lok ijk ugh fd;k g vkj ljdkjh fo|ky; e lkr o"k ijk dju d ckn Hkh ml çèkkukè;kid ugh cuk;k tk ldrk g D;kfd çèkkukè;kid dk in çkUufr dk in g vkj çkUufr in ij p;u ,o fu;fDr fu;ekoyh }kjk 'kkflr gkrh gA**

8. वर्तमान कार्यवाही में प्रकट किए गए तथ्य उपदर्शित करेंगे कि प्रधानाध्यापक के रूप में याची की नियुक्ति दिनांक 12.10.1982 की अधिसूचना के अनुकूल नहीं थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा अब यह सुस्थापित है कि प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के पद पर नियमितकरण स्वत: नहीं है। विधि के अधीन प्रक्रिया विहित की गयी है जिसके अधीन विद्यालय सेवा बोर्ड की अनुशंसा आज्ञापक है। प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा पूर्व अवसर पर भी याची के दावा का परीक्षण किया गया है किंतु याची यह स्थापित करने में विफल रही है कि वह 1981 अधिनियम और अनेक अधिसूचनाओं/परिपत्रों में यथा परिलक्षित सरकारी निर्णयों के अधीन शर्तें परिपूर्ण करती है। याची द्वारा विश्वास किए गए मामले तथ्यों पर स्पष्टत: सुभिन्न किए जाने योग्य हैं।

9. रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाते हुए इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

दशरथ यादव एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4730 of 2015. Decided on 20th April, 2017.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973—धारा 16—पुनरीक्षण–प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा अपील का उपचार प्राप्त करने के बाद केवल पुनरीक्षण होगा–उपायुक्त के अधिनियम वर्ष 1973 की धारा 16 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के

नाते उसको दिए गए आवेदन पर अथवा किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा इस अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश की विधिकता अथवा औचित्यता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से ऐसे किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित अथवा उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले का अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के लिए सशक्त है–ऐसी शक्ति के प्रयोग में समाहर्ता ऐसे किसी आदेश को उपांतरित, परिवर्तित अथवा अपास्त करने के पहले पक्षों को सुनवाई का अवसर देगा। (पैरा 15)

अधिवक्तागण.–Mr. Baleshwar Yadav, For the Petitioner; M/s Atanu Banerjee, Munna Lal Yadav, For the Respondents.

आदेश

याची, प्रत्यर्थी राज्य एवं प्राइवेट प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण की शिकायत अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा पारित दिनांक 27.11.2013 के आदेश, परिशिष्ट–6, के संबंध में है जिसके द्वारा उन्होंने नामांतरण पुनरीक्षण मामला सं॰ 15/2011 विद्वान उपायुक्त, चतरा के न्यायालय को अंतरित किया है। याची के अनुसार, उपायुक्त, चतरा ने पुनरीक्षण याचिका अपील के रूप में माना है। याची का प्रतिवाद यह है कि ग्राम करमा, पी॰ ओ॰ मनधनिया, पी॰ एस॰ इटखोरी अब मयूरहंड, जिला चतरा के खाता सं॰ 39 से संबंधित भूमि के संबंध में प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा आवेदन के आधार पर संस्थित विविध केस सं॰ 16/2010-11 में मूल आदेश, (परिशिष्ट–3) 28.2.2011 को अंचलाधिकारी, इटखोरी द्वारा यह संप्रेक्षित करते हुए पारित किया गया था कि प्राइवेट प्रत्यर्थी को अपने अभिधान की घोषणा के लिए सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के पास जाना चाहिए। विद्वान भू–सुधार उप–समाहर्ता, चतरा ने अंचलाधिकारी का आदेश संपुष्ट करते हुए दिनांक 14.10.2011 के आदेश द्वारा राजस्व अपील सं॰ 33/2011 अस्वीकार कर दिया।

3. यह प्रतिवाद किया गया है कि याचीगण का नाम सही प्रकार से रजिस्टर II में प्रविष्ट किया गया है जबकि प्राइवेट प्रत्यर्थीगण को अपने अभिधान की घोषणा के लिए सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के पास जाने का निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा पुनरीक्षण याचिका नामांतरण पुनरीक्षण मामला सं॰ 15 वर्ष 2011 अपर समाहर्ता, चतरा के समक्ष दाखिल किया गया था जिन्होंने 2 वर्षों से अधिक तक मामला लंबित रखा और अंतत: आक्षेपित आदेश द्वारा इसे उपायुक्त, चतरा के न्यायालय को अंतरित किया। आपत्तियाँ किए जाने के बावजूद विद्वान उपायुक्त, चतरा ने पुनरीक्षण अपील के रूप में माना है। अत:, याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

4. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अपर समाहर्ता, चतरा ने यह महसूस करने पर कि पुनरीक्षण की शक्ति बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख–रखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अधीन आयुक्त, चतरा के पास है, सही प्रकार से मामला उपायुक्त, चतरा के न्यायालय को अंतरित किया है। प्राईवेट प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी यही अभिवचन किया है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के मुताबिक भी, प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा अपील का उपचार नि:शेष करने के बाद केवल पुनरीक्षण होगा। उन परिस्थितियों में, उपायुक्त, चतरा अधिनियम वर्ष 1973 की धारा 16 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के नाते उनको दिए गए आवेदन पर अथवा किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा इस अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश की विधिकता एवं औचित्यता के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से ऐसे किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित अथवा उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले का अभिलेख मंगाने और परीक्षण करने के लिए

सशक्त है। ऐसी शक्ति के प्रयोग में, समाहर्ता ऐसे किसी आदेश को उपांतरित, परिवर्तित अथवा अपास्त करने के पहले पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। वर्तमान याची द्वारा उठाया गया विवाद्यक अच्छी तरह से उपायुक्त, चतरा द्वारा संबोधित किया जा सकता है, जो अधिनियम वर्ष 1973 के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त सांविधिक प्राधिकारी है।

6. अतः, पक्षों के प्रतिवादों के गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना रिट याचिका प्रत्यर्थी सं० 2 उपायुक्त, चतरा को पक्षों को सम्यक अवसर देने के बाद विधि के अनुरुप नामांतरण पुनरीक्षण मामला सं० 15 वर्ष 2011 विनिश्चित करने के निर्देश के साथ निपटायी जाती है। कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि पक्षों का अपने बचाव में विधि एवं तथ्यों के सभी आधार उठाने की छूट हागी। उपायुक्त, चतरा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से प्राथमिकतः 16 सप्ताह के युक्तियुक्त समय के भीतर पुनरीक्षण याचिका विनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

7. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है। दिनांक 8.8.2016 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

मनोज कुमार भगत

cuke

कमल मंजरी

F.A. (D.B.) No. 106 of 2012 Decided on 17th April, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13 (1) (ia)—तलाक–पत्नी की ओर से क्रूरता–प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म का विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है–केवल यह अभिकथित किया गया है कि वह अपनी बहन के पति की ओर कुछ अधिक प्रेम दर्शाया करती थी–उसका अभिकथन जारकर्म के तुल्य नहीं हो सकता है–आत्महत्या पत्र के बावजूद यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि पत्नी ने वस्तुतः आत्महत्या करने के लिए कदम उठाया था और जहर खाने के लिए उसका कभी इलाज किया गया था जैसा पति ने अभिकथित किया–पति द्वारा अभिवचनित अथवा सिद्ध किए गए अन्य अभिकथन केवल सामान्य अभिकथन हैं और अपीलार्थी पति द्वारा क्रूरता का कोई विनिर्दिष्ट अभिवचन अभिवचनित अथवा सिद्ध नहीं किया गया है ताकि अपीलार्थी पति तलाक की डिक्री का हकदार हो सके–क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का मामला नहीं बनता है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 13 से 15)

निर्णयज विधि.–2002 (4) Supreme 596; 2005(5) Supreme 766; AIR 1987 Del 52—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Ashish Jha, For the Appellant; Ms. Renuka Trivedi, For the Respondent.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी पति वैवाहिक (तलाक) वाद सं० 4 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 10.4.2012 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह विघटित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) के अधीन पति द्वारा दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. यह कथन किया जा सकता है कि इस न्यायालय में यह अपील लंबित रहने के दौरान उनके वैवाहिक वाद के मित्रपूर्ण समाधान के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया गया था, किंतु प्रयास विफल हुआ है। इस दशा में, हमने गुणागुण पर इस अपील को सुना है।

4. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पक्षों के बीच विवाह हिंदू रीति-रिवाज के अनुरुप प्रत्यर्थी पत्नी के माता-पिता के बिहार राज्य में आरा में निवास स्थान पर 15.2.2007 को संपन्न हुआ था। विवाह से पुत्र का जन्म हुआ था, किंतु तुरन्त तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। दोनों पक्ष पाकुड़ जिला के अंतर्गत देबी नगर में अपने दांपत्य गृह में आए और तत्पश्चात वे दिल्ली चले गए, जहाँ वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पत्नी के दिल्ली रूकने के दौरान अपीलार्थी ने महसूस किया कि प्रत्यर्थी पत्नी उसको समुचित प्रेम नहीं दे रही थी और वह असम में रहने वाले अपनी बहन के पति को अधिक महत्व देती थी और सदैव उसके बारे में बात करती थी। वह अहंकारी प्रवृति की थी और अपने पति को अपमानित करने का प्रयास करती थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि अपने पति को सूचना दिए बिना, पत्नी असम भी गयी थी जहाँ उसकी बहन अपने पति के साथ रहती थी और वहाँ कुछ समय रही। अपीलार्थी का मामला यह भी है कि 23.9.2007 को अपीलार्थी दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसे अस्पताल में भरती किया गया था, किंतु प्रत्यर्थी पत्नी वापस आरा चली गयी और वहाँ केवल 8-10 दिन रूकने के बाद वह नवम्बर, 2007 में वापस आयी। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने कथन किया था कि वह इस विवाह के विरुद्ध थी क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। अपीलार्थी ने यह भी अभिकथित किया है कि प्रत्यर्थी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था क्योंकि उसे असम जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी। मई, 2008 में, दोनों पक्ष पुनः पति के छोटे भाई के विवाह में भाग लेने पाकुड़ जिला में देबिनगर आए और तत्पश्चात, प्रत्यर्थी उसके साथ अपना समस्त संबंध समाप्त करके अपने माएके चली गयी। इस प्रकार, यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी मई, 2008 से अपीलार्थी से अलग रह रही है और तद्नुसार, तलाक की डिक्री के लिए वाद दाखिल किया गया था।

5. नोटिस करने पर, प्रत्यर्थी पत्नी अवर न्यायालय में उपस्थित हुई और अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसमें समस्त अभिकथनों से इनकार किया गया था। पक्षों के बीच विवाह एवं पुत्र का जन्म स्वीकार किया गया था और यह अभिकथित किया गया था कि पुत्र की मृत्यु पति के व्यवहार के कारण हुई। प्रत्यर्थी पत्नी ने अपने द्वारा किसी क्रूरता के अभिकथन से भी इनकार किया है और उसने यह कथन भी किया है कि उसका अपने पति के प्रति पूरा प्रेम-स्नेह है और तब भी जब उसका पति दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसने समुचित ध्यान एवं ख्याल के साथ उसकी सेवा की थी। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी का मामला यह है कि पति उसके साथ क्रूरता कर रहा था और दहेज मांग के लिए यातना दे रहा था जिसे उसका पिता पूरा नहीं कर सकता था और उसने उसका अश्लील फोटो भी लिया है और इसे उसके माता-पिता एवं गाँववालों के बीच प्रसारित करने की धमकी भी दी। यह भी अभिकथित किया गया है कि दिल्ली में रहते हुए उसे साफ्ट ड्रिंक में नशा करने वाली सामग्री दी गयी थी।

6. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर, अवर न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक कि क्या मामले के तथ्यों में अपीलार्थी पति तलाक की डिक्री का हकदार था सहित अनेक विवाद्यक विरचित किए गए थे। अवर न्यायालय में, अपीलार्थी पति की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया था। पति ने स्वयं का अ॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण करवाया। दो अन्य गवाह दिल्ली से एवं गाजियाबाद से उसके दो मित्र थे जो केवल अनुश्रुत गवाह थे और उन्हें पक्षों के बीच प्रसंग के बारे में निजी जानकारी नहीं थी। एक गवाह याची अपीलार्थी का मामा था जो केवल यह अभिसाक्ष्य देने आया था कि पक्षों के बीच अच्छा संबंध

नहीं था, किंतु अवर न्यायालय ने पाया है कि वह इन पक्षों के घर से 25 कि॰ मी॰ की दूरी पर रह रहा था और केवल एक बार उनसे मिलने गया था। इस प्रकार, याची की ओर से एकमात्र तात्विक साक्ष्य स्वयं याची का साक्ष्य था, जिसमें उसने केवल यह कथन करते हुए अपने मामले का समर्थन किया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्रूरता किया है और उसके समक्ष अपनी बहन की प्रशंसा की थी और उसको अपमानित किया था। अवर न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि पति द्वारा ऐसी किसी क्रूरता का विनिर्दिष्ट मामला न तो अभिवचनित और न ही सिद्ध किया गया है ताकि पति को तलाक की डिक्री के लिए सक्षम बना सके।

7. यद्यपि, अपने साक्ष्य में याची पति ने कथन किया था कि प्रत्यर्थी पत्नी अकेले अपने माएका तथा असम जाती थी, किंतु उसने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि वह उसकी सहमति के बिना जाती थी। प्रत्यर्थी पत्नी ने आर॰ डब्ल्यू॰ 1 के रूप में अपने साक्ष्य में भी स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन के घर असम गयी थी किंतु वह वहाँ अपने माता-पिता के साथ गयी थी और अकेली वहाँ कभी नहीं गयी। उसे अपनी बहन के पति के साथ अवैध संबंध के बारे में सुझाव दिया गया था जिससे उसने इनकार किया। किंतु, अपीलार्थी द्वारा अभिकथन नहीं है और न ही कोई साक्ष्य लाया गया है कि उसकी पत्नी एवं उसकी बहन के पति के बीच कोई अवैध संबंध था। मामले के उस दृष्टिकोण में उसके प्रति परीक्षण में ऐसा सुझाव देने का अवसर नहीं था।

8. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की चर्चा आगे दर्शाती है कि याची पति ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था और पति द्वारा प्रदर्श 4 के रूप में आत्महत्या पत्र भी सिद्ध किया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि अपने साक्ष्य में प्रत्यर्थी पत्नी ने स्पष्टत: कथन किया है कि उक्त पत्र उसके पति द्वारा दबाव के अधीन जबरन लिया गया था। इस तथ्य का चिकित्सीय प्रमाण नहीं है कि उसने वस्तुत: जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था क्योंकि साक्ष्य नहीं है कि जहर खाने के लिए उसका इलाज कभी किया गया था। प्रत्यर्थी पत्नी का प्रति परीक्षण नहीं है कि क्या उसने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी ने स्वयं एवं अपने पिता का परीक्षण करवाया है और उन्होंने प्रत्यर्थी पत्नी के मामले का समर्थन किया है। उनके साक्ष्य में यह कथन भी किया गया है कि उसे दहेज में दो लाख रुपयों की मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था। प्रत्यर्थी पत्नी ने अपने पति द्वारा लिए गए अश्लील फोटोग्राफों एवं उसको ब्लैकमेल करने के बारे में अपने साक्ष्य में कथन किया है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री बिल्कुल अवैध है क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य द्वारा पति प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध क्रूरता का आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और तद्नुसार, यह तलाक की डिक्री के लिए सुयोग्य मामला है। यह निवेदन भी किया गया है कि पक्षगण स्वयं मई, 2008 से पृथक रूप से रह रहे हैं जो स्पष्टत: दर्शाता है कि पक्षों के बीच विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है और इस आधार पर भी अपीलार्थी पति तलाक की डिक्री के लिए हकदार है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता, 2002 (4) Supreme 596,** और **दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी, 2005 (5) Supreme 766** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि लिखित कथन में किए गए अभिकथन, यदि सिद्ध नहीं किए जाते हैं क्रूरता के तुल्य होंगे और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने

दहेज मांग के लिए उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का अभिकथन सिद्ध करने में विफल रहा है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **सावित्री बालचंदानी बनाम मूलचंद बालचंदानी, AIR 1987 Del 52,** में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि के दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध किसी क्रूरता का मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है और वस्तुतः, यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी पति द्वारा ऐसी क्रूरता न तो अभिवचनित और न ही सिद्ध की गयी है ताकि पति को तलाक की डिक्री के लिए हकदार बनाया जा सके। यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथन है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि वर्तमान वाद केवल क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए दाखिल किया गया है। यद्यपि प्रत्यर्थी पत्नी एवं उसकी बहन के पति के बीच कुछ अवैध संबंध होने का अभिकथन किया जाना इप्सित किया गया है, किंतु तथ्य बना रहता है कि प्रत्यर्थी पत्नी के विरुद्ध जारकर्म का विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है। केवल यह अभिकथित किया गया है कि वह अपने बहन के पति के प्रति कुछ अधिक प्रेम दर्शाती थी। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह अभिकथन क्रूरता के तुल्य नहीं हो सकता है और स्वीकृत रूप से, जारकर्म के आधार पर तलाक के लिए वर्तमान वाद दाखिल भी नहीं किया गया है। किंतु ब॰ सा॰ 1 प्रत्यर्थी पत्नी के साक्ष्य के दौरान उसके और उसकी बहन के पति के बीच अभिकथित अवैध संबंध के बारे में सुझाव देकर इस अभिकथन का लांछन लगाने का प्रयास किया गया है जिससे प्रत्यर्थी पत्नी ने इनकार किया है। यह अभिकथन कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था भी सिद्ध नहीं किया जा सका था। प्रत्यर्थी पत्नी ने कथन किया है कि आत्महत्या पत्र पति द्वारा दबाव तथा बल प्रयोग के अधीन तैयार करवाया गया था। हम इस तथ्य की दृष्टि में सार पाते हैं कि ऐसे आत्महत्या पत्र के बावजूद यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि पत्नी ने वस्तुतः कभी आत्महत्या करने के लिए कोई कदम उठाया था अथवा जहर खाने के लिए उसका कभी इलाज किया गया था जैसा पति द्वारा अभिकथित किया गया है। पति द्वारा अभिवचनित अथवा सिद्ध किए गए अन्य अभिकथन केवल सामान्य अभिकथन हैं और अपीलार्थी पति द्वारा किसी क्रूरता का विनिर्दिष्ट अभिकथन न तो अभिवचनित और न ही सिद्ध किया गया है ताकि पति को तलाक की डिक्री का हकदार बनाए जा सके। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हम पाते हैं कि अपीलार्थी पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का मामला नहीं बनाया गया है।

14. हम वैवाहिक (तलाक) वाद सं॰ 4 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 10.4.2012 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

15. इस अपील में गुणागुण नहीं है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

डॉ॰ अमिताभ कुमार

cuke

भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् एवं अन्य

W.P. (C) No. 4526 of 2016 Decided on 19th April, 2017.

भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970—धारा 7 (i)—भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद्–सदस्यता की पदावधि–याची की सदस्यता की पदावधि जारी रखने से संबंधित वर्तमान विवाद्यक का पूर्व रिट याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा विनिश्चित विवाद्यकों के साथ संबंध है–चूँकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचाराधीन है, न्यायिक अनुशासन की औचित्यता के पालन के लिए यह समुचित है कि इस मामले को समुचित परिप्रेक्ष्य में विवाद्यकों पर विचार करने के लिए खंड न्यायपीठ के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ के साथ सूचीबद्ध किया जाए। (पैराएँ 16 एवं 17)

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Kumar, Rishikesh Giri, R.L. Yadav, For the Petitioner; Mrs. Nitu Sinha, For the Resp. Nos. 1, 2 and 5; M/s I. Sen Choudhary, For the Resp. Nos. 3 & 4

आदेश

याची, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याची को बिनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अधीन सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राँची के प्रोफेसर की हैसियत में आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी (संक्षेप में आयुष) विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 20.6.2012 की अधिसूचना के तहत 5.7.2011 के प्रभाव से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था।

3. याची ने यह प्राख्यान करते हुए कि सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की पदावधि पाँच वर्षों के लिए है किंतु उन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (आई॰ एम॰ सी॰ सी॰) अधिनियम, 1970 की धारा 7 (i) के मुताबिक उनका उत्तराधिकारी निर्वाचित/मनोनीत किए जाने तक दिनांक 24.5.2016 के आयुष मंत्रालय के पत्र से व्यथित होकर डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2943 वर्ष 2016 में इस न्यायालय के पास आया। उसने यह प्राख्यान भी किया कि याची की सदस्यता की अवधि पाँच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 20.6.2012 की अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से संगणित की जानी चाहिए। आक्षेपित पत्र ने 5.7.2011 के प्रभाव से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के सदस्य के रूप में याची की पदावधि माना था।

4. प्रत्यर्थी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् ने प्रार्थना का प्रतिरोध किया। अन्य आधारों के अतिरिक्त इसने यह दृष्टिकोण भी लिया कि प्रत्यर्थी विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने अनुरोध के बाद भी वर्तमान आयुर्वेद संकाय को पुनर्गठित नहीं किया है और पदावधि के साथ नवगठित संकाय की अधिसूचित प्रति भेजा है।

5. डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2943 वर्ष 2016 में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने दिनांक 20.1.2017 के निर्णय के तहत न्याय निर्णयन के लिए दो विवाद्यक विरचित किया जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"(i) D;k Hkkjrh; fpfdRlk dnh; ifj"kn vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 7 (i) çkoèkkfur djrh g fd lh0 lh0 vkb0 ,e0 dk lnL; viuh inkofèk d volku rd vFkok mÙkjkfèkdkjh eukuhr@fuokfpr fd, tkus rd] tk Hkh ckn e gk] cuk jgxk\ (ii) D;k lnL; dh inkofèk vFkkr ikp o"k fuokpu dh frfFk l vFkok xtV vfèklpuk d çdk'ku dh frfFk l lxf.kr dh tkuh g**

6. विद्वान एकल न्यायाधीश निम्नलिखित निष्कर्ष पर आए और रिट याचिकाएँ खारिज कर दिया:–

> *"5. iokDr çkoèkkuk l ;g fcYdy çdV g fd fuokfpr lnL; dh inkofèk vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 3 (1) (b) d vèkhu fuokfpr ldk; lnL; d lkFk lg&foLrkjh gA vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk*

7 (2) ldk; lnL; dh inkofèk fofuf'pr dju d fy, fo'k"kd [kM gA èkkjk 3 (i) (b) d vèkhu lh0 lh0 vkb0 ,e0 d fy, fuokfpr lnL; viu in ij cuk jgrk g tc rd mldh ldk; inkofèk dk volku ugh gkrk gA ldk; lnL; dk fuokpu vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 3 (1) (b) d vèkhu lh0 lh0 vkb0 ,e0 d fuokpu l i.krk Lor= gA çR;Fkh lO 1 d çfr 'kiFk d ifjf'k"V R/1 d rgr fnukd 2.8.2011 dh vfèklpuk minf'kr djrh g fd l;e[kh fnu'k vk;ofnd efMdy dkyt tk foukck Hkko fo'ofo|ky;] gtkjhckx d lkFk lc) g] e ;kph dh lnL;rk dh oèk inkofèk 5.7.2011 l 5.7.2016 gA d0 ch0 ukxj] ,e0 Mh0 ¼vk;ofnd½ cuke Hkkjr l?k] 2012 (4) SCC 483 e fn;k x;k ekuuh; lokPp U;k;ky; dk fu.k; vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e dh èkkjk 7 (2) d çkoèkkuk dh nf"V e oreku ekey e ;kph d ekey e ç;kT; ugh gA oreku ekeyk lh0 lh0 vkb0 ,e0 d lnL; dh inkofèk l lcfèkr ugh g cfYd fook|d ;kph d ldk; inkofèk l lcfèkr g] tk vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 3 (1) (b) d vèkhu egkfo|ky; d lnL; d :i e cu jgu d fy, lfofèk d vèkhu vè;if{kr vgrk gA fuokpu vFkok vU;Fkk d QyLo#i ldk; dh inkofèk d foLrkj.k d ckn Hkh] ;g vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 7 d çkoèkkuk dh nf"V e lh0 lh0 vkb0 ,e0 dh inkofèk Lor% ugh c<k,xk vkj tc ,d ckj ;kph dh lnL;rk dk volku gkrk g] ;g èkkj.kk micèkk dh nf"V e u, puko }kjk vulfjr gkxkA vr%] ;kph }kjk m)r fu.k; ;kph dk ennxkj ugh gA

Hkkjrh; fpfdRlk dnh; ifj"kn ¼fuokpu½ fu;ekoyh] 1975 dk fu;e 24 'kh"kd ^^dn ljdkj dk fuokfpr 0;fDr d uke dh lpuk** d lkFk ifjdfYir djrk gA

fuokfpr 0;fDr dk uke fo'ofo|ky; d jftLVkj }kjk dn ljdkj dk lfpr fd;k tk,xk] tk vkfèkdkfjd xtV e fuokfpr 0;fDr dk uke çdkf'kr dju d fy, dne mBk,xkA**

vr%] vkfèkdkfjd xtV e vfèklpuk d çdk'ku e foyc vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e d çkoèkkuk dk çoru 'kU; ugh cuk,xkA

6. vkb0 ,e0 lh0 lh0 vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 7 (1) tk lnL; tk in èkkj.k djrk g d fuokpu dh frfFk ifjdfYir djrk g dk ijh{k.k dju d fy, fuokpu dh frfFk lnL; }kjk in èkkj.k dju dh frfFk d :i e ekuk tkrk g fdr vfèklpuk frfFk d ckj e mYy[k djrh g ftll lnL; fuokfpr fd;k tk,xkA

7. bl çdkj n[k tku ij] pfd ;kph dh lnL;rk dh vofèk fjV vkonu d ifjf'k"V 4 d erkfcd 4.7.2016 dk lekIr gk x;h g] ;kph dk vurk"k çnku ugh fd;k tk ldrk g vkj rnulkj x.kkx.kjfgr fjV ;kfpdk [kkfjt dh tkrh gA**

7. जैसा यहाँ इसमें ऊपर उद्धृत पैरा 5 पर दर्ज निष्कर्षों से प्रकट है, सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राँची जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के साथ संबद्ध है में याची की सदस्यता की पदावधि 5.7.2011 से 5.7.2016 के संबंध में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्तमान मामला भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के सदस्य की पदावधि से संबंधित नहीं है, बल्कि विवाद्यक याची के संकाय पदावधि से संबंधित है जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 (1) (b) के

अधीन महाविद्यालय के सदस्य के रूप में बने रहने की संविधि के अधीन अध्यपेक्षित अर्हता है। निर्वाचन अथवा अन्यथा के फलस्वरुप संकाय की अवधि के विस्तारण के बाद भी यह अधिनियम वर्ष 1970 की धारा 7 के प्रावधानों की दृष्टि में सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ की पदावधि स्वत: नहीं बढ़ाएगी और जब एक बार याची की सदस्यता का अवसान होता है, यह धारणा उपखंडों की दृष्टि में नए निर्वाचन द्वारा अनुसरित होगा। याची ने दिनांक 20.1.2017 के निर्णय से व्यथित होकर लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 67 वर्ष 2017 दाखिल किया है।

8. वर्तमान रिट याचिका में याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2, सचिव, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् नयी दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 5.7.2016 के पत्र, याची को संबोधित परिशिष्ट 7/1, में अन्य बातो के साथ निम्नलिखित निबंधनों में चुनौती दिया है:-

^^tcfd Hkkjr ljdkj u vfèklpuk ,l0 vk0 1416 ¼b0½ fnukfdr 20.6.2012 d rgr lh0 lh0 vkb0 ,e0 dh vkidh lnL;rk dh vofèk dk fuEufyf[kr mYy[k fd;k&

^^tykb] 2011 d ikpo fnu d çHkko l] ikp o"k dh vofèk d fy,] vFkok mld mÙkjkfèkdkjh dk lE;d :i l fuokpu fd, tku rd] vFkok foukck Hkko fo'ofo|ky; d vk;ofnd ldk; dh lnL;rk dh lekfIr rdA

bldh çfr ifjf'k"V 1 ij n[kh tk ldrh gA

tcfd vè;{k] lh0 lh0 vkb0 ,e0 u fnukd 29.2.2016 d i= d rgr ¼çfr lyXu½] ifjf'k"V 2 ij Hkkjr ljdkj dk fuEufyf[kr lfpr fd;k g%

*^^foukck Hkko fo'ofo|ky;] gtkjhckx] >kj[kM d çfrfufèk MkO vferkHk dekj dh lnL;rk mDr fo'ofo|ky; d vk;on ldk; d lnL; d :i e 4.7.2016 l lekIr gku tk jgh gA Hkkjrh; fpfdRlk dnh; ifj"kn vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 7(2) d vèkhu çkoèkku d erkfcd] mUg rnulkj ifj"kn e viuh lnL;rk fjDr dju okyk le>k tk,xkA** bldh çfr ifjf'k"V&2 ij n[kh tk ldrh gA*

ckn e] Hkkjr ljdkj u fnukd 4.5.2016 d i= rFkk fnukd 27.6.2016 d fjekbUMj d rgr foukck Hkko fo'ofo|ky; d jftLVkj dk ;g mYy[k djr g, fd fo|eku lnL; MkO vferkHk dekj dh inkofèk dk volku 4.7.2016 dk gku tk jgk g] fuokpu lpkfyr dju d fy, dgk gA

bldh çfr ifjf'k"V 3 ,o 4 ij n[kh tk ldrh gA

*Hkkjrh; fpfdRlk dnh; ifj"kn vfèkfu;e] 1970 dh èkkjk 7(2) d çkoèkku dh nf"V e vkidk rnulkj ifj"kn e viuh lnL;rk fjDr djrk gvk le>k tk,xkA***

9. जब वर्तमान मामला 17.3.2017 को सुना गया था, विश्वविद्यालय एवं भारत संघ दोनों के विद्वान अधिवक्ता को मामले में और आई॰ ए॰ सं॰ 1285 वर्ष 2017 में ही अनुदेश इप्सित करने एवं अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया था।

10. प्रत्यर्थी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय दोनों ने अपना प्रति शपथपत्र दाखिल किया है।

11. प्रत्यर्थी सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 20.6.2012 की अधिसूचना के मुताबिक याची की सदस्यता की पदावधि की पृष्ठभूमि को और डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2943 वर्ष 2016 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.1.2017 आदेश परिशिष्ट-C को भी निर्दिष्ट किया है। यह प्रकथन भी किया गया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन किया

गया है और सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ के प्रति शपथ पत्र के पैरा 15 पर नामित दो व्यक्ति चुने गए हैं। केंद्रीय परिषद् के चुनाव से संबंधित किसी विवाद को विनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की अधिकारिता के संबंध में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 4 के प्रावधानों को भी निर्दिष्ट किया गया है।

12. प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट बयान दिया है कि राँची अवस्थित सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एकेडमिक सत्र 2005-2006 के प्रभाव से विनोबा भावे विश्वविद्यालय का एकमात्र स्थायी संबद्ध महाविद्यालय है जैसा विश्वविद्यालय के दिनांक 1.12.2005 के पत्र से स्पष्ट है। याची डॉ॰ अमिताभ कुमार, प्रश्नगत कॉलेज के प्रोफेसर एवं प्राचार्य, को 24.1.2013 को आयुर्वेद संकाय के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है जिसे आगे आदेशों तक 8.10.2015 को बढ़ाया गया था। यह कथन भी किया गया है कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने सचिव, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् को दिनांक 7.5.2016 के पत्र के तहत सूचित किया है कि याची विश्वविद्यालय के अधीन पूर्वोक्त महाविद्यालय का स्थायी संकाय सदस्य है और वर्तमान में आयुर्वेद संकाय का डीन है। संबद्ध महाविद्यालय के स्थायी संकाय के पुनर्निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन प्रावधान नहीं है।

13. विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र के पैराग्राफ 7 पर दिए गए बयान को निर्दिष्ट किया है और कथन किया है कि विश्वविद्यालय ने पहले उत्तर दिया है कि याची संकाय का स्थायी सदस्य है। यह तथ्य दिनांक 20.6.2012 की गजट अधिसूचना परिशिष्ट-5, से भी प्रकट है कि याची पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा सम्यक रूप से अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक अथवा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय की सदस्यता समाप्त होने तक 5.7.2011 के प्रभाव से विश्वविद्यालय का निर्वाचित सदस्य है। न तो याची के उत्तराधिकारी का चुनाव किया गया है और न ही वह विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय का सदस्य अब नहीं है, अत: विश्वविद्यालय के याची के सदस्यता की पदावधि का अवसान होने का प्रश्न नहीं है।

14. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिनियम वर्ष 1970 की धारा 7 (1) के निबंधनानुसार याची की पदावधि उसके निर्वाचन अथवा मनोनयन, यथास्थिति की तिथि से अथवा सम्यक रूप से उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित अथवा मनोनीत किए जाने तक जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।

15. प्रत्यर्थी सी॰ सी॰ आई॰ एम॰ ने इस तथ्य की गलत समझदारी पर कि प्रश्नगत महाविद्यालय के आयुर्वेद के संकाय के स्थायी सदस्य के रूप में याची की पदावधि का अवसान हो गया है, अभिनिर्धारित किया है कि वह दिनांक 20.6.2012 की अधिसूचना के मुताबिक 5.7.2011 के प्रभाव से पाँच वर्ष की अवधि के परे बने रहने का हकदार नहीं होगा। यह निवेदन किया गया है कि विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण ने स्पष्टत: परिलक्षित किया कि विश्वविद्यालय के अधीन आयुर्वेद के संकाय सदस्य के रूप में याची की पदावधि समाप्त नहीं हुई है। अत: अधिनियम वर्ष 1970 की धारा 7 (1) के फलस्वरूप उसके उत्तराधिकार को निर्वाचित अथवा मनोनीत किए जाने तक पदावधि जारी रहती है।

16. पूर्वोक्त प्रासंगिक तात्विक तथ्यों एवं पक्षों के निवेदनों पर विचार किया गया। डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2943 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 20.1.2017 के निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं है कि विश्वविद्यालय का वर्तमान दृष्टिकोण विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था जब याची की पदावधि से संबंधित विवाद्यक विचाराधीन था। पूछे गए दो प्रश्नों के उत्तर में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष यहाँ ऊपर उद्धृत किए गए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय की विद्वान खंड न्याायपीठ के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 67 वर्ष 2017 में अपील में है।

17. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मत है कि याची की सदस्यता की पदावधि जारी रहने से संबंधित विवाद्यक का पूर्व रिट याचिका अर्थात् डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2943 वर्ष 2016 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विनिश्चित विवाद्यकों के साथ संबंध है। चूँकि मामला अभी भी इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ के समक्ष विचाराधीन है, न्यायिक अनुशासन का पालन करने के लिए यह न्यायालय इसे समुचित समझता है कि मामला समुचित परिप्रेक्ष्य में विवाद्यकों पर विचार करने के लिए विद्वान खंड न्यायपीठ के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 67 वर्ष 2017 के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

18. तद्नुसार मामला इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ के समक्ष एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 67 वर्ष 2017 के साथ प्रस्तुत किया जाए।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

श्रीमती चंद्रावती देवी

cuke

मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण संगठन एवं अन्य

L.P.A. No. 172 of 2005 Decided on 11th April, 2017.

(क) श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–240 दिनों का काम ऐसी कसौटी नहीं है कि ऐसे कर्मचारी को पुनर्बहाली किया जाना चाहिए–भले ही किसी कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है, फिर भी उनका नियोजन अवैध है–यदि उनको नियोजन का प्रदान भरती के नियमों के विरुद्ध है और यदि उनका नियोजन किसी लोक विज्ञापन के बिना और उसके अधीन आवेदन के बिना और किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के बिना किया गया है–भले ही किसी कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है किंतु यदि उसकी मूल नियुक्ति स्वयं अवैध है, किसी लोक विज्ञापन के बिना और विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया के बिना है, इस प्रकार के कर्मचारी को पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है। (पैरा 5)

(ख) श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–लोक नियोजन में पिछले द्वार से प्रवेश पाने वालों के लिए ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए स्थान नहीं है–पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने वाले दक्ष उम्मीदवारों के प्रति खतरा हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14 सहपठित अनुच्छेद 16 के अधीन लोक नियोजन के लिए प्रतीक्षारत हैं–लोक नियोजन पाने के लिए आम जनता को एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करने का अवसर देना होगा–ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब लोक पद के लिए लोक विज्ञापन दिया जाएगा–अपीलार्थी का नियोजन संरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी नियुक्ति स्वयं विधि के अनुरुप नहीं थी और किसी लोक विज्ञापन के बिना थी–अपीलार्थी को आकस्मिक मजदूर/दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था–श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त करने में एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है–एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(1978) 2 SCC 213; 1997(2) PLJR 38(SC); (1978) 2 SCC 213; (1997) 8 SCC 767—Referred; (2005) 5 SCC 122; (2006) 2 SCC 716; (2007) 6 SCC 207; (2016) 1 SCC 521; (2014) 13 SCC 232; (2010) 5 SCC 475; (2007) 8 SCC 264—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Satish Buxi, Rabindra Prasad, For the Appellant; M/s Binod Kr. Singh, Vishal Kr. Singh, Kanchan Kumari, For the State

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति—यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3117 वर्ष 1996 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 15 सितंबर 2004 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर दाखिल किया गया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3117 वर्ष 1996 (R) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात किया गया है और निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 29 दिसंबर, 1995 का अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त किया गया है और इसलिए मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

2. <u>ताथ्यिक मैट्रिक्स:</u>

● मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सरकार के संगठनों में से एक अर्थात् ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, गिरीडीह ने इस अपीलार्थी (रिट याचिका में मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3) को दैनिक मजदूर अथवा आकस्मिक मजदूर के रूप में काम पर लगाया था।

● यह नियुक्ति **किसी लोक विज्ञापन के बिना, लोक पद के लिए भरती के नियमों का अनुसरण किए बिना, किसी परीक्षा के बिना और किसी साक्षात्कार के बिना की गयी थी। इस प्रकार, यह पिछले दरवाजा से प्रवेश था।**

● दिनांक 1 दिसंबर, 1980 से 31 मई, 1984 तक कुछ विरामी अवधि के लिए उसे कुछ काम दिया गया था। उक्त अवधि जिसके लिए इस अपीलार्थी ने काम किया निम्नलिखित है:-

(a) 1.12.1980 l 31.1.1982 (62 fnu½ tlk vihykFkh d vfèkoDrk u fuonu fd;k gA

(b) 1.12.1982 l 31.3.1983 (121 fnu)

(c) 1.4.1984 l 31 eb] 1984 (61 fnu)

***rRi'pkr** çR;fFk;k }kjk bl vihykFkh dk dke dHkh ugh fn;k x;k FkkA*

● इस अपीलार्थी द्वारा **औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन** औद्योगिक विवाद उठाया गया था और निम्नलिखित निबंधनों में श्रम न्यायालय, हजारीबाग को निर्देश किया गया था:

^^D;k Jherh pnkorh noh] dk;ky; pijklh] xkeh.k vfHk;kf=dh lxBu dh lok dh lekfIr lefpr g\ ;fn ugh] rk D;k og iucgkyh rFkk fdlh çdkj d vurk"k dh gdnkj g

● श्रम न्यायालय, हजारीबाग में निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था और प्रबंधन तथा इस अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्देश विनिश्चित किया गया था और **श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा 29 दिसंबर, 1995** को अधिनिर्णय (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट 2) पारित किया गया था जिसके द्वारा श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पुनर्बहाली का आदेश पारित किया गया है और कुछ अवधियों के लिए मजदूरी भी अधिनिर्णीत की गयी है।

● श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित पूर्वोक्त अधिनिर्णय को प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा रिट याचिका सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3117 वर्ष 1996 (R) में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था।

● प्रबंधन द्वारा दाखिल रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय जिसके द्वारा निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में विद्वान श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त कर दिया गया था, से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

3. <u>अपीलार्थी (रिट याचिका में मूल प्रत्यर्थी सं॰ 3) के अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क:</u>

● अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपीलार्थी ने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है और उसकी सेवा कोई नोटिस दिए बिना समाप्त कर दी गयी है, अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन है। मामले के इस पहलू का श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा कतिपय अवधियों के लिए कतिपय मजदूरी के साथ पुनर्बहाली आदेश प्रदान करने के लिए समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

● अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समस्त सरकारी विभाग सरकार के प्रभुत्व संपन्न कार्य नहीं है। यदि कुछ विभागों में सरकार की आर्थिक गतिविधियाँ चल रही है और यदि ऐसे विभाग **बंगलोर जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए॰ रजप्पा एवं अन्य, (1978)2 SCC 213**, में अधिकथित परीक्षा परिपूर्ण कर रहे हैं; उक्त विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (j) के अर्थ के अंतर्गत उद्योग हो सकता है। मामले के इस पहलू का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा दाखिल रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

● अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि **1997 (2) PLJR 38 (SC)** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय **(1978)2 SCC 213** में सात-न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ सं॰ 143 को देखते हुए अनवधानीपूर्ण निर्णय है।

● अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **(1997)8 SCC 767** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी विश्वास किया है और निवेदन किया है कि सरकार का टेलीकॉम विभाग उद्योग है। ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन गिरीडीह के बीच अंतर नहीं है और इस प्रकार के विभाग सरकार के प्रभुतासंपन्न कार्य नहीं हैं और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश गलत निष्कर्ष पर आए हैं कि ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, गिरीडीह उद्योग नहीं है।

● अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि इस अपीलार्थी ने 240 कार्य दिनों से अधिक पूरा किया है और किसी नोटिस के बिना और किसी मुआवजा के बिना इस अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दी गयी है। ऐसी सेवा समाप्ति सही प्रकार से अवैध सेवा समाप्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गयी है और इसलिए, निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 29 दिसंबर, 1995 के अधिनिर्णय में पुनर्बहाली का आदेश सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3117 वर्ष 1996 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश को अभिखंडित एवं अपास्त करके वैध के रूप में अभिनिर्धारित किया जा सकता है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. <u>प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क:</u>

● प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें जो अवैध रूप से नियुक्त किए गए हैं को पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है, विज्ञापन, साक्षात्कार, आवेदन, परीक्षा नहीं हुई थी और उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों की मृदुल इच्छा के चलते अपीलार्थी ने पिछले दरवाजा से प्रवेश के रूप में लोक पद पर नियोजन पाया है। इस प्रकार के कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है, जिस तरीके से उन्हें नियुक्त किया गया था। लोक नियोजन में पिछले द्वार से प्रवेश लेने वालों को उसी तरीके से बाहर जाना चाहिए।

● प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (s) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार के रूप में माना नहीं जा सकता है। श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा इस प्रकार के कर्मचारी को पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है।

● प्रत्यर्थियों (मूल याचीगण) की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपीलार्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और न ही इस अपीलार्थी ने नियोजन पाने के लिए शेष उम्मीदवारों के साथ स्पर्धा किया है और न ही उसे नियमित रिक्ति और अथवा मंजूर पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। कोई भी जो सरकार अथवा इसके अभिकरणों के साथ कार्यरत है और यदि वे अवैध रूप से नियुक्त व्यक्ति हैं, उन्हें श्रम न्यायालय द्वारा पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा, कोई चीज जिसे प्रत्यक्षत: नहीं किया जा सकता है, अप्रत्यक्षत: किया जाएगा अर्थात् वे जो विधिक तरीके से नियोजन पाने में अक्षम हैं, इस प्रकार की पद्धति से नियोजन पाएँगे। मामले के इस पहलू का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त करके सही प्रकार से अधिमूल्यन किया गया है और इसलिए, इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

5. कारण:

दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए **हम इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से ग्रहण करने का कारण नहीं पाते हैं:**

(i) किसी लोक विज्ञापन के बिना, इस आवेदक के किसी आवेदन के बिना, किसी परीक्षा के बिना, किसी साक्षात्कार के बिना और भरती के नियमों का अनुसरण किए बिना इस अपीलार्थी को **पिछले दरवाजा से प्रवेश** के रूप में आकस्मिक मजदूर अथवा दैनिक मजदूर (चपरासी) के रूप में कुछ अवधि के लिए नियुक्त किया गया था जैसा कथन यहाँ ऊपर ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, गिरीडीह द्वारा किया गया है।

(ii) **पूर्वोक्त ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन, गिरीडीह का पहले से ही विद्यमान भरती का नियम है। उनका पालन अनुपालन की तुलना में भंग में अधिक किया गया था। इस देश में** इस प्रकार के संस्थान अथवा संगठन के कुछ अध्यक्ष के लिए किसी लोक विज्ञापन के बिना, किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के बिना अथवा लोक नियोजन देने के लिए नियमित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में लोक नियोजन देना **फैशन बन गया है।** उन्हें कुछ भाग्यशालियों पर कृपा करना बहुत पसंद है। **वे विधि की तुलना में अधिक दानी है।** अप्राधिकृत रूप से, इस प्रकार के पिछले दरवाजा से प्रवेश पाने वालों द्वारा कुछ समय बीतने के बाद अपनी पुनर्बहाली के लिए केवल इस आधार पर कि उन्होंने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है मांग अथवा औद्योगिक विवाद किया जा रहा है यदि उन्हें कुछ अवधि के बाद काम नहीं दिया जाता है। **अवर न्यायालयों, औद्योगिक न्यायालयों एवं अधिकरणों को ध्यान में रखना चाहिए कि 240 दिनों के लिए काम करना ऐसी कसौटी नहीं है कि ऐसे कर्मचारी को पुनर्बहाल किया जाना चाहिए। "240 दिनों के लिए काम करना'' जादुई आंकड़ा** नहीं है कि उन्हें जिन्होंने 240 दिनों के लिए काम किया है को नियमित कर्मचारी की उपाधि प्रदत्त करनी होगी और पुनर्बहाल किया जाना चाहिए। भले ही किसी कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है, फिर भी उनका नियोजन अवैध है,

(a) ;fn mud fu;ktu Hkjrh d fu;ek d fo#) tkr g(

(b) ;fn mudk fu;ktu doy mPp J.kh d ç'kklfud vfèkdkfj;k }kjk fu;ktu d çnku d fy,] nku ij vkèkkfjr g(

(c) ;fn mudk fu;ktu fdlh ykd foKkiu d fcuk fd;k x;k g vkj mld vèkhu fdlh vkonu d fcuk vkj dkb ijh{kk vFkok lk{kkRdkj d fcuk g(

(d) ;fn mudk fu;ktu 'k"k vke turk dk volj fn, fcuk fd;k x;k g fo'k"kr% ykd fu;ktu d fy,A

इस प्रकार के कर्मचारी भले ही उन्होंने लगातार वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया है की पुनर्बहाली नहीं की जा सकती है। श्रम न्यायालय, हजारीबाग द्वारा निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में दिनांक 29 दिसंबर, 1995 का अधिनिर्णय पारित करते हुए इस मुख्य सिद्धांत का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा श्रम न्यायालय, हजारीबाग के उक्त अधिनिर्णय को अभिखंडित एवं अपास्त करने में गलती नहीं की गयी है।

(iii) तथाकथित **''जादुई संख्या''** जिस पर श्रम न्यायालय पुनर्बहाली के लिए अग्रसर हुआ है अर्थात् 240 दिनों से अधिक तक काम करना पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश बनाम अनिल कुमार मिश्रा एवं अन्य, (2005)5 SCC 122,** में विशेषत: पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है:–

"5. ge mPp U;k;ky; dk vkn'k ekU; Bgjku e v{ke gA dkb etj in vfLrRo e ugh Fkk ftl ij mUg fu;Dr fd;k x;k dgk tk ldrk FkkA dke rnFk çÑfr dk Fkk tk çR;kf'kr :i l Lo; lekIr gk x;kA 240 fnuk dk ijk dju dh ?kVukvk dk vFk yxkr g, vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 d çkoèkkuk dh lkn';rk ij dedkj dk ntk mud fy, ifjdfYir djuk ef'dy gA fofèkd ifj.kke tk vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 d vèkhu ml vofèk d fy, dke l çokfgr gkr g] ml li.kr% fHkUu g tk lekurk d :i e oreku fLFkfr d çfr lkn';rk d :i e vH;kjkfir fd;k tkrk gA ***240 fnuk dk dke ijk fd;k tkuk ml fofèk d vèkhu fu;fefrdj.k dk vfèkdkj vftr ugh djrk gA ml lkn';rk dk ;gk foLrkfjr vFkok c<k, x, :i e vFk yxkuk rFkk ykx djuk lefpr gA**** *¼tkj fn;k x;k½*

(iv) **म॰ प्र॰ राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि॰ एवं एक अन्य बनाम एस॰ सी॰ पांडे, (2006)2 SCC 716,** में विशेषत: पैराग्राफ 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"17. bl vihy e mBk;k x;k ç'u vc e0 ç0 gkmflx ckM cuke eukt JhokLro e bl U;k;ky; d fu.k; }kjk vkPNkfnr g ftle bl U;k;ky; u Li"Vr% er fn;k fd% (1) tc lok 'kr nk lfofèk;k }kjk 'kkflr gkrh g(,d p;u ,o fu;fDr l lcfèkr vkj nljk lok d fucèkuk ,o 'krk l lcfèkr nkuk lfofèk;k dk çHkko nu dk ç;kl djuk pkfg,(**(2) nfud etnj in èkkj.k ugh djrk g D;kfd ml vfèkfu;e d çkoèkkuk rFkk mld vèkhu fojfpr fu;eoyh d fucèkukulkj fu;Dr ugh fd;k tkrk g vkj ekey d ml nf"Vdk.k e og dkb fofèkd vfèkdkj çkIr ugh djrk g((3) doy blfy, fd depkjh u 240 fnuk l vfèkd le; l dke dj jgk Fkk] og Lo; e lok e fu;fer fd, tku d fy, ml ij dkb fofèkd vfèkdkj çnÙk ugh djxk((4) ;fn fu;fDr lfofèk d çkoèkkuk d foijhr dh x;h g] ;g 'kU; gkxk vkj mldk çHkko ;g gkxk fd mld dkj.k l depkjh }kjk fofèkd vfèkdkj çkIr ugh fd;k tkrk gA****

¼tkj fn;k x;k½

(v) **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰ बनाम दान बहादुर सिंह एवं अन्य, (2007)6 SCC 207,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेषत: पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"18. vxyk ç'u ftl ij fopkj dju dh vko';drk g ;g g fd D;k ,d o"k e 240 fnuk dk ijk fd;k tkuk fdlh depkjh vFkok dedkj ij lok e fu;fefrdj.k d fy, dkb vfèkdkj çnÙk djrk gA ekè;fed f'k{kk ifj"kn cuke vfuy dekj feJk e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd 240 dk; fnu ijk djuk vk|kfxd fookn vfèkfu;e d vèkhu fu;fefrdj.k dk vfèkdkj çnÙk ugh djrk gA ;g ek= fu;kDrk ij lok lekfIr d le; ij dfri; ckè;rk, vfèkjkfir djrk gA ,eO ihO gkmflx ckM cuke eukt JhokLro ¼ijk 17½ e vud vU; io fu.k;k dk fufn"V dju d ckn ;g nkgjk;k x;k g fd ***doy blfy, fd dkb 0;fDr 240 fnuk l vfèkd d fy, dke dj jgk g] og lok e fu;fer fd, tku dk dkb fofèkd vfèkdkj çkIr ugh djrk gA*** *;g nf"Vdk.k xxkèkj fiYy cuke lkbel fyO e nkgjk;k x;k gA Hkkjrh; Mx ,o QkekL;fVdYl fyO cuke dedkj e ljdkjh diuh e dk;jr depkjh d çfr fun'k e foLrkjiod blh ç'u dk ijh{k.k fd;k x;k g vkj ijkvk 34 ,o 35 dk ;gk uhp m)r fd;k tk jgk g% (SCC p. 426)*

^34. ***bl çdkj] ;g lLFkkfir g fd fu;fefrdj.k bfllr dju d fy, fdlh nfud etnj e vfèkdkj fufgr ugh gA fu;fefrdj.k doy fu;ek d vu:i vkj u fd fu;ek l gVdj fd;k tk ldrk gA*** *bO jkekÑ".ku cuke djy jkT; e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fu;ek l gVdj fu;fefrdj.k ugh gk ldrk gA ;gh nf"Vdk.k fd'kkj ¼MkO½ cuke egkjk"V jkT; vkj Hkkjr l?k cuke fo'kEHkj nÙk e fy;k x;k FkkA* ***0;fDr;k ftUg fu;ek d vu#i nfud vkèkkj ij fu;Dr ugh fd;k x;k Fkk dh lokvk dk fu;fer dju d fy, lok vfèkdj.k }kjk tkjh fun'k vikLr fd;k tkrk g ;|fi ;kph yc le; l fu;fer :i l dk;jr FkkA***

35. lfjUnj flg tkeoky ¼MkO½ cuke tO dO jkT; e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd ***rnFk fu;fDr fu;fefrdj.k dk dkb vfèkdkj ugh nrh g D;kfd fu;fefrdj.k lkfofèkd fu;ek }kjk 'kkflr gkrk gA*****

¼tkj fn;k x;k½

(vi) **कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनाम अखिलेश कुमार खरे एवं एक अन्य, (2016)1 SCC 521,** मामले में, विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 18 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"18. çHkkjh vfèkdkjh cuke 'kdj 'kVVh e vk|kfxd fodkl vfèkfu;e] 1947 dh èkkjk 25F d mYy?ku ij fopkj djr g, vkj vud fu.k;k dk fufn"V dju d ckn bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fiNyh etnjh d :i e vurk"k Lor% çkIr ugh gkrk g vkj iucgkyh d ctk, evkotk U;k; dk mí'; ijk dju okyk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g vkj bldk iBu fuEufyf[kr g%&

*^2. D;k fdlh ekey e iucgkyh dk vkn'k Lor% vulfjr gkuk pkfg, tgk nfud etnj dk dke ij yxk;k tkuk vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 ¼l{ki e ^vkbO MhO vfèkfu;e*½ dh èkkjk 25F d mYy?ku e lekIr dj fn;k x;k g\ gky d o"kk e bl U;k;ky; d fu.k;; mDr ç'u ij ,d :i l jg gA*

3. txchj flg cuke gfj;k.kk jkT; Ñf"k foi.ku ckM e bl U;k;ky; dk fu.k; nr g, gee l ,d ¼vkj0 ,e0 yk<k] U;k;efr] u bl U;k;ky; d gky d dN fu.k;k vFkkr m0 ç0 cklo;j fuxe fy0 cuke mn; ukjk;.k ikM] mÙkjkpy ou foHkkx fuxe cuke ,e0 lh0 tk'kh] e0 ç0 jkT; cuke yfyr dekj oek] e0 ç0 ç'kklu cuke f=Hkou] lhrkjke cuke ekrh yky ug: fdlku çf'k{k.k lLFkku] t;ij fodkl çkfèkdj.k cuke jkelgk;] th0 Mh0 ,0 cuke v'kkd dekj vkj egcc nhid cuke uxj ipk;r] xtjkyk dk è;ku e fy;k vkj fuEufyf[kr dFku fd;k ¼¼txchj flg ekeyk] SCC pp. 330 rFkk 335, ijk, 7 & 14)

"7. ;g lR; g fd vud fu.k;k e mPpkfjr bl U;k;ky; d io nf"Vdk.k u fofèkd voLFkk ifjyf{kr fd;k fd ;fn depkjh dh lok lekfIr voèk ik;h tkrh g] i.k fiNyh etnjh d lkFk iucgkyh dk vurk"k lkekU;r% vulfjr gkxkA fdr] gky e fofèkd voLFkk e ifjoru gvk g vkj db ekeyk e bl U;k;ky; u nf"Vdk.k fy;k g fd fiNyh etnjh d lkFk iucgkyh d :i e vurk"k Lor% çkIr ugh gkrk g vkj nh x;h rF; ijd fLFkfr e i.kr% vufpr gk ldrk g ;fi depkjh dh lok lekfIr fofgr çfØ;k d mYy?ku e gA iucgkyh d ctk, evkotk U;k; dk mí'; ijk dju okyk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA

xx xx xx

14. bl çdkj] ;g n[kk tk,xk fd gky fQygky e fu.k;k dh J[kyk e bl U;k;ky; u Li"Vr% vfèkdfFkr fd;k g fd èkkjk 25F d mYy?ku e ikfjr NVuh dk vkn'k ;fi vikLr fd;k tk ldrk g fdr iucgkyh dk vfèkfu.k; Lor% ikfjr ugh fd;k tkuk pkfg,A ***,l ekey e tgk lok lekfIr dh frfFk d igy ,d o"k e dedkj u] fo'k"krk nfud etnj u 240 fnuk dk dke ijk fd;k g] i.k fiNyh etnjh d lkFk iucgkyh dk vfèkfu.k; bl U;k;ky; }kjk lefpr ugh ik;k x;k g vkj bld ctk, evkotk vfèkfu.kkir fd;k x;k gA bl U;k;ky; u nfud etnj tk in èkkj.k ugh djrk g vkj LFkk;h depkjh d chp lfHkUurk fd;k gA***

4. VyhxkQ foHkkx cuke lrk"k dekj lhy e gky e txchj flg ykx fd;k x;k g ftle bl U;k;ky; u dFku fd;k&

*"11. iokDr fofèkd voLFkk vkj rF; dh nf"V e fd dedkjk dk yxHkx 25 o"k igy nfud etnjk d :i e dke ij yxk;k x;k Fkk vkj mUgku 'kk;n gh 2 ;k 3 o"kk rd dke fd;k Fkk] mudk iucgkyh rFkk fiNyh etnjh dk vurk"k U;k;kfpr ugh dgk tk ldrk g vkj bld ctk, èkuh; evkotk U;k; dk mí'; ijk djxkA** ¼tkj fn;k x;k½*

पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में **भले ही किसी कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया है किंतु यदि उसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है,** किसी लोक विज्ञापन के बिना और विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया के बिना किया गया है इस प्रकार के कर्मचारी को पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है।

(vii) **लोक नियोजन में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वालों को बने रहने के लिए स्थान नहीं है। पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वाले दक्ष उम्मीदवारों के प्रति खतरा हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 सहपठित अनुच्छेद 16 के अधीन लोक नियोजन के लिए प्रतीक्षारत हैं।**

आम जनता को लोक नियोजन पाने के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करने का अवसर देना होगा। यह केवल तब किया जा सकता है जब लोक पद के लिए लोक विज्ञापन दिया जाता है।

(viii) **बिहार राज्य बनाम चंद्रेश्वार पाठक, (2014)13 SCC 232** में, विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 10 से 13 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"10. oreku ekey e fu;fDr dk Øe fuEufyf[kr g%&

*vkj{kh egkfujh{kd vijkèkk vulèkku foHkkx] fcgkj] iVuk }kjk viu i= l0 6/86 F3 d rgr ikfjr vkn'k d vkykd e Jh pn'k[kj ikBd] i= Jh no ukjk;.k ikBd] xke gjth] ikLV gjkth] ih0 ,l0 fnEcjk] ftyk Nijk dk vLFkk;h :i l 14.1.1988 dh nkigj l dkLVcy d :i e bl 'kr d lkFk fu;Dr fd;k x;k Fkk fd mldk io pfj= lrk"ktud ik;k x;k vkj tc rFkk tlk vko';d gk] mldh lok dkb dkj.k vFkok dkj.k&crkvk ukfVl fn, fcuk lekIr dj nh tk,xhA mldk orueku ey oru 425#i;k d lkFk 425-10-565 b0 ch0 10-605 gkxkA ml lh0 VhO l0 390 vkofVr fd;k x;k gA***

mDr vkn'k l ;g Li"V g fd fu;fDr doy vkj{kh egkfujh{kd d dgu ij nh x;h gA ***;g n'kku d fy, dN ugh g fd leLr ik= mEehnokjk dk Lièkk dju dk volj nr g, dkb foKkiu tkjh fd;k x;k Fkk vFkok çR;Fkh dk fu;Dr dju d igy dkb vLohdj.k çfØ;k dh x;h FkhA***

11. mMhlk jkT; cuke eerk ekgUrh e fuEufyf[kr lçf{kr fd;k x;k Fkk%&

^^foKkiu d fcuk fu;fDr@fu;ktu

"35. ,d le; bl U;k;ky; dk nf"Vdk.k Fkk fd fu;ktuky; l uke exk;k tkuk fuf'pr lhek rd ykd fu;ktu e Hkkb&Hkrh tkokn rFkk Hk"Vkpkj d [krjk ij yxke yxk,xkA fdr] ckn e bl fu"d"k ij vk;k fd vuPNn 16 dh vko';drkvk d lkFk lxr dN lefpr çfØ;k dk vulj.k fd;k tkuk pkfg,A nlj 'kCnk e] vkonu exkr g, lefpr rjhd l ukfVl çdkf'kr djuk gkxk vkj bld çR;Ùkj e tk vkonu nr g] mu ij fu"i{krk l fopkj fd;k tkuk pkfg,A ***Hky gh mEehnokjk d ukek dk fu;ktuky; l ryc fd;k x;k g] bld vfrfjDr 0;kid çlkj j[ku oky lekpkji=k e fjfDr;k foKkfir djd vFkok jfM;k*** *;k Vyhfotu e mn?kk"k.kk }kjk [ky ckrkj l leLr ik= mEehnokjk l vkonu vkef=r djuk fu;kDrk dh vkj l vkKkid g D;kfd fu;ktuky; l ek= uke exk;k tkuk lfoèkku d mDr vuPNn dh vko';drk ijk ugh djrk gA ¼n[kh fnYyh fodkl ckxokuh depkjh ;fu;u cuke fnYyh ç'kklu(gfj;k.kk jkT; cuke fi;kjk flag½ mRikn 'kYd vèkh{kd cuke d0 ch0 ,u0 fo'o'ojk jko(v#.k frokjh cuke ftyk eulkoh f'k{kd l?k(fcukn dekj xlrk cuke jke vkJ; egrk] jk"Vh; mojd fy0 cuke lkeohj flg(VyhdE;fud'ku foHkkx cuke d'ko nc½ fcgkj jkT; cuke miUn ukjk;.k flg vkj e0 ç0 jkT; cuke ek0 vckfge½*

36. vr%] ***;g lLFkkfir çfriknuk g fd leLr ik= mEehnokjk l vkonu vkef=r fd, fcuk vLFkk;h vFkok rnFk vkèkkj ij Hkh 0;fDr fu;Dr ugh fd;k tk ldrk gA ;fn fu;fDr fu;ktuky; l uke ek=***

exkdj vFkok ukfVl ckM ij ukfVl yxkdj dh tkrh g] og lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 dh vko';drk ijh ugh djxkA , lk jkLrk Hkkjr d lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 dh vkKk dk mYy?ku djrk g D;kfd ;g mu mEehnokjk tk in d fy, ik= g dk fopkj fd, tkus l ofpr djrk gA **bu çkoèkkuk d mYy?ku e fu;kftr 0;fDr oru lfgr fdlh vurk"k dk gdnkj ugh gA oèk ,o fofèkd fu;fDr d fy, mDr loèkkfud vko';drkvk d vkKkid vuikyu dk ifji.k fd;k tkuk gA** vuPNn 16e çfr"Bkfir lekurk [kM vko';d cukrk g fd , lh fu;fDr [ky foKkiu }kjk nh tk, rkfd leLr ik= 0;fDr;k dk eèkk ij Lièkk d fy, l{ke cuk;k tk ldA**

12. çR;Fkh dh vkj l bl U;k;ky; dk foijhr nf"Vdk.k m)r ugh fd;k x;k gA bld vfrfjDr] blh mPp U;k;ky; dh ,d vU; [kM U;k; ihB u le#i rjhd l lok lekfIr ekU; Bgjk;k g tlk igy è;ku e fy;k x;k g ftld fo#) ,lO ,yO ihO bl U;k;ky; }kjk [kkfjt dj fn;k x;k g tlk mYy[k igy fd;k x;k gA

13. rnulkj] ;g vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd **fdlh foKkiu vFkok p;u çfØ;k dh vuifLFkfr e çR;Fkh dh fu;fDr ljf{kr ugh dh tkrh g vkj oèk :i l lekIr dh tk ldrh FkhA** fo}ku ,dy U;k;kèkh'k fjV ;kfpdk [kkfjt dju e U;k;kfpr Fk tcfd [kM U;k; ihB u ble gLr{ki dju e xyrh fd;kA** ¼tkj fn;k x;k½

iokDr fu.k; dh nf"V e] bl vihykFkh dk fu;ktu ljf{kr ugh fd;k tk ldrk g D;kfd Lo; mldh fu;fDr fofèk d vu#i ugh Fkh vkj fdlh ykd foKkiu d fcuk FkhA bl vihykFkh dk vkdfLed etnj@nfud etnj d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA

(ix) **मो० आसिफ एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2010)5 SCC 475,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेषत: पैराग्राफ सं० 13 एवं 14 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"13. **mek noh (3) ekey e vkj mDr fufn"V ekeyk e bl U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr ijh{kk oreku ekey ij ykx djr g, ,lk dgu dk dkbZ ykHk ugh g fd çkFkfed LokLF; dn dedkjk d :i e vihykfFk;k dh fu;fDr fcYdy voèk Fkh vkj lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 dh mYy?kudkjh Fkh tk mu lck tk vU;Fkk ,lh fu;fDr d ik= Fk dk volj dh lekurk çR;kHkr djrk gA e[; fpfdRlk vfèkdkjh ftlu fu;fDr;k dh Fkh] ,lk dju dh 'kfDr l fufgr ugh Fkk vkj u gh ink ftu ij vihykfFk;k dk fu;Dr fd;k x;k Fkk d fo#) fu;fDr d fy, ik= vU; mEehnokjk d nkok ij fopkj fd;k x;k FkkA vk'p;tud :i l] fu;fDr;k vihykfFk;k tk LofPNd LokLF; dedkjk d :i e doy 50 #i;k d ekun; ij dk;jr Fk d vkeyu d :i e dh x;h FkhA**

14. gekj er e] mPp U;k;ky; u lgh :i l vfHkfuèkkfjr fd;k g fd LofPNd LokLF; depkfj;k dk dMj ugh Fkk tk jkT; }kjk pykb tk jgh fMLi lfj;k e ekun; ij dk;jr FkA **LofPNd LokLF; depkfj;k d :i e vihykfFk;k dh nh x;h fu;fDr dh çÑfr ekun; çÑfr dh Fkh ftlu mudk 50 #i;k çfrekg l vfèkd ugh Hkxrku dk gdnkj cuk;kA ;g vfèkeY;u djuk ef'dy g fd fdl çdkj e[; fpfdRlk vfèkdkjh çkFkfed LokLF; depkfj;k] ftudk fu;fer orueku Fkk vkj ftl doy ml ç;ktu l fofgr çfØ;k d vu#i gh Hkjk tk ldrk Fkk] d in d fo#) ekun; lok nu oky ,l LofPNd LokLF; depkfj;k dk**

fu;fer@vkefyr dj ldrk FkkA bl çdkj mDr in d fo#) vihykfFk;k dh fu;fDr Li"V :i l voèk vkj i.krk v;kX; FkhA ;g n[kr g, fd ; fu;fDr;k mDr fun'k d vulj.k e jí dj nh x;h] M< n'kd ckn lok lekfIr voèk ugh dgh tk ldrh Fkh rkfd mu voèk :i l fu;Dr 0;fDr;k dh iucgkyh d fy, fjV U;k;ky; dk gLr{ki vko';d cuk ldA mPp U;k;ky; ekey d ml nf"Vdk.k e jídj.k vkn'k e gLr{ki dju l budkj dju e rFkk fjV ;kfpdkvk dk [kkfjt dju e U;k;kfpr FkkA ¼tkj fn;k x;k½

(x) **म॰ प्र॰ राज्य सहकारी बैंक लि॰, भोपाल बनाम नानूराम यादव एवं अन्य, (2007)8 SCC 264** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 24 में यह संप्रेक्षित किया है कि ''वे जो पिछले दरवाजे से आते हैं, उन्हें उसी दरवाजे से जाना चाहिए।''

(xi) पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश केस सं॰ 4 वर्ष 1989 में श्रम न्यायालय द्वारा इस अपीलार्थी को पुनर्बहाल करते हुए पारित दिनांक 29 दिसंबर, 1995 का अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त करने में गलती नहीं की गयी है। ऐसे पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वालों की पुनर्बहाली नहीं हो सकती है।

(xii) प्रबंधन गवाह सं॰ 1 द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि अपीलार्थी को केवल दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, उसे मंजूर पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया है और वह भी निम्नलिखित अवधियों के लिए–

(a) 1.12.1980 l 31.1.1982 (62 fnu)

(b) 1.12.1982 l 31.3.1983 (121 fnu)

(c) 1.4.1984 l 31.5.1984 (61 fnu)

6. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश सं॰ 4 वर्ष 1989 में विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29 दिसंबर, 1995 का अधिनिर्णय अभिखंडित एवं अपास्त करने में गलती नहीं की गयी है और हम सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3117 वर्ष 1996 (R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं। **अत: इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है और इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।**

7. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस निर्णय तथा आदेश की प्रति को झारखंड राज्य में श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के समस्त अध्यक्षों एवं सदस्यों और झारखंड राज्य के समस्त प्रधान जिला न्यायाधीशों तथा निदेशक, झारखंड न्यायिक एकेडमी, राँची को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

रमेश चंद्र हजाम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 3966 of 2004. Decided on 7th June, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–वेतनमान–सीनियर चयन ग्रेड में पुनर्नियतकरण–याची का 940-1660 रुपयों का वेतनमान 1800-3330 रुपयों पर नियत किया गया था जो 1880-3330 रुपयों का सीनियर वेतनमान 2000-3500 रुपयों पर नियत किया गया था जो 1800-3330 रुपयों का सीनियर स्केल था–दिनांक 18.12.1984 की अधिसूचना सं॰ 2440 के मुताबिक, याची ने पहले ही जूनियर चयन ग्रेड का और सीनियर चयन ग्रेड का लाभ लिया है जिसे याची द्वारा स्वीकार किया गया है–याची को 2200-4000 रुपयों का उच्चतर वेतनमान नहीं दिया जा सकता है जैसी प्रार्थना वर्तमान रिट याचिका में की गयी है–याची का वेतनमान सही प्रकार से 1.1.1996 के प्रभाव से 2000-3500 रुपयों के वेतनमान पर नियत किया गया है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Neeraj Kishore, For the Petitioner; Mr. Sarvendra Kumar, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका 2200-4000 रुपयों के वेतनमान में सीनियर चयन ग्रेड के पारिणामिक लाभों के साथ याची के वेतनमान के पुनर्नियतकरण के लिए प्रत्यर्थियों पर समुचित निर्देश जारी करने के लिए दाखिल किया गया है जिसका याची 1.4.1996 के प्रभाव से हकदार है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज किशोर निवेदन करते हैं कि याची को प्रबंधन कमिटी द्वारा अस्थायी आधार पर मध्य विद्यालय, पुनदिदीरी, राँची में सहायक शिक्षक के रूप में आई॰ ए॰ प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान में 19.7.1963 को नियुक्त किया गया था। बाद में, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची ने दिनांक 10.4.1975 के मेमो सं॰ 3899-901 के तहत विद्यालय को 1.9.1974 के प्रभाव से मान्यता प्राप्त घोषित किया और तत्पश्चात दिनांक 16.5.1975 के मेमो सं॰ 1093 के मुताबिक याची को स्नातक प्रशिक्षित का वेतनमान 1.9.1974 के प्रभाव से प्रदान किया गया था। तद्नुसार, याची को 387-13-465 रुपयों का स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था और बाद में, याची का वेतनमान 1.4.1980 के प्रभाव से 415-15-745 रुपयों पर और तत्पश्चात प्रधानाध्यापक के पद पर 1.4.1981 से 850-30-1360 रुपयों पर नियत किया गया था। वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी मेमो सं॰ 2071/B-2 दिनांक 8.4.1987 के मुताबिक प्रधानाध्यापक के रूप में याची का नया वेतनमान 1.3.1986 के प्रभाव से 880-35-1510 रुपयों पर प्रतिस्थापित किया गया था और 28.2.1986 को 1150 रुपयों पर नियत किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया है कि दिनांक 18.12.1984 की विभागीय अधिसूचना सं॰ 2440 के मुताबिक जिला शिक्षा अधीक्षक ने दिनांक 21.6.1988 के मेमो सं॰ 2202 के तहत उन स्नातक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों को सीनियर चयन ग्रेड तथा जूनियर चयन ग्रेड में वरीयता के संबंध में आदेश पारित किया जो 31.12.1980 तक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे थे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 18.12.1989 के संकल्प सं॰ 3/P.A.R.O.1-3/89-6022/B2 के मुताबिक 20.4.1990 को याची का पुनरीक्षित वेतनमान जो 1.1.1986 से भुगतेय था, 2000-60-3300 रुपया पर नियत किया गया था। याची को जूनियर चयन ग्रेड में प्रोन्नत किया गया था और दिनांक 18.12.1989 के मेमो सं॰ 6022 के तहत उसका वेतनमान 940-60-1660 रुपयों पर नियत किया गया था और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, टोरपा द्वारा जारी दिनांक 19.10.1992 के पत्र के तहत पुनरीक्षित वेतनमान 2000-60-2825 रुपयों पर नियत किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि याची ने 1.4.1996 को बारह वर्ष पूरा किया और इसलिए, वह सीनियर चयन ग्रेड वेतनमान पाने का हकदार था। किंतु, यद्यपि अन्य प्रधानाध्यापक एवं अन्य सीनियर चयन ग्रेड वेतनमान पा रहे थे, याची को उक्त वेतनमान नहीं दिया गया है। अत:, याची ने जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के समक्ष अभ्यावेदन दिया, किंतु इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया

गया था। अंत में यह निवेदन किया गया है कि याची का वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान के मुताबिक 2200-4,000/- रुपयों पर नियत किया जाना चाहिए था और तद्नुसार, उसका पेंशन नियतकरण भी पुनरीक्षित किया जाना चाहिए जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि पर याची द्वारा पाए गए अंतिम वेतन के रूप में जूनियर चयन ग्रेड में 2000-3500 रुपयों पर नियत किया गया है।

5. समानांतर स्तंभ में, एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) के विद्वान जे॰ सी॰ श्री सर्वेन्द्र कुमार प्रत्यर्थी सं॰ 3 (जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची) की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि मध्य विद्यालय, पुनदिदीरी, तमार, राँची को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.1975 के मेमो सं॰ 3899-901 में अंतर्विष्ट आदेश के तहत 1.9.1974 के प्रभाव से अपने हाथ में ले लिया गया था और याची को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान 387-600 रुपयों के वेतनमान में 1.9.1974 के प्रभाव से प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, याची का वेतनमान 1.4.1980 के प्रभाव से 850-1360 रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था और उसके बाद इसे आगे 880-1510 रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 3 की ओर से आगे निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.12.1989 के संकल्प सं॰ 6022 (प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट A) के मुताबिक चयन ग्रेड का प्रावधान पहले ही 1.3.1989 के बाद रद्द कर दिया गया था और उक्त आधार पर याची चयन ग्रेड वेतनमान का हकदार नहीं था। दिनांक 18.12.1984 की अधिसूचना सं॰ 2440 (प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट D) के मुताबिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/प्रधानाध्यापक के लिए जूनियर चयन ग्रेड वेतन 940-1660 रुपया था और याची का वेतनमान 1.4.1984 को 1260 रुपया पर नियत किया गया था। दिनांक 18.12.1989 के मेमो सं॰ 6022 के तहत वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प के मुताबिक यह स्पष्ट होगा कि 940-1660 रुपयों का वेतनमान जो याची पा रहा था, 1800-3330 रुपयों के वेतनमान में प्रतिस्थापित किया गया था।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 3 की ओर से यह निवेदन भी किया गया है कि याची का वेतनमान 1800-3330 रुपया होना चाहिए था (जो 940-1660 रुपयों का पुनरीक्षित वेतनमान था)। किंतु, याची का वेतनमान 2000-3500 रुपया पर नियत किया गया था जो 1800-3330 रुपयों का सीनियर वेतनमान है। जिला लेखा अधिकारी, राँची ने इसके अनुमोदन के समय पर आपत्ति भी किया और अनुपालन के बाद याची का वेतन 1.1.1996 के प्रभाव से 9700/-रुपयों पर नियत किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची को पहले ही तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 1.4.1984 के प्रभाव से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान का सीनियर चयन ग्रेड अर्थात् 1000-1820 रुपया प्रदान किया गया था और इसी के आधार पर याची का वेतनमान दिनांक 18.12.1989 के संकल्प सं॰ 6022 के तहत पाँचवें पुनरीक्षण कमिटी रिपोर्ट की अनुशंसा के मुताबिक 2000-3500 रुपयों में पुनरीक्षित किया गया था।

7. अंत में यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.12.1984 की सरकारी अधिसूचना सं॰ 2440 के मुताबिक याची ने पहले ही क्रमशः जूनियर चयन ग्रेड तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/प्रधानाध्यापक के सीनियर चयन ग्रेड का लाभ लिया था, और याची को क्रमशः 940-1660 रु॰ तथा 1000-1820 रु॰ का वेतनमान प्रदान किया गया था तथा तत्पश्चात् इसे 2000-3500 रुपयों के पुनरीक्षित वेतनमान में प्रतिस्थापित किया गया था। इस दशा में याची 1.1.1996 के प्रभाव से 2200-4000 रुपयों के वेतनमान का दावा नहीं कर सकता है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर और यहाँ ऊपर उल्लिखित अनेक अधिसूचनाओं/परिपत्रों/कार्यालय आदेशों के परिशीलन पर यह सामने आता है कि 940-

1660 रुपयों पर याची का वेतनमान 1880-3330 रुपयों पर पुनरीक्षित किया जाना चाहिए था, किंतु, याची का वेतनमान 2000-3500 रुपयों पर नियत किया गया था, जो 1800-3330 रुपयों का सीनियर वेतनमान था। जिला लेखा अधिकारी, राँची ने याची के वेतन नियतिकरण के अनुमोदन के समय पर इस पर आपत्ति भी किया था और तत्पश्चात उसका वेतन 1.1.1996 के प्रभाव से 9700 रुपयों पर नियत किया गया था। यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 18.12.1989 के संकल्प सं॰ 6022 के पैरा 13 (iii) एवं (vi) के मुताबिक चयन ग्रेड का प्रावधान पहले ही 1.3.1989 के बाद रद्द कर दिया गया था और उक्त आधार पर याची सीनियर ग्रेड वेतनमान का हकदार नहीं है। आगे यह पता चलता है कि दिनांक 18.12.1984 के अधिसूचना सं॰ 2440 के मुताबिक याची ने पहले ही सीनियर चयन ग्रेड एवं जूनियर चयन ग्रेड का लाभ लिया था, जिसे याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफों 9, 11 एवं 14 में स्वीकार किया गया है। इसके स्वीकृत अवस्था होने के नाते याची को 2200-4000 रुपयों का उच्चतर वेतनमान नहीं दिया जा सकता है जैसी प्रार्थना रिट याचिका में की गयी है। इस प्रकार, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, याची का वेतनमान सही प्रकार से 1.1.1996 के प्रभाव से 2000-3500 रुपयों के वेतनमान में नियत किया गया है।

9. परिणामस्वरुप, रिट याचिका में गुणागुण नहीं होने पर इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राजेन्द्र पासवान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2160 of 2015. Decided on 21st March, 2017.

जन वितरण प्रणाली–पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस का रद्दकरण–याची जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुती की अनुपस्थिति में प्रतिकूलता अभिकथित नहीं कर सकता है क्योंकि उसके कारण बताओ नोटिस के प्रति प्रत्युत्तर भी दर्शाता है कि उसने प्रत्येक आरोप को पूर्णतः समझा था और इसका प्रत्युत्तर दिया था–अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का आदेश भी आरोपों की विषयवस्तु और याची द्वारा प्रस्तुत उसके उत्तर के प्रति विवेक का पूर्ण इस्तेमाल दर्शाता है–उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में प्रशासनिक/अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर अपील में विचार नहीं करता है–यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने अभिकथन और याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने पर किरासन तेल जैसी पी॰ डी॰ एस॰ आइटमों के वितरण तथा अन्य आरोपों जिन्हें याची ने स्वीकार भी किया है से संबंधित अंधाधुंध छेड़छाड़ के बारे में निश्चयात्मक मत पर आता है, निर्णय किसी अवैधता अथवा विवेक के समुचित इस्तेमाल की कमी से पीड़ित अथवा अप्रासंगिक आधारों पर आधारित नहीं कहा जा सकता है–प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता का प्रयोग नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 13)

निर्णयज विधि.–2013(1) JLJR 209; 2013(3) PLJR 249—Discussed.

अधिवक्तागण.–M/s Lukesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Abhijeet Kr. Sinha, For the Respondents

आदेश

याची एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. ग्राम कुमारडीह, पंचायत लकरमारा, मेहरामा डिविजन, गोड्डा के लिए सं॰ 1 वर्ष 2002 वाला याची का पी॰ डी॰ एस॰– लाइसेंस (परिशिष्ट 1) प्रत्यर्थी सं॰ 4 सबडिविजनल अधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 10.2.2012 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट 6, द्वारा रद्द किया गया है और विविध अपील सं॰ 26/2012-13 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 2.3.2015 के आक्षेपित अपीलीय आदेश परिशिष्ट–7 के तहत अभिपुष्ट किया गया है।

3. याची की अनुज्ञप्ति 7.9.2011 को रद्द कर दिया गया था और उसे पहले दिनांक 15.8.2011 के पत्र द्वारा, मेमो सं॰ 807 वाले दिनांक 7.9.2011 के पत्र द्वारा अनुसरित, फरवरी, 2011 से जून, 2011 की अवधि के लिए स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था। उसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 सब डिविजनल अधिकारी, गोड्डा द्वारा जारी दिनांक 6.1.2012 के मेमो सं॰ 28 परिशिष्ट 4 के तहत अपना कारण बताओ प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था कि उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अन्य बातों के साथ अभिकथन निम्नलिखित है:–

(i) vR;kn; ;ktuk d vèkhu Qjojh] 2011 ekg d fy, [kk|kUuk d forj.k jftLVj e fdlh lj'k Bkdj dk uke Øekd l0 30, 27 ,o 43 ij rhu ckj n'kk;k x;k gA

(ii) ekp] 2011 rFkk vfçy] 2011 ekg e mBk, x, [kk|kUuk dk forj.k Øe'k% vfçy 2011 rFkk eb] 2011 e fd;k x;k gA

(iii) xknke çcèkd dk egj ugh g tgk rd eb ekg e [kk|kUuk dk mBku dk lcèk gA

(iv) vfçy] 2011 e mBk, x, [kk|kUuk d fy, eb] 2011 e fd, x, ch0 ih0 ,y0 ;ktuk d vèkhu forj.k d ekey e doy 102 ch0 ih0 ,y0 ykHkkfFk;k dk uke n'kk;k x;k g tcfd 110 vkondk }kjk vkonu fn;k x;k gA blr rjg 2.80 fDoVy [kk|kUu forfjr fd;k x;k FkkA

(v) ekg Qjojh] 2011 d forj.k jftLVj e pkj 0;fDr;k ftUgku vfHkdFku fd;k d ukek dk n'kk;k ugh x;k gA

(vi) blh çdkj l eb] 2011 e forj.k jftLVj pkj 0;fDr;k dk uke ugh n'kkrk g ftUgku ch0 ih0 ,y0 ;ktuk d vèkhu vfHkdFku fd;k gA

(vii) fdjkslu ry d forj.k d ekey e] ;kph }kjk forj.k jftLVj e ckj&ckj 0gkbVuj dk mi;kx fd;k x;k g tk uke ,o ykHkkfFk;k dh Øekd l0 e ifjoru n'kkrk gA forj.k jftLVj dk j[k&j[kko dVjfpr çrhr gkrk gA

4. याची ने परिशिष्ट 5 के तहत 18.1.2012 को कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर दिया। अभिकथन सं॰ 1 के संबंध में, याची वितरण रजिस्टर में गलत रूप में सुरेश ठाकुर का नाम दोहराया जाना स्वीकार करता प्रतीत होता है। खाद्यान्नों को उठाने और पश्चातवर्ती माहों में वितरण के संबंध में उसने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया और निवेदन किया कि यह आधिकारिक सदस्यों द्वारा दिए गए समय की कमी के कारण हुआ है। याची ने सब पैरा 3 में अंतर्विष्ट अभिकथन भी गलती के रूप में स्वीकार किया है और माफी इप्सित किया। अभिकथन सं॰ 4 के संबंध में, वह प्रतिवाद करता है कि 8 बी॰ पी॰ एल॰ लाभार्थियों के नाम स्वसहायता समूह के साथ संबद्ध थे; अत: 102 लाभार्थियों के ऐसे नामों को मई, 2011 के वितरण रजिस्टर में परिलक्षित किया गया था। उसने बी॰ पी॰ एल॰ लाभार्थियों, जहाँ चार व्यक्तियों जिन्होंने अभिकथन किया था का नाम परिलक्षित नहीं किया गया है, के

वितरण रजिस्टर में परिलक्षित गलतियों के संबंध में अपनी पुत्री की बीमारी का अभिवचन किया है। क्रमांक सं॰ 4 पर आरोप के संबंध में यह कथन करते हुए समरुप अभिवचन किया गया है कि वह अपनी पुत्री की बीमारी के कारण अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अंतिम अभिकथन के संबंध में याची ने प्रतिवाद किया है कि किसी कपटपूर्ण आशय से ह्वाइटनर के उपयोग का सहारा नहीं लिया गया है। यह इस तथ्य के कारण कि किरासन तेल जैसे पी॰ डी॰ एस॰ आइटमों को प्राप्त करने के लिए समय के एक बिंदु पर अनेक लाभार्थी उपस्थित हुए, वितरण रजिस्टर में लाभार्थियों के नामों को दर्ज करने में गलती के कारण हुआ है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 4 अनुज्ञापन प्राधिकारी ने किए गए अभिकथनों के प्रति याची के अभिवचन पर विचार किया है और इसे तथ्यों पर अमान्य पाया है। उन्होंने जनवरी, 2011 से जुलाई, 2011 तक की अवधि तक फैले व्हाइटनर का उपयोग अंतर्विष्ट करने वाले वितरण रजिस्टर का संवीक्षण किया है। उन्होंने समस्त सातों माह में व्हाइटनर का उपयोग पाया है जिनका विवरण चार्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि केवल 214 लाभार्थियों के बीच में 980 लीटर किरासन तेल का वितरण किया गया था और किरासन तेल के 124 लीटर की कालाबाजारी का साक्ष्य भी पाया गया था। याची के कारण बताओ के उत्तर से असंतुष्ट होकर और आरोपों को स्थापित किया गया पाने पर लाइसेंस रद्द किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 2.3.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा लाइसेंस के रद्दकरण का आदेश इसमें कोई दुर्बलता नहीं पाते हुए संपुष्ट भी किया। उन्होंने जनवरी, 2011 से जुलाई, 2011 तक सात माह की अवधि के लिए किरासन तेल के वितरण रजिस्टर में नियमित आधार पर ह्वइटनर के उपयोग को भी ध्यान में लिया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का अन्य बातों के साथ इस आधार पर विरोध किया है कि सब डिविजनल दंडाधिकारी के निर्देश पर किसी डिविजनल आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गयी जाँच के बाद आक्षेपित कार्रवाई की गयी थी। दिनांक 12.7.2011 की वह रिपोर्ट जो अभिकथित अनियमितताओं को अंतर्विष्ट करता है याची पर तामील नहीं की गयी थी यद्यपि यह संपूर्ण अभिकथन एवं आक्षेपित कार्रवाई का आधार निर्मित करती है। अत:, याची को अपना बचाव करने के समुचित अवसर से इनकार किया गया है। उन्होंने **सुरेश कुमार साव बनाम झारखंड राज्य, 2013 (1) JLJR 209** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और **कृष्ण कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य, 2013 (3) PLJR 249;** में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिवचन भी किया है कि कार्यवाही बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन संचालित की गयी थी, यद्यपि, जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 विनिर्दिष्टत: इस पर अध्यारोही था। **आलोक दत्ता बनाम झारखंड राज्य, Cr. M.P. No. 56 वर्ष 2012,** में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 5.9.2012 के निर्णय पर भी विश्वास किया गया है।

8. प्रत्यर्थियों ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्रकथनों के आधार पर और कारण बताओ नोटिस, परिशिष्ट–4, में अंतर्विष्ट अभिकथन तथा परिशिष्ट 5 पर उत्तर के परिवर्णन पर निवेदन करते हैं कि याची को अपने विरुद्ध किए गए अभिकथनों की पूरी जानकारी थी। उसने क्रमांक सं॰ 1, 2 एवं 3 पर आरोपों को स्वीकार किया है और माफी इप्सित किया है। इसके अतिरिक्त, उसे आरोप सं॰ 7 में अंतर्विष्ट अभिकथनों के संबंध में संपूर्ण वितरण रजिस्टर को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। केवल वितरण रजिस्टर के परिशीलन के बाद और व्हाइटनर के उपयोग के माध्यम से आँकड़ों की शुद्धि द्वारा बार बार की गयी अनियमितताओं के उदाहरण पाने पर

अनुज्ञापन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आया कि याची जन वितरण दुकान के रख–रखाव में अनुचित तथा अनियमित तरीकों का सहारा ले रहा है। वह इस निष्कर्ष पर भी आए कि वितरण रजिस्टर के रख–रखाव ने किरासन तेल की कालाबाजारी का साक्ष्य दर्शाता है। अत:, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में और तथ्यों पर पूर्णत: समुचित है और याची को अपना बचाव करने के लिए सम्यक नोटिस एवं अवसर के बाद पारित किया गया है। जाँच रिपोर्ट की गैर तामीला कोई अंतर नहीं बना सकता था क्योंकि आरोप और कारण बताओ नोटिस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विचार दर्शाता है कि उसकी अनुपस्थिति में याची पर प्रतिकूलता कारित नहीं हुई है। अत:, इस न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

9. मैंने याची तथा राज्य के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। मैंने आक्षेपित आदेश तथा पक्षों द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों का परिशीलन भी किया है। पूर्वोक्त चर्चा इस तथ्य के प्रति पर्याप्त परिसाक्ष्य है कि याची के विरुद्ध अभिकथित आरोप स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट है। याची जाँच रिपोर्ट की प्रस्तुति की अनुपस्थिति में प्रतिकूलता अभिकथित नहीं कर सकता है क्योंकि कारण बताओ नोटिस के प्रति उसका उत्तर भी दर्शाता है कि उसके द्वारा प्रत्येक आरोप पूर्णत: समझा गया था और उसके द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया था। उस अर्थ में आरोप न तो अस्पष्ट और न ही गूढ़ है बल्कि सर्वांगपूर्ण है और अभिकथन का पूर्णवर्णन अंतर्विष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी ने आरोपों के प्रति याची के उत्तर पर विचार करते हुए स्वयं याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अर्थात् जनवरी, 2011 से जुलाई, 2011 तक की अवधि के लिए किरासन तेल का वितरण रजिस्टर विचार में लिया है जो की गयी प्रविष्टि के साथ छेड़छाड़ करने में व्हाइटनर के उपयोग का अनेक उदाहरण अंतर्विष्ट करती है। अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करने में व्हाइटनर के बार–बार उपयोग के उदाहरणों को लाभार्थियों के वर्णन, क्रमांक सं॰ आदि तथा उस अवधि के लिए की गयी कुल आपूर्ति के साथ संपूर्ण सात माहों के लिए चार्ट में वर्णित किया गया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी का आदेश आरोपों के विषयवस्तु तथा इसके प्रति याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर के प्रति विवेक का पूर्ण इस्तेमाल दर्शाता है। यह न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में प्रशासनिक/न्यायिककल्प प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर अपील में विचार नहीं करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का संवीक्षण किया जाना होगा कि क्या वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन अथवा प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार नहीं किए जाने से पीड़ित है अथवा कि आदेश कारण की कमी अथवा विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित है। यह न्यायालय नहीं पाता है कि आक्षेपित आदेश विधि की ऐसी किसी गलती से अथवा तथ्यों पर पीड़ित होता है। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने अभिकथन पर और याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विस्तारपूर्वक विचार करने पर किरासन तेल जैसे पी॰ डी॰ एस॰ आइटमों के वितरण और अन्य आरोपों जिसे याची ने स्वीकार किया है, से संबंधित अंधाधुंध छेड़छाड़ के बारे में निश्चयात्मक मत पर आता है, निर्णय किसी अवैधता अथवा विवेक के समुचित इस्तेमाल की कमी से पीड़ित अथवा अप्रासंगिक आधारों पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।

10. ऐसी परिस्थितियों में, याची का **सुरेश कुमार साव (ऊपर)** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और **कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (ऊपर)** में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास भी उसकी मदद नहीं करता है। **सुरेश कुमार साव (ऊपर)** के मामले में यह पाया गया था कि स्वयं रद्दकरण का आदेश कोई कारण अंतर्विष्ट नहीं करता था यद्यपि इसने विपणन अधिकारी के दिनांक 13.3.2006 की जाँच रिपोर्ट और दिनांक 13.6.2006 की पश्चातवर्ती रिपोर्ट जिन्हें याची पर तामील नहीं किया गया था कोई कारण अंतर्विष्ट नहीं करती थी। उस पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति का रद्दकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरोध में पाया गया था।

11. यहाँ इसमें ऊपर गौर किए गए वर्तमान मामले के तथ्यों में प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता का प्रयोग नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन से पीड़ित होता नहीं कहा जा सकता है। जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया आधार इस मामले के तर्क के समय पर आग्रहित नया आधार है जिसने स्पष्टत: प्रत्यर्थी को चकित किया है और उस कारण से प्रतिशपथ पत्र में विनिर्दिष्ट उत्तर भी अंतर्विष्ट नहीं करता है। किंतु, बिहार व्यापारिक वस्तुएँ (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि यह डीलरों के लाइसेंस, लाइसेंस जारी किया जाना एवं नवीकरण, लाइसेंस अस्वीकार करने की शक्ति, लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए निलंबन एवं अनुज्ञप्ति का रद्दकरण जैसे परिणामों से संबंधित भाग II के अधीन प्रावधान अंतर्विष्ट करता है। यह स्टॉक एवं कीमत रजिस्टर तथा रिटर्न आदि की दाखिली आदि के रख-रखाव से संबंधित प्रावधान भी अंतर्विष्ट करता है। तत्पश्चात भाग IV भी सूचना मांगने, डीलरों को निर्देश जारी करने की शक्ति, अपील एवं पुनरीक्षण का प्रावधान से संबंधित विविध प्रावधानों को अंतर्विष्ट करता है। याची के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त आधारों को सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुए हैं, और न ही झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य पश्चातवर्ती आदेश को प्रस्तुत किया है जिसने यहाँ ऊपर संगणित विस्तृत प्रावधानों को अंतर्विष्ट करते हुए बिहार व्यापारिक वस्तुएँ (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 को प्रतिस्थापित किया है। **आलोक दत्ता बनाम झारखंड राज्य, Cr. M.P. सं॰ 56 वर्ष 2012,** मामले में अंतर्ग्रस्त प्रश्न यह था कि क्या प्रखंड आपूर्ति अधिकारी पी॰ डी॰ एस॰ (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 10 के निबंधनानुसार तलाशी एवं जब्ती करने के लिए प्राधिकृत किया गया था जिस पर पी॰ डी॰ एस॰ के लाभार्थियों को पी॰ डी॰ एस॰ आइटमों के वितरण के मामले में अनियमितताओं के संबंध में पी॰ डी॰ एस॰ डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। माननीय न्यायालय ने पी॰ डी॰ एस॰ (नियंत्रण) आदेश, 2001 पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्रखंड आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गयी तलाशी एवं जब्ती अवैध थी क्योंकि वह सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं था।

12. किंतु वर्तमान मामला अभिकथित आधार पर याची के पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस के रद्दकरण से संबंधित है और न कि अप्राधिकृत तरीके से किसी तलाशी एवं जब्ती के बाद उसके विरुद्ध दर्ज किसी दांडिक मामले से संबंधित है। तर्क के समय पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रहित पूर्वोक्त आधार पूर्णत: सिद्ध नहीं किया गया है। अत: यह स्वीकरण योग्य नहीं है।

13. यहाँ ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों, तथा कारणों की संपूर्णता पर यह न्यायालय हस्तक्षेप आवश्यक बनाने वाला आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

नुरुद्दीन उर्फ नुरुद्दीन अंसारी एवं एक अन्य

cuke

मनकी मुंडा एवं अन्य

WP(C) No. 5147 of 2007. Decided on 1st July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 21 नियम 10—निष्पादन याचिका में संशोधन–अनुज्ञेयता–डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय इसे उस रूप में निष्पादित करेगा

जैसा यह है और यह डिक्री के निबंधन को उपांतरित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकता है–निष्पादन मामले में अवर न्यायाधीश ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि वाद भूमि पर निर्मित घर के उपर कब्जा की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट डिक्री नहीं है और इसलिए याचीगण द्वारा इप्सित संशोधन निष्पादन कार्यवाही के समय पर अनुज्ञात नहीं किया जा सकता था–आवेदन खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–AIR 1956 SC 359—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. S.S. Sahay, For the Petitioners; Mr. Rahul Kamlesh, For the Resp. No. 17.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका विद्वान उपन्यायाधीश, IX, राँची द्वारा निष्पादन मामला सं॰ 4/1999 में पारित दिनांक 2.7.2007 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) अभिखंडित/अपास्त करने के लिए याचीगण द्वारा दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निष्पादन याचिका में संशोधन के लिए प्रार्थना करते हुए याचीगण द्वारा दाखिल संशोधन याचिका अस्वीकार कर दिया है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण ने प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के विरुद्ध ग्राम हुजीर के तीन भूखंड सं॰ 396, 218, 551, खाता सं॰ 29 कुल क्षेत्र 2.69 एकड़ के संबंध में अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा देने की घोषणा के लिए अभिधान वाद सं॰ 223 वर्ष 1986-1996/70 दाखिल किया था जिसे वादीगण/याचीगण के पक्ष में दिनांक 28.8.98 के निर्णय तथा दिनांक 8.9.1998 की डिक्री के तहत अनुज्ञात किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 8.9.1998 की डिक्री निष्पादन में उप न्यायाधीश IX, राँची के न्यायालय के समक्ष 4.2.99 को निष्पादन केस सं॰ 4/99 के तहत रखी गयी थी। तत्पश्चात निष्पादन न्यायालय ने भूखंड सं॰ 396 क्षेत्रफल 0.95 एकड़; भूखंड सं॰ 551 क्षेत्रफल 1.59 एकड़ तथा भूखंड सं॰ 218 क्षेत्र 0.15 एकड़ के संबंध में याचीगण/वादीगण को कब्जा देने के लिए डी॰ पी॰ का रिट जारी किया। नाजिर, सिविल न्यायालय ने उप-न्यायाधीश, IX, राँची के न्यायालय के समक्ष 16.7.2003 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और नाजिर के रिपोर्ट के मुताबिक भूखंड सं॰ 396 क्षेत्रफल 0.95 एकड़ एवं भूखंड सं॰ 551 क्षेत्रफल 1.59 एकड़ के अधीन आच्छादित भूमि के संबंध में वादीगण/याचीगण को कब्जा दिया गया था। किंतु, भूखंड सं॰ 218 क्षेत्रफल 0.15 एकड़ के संबंध में नाजिर द्वारा कब्जा नहीं दिया जा सकता था, क्योकि उक्त भूमि पर घर था। यह निवेदन भी किया गया है कि भूखंड सं॰ 218 क्षेत्रफल 0.15 एकड़ के संबंध में डिक्री का निष्पादन प्रभावी बनाने के लिए नाजिर की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद याचीगण ने निष्पादन याचिका के संशोधन के लिए 25.5.2007 को संशोधन याचिका दाखिल किया।

3. प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित था:–

पृष्ठ सं॰ (5) में पैराग्राफ सं॰ (10) पर शब्द ''वहाँ से'' के बाद और शब्द'' यह है'' के पहले निम्नलिखित शब्दों को अंत: स्थापित किया जाना है। ''डिक्रीधारक आगे प्रार्थना करता है कि भूखंड सं॰ 218 निर्णीत ऋणी द्वारा वाद के लंबे समय तक लंबित रहने के दौरान घर निर्मित किया गया है अत: निर्णीत ऋणी को उक्त भूखंड पर खड़े घर से बेदखल किया जा सकता है और समस्त अवरोधों एवं रूकावटों जिन्हें कब्जा दिए जाने के समय पर निर्णीत ऋणी द्वारा रखा जा सकता है को हटाकर डिक्रीधारकों को इसका खास कब्जा दिया जा सकता है।''

4. किंतु, विद्वान उप-न्यायाधीश, IX, राँची ने दिनांक 2.7.2007 के आदेश के तहत याचीगण द्वारा दाखिल उक्त संशोधन याचिका अस्वीकार कर दिया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन

किया गया है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही में याचीगण को प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात नहीं करने में गंभीर गलती किया और इसे, अस्वीकार करके याचीगण के पक्ष में पारित डिक्री पूरी तरह निष्पादित नहीं की जा सकी थी।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 16 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है। किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 17 की ओर से विद्वान एस॰ सी॰ II के जे॰ सी॰ उपस्थित होते हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 17 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान उप–न्यायाधीश IX, राँची द्वारा पारित दिनांक 2.7.2007 के आदेश में गलती नहीं है, क्योंकि भूखंड सं॰ 218, खाता सं॰ 29 के ऊपर निर्माण निष्पादन कार्यवाही आरंभ होने के पहले से खड़ा था। वस्तुत: याचीगण को स्वयं वाद कार्यवाही के समय पर उक्त तथ्य के संबंध में वाद पत्र में संशोधन इप्सित करना चाहिए था।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं फाइल में प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन के बाद यह प्रतीत होता है कि यद्यपि वाद भूमि के ऊपर अधिकार, अभिधान एव हित की घोषणा और कब्जा की संपुष्टि के लिए डिक्री पारित की गयी थी और विकल्प में याचीगण के पक्ष में वाद भूमि के ऊपर कब्जा की वापसी के लिए डिक्री भी पारित की गयी थी, फिर भी न तो वाद कार्यवाही में न ही डिक्री में यह कभी उल्लेख किया गया था कि भूखंड सं॰ 218 खाता सं॰ 29 के ऊपर घर विद्यमान था। यदि वाद भूमि के ऊपर घर का निर्माण किया गया था, याचीगण को स्वयं वाद कार्यवाही के दौरान उपयुक्त संशोधन करके उक्त तथ्य को लाने की छूट थी। किंतु, उक्त संशोधन अभिधान वाद सं॰ 223 वर्ष 1986 में विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा डिक्री पारित किए जाने तक नहीं किया गया था। तद्नुसार, डिक्री में उल्लिखित वाद भूमि के विवरणों ने उल्लेख नहीं किया था कि भूखंड सं॰ 218 खाता सं॰ 29 के ऊपर कोई निर्माण किया गया है।

7. यह विधि की स्थापित प्रतिपादना है कि डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय इसे उस रूप में निष्पादित करेगा जैसा यह है और यह डिक्री के निबंधन को उपांतरित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जय नारायण राम लुंडिया बनाम केदार नाथ खेतान, AIR 1956 SC 359,** में पैराग्राफ सं॰ 24 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"24. .....pyr&pyr ;g lçf{kr fd;k tk ldrk g fd U;k;ky; ftlu fMØh ikfjr fd;k g] }kjk lfonk dk mikrj.k vFkok ckn e] ;fn og bl rF; dk le; ij ugh tkurk Fkk] fMØh d fucèku dk mikrj.k bfllr djuk çfroknh dk dr0; mruk gh Fkk ftruk og dgrk g fd ;g oknh dk dr0; FkkA rF; cuk jgrk g fd fMØh bu fucèkuk e ikfjr dh x;h Fkh vkj bl ml :i e fu"ikfnr djuk gkxk tks ;g g vFkok fcYdy ugh tc rd U;k;ky; ftlu bl ikfjr fd;k bl ifjofrr vFkok mikrfjr ugh djrk gA***

8. इस प्रकार, मेरे सुविचारित मत में, विद्वान उपन्यायाधीश IX, राँची ने निष्पादन मामला सं॰ 4/1999 में सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि वाद भूमि (भूखंड सं॰ 218 खाता सं॰ 29) पर निर्मित घर के कब्जा की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट डिक्री नहीं है और इसलिए निष्पादन कार्यवाही के समय पर याचीगण द्वारा इप्सित प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता था। उक्त तथ्य की दृष्टि में, मैं उप–न्यायाधीश IX, राँची द्वारा निष्पादन मामला सं॰ 4 वर्ष 1999 में पारित दिनांक 2.7.2007 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

लंबित आई॰ ए॰, यदि हो, खारिज किया जाता है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

किताबानी खातुन

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal (DB) No. 177 of 1992(R). Decided on 14th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 219 वर्ष 1988 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.9.1992 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 328—जहर देकर हत्या कारित की गयी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–जहर देकर मृत्यु हुई थी और दो संतानें इस अपराध के पीड़ित थे–चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है और अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन पूर्णतः सिद्ध किए गए हैं–यह नहीं कहा जा सकता है कि आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी पर प्रतिकूलता कारित हुई है–अपीलार्थी दो छोटी संतानों की दोहरी हत्या का दोषी है–अपील खारिज। (पैराएँ 13 से 16)

अधिवक्तागण.–M/s. Deepak Kumar & Sachin Mahato, For the Appellant; Mr. Vijay Shankar Prasad, For the Respondent

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील सत्र विचारण सं॰ 219 वर्ष 1988 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.9.1992 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 328 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कठोर आजीवन कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अधीन पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. सूचक मकबूल मियाँ की लिखित रिपोर्ट में यथा कथित अभियोजन मामला यह है कि वह बरही में बेकरी में काम किया करता था। उसके सह-ग्रामीण सहदुल मियाँ ने 20.4.1987 को प्रातः 6 बजे उसको संसूचित किया कि उसकी दो पुत्रियों, दो वर्षीय बुटकनी और चार वर्षीय गुड्डी की मृत्यु पूर्वाह्न लगभग 2 बजे हो गयी थी। यह सूचना पाने पर सूचक तुरन्त अपने गाँव गया और पत्नी से मालूम हुआ कि 19.4.1987 को अपराह्न लगभग 3 बजे वह अपनी बहन के घर उससे कुछ धन लेने के लिए धमना गाँव गयी थी, किंतु, जब वह धमना से लौटी, उसकी सबसे बड़ी छह वर्षीया पुत्री ने उसको सूचित किया कि इसरायल मियाँ की पत्नी उसकी चाची ने बहनों को कुछ (शरबत) पीने के लिए दिया था और इसे पीने के बाद दोनों लड़कियाँ उलटी करने लगी और पूर्वाह्न लगभग दो बजे उनकी मृत्यु हो गयी। चार मुर्गियों जिन्होंने उलटी खाया था की भी मृत्यु हो गयी थी। ज्येष्ठ पुत्री ने दिया गया पेय नहीं पिया था। यह अभिकथित किया गया था कि चाची ने जहर मिला पेय मृतक पुत्रियों को दिया था और हत्या की थी। तत्पश्चात, प्राथमिकी चौपारन पी॰ एस॰ केस सं॰ 49 वर्ष 1987, जी॰ आर॰ सं॰ 203/87 के तत्सम, के रूप में दर्ज की गयी थी। पुलिस ने इसका अन्वेषण किया और अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और अंततः विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

हजारीबाग द्वारा विचारण किया गया था जिन्होंने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 328 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अधीन पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश क्रमशः दिनांक 23.9.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24.9.1992 के दंडादेश के तहत दिया। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

4. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 1 सूचक की पत्नी है। अ॰ सा॰ 2 सूचक की ज्येष्ठ पुत्री है जो घटना के समय पर छह वर्ष की आयु की थी और न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए उसकी आयु लगभग ग्यारह वर्ष थी और वह इस मामले की तात्विक गवाह है; अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर है जिन्होंने मृतकाओं के मृत शरीरों का शव परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 6 सूचक है। दो अन्य गवाह, अर्थात्, अ॰ सा॰ 3 नागो महतो और अ॰ सा॰ 4 सहदुल मियाँ अधिक तात्विक नहीं हैं। इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। बचाव ने अपने मामले के समर्थन में किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया है।

5. अ॰ सा॰ 6 मकबूल मियाँ है। वह सूचक और मृत लड़कियों का पिता है। उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि किताबानी खातुन ने उसकी दो पुत्रियों को जहरीला पेय दिया। वह तब घर पर नहीं था और उसकी पत्नी अपनी बहन के घर गयी थी। जहर खाने के बाद दोनों लड़कियाँ उलटी करने लगीं; चार मुर्गियों ने भी उलटी खाया था जिस कारण उनकी मृत्यु हो गयी। दोनों संतानों की भी मृत्यु हो गयी। सह-ग्रामीण सहदुल मियाँ ने उसको घटना के बारे में सूचित किया था और घर वापस आने पर उसे जानकारी हुई कि किताबानी ने दोनों संतानों को जहर दिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गयी थी। किताबानी के घर के समस्त सदस्य भाग गए थे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पत्नी ने दोनों संतानों को ज्येष्ठ पुत्री की देख-रेख में छोड़ कर गयी थी। अपने प्रति परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके सामने जहर नहीं दिया गया था, बल्कि जहर देने का तथ्य उसे उसकी ज्येष्ठ पुत्री द्वारा सूचित किया गया था। उसके घर के बगल में तीन-चार घर है। पैरा 5 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पत्नी कुआँ में गिर गयी थी और सह ग्रामीण के मेहमान द्वारा उसे कुआँ से बाहर निकाला गया था। अंत में, उसने इनकार किया कि ऐसा नहीं था कि उसकी पत्नी झगड़ालू थी अथवा किसी को फँसाने की धमकी देती थी और ऐसा नहीं था कि पत्नी ने घटना किया है।

6. अ॰ सा॰ 2 जैनूल खातुन है। वह सूचक अ॰ सा॰ 6 की ज्येष्ठ पुत्री है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी माता कुछ धन लाने उसकी चाची के घर धमना गयी थी। उसकी माता ने समस्त तीनों पुत्रियों को घर में ही छोड़ दिया था। उसकी छोटी चाची जो इसरायल की पत्नी है दोनों छोटी लड़कियों को ले गयी थी और उन्हें पेय (शर्बत) और उबला आलू दिया। उसने उसको भी पेय दिया था किंतु उसने नहीं पिया था। दोनों बहनें उलटी करने लगीं। जब उसकी माता आयी तब उसने अपनी माता को सब कुछ बताया जिस पर उसकी माता चीखने लगी और लोग जमा हो गए। उसकी दोनों छोटी बहनों की मृत्यु हो गयी थी और किए गए उलटी खाने के बाद उसकी चार मुर्गियों की भी मृत्यु हो गयी थी। प्रति-परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी माता ने उनको चावल और आलू कढ़ी दिया था। उसका भाई अपने नाना के घर गया था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उसकी चाची उसकी बहनों को ले गयी थी। पैरा 5 में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी माता एवं चाची के कारण गाँव में पंचायती की गयी थी। उसकी माता कुआँ में कूद गयी थी, किंतु अभियुक्त को आलिप्त करने के आशय से नहीं। उसने

आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी बहनों ने उसकी उपस्थिति में उलटी किया था। अंत में, उसने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया कि उसे किसी अन्य द्वारा अथवा अपनी माता द्वारा पट्टी पढ़ाए गए बिना ऐसा अभिसाक्ष्य दिया है।

7. अ० सा० 1 खैरुन खातुन है। वह अ० सा० 6 की पत्नी एवं मृत लड़कियों की माता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना तीन-चार वर्ष पहले की है। वह अपनी बहन से धन लाने धमना गयी थी। उसने तीन पुत्रियों को घर पर छोड़ दिया और धमना से सायं 6 बजे लौटी। अ० सा० 2 जैनूल खातुन ने उसको सूचित किया कि उसकी छोटी चाची ने दोनों छोटी बहनों को पेय एवं उबला आलू दिया। उसे भी यह दिया गया था किंतु उसने नहीं पिया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दोनों छोटी पुत्रियों को जमीन पर पड़ा पाया। इसरायल की पत्नी से पूछने पर उसने कुछ भी नहीं कहा था। बाद में उसने शोर किया, जिस पर मुहल्ला के लोग जमा हुए। उसके ससुर ने पूर्वाह्न दो बजे डॉक्टर लाया जिस समय तक एक पुत्री का देहांत हो चुका था। डॉक्टर ने दूसरी पुत्री को कुछ दवा दिया किंतु उसकी भी मृत्यु हो गयी। उसने तब अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी गोतनी (पति के भाई की पत्नी) ने उसकी संतानों को जहर दिया था जिसका परिणाम मृत्यु में हुआ। उसकी चार मुर्गियों की भी मृत्यु हो गयी। प्रति परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसका अपनी गोतनी से झगड़ा हुआ था जिसके लिए पंचायती की गयी थी। उसने स्वीकार किया कि वह कुआँ में गिर गयी थी।

8. अ० सा० 5 डॉ० बालेश्वर प्रसाद वर्मा है। वह 21.4.1987 को सब-डिविजनल अस्पताल, कोडरमा में पदस्थापित थे और उस दिन प्रातः 9.35 बजे उसने मकबूल मियाँ की पुत्री बुटकनी का शव परीक्षण किया जो लगभग दो वर्ष की थी। उन्होंने लड़की के मुख एवं नासिका से फेन आते देखा। विच्छेदन पर, उसने पैचों में स्थानों पर पेट का म्यूकस जला पाया। पेट की अंतर्वस्तुएँ तीखी गंध दे रही थी। उन्होंने छोटी आँत का म्यूकस भी अनेक स्थानों पर पैचों में जला पाया। डॉक्टर के मत में, मृत्यु श्वसन क्रिया और रक्त संचरण क्रिया की विफलता के कारण हुई, जो कुछ जहर खाने के परिणामस्वरुप हुई थी। पैरा 3 में डॉक्टर ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसी दिन प्रातः 10 बजे उन्होंने मकबूल मियाँ की चार वर्षीय पुत्री गुड्डी के मृत शरीर का शव परीक्षण भी किया। उन्होंने मृतका की नासिका से फेन आते देखा। विच्छेदन पर डॉक्टर ने बिल्कुल वही उपहति पाया जो मृतका बुटकनी के मामले में मौजूद थे। डॉक्टर के मत में इस लड़की की मृत्यु भी जहर खाने के परिणामस्वरुप श्वसन क्रिया तथा रक्त संचरण क्रिया की विफलता के कारण हुई। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है।

9. अ० सा० 3 नागा महतो है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपराह्न लगभग 6 बजे सूचक की पत्नी खैरुन खातुन उसके पास आयी थी और उसकी बकरियाँ ले गयी थी। उसने पूछताछ करने पर बताया था कि चूँकि वह धमना गयी थी, उसकी बकरियों ने स्वयं को बंधनमुक्त कर लिया था। उसने उस समय पर यह कथन भी किया कि उसकी पुत्रियाँ उलटी कर रही थी। अगले दिन, उसे जानकारी हुई थी कि मकबूल मियाँ की दो पुत्रियों की मृत्यु हो गयी थी।

10. अ० सा० 4 सहदूल मियाँ है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने इस प्रभाव का शोर सुना कि मकबूल मियाँ की दो पुत्रियों की मृत्यु हो गयी थी। वह मकबूल मियाँ के घर भागा गया जहाँ उसने मकबूल मियाँ की दोनों पुत्रियों को मृत पड़ा देखा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसे मालूम हुआ कि दोनों पुत्रियों को जहर दिया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार ने तर्क किया है कि डॉक्टर के शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जहरीला अभिकथित पदार्थ की सटीक प्रकृति विसरा के रासायनिक विश्लेषण द्वारा विनिश्चित की जानी चाहिए। स्वीकृत रूप से, रासायनिक विश्लेषण का ऐसा अभिलेख नहीं है, अतः, यदि न्यायालय में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित नहीं की गयी है, यह अभियोजन मामला के विरुद्ध

जाता है और, इसलिए, संतानों को जहर देने का अभिकथन सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि जहर बच्चों द्वारा मौखिक रूप से लिया गया होगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया है कि चूँकि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट नहीं है, यह कहना संभव नहीं है कि क्या जहर पेय अथवा शर्बत द्वारा दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि अ॰ सा॰ 1 जो अ॰ सा॰ 6 की पत्नी एवं मृत लड़कियों की माता है और अपीलार्थी के बीच पूर्व दुश्मनी थी, जिसके लिए पंचायती भी की गयी थी और, इसलिए, अपीलार्थी को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य की प्रामाणिकता को भी चुनौती दिया है क्योंकि घटना 1987 की है जबकि उसने 1990 में अभिसाक्ष्य दिया है। इसका अर्थ है कि उसने काफी समय बीतने के बाद अपना साक्ष्य दिया है और उसे अधिसंभाव्यत: पट्टी पढ़ायी गयी थी और इसलिए, उसके अभिसाक्ष्य अथवा साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि केवल विसरा रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद मृत्यु का कारण अभिनिश्चित किया जा सकता है, जैसा नहीं किया गया है और इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं है। अंत में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि इस मामले में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है और आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण के कारण अपीलार्थी पर गंभीर रूप से प्रतिकूलता कारित हुई है।

12. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क किया है कि यह क्रूर एवं इर्ष्यालु चाची द्वारा बच्चों को जहर देकर हत्या का स्पष्ट मामला है। अ॰ सा॰ 6 मकबूल मियाँ की ज्येष्ठ पुत्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सुस्पष्ट साक्ष्य है जो जहर दिए जाने की चश्मदीद गवाह थी और वह बाल गवाह एवं घटनास्थल पर उपस्थित होने के नाते पूर्णत: स्वाभाविक एवं विश्वसनीय गवाह है। इस बाल गवाह के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन सिद्ध किए गए हैं। जहर दिए जाने की संपुष्टि अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ बालेश्वर प्रसाद वर्मा के परीक्षण द्वारा किया गया है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि जहर देने से मृत्यु हुई थी और दो संतानें इस अपराध की पीड़िताएँ थीं। अभिकथन है कि अपीलार्थी किताबानी खातून ने अवयस्क लड़कियों बुटकनी एवं गुड्डी को जहर दिया था और हत्या की थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ के तर्कों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तात्विक गवाह अ॰ सा॰ 2 जैनुल खातुन जो दो मृतक छोटी लड़कियों को जहर देने की वास्तविक घटना की चश्मदीद गवाह है को घर में दो छोटी बहनों के साथ छोड़ दिया गया था क्योंकि उनकी माता मौसी से धन लेने गयी थी। इस गवाह के अनुसार, अपीलार्थी ने उसकी छोटी बहनों को पेय तथा उबला आलू दिया और उससे भी पीने का अनुरोध किया, किंतु, उसने इससे इनकार कर दिया। पीने के बाद तुरन्त उसकी बहनें उलटी करने लगी। इस गवाह ने यह कथन भी किया कि चार मुर्गियों जिन्होंने उलटी खाया था की भी मृत्यु हो गयी थी। जहर की ताकत अथवा प्रभावित इस तथ्य द्वारा सिद्ध की गयी प्रतीत होती है कि पेय पीने के तुरन्त बाद लड़कियाँ उल्टी करने लगी थीं। यह सौभाग्य था कि उसने पेय नहीं पिया था, अन्यथा, अपीलार्थी के अपराध को सटीक रूप से इंगित करने के लिए ऐसा तात्विक गवाह नहीं होता। यह तथ्य कि चार मुर्गियों की भी मृत्यु हुई थी, सिद्ध करता है कि पुत्रियों को जहर दिया गया था। छोटी लड़कियों को जहर दिया जाना डॉ॰ बालेश्वर प्रसाद वर्मा अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य से संपुष्ट किया गया है जिन्होंने मत दिया है कि मृत्यु कुछ जहर मौखिक रूप से दिए जाने के परिणामस्वरुप श्वसन क्रिया एवं रक्त संचरण क्रिया की विफलता के कारण हुई। उन्होंने दोनों पुत्रियों के

बारे में यह मत दिया है। अत:, चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है और अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन पूर्णत: सिद्ध किया गया है। चूँकि अ॰ सा॰ 2 जैनूल खातुन अवयस्क, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय गवाह है, उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं है। आई॰ ओ॰ के गैर –परीक्षण और अपीलार्थी को कारित प्रतिकूलता के संबंध में बाल गवाह अ॰ सा॰ 2 के स्वाभाविक एवं विश्वसनीय साक्ष्य जिसे डॉक्टर के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट भी किया गया है को देखते हुए कुल तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि आई॰ ओ॰ के परीक्षण की कमी ने अपीलार्थी को प्रतिकूलता कारित किया है।

14. विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, जैसी चर्चा पहले की गयी है, हम पाते हैं कि अपीलार्थी दो मासूम लड़कियों की दोहरी हत्या का दोषी है, अत: हम अभिनिर्धारित करते हैं कि सत्र विचारण सं॰ 219 वर्ष 1988 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 328 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करने वाला दिनांक 23.9.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 24.9.1992 का दंडादेश पूर्णत: संपोषणीय है और मान्य ठहराया जाता है।

15. चूँकि अपीलार्थी जमानत पर है, उसका जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है। अपीलार्थी किताबानी खातुन को दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान उत्तरवर्ती अथवा संबंधित न्यायालय को भी दंडादेश भुगतने के लिए उसको गिरफ्तार करने के लिए आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

16. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ एल॰ सी॰ आर॰ तुरन्त वापस भेजा जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

भैया अशोक कुमार एवं अन्य

cuke

भैया गुरुशरण एवं अन्य

W.P. (C) No. 598 of 2014. Decided on 3rd April, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 22 नियम 9—वाद का उपशमन–उपशमन किसी न्यायिक निर्णयन अथवा न्यायिक आदेश द्वारा ऐसे उपशमन की घोषणा पर निर्भर नहीं है क्योंकि यह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है–फिर भी उपशमन को उपशमनित हो गए के रूप में किसी मामले को समाप्त करने के लिए न्यायिक संज्ञान की आवश्यकता है–किसी चरण पर, न्यायालय को उपशमन को ध्यान में लेना है और उपशमनित हो गए के रूप में मामला बंद किया जाना दर्ज करना है–आदेश 23 नियम 1 (k) के अधीन अपील का उपचार व्यथित पक्ष को उपलब्ध होगा यदि उपशमन अपास्त करने के लिए आवेदन अथवा वाद की खारिजी सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 22 नियम 9 के निबंधनानुसार अस्वीकार की जाती है–वादी अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि उपशमन अपास्त करने/वाद की खारिजी के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 22 नियम 9 के अधीन सही प्रकार से कार्यवाही अग्रसर कर रहे हैं–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 5, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2008) 8 SCC 321; (2011)12 SCC 773—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Amar Kr. Sinha, For the Petitioners; None, For the Respondents

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. विविध केस सं॰ 4 वर्ष 2009 में विद्वान सिविल न्यायाधीश II, सीनियर डिविजन, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 23.12.2013 के आदेश, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 9 के अधीन दाखिल विविध मामले की पोषणीयता पर विरोधी पक्षकारों/वर्तमान याचीगण द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है, को अभिखंडन इप्सित करने वाले रिट याचियों द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विचार करने के लिए वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्यों को यहाँ नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा है।

3. वादीगण ने यह घोषणा कि विद्वान मुंसिफ, हजारीबाग द्वारा अभिधान वाद सं॰ 7 वर्ष 1976 में पारित दिनांक 11.8.1977 की डिक्री शून्य एवं अकृत है और अपास्त किए जाने योग्य है, मुंसिफ, हजारीबाग के न्यायालय में लंबित निष्पादन केस सं॰ 128 वर्ष 1981 के साथ अग्रसर होने से प्रतिवादी सं॰ 1, 2 एवं 7 को अवरुद्ध करने वाले स्थायी व्यादेश के प्रदान के लिए और आगे आदेश के लिए कि प्रतिवादी सं॰ 1, 2 एवं 7 को वाद परिसर से बेदखल किया जाए और वादीगण को इसका खास कब्जा दिया जाए इप्सित करते हुए मुंसिफ, हजारीबाग के समक्ष अभिधान वाद सं॰ 128 वर्ष 1991 दाखिल किया। दिनांक 16.1.2009 के आदेश के तहत लिखित कथन (याची के पूरक शपथ पत्र का परिशिष्ट 4) दाखिल करने के बाद वाद निम्नलिखित आधार पर उपशमनित हो गए के रूप में खारिज किया गया था:–

> *^^ekeyk vfHky[k dk ifj'khyu fd;k x;kA e ikrk g fd 15.2.06 dk ;kph u okn i= d okn 'kh"kd l oknh : ik dekjh ,o çfroknh ekfguh noh dk uke foykfir dju d fy, ;kfpdk nkf[ky fd;k FkkA çfrokfn;k }kjk oknh dh bl ;kfpdk d fo#) 14.5.07 dk çR;Ùkj nkf[ky fd;k x;k Fkk vkj çR;Ùkj d ijk 3 e ;g çdFku fd;k x;k Fkk fd çfroknh l0 7 dh eR; ikp o"k igy gk x;h g tk ey oknh dh tkudkjh e Fkk D;kfd mlu mldh vR;f'V e Hkkx fy;k FkkA e ikrk g fd bl ;kfpdk dh çfr oknh d fo}ku vfèkoDrk dk Hkh nh x;h FkhA ;g ekur g, Hkh fd oknhx.k dk çfroknh l0 7 dh eR; dh tkudkjh ugh Fkh] ;g fu"df"kr fd;k tk ldrk g 14.5.07 dk oknhx.k dk çfroknh l0 7 dh eR; dh tkudkjh gbA bl fLFkfr e oknh tkudkjh dh frfFk vFkkr 14.5.07 l 90 fnuk d Hkhrj erd çfroknh d uke dk foykfir dju vFkok mldk uke foykfir dju d ckn mld fofèkd mÙkjkfèkdkfj;k d ukek dk çfrLFkkfir dju d fy, ckè; FkkA fdr] e ikrk g fd 12.2.08 dk foyc dh ekQh bfllr dju okyh fdlh ;kfpdk d fcuk okn i= d okn 'kh"kd l çfroknh l0 7 dk uke foykfir dju d fy, ;kfpdk nkf[ky dh x;h FkhA tgk rd oknh d fo}ku vfèkoDrk d bl rd dk lcèk g fd çfroknh l0 7 okn dk vko';d vFkok lefpr i{k ugh Fkk vkj çfroknh l0 1 ,o 2 u erd çfroknh dk fdjk; ij fn; x; ,d dejk dk dCtk iu% çkIr dj fy;k g] e ikrk g fd okn i= e ;Fkk mfYyf[kr vurk"k B d rgr çfroknh l0 7 d fo#) cn[kyh dk vurk"k bfllr fd;k g vkj bl çfroknh l0 7 u fyf[kr dFku Hkh nkf[ky fd;k gA vkx e ;g le>u e foQy g fd tc ;g çfroknh l0 7 vko';d i{k ugh Fkk vkj VhO ,l0 l0 7/76 e ikfjr fMØh d fu"iknu d rgr okn ifjlj l cn[ky fd;k x;k Fkk] oknh u igy çfroknh l0 7 dk uke foykfir dju d fy, dne D;k ugh mBk;k FkkA bld vfrfjDr] ;g n'kku d fy, vfHky[k ij nLrkot ektn ugh g fd çfroknh l0 7 okn ifjlj e ugh jg jgk g vkj bll cn[ky fd;k x;k gA e vkx ikrk g fd oknh u okn i= e mld }kjk bfllr vurk"k B dk ifjofrr dju d fy, fl0 ç0 l0 d vkn'k VI fu;e 17 d vèkhu*

dkb ;kfpdk nkf[ky ugh fd;k g D;kfd vurk"k B e cn[kyh dk vurk"k çfroknh l0 1, 2 ,o 7 d fo#) bfllr fd;k x;k gA okn i= d ifj'khyu l] ;g fofufn"V ugh djrk g fd okn ifjlj d fdl Hkkx e çfroknh l0 7 jgrk FkkA çfroknh l0 1, 2 ,o 7 d fo#) vurk"k iFkd ,o ,dkfrr ugh fd;k tk ldrk gA

*iokDr ifjfLFkfr;k e] ejk fuf'pr er g fd çfroknh l0 7 okn e vko';d i{k Fkk vkj mldh eR; d ckn l oknhx.k }kjk vucfèkr vofèk d Hkhrj çfrLFkkiu d fy, dne ugh mBk;k x;k Fkk] okn mi'kefur gk x;k gA bl n'kk e oreku okn mi'kefur d :i e [kkfjt fd;k tkrk gA**

4. पेरुमन भागवथी देवास्वोम, पेरिनाडू ग्राम बनाम भार्गवी अम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य, (2008)8 SCC 321, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश XXII नियम 9 के अधीन उपशमन अपास्त करने से संबंधित मामले में पैरा 5 पर अभिनिर्धारित किया है:–

*"5. fu;e 4 dh 'kCnkoyh dk è;ku e j[ku ij] ;g Li"V g fd tc çR;Fkh dh eR; gkrh g vkj mld fofèkd çfrfufèk dk vfHky[k ij yku d fy, vkonu ugh fn;k tkrk g] mi'keu fofèk d çoru }kjk 90 fnuk dh fofgr vofèk d volku ij gk tkrk gA mi'keu fdlh U;kf;d U;k;fu.k;u vFkok U;kf;d vkn'k }kjk ,l mi'keu dh ?kk"k.kk ij fuHkj ugh gA ;g fofèk d çoru }kjk gkrk gA fdr fQj Hkh ^^mi'keu** dk mi'kefur gk x, d :i e ekey dk lekIr dju d fy, U;kf;d lKku dh vko';drk gA ç'kklfud fofèk l okD;k'k mèkkj yr g, ¼'kU; vkn'kk d çfr fun'k e ç;Dr½ vihy viu yykV ij ckM ugh fpidkrh g fd ;g ^^mi'kefur** gk x;h g vkj u gh ;g mi'keu ij Lo; dk Lor% cn djrh gA fdlh pj.k ij] U;k;ky; dk mi'keu è;ku e yuk gkxk vkj mi'kefur gk x, d :i e ¼tgk erd ,dek= çR;Fkh Fkk½ ekey dh lekfIr nt djuk gkxk vFkok nt djuk gkxk fd vihy çR;Fkh fo'k"k ¼tgk ,d l vfèkd çR;Fkh g vkj okn grd vU; d fo#) thfor jgrk g½ d fo#) mi'kefur gk x;h FkhA*

5. जैसा यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है, उपशमन किसी न्यायिक न्यायनिर्णयन अथवा न्यायिक आदेश द्वारा ऐसे उपशमन की घोषणा पर निर्भर नहीं है क्योंकि यह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है। किंतु फिर भी ''उपशमन'' को उपशमनित हो गए के रूप में मामले को समाप्त करने के लिए न्यायिक संज्ञान की आवश्यकता है। किसी चरण पर, न्यायालय को उपशमन ध्यान में लेना होगा और उपशमनित हो गए के रूप में मामले का क्लोजर (जहाँ मृतक एकमात्र प्रत्यर्थी था) दर्ज करना होगा अथवा दर्ज करना होगा कि प्रत्यर्थी विशेष (यदि एक से अधिक प्रत्यर्थी है और अन्य के विरुद्ध वाद हेतुक जीवित रहता है) के विरुद्ध अपील उपशमनित हो गयी थी। वादीगण ने उपशमन अपास्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 9 के अधीन याचिका दाखिल किया, जिसे उप–न्यायाधीश, VI हजारीबाग के न्यायालय के समक्ष विविध मामला सं॰ 4 वर्ष 2009 के रूप में दर्ज किया गया था। याचिका की पोषणीयता का अभिवचन उसमें प्रतिवादी/विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 (k) के अधीन प्रावधानों पर विश्वास करते हुए किया गया था। विद्वान उप न्यायाधीश VI, हजारीबाग द्वारा दिनांक 16.7.2011 के आदेश के तहत निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ अभिवचन अस्वीकार कर दिया गया था:–

^^nkuk i{k lu x, rFkk vfHky[k dk ifj'khyu fd;k x;kA vfHky[k d ifj'khyu l] e ikrk g fd oreku fofoèk ekeyk lh0 ih0 lh0 d vkn'k XXII fu;e 9 d vèkhu nkf[ky fd;k x;k Fkk vkj Vh0 ,l0 l0 128/81 e ikfjr fnukd

16.1.09 d vkn'k] ftl d }kjk okn mi'kefur d :i e [kkfjt fd;k x;k Fkk vkj viu ey Qkby e eyokn iuLFkkfir fd;k x;k Fkk] dk vikLr dju dh çkFkuk dh x;h FkhA ekeyk xg.k dju d ckn fojkèkh i{kdkjk d fo#) ukfVl tkjh fd;k x;k FkkA ukfVl çkIr dju d ckn] fojkèkh i{kdkj ekey e mifLFkr g, vkj viuk dkj.k crkvk nkf[ky fd;kA rRi'pkr mUgku igy fofoèk ekeyk dh ik"k.kh;rk d fcn ij fojkèkh i{kdkjk dk luu d fy, ;g ;kfpdk nkf[ky fd;kA ppk d vèkhu ;kfpdk fofèk d nk çkoèkkuk dk vkÑ"V djrh gA çFke çkoèkku flfoy çfØ;k lfgrk d vkn'k XXII fu;e 9 d vèkhu g vkj f}rh; çkoèkku vkn'k XLIII fu;e 1 (k) gA ;kphx.k@oknhx.k dk ;g dguk g fd fofoèk ekeyk vkn'k XXII fu;e 9 d vèkhu ik"k.kh; g tcfd fojkèkh i{kdkjk dk dguk g fd vkn'k XXII fu;e 9 vkÑ"V ugh gkrk g cfYd vkn'k XLIII fu;e 1 (k) d vèkhu cuk, x, çkoèkku 0;fFkr dk miyCèk gA çFker% e vkn'k XXII fu;e 9 d vèkhu mDr çkoèkku dk è;ku e yrk g tk fuEufyf[kr g%&

(I) tgk okn dk bl vkn'k d vèkhu mi'keu gk tkrk g ;k og [kkfjt fd;k tkrk g ogk dkb Hkh u;k okn] mlh okn grd ij ugh yk;k tk,xkA

(II) oknh ;k er oknh dk fofèkd çfrfufèk gku dk nkok dju okyk 0;fDr ;k fnokfy;k oknh dh n'kk e mldk leunf'krh ;k fjlhoj] mi'keu ;k [kkfjth vikLr dju oky vkn'k d fy, vkonu dj ldxk vkj ;fn ;g lkfcr dj fn;k tkrk g fd okn pky j[ku l og i;kIr grd l fuokfjr jgk Fkk rk U;k;ky; [kp d ckj e fucèkuk ij ;k vU;Fkk tk og Bhd le>] mi'keu ;k [kkfjth vikLr djxkA

(III) ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 5 d micUèk mifu;e (2) d vèkhu vkonuk dk ykx gkxA

bld vfrfjDr vkn'k XLIII fu;e 1 (k) fuEuor ifBr g%&

*^^okn dh [kkfjth vikLr dju l budkj dju oky vkn'k XXII fu;e 9 d vèkhu vkn'kA**

iokDr çkoèkku d lknk iBu l ;g Li"V gkrk g fd oknh vFkok erd oknh d fofèkd çfrfufèk vFkok leunf'krh vFkok fnokfy;k d ekey e fjlhoj gku dk nkok dju okyk vkn'k XXII, fu;e 9 mifu;e 2 d vèkhu mi'keu vFkok [kkfjth vikLr dju d fy, vkn'k d fy, vkonu n ldrk g vkj okn dh [kkfjth vikLr dju l budkj djr g, vkn'k XXII, fu;e 9 mifu;e 2 d vèkhu U;k;ky; }kjk dkb vkn'k ikfjr fd;k tkrk g rc 0;fFkr i{k vkn'k XLIII, fu;e 1 (k) d vèkhu vihy nkf[ky dj ldrk gA bl ekey e] oknh u vkn'k XXII, fu;e 9 d vèkhu mi'keu vkn'k vikLr dju d fy, bl ;kfpdk dk nkf[ky fd;k g vkj mDr çkoèkku d vkykd e ;g ik"k.kh; gA vkx vfHky[k d ifj'khyu l] e ;g Hkh ikrk g fd rRdkyhu U;k;ky; u bl fofoèk ekey d xg.k d le; ij fnukd 19.2.2010 d vkn'k d rgr Hkh vfHkfuèkkfjr fd;k g fd ;g fofoèk ekeyk ik"k.kh; gA

*iokDr ifjfLFkfr;k e] fojkèkh i{kdkj l0 1 ,o 2 }kjk nkf[ky vkifÙk ;kfpdk vLohdkj dh tkrh gA i{kk dk vxyh frfFk ij ldkjkRed :i l luokb d fy, U;k;ky; d le{k mifLFkr gku dk fun'k fn;k tkrk gA 6.8.2011 dk j[kA**

6. दिनांक 16.7.2011 के आदेश के तहत पोषणीयता के अभिवचन का अस्वीकरण चुनौतीहीन बना रहा है। तत्पश्चात, विरोधी पक्षकार सं॰ 5 से 13 द्वारा दाखिल 6.8.2011 की दो याचिकाओं और विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 द्वारा दाखिल दिनांक 3.9.2011 की याचिका का प्रत्युत्तर भी वादी द्वारा दाखिल

किया गया था। दिनांक 3.9.2011 की याचिका का प्रत्युत्तर भी वादी द्वारा दाखिल किया गया था। दिनांक 23.12.2013 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन उपदर्शित करता है कि इस बार भी आदेश XLIII नियम 1 (k) के प्रावधानों के आधार पर उन्हीं आधारों पर पोषणीयता का अभिवचन किया गया है। विद्वान न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि दिनांक 16.7.2011 का पूर्व आदेश वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 द्वारा की गयी पोषणीयता के प्रति आपत्ति अस्वीकार करते हुए पारित किया गया था। वे पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन इप्सित करने के तरीके से इसी अभिवचन पर जोर देना पुनः इप्सित कर रहे हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षित किया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 3 से 15 ने अपने प्रत्युत्तर पर जोर नहीं दिया था और न ही दिनांक 16.7.2011 का आदेश पारित किए जाने के पहले सुनवाई में भाग लिया था। किंतु, उन्होंने पुनः दिनांक 6.8.2011 की याचिका के माध्यम से पोषणीयता के अभिवचन पर जोर देना इप्सित किया है। उनके अभिवचन और दिनांक 16.7.2011 के आदेश सहित पूर्व आदेशों पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायालय संतुष्ट था कि विरोधी पक्षकार विविध मामले की पोषणीयता के प्रश्न के प्रति युक्तियुक्त आधार बनाने में विफल रहे हैं। तद्नुसार उनकी दिनांक 6.8.2011 की आपत्ति अस्वीकार की गयी थी। विरोधी पक्षकार के गवाहों के प्रति परीक्षण के लिए मामला नियत किया गया था।

7. दिनांक 6.3.2017 के आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय से स्टेट्स रिपोर्ट मंगायी गयी थी। दिनांक 20.3.2017 के पत्र के तहत सीनियर सिविल न्यायाधीश II-सह-विशेष न्यायाधीश, भू-अर्जन, हजारीबाग के न्यायालय ने सूचित किया है कि विविध मामला में अगली तिथि 10.4.2017 है और मामला डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 598 वर्ष 2014 अर्थात् वर्तमान मामला में इस न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है।

8. इस पृष्ठभूमि में, प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या विरोधी पक्षकार/वर्तमान याची द्वारा पोषणीयता का ऐसा अभिवचन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अधीन न्यायोचित था या नहीं। यह संदेह में नहीं है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 के ओर से आदेश XLIII नियम 1 (k) के अधीन अपील के फोरम की उपलब्धता पर पोषणीयता का अभिवचन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.7.2011 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे चुनौती कभी नहीं दी गयी है। आगे यह प्रतीत होता है कि अभिधान वाद सं॰ 128 वर्ष 1981 में पारित दिनांक 16.1.2009 के आदेश द्वारा विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि वादीगण ने स्वयं 14.5.2007 को प्रतिवादियों द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के माध्यम से इस तथ्य की जानकारी के बावजूद मृतक प्रतिवादी सं॰ 7 के प्रतिस्थापन के लिए विहित समय के भीतर कदम नहीं उठाया था। वादी ने प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2 के अतिरिक्त प्रतिवादी सं॰ 7 के विरुद्ध अनुतोष इप्सित किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद पत्र के परिशीलन से पाया कि वादी यह विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा था कि प्रतिवादी सं॰ 7 वाद परिसर के किस भाग में निवास कर रहा था। अतएव, इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं॰ 1, 2 एवं 7 के विरुद्ध अनुतोष पृथक एवं एकांतित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी सं॰ 7 वाद में आवश्यक पक्ष था। चूँकि उसकी मृत्यु के बाद वादीगण द्वारा अनुबंधित अवधि के भीतर प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद उपशमनित हो गया है। इस दशा में वर्तमान वाद उपशमनित के रूप में खारिज किया गया था। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 9 के अधीन याचिका वाद के उपशमन एवं खारिजी को अपास्त करने के लिए वादीगण द्वारा तत्पश्चात दाखिल की गयी है।

सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश XXII, नियम 9 निम्नवत पठित है:–

*"9. **mi'keu ;k [kkfjt gkus dk çHkko-—**¼1) tgk okn dk bl vkn'k d vèkhu mi'keu gks tkrk g ;k og [kkfjt fd;k tkrk g ogk dkbZ Hkh u;k okn] mlh okn grq ij ugh yk;k tk,xkA*

(2) oknh ;k er oknh dk fofèkd çfrfufèk gku dk nkok dju okyk 0;fDr ;k fnokfy;k oknh dh n'kk e mlds leunf'krh ;k fjlhoj] mi'keu ;k [kkfjth vikLr

dju oky vkn'k d fy, vkonu dj ldxk vkj ;fn ;g lkfcr dj fn;k tkrk g fd okn pky j[ku l og i;kIr grd l fuokfjr jgk Fkk rk U;k;ky; [kp d ckj e fucèkuk ij ;k vU;Fkk tk og Bhd le>] mi'keu ;k [kkfjth vikKLr djxkA

(3) bf.M;u fyfeV'ku ,DV] 1877 (1877 dk 15) dh èkkjk 5 d micUèk mifu;e (2) d vèkhu vkonuk dk ykx gkxA

सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLIII नियम 1(k) को भी नीचे उद्धृत किया जाता है:—

*"1. **vkn'kk l vihy**—èkkjk 104 d çkoèkkuk d vèkhu fuEufyf[kr vkn'kk l vihy gkxh] vFkkr%—*

*(k) okn dh [kkfjth ;k mi'keu vikLr dju l budkj dju oky vkn'k XXII d fu;e 9 d vèkhu vkn'k(***

9. वाद का उपशमन अथवा खारिजी अपास्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 9 के प्रावधानों की प्रयोज्यता और ऐसी खारिजी के अस्वीकरण पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 (k) के अधीन प्रावधानित अपील के उपचार पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मंगलू राम देवांगन बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य (2011)12 SCC 773,** में विचार किया गया था और पैरा 10 पर अभिनिर्धारित किया गया था:

"10. lfgrk d vkn'k 22 d vud çkoèkkuk dk l;Dr iBu fuEufyf[kr voLFkk Li"V djrk g%—

(a) tc ,dek= oknh dh eR; gkrh g vkj okn dk vfèkdkj 'k"k jgrk g] ml fufeUk fn, x, vkonu ij U;k;ky; erd oknh d fofèkd çfrufèk dk vfHky[k ij yk;k tkuk dkfjr djxk vkj okn d lkFk vxlj gkxkA

(b) ;fn U;k;ky; vfHkfuèkkfjr djrk g fd oknh dh eR; ij okn dk vfèkdkj 'k"k ugh jgrk g] okn lfgrk d vkn'k 22 d fu;e 1 d vèkhu mi'kefur gk tk,xkA

(c) ogk Hkh tgk okn dk vfèkdkj 'k"k jgrk g] ;fn fofèk }kjk lhfer le; ¼vFkkr ifjlhek vfèkfu;e] 1963 d vuPNn 120 d vèkhu fdlh i{k dk fofèkd çfrufèk cuku d fy, vkonu nu d fy, fofgr oknh dh eR; dh frfFk l 90 fnuk dh vofèk½ d Hkhrj fdlh i{k dk fofèkd çfrufèk cuku d fy, vkonu ugh fn, tku ij okn lfgrk d vkn'k 22 fu;e 3 (2) d erkfcd mi'kefur gk tkrk gA

(d) mi'keu U;k;ky; }kjk ;g vfHkfuèkkfjr dju dh (i) okn 'k"k ugh jgrk g(vFkok (ii) erd oknh d fdlh fofèkd çfrufèk }kjk vfHky[k ij yk, tku d fy, vkj okn tkjh j[ku d fy, vkonu ugh fn;k tkrk g] d fofèkd ifj.kke d :i e gkrk gA mi'keu U;k;ky; d fdlh vkipkfjd vkn'k ij fuHkj ugh g fd okn mi'kefur gk x;k gA

(e) ;|fi ;g ?kkf"kr dju okyk vkipkfjd vkn'k fd mi'keu vko';d ugh g] tc okn mi'kefur gkrk g] D;kfd okn e dk;okgh d yck gku dh lHkkouk g vkj U;k;ky; d vkipkfjd vkn'k d fcuk cn ugh fd;k tk,xk] U;k;ky; lkekU;r% ;g nt djr g, vkn'k ikfjr djrk g fd okn mi'kefur gvk g vFkok lfgrk d vkn'k 22 d vèkhu mi'keu d dkj.k l okn [kkfjt djrk gA

(f) tgk okn mi'kefur gkrk g vFkok tgk okn [kkfjt fd;k tkrk g] erd oknh dk fofèkd çfrufèk gku dk nkok dju okyk dkb 0;fDr lfgrk d vkn'k 22

fu;e 9(2) d vèkhu okn dk mi'keu vFkok [kkfjth vikLr dju d fy, vkonu n ldrk gA ;fn i;kIr dkj.k n'kk;k tkrk g] U;k;ky; mi'keu vFkok [kkfjth vikLr djxkA fdr ;fn ,Ik vkonu [kkfjt fd;k tkrk g] ,Ik vkonu [kkfjt dju okyk vkn'k lfgrk d vkn'k 43 fu;e 1(k) d vèkhu vihy e pukrh fn, tku d fy, [kyk gA

*(g) fofèkd çfrfufèk gku dk nkok dju okyk 0;fDr mi'keu vFkok [kkfjth vikLr dju d fy, vkn'k 22 fu;e 9(2) d vèkhu vkonu nkf[ky ugh dj ldrk g] ;fn mlu igy gh le; d Hkhrj vfHky[k ij yk, tku d fy, vkn'k 22 fu;e 3 d vèkhu vkonu fn;k Fkk vkj mldk vkonu vkn'k 22 d fu;e 5 d vèkhu tkp d ckn bl vkèkkj ij [kkfjt dj fn;k x;k Fkk fd og fofèkd çfrfufèk ugh gA***

10. पूर्वोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि वादीगण अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों ने वर्तमान विविध याचिका में वाद का उपशमन और खारिजी अपास्त किया जाना इप्सित किया जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 9 के प्रावधानों के आलोक में विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 द्वारा की गयी आपत्ति पर विचार करने पर पूरी तरह पोषणीय पाया था। आदेश XLIII नियम 1 (k) का प्रावधान दर्शाता है कि वाद का उपशमन अथवा खारिजी अपास्त करने से आदेश XXII नियम 9 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील होगी। अत:, यह स्पष्ट है कि आदेश XLIII नियम 1 (k) के अधीन अपील का उपचार व्यथित पक्ष को उपलब्ध होगा यदि वाद का उपशमन अथवा खारिजी अपास्त करने के लिए आवेदन सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 9 के निबंधनानुसार अस्वीकार किया गया था। अत: वादी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी सही प्रकार से अभिधान वाद सं॰ 128 वर्ष 1981 में पारित दिनांक 16.1.2009 के आदेश के मुताबिक वाद के उपशमन/खारिजी को अपास्त करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 9 के अधीन कार्यवाही अग्रसर कर रहे हैं।

11. दोहराने की कीमत पर, यह पुन: कथन किया जाता है कि विविध याचिका की पोषणीयता के प्रति आपत्ति अस्वीकार करने वाला दिनांक 16.7.2011 का आदेश चुनौतीहीन बना रहा है। किंतु, विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 तथा 5 से 13 ने पुन: पोषणीयता का समरूप अभिवचन, जिसे सही प्रकार से सिविल न्यायाधीश II, सीनियर डिवीजन, हजारीबाग द्वारा दिनांक 23.12.2013 आक्षेपित के आदेश के तहत अस्वीकार किया गया है, करते हुए दिनांक 6.8.2011 तथा 3.9.2011 की याचिका का सहारा लिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है क्योंकि यह विधि में किसी दुर्बलता अथवा अधिकारिता की गलती से पीड़ित नहीं है। विविध केस सं॰ 4 वर्ष 2009 वर्ष 2009 से लंबित प्रतीत होता है। विद्वान न्यायालय यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र विविध मामले की कार्यवाही समाप्त करने के लिए अग्रसर होगा। यह ये भी देखेगा कि पक्षों को अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाय ।

12. यहाँ ऊपर दर्ज कारणों एवं की गयी चर्चा के कारण रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

प्रमोद ओराँव उर्फ प्रमोद राम

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 1391 of 2015. Decided on 22nd March, 2017.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 7A—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007—नियम 12 (3) (b)—बलात्कार मामला–अभियुक्त द्वारा किशोरिता का अभिवचन–चूँकि याची अपनी आयु का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका था उसे उसके आयु के निर्धारण के लिए चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था–मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट ने मत दिया कि चिकित्सीय परीक्षण की तिथि पर याची की आयु 19-20 वर्ष के बीच थी–मेडिकल बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के संबंध में शिथिलीकरण नहीं दिया गया है और न ही नियम 12 (3) (b) में यथा परिकल्पित शिथिलीकरण के संबंध में समुचित विचार नहीं किया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त और विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विचारण न्यायालय के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 5 से 9)

निर्णयज विधि.–2016 (1) JLJR 199; 2015(2) JBCJ 61 (SC)—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Mohit Prakash, For the Petitioner; None, For the State

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित प्रकाश सुने गए। राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

2. यह आवेदन सिसई (भरनो) पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2015, जी॰ आर॰ सं॰ 17 वर्ष 2015 (एस॰ टी॰ सं॰ 146 वर्ष 2015) के तत्सम, के संबंध में विविध मामला सं॰ 2 वर्ष 2015 में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश I, गुमला द्वारा पारित दिनांक 14.10.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा उसको किशोर घोषित करने के लिए याचिका अस्वीकार कर दी गयी है। यह प्रतीत होता है कि किसी सरीना देवी द्वारा इस प्रभाव की प्राथमिकी संस्थित की गयी थी कि याची ने उससे 10,000/- रुपयों का कर्ज लिया था और 4.1.2015 को याची ने कर्ज वापस करने के बहाने उसे जबरन खींचा था और उसके साथ बलात्कार किया था। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर सिसइ (भरनो) पी॰ एस॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2015 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संस्थित किया गया था।

3. विचारण के दौरान याची ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7 (A) के अधीन आवेदन विविध केस सं॰ 2 वर्ष 2015 उसको किशोर घोषित करने के लिए दाखिल किया था। चूँकि याची ने अपनी आयु के प्रमाण में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था जिसने उसके चिकित्सीय परीक्षण की तिथि पर अर्थात् 15.7.2015 को याची की आयु 19-20 वर्ष के बीच निर्धारित किया। मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.10.2015 के आक्षेपित आदेश के तहत याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया था कि वह घटना की तिथि पर किशोर था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मात्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लाभ जो अधिनियम के नियम 12 (3) (b) के निबंधनानुसार किशोर को प्रोद्भूत होता है पर विचार किए बिना याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया था। यह निवेदन किया गया है कि यदि याची को जोड़-घटाव दो वर्षों का लाभ अधिनियम के नियम 12 (3) (b) में यथा परिकल्पित शिथिलीकरण के साथ दिया जाता है, याची निश्चय ही घटना की तिथि पर किशोर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **मो॰ तसलीम बनाम झारखंड राज्य, 2016 (1) PLJR 199,** में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

5. दिनांक 4.10.2015 का आक्षेपित आदेश प्रकट करता है कि चूँकि याची ने अपनी आयु का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था, उसे उसकी आयु के निर्धारण के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने मत दिया कि 26.6.2015 को याची की आयु 19-20 वर्ष की थी।

6. दरगा राम उर्फ गंगू बनाम राजस्थान राज्य, 2015 (2) JBCJ 61 (SC) में किशोर होने का दावा करने वाले अभियुक्त को प्रदान किया जाने के लिए अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण के विचार पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> "15. ,ukVkeh] jfM;k Mk;Xukfll ,o QkjfUld efMflu d çkQljk l lE;d :i l xfBr ckM }kjk fn, x, fpfdRlh; er u mldh vk; ijh{k.k dh frfFk ij ^^yxHkx** 33 o"k fuèkkfjr fd;k gA ckM fpfdRlh; ijh{k.k ij vihykFkh dh lVhd vk; nu e ml {k= e reke çxfr d ckotn l{ke ugh gvk gA ,lk gku d ukr fu;e 12 (3) (b) d fucèkuku lkj vihykFkh ,d o"k d ekftu d Hkhrj fupy i{k ij viuh vk; fu;r dju d ykHk dk gdnkj Hkh gk ldrk g ;fn U;k;ky; ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e ,lk djuk vko';d le>rk gA fdr ,lh fdlh lkfofèkd fj;k;r dh vko';drk mnHkr ugh gk ldrh g D;kfd Hky gh efMdy ckM }kjk ;Fkk fofuf'pr eY;kfdr vk; vihykFkh dh lgh@lPph vk; d :i e ekuh tkrh g] og ?kVuk dh frfFk ij yxHkx 17 o"k 2 ekg dk Fkk vkj bl çdkj iokfYyf[kr vfèkfu;e e ;Fkk ç;Dr ml vfHkO;fDr d vFk d vrxr Fkk ;g dgu ij ge lçf{kr dj ldr g fd geu Lo; dk fpfdRlh; ijh{k.k dh frfFk ij 30 l 36 o"k dh lhek {k= e vihykFkh dh vk; eY;kfdr dju oky efMdy ckM d lkFk vR;Ur lgt egll ugh fd;k gA vk; fofu'p;dj.k d ckj e lkekU; fu;e ;g g fd ;Fkk fofuf'pr vk; tkM&?kVko nk o"k rd dk vrj j[k ldrh g fdr ckM u oreku ekey e Ng o"k dh vofèk rd foLrkj fd;k g vkj vihykFkh dh vk; 33 o"k ij fu;r dju d fy, vklr fy;k gA ge fuf'pr ugh g fd D;k og vihykFkh dh vk; eY;kfdr dju dk lgh rjhdk gA ge tk vk; d eY;kdu d ckj e iuvk'oLr djrk g ;g rF; g fd bl ,ukVkeh] jfM;kMk;Xukfll rFkk QkjfUld efMflu d çkQljk }kjk xfBr efMdy ckM }kjk fofuf'pr fd;k x;k g ftud er dk og lEeku nuk gkxk ftld ;kX; ;g gA bld vfrfjDr] Hky gh vihykFkh dh vk; mijh egÙke lhek vFkkr 36 o"k fofuf'pr dh x;h Fkh] ;g tkM&?kVko nk o"kk d vrj d vè;èkhu gkxk] rn}kjk ftldk vFk g fd og ijh{k.k dh frfFk ij 34 o"k dh vk; dk Hkh gk ldrk FkkA ijh{k.k dh frfFk ij mldh vk; 34 o"k ekur g, og ?kVuk dh frfFk ij 18 o"k 2 ekg 7 fnu dk gkxk fdr ,lk eY;kdu doy eY;kdu gkxk vkj vihykFkh fu;e 12 (3) (b) ¼Åij½ d fucèkuku lkj ,d o"k rd viuh vk; de fd, tku d fucèkuku lkj ,d o"k d vfrfjDr ykHk dk gdnkj gk ldrk g tk ml rc 17 o"k 2 ekg dh vk; dk vFkkr fd'kkj cuk,xkA**

7. मो० तसलीम उर्फ तसलीम बनाम झारखंड राज्य (ऊपर) में **दरगा राम उर्फ गंगा बनाम राजस्थान राज्य (ऊपर)** में पारित निर्णय पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले में याची मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु को दिए गए शिथिलीकरण के आधार पर घटना की तिथि पर किशोर था। मेडिकल बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के संबंध में शिथिलीकरण नहीं दिया गया है और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम 12 (3) (b) में यथा परिकल्पित शिथिलीकरण पर समुचित विचार नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय

ने केवल यहाँ ऊपर यथाउपदर्शित कोई शिथिलीकरण दिए बिना मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के निबंधनानुसार कठोरतापूर्वक घटना की तिथि पर उसकी आयु संगणित करके याची का किशोर नहीं होना घोषित किया है।

8. अत:, ऐसी परिस्थितियाँ दिनांक 14.10.2015 के आक्षेपित आदेश को विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं बना सकती है और तद्नुसार इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और विधि के अनुरुप तथा ऊपर निर्दिष्ट न्यायिक उद्घोषणा के अनुकूल तथा उसमें उपदर्शित विधि के प्रावधानों के अनुसार नया निर्णय पारित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है। पूर्वोक्त कार्य इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद तार्किक आदेश पारित करके पूरा किया जाएगा।

9. पूर्वोल्लिखित संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शिबेश्वर गिरी एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य एवं अन्य

C.W.J.C. No. 3573 of 2000 (R). Decided on 7th April, 2017.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 71A—भूमि का पुनर्स्थापन–नौ वर्षों के विलंब के आधार पर पुनरीक्षण की खारिजी–उसमें विरोधी पक्षकार/वर्तमान याचियों के पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि से अभिकथित कपटपूर्ण बेदखली–पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में 9 वर्षों के भारी विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया है यद्यपि याचियों के पिता की बीमारी का आधार उसमें लिया गया है–ऐसे भारी विलंब की माफी के लिए आधारों के समर्थन में दस्तावेजों को भी संलग्न नहीं किया गया था–याचीगण ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में 9 वर्षों के भारी विलंब को स्पष्ट करने के लिए भी वर्तमान रिट याचिका में अपने मामले में आगे कोई सुधार नहीं किया है–वर्तमान मामले में पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष याचीगण द्वारा किया गया अभिवचन सही और विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Tapas Roy, For the Petitioners; Mr. S. L. Agrawal, For the Resp. No. 5.

न्यायालय द्वारा.–याचीगण एवं प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अधिवक्ता सुने गए। यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 2, 3 एवं 4 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है किंतु आज राज्य अधिवक्ता के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व किया है, किंतु उनकी ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

2. याचीगण ने सिंहभूम एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण सं॰ 52/2000 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिविजन, राँची द्वारा पारित दिनांक 18 सितंबर, 2000 के आदेश (परिशिष्ट 6) का विरोध किया है जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका इसे दाखिल करने में 9 वर्षों के विलंब के आधार पर खारिज कर दी गयी है। यह प्रतीत होता है कि वर्तमान याचीगण के पिता द्वारा दाखिल एस॰ ए॰ आर॰ अपील सं॰ 157 वर्ष 1986-87/111 वर्ष 1989-90 भी 12 सितंबर, 1991 को इस तथ्य

को ध्यान में लेते हुए खारिज किया गया था कि अपीलार्थी ने मामले में अनेक तिथियों पर कदम नहीं उठाया था। याचीगण के पिता द्वारा एस० ए० आर० अपील वर्तमान आवेदक/प्रत्यर्थी सं० 5 द्वारा उसमें विरोधी पक्ष/वर्तमान याचीगण के पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि की कपटपूर्ण बेदखली अभिकथित करते हुए भूमि पुनर्स्थापन मामला सं० 92 वर्ष 1985-86 में भू–सुधार उपसमाहर्ता, घाटशिला (प्रत्यर्थी सं० 4) द्वारा पारित दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी थी।

3. आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में 9 वर्षों के भारी विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया है यद्यपि उसमें याचीगण के पिता की बीमारी का आधार लिया गया था। ऐसे भारी विलंब की माफी के लिए आधारों के समर्थन में दस्तावेज भी संलग्न नहीं किया गया था। एस० ए० आर० पुनरीक्षण सं० 52/2000 (परिशिष्ट 5) के साथ विलंब की माफी के लिए आवेदन दर्शाता है कि आवेदक ने 1990 में अपने पिता की मृत्यु का और पूरे समय तक उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के न्यायालय में लंबित एस० ए० आर० अपील सं० 157 वर्ष 1986-87/111 वर्ष 1989-90 में कार्यवाही की किसी जानकारी की अनुपस्थिति का अभिवचन किया था। उनकी ओर से प्रतिवाद किया गया था कि केवल जुलाई, 2000 को विद्वान उपायुक्त, जमशेदपुर के न्यायालय से पूछताछ किए जाने पर उन्हें 12 सितंबर, 1991 को ही व्यतिक्रम पर अपील खारिज किए जाने की जानकारी हुई है। यह आवेदन अपने पिता की बीमारी अथवा मृत्यु की तिथि के किसी प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है। याचीगण ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में 9 वर्षों के भारी विलंब को स्पष्ट करने के लिए भी वर्तमान रिट याचिका में अपना मामला आगे नहीं सुधारा है। आगे उसमें प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल भूमि के पुनर्स्थापन से संबंधित एक अन्य मामले में इन्हीं याचीगण द्वारा दाखिल संबंधित रिट याचिका सी० डब्लू० जे० सी० सं० 4248 वर्ष 2001 से प्रतीत होता है कि वे मौजा पुरुलिया के खाता सं० 231 एवं 234 में भूखंड सं० 4147 एवं 4148 के 3.35 एकड़ माप वाली भूमि के पुनर्स्थापन के संबंध में एस० ए० आर० अपील सं० 95 वर्ष 1986-87 के विरुद्ध निर्देशित एस० ए० आर० पुनरीक्षण सं० 46/2000 वाली पुनरीक्षण याचिका अभियोजित कर रहे थे। उक्त एस० ए० आर० अपील याचीगण के पिता द्वारा दाखिल की गयी थी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13 जून, 1995 के आदेश के तहत विनिश्चित की गयी थी जिसके अधीन भू–सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला का आर० पी० केस सं० 161/1984-85 में दिनांक 28 मई 1986 के आदेश को मान्य ठहराया गया था। उक्त आदेश के परिशीलन से आगे यह प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थियों का सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था जब वर्ष 1995 में मामला विनिश्चित किया गया था।

4. अत:, वर्तमान मामले में विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष याचीगण द्वारा किया गया अभिवचन सही और विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है। विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी इन परिस्थितियों में दिनांक 18 सितंबर, 2000 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 6) द्वारा इसे दाखिल करने में 9 वर्षों के विलंब के बाद पुनरीक्षण याचिका ग्रहण करने से इनकार करने में पूर्णत: न्यायोचित था।

5. प्रत्यर्थी राज्य ने भी अपना प्रतिशपथपत्र दाखिल किया है और अवर प्राधिकारियों के आदेश का बचाव किया है। प्रत्यर्थी सं० 5 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करने पर और यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में याचीगण द्वारा वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया गया है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

श्रीकान्त मल्लिक

cuke

श्रीमती शुक्ला (रॉय) मल्लिक

F.A. No. 213 of 2016. Decided on 10th April, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धाराएँ 13 (1A) (ii) एवं 23 (1) (d)—तलाक–प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का अभिकथित अननुपालन–वर्तमान अपील अपीलार्थी पति द्वारा अपने पक्ष में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के दस वर्षों बाद अवर न्यायालय में दाखिल की गयी थी किंतु ऐसे अत्यधिक विलंब के बाद अवर न्यायालय के पास जाने के लिए स्पष्टीकरण नहीं है–प्रत्यर्थी पति ने दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के संबंध में मामला दाखिल किया था जिसमें उसे दोषसिद्ध किया गया था जिसके विरुद्ध अपील भी खारिज की गयी थी–अपीलार्थी पति शुद्ध हृदय से अवर न्यायालय के पास नहीं आया है–वाद खारिज करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा लिए गए आधार अच्छे आधार हैं जिन पर वाद खारिज किया गया था–आक्षेपित निर्णय स्पष्टतः दर्शाता है कि अपीलार्थी पति ने तात्विक तथ्य दबाया था कि प्रत्यर्थी पत्नी को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था जिसके लिए अपीलार्थी पति को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गयी थी–अपील खारिज। (पैराएँ 5 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. M.B. Lal, For the Appellant

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 900 वर्ष 2017</u>

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन इस अपील की दाखिली में 47 दिनों के विलंब की माफी के लिए दाखिल किया गया है।

अंतर्वर्ती आवेदन में दिए गए बयान की दृष्टि में कि अपीलार्थी उस तिथि पर अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं था जब निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया था और उसे बाद की सूची पर इसके बारे में सूचित किया गया था, इस अपील को दाखिल करने में विलंब एतद् द्वारा माफ किया जाता है।

इस प्रकार, पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

<u>एफ॰ ए॰ सं॰ 213 वर्ष 2016</u>

अपील के ग्रहण के मामले में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी पति विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा अभिधान वैवाहिक वाद सं॰ 27 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 8 सितंबर, 2016 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी पति द्वारा इस आधार पर कि प्रत्यर्थी पत्नी ने उसके विरुद्ध पारित दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का अनुपालन नहीं किया गया था, तलाक की डिक्री के लिए दाखिल वाद अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी के मामले के अनुसार, पक्षों के बीच विवाह 11.2.1992 को पश्चिम बंगाल राज्य

में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सीतारामपुर में संपन्न किया गया था। तत्पश्चात दोनों पक्ष पति–पत्नी के रूप में धनबाद में रह रहे थे और 1.1.2000 को उनको पुत्री का जन्म हुआ था। यह अभिकथित किया गया था कि संतान के जन्म के बाद प्रतिवादी पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन हो गया था और पूछे जाने पर उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन का कोई कारण नहीं दिया था, वह मौन बनी रही, घरेलू काम करने से इनकार किया और पति के समाज से स्वयं को अलग कर लिया। यह कथन भी किया गया है कि अंततः 17.7.2000 को प्रतिवादी पत्नी ने अपने पति की जानकारी एवं सहमति के बिना अपने सामान के साथ दांपत्य गृह छोड़ दिया। वादी अपीलार्थी उसे उसके माएके से लाने भी गया, किंतु उन्होंने प्रतिवादी पत्नी को वादी के साथ वापस भेजने से इनकार कर दिया। इसने अपीलार्थी को अवर न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन आवेदन टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 170 वर्ष 2000 दाखिल करने के लिए मजबूर किया, जिसका प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा प्रतिवाद किया गया था। किंतु अंततः 19.8.2002 को पति के पक्ष में डिक्री पारित की गयी थी, जिसके द्वारा प्रतिवादी पत्नी को वादी के साथ रहने और पत्नी के रूप में अपनी वैवाहिक बाध्यता उन्मोचित करने का निर्देश दिया गया था। यह कथन भी किया गया है कि अवर न्यायालय में टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 170 वर्ष 2000 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी पत्नी ने भी पश्चिम बंगाल में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, आसनसोल के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन विविध मामला सं॰ 66 वर्ष 2001 दाखिल किया था जिसमें प्रतिवादी को स्वयं एवं अपनी पुत्री के लिए निर्वाह भत्ता अनुज्ञात किया गया था, जिसका भुगतान वादी–अपीलार्थी द्वारा 2500/- रुपया प्रतिमाह की दर पर किया जा रहा था। यह कथन करते हुए कि टी॰ एम॰ एस॰ सं॰ 170 वर्ष 2000 में निर्णय के बावजूद प्रतिवादी जानबूझ कर एवं उपेक्षापूर्वक दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का अनुपालन करने में विफल रही, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1A) (ii) के अधीन तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए वाद अवर न्यायालय में दाखिल किया गया था।

4. नोटिस पर, प्रतिवादी पत्नी अवर न्यायालय में उपस्थित हुई और अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसमें उसने विवाह से पक्षों के बीच विवाह एवं पुत्री का जन्म स्वीकार किया। उसने अभिकथित किया कि उसे अपीलार्थी पति एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था और 17.7.2000 को उस पर निर्ममतापूर्वक प्रहार किया गया था और दांपत्य गृह से बाहर निकाल दिया गया था। प्रतिवादी पत्नी ने अपने पति एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-A एवं 404 के अधीन सी॰ पी॰ केस सं॰ 778 वर्ष 2000 दाखिल किया था, जिसमें पति और उसके परिवार के सदस्यों को दोषी पाया गया था और पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था। उन्होंने सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील सं॰ 7 वर्ष 2008 दाखिल किया जिसे भी विद्वान अपीलीय न्यायालय के दिनांक 4.2.2011 के निर्णय द्वारा खारिज किया गया था जहाँ तक अपीलार्थी पति का संबंध है। प्रत्यर्थी पत्नी के मामले के अनुसार उसने स्वयं दांपत्य गृह नहीं छोड़ा था बल्कि उसे दांपत्य गृह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किए जाने के बाद दांपत्य गृह से बाहर निकाला गया था।

5. आक्षेपित निर्णय ही दर्शाता है कि वर्तमान अपील अपीलार्थी पति द्वारा अपने पक्ष में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के 10 वर्ष से अधिक बाद अवर न्यायालय में दाखिल किया गया है, किंतु ऐसे अत्यधिक विलंब के बाद अवर न्यायालय के पास जाने के लिए स्पष्टीकरण नहीं है।

6. आक्षेपित निर्णय से यह भी प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने अवर न्यायालय में अपने गवाहों का परीक्षण किया है और अपीलार्थी पति जिसने स्वयं का गवाह के रूप में परीक्षण करवाया है ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी पत्नी ने दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के संबंध में मामला दाखिल किया था, जिसमें उसे दोषसिद्ध किया गया था जिसके विरुद्ध उसने अपील भी दाखिल किया था जिसे भी खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, यह पाया गया था कि अपीलार्थी पति शुद्ध हृदय के साथ अवर न्यायालय के पास नहीं आया था। आक्षेपित निर्णय आगे दर्शाता है कि अवर न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (d) के प्रावधानों को विचार में लिया है, जो स्पष्टत: प्रावधानित करता है कि कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक अथवा अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए, और तद्नुसार, वाद खारिज कर दिया है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थी-पति ने दांडिक मामले में उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल किया है जो अभी भी लंबित है। यह निवेदन भी किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1A)(ii) के अधीन वाद के संस्थापन के लिए परिसीमा प्रावधानित नहीं की गयी है।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम संतुष्ट हैं कि वाद खारिज करने में अवर न्यायालय द्वारा लिए गए आधार अच्छे आधार हैं, जिन पर वाद खारिज किया गया था। आक्षेपित निर्णय स्पष्टत: दर्शाता है कि अपीलार्थी-पति ने इस तात्विक तथ्य को दबाया था कि प्रत्यर्थी पत्नी को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जा रहा था, जिसके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पति को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था और उक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील भी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गयी थी और ये तथ्य केवल अवर न्यायालय में पति के प्रति परीक्षण में आ सकता था। इस दशा में, हम पाते हैं कि इन तात्विक तथ्यों को दबाते हुए अवर न्यायालय में वर्तमान वाद दाखिल किया गया था जो स्पष्टत: दर्शाता है कि अपीलार्थी शुद्ध हृदय से अवर न्यायालय के पास नहीं आया था।

9. यह तथ्य भी बना रहता है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (I) (d) स्पष्टत: विहित करती है कि वैवाहिक कार्यवाही दाखिल करने में कोई अनावश्यक अथवा अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए। स्वीकृत रूप से, स्वयं 19.8.2002 को अपीलार्थी के पक्ष में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री पारित की गयी थी और वर्तमान वाद केवल वर्ष 2013 में अर्थात् 10 वर्ष से अधिक बाद दाखिल किया गया है और इस अत्यधिक विलंब के लिए स्पष्टीकरण नहीं है।

10. पूर्वोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी का वाद सही प्रकार से अवर न्यायालय द्वारा दोनों आधारों पर खारिज किया गया था अर्थात् अपीलार्थी पति शुद्ध हृदय के साथ अवर न्यायालय के पास नहीं गया था और कि वाद अत्यधिक विलंब के बाद दाखिल किया गया था।

11. तद्नुसार, हम अधिधान वैवाहिक वाद सं॰ 27 वर्ष 2013 में विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8 सितंबर, 2016 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता नहीं पाते हैं। इस अपील में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे आरंभ में ही खारिज किया जाता है।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

मीरा चक्रवर्ती

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (Cr.) No. 424 of 2015. Decided on 28th March, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 317—निजी उपस्थिति से छूट–याची भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420 एवं 120B के अधीन संस्थित मामले में अभियुक्त है–याची गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है और अस्पताल में विशेषीकृत इलाज करवा रही है–विशेष परिस्थितियों के सिवाए मामले के निपटान तक प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के बजाए याची स्वयं को विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराएगी जब और जैसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाता है जो याची की बीमारी को विचार में लेगा। (पैराएँ 8, 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Kaushik Sarkhel, For the Petitioner; Mr. Pran Pranay, For the Resp-State.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 2408 वर्ष 2017

यह अंतर्वर्ती आवेदन याची द्वारा पश्चातवर्ती घटनाक्रम की दृष्टि में मुख्य आवेदन में प्रार्थना भाग संशोधित करने के लिए दिया गया है।

2. यह प्रतीत होता है कि आरंभ में याची ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 2.8.2014 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल किया है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420 एवं 120B के अधीन संज्ञान लिया गया था। बाद में, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 को आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है। पश्चातवर्ती घटनाक्रम की दृष्टि में, जो मामले में हुआ है और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए मुख्य आवेदन के प्रार्थना भाग में संशोधन अनुज्ञात किया गया है और आई॰ ए॰ सं॰ 2408 वर्ष 2017 को मुख्य आवेदन के भाग के रूप में माना गया है।

डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 424 वर्ष 2015

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशिक सरखेल एवं प्रत्यर्थी राज्य के एस॰ सी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ श्री प्राण प्रणय सुने गए।

4. इस आवेदन में याची ने आरंभ में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा सदर (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 568 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ सं॰ 2210 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में पारित दिनांक 2.8.2014 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया था जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420 एवं 120B के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू द्वारा पारित दिनांक 27.5.2015 के आदेश को उपांतरित करने के लिए आगे प्रार्थना की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची को जमानत प्रदान करते हुए यह उपदर्शित किया गया है कि याची विशेष परिस्थितियों के सिवाए मामले के निपटान तक प्रत्येक

तिथि पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहेगी। आई॰ ए॰ सं॰ 2408 वर्ष 2017 को अनुज्ञात करने के फलस्वरुप याची ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 1.2.2017/ 2.2.2017 के आदेश को भी चुनौती दिया है जिसके द्वारा याची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया है और उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है।

5. आरंभ में ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वह वर्तमान में संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन के संबंध में आवेदन पर जोर नहीं दे रहे हैं।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है और विशेषीकृत इलाज करवा रही है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची बीमारी के कारण 2.2.2017 को उपस्थित होने में अक्षम थी। यह निवेदन किया गया है कि जमानत प्रदान करने वाले आदेश में याची को विशेष परिस्थिति में आत्मसमर्पण करने से छूट दी गयी थी और विशेष परिस्थिति ऐसी होने के नाते याची ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवेदन दाखिल किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उसके विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था। अतः यह निवेदन किया गया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 के आदेश को अपास्त करने के अतिरिक्त याची को जमानत प्रदान करने वाले 27.5.2015 के आदेश में शर्तों को याची की बीमारी की दृष्टि में उपयुक्त रूप से उपांतरित किया जाए।

7. प्रत्यर्थी राज्य के एस॰ सी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

8. यह प्रतीत होता है कि याची भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420 एवं 120B के अधीन संस्थित मामले में अभियुक्त है। याची को 27.5.2015 को इस शर्त के साथ नियमित जमानत प्रदान किया गया था कि याची विशेष परिस्थितियों के सिवाए मामले के निपटान तक प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होगी। मामला हाजिरी के लिए नियत किया गया था और 2.2.2017 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन आवेदन के माध्यम से याची का प्रतिनिधित्व किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 के आदेश के तहत ऐसा आवेदन अस्वीकार कर दिया है और याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। यह सुझाने के लिए अभिलेख पर अनेक चिकित्सीय नुस्खों को लाया गया है कि याची गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है और अस्पताल में विशेषीकृत इलाज करवा रही है। अतः, ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही जमानत प्रदान करने वाले आदेश एवं दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 के आक्षेपित आदेश में उपांतरण आवश्यक बनाती है।

9. अतएव, मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, सदर (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 568 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ केस सं॰ 2210 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू द्वारा पारित दिनांक 27.5.2015 के आदेश को उस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि विशेष परिस्थिति के सिवाए मामले के निपटान तक प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के बजाए याची स्वयं को विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवाएगी जब और जैसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है जो याची की बीमारी विचार में लेगा।

10. जहाँ तक दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 के आदेश का संबंध है, याची की बीमारी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए सदर (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 568 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ केस सं॰ 2210 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज द्वारा

पारित दिनांक 1.2.2017/2.2.2017 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। याची का प्रतिनिधित्व दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 317 के अधीन किया जाना जारी रहेगा और व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना होगा। जब और जैसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है जैसा दिनांक 27.5.2015 के आदेश को उपांतरित करते हुए उपदर्शित किया गया है।

11. पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

लंबित आई॰ ए॰, यदि हो, भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कंचन मोस्मात उर्फ कंचन देवी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1272 of 2017. Decided on 3rd April, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 39 नियम 1 एवं 2—व्यादेश–याचीगण ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा से उनको बेदखल करने से राज्य प्राधिकारियों तथा प्राइवेट प्रत्यर्थियों पर अवरोध भी इप्सित किया है–याचीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अंतरिम संरक्षण के लिए अपने अभिवचन को अग्रसर कर रहे हैं जिसने भी मामले में पर्याप्त कदम उठाया है–इस चरण पर याचीगण के प्रतिवादों के गुणागुण पर विचार करना अपरामर्श्य होगा जब याचीगण एवं प्राइवेट प्रत्यर्थीगण दोनों अभिधान वाद जिसमें वाद हेतुक उठाया जा रहा है में पक्ष हैं–विचारण न्यायालय सम्यक समीचीनता के साथ एवं विधि के अनुरुप सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन याचीगण की प्रार्थना पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा।

(पैराएँ 4 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashok Kr. Yadav, For the Petitioners; Mr. Navin Kr. Singh, For the Resp-State.

आदेश

याचीगण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण दिनांक 7.10.1967 के विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गयी खाता सं॰ 70 के अधीन भूखंड सं॰ 469 में 0.82 डिसमिल और भूखंड सं॰ 472 में 0.06 डिसमिल भूमि और दिनांक 19.2.2016 के विक्रय विलेख के आधार पर याची सं॰ 1 के पति एवं याची सं॰ 2 के पिता किसी राकेश कुमार सिंह के नाम में खड़ी खाता सं॰ 70 के अधीन भूखंड सं॰ 470 एवं 471 में 1.08 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा लेने से प्रत्यर्थी राज्य प्राधिकारियों को स्वयं को अवरुद्ध करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन दिए गए आवेदन जिसे केस सं॰ 47/2017 के रूप में दर्ज किया गया है के अनुसरण में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सब डिविजनल दंडाधिकारी, हजारीबाग को निर्देश देने की प्रार्थना भी की गयी है। याचीगण ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा से उनको बेदखल करने से प्राइवेट प्रत्यर्थियों पर अवरोध भी इप्सित किया है।

3. याचीगण प्रतिवाद करते हैं कि अंचलाधिकारी, हजारीबाग द्वारा मापी के ओट में याचीगण की भूमि हड़पी जा रही है और विधि के किसी प्राधिकार के बिना बेदखली का नियमित खतरा है।

4. रिट याचिका की प्रार्थना से यह प्रकट है कि दिनांक 19.2.2016 के विक्रय विलेख सं॰ 1195 के रद्दकरण के लिए याचीगण द्वारा दाखिल अभिधान वाद सं॰ 40/2016 सीनियर सिविल न्यायाधीश I, हजारीबाग के न्यायालय में लंबित है जहाँ उन्होंने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन आवेदन भी दाखिल किया है।

5. याचीगण एवं राज्य के अधिवक्ता को सुनने के बाद 28.3.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

";kph d fo}ku vfèkoDrk u çfrokn fd;k g fd vfHkèkku okn l0 40/2016 d yfcr jgu d nkjku çkfèkdkfj;k dh enn l çfroknh l0 1 ,o 3 okn Hkfe l okn dk cn[ky dju d fy, dne mBk jg gA vpykfèkdkjh] lnj] gtkjhckx u çHkkjh vfèkdkjh] lnj] gtkjhckx dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 144 d vèkhu dk;okgh vkjHk dju d fy, dk;okgh vkjHk dju d fy, fjkV çLrr dju dk fun'k fn;k g vkj fnukd 15.2.2017 d eek l0 93, ifjf'k"V 8 vkj fnukd 16.2.2017 d eek l0 247 ifjf'k"V&9 oky ukfVlk d erkfcd Hkfe dh ekih d fy, ukfVl Hkh tkjh fd;kA ;kph d fo}ku vfèkoDrk fuonu djr g fd ;|fi vU; çfroknhx.k mifLFkr g, g fdr çfroknh l0 1 ,o 3 ukfVl l cp jg gA

oreku okn@;kph }kjk flfoy çfØ;k lfgrk d vkn'k 39 fu;e 1 ,o 2 d vèkhu nkf[ky vkonu rFkk vfHkèkku okn l[;k 40/2016 dk LVVl fjkV fo}ku flfoy U;k;kèkh'k lhfu;j fMfotu I, gtkjhckx l exk;k tk,A

*fo}ku U;k;ky; }kjk ,d lIrkg d Hkhrj LVVl fjkV çLrr fd;k tk,A rnulkj] vkt d fnu d fy, ekeyk lekIr fd;k tkrk gA***

fo}ku fopkj.k U;k;ky; }kjk LVVl fjkV çLrr fd;k x;k g ft ldk iBu fuEufyf[kr gk&

(1) dpu ekLekr ,o ,d vU; cuke çeyrk ekLekr ,o vU; d :i e 'kh"kd vfHkèkku okn l0 40/16 U;k;ky; e yfcr gA okn 5.3.16 dk lfLFkr fd;k x;k Fkk vkj bl oknhx.k dk çfroknhx.k ij ukfVl rkehy djoku d fy, dne mBku d fun'k d lkFk fnukd 10.3.16 d vkn'k d rgr xg.k fd;k x;k FkkA

(2) çfroknh l0 2 f'ko'kdj flg 14.9.16 dk mifLFkr gvk vkj 8.12.16 dk viuk fyf[kr dFku nkf[ky fd;kA oknh dh vkj l 17.12.16 dk dne ugh mBk;k x;k FkkA rRi'pkr] fnukd 9.2.17 d vkn'k d rgr çfroknh l0 1 d fo#) tkjh ukfVl dk ,l0@vkj0 rkehy ugh fd;k x;k ftl ij jftLVM ikLV d ekè;e l u;k ukfVl tkjh dju d fy, oknh dh vkj l çkFkuk dh x;h FkhA vujkèk Lohdkj fd;k x;k Fkk vkj 10.2.17 dk u;k ukfVl tkjh fd;k x;k FkkA bl ekey e fu;r dh x;h vxyh frfFk 10.3.17 gA

*(3) ;|fi] bl ekey e fu;r frfFk 10.3.17 Fkh fdr lh0 ih0 lh0 d vkn'k XXXIX fu;e 1 ,o 2 lgifBr èkkjk 151 d vèkhu vkonu oknh dh vkj l çfroknh l0 3 d fo#) vrfje 0;kn'k dh çkFkuk d lkFk 22.2.17 dk nkf[ky fd;k x;k FkkA oknh dh vkj l ;g çkFkuk Hkh dh x;h Fkh fd 0;kn'k vkonu l lcfèkr çfroknh l0 3 d fo#) ,d dkj.k crkvk ukfVl tkjh dju dk fun'k Hkh fn;k tk ldrk gA çkFkuk vuKkr dh x;h Fkh vkj Lo; 22.2.17 dk utkjr ,o jftLVM Mkd nkuk d ekè;e l dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k FkkA fu;r frfFk vFkkr 10.3.17 dk ih0 vk0 vodk'k ij Fkk vkj bl ekey e fu;r vxyh frfFk 25.4.17 gA fdr] vc rd tkjh ukfVl dk rkehy fjkV U;k;ky; e çkIr ugh fd;k x;k gA***

6. विद्वान विचारण न्यायालय याचीगण द्वारा 22.2.2017 को दाखिल सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन आवेदन पर विचार कर रहा है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी तामील रिपोर्ट प्रतीक्षित है। मामला अंतिम बार 10.3.2017 नियत किया गया था और अगली नियत तिथि 25.4.2017 है। रिट याचिका में की गयी प्रार्थना से और विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि याचीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अंतरिम संरक्षण के लिए अपना अभिवचन अग्रसर कर रहे हैं जिसने भी मामले में पर्याप्त कदम उठाया है। अत: इस चरण पर याचीगण के प्रतिवादों के गुणागुण पर विचार करना अपरामर्श्य होगा जब याचीगण एवं प्राइवेट प्रत्यर्थीगण दोनों उसमें उठाए जा रहे वाद हेतुक के ऊपर अभिधान वाद में पक्ष हैं। एकमात्र संप्रेक्षण जो किया जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय सम्यक समीचीनता के साथ और विधि के अनुरुप सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अधीन याचीगण की प्रार्थना पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा।

7. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

पप्पू सिंह एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal App.(S.J) No. 190 of 2003. Decided on 14th July, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 41 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) सरायकेला, श्रीकांत रॉय द्वारा पारित दिनांक 4.2.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 395—डकैती–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–पक्षों के बीच पहले से विवाद या दुश्मनी थी और इसलिए संभावना है कि अभिकथन मनगढ़ंत एवं प्रेरित हैं और इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने तथा चिकित्सीय उपचार में विलंब हुआ है–विलंब इसलिए हुआ था कि कहानी निर्मित की जा रही थी–स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है–परीक्षा पहचान परेड नहीं की गयी थी–यद्यपि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था किंतु लूटी गयी वस्तुएँ अभिलेख पर नहीं लायी गयी थी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 22, 23, 24, 26, 27 एवं 28)

निर्णयज विधि.–2013 (2) East Cr. C. page 67 (Pat.); 2006 (4) East Cr. C. page 356 (Jhr); 2005 (2) East Cr.C. page 205 (Pat.), 2005 (3) East Cr.C. page 554 (Jhr) 2006 (4) East Cr. C. page 360 (Pat.)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sunil Kumar Sinha, For the Appellants; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.-यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 41 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 4.2.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उक्त नामित अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक को सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 5000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम में वे एक वर्ष का कारावास भुगतेंगे।

2. शांति देवी (अ॰ सा॰ 4) के फर्दबयान के अनुसार अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि 13-14 फरवरी, 1999 की रात में सूचक अपनी संतानों के साथ धिरजगंज, आदित्यपुर में अपने घर में सो रही थी। रात्रि लगभग 12 बजे उसने घर के दरवाजा के निकट कुछ टूटने की आवाज सुनी और शोर मचाया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि सूचक और उसकी संतानों ने दुष्टों का प्रवेश रोकने के लिए दरवाजा बंद रखने का प्रयास किया किंतु अज्ञात दोषियों ने दरवाजा तोड़ दिया और घर में घुस गए। चार दोषी जो घर में घुसे, छुरा से लैस थे और दो अभियुक्त दरवाजा के निकट खड़े थे जिनमें से एक छूरा से लैस था और दूसरा अभियुक्त पिस्तौल से लैस था और उसके किराएदारों को दरवाजा के निकट रोक दिया था। सूचक ने दोषियों में से एक को उसी गाँव धिरजगंज के किसी जानकी सिंह के बड़े पुत्र के रूप में पहचाना जो पहले सरस्वती पूजा का चंदा मांगने उसके घर आया था और अन्य दोषी भी धिरजगंज के निवासी थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अपराधियों ने सूचक की पुत्री, उसके पुत्र और सूचक पर थप्पड़ एवं छुरा से प्रहार किया और अभियुक्त में से एक ने उसकी पुत्री की गर्दन पर छूरा रखा और उसका गला दबाया और सूचक ने भी अपने पेट और हाथ पर उपहति पाया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि दो अपराधी उसके किराएदार राजकुमार मुखी के घर में घुस गए और उस पर प्रहार करने लगे। यह अभिकथित किया गया है कि व्यक्ति जिसने सूचक पर प्रहार किया, वह जानकी सिंह का बड़ा पुत्र था। आगे यह अभिकथित किया गया है अपराधी सूचक के पति का अता-पता जानने चाहते थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अपराधी ने बक्सा लूटा जिसमें 8 आना माप वाले सोने की कर्णबाली, चांदी पायल का दो जोड़ा के साथ 2200/- रुपयों की राशि रखी हुई थी। यह अभिकथित किया गया है कि अपराधियों ने किराएदार राजकुमार मुखी के दो सूटकेसों और घड़ी भी लूट दिया तत्पश्चात वे भाग गए। सूचक के फर्दबयान में यथा अभिकथित घटना का हेतु यह है कि पिछली सरस्वती पूजा पर जानकी सिंह का पुत्र सरस्वती पूजा के लिए चंदा मांगने आया था जिससे सूचक के पति ने इनकार किया, अत: उन्होंने अभिकथित अपराध किया।

3. सूचक शांति देवी (अ॰ सा॰ 4) के फर्दबयान के आधार पर आदित्यपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 1999, जी॰ आर॰ केस सं॰ 76 वर्ष 1999 के तत्सम, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/148/149/380/452/323/324/307 के अधीन दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और अन्वेषण के बाद इन अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/148/149/380/452/323/324/307 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और अपीलार्थियों सहित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे जिसके प्रति अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन ने अभियोजन मामला बनाने के लिए छह गवाहों का परीक्षण किया जो निम्नलिखित हैं:-

v0 lk0 1 MkW ,y0 ch0 ih0 flg g ftUgku ?kk;y dk ijh{k.k fd;kA
v0 lk0 2 jkt dekj e[kh g ft l migfr çkIr dju okyk crk;k x;k FkkA
v0 lk0 3 fèkju eMy g ft lu vfHk;ktu ekey dk leFku ugh fd;k gA
v0 lk0 4 'kkfr noh lpd gA
v0 lk0 5 lpd dk noj yky çlkn flg gA
v0 lk0 6 jktuUnu jke vkb0 vk0 gA

विचारण किया गया था और विचारण के समापन पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और परिणामस्वरुप उनको पूर्वोक्त धारा के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 5000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। अत:, यह दांडिक अपील की गयी है।

5. अब मैं अ॰ सा॰ के अभिसाक्ष्यों पर विचार करूँगा।

6. अ॰ सा॰ 4 शांति देवी है जो इस मामले की सूचक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि रात्रि 12.30-12.45 के लगभग जब वह अपनी पुत्री पुष्पा एवं पुत्र के साथ कमरा में सोयी हुई थी, उसने दरवाजा पर हल्ला सुना और जब उसने दरवाजा खोले जाने का प्रतिरोध किया, अभियुक्तों ने ''सबल'' की मदद से इसे जबरन खोल दिया और तीन व्यक्ति कमरा में घुसे और उस पर तथा उसकी पुत्री पर प्रहार करने लगे। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तीन अभियुक्तों ने गहना और 2200/-रुपया नगद लूटा। पैरा 5 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पप्पू, मनोज तथा अनुज को नाम से पहचान लिया किंतु अन्य अभियुक्तों को वह नहीं जानती है। पैरा 6 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह अपने पति के छोटे भाई के साथ पुलिस थाना गयी थी किंतु पप्पू एवं अन्य का नाम नहीं बताया था बल्कि उसके देवर ने पुलिस को उनका नाम बताया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन अनुज, मनोज एवं अन्य के विरुद्ध मामला दाखिल किया था।

7. अ॰ सा॰ 5 लाल प्रसाद सिंह सूचक का देवर है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने गाँववालों द्वारा शोर मचाने पर घटना के बारे में जाना। वह सूचक के घर गया और अपनी भाभी एवं भतीजी पर उपहतियाँ देखा। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उसके भाई ने अपीलार्थी सं॰ 1 के पिता भगवान सिंह के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला दर्ज किया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी भाभी ने उसको लूटी गयी वस्तुओं के बारे में सूचित किया और उसने उसको यह भी सूचित किया कि उसने तीन व्यक्तियों को पहचाना। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि किराएदारों ने मामला दाखिल नहीं किया था। उसकी भाभी एवं भतीजी के जख्म से खून टपक रहा था जिसने उनका वस्त्र भिंगा दिया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब घटना हुई, अंधेरी रात थी। वह पुलिस थाना नहीं गया था और दारोगा जी एक दिन बाद आए थे। किंतु, पुलिस द्वारा जब्ती नहीं की गयी थी और उन्हें रक्तरंजित वस्त्र नहीं दिए गए थे। पुलिस ने उसकी भाभी और उसकी भतीजी से बात किया और तत्पश्चात चली गयी। पैरा 5 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इंटरनेशनल ऑटो सर्विस में काम करता था और वह रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे वाली शिफ्ट में काम कर रहा था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने कंपनी में घटना के संबंध में जानकारी पाया। उसने पैरा 8 में आगे अभिसाक्ष्य दिया कि सुबह ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपनी भाभी से मिला।

8. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ एल॰ बी॰ पी॰ सिंह है। उन्होंने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया:–

(1) og 16.2.1999 dk ihO ,pO lhO xEgfj;k e ,eO vkO d :i e inLFkkfir Fkk vkj ml fnu ij mlu 'kkfr noh] fuokLlh fèkjtxt] te'knij ihO ,lO vkfnR;ij] ljk;dyk dk iokgu 11.15 ct ijh{k.k fd;k vkj fuEufyf[kr migfr;k ik;k%&

(I) nk, gFkyh ij [kjkpA

(II) ck;h vk[k ij [kjkpA

(III) iV ij [kjkpA

(IV) nk, ?kVu d tkM ij [kjkpA

leLr migfr;k HkkFkj inkFk }kjk dkfjr ljy Fkh vkj 49 ?kVk d Hkhrj FkhA ; migfr fjikV mud y[ku ,o gLrk{kj e Fkh vkj bl çn'k-1 fpfUgr fd;k x;k FkkA

(2) mlh fnu ij çkr% 11.30 ct mUgku ljtn;ky çlkn] ih0 ,l0 vkfnR;ij dh i=h i"ik dekjh dk ijh{k.k fd;k vkj fuEufyf[kr migfr;k ik;k%&

(I) xnu ij nkxu dk fpUg]

(II) ljnn

migfr;k lkekU; çÑfr dh Fkh vkj HkkFkj gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h FkhA mldh migfr fjikV çn'k 1/1 d :i e fpfUgr dh x;h FkhA

(3) mlh fnu ij mUgku çkr% 11.15 ct jktdekj e[kh] i= txifr e[kh] fuoklh fèkjtxt] te'knij] vkfnR;ij dk ijh{k.k fd;k vkj fuEufyf[kr migfr ik;k%&

I. nk, vxckg e nn

II. nk;h tk?k e nn

III. eLrd d ck, Hkkx e nn

migfr;k lkekU; çÑfr dh Fkh vkj dM ,o HkkFkj gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h FkhA migfr fjikV çn'k 1/2 d :i e fpfUgr dh x;h FkhA

9. अ॰ सा॰ 2 राजकुमार मुखी है। वह सूचक का किराएदार है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि 13/14 फरवरी, 1999 की रात में, किसी ने दरवाजा खटखटाया था और जब उसने पूछा, किसी ने बाहर से गाली दिया और तब छह व्यक्ति जबरन उसके कमरा में घुस गए और उस पर प्रहार किया और उसकी कलाई घड़ी तथा 1400/- रुपया ले गए। उसने आगे कथन किया कि उसने किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचाना था और पुष्पा ने उसे किसी का नाम नहीं बताया था।

10. अ॰ सा॰ 3 धिरेन मंडल है और वह सूचक का एक अन्य किराएदार है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना वर्ष 1999 की रात्रि लगभग 12-1 बजे की है और वह अपने कमरा में सो रहा था और हल्ला पर वह जागा। उसने अपना दरवाजा खोलने और बाहर जाने का प्रयास किया किंतु यह बंद था। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 6 राजनंदन राम अन्वेषण अधिकारी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने 15.2.1999 को शांति देवी जो वर्तमान मामले की सूचक है का फर्दबयान दर्ज किया। उसने फर्दबयान सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। उसने प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है। उसने शांति देवी, पुष्पा कुमारी और राजकुमार मुखी के उपहति तलब को भी सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 4, 4/1 एवं 4/2 चिन्हित किया गया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उपहति तलब पर उसका हस्ताक्षर है। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

तर्क

12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपराधियों ने छूरा, लप्पड़, थप्पड़ से सूचक पर प्रहार किया किंतु छुरा की उपहति सूचक के शरीर पर नहीं पायी गयी थी और समस्त उपहतियाँ भोथरे पदार्थ द्वारा कारित सरल प्रकृति की थीं जैसा अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ एल॰ बी॰ पी॰ सिंह के साक्ष्य और उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 1 से प्रतीत होगा और इस दशा में प्राथमिकी में सूचक द्वारा किया गया अभिकथन अ॰ सा॰ 1 डॉक्टर के साक्ष्य से संपुष्टि नहीं पाता है। प्राथमिकी में अभिकथित किया गया है कि सूचक के किराएदार राज कुमार मुखी (अ॰ सा॰ 2) पर भी प्रहार किया गया था किंतु उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 1/2 प्रहार की संपुष्टि नहीं करता है और डॉक्टर का भी समरुप निष्कर्ष है। जहाँ तक पुष्पा कुमारी की उपहति का संबंध है, घायल के शरीर पर पायी गयी समस्त उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थी। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभिकथित घटना 13-14 फरवरी, 1999 की रात में हुई किंतु घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए 16.2.1999 को प्रस्तुत किया गया था।

13. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 2 राजकुमार मुखी ने अभिकथित घटना का समर्थन किया किंतु उसने अपराधियों को नहीं पहचाना था और उसने अपने साक्ष्य में यह कथन भी किया कि पुष्पा ने अपराधियों का नाम प्रकट नहीं किया था। अ॰ सा॰ 3 धिरेन मंडल जो भी सूचक का किराएदार था को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। अ॰ सा॰ 4 शांति देवी, सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में अभिसाक्ष्य दिया कि घटना रात में हुई थी। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि दरवाजा सब्बल (लोहे की छड़) से तोड़ा गया था और उस पर तथा उसकी पुत्री पर चाकू से प्रहार किया गया था। किंतु डॉक्टर अ॰ सा॰ 1 द्वारा और उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 1 श्रृंखला में चाकू की उपहति नहीं पायी गयी थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पड़ोसी घटना के बाद आये थे किंतु किसी पड़ोसी का परीक्षण नहीं किया गया था। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 4 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने केवल अपने देवर को घटना के बारे में बताया था। प्रति परीक्षण के पैरा 5 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह घटना के पहले से पप्पू, मनोज एवं अनुज को जानती थी और पैरा 6 में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पप्पू, मनोज, अनुज का नाम पुलिस को नहीं बताया था बल्कि उसके देवर ने पुलिस को नाम प्रकट किया था।

14. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 5 लाल प्रसाद सिंह (सूचक का देवर) ने मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में कथन किया कि घटना उसकी भाभी के घर में हुई और वह अभियुक्तों के भाग जाने के बाद मचाए गए शोर से इसके बारे में जानकारी हुई। वह अपनी भाभी के घर गया और अपनी भाभी एवं भतीजी का जख्म देखा। उसकी भाभी ने सूचित किया कि कुछ वस्तुएँ ले ली गयी थी और 2250/- रुपया के साथ बक्सा लूट लिया था। उसने यह भी सूचित किया कि वह तीन व्यक्तियों को पहचानती है और कि वह अन्य तीन को भी पहचान सकती है यदि वह उनको देखती है। उसने पप्पू, मनोज एवं अनुज को पहचाना। उसने सूचित किया कि दो किराएदारों के घर में चोरी हुई थी। अपने प्रति परीक्षण के पैरा 3 में उसने कथन किया कि उसका घर उसकी भाभी के घर से 50 गज दूर है और बीच में बिमलेश चौधरी, पांडे जी एवं मूर्ति का घर है। उसने शोर सुना और उसने पड़ोस से किसी को नहीं देखा था, वहाँ कोई नहीं था। वह शोर के 15-20 मिनट बाद वहाँ गया। किसी ने उसे बुलाया नहीं था। पैरा 4 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुलिस थाना नहीं गया था। वह नहीं जानता है कि कौन पुलिस थाना गया था। जब पुलिस आयी, वह पहले से ही अपने भाभी के घर में था। पुलिस एक दिन बाद आयी। पुलिस ने कुछ भी जब्त नहीं किया था। न तो उसकी भाभी न उसकी भतीजी ने पुलिस को रक्तरंजित वस्त्र दिया था। पुलिस ने उसकी भाभी और भतीजी से पूछताछ किया और चली गयी। पैरा 15 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह इंटरनेशनल ऑटो में काम करता है। वह रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घटना के दिन पर रात्रि शिफ्ट में था। पैरा 6 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने कंपनी में सूचना पाया था। सूर्य दयाल उसका भाई है। सूर्य दयाल ने भगवान सिंह एवं अन्य के विरुद्ध काफी पहले धारा 107 मामला दर्ज किया था। अपने प्रति-परीक्षण के पैरा 17 में उसने कथन किया कि पप्पू उसके घर के बगल में रहता है और मनोज तथा अनुज 15-20 गज दूर रहते है। पप्पू का नाली के संबंध में भाभी से झगड़ा था।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि राजनंदन राम (आई॰ ओ॰) ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 7 में अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के पहले पक्षों के बीच दुश्मनी थी। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन नहीं किया है कि उसने अपीलार्थियों के घर की तलाशी ली अथवा लूटी गयी संपत्ति बरामद करने का प्रयास किया।

16. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने संक्षेप में कहा कि पूर्वोक्त अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन से निम्नलिखित स्वीकृत तथ्य हैं:-

(i) çkFkfedh e vfHkdFku ugh g fd vfHk;Dr viuk pgjk Niku d ckn lpd d ?kj e ?kl vkj v0 lk0 4 ,o v0 lk0 5 d lk{; e ;g Lohdkj fd;k x;k g fd o vihykfFk;k dk ?kVuk d igy l tkur Fk] rc Hkh mUgku mUg çkFkfedh e ukfer ugh fd;k g vkj Qnc;ku e vLi"V c;ku fn, x, Fk fd vijkfèk;k e l ,d tkudh flg dk cMk i= gA

(ii) VhO vkb0 ijM ugh fd;k x;k Fkk vkj vihykfFk;k d dCtk l dkb cjkenxh ugh dh x;h FkhA

(iii) p'enhn xokg vkj ?kk;y i"ik dekjh tk vfHk;ktu ekey ij çdk'k Mkyu d fy, lokfèkd egRoi.k xokg Fkh dk ijh{k.k doy vfHk;ktu dk Kkr dkj.kk l ugh fd;k x;k FkkA

(iv) v0 lk0 4 ,o v0 lk0 5 d lk{; e egRoi.k fojkèkkHkk l g D;kfd v0 lk0 4 viu çfrijh{k.k d ijk 6 e dFku djrh g fd og viu noj d lkFk ifyl d ikl x;h FkhA tcfd v0 lk0 5 viu çfrijh{k.k d ijk 4 e dFku djrk g fd og Fkkuk ugh x;k FkkA vxyk fojkèkkHkk l ;g g fd v0 lk0 5 viu çfr ijh{k.k d ijk 3 e dFku djrk g fd og ?kVuk d 15-20 feuV d Hkhrj viuh HkkHkh d ?kj igpk tcfd viu çfrijh{k.k d ijk 5 e og dFku djrk g fd ?kVuk d fnu ij og jkf= 10 ct l çkr% 6 ct bVju'kuy vkVk e jkf= M;Vh ij dk;jr Fkk vkj doy rc tc og dÙk0; l ykVk Fkk] og ?kVuk d ckj e tku ldk FkkA v0 lk0 4 u viu Qnc;ku e vkj viu lk{; e Hkh dFku fd;k g fd vfHk;Drx.k njoktk rkMu d ckn ?kj e ?kl tcfd v0 lk0 6 u njoktk v{k..k ik;k Fkk vkj bl n'kk e çkFkfedh e nh x;h dgkuh lngi.k çrhr gkrh g vfHk;ktu d fdlh lk{; }kjk li"V ugh fd;k x;k g vkj bl n'kk e vihykFkh x.k ,l egRoi.k fojkèkkHkk l d dkj.k lng dk ykHk d gdnkj gA

(v) bl ekey e dy Ng 0;fDr;k dk fopkj.k fd;k x;k Fkk ftue l rhu 0;fDr;k dk nk"keDr fd;k x;k Fkk vkj doy rhu 0;fDr HkkO n0 lO dh èkkjk 395 d vèkhu nk"kfl) fd, x, Fk vkj doy bl vkèkkj ij HkkO n0 lO dh èkkjk 395 d vèkhu nk"kflf) dk fu.k; vikLr fd, tku dk nk;h gA

(vi) bl ekey e fdlh 0;fDr dk ukfer ugh fd;k x;k g vkj bl rF; d ckotn fd vfHk;Drk dh ijh{kk igpku ijM ugh dh x;h Fkh vfHk;Drk dk idMk x;k Fkk fdr dkb yVh lifUk cjken ugh dh x;h Fkh vkj bl n'kk e ;g Li"V ifjfLFkfr g ftl ij bl ekey e vfHk;ktu ekey ij 'kd fd;k tk ldrk gA vkjki Bkl lk{; }kjk fl) ugh fd, x, g vkj fn;k x;k lk{; vfHk;ktu ekey ij fo'okl dju d fy, i;kIr ugh g vkj bl n'kk e vihykFkh x.k lng d ykHk d gdnkj gA **2013 (2) East Cr. C. Page 67 (Patna)** e çdkf'kr ekey e ijkvk 14, 15, 16 ,o 17 ij fo'okl fd;k x;k gA

(vii) bl ekey e n'euh Lohdkj dh x;h gA lpd d ifr u vihykFkh lO 1 d firk d fo#) n0 ç0 lO dh èkkjk 107 d vèkhu ekeyk nt fd;k FkkA vfHk;Dr dk vkfylr dju d fy, Qnc;ku bldk lèkkj dj ?kVuk d 24 ?kV ckn nt fd;k x;k FkkA njoktk dk udlku gku dk fpUg ugh g tlk lpd }kjk Qnc;ku e vfHkdfFkr fd;k x;k g vkj bl n'kk e vfHk;ktu ekeyk fo'oluh;rk l ihfMr g vkj bl n'kk e nk"kflf) ,o nMkn'k likf"kr ugh fd;k tk ldrk gA **2006 (4) East Cr.C. Page 356 (Jhr.)** ijk 9 l 13 ij fo'okl fd;k x;k gA

(viii) bl ekey e Lor= xokg dk ijh{k.k ugh fd;k x;k gA fdjk,nkj Hkh ftld ?kj e Hkh vfHkdfFkr Mdrh dh x;h Fkh] vfHk;Drk dk igpkuu e foQy jgk vkj bl n'kk e nk"kf lf) dk fu.k; ,o nMkn'k vkLr fd, tku ;kX; gA ***2005 (2) East Cr.C. Page 205 (Patna),*** *ijk 13 ij fo'okl fd;k x;k FkkA bl ekey e Hkh doy nk lcèkh xokgk dk vFkkr v0 lk0 4 ,o v0 lk0 5 dk ijh{k.k fd;k x;k gA ;gk Åij dh x;h ppk l ;g lLi"V g fd vfHk;ktu viuk ekeyk fl) dju e l{ke ugh gvk g vkj bl n'kk e vihykFkh x.k lng d ykHk d gdnkj gA*

17. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने राज्य की ओर से तर्क किया है कि टी॰ आई॰ परेड की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभियुक्तगण सूचक एवं उसकी पुत्री तथा किराएदारों को ज्ञात थे। इसके अतिरिक्त, जब घटना परिसर में अथवा घर के अंदर अथवा घर के अगल–बगल हुई, अत: एकमात्र गवाह घर में रहने वाले थे जो सूचक का एवं किराएदारों का परिवार होगा। उन्होंने आगे तर्क किया है कि दरवाजा, जिसे धक्का देकर खोला गया बताया जाता है, टूटा नहीं था। किसी भी रूप में दरवाजा नहीं केवल ताला तोड़ा गया था। उन्होंने आगे कथन किया है कि डॉक्टर का चिकित्सीय रिपोर्ट सूचक का चाक्षुक साक्ष्य संपुष्ट करता है। उसकी पुत्री और किराएदार सूचक, के शरीर पर आगे उपहति भी डॉक्टर को अथवा अस्पताल को घायलों को भेजने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए तलब द्वारा सिद्ध होती है, अत: यह सिद्ध किया गया है कि अगली तिथि अर्थात 15 फरवरी, 1999 को जब अन्वेषण अधिकारी मामले का अन्वेषण करने गया था, उसने उपहति देखा था जिसे 13 फरवरी, 1999 को जब अन्वेषण अधिकारी मामले का अन्वेषण करने गया था, उसने उपहति देखा था जिसे 13 फरवरी और 14 फरवरी, 1999 की रात्रि में कारित किया गया था। डॉक्टर द्वारा उपहतियों का परीक्षण किया गया था और उन्होंने पाया कि समस्त उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थी और 47 घंटे के भीतर कारित की गयी थी। उनका उपहति के समय का विवरण घटना के समय एवं तिथि से मेल खाता है। अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह विश्वसनीय गवाह है। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया है कि अ॰ सा॰ 4 के अनुसार उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और अपीलार्थियों को पहचाना है और उसकी पुत्री पुष्पा कुमारी को गवाह नहीं बनाया गया था क्योंकि वह विवाहित थी और अपने पति के साथ कहीं और रह रही थी। उन्होंने आगे तर्क किया है कि अ॰ सा॰ 5 लाल प्रसाद सिंह सूचक का देवर है। उसने भी कहा है कि घटना की जानकारी होने के बाद वह सूचक के घर गया और अपनी भाभी एवं भतीजी की उपहतियों को देखा और उसकी भाभी ने उसे घटना के बारे में बताया था और अभियुक्तों पप्पू, मनोज एवं अनुज को नामित भी किया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे कथन किया कि सूचक के देवर ने तीन घायल व्यक्तियों पर उपहति देखा था और उसने पक्षों के बीच दुश्मनी के तथ्य का यह अभिसाक्ष्य देते हुए समर्थन किया है कि उसके भाई सूरज दयाल एवं अपीलार्थी सं॰ 1 के पिता भगवान सिंह के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके भाई एवं पप्पू सिंह के बीच नाला को लेकर कुछ विवाद था। आई॰ ओ॰ के अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने कथन किया है कि आई॰ ओ॰ ने भी सूचक एवं उसकी पुत्री पर उपहतियाँ देखा था और उसने तलब रिपोर्ट किया था, अत: उपहतियाँ सूचक द्वारा बनायी तथा निर्मित नहीं की गयी थी।

18. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 4 शांति देवी सूचक है। अपने फर्द बयान में उसने यह कथन भी किया कि वह केवल किसी जानकी सिंह के बड़े पुत्र को पहचानने में सक्षम रही थी किंतु नाम से नहीं। अपने अभिसाक्ष्य में उसने अभिसाक्ष्य दिया और मनोज एवं अनुज को जोड़ा। अपने अभिसाक्ष्य में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि किराएदारों को भी लूटा गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि

घटना का हेतु यह था कि पिछले सरस्वती पूजा के दौरान उन्होंने पप्पू सिंह को चंदा नहीं दिया था और यही कारण है कि घटना हुई। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति ने अभियुक्त अनुज के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला भी दाखिल किया था जो घटना का हेतु होगा।

निष्कर्ष

19. सूचक के पति के भाई अथवा उसके देवर अ॰ सा॰ 5 लाल प्रसाद सिंह का अभिसाक्ष्य विरोधाभास से भरा है। प्रथमत: वह कहता है कि उसे गाँववालों द्वारा किए गए शोर के कारण घटना की जानकारी हुई किंतु अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 5 में वह कहता है कि वह इंटरनेशनल ऑटो में रात्रि शिफ्ट 10 से प्रात: 6 बजे तक कार्यरत था। सूचक अथवा उसकी भाभी के अभिसाक्ष्य के मुताबिक घटना 12.30-12.45 बजे रात्रि में हुई। अत: स्पष्टत: वह झूठ बोल रहा है। पैरा 8 में उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि ड्यूटी पूरा करने के बाद, वह सुबह अपनी भाभी से मिला। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके भाई (सूचक का पति) ने अपीलार्थी सं॰ 1 (पप्पू सिंह) के पिता भगवान सिंह के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला दर्ज किया था जो अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य से तनिक भिन्न है जिसने अभिसाक्ष्य दिया था कि मनोज सिंह एवं अन्य के विरुद्ध मामला दाखिल किया गया। अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ एल॰ बी॰ पी॰ सिंह, है जिन्होंने शांति देवी, पुष्पा कुमारी एवं राजकुमार मुखी का परीक्षण किया। शांति देवी को आयी चारों उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थी और कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। पुष्पा कुमारी की दो उपहतियाँ भी सामान्य थी और भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी। राजकुमार मुखी पर तीन उपहतियों के संबंध में उन्होंने संप्रेक्षित किया कि वे दर्द की प्रकृति की थी, किंतु उपहति नहीं थी। पुष्पा के बारे में भी उन्होंने कहा है कि दाग था किंतु उपहति नहीं थी। अ॰ सा॰ 2 राजकुमार मुखी सूचक का किराएदार है जिसे स्वतंत्र गवाह माना जा सकता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि छह व्यक्ति उसके घर में घुसे, उस पर प्रहार किया और उसकी कलाई घड़ी एवं 1400/- रुपया लूट लिया। यह अ॰ सा॰ 4 सूचक को संपुष्ट करता है जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि किराएदार भी लूटा गया था। किंतु, वह कहता है कि उसने किसी को नहीं पहचाना था और सूचक की भतीजी ने उसे किसी अपराधी का नाम नहीं बताया था। पहचान के इस बिंदु पर कुछ संदेह है क्योंकि संभावना है कि वह अभियुक्तों को पहचान सकता था क्योंकि वह वहीं रहता था। इसके अतिरिक्त पहचान करने में भतीजी की विफलता भी विवादित है। अ॰ सा॰ 6, राजनंदन राम आई॰ ओ॰ के संबंध में प्रदर्श 4, 4/1 एवं 4/2 के रूप में चिन्हित उसका उपहति तलब महत्वपूर्ण है, जो शांति देवी, पुष्पा कुमारी एवं राज कुमार मुखी की उपहति उपदर्शित करता है। अत: कुछ हुआ था और तीनों व्यक्ति निश्चय ही घायल हुए थे यद्यपि उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थी।

20. सूचक अ॰ सा॰ 4 शांति देवी द्वारा अभियुक्तों अथवा अपीलार्थियों के पहचान के संबंध में, वह विश्वसनीय एवं भरोसेमंद नहीं है। अपने फर्दबयान में वह केवल यह कहती है कि उसने जानकी सिंह के बड़े पुत्र को पहचाना था, किंतु अपने अभिसाक्ष्य में दो और व्यक्तियों को जोड़ती है अर्थात् मनोज एवं अनुज को। प्रश्न जो उठाया गया है यह है कि जब वह उन तीनों को पहले से जानती थी, उसने अपने फर्द बयान में समस्त तीनों अपीलार्थियों को नामित क्यों नहीं किया था।

21. आगे दो महत्वपूर्ण विलंब हैं, एक प्राथमिकी दर्ज करने में और दूसरा चिकित्सीय इलाज करवाने में। घटना 13-14 फरवरी, 1999 की रात्रि की है किंतु प्राथमिकी 15 फरवरी 1999 को दर्ज की गयी थी। तीनों व्यक्तियों द्वारा 16 फरवरी, 1999 को उपहतियों का इलाज करवाया गया था। भले ही स्वीकार किया जाए कि प्राथमिकी अयुक्तियुक्त रूप से विलंबित नहीं थी, कम से कम चिकित्सीय इलाज तो तुरन्त होना चाहिए। अत: दोनों विलंबों को स्पष्ट नहीं किया गया है जो संदेह उत्पन्न करता है।

22. साक्ष्य में यह आया है कि पक्षों के बीच पहले से विवाद अथवा दुश्मनी थी और इसलिए संभावना यह है कि अभिकथन मनगढ़ंत और प्रेरित हैं और प्राथमिकी दर्ज करने तथा चिकित्सीय इलाज में विलंब हुआ है। विलंब इसलिए हुआ था क्योंकि कहानी बनायी जा रही थी। यह देखा गया है कि अ॰ सा॰ 4 सूचक के अभिसाक्ष्य के मुताबिक अनुज सिंह एवं अन्य के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला दर्ज किया गया था। उसका देवर अ॰ सा॰ 5 कहता है कि उसके भाई ने अपीलार्थी सं॰ 1 के पिता भगवान सिंह के विरुद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 के अधीन मामला दर्ज किया था। अ॰ सा॰ 5 के अभिसाक्ष्य के पैरा 7 में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी भाभी का पप्पू के साथ नाला के संबंध में विवाद था। आई॰ ओ॰ ने भी गौर किया और अभिसाक्ष्य दिया कि पक्षों के बीच पहले से दुश्मनी थी। दुश्मनी का एक और बिंदु जो छोटा प्रतीत होता है, किंतु फर्दबयान में उल्लिखित किया गया है कि सरस्वती पूजा के दौरान चंदा नहीं देने के कारण विवाद था। अत: प्रकटत:, यह प्रतीत होता है पक्षगण लगातार एक दूसरे से भिड़े हुए थे।

23. साक्ष्य में यह आया है कि सूचक के घर से कर्णबाली, पायल एवं कलाई घड़ी लूटी गयी थी और किराएदार के घर से कलाई घड़ी लूटी गयी थी, किंतु तब प्रश्न उद्‌भूत होता है कि यदि अपीलार्थीगण वस्तुत: डकैत थे उनसे वस्तुएं निश्चय ही बरामद की गयी होंगी। संदेह का एक अन्य कारण पुष्पा का गैर परीक्षण है। वह वयस्क थी और उसे अपना साक्ष्य देना चाहिए था। शायद उसकी उपहति लघु थी और वह विवाहित थी और अपने माएके में नहीं रह रही थी किंतु उसका गैर परीक्षण सुझाता है कि उसे अथवा उसके माता-पिता को इस बारे में परवाह नहीं थी।

24. इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है। यह अभिलेख एवं साक्ष्य पर आया है कि हल्ला करने पर कुछ गाँव वाले घटना स्थल पहुँचे। तब इन स्वतंत्र गवाहों में से कुछ का भी परीक्षण कयों नहीं किया गया है। यह संदेह उत्पन्न करता है। अधिवक्ता का तर्क कि प्राथमिकी विचार में लिए जाने के लिए अतिरिक्त कारक हो सकता है।

25. अंत में, अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क कि छह व्यक्तियों का विचारण किया गया था, किंतु तीन को दोषमुक्त किया गया था और केवल तीन को दोषसिद्ध किया गया था, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 395 के अधीन आरोप शून्य कर सकता है।

26. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **गोविन्द राम एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य, 2013 (2) East Cr. C. Page 67 (Pat)** को पहचान परेड नहीं किए जाने के अपने आधार के समर्थन में उद्धृत किया है और यद्यपि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था किंतु लूटी गयी सामग्री अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। यह प्रतीत होता है कि ये आधार वर्तमान मामले के समानान्तर तथा सदृश हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **रघुबीर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य, 2006 (4) East Cr.C. Page 356 (Jhr.)** को भी उद्धृत किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **सोखी भुइयाँ बनाम बिहार राज्य, 2005 (2) East Cr.C. Page 205 (Pat); मैनी उर्फ मैनेजर दास बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), 2005 (3) East Cr.C. Page 554 (Jhr.) और मो॰ अब्दुल वहुद खान बनाम वाजिद खान एवं अन्य, 2006 (4) East Cr.C. Page 360 (Pat)** को भी अपने आधारों एवं बचाव को पुख्ता करने के लिए उद्धृत किया है, और वे अपीलार्थियों के लिए प्रस्तुत तर्कों के अधिमान को बढ़ाते हैं।

27. अत: अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पूर्वोक्त आधारों एवं जिन निर्णयों को उन्होंने उद्धृत किया है जो उनके बचाव के लिए उदाहरण देता है, अपीलार्थियों के पक्ष में युक्तियुक्त संदेह सृजित होता है। मैं यह अभिनिर्धारित करने का इच्छुक हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 395

के अधीन अपराध के लिए पारित दिनांक 4.2.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश संपोषणीय नहीं है और अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत बंध पत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

28. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

रविन्द्र कुमार मुखर्जी उर्फ रविन्द्र नाथ **मुखर्जी**

cuke

श्रीमती धीरा चटर्जी एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 3794 of 2006. Decided on 12th July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 13 नियम 1 (1), आदेश 7 नियम 14 (1) एवं आदेश VII नियम 14 (3)—देर से दस्तावेज की दाखिली–यदि वादी वाद की सुनवाई के समय पर साक्ष्य में प्राप्त किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन देता है, जिन्हें विवाद्यक तय किए जाने पर अथवा इसके पहले अथवा वादपत्र की प्रस्तुती के समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसे न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है–किंतु, अनुमति प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग अपवाद के रूप में उपयुक्त मामलों में किया जाना होगा न कि रुटीन तरीके से–याचिका अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 7 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Arvind Kumar Choudhary, For the Petitioner; M/s Rohitashya Roy, Tarun Kumar, Mahto, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका एम॰ एस॰ सं॰ 5 वर्ष 2003 में विद्वान अवर न्यायाधीश I, देवघर द्वारा पारित दिनांक 18.5.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'सी॰ पी॰ सी॰' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 114 और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XLVII सहपठित धारा 151 के अधीन दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि वादी ने ब्याज के साथ 2.5 लाख रुपयों की वसूली के लिए डिक्री और विकल्प में, प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के असद्भावपूर्ण कृत्य के कारण याची को कारित नुकसानी के लिए मुआवजा के भुगतान की डिक्री इप्सित करते हुए धन वाद सं॰ 5 वर्ष 2003 दाखिल किया। उक्त वाद में, याची ने दस्तावेज प्रदर्शित करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 114, आदेश XLVII सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन दाखिल किया, किंतु इसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.2005 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षित करते हुए अस्वीकार कर दिया था कि विधि किसी भी पक्ष को विलंबित चरण पर दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति नहीं देती है और वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए सूची में उल्लिखित दस्तावेज केवल साक्ष्य में लिए जा सकते हैं।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने किसी दस्तावेज को प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना नहीं किया था जो विचारण के दौरान साक्ष्य में नहीं आया था, बल्कि उक्त दस्तावेज पहले ही अ॰ सा॰ 1 अर्थात् पिनाकी चक्रवर्ती के अभिसाक्ष्य में सिद्ध कर दिया गया था, किंतु अनवधानी के कारण इसे प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई दस्तावेज पहले से ही अभिलेख पर है और इसे अनवधानी के कारण

चिन्हित नहीं किया गया था, यह गलती सुधार्य प्रकृति की है और वाद कार्यवाही के किसी चरण पर परिशुद्ध की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची गंभीर प्रतिकूलता तथा अपूरणीय क्षति से पीड़ित होगा यदि उक्त दस्तावेज गलती के कारण चिन्हित नहीं किया जाता है। याची के विद्वान अधिवक्ता सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII नियम 14 (3) में अंतर्विष्ट प्रावधानों को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि स्वयं संहिता में विनिर्दिष्ट प्रावधान है कि भले ही वाद की प्रस्तुती के समय पर दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था, न्यायालय बाद के चरण पर इसे प्रस्तुत करने की अनुंमति दे सकता है।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आदेश VII नियम 14 (1) में अंतर्विष्ट प्रावधान स्पष्टत: वाद पत्र की प्रस्तुती के समय पर दस्तावेज की दाखिली की आज्ञा देते हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि याची ने वाद पत्र की प्रस्तुती के समय पर दस्तावेज दाखिल नहीं किया था, इस दशा में, इसे बाद के चरण पर विचार में नहीं लिया जा सकता है, अत:, विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची का आवेदन अस्वीकार किया। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया था कि वादी पर प्रदर्श के रूप में दस्तावेज जिन पर वह विश्वास करता है को प्रस्तुत करने, सिद्ध एवं चिन्हित करने का कर्तव्य डाला गया है और यदि वह उक्त कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, इसे पुनर्विलोकन याचिका दाखिल करके सुधारा नहीं जा सकता है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि याची दस्तावेज प्रदर्शित करवाने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ का गलत प्रावधान चुनता प्रतीत होता है। वाद कार्यवाही में, याची ने सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 114 एवं आदेश XLVII सहपठित धारा 151 का सहारा दस्तावेज जिसे पहले ही अ॰ सा॰ 1 पिनाकी चक्रवर्ती के अभिसाक्ष्य में सिद्ध किया गया था प्रदर्शित करने के लिए अन्य बातों के साथ प्रार्थना करते हुए लिया किंतु इसे उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सका था। उक्त पृष्ठभूमि के अधीन, अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के बेहतर अधिमूल्यन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII, नियम 14 (1), आदेश VII, नियम 14 (3) एवं आदेश XIII नियम 1(1) के प्रावधानों पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा।

6. सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश VII, नियम 14 (1) विहित करता है कि जहाँ वादी अपने दावा के समर्थन में अपने कब्जा वाले दस्तावेज पर विश्वास करता है, वह सूची में ऐसा दस्तावेज प्रविष्ट करेगा और इसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जहाँ वाद पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किंतु, सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश VII नियम 14 (3) (जैसा 1.7.2002 के प्रभाव से अधिनियम 22 वर्ष 2002) द्वारा संशोधित किया गया है। विहित करता है कि दस्तावेज जिसे वाद पत्र की प्रस्तुति के समय पर वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, किंतु इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था, न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। आगे, सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश XIII नियम 1 (1) प्रावधानित करता है कि न्यायालय विवाद्यकों को तय करने के पहले प्रस्तुत दस्तावेज प्राप्त करेगा यदि इनकी प्रतियों को वाद पत्र अथवा लिखित कथन के साथ दाखिल किया गया है। किंतु, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XIII, नियम 1(1), आदेश VII नियम 14 (1) एवं आदेश VII नियम 14 (3) के संयुक्त पठन पर यह सामने आएगा कि यदि वादी दस्तावेज जिन्हें विवाद्यकों को तय करने के समय पर अथवा पहले अथवा वाद पत्र की प्रस्तुती के समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय को बाद के चरण पर इसकी प्रस्तुति के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करना होगा। मेरे सुविचारित मत में, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XIII, नियम 1 (1), आदेश VIII, नियम 14 (3) के प्रावधानों का पठन सामंजस्यपूर्वक करने की आवश्यकता है ताकि संहिता का प्रयोजन प्रभावहीन नहीं बनाया जा सके।

7. पूर्वोक्त चर्चा के अधार पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि यदि वादी वाद की सुनवाई के समय पर साक्ष्य में प्राप्त किए जाने के लिए दस्तावेज जिन्हें विवाद्यक तय होने पर

अथवा इसके पहले अथवा वाद पत्र की प्रस्तुती के समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन देता है, इसे न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। किंतु, अनुमति प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग अपवाद के रूप में उपयुक्त मामलों में किया जाना होगा और न कि रुटीन तरीके से।

8. मामले के तथ्यों पर आते हुए, यद्यपि याची ने छह गवाहों का परीक्षण किया और कतिपय दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया, अवर न्यायालय ने याची को दिनांक 2.12.2002 की धन रसीदों जिन्हें पहले ही अ॰ सा॰ 1 पिनाकी चक्रवर्ती द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सिद्ध किया था को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देने में गलती किया। यह सत्य है कि याची ने वाद कार्यवाही में उक्त धन रसीदों को प्रदर्शित करवाने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के गलत प्रावधानों का सहारा लिया था, फिर भी इसे घातक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, जैसी चर्चा यहाँ ऊपर की गयी है, संहिता स्वयं वादी को न्यायालय की अनुमति से विचारण के बाद के चरण पर दस्तावेज प्रदर्शित करवाने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रावधान करता है।

9. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, एम॰ एस॰ सं॰ 5 वर्ष 2003 में विद्वान अवर न्यायाधीश-I, देवघर द्वारा पारित दिनांक 18.5.2006 का आक्षेपित आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, वाद के समुचित न्याय निर्णयन के लिए यह अभिनिर्धारित करना समुचित होगा कि यदि याची दिनांक 2.12.2002 की उक्त धन रसीद प्रदर्शित करने के लिए न्यायालय की अनुमति इप्सित करते हुए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII, नियम 14 (3) के अधीन आवेदन दाखिल करता है, विद्वान अवर न्यायालय इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त धन रसीद पहले ही याची द्वारा दस्तावेजों की सूची के साथ दाखिल की गयी थी और इस दशा में यह अभिलेख पर उपलब्ध है जिसे पहले ही अ॰ सा॰ 1 पिनाकी चक्रवर्ती द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सिद्ध किया गया है, उक्त आवेदन पर समुचित आदेश पारित करेगा।

11. तद्नुसार रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुफल भेंगरा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 118 of 2002. Decided on 10th July, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 406—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 397 एवं 401—न्यास का दांडिक भंग–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–याची ने न्यास के दांडिक भंग का अपराध किया है क्योंकि योजनाओं में से प्रत्येक में अग्रिम लेने के बावजूद उसने उक्त योजना पर काम कभी नहीं शुरू किया था जिसका परिणाम सरकार को विपुल हानि में हुआ–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि पोषित की गयी–किंतु, याची विगत लगभग तीन दशकों से मानसिक वेदना का सामना कर रहा है और कुछ समय के लिए अभिरक्षा में भी बना रहा है दण्डादेश याची द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया।

(पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. H. K. Mahato, For the Petitioner; Mr. S.K. Sharma, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता, श्री एच॰ के॰ महतो तथा राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री एस॰ के॰ शर्मा को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 34 वर्ष 1995 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 18.4.2000 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा बंधगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 1989, जी॰ आर॰ केस सं॰ 194 वर्ष 1989 में याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याची को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पोरहाट, चाईबासा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दी गयी है और विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश तीन वर्षों का कठोर कारावास विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दो वर्षों के कठोर कारावास तक उपांतरित एवं घटाया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि प्रखंड विकास अधिकारी और याची के बीच 27.5.1988 को जलधारा योजना के अधीन कुआँ के निर्माण के लिए करार निष्पादित किया गया था। याची को सात करारों पर हस्ताक्षर करता बताया जाता है जिसे 30.1.1988 तक पूरा किया जाना था जिसके लिए याची के योजनाओं में से प्रत्येक के लिए 5000/- रुपयों की अग्रिम राशि दी गयी थी। यह अभिकथित किया गया है कि अग्रिम लेने के बावजूद दिसंबर, 1988 तक कुँओं को खोदा नहीं गया था और याची पर नोटिस तामील किया गया था और इसके परिणामस्वरुप बंधगाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 53 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था।

4. आरोप पत्र की प्रस्तुती में अन्वेषण समाप्त हुआ और संज्ञान लेने के बाद आरोप विरचित किया गया था और तत्पश्चात विचारण अग्रसर हुआ।

5. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 1 जयपाल सिंह सुंडी औपचारिक गवाह है। अ॰ सा॰ 7 इलियाजार मुंडा तथा अ॰ सा॰ 8 प्रभुदास मुंडा को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है। अ॰ सा॰ 6 छेदी राम बागल को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 2 सुभाष हेरन्ग बंधगाँव प्रखंड में कनीय अभियन्ता था जिसने कथन किया था कि याची ने अग्रिम लेने के बावजूद कुआँ खोदने के काम के आवंटन के लिए प्रखंड विकास अधिकारी को आवेदन अग्रसारित किया था। इस गवाह ने याची द्वारा लिए गए अग्रिम धन के किसी दुर्विनियोग के बारे में कथन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 4 विपिन बिहारी प्रामाणिक प्रखंड विकास अधिकारी, बंधगाँव के कार्यालय में सहायक था जिसने कतिपय दस्तावेजों को सिद्ध किया। अ॰ सा॰ 5 शशि शेखर प्रसाद प्रखंड विकास अधिकारी है जिसने याची के कुओं की निर्माण के लिए अनेक करारों के करने एवं अग्रिम दिए जाने के बारे में अभियोजन मामले का समर्थन किया है किंतु कुएँ कभी नहीं खोदे गए थे और इसलिए याची ने अग्रिम के रूप में दी गयी राशि दुर्विनियोगित किया था।

6. मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय दिनांक 29.6.1995 के निर्णय के तहत याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसको तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। याची द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 34 वर्ष 1995 विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा 18.4.2000 को दंडादेश उपांतरित करके और इसे दो वर्षों के कठोर कारावास में घटाकर खारिज कर दी गयी थी।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याची खोदे जाने वाले कुओं का नक्शा तथा योजना उसको प्रदान नहीं किए जाने के कारण कठिनाई में था। आगे यह निवेदन किया गया है कि मानसून शुरु होने के कारण कुआँ खोदने में बाधा आयी और राशि जिसे योजनाओं जिसके लिए याची ने करार किया था को पूरा करने के लिए उसको अग्रिम दिया गया था की राशि का दुर्विनियोग करने का याची का आशय कभी नहीं था।

8. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया है।

9. प्रत्येक योजना के लिए याची को अग्रिम दिए गए 5000/- रुपयों की राशि के संबंध में विवाद नहीं प्रतीत होता है। यह भी विवादित नहीं है कि कुओं जिनके लिए किए गए करार के अनुसरण में अग्रिम दिया गया था को कभी नहीं खोदा गया था और याची द्वारा क्षीण प्रयास किया गया था क्योंकि स्थानों जिनमें कुओं को खोदा जाना था का नक्शा एवं योजना उसको नहीं दिया गया था, अत: वह काम शुरु नहीं कर सका था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन केवल इस तथ्य की दृष्टि में नकारा जाता है कि स्वयं करार में कुओं की खुदाई का विनिर्दिष्ट स्थान दिया गया था, अत: याची अब यह नहीं कह सकता है कि उसे योजना अथवा क्षेत्रों का नक्शा कभी नहीं सौंपा गया था। अत: चूँकि याची ने योजनाओं में से प्रत्येक में अग्रिम लेने के बावजूद उक्त योजनाओं पर काम नहीं शुरू किया था जिसका परिणाम सरकार को विपुल हानि में हुआ, उसने न्यास के दांडिक भंग का अपराध किया। विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के समुचित अधिमूल्यन पर सही प्रकार से याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। अन्यथा निष्कर्षित करने का कोई कारण नहीं होने के चलते याची के विरुद्ध पारित और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा संपोषित किया जाता है।

10. किंतु, दंडादेश के संबंध में जिसे याची पर अधिरोपित किया गया है, यह प्रतीत होता है कि याची वर्ष 1989 से अभियोजन मामले की कठोरता का सामना कर रहा है। याची विगत लगभग तीन दशकों से मानसिक वेदना से पीड़ित है। याची कुछ समय के लिए अभिरक्षा में भी बना रहा है। उक्त उद्धृत ऐसे तथ्यों पर विचार करने पर याची पर अधिरोपित दण्डादेश की अवधि पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाता है।

11. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

मो॰ नेजामुद्दीन

cuke

शाहिद इलियास एवं अन्य

W.P. (C) No. 2448 of 2005. Decided on 21st July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 26, नियम 9—प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति–अभिधान की घोषणा और कब्जा की संपुष्टि तथा स्थायी व्यादेश के लिए वाद–जब एक बार वाद के

निपटान तक यथास्थिति बनाए रखने का पक्षों को निर्देश देते हुए अपर जिला न्यायाधीश द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया जाता है–यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या यथास्थिति आदेश का कोई उल्लंघन हुआ है, प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करके जाँच करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था–सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 26 नियम 9 के प्रावधान ऐसी स्थितियों पर विचार करना प्रावधानित करता है–आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Afaque Rashidi, For the Petitioner; Mr. Pratik Sen, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका अभिधान वाद सं॰ 96 वर्ष 1998 में विद्वान मुंसिफ I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 6 अप्रिल 2005 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके कारण से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अधीन वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया गया है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख का परिशीलन किया गया है।

3. यह प्रतीत होता है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने मौजा गजुआटांड, पी॰ एस॰ धनसर, जिला धनबाद के अंतर्गत भूखंड सं॰ 101, खाता सं॰ 2 के ऊपर प्रतिवादी/याची के विरुद्ध अभिधान की घोषणा, कब्जा की संपुष्टि और स्थायी व्यादेश के लिए विद्वान मुंसिफ I, धनबाद के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 96 वर्ष 1998 दाखिल किया। प्रत्यर्थियों ने भी याची के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश की प्रार्थना करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 के अधीन आवेदन दाखिल किया किंतु इसे विद्वान मुंसिफ द्वारा दिनांक 26 सितंबर, 1998 के आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थियों ने विद्वान अपर जिला न्यायाधीश XII, धनबाद के न्यायालय में विविध अपील सं॰ 55 वर्ष 1998 दाखिल किया। उक्त विविध अपील इस संप्रेक्षण के साथ खारिज की गयी थी कि प्रतिवादी (वर्तमान याची) ने भूखंड सं॰ 101A के ऊपर किसी अधिकार/अभिधान का दावा नहीं किया था और भूखंड सं॰ 101 पर उसके द्वारा 6 फीट अतिक्रमण करने की बात स्वीकार किया गया है, अतएव, उचित होगा कि प्रतिवादी द्वारा भुखंड सं॰ 101 पर आगे निर्माण नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, दोनों पक्षों को वाद के निपटान तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय को शीघ्रातिशीघ्र मामला निपटाने का निर्देश दिया गया था।

4. बाद में, वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने स्थानीय निरीक्षण करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXVI नियम 9 के अधीन विद्वान विचारण न्यायालय (मुंसिफ I, धनबाद का न्यायालय) के समक्ष प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आवेदन (रिट याचिका का परिशिष्ट-5) दाखिल किया, क्योंकि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिकथित किया गया था कि प्रतिवादी/याची ने विविध अपील सं॰ 55 वर्ष 1998 में पारित यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन किया है। विद्वान मुंसिफ ने दिनांक 6 अप्रिल, 2005 के आदेश के तहत उक्त आवेदन अनुज्ञात किया, जिसे वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी/याची द्वारा चुनौती दी गयी है।

5. विद्वान मुंसिफ I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 6 अप्रिल, 2005 के आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर मेरा दृष्टिकोण है कि उक्त आदेश विधि एवं तथ्य की किसी गलती से पीड़ित नहीं है। जब एक बार वाद के निपटान तक यथास्थिति बनाए रखने का पक्षों को निर्देश देते हुए विविध अपील सं॰ 55 वर्ष 1998 में दिनांक 9 दिसंबर, 2002 के आदेश के तहत विद्वान अपर जिला न्यायाधीश द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था, यदि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिवादी/याची के विरुद्ध यथास्थिति के आदेश

का ऐसा कोई उल्लंघन अभिकथित किया गया था, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या यथास्थिति के आदेश का कोई उल्लंघन हुआ था, प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करके जाँच करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXVI नियम 9 के प्रावधान ऐसी स्थितियों पर विचार करने के लिए प्रावधान बनाता है।

6. इस प्रकार, मेरा मत है कि विद्वान मुंसिफ I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 6 अप्रिल, 2005 का आक्षेपित आदेश किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है। अत:, मैं उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है। दिनांक 24 जून, 2005 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

राजीव सबलोक

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1573 of 2015. Decided on 2nd August, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 418, 406, 477A एवं 489—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल, न्यास का दांडिक भंग, लेखा का मिथ्याकरण और संपत्ति चिन्हों के साथ छेड़छाड़—संज्ञान—पक्षों के बीच सुलह—याची की शिकायत दूर की गयी है—इस दशा में, याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक कृत्य होगा—संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 4 से 8)

अधिवक्तागण.—M/s Delip Jerath, Suraj Singh, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Dinesh Kumar, For O.P. No. 2.

आदेश

पक्षकार सुने गए।

2. इस आवेदन में, याची ने सी॰ पी॰ केस सं॰ 2449 वर्ष 2013 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 10.11.2014 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 418, 406, 477A एवं 489 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. आरंभ में, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच मामले में सुलह हो गया है जिसके लिए उन्होंने आई॰ ए॰ सं॰ 4885 वर्ष 2017 को निर्दिष्ट किया है जो विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल संयुक्त सुलह याचिका अंतर्विष्ट करता है। यह निवेदन किया गया है कि याची की शिकायत दूर की गयी है और चूँकि मामले में सुलह किया गया है, याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित एवं अपास्त करने योग्य है।

4. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जाती है।

5. अभिकथन से यह प्रतीत होता है कि विवाद नयी अल्टो LXI कार की खरीद से संबंधित है। यह अभिकथित किया गया है कि कंपनी द्वारा कतिपय लाभ नहीं दिया गया था और बीमा कागजात से यह प्रतीत होता है कि ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को सेकन्ड हैन्ड कार बेची गयी थी। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर, सी॰ पी॰ केस सं॰ 2449 वर्ष 2013 संस्थित किया गया था। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 418, 406, 477A एवं 489 के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था।

6. आई॰ ए॰ सं॰ 4885 वर्ष 2017 दाखिल किया गया है जिसमें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के समक्ष संयुक्त सुलह याचिका दाखिल किया गया था, अभिलेख पर लाया गया है। संयुक्त सुलह याचिका का परिशीलन दर्शाता है कि पक्षों के बीच मतभेद एवं विवाद सुलझा लिया गया है और पक्षों के बीच अच्छा संबंध पुनर्स्थापित हो गया है।

7. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन से यह प्रतीत होता है कि ओ॰ पी॰ सं॰ 2 अपने द्वारा संस्थित दांडिक मामला अग्रसर करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। चूँकि मामला सुलझा लिया गया है, याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक कृत्य होगा।

8. तद्नुसार, जो ऊपर कथित किया गया है उसकी दृष्टि में यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और सी॰ पी॰ केस सं॰ 2449 वर्ष 2013 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 10.11.2014 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 418, 406, 477A एवं 489 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त की जाती है।

9. लंबित आई॰ ए॰, यदि हो निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vuUr fot ; flg] U;k;efr

चक्रवर्ती नाथ साहू

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. App. (SJ) No. 313 of 2017. Decided on 2nd August, 2017.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 14A (2)—अग्रिम जमानत–जाति नाम से गाली-अपीलार्थी परिवादी से लिया गया धन वापस करने के लिए तैयार है जिसे पक्षों के बीच झगड़ा की जड़ बताया जाता है–अंतरिम जमानत आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 2 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Birendra Burman, For the Appellant; APP, For the State; Mr. Arun Kumar, For the O.P. No. 2.

आदेश

अपीलार्थियों ने ए॰ बी॰ पी॰ सं॰ 9/2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 9.2.2017 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया गया था से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14A (2) के अधीन इस अपील को दाखिल किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी एवं सूचक एक ही गाँव में रह रहे थे और वर्ष 2010 में अपीलार्थी ने सूचक को किसी योजना में 7850/- रुपयों का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था जिस पर सूचक ने उक्त राशि निवेशित किया था और जब वह उक्त राशि प्राप्त करने गया तब अपीलार्थी ने धन लौटाने से इनकार कर दिया और सूचक को उसकी जाति नाम से गाली दिया।

3. दिनांक 20.6.2017 के आदेश के अनुसरण में दोनों पक्ष निजी तौर पर उपस्थित हैं और अपीलार्थी आज ही 15,700/- रुपया वापस करने के लिए तैयार है।

4. अपीलार्थी ने न्यायालय कक्ष में ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को उक्त राशि सौंपा। कार्यालय को नोट शीट पर उनकी उपस्थिति एवं धन की प्राप्ति दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, ए॰ बी॰ पी॰ सं॰ 9 वर्ष 2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 9.2.2017 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को 4.9.2017 को अथवा इसके पहले अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की स्थिति में, अवर न्यायालय उसको एम॰ सी॰/एस॰ टी॰ गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 10/16, जी॰ आर॰ सं॰ 1219/16 के तत्सम के संबंध में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 438 (2) के अधीन यथा अधिकथित शर्त के अध्यधीन और आगे इस शर्त के अध्यधीन कि आत्मसमर्पण की तिथि पर अपीलार्थी ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को भुगतान की जाने वाली झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम एवं एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ अधिनियम के निबंधनानुसार तदंतरिम मुआवजा के रूप में विचारण न्यायालय में 8000/- रुपया जमा करेगा, विद्वान सी॰ जे॰ एम॰, गुमला की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र की प्रस्तुती पर उसको जमानत पर निर्मुक्त करेगा।

6. इस प्रकार के अभिसाक्ष्य के बाद विचारण न्यायालय ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को नोटिस जारी करेगा और समुचित सत्यापन पर विचारण न्यायालय उसके पक्ष में पूर्वोक्त राशि निर्मुक्त करेगा।

7. पूर्वोक्त अभिसाक्ष्य अपीलार्थी के मामला पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा।

8. तद्नुसार, यह दांडिक अपील (एस॰ जे॰) एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

ब्लीचदन कुजूर उर्फ बिलिसदन कुजूर एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 23 of 2005. Decided on 14th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 99 वर्ष 2004 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, गुमला श्री हरिकेश चंद द्वारा पारित 4 अक्टूबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 5 अक्टूबर, 2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34, 452/34 एवं 201/34—हत्या, गृह अतिचार एवं साक्ष्य छुपाया जाना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट–मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से प्रहार चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है–दोनों अ॰ सा॰ स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं जो घटना के समय पर घर में उपस्थित थे–मात्र इसलिए

कि गवाह संबंधित हैं, उनका परिसाक्ष्य ठुकराया नहीं जा सकता है–उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए मजबूत एवं तर्कपूर्ण कारण होना होगा जो वर्तमान मामले में गायब है–बाल गवाह सक्षम गवाह है और उसकी सक्षमता को चुनौती नहीं दी जा सकती है–बचाव भी दूर-दूर तक यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं लाया है कि बालक प्रश्न समझने में अक्षम था और समुचित रूप से उनका उत्तर देने में अक्षम था–वह भी घायल गवाह है–उसकी उपहति रिपोर्ट की गैर प्रस्तुती अभियोजन के प्रति घातक नहीं है–अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य से इन दोनों अपीलार्थियों की मृतक की हत्या करने और आग लगाने की घटना में अंतर्ग्रस्तता दृढ़तापूर्वक स्थापित की गयी है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 20 एवं 21)

अधिवक्तागण.–Mr. K.S. Nanda, For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha, For the Respondent.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–सत्र विचारण सं॰ 99 वर्ष 2004 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, गुमला द्वारा पारित दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 के दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने इस अपील को दाखिल किया है।

2. इन दोनों अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 201/34 के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 452/34 के अधीन भी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उक्त दोषसिद्धि के बाद, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्षों का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 452/34 के अधीन अपराध के लिए 5 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला श्रीमती रामी ओराँइन (अ॰ सा॰ 2) जो मृतक की पत्नी है के फर्दबयान से उदभूत होता है। अपने फर्दबयान में, जिसे अपराह्न 1 बजे 14.12.2003 को 13.00 बजे दर्ज किया गया था, वह कथन करती है कि 13.12.2003 को अपराह्न लगभग 7 बजे वह घर में भोजन पका रही थी। उसका पति बरगी ओराँव (मृतक) अपने अवयस्क पौत्र कार्तिक ओराँव (अ॰ सा॰ 1) के साथ घर में था। घर का मुख्य दरवाजा बंद था। बाहर से कुछ व्यक्तियों ने दरवाजा खटखटाया और उनको इसे खोलने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या बंधाना घर में उपस्थित था या नहीं। प्रश्न के प्रति सूचक ने उत्तर दिया कि बंधाना घर में नहीं है बल्कि ईंट की भट्ठी पर गया है। यह सुनने पर व्यक्तियों ने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया और उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया। दरवाजा तोड़ने के बाद, दो अपराधी घर में घुसे जिन्हें सूचक द्वारा इन अपीलार्थियों के रूप में पहचाना गया था। इन अपीलार्थियों ने सूचक के पति से पूछा कि क्यों बंधाना (सूचक का पुत्र) उनके धन का भुगतान नहीं कर रहा है। आगे, उन्होंने तुरन्त धन मांगा। सूचक के पति ने उनको बंधाना की प्रतीक्षा करने के लिए कहा और उनके बीच धनीय संव्यवहार के प्रति अपनी अनभिज्ञता दर्शाया। तत्पश्चात ये दोनों अपीलार्थी सूचक के पति पर लात-मुक्का से प्रहार करने लगे और उसे घर के बाहर घसीट कर ले गए। सूचक और उसके पौत्र ने उनको रोकने का प्रयास किया जो व्यर्थ रहा। अभियुक्तों ने सूचक की बायीं कोहनी पर कुल्हाड़ी का वार किया। अपीलार्थी ब्लीचदन कुजूर ने सूचक के गर्दन पर कुल्हाड़ी का वार करने का प्रयास किया, किंतु सूचक स्वयं को बचा सकी थी। इन दोनों अभियुक्तों ने सूचक के पति को घर से खींचकर बाहर

निकाला और कुल्हाड़ी से उसके पैर, चेहरे एवं गर्दन पर प्रहार किया। सूचक के पति की तुरन्त मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात अभियुक्तों ने सूचक के पति के मृत शरीर पर भूसा डालकर शरीर में आग लगाया। सूचक मदद के लिए चीखी जिस पर कुछ व्यक्ति अपने घर के बाहर आए और घटना देखा। जैसा सूचक द्वारा कथन किया गया है, प्रहार का कारण यह है कि सूचक का पुत्र और ये दोनों अपीलार्थी त्रिपुरा एवं असम के ईंट भट्ठी में श्रमिकों की आपूर्ति करते थे और उनके बीच धनीय संव्यवहार के कारण मतभेद हुआ।

4. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर 14.12.2003 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452, 302, 201,. 427, 324, 307/34 के अधीन अपराध के लिए घाघरा पुलिस थाना केस सं॰ 76 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपराध का संज्ञान लिया और तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया क्योंकि अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य थे। अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 201/34, 307/34 तथा 452/34 के अधीन अपराधों के लिए 3.6.2004 को आरोप विरचित किए गए थे। अपीलार्थियों ने उक्त आरोप के प्रति निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

5. अभियोजन ने मामला सिद्ध करने के लिए आठ गवाहों का परीक्षण किया है। अ॰ सा॰ 1 कार्तिक ओराँव, मृतक का अवयस्क पौत्र है। अ॰ सा॰ 2 श्रीमती रामी ओराँइन है जो सूचक है। ये दोनों गवाह उक्त घटना के चश्मदीद गवाह है। अ॰ सा॰ 3 चरण गोप, अ॰ सा॰ 4 लोहरा गोप तथा अ॰ सा॰ 6 बुर्हना ओराँव है जो सब ग्रामीण हैं। अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ आर॰ एस॰ गुप्ता हैं जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 7 रुखसार अहमद है जो पुलिस सब-इंस्पेक्टर है जिसने फर्दबयान दर्ज किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया। अ॰ सा॰ 8 रामजी प्रसाद अन्वेषण अधिकारी है।

6. उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त मृतक का शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, फर्दबयान प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था, प्रदर्श 3 औपचारिक प्राथमिकी है, प्रदर्श 4 दो रक्तरंजित कुल्हाड़ियों की अभिग्रहण सूची है और प्रदर्श 5 मृतक का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है। प्रदर्श 6 रक्तरंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची है और प्रदर्श 7 एवं 8 क्रमशः अभियुक्तों जो लजस कुजूर तथा बिल्चदन कुजूर के इकबालिया बयान हैं।

7. अवर न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद और अभियुक्तों तथा लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने के बाद अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 201/34 तथा 452/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है और दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश पारित किया है।

8. अवर न्यायालय के उक्त निर्णय एवं निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, अपीलार्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय अ॰ सा॰ 1 पर विश्वास नहीं कर सकता था जो स्वीकृत रूप से बाल गवाह है। वह निवेदन करते हैं कि क्या उक्त गवाह परिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम था का परीक्षण समुचित रूप से न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि उससे केवल दो प्रश्न पूछा गया था ताकि उसकी योग्यता, सक्षमता एवं उसकी समझदारी जाँची जा सके। वह निवेदन करते हैं कि वस्तुतः उक्त गवाह में समुचित समझदारी की कमी है, अतः उसका साक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा मिटा दिया जाना चाहिए था। वह आगे तर्क करते हैं कि यदि अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य त्यक्त किया जाता है, एक मात्र शेष गवाह अ॰ सा॰ 2 है जो सूचक है। वह निवेदन करते हैं कि साक्ष्य से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह गवाह चश्मदीद गवाह नहीं है और वस्तुतः वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अपना तर्क पुख्ता

करने के लिए वह निवेदन करते हैं कि फर्दबयान के मुताबिक यह सूचक भी घायल थी किंतु अभिलेख पर उपहति रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो सुझाता है कि यह गवाह उस पर अभिकथित प्रहार के बारे में सच नहीं बोल रही थी। वह निवेदन करते हैं कि यह तथ्य सिद्ध करता है कि यह गवाह घटनास्थल पर उपस्थित भी नहीं थी। वह निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 अत्यन्त हितबद्ध गवाह है और इस प्रकार अविश्वसनीय हैं। आगे यह तर्क किया गया है कि स्वीकृत रूप से इन अपीलार्थिगण तथा सूचक के पुत्र के बीच विवाद था, इस प्रकार, काफी संभावना है कि इन अपीलार्थीगण को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि घटना, जैसा अभिकथित किया गया है, गाँव के बीच हुई किंतु आश्चर्यजनक रूप से एक भी ग्रामीण (स्वतंत्र गवाह) अभियोजन मामला का समर्थन करने आगे नहीं आया जो इन अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता सहित संपूर्ण अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न करता है। अंत में वह निवेदन करते हैं कि अपराध का हथियार न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियोजन के लिए घातक है। इस पृष्ठभूमि में, वह अपीलार्थियों की दोषमुक्ति की प्रार्थना करते हैं।

9. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 यद्यपि मृतक से संबंधित हैं, पूर्णत: विश्वसनीय हैं और उन पर अविश्वास करने के लिए सामग्री नहीं है। वह निवेदन करते हैं कि इन दोनों चश्मदीद गवाहों ने विनिर्दिष्टत: घटना, प्रहार के तरीका, अभियुक्त–अपीलार्थियों द्वारा प्रयुक्त हथियार के बारे में कथन किया है और इसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट भी किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि उन पर अविश्वास करने के लिए उनके साक्ष्य में कुछ नहीं है। वह निवेदन करते हैं कि साक्ष्य के परिशीलन के बाद एकमात्र निष्कर्ष जिस पर पहुँचा जा सकता है इन दोनों अपीलार्थियों का दोष है जिसके लिए उन्हें सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं समुचित रूप से दंडादेशित किया गया है।

10. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

11. जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, हम पाते हैं कि इस मामले में आठ अभियोजन गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 एक बाल गवाह है। विचारण न्यायालय द्वारा इस गवाह का समुचित रूप से परीक्षण किया गया था और विचारण न्यायालय संतुष्ट था कि वह प्रश्न समझता है और समुचित रूप से उत्तर देने में सक्षम है। ऐसी संतुष्टि दर्ज करने के बाद न्यायालय उसका साक्ष्य दर्ज करने के लिए अग्रसर हुआ। उसने कथन किया कि घटना शाम में हुई थी जब वह अपने दादा–दादी के साथ घर में उपस्थित था। दादी खाना पका रही थी और धान उबाल रही थी जब इन अपीलार्थियों ने दरवाजा तोड़ा, घर में घुसे और उसकी दादी पर प्रहार किया। उसने कथन किया कि दोनों कुल्हाड़ी लिए थे। उसने विवरण दिया कि इन अपीलार्थियों ने उसके दादा को घर के बाहर घसीटा और कदम के पेड़ के निकट कुल्हाड़ी के वार से उसकी हत्या की। उसने आगे कथन किया कि उन्होंने उसके दादा को जलाया। उसने न्यायालय में अपीलार्थियों को पहचाना। बचाव उससे कोई विरोधाभास नहीं निकाल सका था।

12. अ॰ सा॰ 2 सूचक एवं मृतक की पत्नी है। उसने कथन किया कि घटना की तिथि पर वह घर में उपस्थित थी और धान उबाल रही थी। उसका पति उसके पौत्र (अ॰ सा॰ 1) के साथ घर में उपस्थित था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि ब्लीचदन तथा जोलजस ने दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने इसे नहीं खोला, उन्होंने कुल्हाड़ी का प्रयोग करके दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने उसके हाथ पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और तत्पश्चात वे दोनों उसके पति को खींचते हुए कदम के वृक्ष के निकट ले गए, कुल्हाड़ी से

उसकी हत्या की और पुआल से उसका शरीर जलाया। उसने आगे कथन किया कि जोल्जस द्वारा की गयी संस्वीकृति पर भउला के घर से दो कुल्हाड़ी जब्त की गयी थी। उसने कथन किया कि उसने भउला की पत्नी दीनू के साथ अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर किया था। अपने प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया कि उसने पुलिस को अपनी उपहति दर्शाया था क्योंकि उसकी उपहति से खून बह रहा था। उसने कथन किया कि उसने अपनी उपहति के लिए दवा लिया था और कपड़े के टुकड़े से जख्म बांधा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गयी है।

13. अ॰ सा॰ 3 चरन गोप है, जो हत्या की घटना का अनुश्रुत गवाह है। उसने कथन किया कि उसे हत्या के बारे में जानकारी हुई थी और उसने अगले दिन कदम वृक्ष के निकट मृत शरीर देखा है। उसने कथन किया कि उसने गुदना (बुरना) ओराँव के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया और वे मृत शरीर को पुलिस थाना ले गए। प्रति-परीक्षण में, उसने कथन किया कि उसका घर मृतक के घर से आधा मील की दूरी पर है। उसने कथन किया कि वह नहीं जानता था कि किसने मृतक की हत्या की और किस प्रकार उसकी हत्या की गयी थी। उसने कथन किया कि गाँववालों एवं सूचक ने उसको हमलावरों का नाम प्रकट किया।

14. अ॰ सा॰ 4 लोहरा गोप है जो अनुश्रुत गवाह है और केवल यह कथन किया कि उसे मृतक की पत्नी से हमलावरों के नाम की जानकारी हुई।

15. अ॰ सा॰ 6 बुरहना ओराँव है जिसने कथन किया कि मृतक की हत्या शनिवार की रात की गयी थी। उसने कथन किया कि वह भय के कारण घर से बाहर नहीं निकला था। अगली सुबह वह घर से बाहर आया और मृतक को जली अवस्था में कदम के वृक्ष के निकट सड़क पर पाया। उसने कथन किया कि उसने चरण गोप के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपने अंगूठा का निशान लगाया था। उसने कथन किया कि उसने सुना कि इन दोनों अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या की और हत्या करने के उपरान्त उसे जलाया।

16. अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर है जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित पाया:-

I. *(i) leLr pkjk vxk e 'ko dh vdMu ektn FkhA*

(ii) 'kjhj uXu FkkA oL=ghu] Ropk dkyh iMhA Cyc ektn] cky ty g,A

(iii) eR; i'pkr tyu 'kjhj ij ektn FkkA

II. migfr

(i) nk;h fVfc;k ,o fQcyk dk ÝDpj

(ii) eg ,o ukd ij [ku d FkDdA

(iii) ân;] yhoj] cu ,o QQMk dtLVM FkkA

(iv) cu e [ku d FkDdk d lkFk [kkiMh dh gMMh dk ÝDpj FkkA

III. iV [kkyh Fkk

IV. *eR; dk dkj.k&eLrd migfr d dkj.k*

V. *eR; l 'ko ijh{k.k rd chrk le; 48 ?kVk d Hkhrj FkkA*

डॉक्टर ने मत दिया कि मृत्यु पश्चात जलन शरीर पर मौजूद था और मृत्यु 48 घंटे के भीतर हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक मृत्यु का कारण मस्तक उपहति थी। उन्होंने आगे मत दिया कि यह संभव था

कि टांगी से हत्या करने के बाद शरीर को आग लगाया गया था। अपने प्रति-परीक्षण में, उन्होंने कथन किया है कि व्यक्ति की मृत्यु कारित उपहति के कारण और न कि आग लगने से हुई।

17. अ॰ सा॰ 7 रुखसार अहमद है, जिसने ग्राम कोहीपत रय्यादीपा में हत्या के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद अग्रसर हुआ और रामी ओराँइन (अ॰ सा॰ 2) जो मृतक की पत्नी है का फर्दबयान दर्ज किया। फर्दबयान प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि रामजी प्रसाद को अन्वेषण सौंपा गया था और वह पुलिस थाना लौटा जहाँ औपचारिक प्राथमिकी एस॰ एन॰ पांडे द्वारा लिखी गयी थी और उसके (अ॰ सा॰ 7) द्वारा हस्ताक्षरित की गयी थी। औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित की गयी थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुनः 15.12.2003 को गाँव गया जहाँ उसने जोलजस कुजूर को गिरफ्तार किया जिसने अपना दोष स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी उसकी प्रेरणा पर भउला ओराँव के घर से बरामद की गयी थी। दो गवाहों की उपस्थिति में उसके द्वारा अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रतिपरीक्षण में उससे मुख्य प्रश्न नहीं पूछा गया था।

18. अ॰ सा॰ 8 रामजी प्रसाद अन्वेषण अधिकारी है, जो प्रभारी अधिकारी रुखसार अहमद अ॰ सा॰ 7 के साथ घटनास्थल पहुँचा। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि रुखसार अहमद ने फर्दबयान दर्ज किया और उसको अन्वेषण सौंपा गया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित किया और इसे जब्त किया जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित किया गया था। तत्पश्चात् उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए गुमला सदर अस्पतपाल भेजा। उसने प्रथम घटनास्थल अर्थात् मृतक के घर का इसकी चौहद्दी के साथ वर्णन दिया। उसने द्वितीय घटनास्थल का भी चौहद्दी के साथ वर्णन दिया जहाँ मृतक की हत्या की गयी थी और उसका शरीर जलाया गया था। उसने कथन किया कि उसने चरन गोप, कार्तिक ओराँव, लोहरा ओराँव तथा बुरहन ओराँव (अ॰ सा॰ 6) का बयान दर्ज किया। उसने जोलजस कुजूर को गिरफ्तार किया और उसकी संस्वीकृति दर्ज किया। उसने यह कथन भी किया कि उसकी संस्वीकृति पर हत्या का हथियार बरामद किया गया था। उसने बाद में बिल्चदन कुजूर को गिरफ्तार किया और उसकी संस्वीकृति दर्ज किया। उसने यह कथन भी किया कि रक्तरंजित कुल्हाड़ी परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजी गयी थी। इस गवाह का प्रति परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि उसका प्रतिपरीक्षण करने कोई नहीं आया। इस गवाह ने पैराग्राफ 10 में स्पष्टतः कथन किया है कि चूँकि सूचक ने उपहति पाया था, वह उसको पुलिस थाना लाया और इलाज के लिए भेजा।

19. इस प्रकार, इन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि दो चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 तथ्यों पर संगत है। उनके साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि इन दोनों अपीलार्थियों ने सूचक पर प्रहार किया और तत्पश्चात मृतक पर प्रहार करते हुए उसको कदम के वृक्ष की ओर ले गया और उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ। मृत्यु के बाद, इन दोनों अपीलार्थियों ने मृतक का शरीर जलाया है।

20. कुल्हाड़ी से मृतक के शरीर पर प्रहार चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर अनेक उपहति पाया और मत दिया कि उपहति कुल्हाड़ी से हुई थी। उन्होंने यह मत भी दिया कि मृतक की मृत्यु के बाद उसका शरीर जलाया गया था। यही अभियोजन मामला भी है। उन पर अविश्वास करने के लिए अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य में कुछ नहीं है। ये दोनों गवाह स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं जो घटना के समय पर घर में उपस्थित थे। उन्होंने कथन किया कि ये दोनों अपीलार्थी अपराध करने वाले हैं और उन पर अविश्वास करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है। अन्य गवाहों

अर्थात् अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 6 ने भी कथन किया है कि मृतक का शरीर जली अवस्था में कदम के पेड़ के निकट पाया गया था जो भी अभियोजन का संगत मामला है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता के तर्क आधारहीन हैं क्योंकि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 जो चश्मदीद गवाह हैं अपने दृष्टिकोण पर संगत हैं भले ही वह संबंधित गवाह हैं। मात्र इसलिए कि गवाह संबंधित हैं, उनका परिसाक्ष्य ठुकराया नहीं जा सकता है; उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए मजबूत एवं तर्कपूर्ण कारण होना होगा जो वर्तमान मामले में गायब है। बाल गवाह अ॰ सा॰ 1 सक्षम गवाह है और उसकी सक्षमता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बचाव भी दूर-दूर तक यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं लाया है कि बालक प्रश्न समझने में अक्षम था और उनका समुचित रूप से उत्तर देने में अक्षम था। जब न्यायालय बाल गवाह का अभिसाक्ष्य दर्ज करने के पहले संतुष्ट है कि बाल गवाह प्रश्न समझता है और उनका समुचित रूप से उत्तर देने में सक्षम है, यह दर्शाना बचाव का कर्तव्य था कि विचारण न्यायालय का उक्त रिकार्डिंग सही नहीं है और गवाह सक्षम नहीं है। इस मामले में यह सुझाने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार अ॰ सा॰ 1 की सक्षमता के बारे में अपीलार्थियों का प्रश्न आधारहीन है। अ॰ सा॰ 2 भी चश्मदीद गवाह है जिसने संपूर्ण घटना का विवरण दिया है जिसे भी अ॰ सा॰ 1 द्वारा तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। वह भी घायल गवाह है। उसकी उपहति रिपोर्ट की गैर-प्रस्तुती इस मामले में अभियोजन के प्रति घातक नहीं है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि गवाह घायल थी और उसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा पुलिस थाना लाया गया था और तत्पश्चात इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र भेजा गया था। यहाँ यह उल्लेख करना उपर्युक्त है कि इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का प्रति परीक्षण नहीं किया गया है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा रक्तरंजित मिट्टी, कुल्हाड़ी भी जब्त की गयी थी जिसे अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। अगले दिन गाँव वालों ने कदम वृक्ष के निकट मृत शरीर देखा था। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 ने भी यही विवरण दिया है कि मृतक की हत्या इन अपीलार्थियों द्वारा कदम के वृक्ष के निकट की गयी थी। आगे अ॰ सा॰ 6 ने कथन किया है कि वह दुर्भाग्यपूर्ण रात को चीख सुनने के बाद भय से बाहर नहीं आया था। यह घटनास्थल पर उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य से मृतक की हत्या करने और तत्पश्चात उसके शरीर में आग लगाने की घटना में इन अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता दृढ़तापूर्वक स्थापित की गयी है। अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे इन अपीलार्थियों का दोषसिद्ध करने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय इन अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 201/34 एवं 452/34 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने और उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध करने के लिए आजीवन कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन 7 वर्षों का कठोर कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 452/34 के अधीन अपराध के लिए 5 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देने में न्यायोचित था। दोनों अपीलार्थीगण पहले से ही दंडादेश भुगतते हुए अभिरक्षा में है।

21. इस प्रकार, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं। तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख अवर न्यायालय को प्रेषित किए जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

मेसर्स अन्नपूर्णा ग्रिंडिंग्स एन्ड कैलशिनेशन प्लान्ट

cuke

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

W.P.(C) No. 5378 of 2008. Decided on 6th July, 2017.

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993—धाराएँ 22 (2) (h) एवं 30—कर्ज वसूली कार्यवाही–वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील–अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी का कोई आदेश अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपील योग्य है–अधिनियम की धारा 22 अधिष्ठायी प्रावधान नहीं है, बल्कि प्रक्रियात्मक प्रकृति का है–अधिनियम के अधीन अधिष्टायी प्रावधान नहीं है बल्कि प्रक्रियात्मक प्रकृति का है–अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण को वही शक्ति होगी जो किसी मामले के संबंध में वाद का विचारण करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालयों में निहित है जैसा विहित किया जा सकता है–याची विशेषत: वसूली अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दाखिली के लिए अधिष्ठायी प्रावधान के अस्तित्व की दृष्टि में डी॰ आर॰ टी॰ के समक्ष प्रश्नगत आवेदन दाखिल करने में अधिनियम की धारा 22 (2) (h) का सहारा लेने में सही नहीं है। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. D.K. Chakraverty, For The Petitioner; Mrs. A.R. Choudhary & Amrita Sinha, For Central BOI.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, राँची (संक्षेप में ''डी॰ आर॰ टी॰ राँची'' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा पारित दिनांक 5.8.2008 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया है, जिसके द्वारा आर॰ पी॰ केस सं॰ 2 वर्ष 2002 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 28.5.2008 के आदेश के विरुद्ध बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 22 (2) (h) के अधीन दाखिल आवेदन को अपील के रूप में मानने का निर्देश दिया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ओ॰ ए॰ सं॰ 58 वर्ष 1998 में याची के विरुद्ध और प्रत्यर्थी सं॰ 1 के पक्ष में 14,84,283.39/- रुपयों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण, पटना द्वारा एक पक्षीय वसूली प्रमाण पत्र पारित किया गया था और तत्पश्चात, आर॰ पी॰ 21 वर्ष 1998 (आर॰ पी॰ 2 वर्ष 2002 के रूप में पुनर्संख्यांकित) के तहत वसूली कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें 1.46 1/2 एकड़ भूमि नीलामी विक्रय में प्रत्यर्थी सं॰ 3 को 23,90,000/- रुपयों के लिए बेची गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने दिनांक 5.10.2006 के आवेदन द्वारा नीलामी विक्रय के प्रति आपत्ति यह अभिकथित करते हुए किया कि बंधक संपत्ति से भिन्न संपत्ति नीलामी में बेची गयी है और याची को अपनी भूमि के शेष भाग में आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उक्त आवेदन 28.5.2008 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दी गयी थी कि निष्पादन न्यायालय द्वारा समरुप याचिकाएँ अनेक बार अस्वीकार की गयी हैं और इस दशा में, उक्त न्यायालय पुनर्विचार करने के लिए सक्षम नहीं है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा आगे अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ तक संपत्ति में आने-जाने के बारे में विवाद का संबंध है, यह सिविल विवाद है और यह पहले से ही डी॰ एम॰ (रामगढ़) के राजस्व (सिविल) न्यायालय में लंबित है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक

28.5.2008 के उक्त आदेश के विरुद्ध याची ने पीठासीन अधिकारी, डी॰ आर॰ टी॰ राँची के समक्ष आवेदन दाखिल किया। किंतु, पीठासीन अधिकारी, डी॰ आर॰ टी॰, राँची ने दिनांक 5.8.2008 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि उक्त आवेदन अध्यपेक्षित अधिकरण फीस के भुगतान के अध्यधीन अपील के रूप में मानी जानी चाहिए और डी॰ आर॰ टी॰ रजिस्ट्री को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था। दिनांक 5.8.2008 का उक्त आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 5.8.2008 के आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि उन्होंने विक्रय की उद्घोषणा को चुनौती नहीं दिया है और इस दशा में, प्राधिकारी को याची का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार करने की अधिकारिता नहीं है कि ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 (इसमें इसके बाद ''नियमावली, 1993 के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 7 के अधीन अध्यपेक्षित न्यायालय फीस दाखिल नहीं की गयी है। यद्यपि अधिकरण ने 14,84,283.39/- रुपयों की वसूली के लिए आदेश दिया है, संपूर्ण धन पहले ही नीलामी विक्रय के माध्यम से संग्रहित कर लिया गया है और संपत्ति प्रत्यर्थी सं॰ 1 को सौंप भी दी गयी है। याची ने अधिनियम की धारा 22 (2) (h) के प्रावधानों के अधीन वर्तमान आवेदन विविध याचिका के रूप में दाखिल किया है और इसे डी॰ आर॰ टी॰, राँची द्वारा ग्रहण किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि चूँकि याची ने कोई नियमित अपील दाखिल नहीं किया है, इस दशा में आवेदन अधिनियम की धारा 30 द्वारा आच्छादित नहीं है और इसलिए नियमावली, 1993 का नियम 7 मामले के तथ्यों में प्रयोज्य नहीं होगा।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची द्वारा अधिनियम की धारा 22 (2) (h) के अधीन दाखिल विविध आवेदन वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पोषणीय नहीं है। वस्तुतः, याची को अधिनियम की धारा 30 के अधीन नियमित अपील दाखिल करने की आवश्यकता थी। यह निवेदन भी किया गया है कि चौहद्दी, माप, पहुँच सड़क, आदि के संबंध में आपत्ति भी वसूली अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 3.9.1999 तथा 27.10.1999 के आदेशों के तहत अस्वीकार कर दी गयी थी। संपूर्ण विक्रय आगम सही प्रकार से प्रमाण पत्र राशि के रूप में सौंप दी गयी है चूँकि वसूली प्रमाण पत्र पहले ही काफी पहले 6.11.1998 को जारी की गयी थी। तद्नुसार, संपूर्ण विक्रय आगम खाता में वसूलनीय तथा समायोजन योग्य था। प्रत्यर्थी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि डी॰ आर॰ टी॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.8.2008 का आक्षेपित आदेश पूर्णतः न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर और इस संबंध में प्रयोज्य विधियों की दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि स्वीकृत रूप से, याची ने डी॰ आर॰ टी॰, राँची के समक्ष वसूली अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.5.2008 के आदेश को चुनौती दिया। उक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि के अधीन, अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता है:–

7. अधिनियम की धारा 30 का पठन निम्नलिखित है:–

*30. **olyh vfèkdkjh d vkn'k d fo#) vihy-**&(1) èkkjk 29 e fdlh ckr d gkr g, olyh vfèkdkjh d vkn'k l ihfMr 0;fDr bl vfèkfu;e d micèkk d vèkhu ,l vkn'k dh frfFk l rhl fnu d Hkhrj U;k;kfèkdj.k e vihy dj ldxkA*

(2) mièkkjk (1) d vèkhu vihy dh çkfIr ij U;k;kfèkdj.k vihykFkh dk luokb dk volj nr g, vkj ,lh tkp dju d i'pkr tlk mfpr le>]

*olyh vf/kdkjh d vkn'k dk èkkjk 25 l 28 (nkuk lkFk) e çnÙk vf/k lpuk dk ç;kx djr g, i"V] l'kkfèkr ;k vikLr dj ldxkA**

8. अधिनियम की धारा 30 के सादे पठन पर यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम के अधीन पारित वसूली अधिकारी का कोई आदेश अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपील योग्य होगा। याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का है और इसलिए, उसे अधिनियम की धारा 30 के अधीन किसी नियमित अपील को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि अधिनियम की धारा 22 (2) (h) के अधीन दाखिल उसकी याचिका पोषणीय है, में बल नहीं है। बेहतर अधिमूल्यन के लिए धारा 22 एवं 22 (2) (h) को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*22. **U;k;kf/kdj.k ,o vihyh; U;k;kf/kdj.k dh çfØ;k ,o 'kfDr&**(1) U;k;kf/kdj.k ,o vihyh; U;k;kf/kdj.k flfoy çfØ;k lfgrk] 1908 e micfèkr çfØ;k dk ekuu d fy, ckè; ugh gA fdUr ; ulfxd U;k; d fl)kr ,o vU; vf/kfu;e d micèkk ftu ij ulfxd U;k; dk fl)kr ykx gkrk g ,o tk vU; vf/kfu;e d micèkk d vè;èkhu e fufn"V gkx] ; ml fu;e l fufn"V gkx tk U;k;kf/kdj.k ,o vihyh; U;k;kf/kdj.k d fy, budh 'kfDr;k d fu;=.k e ftle LFkku ,o cBdk dh ckr 'kkfey g] d fo"k; e gA*

(2) U;k;kf/kdj.k vkj vihyh; U;k;kf/kdj.k dk viu&viu Ñr;k d fu"iknukFk vf/kfu;e d vèhu o leku 'kfDr;k çkIr g tk flfoy U;k;ky; dk fl0 ç0 l0 1908 d vèkhu fdlh okn d fopkj.kkFk çkIr g tk e[;r% fuEu ekey e g&

(a) ....

(b) ....

(c) ....

(d) ....

(e) ....

(f) ....

(g) ....

*(h) dkb vU; ekeyk tk fofgr gA**

9. अधिनियम की धारा 22 अधिष्ठायी प्रावधान नहीं है बल्कि यह प्रक्रियात्मक प्रकृति की है जो अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्ति स्पष्ट करती है। धारा 22 (2) (h) मात्र यह विहित करती है कि अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण को अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन से वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी मामले के संबंध में वाद का विचारण करते हुए सिविल न्यायालयों में निहित है जिसे विहित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 22 (2) (h) के प्रावधानों पर विचार करने पर, मेरा दृष्टिकोण है कि याची विशेषत: वसूली अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दाखिली के लिए अधिष्ठायी प्रावधान के अस्तित्व की दृष्टि में डी० आर० टी०, राँची के समक्ष प्रश्नगत आवेदन की दाखिली में अधिनियम की धारा 22 (2) (h) का सहारा लेने में सही नहीं था। परिणामस्वरुप, याची को समुचित शुल्क दाखिल करने की आवश्यकता थी जैसा नियमावली, 1993 के नियम 7 में विहित है। इस प्रकार, मैं विद्वान डी० आर० टी०, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.8.2008 के आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ।

10. यह आगे संप्रेक्षित किया गया है कि यदि याची अध्यपेक्षित न्यायालय फीस दाखिल करता है, वसूली अधिकारी द्वारा दिनांक 28.5.2008 के आदेश के विरुद्ध दाखिल उसका आवेदन डी॰ आर॰ टी॰, राँची द्वारा गुणागुण पर ग्रहण किया जाएगा और याची को सुनवाई का सम्यक अवसर देने के बाद अध्यपेक्षित न्यायालय फीस की दाखिले की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र विनिश्चित करेगी। यदि इस मामले के अभिलेख का डी॰ आर॰ टी॰, राँची में पता नहीं है, इसे याची की मदद से पुनर्निर्मित किया जाएगा।

11. रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

बालमुकुंद लिंडा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S). No. 4430 of 2008. Decided on 14th July, 2017.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–पहले भी तीन अवसरों पर याची को अप्राधिकृत अवकाश पर जाने के लिए आरोपित किया गया था–सेवा से हटाए जाने का दंड सांविधिकतः विहित है–कर्मचारी को यह दर्शाना है कि किस प्रकार सिद्ध किए गए आरोपों के प्रति दंड अननुपातिक था–यह दर्शाने के लिए याची द्वारा कम करने वाली परिस्थिति नहीं प्रस्तुत की गयी है कि किस प्रकार दंड को आघातपूर्ण अथवा अननुपातिक कोटिकृत किया जा सकता था–अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप स्थापित किए गए हैं–भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विचार करते हुए उच्च न्यायालय को दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष की स्थिति में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश होती है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 13)

निर्णयज विधि.–(2014) 12 SCC 106—Distinguished; (1995) 6 SCC 749; (1996) 1 SCC 302; (2001) 2 SCC 386; (2014) 13 SCC 160; (2005) 3 SCC 309—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Bhanu Kumar, Ms. Bharti Kumar, For Petitioner; Mr. Rakesh Kumar Shahi, For Respondents.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 22.9.2004 के मेमो सं॰ 249 में अंतर्विष्ट दिनांक 29.11.2003 के बल आदेश सं॰ 1530/2003 (परिशिष्ट 9) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा वर्तमान याची को उसके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं॰ 7 वर्ष 2003 में बर्खास्त किया गया है और आगे दिनांक 30.5.2008 के मेमो सं॰ 106 में अंतर्विष्ट बल आदेश सं॰ 1110/2008 को अपास्त करने के लिए आगे प्रार्थना की गयी है, जिसके द्वारा याची को सेवा से बर्खास्त किया गया है। आगे, उसकी बर्खास्तगी की तिथि से समस्त पारिणामिक लाभों के साथ याची को पुनर्बहाल करने की प्रार्थना की गयी है।

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

3. याची को जे॰ ए॰ पी॰ 5, देवघर में कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उक्त सशस्त्र बल के कंपनी 'ए॰' के चान्हो ब्लॉक कैम्प में पदस्थापित किया गया था। याची का मामला यह है कि

उसे कंपनी कमांडेंट द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन 12.4.2004 से 22.4.2004 तक 10 दिनों का अवकाश प्रदान किया गया था और उससे अवकाश के समापन पर 23.4.2004 को अपनी सेवा ग्रहण करने की उम्मीद थी। याची का मामला यह है कि वह मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसे मनोचिकित्सक से इलाज करवाना पड़ा था और, इसलिए, वह कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका था। वह 20.4.2001 से 4.3.2003 तक मनोचिकित्सक के इलाज के अधीन बना रहा। चूँकि याची ने अवकाश के समापन पर स्वयं को कर्तव्य पर प्रस्तुत नहीं किया था उसे 23.4.2001 के प्रभाव से निलंबन के अधीन किया गया था और मेमो सं॰ 628 के तहत 8.3.2003 को आरोप पत्र जारी करके याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। याची के विरुद्ध आरोप अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य की अवहेलना और गंभीर अवचार और अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद सेवा ग्रहण नहीं करने के कारण अप्राधिकृत अवकाश का था। आगे यह कथन किया गया है कि याची अपनी मानसिक बीमारी के कारण अपनी सेवा ग्रहण नहीं कर सका था क्योंकि वह राँची मानसिक आरोग्यशाला, काँके में इलाज करवा रहा था।

4. याची का मामला यह है कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सं॰ 7/2003 आरंभ की गयी थी और संचालन अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालन अधिकारी ने जाँच के बाद याची को आरोप का दोषी अभिनिर्धारित किया और संचालन अधिकारी के मत की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने याची को दिनांक 22.1.2004 के मेमो सं॰ 249 में अंतर्विष्ट दिनांक 29.11.2003 के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर, याची ने अपीलीय प्राधिकारी प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष अपील दाखिल किया। अपीलीय प्राधिकारी ने याची के उत्तर पर विचार किए बिना बर्खास्तगी का आदेश अभिपुष्ट किया और दिनांक 30.5.2008 के आदेश के तहत अपील खारिज कर दिया और इसलिए, अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल किया है।

6. सुश्री भारती कुमारी द्वारा सहायित याची के विद्वान अधिवक्ता श्री भानु कुमार निवेदन करते हैं कि जाँच नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्ण उल्लंघन में संचालित किए जाने पर दूषित हो गयी। याची को निलंबन के समय पर निर्वाह भत्ता का भुगतान भी नहीं किया गया था, जो बर्खास्तगी का आदेश अपास्त करने के लिए स्वयं पर्याप्त आधार है क्योंकि इसने याची पर गंभीर रूप से प्रतिकूलता कारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी ने याची के विगत आचरण एवं याची की पूर्व अनुपस्थिति पर विचार किया है जो वर्तमान कार्यवाही में आरोप की मदें नहीं थी और इस दशा में कार्यवाही दूषित हो गयी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि भूतलक्षी प्रभाव से बर्खास्तगी नहीं हो सकती है जो **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं एक अन्य बनाम राम निवास बंसल (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से (2014)12 SCC 106** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार के विरुद्ध है।

7. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने याची के चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अविश्वास किया है जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विश्वास नहीं किया गया है जो पूर्णत: अवैध है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को कहीं भी कूटरचित अथवा मनगढ़ंत के रूप में घोषित नहीं किया गया था। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया था कि बर्खास्तगी का मुख्य दण्ड द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना निर्गत किया गया है और अत्यन्त अननुपातिक है क्योंकि एकमात्र अभिकथन अप्राधिकृत अनुपस्थिति का था और नैतिक अधमता से संबंधित अवचार का अभिकथन नहीं है। इस दशा

में, बर्खास्तगी का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाए, याची को सेवा में समस्त पारिणामिक लाभों के साथ पुनर्बहाल किया जाए।

8. दूसरी ओर, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अनुशासित बल में एक दिन की अनुपस्थिति भी अवचार के तुल्य है। वर्तमान मामले में, याची दो वर्षों से स्वयं अनुपस्थित रहा है और उसकी दृष्टि में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची पर अधिरोपित दंड की मात्रा याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप के अनुकूल है। आक्षेपित आदेश न्यायोचित ठहराते हुए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि बर्खास्तगी का आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है और आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. चाहे जो भी हो, पक्षों के विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सेवा से हटाने का दंड सांविधिकत: विहित है। यह कर्मचारी को दर्शाना है कि किस प्रकार दंड सिद्ध किए गए आरोपों के प्रति अननुपातिक था। यह दर्शाने के लिए याची द्वारा कम करने वाली परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी है कि किस प्रकार दंड आघातपूर्ण अथवा अननुपातिक के रूप में कोटिकृत किया जा सकता था। इसके विपरीत, अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप स्थापित किया गया है। मामलों की श्रृंखला में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दंड में हस्तक्षेप की गुंजाईश अत्यन्त सीमित है और जब तक दंड आघातपूर्ण रूप से अननुपातिक प्रतीत नहीं होता है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। **बी॰ सी॰ चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995)6 SCC 749; उ॰ प्र॰ राज्य बनाम अशोक कुमार सिंह, (1996)1 SCC 302;** और **ओम कुमार बनाम भारत संघ, (2001)2 SCC 386,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में यही निर्णयाधार निकाला गया है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि आदेश भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है और इस दशा में बर्खास्तगी अवैध है, अत: **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं एक अन्य बनाम राम निवास बंसल (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास आधारहीन है। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **बर्खास्तगी का आदेश भूतलक्षी रूप से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है किंतु वह बर्खास्तगी का आदेश अविधिमान्य नहीं बनाएगा और इसका केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा।** याची के विद्वान अधिवक्ता का उक्त प्रतिवाद कि प्रत्यर्थियों ने याची के विगत आचरण और याची की पूर्व अनुपस्थिति को विचार में लिया है जो आरोप की मदें नहीं थी, अवैध है। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिवाद भ्रामक है, क्योंकि आरोपों के कोरे परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि इसे विनिर्दिष्टत: उल्लिखित किया गया है कि तीन पूर्व अवसरों पर भी याची को अप्राधिकृत अवकाश पर जाने के लिए आरोपित किया गया था जो रिट याचिका के परिशिष्ट 5, पृष्ठ 28 से प्रकट है।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद के संबंध में कि चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया गया था और इस निष्कर्ष पर आए बिना कि उक्त प्रमाण पत्र कूटरचित था अथवा प्रतिफल के बदले प्राप्त किया गया था, **एम॰ जी॰ बी॰ ग्रामीण बैंक बनाम छेल सिंह, (2014)13 SCC 160,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधार के तहत अवैध है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया निर्णय भी इस आधार पर सुभिन्न है कि उस मामले में अप्राधिकृत अनुपस्थिति केवल साढ़े दस माह की थी और वर्तमान मामले में अप्राधिकृत अनुपस्थिति दो वर्ष की है। केवल मानसिक बीमारी

के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्षय रोग के आधार पर अवकाश की सूचना नहीं थी और न ही उस सीमा तक का कोई प्रमाण पत्र विभागीय कार्यवाही में अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपने पक्ष में मामला सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत कभी नहीं किया गया था। यद्यपि मानसिक रोग के संबंध में चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर अविश्वास करने का अवसर नहीं था किंतु क्षय रोग के संबंध में किसी प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में और क्षय रोग के इलाज के लिए अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि की दृष्टि में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, उनका निवेदन सुआधारित नहीं है और विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया निर्णय उनके बचाव में नहीं आता है। जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया है कि याची की अनुपस्थिति जानबूझ कर थी।

12. इस तथ्य की दृष्टि में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विचार करते हुए इस न्यायालय को दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष के मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है और इस दशा में न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश अत्यन्त सीमित है और जब तक दंड आघातपूर्ण रूप से अननुपातिक प्रतीत नहीं होता है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जैसा **मिथिलेश सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2005)3 SCC 309,** में अभिनिर्धारित किया गया है।

13. परिणामस्वरुप, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

सोमे सोरेन एवं अन्य (78 में)

कृष्ण नंदन एवं एक अन्य (263 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr.M.P. No. 78 of 2016. Decided on 14th July, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग, छल, कूटरचना एवं षड्यंत्र–संज्ञान–समस्त गवाहों ने परिवाद याचिका में किए गए प्रकथनों का समर्थन किया है–अवर न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120B के अधीन संज्ञान लिया–यह अभिकथित किया गया है कि एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र करने के बाद अभियुक्तों ने विक्रय विलेख में परिवादी और उसके भाई का हस्ताक्षर कूटरचित किया–विक्रय विलेख कूटरचित अथवा मनगढ़ंत दस्तावेज नहीं हो सकता है किंतु विक्रय विलेख में हस्ताक्षर अभियुक्तों के लाभ के लिए कूटरचित किया गया अभिकथित किया गया है और इसे दांडिक षड्यंत्र में किया गया है–अभिकथन निश्चय ही दांडिक अपराध बनाते हैं–हस्ताक्षर कूटरचित करना अथवा व्यक्ति का प्रतिरुपण कर हस्ताक्षर करना विचारण किया जाने वाला विषय है–यह अभिकथन दांडिक अपराध गठित करता है–जब दांडिक अपराध बनता है, संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित नहीं किया जा सकता है–याचिकाएं खारिज की गयीं। (पैराएँ 4, 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2009) 8 SCC 751; (1998) 7 SCC 698; (2008) 5 SCC 668—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Amit Kumar Das, C. Mukherjee and P.A.S Pati, For the Petitioners; M/s Sanjay Kr. Pandey-2 and Abhinesh Kumar, For the State; M/s Ashutosh Mishra and Sharvan Kumar, For Opp. Party No. 2.

आदेश

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन दाखिल इन दोनों याचिकाओं में याचीगण ने दिनांक 7.12.2015 के संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, जमशेदपुर ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 420, 467, 468, 420, 471 एवं 120B के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया है और अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए समन जारी किया है।

2. ये दोनों मामले एक ही परिवाद एवं एक ही आदेश से उद्‌भूत हुए हैं जिसके द्वारा दोनों मामलों के सी॰/1 1791 वर्ष 2015 में अभियुक्तों के रूप में दर्शाए गए अभियुक्तों और याचीगण दोनों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है और उनके विरुद्ध समन जारी किया गया है और इसलिए, इन दोनों याचिकाओं को साथ सुना जा रहा है।

3. परिवादी (विरोधी पक्षकार सं॰ 2) ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष परिवाद याचिका उसमें यह अभिकथित करते हुए दाखिल किया कि परिवादी के पूर्वजों के संयुक्त नाम में दर्ज खाता सं॰ 106 के अधीन अनेक भूखंडों का बँटवारा माप एवं सीमांकन द्वारा नहीं किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि 28.3.2015 को परिवादी को समाचार पत्र रिपोर्टों से जानकारी हुई कि अभियुक्त सं॰ 1, 2 एवं 3 ने उक्त भूमि टाटा स्टील लिमिटेड के पक्ष में बेच दिया जिसे कंपनी द्वारा अभियुक्त सं॰ 4 के माध्यम से खरीदा गया था। पूछताछ पर, वह जान सका था कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था और भूमि, 1,45,40,400/-रुपया के कुल प्रतिफल के लिए अंतरित की गयी थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि विक्रय विलेख से परिवादी (विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को जानकारी हुई थी कि उसका हस्ताक्षर कूटरचित किया गया था और उसे गवाह के रूप में विक्रय विलेख में दर्शाया गया था यद्यपि वह विक्रय विलेख का गवाह कभी नहीं था और परिवादी का तात्पर्यित हस्ताक्षर अभियुक्तों द्वारा अथवा उनकी प्रेरणा पर कूटरचित किया गया था।

4. परिवाद दाखिल किए जाने के बाद, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परीक्षण किया गया था और तत्पश्चात तीन जाँच गवाहों का परीक्षण भी किया गया था। समस्त गवाहों ने परिवाद याचिका में किए गए कथनों का समर्थन किया है। तत्पश्चात, अवर न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120B के अधीन संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 7.12.2015 के आदेश के तहत समन जारी किया गया था। दिनांक 7.12.2015 के संज्ञान लेने वाले आदेश तथा अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए याचीगण द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन इन दो याचिकाओं को दाखिल किया है।

5. दांडिक विविध याचिका सं॰ 78 वर्ष 2016 के याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) के संबंधी हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि दांडिक अपराध नहीं बनता है क्योंकि याचीगण के विरुद्ध किया गया महत्तम अभिकथन यह है कि उन्होंने अविभाजित संपत्ति बेचा है। वह यह निवेदन भी करते हैं कि अभिकथन नहीं है कि विक्रय विलेख कूटरचित है और ऐसा होने के नाते अवर न्यायालय को उक्त अपराध का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। वह यह निवेदन भी करते हैं कि संव्यवहार में विवाद संज्ञान लेने का आधार नहीं हो सकता है और दांडिक मामला नहीं

हो सकता है जब दस्तावेजों की वास्तविकता विवादित नहीं है। यह भी कहा गया है कि सह-अंशधारकों के बीच विवाद है तथा इस प्रकार, संज्ञान लेने वाला आदेश पूरी तरह से अवैध तथा दोषपूर्ण है। यह निवेदन भी किया गया है कि उक्त भूमि बेचने के पहले उपायुक्त से अनुमति ली गयी थी और अनुमति प्राप्त करने के बाद भूमि बेची गयी थी, इस प्रकार विवाद की कोई गुँजाइश नहीं थी। अंत में वह निवेदन करते हैं कि द्वेषपूर्ण आशय से वर्तमान परिवाद दाखिल किया गया है।

6. दांडिक विविध याचिका सं॰ 263 वर्ष 2016 में याचीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ये याचीगण टाटा स्टील लिमिटेड के पदधारी हैं और इन याचीगण के माध्यम से भूमि खरीदी गयी थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि उन्होंने सद्भावपूर्वक जमीन खरीदा और आपसी विवाद सह-अंशधारियों के बीच है जो वर्तमान परिवाद याचिका दाखिल करने का आधार नहीं हो सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम के अधीन समुचित अनुमति लेने के बाद भूमि खरीदी गयी थी। दोनों याचिकाओं में याचीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता **मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 751; अशोक चतुर्वेदी एवं अन्य बनाम शितुल एच॰ चनचनी एवं एक अन्य, (1998)7 SCC 698 एवं मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2008)5 SCC 668** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया है।

7. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह मात्र सह-अंशधारियों के बीच भूमि विवाद का मामला नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि मामला प्रतिरुपण और हस्ताक्षर कूटरचित करने का है जो दांडिक अपराध है। परिवाद याचिका के कोरे परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अपराध बनता है और इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार से संज्ञान लिया है और याचीगण के विरुद्ध समन जारी किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि किसी संव्यवहार में सिविल एवं दांडिक पहलू होते हैं। आपराधिकता पर न्यायालय द्वारा दांडिक विधि के निबंधनानुसार विचार करना होगा और इस प्रकार अवर न्यायालय ने सही प्रकार से संज्ञान लिया है और अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी किया है।

8. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और ऊपर निर्दिष्ट अभिलेखों एवं निर्णयों का परिशीलन किया है।

9. अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि भूमि जो संयुक्त कब्जा में है विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) के सह-अंशधारियों द्वारा बेची गयी थी। यदि अभिकथन केवल उस सीमा तक सीमित था, केवल तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट निर्णय के मुताबिक दांडिक अपराध नहीं बनता। किन्तु यहाँ यह मामला नहीं है। इस मामले में, परिवाद में किये गये अभिकथन दूर तक जाते हैं। यह अभिकथित किया गया है कि एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र करने के बाद अभियुक्तों ने विक्रय विलेख में परिवादी का और उसके भाई का हस्ताक्षर कूटरचित किया। इसका अर्थ है कि विक्रय-विलेख में परिवादी एवं उसके भाई का हस्ताक्षर उनका वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है और परिवादी एवं उसके भाई का प्रतिरुपण करते हुए अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। सारत: विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) तथा उसके भाई के हस्ताक्षर कूटरचित हैं। दस्तावेज अर्थात् विक्रय विलेख कूटरचित अथवा मनगढ़ंत दस्तावेज नहीं हो सकता है किंतु विक्रय विलेख में हस्ताक्षर अभियुक्तों के लाभ के लिए कूटरचित किया गया अभिकथित किया गया है और इसे दांडिक षड्यंत्र में किया गया है। यह अभिकथन निश्चय ही दांडिक अपराध बनाता है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करके हस्ताक्षर कूटरचित करना अथवा हस्ताक्षर करना

विचारण किया जाने वाला अपराध है। यह अभिकथन दांडिक अपराध गठित करता है। जब दांडिक अपराध बनता है, संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

10. इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्य से जब विक्रय विलेख में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 (परिवादी) एवं उसके भाई का हस्ताक्षर कूटरचित किया गया है, मैं पाता हूँ कि दोनों याचिकाओं के याचीगण के अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट निर्णय उनकी मदद नहीं करेगा। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि परिवाद याचिका का विचारण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अपने बीच षड्यंत्र करने के बाद कूटरचना का अभिकथन है।

11. परिणामस्वरुप, मैं इन दोनों याचिकाओं में गुणागुण नहीं पाता हूँ। इन्हें खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

सुरेश कुमार वर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5624 of 2014. Decided on 14th July, 2017.

सेवा विधि–वेतन–सेवा समाप्ति–कूटरचित नियुक्ति–सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा, याची को काम से वंचित किया गया था क्योंकि यह कथन किया गया था कि याची से काम नहीं लिया जाएगा–तद्नुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची स्वयं आदेश पारित किए जाने के बाद काम नहीं करने के लिए जिम्मेदार था–याची उसके समस्त पारिणामिक लाभों के साथ प्रश्नगत अवधि के लिए अपना वेतन पाने का हकदार है। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Kumar Singh, For the Petitioner; JC to G.P.-II, For the Respondent.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को वर्ष 1985 में जीप चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, अन्य के साथ याची की सेवा 18.10.1986 को समाप्त कर दी गयी थी। पटना उच्च न्यायालय की तत्कालीन राँची न्यायपीठ द्वारा सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 322 वर्ष 1986 (R) में दिनांक 25.8.1987 के आदेश द्वारा उक्त आदेश अपास्त कर दिया गया था जिसे रिट आवेदन के परिशिष्ट–3 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। तत्पश्चात याची को सेवा में पुनर्बहाल किया गया था और वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। बाद में याची तथा अन्य समस्थित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 4 सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोडरमा द्वारा दिनांक 16.3.2005 के मेमो सं॰ 257 में अंतर्विष्ट आदेश अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए जारी किया गया था कि कमिटी जिसने याची एवं अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया ने उनकी नियुक्ति कूटरचित पाया था और तद्नुसार वेतन का भुगतान रोका गया था और यह निर्देश दिया गया था कि याची एवं अन्य समस्थित उम्मीदवारों से काम नहीं लिया जाएगा। उक्त आदेश रिट आवेदन के परिशिष्ट–6 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। उक्त आदेश को याची द्वारा डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1015 वर्ष 2006 में चुनौती दी गयी थी। यह कथन किया

जा सकता है कि इस बीच रिट आवेदन के परिशिष्ट–6 में अंतर्विष्ट दिनांक 16.3.2005 के आदेश का प्रवर्तन स्थगित किया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि इन कर्मचारियों जो वस्तुत: कार्यरत थे को वेतन का भुगतान किया जाएगा। दिनांक 3.8.2005 के मेमो सं॰ 893 में यथा अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 4, सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोडरमा द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया था जिसे रिट आवेदन के परिशिष्ट 8 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

3. याची का मामला यह है कि इस आदेश को याची पर तामील कभी नहीं किया गया था और न ही याची को इससे अवगत कराया गया था। याची का दावा इस तथ्य से बल पाता है कि डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1015 वर्ष 2005 जिसे याची द्वारा परिशिष्ट 6 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 16.3.2005 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया था, दिनांक 12.7.2006 के आदेश द्वारा निपटाया गया था और उक्त आदेश के परिशीलन से यह प्रकट है कि परिशिष्ट 8 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 3.8.2005 का आदेश इस न्यायालय की जानकारी में भी नहीं लाया गया था और तद्नुसार इस न्यायालय ने रिट याचिका निपटाते हुए दिनांक 12.7.2006 के आदेश द्वारा दिनांक 16.3.2005 का आदेश (रिट आवेदन का परिशिष्ट 6) अभिखंडित कर दिया है। तद्नुसार, प्रत्यर्थियों को उस अवधि जिसके लिए उसने वस्तुत: काम किया था के लिए याची के स्वीकृत वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। चूँकि याची को भुगतान नहीं किया गया है, याची ने अवमान मामला (सिविल) सं॰ 267 वर्ष 2007 दाखिल किया, किंतु इस बीच याची को कुछ भुगतान किया गया था और इस न्यायालय ने दिनांक 12.2.2009 के आदेश द्वारा यह कथन करते हुए अवमान मामला खारिज कर दिया था कि संप्रेक्षण किया गया था कि वेतन का भुगतान केवल उस अवधि जिसके लिए याची ने वस्तुत: काम किया था के लिए किया जाएगा।

4. इस तथ्य से व्यथित होकर, याची ने यह रिट आवेदन दाखिल किया है कि याची को 5.4.2005 से 5.1.2007 की अवधि के लिए उसके वेतन से वंचित किया गया है और पारिणामिक लाभ भी नहीं दिया गया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची को काम करने से प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 16.3.2005 के आदेश द्वारा रोका गया था और केवल तब जब उक्त आदेश के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल रिट आवेदन उक्त आदेश अभिखंडित करने के बाद निपटाया गया था, याची को सेवा ग्रहण करने की अनुमति दी गयी थी और याची को कुछ भुगतान किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 3.8.2005 का आदेश जिसके द्वारा उनके द्वारा पारित दिनांक 16.3.2005 का पूर्व आदेश स्थगित किया गया था, जिससे याची को अवगत कभी नहीं कराया गया था और न ही डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1015 वर्ष 2006 में इस न्यायालय की जानकारी में लाया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची 5.4.2005 से 5.4.2005 से 5.1.2007 की अवधि जिस अवधि के दौरान उसे अवैध रूप से बाहर रखा गया था और अवैध रूप से उसे उसके वेतन से वंचित किया गया है के लिए अपना वेतन पाने का हकदार है।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र से यह भी इंगित किया गया है कि याची को वह अवधि जिसके दौरान उसने काम किया था के लिए उसके वेतन का भुगतान किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1015 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 12.7.2006 के आदेश (परिशिष्ट 7) की ओर यह दर्शाने के लिए आकृष्ट किया है उस अवधि जिसके लिए याची ने वस्तुत: काम किया था के लिए वेतन का भुगतान करने का इस न्यायालय का निर्देश था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को उसके द्वारा वस्तुत: काम किए गए अवधि के लिए उसके वेतन का भुगतान किया गया है और इस न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 में यथा अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 16.3.2005 के आदेश

द्वारा याची को काम करने से वंचित किया गया था क्योंकि यह कथन किया गया था कि याची से काम नहीं लिया जाएगा और तद्नुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वयं याची दिनांक 16.3.2005 का आदेश पारित किए जाने के बाद काम नहीं करने के लिए जिम्मेदार था। यद्यपि रिट आवेदन के परिशिष्ट 8 में अंतर्विष्ट आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा इस आदेश का प्रवर्तन स्थगित कर दिया गया था, किंतु मैं याची के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में बल पाता हूँ कि इस आदेश से उसको अवगत कभी नहीं कराया गया था। डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1015 वर्ष 2006 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.7.2006 का आदेश भी दर्शाता है कि यह इस न्यायालय की जानकारी में कभी नहीं लाया गया था जिसने इस न्यायालय को दिनांक 16.3.2005 का आदेश अभिखंडित करने के लिए मजबूर किया था। केवल तत्पश्चात याची को अपनी सेवा ग्रहण करने की अनुमति दी गयी थी और तद्नुसार, याची को इस बीच काम नहीं करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का दृष्टिकोण कि याची ने वस्तुत: काम नहीं किया था, वह अपने वेतन का हकदार नहीं है, आधारहीन है। इस मामले के तथ्यों में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची उसके समस्त पारिणामिक लाभों के साथ 5.4.2005 से 5.1.2007 के अवधि के लिए अपना वेतन पाने का पूरा हकदार है।

8. पूर्वोक्त चर्चा से यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और प्रत्यर्थी राज्य को 5.4.2005 से 5.1.2007 की अवधि को याची द्वारा कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में समस्त व्यवहारिक प्रयोजन से मानने और वेतन तथा समस्त पारिणामिक लाभों का उक्त अवधि की गणना कर्तव्य के रूप में करते हुए याची को ए॰ सी॰ पी॰ के लाभ सहित भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थी राज्य को इस आदेश की प्रति की संसूचना/प्राप्ति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप में इस आदेश को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया जाता है।

9. तद्नुसार, पूर्वोक्त निर्देशानुसार यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

राहुल आनन्द

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(Cr.) No. 284 of 2015. Decided on 6th April, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 494—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 320—क्रूरता एवं द्विविवाह–दांडिक मामले से उन्मोचन इप्सित करने वाले आवेदन का अस्वीकरण–पक्षों के बीच मामला अंतत: सुलझा लिया गया है जिसके अनुसरण में उनके बीच करार हुआ है और याची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को 1,50,000/- रुपयों की एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर सहमति हुई है और प्रत्यर्थी सं॰ 2 बदले में दांडिक मामला वापस लेने के लिए कदम उठाएगी–चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 दांडिक कार्यवाही के साथ आगे अग्रसर होने का आशय नहीं रखती है, दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Akshay Kumar Mahato, For the Petitioner; J.C. to State Counsel, For the State; Mr. Ashish Priyadarshi, For the Respondent 2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार महतो और प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष प्रियदर्शी सुने गए।

2. यह आवेदन दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 6 वर्ष 2015 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 30.3.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन जी॰ आर॰ केस सं॰ 628 वर्ष 2014 (कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 48 वर्ष 2014) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित याची द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज करते हुए दिनांक 21.11.2014 का आदेश संपुष्ट किया गया है।

3. प्राथमिकी संस्थित की गयी थी जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि 5.8.2008 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 का विवाह याची के साथ हुआ था। विवाह संपन्न होने के बाद दहेज की मांग की गयी थी और इसे पूरा नहीं किए जाने के कारण अभियुक्तों द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को यातना दी जाती थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि याची ने 15.2.2014 को दूसरा विवाह किया। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 498A, 504, 494 एवं 34 के अधीन कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 48 वर्ष 2014 दर्ज किया गया था।

4. आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A एवं 494 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया था और याची द्वारा उन्मोचन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा अस्वीकार किया गया था जिसके विरुद्ध याची ने पुनरीक्षण दाखिल किया था जिसे भी विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा 30.3.2015 को अस्वीकार किया गया था।

5. आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि पक्षों के बीच मामले में सुलह हो गयी है जिसके लिए संयुक्त सुलह याचिका भी दाखिल की गयी है। यह निवेदन भी किया गया है कि दिनांक 17.3.2017 का करार किया गया है और उक्त सुलह के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं॰ 2 को 1,50,000/- रुपयों की एकमुश्त राशि का भुगतान करने की सहमति हुई है और बदले में प्रत्यर्थी सं॰ 2 दांडिक मामला वापस लेने के लिए समस्त कदम उठाएगी।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सुलह का तथ्य स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पहले ही 1,50,000/- रुपयों की राशि प्राप्त की गयी है और इसलिए उसे याची के विरुद्ध शिकायत नहीं है यदि कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 48 वर्ष 2014 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित और अपास्त कर दी जाती है।

7. यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच मामला अंतत: सुलझा लिया गया है जिसके अनुसरण में उनके बीच दिनांक 17.3.2017 का करार हुआ है और याची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को 1,50,000/- रुपयों की एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर सहमति हुई है और बदले में प्रत्यर्थी सं॰ 2 दांडिक मामले की वापसी के लिए कदम उठाएगी। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आशंका दर्शायी गयी है कि चूँकि धारा 498A एक गैर शमनीय अपराध है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि सुलह हो जाने की दृष्टि में आक्षेपित आदेश अभिखंडित करते हुए समुचित आदेश पारित किया जाय।

8. चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं याची के बीच सुलह हो गया है जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है और यह निवेदन किया गया है कि यथा सहमत 1,50,000/- रुपयों की एकमुश्त राशि प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने प्राप्त कर लिया है और चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 दांडिक कार्यवाही आगे जारी रखना नहीं चाहती है, दांडिक कार्यवाही जारी रखना निरर्थक कार्य होगा।

9. ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 6 वर्ष 2015 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 30.3.2015 के आदेश सहित याची द्वारा दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज करते हुए जी॰ आर॰ केस सं॰ 628 वर्ष 2014 (कदमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 48 वर्ष 2014) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 21.11.2014 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

बैजू कुमार सोनी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal No.887 of 2009. Decided on 14th July, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 238 वर्ष 2006 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.4.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.4.2009 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 364A, 302 एवं 201/34—बालिका का अपहरण एवं हत्या तथा साक्ष्य छुपाया जाना—अभियुक्त का इकबालिया बयान अभियुक्त के घर से मृतक लड़की के स्कार्फ की बरामदगी की ओर ले गया—घर जहाँ बालिका को अभिकथित रूप से रखा गया था के निकट से चॉकलेट के रैपरों एवं ब्रेड की बरामदगी यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त कड़ी है कि बालिका वहाँ रखी थी, किंतु अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर मृतका के स्कार्फ की बरामदगी और ड्राइंग बुक जिसके पन्नों का उपयोग धमकी भरे पत्रों को लिखने के लिए किया गया था की बरामदगी और उसी ड्राइंग बुक के फटे पन्नों पर लिखे गए धमकी भरे पत्रों की बरामदगी अभियोजन मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इन अपीलार्थियों द्वारा मृतका लड़की का अपहरण किया गया था—अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थियों ने बालिका का अपहरण किया था और उसकी हत्या की थी और बैग में छुपाए गए मृत शरीर को फेंक दिया था—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट—अपील खारिज। (पैराएँ 20 से 22)

अधिवक्तागण.—M/s Arwind Kumar, Pankaj Kumar Dubey, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Srivastava, For the State.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ सं॰ 238 वर्ष 2006 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.4.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.4.2009 के दंडादेश से व्यथित

हैं जिसके द्वारा इन दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 302, 201/34 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है और दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को 10 वर्षों का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। किन्तु, भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियोजन मामले के अनुसार, मामला लगभग 3½ वर्षीया बालिका के अपहरण एवं हत्या से संबंधित है जो अपने घर के सामने खेलते हुए 8.1.2006 को गायब हो गयी। गायब बालिका के बारे में लिखित सूचना उसके पिता अर्थात् अनिल प्रसाद सोनी द्वारा 13.1.2006 को भुरकुंडा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष दी गयी थी जिसमें यह कथन किया गया था कि उसकी लगभग 3½ वर्षीया पुत्री मुस्कान घर के बाहर 8.1.2006 को खेल रही थी जब वह लापता हो गयी। 9.1.2006 को, बालिका के गायब होने के बारे में रिपोर्ट पुलिस थाना में की गयी थी जिसके आधार पर सनहा प्रविष्टि सं॰ 142 वर्ष 2006 की गयी थी। सूचक ने 8 एवं 9 जनवरी, 2006 को अपनी पुत्री का तलाश किया और उसने लाउडस्पीकर पर उसके लापता होने के बारे में घोषणा भी किया था किंतु उसकी पुत्री का पता नहीं लगाया जा सका था। दिनांक 11.1.2006 को, अपराह्न लगभग 12.36 बजे रामगढ़ एस॰ टी॰ डी॰ बूथ से अपने मोबाइल फोन पर उसने कॉल पाया, जिससे एक अज्ञात व्यक्ति ने उसको धमकी दिया कि उसका भाई चालाक बन रहा था जिसके लिए सूचक को कीमत देना होगा। कॉलर ने कथन किया कि उसकी पुत्री शाम तक उसके पास पहुँच जाएगी, किंतु उसने उसको प्रशासन को सूचित नहीं करने के लिए कहा। पुनः 12.1.2006 को, अपराह्न लगभग 1.35 बजे एस॰ टी॰ डी॰ बूथ से कॉल किया गया था किंतु यह मिस्ट कॉल था। तत्पश्चात उदय सोनी जो सूचक का भाई है के मोबाइल फोन पर एक अन्य कॉल पाया गया था और कॉलर ने उसके भाई को धमकी दिया और कथन किया कि उसने उसकी भतीजी का अपहरण किया था। जब उनसे तथ्य का प्रमाण मांगा गया था कि बालिका उनकी कैद में थी, कॉलर ने उनको सूचित किया कि वे अपने घर के निकट मंदिर की छत पर प्रमाण पाएँगे। तत्पश्चात, सूचक एवं उसका भाई मंदिर गए और एक पॉली बैग पाया जिसमें बालिका का फटा वस्त्र तथा चप्पल पाया गया था। बैग में धमकी भरा पत्र भी पाया गया था। सूचक और उसके भाई कॉलर का इंतजार करते रहे, किंतु न तो कॉलर आया और न ही सूचक की पुत्री वापस आयी। सूचक ने पूर्वोक्त तथ्यों का कथन करते हुए लिखित कथन दिया और संदेह किया कि उसके पड़ोसी अशोक ने शायद कुछ दुश्मनी के कारण अपराध किया होगा। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पतरातू (भुरकुंडा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 11 वर्ष 2006, जी॰ आर॰ सं॰ 138 वर्ष 2006 के तत्सम, उक्त अशोक एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364 एवं 365 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था। बाद में, मृतका बालिका का मृत शरीर डैम में पाया गया था और तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 302 एवं 201 भी जोड़ी गयी थीं।

4. अन्वेषण के क्रम के दौरान, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी बैजू कुमार सोनी को गिरफ्तार किया जिसने अपना दोष संस्वीकार किया और उसके इकबालिया बयान के आधार पर अपीलार्थी जुग्नु करमाली के घर से मृतक बालिका का स्कार्फ बरामद किया गया था। अभियुक्त बैजू कुमार सोनी के इकबालिया बयान के आधार पर उसके घर से एक ड्राइंग कॉपी भी बरामद की गयी थी जिस पर उसका नाम लिखा था क्योंकि यह संस्वीकार किया गया था कि उक्त ड्राइंग बुक से पन्ना फाड़कर

धमकी भरे पत्रों को लिखा गया था। एक क्वार्टर के नजदीक से, जहाँ बालिका को अभिकथित रूप से रखा गया था, फाइव स्टार चॉकलेट के रैपरों एवं ब्रेड को भी उक्त इकबालिया बयान के आधार पर बरामद किया गया था। तद्नुसार, अन्वेषण पूरा करने पर पुलिस ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

5. इस स्थान पर यह कथन किया जा सकता है कि अज्ञात बालिका का मृत शरीर रेक्सिन बैग में खेलारी पुलिस थाना के अधीन अवस्थित डैम से 18.1.2006 को बरामद किया गया था जिसके लिए अज्ञात के विरुद्ध खेलारी पी॰ एस॰ केस सं॰ 10 वर्ष 2006 संस्थित किया गया था। बाद में मृतका के माता–पिता द्वारा गायब बालिका मुस्कान के मृत शरीर के रूप में पहचाना गया था।

6. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A/34, 302/34 एवं 201/34 के अधीन अपराधों के लिए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने मामले में 13 गवाहों का परीक्षण किया है, किंतु अभियुक्तों के विरुद्ध केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

7. अ॰ सा॰ 10 अनिल प्रसाद सोनी सूचक और मृतका बालिका का पिता है। इस गवाह ने कथन किया है कि 8.1.2006 को उसकी 3-3½ वर्षीय मुस्कान घर के बाहर खेलने गयी थी और लापता हो गयी। चूँकि यह बाजार का दिन था, इस धारणा के अधीन लड़की की तलाश की गयी थी कि वह शायद खो गयी होगी। बालिका का पता नहीं लगाया जा सका था। तत्पश्चात, लाउडस्पीकर्स के माध्यम से घोषणा भी की गयी थी और 9.1.2006 को लड़की के गायब होने के बारे में रिपोर्ट पुलिस थाना को दी गयी थी तथा तलाश जारी रही थी किंतु बालिका का पता नहीं लगाया जा सका था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने 11.1.2006 को अपराह्न लगभग 12.36 बजे उसके मोबाइल पर उसको कॉल किया और प्रशासन को सूचित नहीं करने के लिए कहा और उसने सूचित किया कि उसकी पुत्री मुस्कान उसके साथ थी। उसने कहा कि उसका भाई काफी चालाक बन रहा था, उसकी पुत्री तो शाम तक उसके पास पहुँच जाएगी किंतु उसके भाई को उसके लिए कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कॉलर के आने की प्रतीक्षा की किंतु 12.1.2006 को अपराह्न लगभग 1.35 बजे पुनः उसी व्यक्ति ने मिस्ड कॉल दिया और तत्पश्चात पुनः उसने असके भाई उदय कुमार सोनी के फोन पर कॉल किया और उसको धमकी दिया और सूचित किया कि कॉलर द्वारा उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। इसका प्रमाण मांगे जाने पर कॉलर ने सूचित किया कि प्रमाण उसके घर के निकट मंदिर की छत पर पाया जा सकता था। तत्पश्चात्, वे मंदिर गए और उन्होंने पॉलीथीन बैग पाया, जिसमें उसकी पुत्री का एक लाल टॉप और चप्पल पाया गया था। बैग में धमकी भरा पत्र भी पाया गया था। तत्पश्चात 13.1.2006 को पुलिस थाना को लिखित सूचना दी गयी थी और उन वस्तुओं को प्रस्तुत किया गया था। सूचक ने लिखित रिपोर्ट को किसी गिरीश मिश्रा के हस्तलेखन के रूप में पहचाना है जिसे सूचक द्वारा लिखवाए जाने पर लिखा गया था और उसने उस पर अपना हस्ताक्षर भी किया। उसने लिखित रिपोर्ट पहचाना है, जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि पुलिस थाना में प्रस्तुत वस्तुओं (वस्त्र, चप्पल एवं पत्र) के बारे में कागज तैयार किया गया था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था। उसकी पहचान पर, प्रस्तुती–सह–अभिग्रहण सूची पर उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1/11 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि 18.1.2006 को रात में लगभग 10-11 बजे भुरकुंडा पुलिस थाना से पुलिस अधिकारी ने सूचित किया कि खेलारी पुलिस थाना के अधीन बालिका का मृत शरीर पाया गया था। वे 19.1.2006 को सुबह खेलारी गए और पुलिस थाना में मृत शरीर देखा जो उसकी पुत्री का मृत शरीर था। वहाँ एक

रेक्सिन बैग भी था और यह सूचित किया गया था कि मृत शरीर उस बैग में पाया गया था। वह पुलिस थाना से मृत शरीर लाया और दाह संस्कार किया। गवाह ने कथन किया है कि इस बीच वह धमकी देने वाले और दो लाख रुपयों की फिरौती मांगने वाले कॉलों को पाया करता था। धमकी भरे पत्र भी पाए जाते थे। धमकी भरे पत्रों तथा एस॰ टी॰ डी॰ बूथ की रसीदों को भी 24.2.2006 को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और गवाहों की उपस्थिति में प्रस्तुती-सह-अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, जिस पर इस गवाह ने अपना हस्ताक्षर भी किया था और उसने इसे पहचाना था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि 22.3.2002 को वह अपनी पत्नी के साथ टी॰ आई॰ पी॰ में भाग लेने के लिए पतरातू प्रखंड बुलाया गया था और उन्होंने अपनी पुत्री का स्कार्फ पहचाना जिसे अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर बरामद किया गया था। इस गवाह ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण के क्रम में, इस गवाह ने कथन किया है कि दोनों अभियुक्त उसी महल्ला के निवासी हैं। उसने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसकी इन अभियुक्तों के साथ घटना के पहले दुश्मनी नहीं थी और उसने घटना नहीं देखा था। उसने कथन किया है कि उसने अपने पुत्री का मृत शरीर उसके चेहरे एवं वस्त्रों से पहचाना था।

8. अ॰ सा॰ 4 उदय प्रसाद सोनी सूचक का भाई है जिसने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि उसकी भतीजी 8.1.2006 को गायब हो गयी थी और उसकी हत्या की गयी थी। उसने अपने और अपने भाई द्वारा पाए गए फोन कॉल्स के बारे में भी कथन किया है और उसके भाई ने लड़की की तलाश करने का प्रयास करने के बारे में भी कथन किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि 12.1.2006 को उसने अपने मोबाइल पर कॉल पाया, जिसमें उसे धमकी दी गयी थी और उसे सूचित किया गया था कि उसकी भतीजी का अपहरण कर लिया गया था। जब इस गवाह ने उसके प्रमाण के बारे में पूछा, कॉलर ने सूचित किया कि वे अपने घर के निकट के मंदिर में प्रमाण पाएगा। उसे पुलिस को नहीं सूचित करने की धमकी दी गयी थी। तत्पश्चात्, वे मंदिर गये और एक पॉलीथीन बैग पाया, जिसमें उसकी भतीजी का एक वस्त्र तथा चप्पल था और एक धमकी भरा पत्र भी था और इन सबों को पुलिस को सौंपा गया था। एक पुलिस अधिकारी 18.1.2006 को आया और सूचित किया कि बालिका का मृत शरीर खेलारी में पाया गया था और अगली सुबह यह गवाह अपने भाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेलारी गया और अपनी भतीजी का मृत शरीर पहचाना। वे मृत शरीर लाए और दाह संस्कार किया। इस गवाह ने भी न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है।

9. अ॰ सा॰ 6 रागिनी देवी मृतका की माता है और उसने भी उक्त कथित अभियोजन मामले का समर्थन किया है। उसने भी अपनी पुत्री का मृत शरीर देखा था और उसको पहचाना था। उसने टी॰ आई॰ पी॰ में अपनी पुत्री का स्कार्फ भी पहचाना था, जिसे अभियुक्त के घर से बरामद किया गया था। उसने भी न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि दोनों अभियुक्त एक ही मुहल्ला के थे और उन्हें उन पर संदेह नहीं था क्योंकि उनके बीच संबंध बुरे नहीं थे।

10. अ॰ सा॰ 1 अशोक कुमार सूचक का दोस्त है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और उसने भी पीड़िता के गायब होने के बाद उसकी तलाश के प्रयास के बारे में कथन किया है। सूचक के भाई द्वारा फोन कॉल पाने के बाद इस गवाह ने भी मंदिर में वस्त्र, चप्पल एवं धमकी भरे पत्र की बरामदगी के बारे में कथन किया है और कथन किया है कि इन सभी चीजों को 13.1.2006 को पुलिस

के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिस पर इस गवाह ने भी हस्ताक्षर किया था। यह गवाह बैग से संबंधित 24.2.2006 तथा 19.1.2006 को पुलिस द्वारा तैयार की गयी अन्य अभिग्रहण सूचियों का गवाह भी है जिसमें मृत शरीर पाया गया था और उसकी पहचान पर उसका हस्ताक्षर अभिग्रहण सूची पर प्रदर्श 1 श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया था। वह मृत शरीर के पहचान के समय पर उपस्थित था और उसने मृत शरीर के बारे में दस्तावेज तैयार किए जाने के बारे में कथन किया है जिस पर भी उसने हस्ताक्षर किया था। इस गवाह ने एस॰ टी॰ डी॰ बूथ बिलों और धमकी भरे पत्रों को पहचाना है जिन्हें पाया गया था और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिन्हें, क्रमशः तात्विक प्रदर्श 1 एवं II के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने भी न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। अ॰ सा॰ 2 झुनु दूबे एवं अ॰ सा॰ 3 राजेश भी अभिग्रहण सूची के गवाह हैं।

11. अ॰ सा॰ 5 उत्तम कुमार खरबर है, जिसने कथन किया है कि सूचक की पुत्री 8.1.2006 को गायब हो गयी थी और तलाश के बाद भी उसका पता नहीं लगाया जा सका था। उसने कथन किया है कि 9.1.2006 को वह भुरकुंडा से ट्रेन पर जा रहा था, जब उसने दोनों अभियुक्तों बैजू और जुगनू को रेक्सिन बैग के साथ देखा था और वे खेलारी में उतरे थे। उसने कथन किया है कि यह वही बैग है जिसे खेलारी पुलिस द्वारा मृत शरीर के साथ बरामद किया गया था।

12. अ॰ सा॰ 7 विकास कुमार एस॰ टी॰ डी॰ बूथ स्वामी है। उसने दो टेलीफोन बिलों को पहचाना है जिन्हें उसके एस॰ टी॰ डी॰ बूथ पर मशीन के माध्यम से तैयार किया गया था, जिन्हें पहले तात्विक प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है ये मोबाइल फोन जिनका नंबर उसने अपने साक्ष्य दिया है पर कॉल किए जाने की 12 जनवरी 2006 के बिल थे। उसने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों को पहचाना है और कथन किया है कि ये दोनों अभियुक्त 12.1.2006 को उसके एस॰ टी॰ डी॰ बूथ पर आए थे और उसे बूथ से बाहर जाने को कहा था कि क्योंकि उन्हें इमरजेंसी कॉल करना था। तत्पश्चात, इन दोनों अभियुक्तों ने कॉल किया, बिल का भुगतान किया और चले गए।

13. अ॰ सा॰ 8 बोधन बैठा पुलिस एस आई॰ है जो प्रासंगिक समय पर खेलारी थाना में पदस्थापित था। उसने कथन किया है कि 18.1.2006 को उसे सूचित किया गया था कि गौरी डैम में बालिका का मृत शरीर रेक्सिन बैग में बरामद किया गया था। सूचना पाने पर वह घटना स्थल गया जहाँ अनेक व्यक्ति थे। उसने गौरी डैम पर किसी तुलसी मुंडा का फर्दबयान दर्ज किया और रेक्सिन बैग में पाए गए मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया। उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा। उसने घटनास्थल का विवरण दिया है जहाँ बैग पाया गया था। उसने कथन किया है कि मृत शरीर के गर्दन के चारों ओर रस्सी लिपटी थी और उसकी नाक से खून टपक रहा था। उसने कथन किया कि उसे सूचित किया गया कि भुरकुंडा में एक बालिका गायब थी, जिस पर उसने भुरकुंडा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जिसने सूचित किया कि उसी नाक-नक्शावाली लड़की गायब थी और उसने सूचित किया कि वह मृत शरीर की पहचान के लिए परिवार के सदस्यों को भेजेगा। उसने अपने द्वारा तैयार की गयी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की छाया प्रतिलिपि को पहचाना है जिसे पहचान के लिए प्रदर्श X/1 चिन्हित किया गया था। उसने फर्दबयान भी पहचाना है जिसे प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने 19.1.2006 को तैयार की गयी प्रस्तुती सह-अभिग्रहण सूची को भी पहचाना है जो डैम से बरामद बैग, एक फ्रॉक और एक पैन्टी से संबंधित था जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने मृतका का शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया जिसे भुरकुंडा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दिया गया था। उसने

जिम्मानामा सिद्ध किया है जिसके द्वारा मृत शरीर मृतका के पिता को दाह संस्कार के लिए दिया गया था जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था।

14. अ॰ सा॰ 9 श्यामाधर रॉय कॉंस्टेबल तथा औपचारिक गवाह है जिसने न्यायालय में तात्विक प्रदर्शों को प्रस्तुत किया है जो मृतका के चप्पल, वस्त्र, ड्राइंग कॉपी जिन पर बैजू कुमार नाम लिखा हुआ था, रेक्सिन बैग और लड़की की पैन्टी और इन सामग्रियों को तात्विक प्रदर्श III से IX तक न्यायालय में चिन्हित किया गया था।

15. अ॰ सा॰ 11 सीताराम दास है जो पुलिस एस॰ आई॰ है और वह प्रासंगिक समय पर भुरकुंडा पुलिस थाना में पदस्थापित था। उसने 13.1.2006 को अपने द्वारा पायी गयी लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन सिद्ध किया है, जिसके आधार पर पतरातू केस सं॰ 11 वर्ष 2006 संस्थित किया गया था और उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 6/1 तथा 7 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसे अन्वेषण का प्रभार सौंपा गया था और उसने चप्पलों, एक धमकी भरे पत्र और लड़की के एक लाल टॉप का प्रस्तुती-सह-अभिग्रहण सूची तैयार किया गया था जिसे प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसे 19.1.2006 को सूचित किया गया था कि खेलारी पुलिस थाना के अधीन गौरी डैम में बालिका का मृत शरीर पाया गया था और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। बालिका के पिता को सूचना दी गयी थी। उसने 19.1.2006 को तैयार किया गया प्रस्तुति सह अभिग्रहण सूची पहचाना है जिसे पहले प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि 25.2.2006 को गुप्त सूचना के आधार पर, उसने अभियुक्त बैजू कुमार सोनी को गिरफ्तार किया और उसकी संस्वीकृति के आधार पर उसने अभियुक्त जुगनू के घर से पुराना स्कार्फ बरामद किया और गवाहों की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे उसने पहचाना था और इसे प्रदर्श 8/1 चिन्हित किया गया था। बैजू कुमार सोनी के घर से एक ड्राइंग कॉपी जिस पर बैजू कुमार सोनी का नाम लिखा हुआ था बरामद किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, जिसे उसने सिद्ध किया था और इसे प्रदर्श 8/2 चिन्हित किया गया था। अभियुक्त बैजू कुमार सोनी द्वारा दी गयी सूचना पर किराए के क्वार्टर के निकट से उसने फाइव स्टार चॉकलेट का एक रैपर और ब्रेड का एक रैपर बरामद किया और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिसे उसने सिद्ध किया था और प्रदर्श 8/3 चिन्हित किया गया था। विकास कुमार के एस॰ टी॰ डी॰ बूथ के बिलों को 25.2.2006 को प्रस्तुत किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी जिसे उसने सिद्ध किया था। उसने कथन किया कि उसने 2.3.2006 को मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया। स्कार्फ जिसे अभियुक्त के घर से बरामद किया गया था टी॰ आई॰ परेड के लिए बी॰ डी॰ ओ॰ पतरातू को भेजा गया था और 22.3.2006 को टी॰ आई॰ परेड किया गया था, जिसमें मृतका की माता द्वारा स्कार्फ पहचाना गया था। उसने कथन किया है कि अन्वेषण पुरा करने पर, उसने आरोप-पत्र दाखिल किया।

16. अ॰ सा॰ 12 उदय प्रताप सिंह भी पुलिस अधिकारी है जिसने इस मामले की लिखित रिपोर्ट एवं प्राथमिकी को पहचाना है और गायब लड़की के बारे में सनहा प्रविष्टि और धमकी भरे पत्र, वस्त्र एवं चप्पलों की प्रस्तुती के बारे में कथन किया है। उसने यह कथन भी किया है कि 19.1.2006 को मृत शरीर की बरामदगी की सूचना पाने पर वह मृतका के पिता और अन्य व्यक्तियों को खेलारी पुलिस थाना ले गया था जहाँ मृतका के पिता ने अपनी पुत्री का मृत शरीर पहचाना। एक रेक्सिन बैग जिसमें मृत शरीर बरामद किया गया था और मृतका के वस्त्र भी पाए गए थे जिन्हें प्रस्तुती-सह-अभिग्रहण सूची तैयार करके जब्त किया गया था जिसे भी उसने पहचाना था जिसे पहले प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। उसने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बारे में भी कथन किया है और न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है।

17. अ॰ सा॰ 13 नंद किशोर लाल बी॰ डी॰ ओ॰ था जिसके समक्ष स्कार्फ की टी॰ आई॰ पी॰ की गयी थी और उसने कथन किया है कि मृतका के पिता एवं माता द्वारा स्कार्फ पहचाना गया था। उसने टी॰ आई॰ चार्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया था।

18. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश पूर्णत: अवैध है, क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध सिद्ध करने में विफल रहा है। यह कहा गया है कि व्यवहारिक तौर पर अपीलार्थियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इस तथ्य के सिवाए कि अपीलार्थियों में से एक की संस्वीकृति पर कुछ बरामदगी की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मृतका बालिका के अपहरण एवं हत्या करने का चश्मदीद गवाह नहीं है और अपराध में अपीलार्थियों की भूमिका उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामला गायब कड़ियों से भरा है और परिस्थितियों की श्रृंखला भी इतनी पूर्ण नहीं है ताकि अभियुक्त अपीलार्थियों के दोष की ओर इंगित किया जा सके और व्यवहार्यत: यह मामला अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने का है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

19. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि मृतका का शव परीक्षण रिपोर्ट दर्शाता है कि मृत्यु गला दबाने के कारण हुई और मृतका की गर्दन पर रस्सी बंधा पाया गया था। मृतका के पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा मृतका का मृत शरीर पहचाना गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि इन अपीलार्थियों द्वारा अ॰ सा॰ 7 विकास कुमार के एस॰ टी॰ डी॰ बूथ से कॉल किए गए थे जिसने इन दोनों अभियुक्तों को अपने बूथ से कॉल करने वाले के रूप में पहचाना है और उसने इन अपीलार्थियों द्वारा किए गए कॉल के लिए टेलीफोन बिलों को भी सिद्ध किया है और समय उस समय से मेल खाता है जब सूचक और उसके भाई ने कॉल पाया था। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी बैजू कुमार सोनी की संस्वीकृति के आधार पर मृतका बालिका का स्कॉर्फ जुगनु करमाली के घर से पाया गया था और ड्राइंग कॉपी जिससे धमकी भरे पत्र लिखने के लिए पन्ने फाड़े गये थे, भी अपीलार्थी बैजू कुमार सोनी के घर से बरामद किये गये थे और ये निश्चायक प्रमाण हैं जिनके आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा है। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

20. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि पीड़िता बालिका 8.1.2006 को अपने घर से लापता हो गयी जिसका मृत शरीर 18.1.2006 को डैम में बैग में पाया गया था। तब तक अपीलार्थियों के आलिप्त होने का पता नहीं चल सका था। केवल 25.2.2006 को जब अभियुक्त बैजू कुमार सोनी को पुलिस द्वारा कुछ गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जैसा अ॰ सा॰ 11 सीताराम दास, मामले का आई॰ ओ॰ द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, अभियुक्त अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता प्रकाश में आयी। उसकी संस्वीकृति दर्ज की गयी थी जो अभियुक्त जुगनू करमाली के घर से मृतका लड़की के स्कार्फ की बरामदगी की ओर ले गयी और इस स्कार्फ को मृतका के माता-पिता द्वारा टी॰ आई॰ पी॰ में पहचाना गया था। अभियुक्त बैजू कुमार सोनी

के घर से फटे पन्नों के साथ ड्राइंग कॉपी भी बरामद की गयी है, जिन पर धमकी भरे पत्र लिखे गए थे और इन्हें भी बरामद, प्रस्तुत और सिद्ध किया गया था और ये मामले में तात्विक प्रदर्श हैं। चॉकलेट के रैपर एवं ब्रेड के रैपर घर जहाँ बालिका को अभिकथित रूप से रखा गया था के निकट से बरामद किए गए थे जो यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त कड़ियाँ हैं कि बालिका वहाँ रखी गयी थी किंतु अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर मृतका के स्कार्फ की बरामदगी और ड्राइंग बुक जिसके पन्नों का उपयोग धमकी भरे पत्रों को लिखने के लिए किया गया था कि बरामदही और इसी ड्राइंग बुक के फटे पन्नों पर लिखे गए धमकी भरे पत्रों की बरामदगी हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन मामला सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इन अपीलार्थियों द्वारा मृतका लड़की का अपहरण किया गया था जिसका मृत शरीर रेक्सिन बैग जिसे भी बरामद किया गया था में छुपाया गया खेलारी पुलिस थाना के अधीन डैम से बरामद किया गया था। अ॰ सा॰ 5 उत्तम कुमार खरबर ने अभियुक्त अपीलार्थियों को इसी बैग के साथ ट्रेन पर देखा था और उन्हें खेलारी स्टेशन पर ट्रेन से उतरते भी देखा था। हमारे सुविचारित मत में अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि इन अपीलार्थियों ने बालिका का अपहरण किया था और उसकी हत्या की थी और बैग में छुपाया गया मृत शरीर डैम में फेंका था, इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 302/34 एवं 201/34 के अधीन अपराधों के लिए आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

21. इस दशा में, हम एस॰ टी॰ सं॰ 238 वर्ष 2006 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.4.2009 के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 20.4.2009 के दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं जिसे हम एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थीगण अभिरक्षा में हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश भुगत रहे हैं।

22. हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएं।

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

उज्जल कांति बनर्जी (2438 में)

रामावतार साहू (2439 में)

महानंद झा (2443 में)

भोला प्रसाद (2447 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (C) Nos. 2438-2439, 2443, 2447 of 2006. Decided on 20th July, 2017.

झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000—धाराएँ 3, 5 (i) (c) एवं 6 (2)—अधिक्रमण हटाया जाना–नोटिस–भूमि अधिक्रमण कार्यवाही पूर्णतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के उल्लंघन में था–आक्षेपित नोटिस एवं आदेश अपास्त किए गए–अधिकार,

अभिधान, हित एवं कब्जा के जटिल प्रश्न संक्षिप्त कार्यवाही में न्याय निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं–झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 के अधीन कार्यवाही का संक्षिप्त कार्यवाही होने के कारण प्राधिकारियों द्वारा सहारा नहीं लिया जा सकता है जब भूमि के अधिभोगी अपने अभिधान पूर्वाधिकारी के माध्यम से अनेक वर्षों से खुले एवं निरंतर कब्जा में थे–आक्षेपित नोटिस अभिखंडित। (पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–2003 (2) JLJR 159; 1982) 2 SCC 134—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rohitashya Roy, Tarun Kumar Mahto, For the Petitioners; M/s V.K. Prasad, Ashish Kr. Thakur, For the State.

आदेश

वर्तमान रिट याचिकाएँ झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 के अधीन नोटिस होने के लिए तात्पर्यित प्रत्यर्थी सं॰ 4 के मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 4.1.2006 के नोटिस के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके कारण याचीगण को उपस्थित होने तथा कारण बताने के लिए कहा गया था कि प्रश्नगत भूखंडों पर उनका अभिकथित अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। याचीगण ने अधिनियम की धारा 5 (i) (c) के अधीन पारित दिनांक 18.3.2006 के आदेशों के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रश्नगत भूखंड सरकार के हैं और याचीगण ने उक्त भूखंडों का अधिक्रमण किया है और अधिनियम की धारा 6 (2) के निबंधनानुसार कार्रवाई भी की है। अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थी सं॰ 4 के मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन जारी अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन दिनांक 18.3.2006 के नोटिसों के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने याचीगण को प्रश्नगत भूखंडों से अधिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अवज्ञा किये जाने की स्थिति में याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन अभियोजित किया जाएगा।

2. मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि, जैसा इन रिट याचिकाओं से पता चलता है, यह है कि आर॰ एस॰ खाता सं॰ 87, खेवट सं॰ 2, ग्राम बरगाँवा, पी॰ एस॰ नामकुम (पूर्व में राँची) के अधीन अवस्थित भूमि भू-स्वामी जानकी प्रसाद साहू एवं हरिचरण साहू, दोनों स्व॰ रामलाल साहू के पुत्र, का गैर मजरुआ मालिक खाता था। खाता सं॰ 87 के अधीन भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 क्रमशः 5.63 एकड़, 41 एकड़ तथा 2.03 एकड़ के थे, इस प्रकार पूर्वोक्त तीनों भूखंडों के अधीन कुल क्षेत्रफल 48.66 एकड़ था। उक्त हरि चरण साहू तथा जानकी प्रसाद साहू पूर्वोक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज थे। किंतु, हरिचरण साहू ने जानकी प्रसाद साहू के विरुद्ध बँटवारा वाद सं॰ 34 वर्ष 1939 दाखिल किया जिसमें उसने ग्राम बरगावाँ के खाता सं॰ 87 के भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 सहित अनेक संपत्तियों के लिए बँटवारा डिक्री का दावा किया। सुलह डिक्री पारित की गयी थी जिसके निबंधनानुसार भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 अनन्य रूप से हरिचरण साहू को आवंटित किया गया था जिसने भूमि के उक्त भूखंडों पर शांतिपूर्ण कब्जा प्राप्त किया। खाता सं॰ 87 के भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 के ऊपर अनन्य कब्जा में होते हुए हरिचरण साहू ने इन भूमि के विभिन्न भागों को विभिन्न व्यक्तियों को बंदोबस्त किया।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जहाँ तक डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2438 वर्ष 2006 का संबंध है, हरिचरण साहू ने भूखंड सं॰ 5 के अधीन अनेक भूमि को दिनांक 26.11.1953 के रजिस्टर्ड व्यवस्थापन विलेख द्वारा किसी सरजू प्रसाद के पक्ष में बंदोबस्त किया। सरजू प्रसाद का नाम के॰ फॉर्म में प्रविष्ट किया गया था जब जमीन्दार ने बिहार भू-सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन अपना रिटर्न

दाखिल किया। तत्पश्चात, सरजू प्रसाद ने 30.11.1965 को रजिस्टर्ड विलेख द्वारा रामस्वरुप शर्मा को भूमि का 4½ कट्ठा अंतरित किया। रामस्वरुप शर्मा ने उक्त भूमि को याची के पिता के पक्ष में दिनांक 5.1.1972 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत अंतरित किया। याची के पिता ने नामांतरण मामला सं॰ 7R 27 वर्ष 1984-85 के तहत दिनांक 11.6.1984 के आदेश द्वारा राजस्व अभिलेख में अपना नाम नामांतरित करवाया और, तत्पश्चात, राज्य सरकार को किराया का भुगतान किया जिसके विरुद्ध किराया रसीद जारी किए गए थे। याची अपने अभिधान पूर्वाधिकारी के माध्यम से निरंतर एवं अबाध कब्जा में बना हुआ है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जहाँ तक डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2439 वर्ष 2006 का संबंध है, भूस्वामी हरिचरण साहू ने भूखंड सं॰ 4 के अधीन भूमि के विभिन्न भागों को सरजू प्रसाद के पक्ष में दिनांक 26.11.1953 के रजिस्टर्ड व्यवस्थापन विलेख के तहत बंदोबस्त किया। सरजू प्रसाद का नाम के॰ फॉर्म में प्रविष्ट किया गया था जब भूस्वामी ने बिहार भू-सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन अपना रिटर्न दाखिल किया। सरजू प्रसाद ने भूखंड सं॰ 4 का 10 कट्ठा एवं 13 छटाँक किसी मुकेश तलवार को अंतरित किया जिसने इसे किसी नंदलाल प्रसाद को दिनांक 29.9.1980 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत अंतरित किया। नंद लाल प्रसाद ने बदले में उक्त भूमि याची को दिनांक 4.6.1984 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत बेचा। याची ने नामांतरण मामला सं॰ 12R 27 वर्ष 1987-88 के तहत दिनांक 27.4.1987 के आदेश के तहत राजस्व अभिलेख में अपना नाम नामांतरित करवाया और राज्य सरकार को किराया का भुगतान किया जिसके विरुद्ध किराया रसीदें जारी की गयी हैं।

5. जहाँ तक डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2443 वर्ष 2006 का संबंध है, जमीन्दार हरिचरण साहू ने भूखंड सं॰ 5 के अधीन भूमि के विभिन्न भागों को सरजू प्रसाद के पक्ष में दिनांक 26.11.1953 के रजिस्टर्ड व्यवस्थापन विलेख के तहत बंदोबस्त किया। सरजू प्रसाद का नाम के॰ फॉर्म में उल्लिखित किया गया था जब भू-स्वामी ने बिहार भू-सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन अपना रिटर्न दाखिल किया। सरजू प्रसाद ने दिनांक 30.11.1965 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत रामस्वरुप शर्मा को भूखंड सं॰ 5 के अधीन भूमि का 7 कट्ठा बेचा तथा अंतरित किया। तत्पश्चात, रामस्वरुप शर्मा ने दिनांक 12.8.1976 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत याची को उक्त भूमि अंतरित किया। याची ने नामांतरण मामला सं॰ 80R 27 वर्ष 1983-84 के तहत राजस्व अभिलेखों में अपना नाम नामांतरित करवाया और राज्य सरकार को किराया का भुगतान किया जिसके विरुद्ध किराया रसीदें जारी की गयी हैं।

6. जहाँ तक डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2447 वर्ष 2006 का संबंध है, जमीन्दार हरिचरण साहू ने भूखंड सं॰ 4 के अधीन भूमि के विभिन्न भागों को दिनांक 8.2.1950 के रजिस्टर्ड व्यवस्थापन विलेख के तहत अनंत कुमार घोष उर्फ अनन्त गोप को बंदोबस्त किया। अनन्त कुमार घोष का नाम के॰ फॉर्म में उल्लिखित किया गया था जब भूस्वामी ने बिहार भू सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन रिटर्न दाखिल किया था। तत्पश्चात, अनन्त कुमार घोष ने याची को दिनांक 15.1.1958 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत भूमि का 6 डिसमिल अंतरित किया। तत्पश्चात, याची ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम नामांतरित करवाया और राज्य सरकार को किराया का भुगतान कर रहा है जिसके विरुद्ध किराया रसीदें जारी की गयी है। उक्त भूमि के संबंध में अधिकार अभिलेख प्रारूप भी याची के नाम में तैयार करवाया गया है।

7. राज्य सरकार ने अंचलाधिकारी, नामकुम की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में जमीन्दार हरिचरण साहू द्वारा किए गए व्यवस्थापनों को निष्प्रभावी बनाना इप्सित करते हुए बिहार भू-सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के अधीन कार्यवाही आरंभ किया। भू-सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर ने दिनांक 27.12.1990 के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 (h) कार्यवाही पोषणीय नहीं थी और इसे अपर समाहर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात, कार्यवाही छोड़ दी गयी थी। राज्य

सरकार ने इसके विरुद्ध अपील दाखिल नहीं किया था। बाद में, उपायुक्त, राँची ने विभिन्न व्यक्तियों जो जमीन्दार हरिचरण साहू के Settlees के अंतरिती हैं के विरुद्ध धारा 4 (h) के अधीन एक अन्य कार्यवाही शुरू किया। उपायुक्त, राँची द्वारा केस सं॰ 26 R28 वर्ष 1993-94 में भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 के भूमि के 41 एकड़ के संबंध में व्यवस्थापन के बातिलकरण का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने दिनांक 17.11.1993 के आदेश के तहत आगे अभिनिर्धारित किया कि चूँकि व्यवस्थापन बातिल किया गया है, अत:, समस्त पश्चातवर्ती अंतरण भी बातिल हो गए। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलें राजस्व अपील सं॰ 451 वर्ष 1993 एवं 452 वर्ष 1993 आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर द्वारा दिनांक 16.3.1994 के आदेश के तहत खारिज की गयी थी। तत्पश्चात, राजस्व विभाग ने अनेक व्यवस्थापनों के बातिलकरण के लिए आदेश पारित किया। राज्य सरकार के आदेशों से व्यथित होकर, अंतरितियों जिनका अंतरण बातिल किया गया था ने सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1997 (R) दाखिल किया। इस न्यायालय में **''श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2003 (2) JLJR 159 में दिनांक 20.2.2003 के निर्णय के तहत रिट याचिका अनुज्ञात किया और उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों और आयुक्त द्वारा पारित पश्चातवर्ती अपीलीय आदेश और राज्य सरकार द्वारा संपुष्टि को अभिखंडित कर दिया। माननीय एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 64 वर्ष 2010 में चुनौती दी गयी थी जिसे खारिज किया गया था और तत्पश्चात राज्य द्वारा दाखिल एस॰ एल॰ पी॰ सं॰ 12518 वर्ष 2012 भी खारिज किया गया था।

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता जोरदार निवेदन करते हैं कि सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1997 (R) में इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को अनदेखा करके प्रत्यर्थी ने खाता सं॰ 87, भूखंड सं॰ 4, 5 एवं 6 के संबंध में जमीन्दार द्वारा किए गए व्यवस्थापन एवं पश्चातवर्ती अंतरणों को बातिल करते हुए उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के आधार पर याचीगण के विरुद्ध झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ किया। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त निर्णय जिसे इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी संपुष्ट किया गया है के विरोध में होने के कारण अपास्त किए जाने के दायी हैं।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2439 वर्ष 2006 में प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र पर मुख्यत: विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि के भाग को पूर्व जमीन्दार हरिचरण साहू द्वारा 1.1.1946 के बाद सरजू प्रसाद के पक्ष में वर्ष 1953 में हुकुम नामा द्वारा बंदोबस्त किया गया था और उस समय पर भूतपूर्व जमीन्दार को भूमि बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसरण में और अपर समाहर्त्ता, राँची और भू-सुधार उपसमाहर्त्ता, राँची के अनुदेशों के आलोक में झारखंड सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 2000 के अधीन अंचलाधिकारी, नामकुम के न्यायालय में एक कार्यवाही आरंभ की गयी थी और अधिक्रमणकारियों को सुना गया था और अंतत:, अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ मालिक भूमि है जो सरकारी भूमि है। याचीगण के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा आरंभ की गयी भूमि अधिक्रमण कार्यवाही इस तथ्य की दृष्टि में न्यायोचित ठहरायी गयी थी कि सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1997 (R) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रत्यर्थियों की जानकारी में कभी नहीं लायी गयी थी।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि बिहार भू-सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के अधीन कार्यवाही में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश और आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर द्वारा अपील में पारित

तथा राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट आदेश को किसी श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं अन्य (Settlees के अंतरिती) द्वारा सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1997 (R) में चुनौती दी गयी थी। इस न्यायालय ने दिनांक 20.2.2003 के निर्णय के तहत उक्त रिट याचिका अनुज्ञात किया और उपायुक्त, राँची, आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर द्वारा पारित और राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट आदेशों को अभिखंडित कर दिया है। दिनांक 20.2.2003 के उक्त निर्णय को राज्य सरकार द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 64 वर्ष 2010 में चुनौती दी गयी थी जिसे भी दिनांक 25.1.2011 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। बाद में, झारखंड राज्य ने एस॰ एल॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 12518 वर्ष 2012 दाखिल किया और सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1977 (R) एवं एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 64 वर्ष 2010 में पारित आदेशों को चुनौती दिया। किंतु, उक्त एस॰ एल॰ पी॰ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2016 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

11. पूर्वोक्त तथ्यों से यह प्रकट है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 ने इस तथ्य से पूर्णतः अनभिज्ञ होने के कारण कि इस न्यायालय ने पहले ही बिहार भू सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (h) के अधीन उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेशों, आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर द्वारा पारित आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा पारित संपुष्टि आदेश पहले ही अभिखंडित कर दिया था, झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 2000 के अधीन कार्यवाही आरंभ किया। इस प्रकार, भूमि अधिक्रमण कार्यवाही पूर्णतः सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3007 वर्ष 1997 (R) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के उल्लंघन में थी। दिनांक 4.1.2006 के आक्षेपित नोटिस, धारा 5 (i) (c) के अधीन पारित दिनांक 18.3.2006 के आदेश तथा झारखंड सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 6 (2) के अधीन नोटिस विधि में संपोषित नहीं किए जा सकते हैं। अन्यथा भी, यह सुस्थापित है कि अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा के जटिल प्रश्नों को संक्षिप्त कार्यवाही में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। झारखंड सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 2000 के अधीन कार्यवाही का संक्षिप्त कार्यवाही होने के कारण प्राधिकारियों द्वारा सहारा नहीं लिया जा सकता है जब भूमि के अधिभोगी अपने अभिधान पूर्वाधिकारी के माध्यम से अनेक वर्षों से खुले एवं लगातार कब्जा में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश सरकार बनाम थुम्मला कृष्णा राव एवं अन्य, (1982)2 SCC 134** में अभिनिर्धारित किया है:–

> *"9. [kM U;k; ihB dk nf"Vdk.k fd èkkjk 6 }kjk çkoèkkfur lf{kIr mipkj dk lgkjk ugh fy;k tk ldrk g tcrd vfHkdfFkr vfèkØe.k ^^vR;Ur gky** dk ugh g] bl vfèkd foLrkfjr ugh fd;k tk ldrk gA fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk Lo; ,d vU; ekey e Hkh ;gh nf"Vdk.k fy;k x;k Fkk ft l eg#fUu'kk cxe cuke ,O ihO jkT;] (1970)1 Andh LT 88, e çdkf'kr fd;k x;k g ft l (1977)1 Andh LT 292 e [kM U;k; ihB }kjk vfHki"V fd;k x;k FkkA vfèkØe.k dh vofèk] ych ;k NkVh bl ç'u dk fu.kk;d ugh g fd D;k vfèkfu;e }kjk fofgr lf{kIr mipkj dk 0;fDr dk cn[ky djd çofrr fd;k tk ldrk gA ml ç'u d fu.k; d fy, çkIfxd lifÙk dh çÑfr vfèkd ikIfxd g ftl ij vfèkØe.k fd;k tkuk vfHkdfFkr fd;k x;k g vkj ;g fopkj fd vfèkHkkxh dk nkok lnHkkoi.k gA rF; tk ljdkj ,o vfèkHkkxh d chp lnHkkoi.k fookn mBkr g dk fofèk d lkekU; U;k;ky;k }kjk U;k; fu.khr djuk gkxkA ljdkj ,l ç'uk dk ,d i{kh; :i l viu i{k e fofuf'pr ugh dj ldrh g vkj ,l fu.k; d vkèkkj ij fdlh 0;fDr dk lf{kIr :i l cn[ky ugh dj ldrh gA fdr vfèkHkkx dh vofèk bl vFk e çkIfxd g fd 0;fDr tk ljkguh; le; lhek rd [ky :i l vfèkHkkx e g] dk çFke n"V;k lifÙk d lnHkkoi.k nkok gkrk ekuk tk ldrk g tk fofèk dh LFkkfir çfØ;k d vulkj fu"i{k U;k; fu.k;u vko';d cukrk gA**

12. मामले के तथ्यों तथा यहाँ ऊपर चर्चा किए गए न्यायिक उद्घोषणाओं पर विचार करते हुए दिनांक 4.1.2006 की आक्षेपित नोटिसें, अधिनियम की धारा 5 (i) (c) के अधीन पारित दिनांक 18.3.2006 के आदेश और झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 6 (2) के अधीन दिनांक 18.3.2006 की नोटिसें एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त की जाती हैं।

13. तद्नुसार वर्तमान रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया जाता है और पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के निबंधनानुसार निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

बसन्ती देवी उर्फ गुड़िया

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. (DB) No. 971 of 2007. Decided on 4th August, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 512 वर्ष 2004 में विद्वान XXवें अपर न्यायिक आयुक्त, राँची श्री राजेन्द्र कुमार जुमनानी द्वारा पारित दिनांक 5.6.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील-अपराध में अपीलार्थी की सह अपराधिता गवाहों के साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकी थी–मृतक के माता-पिता ने किसी निजी जानकारी से इनकार किया कि किस प्रकार मृतका की हत्या की गयी थी–बाल गवाह भिन्न कथा एवं घटना के पीछे के कारण के साथ आया है–इस मामले में हेतु महत्व पाता है क्योंकि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है–अभियोजन द्वारा हेतु सिद्ध नहीं किया जा सका था–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 13, 15 से 18)

अधिवक्तागण.–Mr. Bhaiya Vishwajeet Kumar, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील चान्हो पी॰ एस॰ केस सं॰ 63/2004 जी॰ आर॰ सं॰ 2613 वर्ष 2004 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 512 वर्ष 2004 में श्री राजेन्द्र कुमार जुमनानी, विद्वान XX अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 5 जून, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान विचारण न्यायालय ने एकमात्र अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और उसको आजीवन कारावास भुगतने और 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक माह का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला किसी सुन्दर देवी (अ॰ सा॰ 3) के फर्दबयान पर आधारित है। उसने कथन किया कि वह अपने पति एवं चार संतानों के साथ ग्राम चोरया में अवस्थित घर में रहती थी। यह कथन भी किया गया है कि वह एक ही आंगन वाले अपने गोत्रजों के साथ रहती है। सावन पूर्णिमा के दिन पर उसके गोत्रज बनवारी राम की बहु बसन्ती देवी उर्फ गुड़िया के अभिकथित किया था कि सूचक की पुत्री रानी कुमारी ने चप्पल तथा गुड़ चुराया था। ऐसे अभिकथन के बाद, सूचक और उक्त बसंती देवी

उर्फ गुड़िया के बीच संबंध कटु हो गया। सूचक और उसका पति 2.9.2004 को अपनी छोटी संतानों को अपने ज्येष्ठ पुत्री की अभिरक्षा में छोड़ कर अर्जन के लिए अपने घर से बाहर गए। उसका छह वर्षीय पुत्र विद्यालय गया था। शाम में जब सूचक घर लौट रही थी, गाँव के एक बालक ने उसको सूचित किया कि उसकी पुत्री गायब है और सब उसकी तलाश कर रहे हैं। सूचक नर्वस हो गयी और अपने घर भागी। उसकी बड़ी पुत्री रानी ने उसको सूचित किया कि अभियुक्त गुड़िया भाभी ने उसकी छोटी पुत्री रीना को उसकी गोद से छीन लिया और उस पर गोयठा से प्रहार करने लगी। तत्पश्चात् यह सुनने पर सूचक रोने लगी और अपनी पुत्री को खोजने लगी। ऐसी खोज के क्रम में, रीना को अभियुक्त अपीलार्थी बसन्ती देवी तथा उसके पति मुकेश राम के कमरा में मृत दशा में पाया गया था। कमरा का दरवाजा भी बन्द था। प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने लड़की छीना और उसका गर्दन दबाकर हत्या किया और तत्पश्चात घर से चली गयी।

पूर्वोक्त सूचना के आधार पर, चान्हो पी॰ एस॰ केस सं॰ 63/2004 दिनांकित 3.9.2004 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

3. अन्वेषण के समापन पर, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिसे उसको पढ़कर सुनाया तथा स्पष्ट किया गया था, किंतु अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कुल सात गवाहों का परीक्षण किया:-

1. v0 lk0 1 fnu'k jke] Lor= xokg
2. v0 lk0 2 fot ; jke erdk dk firk
3. v0 lk0 3 lnj noh] erdk dh ekrk rFkk bl ekey dh lpd
4. v0 lk0 4 jkt Un jke] Lor= xokg
5. v0 lk0 5 Mk0 vftr dekj pkèkjh ft Ugku 'ko ijh{k.k fd;k
6. v0 lk0 6 jkepn pkèkjh] f}rh; v Uo"k.k vfèkdkjh
7. v0 lk0 7 jkuh dekjh] erdk dh cgu rFkk ?kVuk dh p'enhn xokg

5. मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, कतिपय दस्तावेजी साक्ष्य भी सिद्ध किए गए थे और प्रदर्श के रूप में चिन्हित किए गए थे जो निम्नलिखित हैं:-

1. çn'k 1 eR; leh{kk fjikV
2. çn'k 2 çkFkfedh
3. çn'k 3 erdk dk 'ko ijh{k.k fjikV

6. अभियोजन का साक्ष्य बंद करने के बाद, अपीलार्थी का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था। बचाव ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया था।

7. विचारण न्यायालय ने पक्षों की ओर से तर्क सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद दिनांक 5.6.2007 के निर्णय के तहत अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त किया और अपीलार्थी को 2000/- रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

8. दिनांक 5.6.2006 के दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने इस अपील को दाखिल किया है।

9. हमने अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर पी॰ पी॰ को सुना है। हमने साक्ष्य की छानबीन किया है और अवर न्यायालय अभिलेखों का परिशीलन किया है।

10. अपीलार्थी के लिए उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संपूर्ण मामला बाल गवाह के साक्ष्य पर आधारित है। बाल गवाह के सिवाए, अभियोजन मामले के समर्थन में अन्य गवाह नहीं है। वह आगे निवेदन करते हैं कि बाल गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है। आगे यह कथन किया गया है कि उक्त घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और हेतु भी सिद्ध नहीं किया गया है कि बालिका की हत्या क्यों की जाएगी। आगे यह कथन किया गया है कि प्राथमिकी हेतु सुझाती है किंतु बाल गवाह (अ॰ सा॰ 7) ने एक अन्य कहानी सुनाया है जो स्पष्टत: अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। आगे यह कथन किया गया है कि वह स्थान भी जहाँ मृत शरीर बरामद किया गया था सिद्ध नहीं किया गया है जो साक्ष्य से स्पष्ट है, जिसे अभियोजन ने दिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कुल विरोधाभास ऐसे है कि यह मामले की जड़ पर प्रहार करता है, अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णत: दोषपूर्ण है।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णत: न्यायोचित है, जिसमें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की दृष्टि में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि गवाहों ने सुस्पष्ट शब्दों में कथन किया है कि बालिका (मृतका) को अ॰ सा॰ 7 की अभिरक्षा से ले जाया गया था और तत्पश्चात उसे कमरा के अंदर ले जाया गया था और अभियुक्त अपीलार्थी कमरा से चली गयी। तलाशी लेने पर, मृतका का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के कमरे में पाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि इस मामले में चश्मदीद गवाह नहीं है किंतु परिस्थितियों की श्रृंखला स्पष्टत: सुझाती है कि अपीलार्थी ने अपराध किया है। अंत में निवेदन किया गया है कि इस अपील को खारिज करने की आवश्यकता है।

12. इस मामले में जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, सात अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया गया है।

अ॰ सा॰ 1 दिनेश राम:–इस गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह गाँव लौट रहा था, उसे जानकारी हुई कि बनवारी राम के घर में विजय राम की पुत्री मृत पड़ी थी। उसने यह कथन भी किया कि पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और उसने इस पर हस्ताक्षर किया था। उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने किसी राजेन्द्र राम का हस्ताक्षर भी पहचाना जिसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया है। वह घटना की कोई निजी जानकारी होने से इनकार करता है।

अ॰ सा॰ 2 विजय राम:–यह गवाह मृतका का पिता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि काम से लौटने के बाद उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री रीना की मृत्यु हो गयी है। तलाश करने पर, मृतका का मृत शरीर मुकेश के घर से बरामद किया गया था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उसने मृतका का मृत

शरीर देखा था और मृतका की जीभ बाहर निकली हुई थी। उसने कथन किया कि उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचित किया। उसने यह कथन भी किया कि उसे जानकारी नहीं थी कि किसने और क्यों उसकी पुत्री की हत्या की। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस ने उसका बयान कभी नहीं दर्ज किया।

अ॰ सा॰ 3 सुन्दर देवी:—यह गवाह मृतका की माता है और सूचक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसको एक पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं। उसने कथन किया कि अभियुक्त ने अभिकथित किया था कि उसकी पुत्री रानी ने चप्पल एवं गुड़ चुराया था जिसका परिणाम उनके बीच झगड़ा में हुआ। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह काम पर गयी और जब वह लौट रही थी, गाँव के एक बालक ने उसको सूचित किया कि उसकी पुत्री गायब है। जब वह घर आयी, उसकी पुत्री रानी ने उसको बताया कि अपीलार्थी उसकी बहन रीना को ले गयी थी। उसने आगे कथन किया कि उसकी पुत्री रीना का मृत शरीर घर के आंगन में पड़ा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि बसन्ती वहाँ उपस्थित नहीं थी। उसने कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया है और आई॰ ओ॰ भी अन्वेषण के लिए आया था और पुलिस द्वारा मृत शरीर ले जाया गया था। उसने कथन किया कि वह नहीं जानती थी कि उसकी पुत्री की मृत्यु कैसे हुई। उसने कथन किया कि जब वह लौटी घर में कोई नहीं था। बचाव द्वारा प्रति परीक्षण में उससे अधिक नहीं निकलवाया गया है।

अ॰ सा॰ 4 राजेन्द्र राम:—उसने कथन किया कि जब वह लौट रहा था तब उसे जानकारी हुई कि रीना कुमारी की मृत्यु हो गयी और मृत शरीर आंगन में पड़ा था। उसने मृत शरीर देखा था और पाया कि मृतका की जीभ बाहर निकली हुई थी और गर्दन पर काले रंग का निशान था। उसने कथन किया कि गाँववालों से उसे जानकारी मिली कि अपीलार्थी ने मृतका को छीन लिया था। उसने यह कथन भी किया कि उसने सुना कि चप्पल एवं गुड़ चुराने के संबंध में अपीलार्थी तथा सूचक के बीच कुछ विवाद एवं मतभेद था। उसने यह भी संपुष्ट किया कि पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया और इसे प्रदर्श 1/2 चिन्हित किया गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसे घटना के बारे में निजी जानकारी नहीं है।

अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ अजित कुमार चौधरी ने मृतका का शव परीक्षण किया है। उसने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित उपहति पाया:—

[kjkp

(I) 1½ x 1cm, efUMcyj {k= d ck; Hkkx ij] vkj

(II) 1/2 x 1/4cm rFkk 1/2 x 1/2cm vxeLrd d nk, Hkkx ijA

vkrfjd

nk, ÝVk ifjVk VEikjy ,o vkDlhihVy LdkYi ij dV; tu FkkA Nkrh dh nhokj d vxy Hkkx d lk¶V fV'k dk dV; tu] nkuk Hkkxk ij vkj nkuk Hkkxk d ÝVk yVjy xnu d lk¶V fV'k dk fM¶;TM dV; tu vkj nkuk QQMk d Fkkbel XyUM dtLVM Fk vkj vkrfjd vx Hkh dtLVM FkA

उन्होंने मत दिया कि उपहतियाँ मृत्युपूर्व थी और कड़े तथा भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी। मृत्यु गर्दन एवं छाती पर दबाव के परिणामस्वरुप दम घुटने के कारण हुई। उन्होंने प्रदर्श 3 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया। उन्होंने उल्लेख किया है कि गर्दन एवं छाती पर उंगली का निशान नहीं था।

अ॰ सा॰ 6 रामचंद्र चौधरी:—यह गवाह चान्हो पुलिस थाना में घटना के समय पदस्थापित था। उसने कथन किया कि उसने 6.3.2004 को पूर्व अन्वेषण अधिकारी से अन्वेषण का प्रभार लिया था। उसने

कथन किया कि उसके प्रभार लेने के पहले समस्त गवाहों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका था। उसने केवल शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया और तत्पश्चात पहले ही किए गए और केस डायरी में दर्ज अन्वेषण के आधार पर उसने आरोप पत्र दाखिल किया। उसने प्राथमिकी भी सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। उसने स्वीकार किया कि उसने किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया है।

अ॰ सा॰ 7 रानी कुमारी:—यह गवाह बाल गवाह है। न्यायालय इससे संतुष्ट होने पर कि वह अभिसाक्ष्य देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है उसका अभिसाक्ष्य दर्ज किया। उसने कथन किया कि वह अपने घर में थी और उसकी छोटी बहन रीना उसके बगल में बैठी थी और मूली खा रही थी। उसने कथन किया कि अपीलार्थी आयी और उसकी बहन को कमरा में ले गयी। अपीलार्थी ने दरवाजा अंदर से बन्द कर दिया। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने दरवाजा खोला और बाहर आयी। अपीलार्थी ने अपने माथा में सिंदूर और आँख में काजल लगाया था और कॉलोनी चली गयी जहाँ वह अपना घर बना रही थी और उसने बाहर से सिटकनी लगा दिया था। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी का ससुर बनवारी राम आया और तब इस गवाह ने उसको पूरी कहानी सुनाया। बनवारी दरवाजा खोल कर कमरा में गया और रीना (मृतका) को बाहर लाया। रीना की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बनवारी ने रीना का मृत शरीर इस गवाह को दिया। गाँववाले घटनास्थल पर आए और इस गवाह ने उनको बताया कि बसन्ती (अपीलार्थी) ने मृतका का गला दबाया था। उसने आगे कथन किया कि उसकी माता तथा इस अपीलार्थी के बीच झगड़ा था। वह कथन करती है कि ऐसे विवाद का कारण यह था कि अपीलार्थी ने उसकी माता को 500/- रुपया दिया था और अपने साथ लकड़ी काटने को कहा था किंतु उसकी माता ने इनकार किया और अपीलार्थी के साथ नहीं गयी। उसने कथन किया कि उसने पुलिस को सब कुछ बताया है जो उसने न्यायालय के समक्ष कहा है और इसे अपनी माता को भी बताया है और अपना बयान दोहराया कि उसकी बहन (मृतका) उसके बगल में बैठी थी और मूली खा रही थी।

13. अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य से, हम पाते हैं कि सिवाए अ॰ सा॰ 7 के किसी भी गवाह ने कथन नहीं किया है कि किस प्रकार मृतका की हत्या की गयी थी और किसने उसकी हत्या की। मृतका के माता-पिता सहित समस्त गवाहों ने कथन किया है कि उन्हें कोई निजी जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार मृतका की हत्या की गयी थी। मृतका की माता (अ॰ सा॰ 3) ने कथन किया है कि अ॰ सा॰ 7 (बाल गवाह और उसकी पुत्री) ने उसके समक्ष विवरण दिया था कि इस अपीलार्थी ने मृतका (उसकी पुत्री) को उसकी गोद से छीन लिया और कमरा के अंदर गयी और तत्पश्चात वह मृत पायी गयी थी। प्राथमिक में और अपने अभिसाक्ष्य में, यह गवाह (अ॰ सा॰ 3) स्पष्टत: ऐसा अपराध करने का हेतु देती है। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी के साथ उसका बैरपूर्ण संबंध था क्योंकि इस अपीलार्थी ने कथन किया था कि उसकी संतान ने चप्पल और गुड़ चुराया था।

14. अब घटना की एकमात्र गवाह अ॰ सा॰ 7 है। वह बाल गवाह है और परीक्षण की तिथि पर लगभग 10 वर्ष और घटना होने की तिथि पर 7½-8 वर्ष की थी। वह कहती है कि वह आंगन में बैठी थी और उसकी छोटी बहन (मृतका) भी उसके बगल में बैठी थी और मूली खा रही थी। उसने कथन किया कि तब अपीलार्थी आयी और उसकी छोटी बहन को कमरा के अंदर ले गयी और अंदर से कमरा बन्द कर लिया। तत्पश्चात, यह अपीलार्थी बाहर आयी वहाँ से चली गयी। तत्पश्चात, इस अपीलार्थी का ससुर इस गवाह से तथ्य सुनने पर कमरा में गया और मृतका का मृत शरीर पाया और इसे इस लड़की को

सौंपा। इस बालिका ने कथन किया कि अपीलार्थी और उसकी माता के बीच विवाद एवं मतभेद था किंतु जहाँ तक ऐसे विवाद के कारण का संबंध है, वह बिल्कुल भिन्न कहानी देती है। अपने अभिसाक्ष्य में अ॰ सा॰ 3 के विवरण से अथवा प्राथमिकी में भिन्न कथा आती है। अ॰ सा॰ 7 दोहराती है कि उसकी छोटी बहन (मृतका) उसके बगल में बैठी थी और मूली खा रही थी जब अपीलार्थी द्वारा उसे कमरा के अन्दर ले जाया गया था।

15. इस प्रकार, इस बाल गवाह (अ॰ सा॰ 1) के साक्ष्य से हम पाते हैं कि उसने घटना के पीछे भिन्न कथा और कारण दिया है। उसकी माता ने भिन्न कथा दिया है जबकि इस गवाह (अ॰ सा॰ 7) ने भिन्न कथा दिया है। इस प्रकार, अभियोजन इस मामले में हत्या का हेतु सिद्ध करने में विफल रहा है। इस मामले में हेतु महत्व पाता है जब घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और स्वीकृत रूप से किसी ने अपराध की कारिता नहीं देखा था। किंतु, प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि मृतका को अ॰ सा॰ 7 की गोद से ले जाया गया था जबकि, अ॰ सा॰ 7 ने स्वयं कथन किया कि मृतका उसके बगल में बैठी थी और वह मूली खा रही थी जब अपीलार्थी ने उसको उससे लिया था। एक अन्य प्रश्न इस मामले में उद्‌भूत होता है कि मृत शरीर कहाँ से बरामद किया गया था। आई॰ ओ॰ ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित किया है कि मृतका का मृत शरीर मुकेश राम, पुत्र बनवारी राम, के कमरा से अर्थात् इस अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था। अन्य गवाहों के साक्ष्य के मुताबिक, अर्थात् अ॰ सा॰ 3 सूचक, अ॰ सा॰ 4 राजेन्द्र राम के साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि मृत शरीर आंगन में पड़ा था। अ॰ सा॰ 7 ने यह कथन भी किया है कि मृत शरीर कमरा से बाहर ले जाया गया था और बनवारी राम द्वारा इस गवाह को सौंपा गया था। यह सुझाता है कि अभियोजन निश्चित नहीं है कि कहाँ से मृतका का मृत शरीर बरामद किया गया था। इस मामले में, आई॰ ओ॰ जिसने इस मामले का अन्वेषण किया का परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, बचाव द्वारा यह महत्वपूर्ण विरोधाभास आई॰ ओ॰ के समक्ष नहीं रखा गया था। इस प्रकार, बचाव पर प्रतिकूलता कारित हुई है। आगे, उक्त बनवारी राम जो घटना का विश्वसनीय गवाह हो सकता था का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है।

16. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन के संपूर्ण मामले में गंभीर संदेह का तत्व है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मृतका की हत्या का हेतु सिद्ध नहीं कर सका था अथवा कहाँ से मृतका का मृत शरीर बरामद किया गया था सिद्ध नहीं कर सका था। आगे, पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया का गैर परीक्षण बचाव पर प्रतिकूलता कारित करता है।

17. इस प्रकार, ऊपर जो चर्चा की गयी है, उसके समेकित प्रभाव से हम पाते हैं कि अपीलार्थी इस मामले में संदेह का लाभ पाने की हकदार है। अत:, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में विफल हुआ है।

18. परिणामस्वरुप, सत्र विचारण सं॰ 512 वर्ष 2004 में श्री राजेन्द्र कुमार जुमनानी, विद्वान XXवें अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 5 जून 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करके यह अपील अनुज्ञात की जाती है और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जो अभिरक्षा में भी है, को तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

19. अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

एस॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

वासुदेव रॉय

cuke

दिनेश चंद्र रे एवं अन्य

W.P. (C) No. 2451 of 2007. Decided on 17th July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17—अभिवचनों का संशोधन–विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण आरंभ होने के पहले मामला नहीं उठा सका था–आदेश 6 नियम 17 का परन्तुक न्यायालय पर विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन इप्सित करने वाले पक्ष की सम्यक तत्परता के पहलू की परीक्षा करने का कर्तव्य डालता है–न्यायालय को पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न को विनिश्चित करने के प्रयोजन से अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति देने का स्वविवेक है। (पैराएँ 11 एवं 15)

निर्णयज विधि.–AIR 2007 SC 1663 ; 2010(1) JCR 5 (SC)—Distinguished; (2012)2 SCC 300—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s J.P. Jha, S.S. Chouidhary, For the Petitioner; Mr. Abhijeet Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 10 जनवरी, 2007 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा लिखित कथन संशोधित करने की याची की प्रार्थना मुख्यत: इस आधार पर अस्वीकार की गयी है कि इसे विलंब से दाखिल किया गया है। अन्य बातों के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सि॰ प्र॰ सं॰') के आदेश VI नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन दाखिल करके याची द्वारा इप्सित लिखित कथन में संशोधन अनुज्ञात करने के लिए अभिधान वाद सं॰ 24 वर्ष 1996 में विद्वान उप न्यायाधीश III, राजमहल को निर्देश जारी करने की प्रार्थना आगे की गयी है।

3. जैसा रिट याचिका से प्रतीत होता है, मामले का तात्थिक मैट्रिक्स यह है कि मूल प्रत्यर्थी दिनेश चंद्र ने वाद पत्र की अनुसूची ए॰ में वर्णित संपत्ति में अधिकार, अभिधान एवं कब्जा की घोषणा के लिए और कब्जा दिए जाने के लिए भी अभिधान वाद सं॰ 24 वर्ष 1996 दाखिल किया। याची वाद में प्रतिवादी होने के नाते उपस्थित हुआ और लिखित कथन दाखिल किया। तत्पश्चात, वाद अग्रसर हुआ और पक्षों की ओर साक्ष्य भी दिया गया था। तत्पश्चात वाद सुनवाई के लिए नियत किया गया था और उस चरण पर सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन याची द्वारा अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि अनवधानी के कारण उसने लिखित कथन में अभिवचन नहीं किया था कि वह वाद भूमि पर प्रतिकूल रूप से काबिज रहा था और इस दशा में उसे लिखित कथन संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है। किंतु, विद्वान उप न्यायाधीश ने दिनांक 10 जनवरी, 2007 के आदेश के तहत उक्त आवेदन अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि याची द्वारा इप्सित लिखित कथन में उक्त संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाद में साक्ष्य पहले ही बंद कर दिया गया है और याची ने अंशत: मामले पर तर्क किया है।

4. दिनांक 10 जनवरी 2007 के आदेश से व्यथित होकर, याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

5. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने अभिधान एवं कब्जा के संबंध में मूल प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए विस्तारपूर्ण लिखित कथन दाखिल किया गया था। किंतु, अनवधानी के कारण याची लिखित कथन में प्रतिकूल कब्जा का विनिर्दिष्ट अभिवचन नहीं कर सका था और, इसलिए, वह एक नया पैराग्राफ सं॰ 16A इस तथ्य के समर्थन में जोड़ना चाहता था कि वह लंबी अवधि के लिए वाद भूमि पर प्रतिकूल रूप से काबिज रहा था।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद पत्र में और लिखित कथन में संशोधन के लिए प्राथनाएँ भिन्न आधार पर खड़ी हैं। सामान्य सिद्धांत यह है कि वाद पत्र का संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह वाद पत्र में वाद हेतुक अथवा दावा की प्रकृति को तात्विक रूप से परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित नहीं कर सके। किंतु, लिखित कथन के संशोधन के संबंध में यह कठोरता लागू नहीं होती है। अत:, बचाव के नए आधार के योग अथवा बचाव प्रति स्थापित अथवा परिवर्तित किए जाने की परीक्षा उसी मापदंड पर नहीं की जानी चाहिए जो वाद पत्र के संशोधन के लिए आशयित है। इस कारण से, न्यायालय लिखित कथन में संशोधन अनुज्ञात करने में उदार रहे हैं। लिखित कथन में संशोधन प्रतिवादी द्वारा विचारण के किसी चरण पर इप्सित किया जा सकता है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय ने याची का संशोधन आवेदन इस आधार पर अस्वीकार करने में गंभीर गलती किया कि इसे विलंब से दाखिल किया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता अपने तर्क के समर्थन में **AIR 2007 SC 1663 (उषा बाला साहेब स्वामी एवं अन्य बनाम किरण अप्पासो स्वामी एवं अन्य** और **2010 (1) JCR 5 (SC), (सुरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम माखन सिंह)** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

7. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने वाद में प्रतिवादी होने के नाते अत्यन्त विलंबित चरण पर सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन संशोधन आवेदन दाखिल किया जब प्रतिवादी का अंतिम तर्क सुना जा रहा था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा इप्सित लिखित कथन में उक्त संशोधन तात्विक रूप से प्रतिवादी का मामला परिवर्तित करेगा क्योंकि याची ने गैर रजिस्टर्ड दान विलेख के आधार पर वाद भूमि पर अपने अभिधान एवं कब्जा का दावा किया और उक्त स्थिति में याची ने प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपना दावा बदलने का प्रयास किया।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि मूल प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 1996 में वाद दाखिल किया गया था और याची प्रतिवादी के रूप में 19 अगस्त, 1997 को वाद कार्यवाही में उपस्थित हुआ और, तत्पश्चात, लिखित कथन दाखिल किया गया था। बाद में, विवाद्यक विरचित किए गए थे और दोनों पक्षों ने अपना साक्ष्य दिया। किंतु, जब वाद कार्यवाही समापन के कगार पर थी और प्रतिवादी/याची की ओर से अंतिम सुनवाई सुनी जा रही थी, लिखित कथन के संशोधन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। याची द्वारा दाखिल उक्त आवेदन विचारण विलंबित करने के हेतु से था और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से याची द्वारा दाखिल उक्त संशोधन आवेदन अस्वीकार कर दिया। विद्वान उप-न्यायाधीश III, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 10 जनवरी 2007 का आक्षेपित आदेश पूर्णत: वैध है और इसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि मूल प्रत्यर्थी ने वर्ष 1996 में प्रश्नगत वाद दाखिल किया। नोटिस के बाद, याची वाद कार्यवाही में 19 अगस्त, 1997 को प्रतिवादी के रूप में उपस्थित हुआ और

दो वर्ष से अधिक बीतने के बाद अपना लिखित कथन 7 दिसंबर 1999 को दाखिल किया। बाद में, दोनों पक्षों ने अपना परस्पर साक्ष्य दिया और मामला अंतिम रूप से तर्क के लिए 31 अक्टूबर, 2006 को नियत किया गया था याची की ओर से अंशतः तर्क किया गया था और उस चरण पर सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन यह अभिवचन करते हुए कि समय की लंबी अवधि के लिए वाद भूमि पर प्रतिकूल रूप से काबिज रहा था, नया पैराग्राफ सं॰ 16A अंतः स्थापित करके लिखित कथन में संशोधन इप्सित करते हुए दाखिल किया गया था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि वाद की दाखिली की तिथि से लगभग दस वर्ष बाद मामला अंतिम सुनवाई के लिए नियत किया गया था और उस चरण पर, याची द्वारा पूर्वोक्त संशोधन इप्सित किया गया था।

10. यहाँ 1 जुलाई, 2002 के प्रभाव से अधिनियम 22 वर्ष 2002 द्वारा प्रतिस्थापित आदेश VI नियम 17 के संशोधित प्रावधान पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"17. **vfHkopu dk l'kkèku-**&U;k;ky; nkuk e l fdlh Hkh i{kdkj dk dk;okfg;k d fdlh Hkh çØe e vuKk n ldxk fd og viu vfHkopuk dk ,lh jhfr l vkj ,l fucèkuk ij] tk U;k; lxr gk] ifjofrr dj ;k l'kkfèkr dj vkj lHkh ,l l'kkèku fd, tk,x tk i{kdkjk d chp e fooknxLr okLrfod ç'uk d voèkkj.k d ç;ktu d fy, vko';d gkA ijUr fopkj.k d çkjEHk gku d mijkUr l'kkèku d fy, çkFkuk dh vuefr rc rd ugh nh tk,xh tc rd fd U;k;ky; bl fu.k; ij u igp fd mfpr rRijrk d mijkUr Hkh i{k fopkj.k çkjEHk gku l io ekeyk ugh mBk ik;kA***

11. सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के सादे पठन पर यह पता चलेगा कि न्यायालय को पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न विनिश्चित करने के प्रयोजन से अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति किसी पक्ष को देने का स्वविवेक है, किंतु, परन्तुक के साथ कि विचारण आरंभ होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण आरंभ होने के पहले मामला नहीं उठा सका था। किंतु, वर्तमान मामले में याची ने प्रतिवादी होने के नाते वाद पत्र में किए गए प्रकथनों से इनका और इन्हें विवादित करते हुए अनेक आधारों पर काफी पहले 7 दिसंबर, 1999 को अपना लिखित कथन दाखिल किया। इसके अतिरिक्त, वाद भूमि पर कब्जा का दावा भी याची द्वारा उक्त लिखित कथन में गैर-रजिस्टर्ड दान विलेख के आधार पर किया गया था। अतः, याची की ओर से किया गया प्रतिवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसे 7 दिसंबर, 1999 को लिखित कथन की दाखिली के समय पर प्रतिकूल कब्जा का अभिवचन उपलब्ध नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से, याची की ओर से साक्ष्य भी दिया गया था और उसकी ओर से आंशिक तर्क भी किया गया था और उस चरण पर लिखित कथन में संशोधन इप्सित किया गया था जिसे विचारण का समापन विलंबित करने की दृष्टि से किया गया कहा जा सकता है।

12. उषा बाला साहेब स्वामी (ऊपर) में निर्णय जिस पर याची के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वास किया बिलकुल भिन्न ताथ्यिक संदर्भ में आधारित था। उक्त मामले में, प्रतिवादी सं॰ 1 से 7 ने 28 फरवरी, 2003 को वाद में अपनी हाजिरी दिया और लिखित कथन में संशोधन के लिए आवेदन 18 जून, 2003 को दाखिल किया गया था, जिसे सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन, कोल्हापुर द्वारा अनुज्ञात किया गया था, किंतु बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट आवेदन पर संशोधन अनुज्ञात करता आदेश अपास्त कर दिया गया था। उस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाद पत्र के संशोधन की कठोरता लागू नहीं होती है जहाँ तक लिखित कथन के संशोधन का संबंध है क्योंकि दोनों भिन्न आधारों पर खड़े है। किंतु, वर्तमान मामले में याची द्वारा लिखित कथन में संशोधन इप्सित

करने में दस वर्षों से अधिक का विलंब हुआ है, और वह भी ऐसा तथ्य जोड़ने के लिए जो उसको लिखित कथन की दाखिली के समय पर उपलब्ध था।

13. आगे, **सुरेन्द्र कुमार शर्मा (ऊपर)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि वादी द्वारा इप्सित संशोधन विलंबित था, किंतु संशोधन के लिए ऐसे आवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए कि संशोधन अनुज्ञात करना मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए होना चाहिए। उक्त मामले के तथ्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद पत्र में इप्सित संशोधन वाद की प्रकृति एवं चरित्र परिवर्तित नहीं करेगा। किंतु, वर्तमान मामले में लिखित कथन में याची का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि वह दान विलेख के रूप में वाद भूमि पर काबिज रहा था, किंतु लिखित कथन में संशोधन इप्सित करते हुए प्रतिकूल कब्जा का तथ्य जोड़ा जाना इप्सित किया गया था जो लिखित कथन में याची द्वारा लिए गए पूर्व दृष्टिकोण के बिलकुल विपरीत होता है और, इसलिए, उक्त संशोधन का वाद की प्रकृति एवं चरित्र पर गंभीर प्रभाव होगा।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जे॰ सैमुअल एवं अन्य बनाम गट्टू महेश एवं अन्य, (2012)2 SCC 300** के मामले में, पैरा सं॰ 16, 17, 18 एवं 19 में सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश VI, नियम 17 के संशोधित प्रावधान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर विचार करते हुए निम्नवत् अभिनिर्धारित किया:–

> *"16. tSlk igys dgk x;k g] orZeku ekeys esa Lo;a lS'kkèku vkonu rdZ dk ijk djus d ckn vkj fu.kZ; d fy, ekeyk fnukd 4.10.2010 dk fu;r dj nu d ckn nkf[ky fd;k x;k FkkA vkn'k VI d fu;e 17 d ijUrd dh lefpr 0;k[;k ij i{k dk U;k;ky; dk lrr"V djuk gkxk fd og lE;d rRijrk d ckotn ml vkèkkj dk irk ugh yxk ldk Fkk ftlI l'kkèku }kjk vfHkopfur fd;k x;k FkkA fuf'pr rkSj ij ;g n'kkZ;k fd fopkj.k ds vfHkopuksa dks l'kksèkr djuk d fy, U;k;ky; dk 'kfDr çnku djrk gA fdr] ijUrd ,d ckj fopkj.k vkjHk gk tku ij ml 'kfDr dk fucfèkr djrk gA tc rd U;k;ky; lrr"V ugh g fd l'kkèku dh vuefr nu d fy, ;fDr;Dr dkj.k g] lkekU;r% U;k;ky; ,l vujkèk dk vLohdkj djxkA*
>
> *17. rd fn;k x;k Fkk fd pfd okn nkf[ky djus d igys ukfVl e fn, x, r;kjh vkj bPNk d çfr fun'k g vkj okn h u lk{; Hkh fn;k g] mDr vkonu xg.k djus l U;k;ky; dk dN Hkh vioftr ugh djrk Fkk ftl ge fofufn"V vurk"k vfèkfu;e dh èkkjk 16 (c) vkj vkn'k VI fu;e 17 d ijUrd d vkyksd e Lohdkj djus e v{ke gA 'kiFki= d :i e dfFkr ,dek= dkj.k ^^Vd.k xyrh** }kjk fd;k x;k ykiu gA LohÑr :i l] fdlh 'kCn vFkok xf.krh; l[;k dk mYy[k djuk ykiu ugh gA ykiu fofufn"V vfHkopu d çfr fun'k e g ftldh vkKk fofufn"V vurk"k vfèkfu;e dh èkkjk 16 (c) d fucèkuksa ds }kjk nh x;h gA*
>
> *12. U;k;ky; dk çe[k y{; x.kkx.kk ij ekeys dk fopkj.k djuk g vkj ;g lfuf'pr djuk g fd U;k; dk ç'kklu cuk jgA bl d fy, ;g vko';d g fd U;k;ky; d le{k ekeys d lgh rF;k dk çLrr fd;k tk, rkfd v iu fu.kZ; ij vku d fy, U;k;ky; dh igp leLr çklfxd lpuk rd gkA vr%] dHkh&dHkh bl i{kk dk viuk okni= l'kkfèkr djus dh vuefr nu dh vko';drk gkrh gA viu vfHkopuks dk l'kkfèkr djus d fy, i{kk dk vuefr nu dk U;k;ky; dk Lofood nk 'krk ij vkèkkfjr g] çFker%] nlj i{k d lkFk dkb vU;k; u gk vkj f}rh;r%] i{kk d chp fooknxLr okLrfod ç'u dk voèkkfjr djus d ç;kstu l l'kkèku vko';d gkA fdr] U;k; djus d vulj.k*

e i{kk d fgr dk lrfyr j[ku d fy, ijUrd tkMk x;k g tk Li"Vr% dFku djrk g fd%

^^ ------ fopkj.k vkjHk gk tku d ckn l'kks/ku d fy, vkonu dh vuefr rc rd ugh nh tk,xh tcrd U;k;ky; bl fu"d"k ij ugh vkrk g fd lE;d rRijrk d ckotn i{kdkj fopkj.k vkjHk gku d igy ekeyk ugh mBk ldk FkkA** ¼ tkj Mkyk x;k½

19. lE;d rRijrk dk vFk g fd dfri; çdkj d vurk"k dk vujks/k dju d igy ;fDr;Dr vUo"k.k vko';d gA çR;kf'kr vurk"k çkIr dju d fy, U;k;fu.kk;d edfuTe dk mi;kx bfIlr dju oky i{kdkj d fy, lE;d rRij ç;kl djuk vko';d gA fdlh dk çfrfufèkRo dju oky vfèkoDrk dk ;g voèkkfjr dju d fy, fd fd;k x;k 0;in'ku rkfF;d :i l lgh vkj i;kIr g] lE;d :i l rRij gkuk gkxkA 'kCn ^lE;d rRijrk* dk ç;kx fofufn"Vr% lfgrk e fd;k x;k g rkfd ;g voèkkfjr dju d fy, ijh{kk çkoèkkfur dh tk ld fd fopkj.k vkjHk gku d ckn l'kks/ku dk vujks/k fd, tku dh fLFkfr;k e Lofood dk ç;kx fd;k tk, ;k ughA**

15. जे॰ सैमुअल (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिशीलन पर यह सामने आएगा कि (1 जुलाई 2002 के प्रभाव से अधिनियम 22 वर्ष 2002) द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 में संशोधन के बाद मुख्य जोर शब्द ''सम्यक तत्परता'' पर है जिसे विनिर्दिष्टत: यह विनिश्चित करने के लिए परीक्षा के रूप में प्रावधानित किया गया है कि क्या विचारण के आरंभ के बाद इप्सित संशोधन की स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने अभिवचन का संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का न्यायालय का स्वविवेक दो शर्तों पर है: प्रथमत: दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और द्वितीयत: संशोधन पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न को विनिश्चित करने के प्रयोजन से आवश्यक होना ही चाहिए। किंतु, पक्षों का हित संतुलित बनाए रखने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 का परन्तुक अत्यन्त महत्व का है, जो विनिर्दिष्टत: प्रावधानित करता है कि संशोधन के लिए आवेदन विचारण आरंभ होने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्ष विचारण आरंभ होने के पहले मामला नहीं उठा सका था। इस प्रकार, आदेश VI नियम 17 का उक्त परन्तुक न्यायालय पर विचारण के बाद संशोधन इप्सित करने वाले पक्ष की ओर से 'सम्यक तत्परता' के पहलू की परीक्षा करने का कर्तव्य डाला गया है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यद्यपि याची द्वारा 7 दिसंबर, 1999 को लिखित कथन दाखिल किया गया था, प्रस्तावित संशोधन दिसंबर, 2006 अर्थात् मूल लिखित बयान की दाखिली के सात वर्षों से भी अधिक बाद, वह भी प्रतिकूल कब्जा के तथ्य का अंत: स्थापन इप्सित करते हुए जो याची को मूल लिखित कथन की दाखिली के समय पर उपलब्ध था, को सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन दाखिल आवेदन द्वारा तर्क के चरण पर याची द्वारा इप्सित किया गया था और, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची विलंबित रूप से उक्त संशोधन इप्सित करने में 'सम्यक तत्परता' की परीक्षा में सफल हुआ।

17. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं अभिधान वाद सं॰ 24 वर्ष 1996 में विद्वान उप-न्यायाधीश, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 10 जनवरी, 2007 के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश, अगर काई हो, रिक्त किया जाता है।

18. विद्वान अवर न्यायालय को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर तर्क के लिए मामला नियत करने और तत्पश्चात दो माह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र वाद कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

देवेन्द्र नाथ सिन्हा

cuke

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

W.P. (S) No. 6312 of 2006. Decided on 28th July, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

(क) सेवा विधि–बर्खास्तगी–बैंकिंग सेवा–याची ने लखनऊ में अपने स्थानांतरित पद पर पद ग्रहण नहीं किया था–याची किसी आदेश के बिना अथवा किसी प्राधिकार के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित था–यह याची का अवकाश अप्राधिकृत बनाता है–विभागीय कार्यवाही में याची उपस्थित नहीं हुआ था और बैंक एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ और बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया–याची के विरुद्ध कार्यवाही का आरंभ मान्य ठहराया गया। (पैरा 11)

(ख) सेवा विधि–बर्खास्तगी–बैंकिंग सेवा–भावी नियोजन के लिए अनर्हता–दंड किए गए अवचार के अनुकूल होना चाहिए–याची गंभीर रूप से बीमार था और अनेक शल्य चिकित्सा करवा चुका था और अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका था–उसकी अनुपस्थिति जान-बूझकर नहीं थी, यद्यपि इसे अप्राधिकृत कहा जा सकता है–बर्खास्तगी का दंड आरोप के अनुकूल नहीं है–दंड का अधिनिर्णय जो घोर रूप से अभिकथन के प्रति अत्यन्त अधिक है, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुला है–बर्खास्तगी का दंड अपास्त किया गया और दंड की मात्रा पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ मुख्य प्रबंधक को मामला वापस भेजा गया।

(पैराएँ 12 से 17)

निर्णयज विधि.–2001(1) 282 JLJR ; 2008 (4) JCR 345 (Jhr) ; AIR 2004 SC 2131—Referred; (2009) 15 SCC 620; (2009) 7 SCC 301—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, For the Petitioner; Mr. Vijay Kumar Roy, For the Respondents.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (इसमें इसके बाद 'बैंक' के रूप में निर्दिष्ट) में 1.9.1980 को नियुक्त किया गया था। वह 18.3.2004 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जब उसे राँची में अस्पताल में भरती किया गया था, समय के उस बिन्दु पर वह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कार्यालय, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रभार में भी था। याची के अनुरोध पर, बैंक ने याची को क्षेत्रीय कार्यालय में 45 दिन तक काम जारी रखने की अनुमति दिया। दिनांक 17.5.2004 का उक्त आदेश इस रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 पर अभिलेख पर लाया गया है। याची सर्वोत्तम इलाज के बावजूद पूरी तरह ठीक नहीं हो हो सका था और तीन माह के भीतर उसे दो शल्य

चिकित्सा करवाना पड़ा था। बैंक ने सर्जरी के लिए अग्रिम के रूप में व्यय पूरा करने के लिए 30,000/- रुपया दिया। मंजूरी का यह दस्तावेज इस रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 पर अभिलेख पर लाया गया है। डॉक्टर ने याची को 13.10.2004 से अपना कर्तव्य ग्रहण करने की अनुमति दी, किंतु छह माह के लिए अपने हाथ के निर्बंधित उपयोग के साथ और उसे नियमित फीजियोथेरापी की सलाह भी दी गयी थी। याची ने कम से कम और छह माह के लिए राँची में काम करने की उसको अनुमति देने का अनुरोध बैंक से करते हुए अभ्यावेदन दाखिल किया। बैंक प्राधिकारियों ने याची के मामले पर विचार किए बिना उसको राँची से भारमुक्त किया और दिनांक 18.10.2004 के पत्र के तहत उसको सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कार्यालय, जमशेदपुर में पदग्रहण करने का निर्देश दिया। याची दावा करता है कि यद्यपि वह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जमशेदपुर में पदग्रहण करने की अवस्था में नहीं था, फिर भी चूँकि उसका उच्चतर प्राधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने का आशय नहीं था, उसने तुरन्त पदग्रहण किया और समस्त कठिनाईयों का सामना करके वहाँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगा। यह कथन किया गया है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 28.10.2004 से वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवस्था में नहीं था। उसने अपने वरीय अधिकारियों को सूचित किया, तत्पश्चात वह अवकाश पर चला गया। याची ने पुनः 16.11.2004 को प्राधिकारियों से बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने के लिए वेतन की हानि के साथ उसको अवकाश पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया किंतु, इसे स्वीकार नहीं किया गया था और याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद दिनांक 22.12.2004 के मेमो सं॰ JSR/PRS/04-05/366 के तहत याची को सूचित किया गया था कि बैंक के जोनल कार्यालय, पटना द्वारा जारी दिनांक 22.12.2004 के पत्र के निबंधनानुसार याची को जोनल कार्यालय, लखनऊ स्थानांतरित किया जाता है। दिनांक 22.12.2004 के उसी पत्र के तहत याची को जोनल कार्यालय, लखनऊ में अपना पदग्रहण करने के लिए भारमुक्त किया गया। इस बीच, याची को पुनः अस्पताल में भरती किया गया था और वह 27.12.2004 से 2.1.2005 तक अस्पताल में बना रहा। तत्पश्चात, याची ने 14.1.2005 को अपने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया और अपना स्थानांतरण आदेश रद्द करने का अनुरोध किया, किंतु, उसका अवकाश आवेदन इस आधार पर लौटा दिया गया था कि उसे पहले ही दिनांक 22.12.2004 के आदेश के तहत जोनल कार्यालय, लखनऊ स्थानांतरित किया गया था।

3. याची मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यथित था। उसने अपने त्यागपत्र का प्रस्ताव देते हुए पत्र भेजा और उसकी बीमारी को विचार में लेते हुए नोटिस अवधि अधित्यजित करने का अनुरोध किया। त्यागपत्र का उक्त प्रस्ताव याची द्वारा इस रिट आवेदन के परिशिष्ट 10 पर अभिलेख पर लाया गया है। बैंक ने उक्त पत्र प्राप्त किया और दिनांक 19.3.2005 के पत्र के तहत याची को सूचित किया कि उसे तीन माह की नोटिस अवधि के अवसान पर सेवानिवृत्त होता नहीं समझा जा सकता है जब तक इस संबंध में प्रबंधन से याची द्वारा विनिर्दिष्ट संसूचना प्राप्त नहीं की जाती है। समय के किसी बिन्दु पर याची द्वारा त्याग पत्र के प्रस्ताव पर संसूचना प्राप्त नहीं की गयी थी। तत्पश्चात, दिनांक 8.10.2005 के आदेश के तहत याची को आरोप ज्ञापन उसमें यह कथन करते हुए जारी किया गया था कि याची ने अवचार किया है क्योंकि वह अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। आरोप की मदें सुझाती हैं कि चूँकि याची 22.12.2004 से शाखा कार्यालय, जमशेदपुर से भारमुक्त किए जाने के बाद 29.10.2004 से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित बना रहा और चूँकि याची ने जोनल कार्यालय, लखनऊ में पदग्रहण नहीं किया है, उसने अवचार किया है। यह उल्लेख भी किया गया था कि आरोप-पत्र जारी करने के पहले, याची अनुपस्थित भी था और अगस्त 2004 में 25 दिन, सितंबर 2004 में 30 दिन और अक्टूबर 2004 में 19 दिन के लिए वेतन की हानि से पीड़ित हुआ।

4. याची ने विभागीय आरोप पत्र की प्राप्ति पर बैंक को अभ्यावेदन उसमें यह कथन करते हुए भेजा कि चूँकि वह दुर्घटना से उद्भूत होने वाली स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित था, उसके लिए लखनऊ जाना संभव

नहीं था। उसने अनुशासनिक प्राधिकारी से राँची में जाँच करने का अनुरोध किया, क्योंकि लखनऊ में कार्यवाही में भाग लेना उसके लिए संभव नहीं था।

5. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि पर, याची ने प्रत्यर्थियों को नोटिस अवधि अधित्यजित करने तथा उसका त्याग पत्र स्वीकार करने के निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए रिट आवेदन दाखिल किया है।

6. बैंक ने प्रत्युत्तर में अपना प्रतिशपथ पत्र उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि याची अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित था। प्रतिशपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि याची को सम्यक् रूप से सूचित किया गया था कि नोटिस अवधि के समापन पर त्यागपत्र का समझा गया स्वीकरण का प्रावधान नहीं है। यह उल्लेख किया गया है कि त्यागपत्र के प्रस्ताव का स्वीकरण होना होगा और केवल तब याची का त्यागपत्र स्वीकार किया गया समझा जाएगा। यह उल्लेख भी किया गया है कि चूँकि याची अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित बना रहा, उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। यह उल्लेख भी किया गया है कि विभागीय कार्यवाही में नियत तिथियाँ 27.2.2006, 13.3.2006, 28.3.2006, 17.4.2006, 2.5.2006 और 30.5.2006 थीं। चूँकि याची जाँच में निजी रूप से उपस्थित नहीं हुआ था, इस प्रकार जाँच कार्यवाही एक पक्षीय रूप से 30.5.2006 को समाप्त की गयी थी। यह निवेदन भी किया गया है कि चूँकि याची का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया था और प्रबंधन द्वारा जोनल कार्यालय, लखनऊ में रिपोर्ट करने का अनुरोध उससे किया गया था जिसे करने में वह विफल रहा, कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति 'अप्राधिकृत अनुपस्थिति' के रूप में मानी गयी है। यह उल्लेख किया गया है कि याची ने विभागीय जाँच में सहयोग नहीं किया था क्योंकि उसने जाँच में भाग भी नहीं लिया था। यह उल्लेख किया गया है कि याची का यह कृत्य गंभीर अवचार है।

7. यह उल्लेख करना उपर्युक्त है कि इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान बैंक ने विभागीय कार्यवाही समाप्त किया और मेमो सं॰ ZO: HRD: DAD: 2006-07, 656 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 11.10.2006 के आदेश के तहत सेवा से याची को बर्खास्त करता आदेश पारित किया। सेवा से बर्खास्तगी का प्रभाव भावी नियोजन के लिए अनर्हता के रूप में भी होगा। बर्खास्तगी के इस आदेश को याची द्वारा संशोधन आवेदन के रूप में चुनौती दी गयी है जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.12.2006 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची की बर्खास्तगी का आदेश पूर्णत: दोषपूर्ण है और तथ्यों पर इस याची को बर्खास्त नहीं किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि यह बैंक प्राधिकारियों की जानकारी में था कि याची दुर्घटना के कारण अनेक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित था। वह निवेदन करती हैं कि बैंक प्राधिकारियों ने स्वयं उसके इलाज के लिए 30,000/- रुपया मंजूर किया था और याची को 45 दिनों के लिए राँची से काम करने की अनुमति भी दिया था जो दर्शाता है कि यह बैंक प्राधिकारियों की जानकारी में था कि यह याची काम करने में अक्षम है। वह निवेदन करती हैं कि बीमारी के बावजूद उच्चतर प्राधिकारी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने जमशेदपुर में पदग्रहण किया, किंतु जब वह अस्पताल में भरती था, असद्भावपूर्ण आशय के साथ याची को जमशेदपुर से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याची की शारीरिक नि:शक्तता की दृष्टि में जमशेदपुर से लखनऊ उसका स्थानांतरण याची की ओर प्राधिकारियों का रवैया दर्शाता है। यह निवेदन किया गया है कि याची ने पहले जमशेदपुर से राँची उसको स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया था, किंतु इसके स्थान पर उसे लखनऊ स्थानांतरित किया गया था जो राँची (जहाँ वह इलाज करवा रहा था) से काफी दूर था। यह निवेदन किया गया है कि अपनी बीमारी के कारण लखनऊ में पद ग्रहण नहीं करने का पर्याप्त आधार था, इस दशा में उसकी अनुपस्थिति अप्राधिकृत नहीं कही जा

सकती है। वह निवेदन करती हैं कि चूँकि याची काम करने की अवस्था में नहीं था, उसने त्यागपत्र दिया किंतु दुर्भाग्यवश इसे स्वीकार नहीं किया गया था और याची को पीड़ित होने के लिए मजबूर किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि केवल प्रतिशोध के दृष्टिकोण से विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और याची को आक्षेपित आदेश द्वारा बर्खास्त किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता तर्क करती हैं कि प्रत्यर्थी को यह ज्ञात था कि वह काम करने की अवस्था में नहीं था, उसका त्यागपत्र स्वीकार करने में बाधा नहीं थी। त्यागपत्र स्वीकार करने के बावजूद याची को केवल समस्त/किसी धनीय लाभ से वंचित करने के लिए सेवा से बर्खास्त किया गया था। अंत में यह निवेदन किया गया है कि इस मामले के तथ्यों पर दंड अभिकथित अवचार के अनुरुप नहीं है और अत्यधिक कठोर है। अपना तर्क पुख्ता करने के लिए वह **मनिन्द्रा कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2001 (1) 282 JLJR; संतोष कुमार दास बनाम भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य, 2008 (4) JCR 345 (Jhr.)** और **भगवान लाल आर्या बनाम आरक्षी आयुक्त, दिल्ली एवं एक अन्य, AIR 2004 SC 2131** में निर्णयों पर विश्वास करती हैं।

9. बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से याची की अनुपस्थिति अप्राधिकृत है। वह निवेदन करते हैं कि याची यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज/आदेश लाने में विफल रहा है कि याची को अवकाश प्रदान किया गया था। वह निवेदन करते हैं कि याची ने स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन किया है और लखनऊ में अपने स्थानांतरित स्थान पर पदग्रहण नहीं किया है और बैंक विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए अपनी अधिकारिता के सुअंतर्गत था। याची कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था जो एकपक्षीय रूप से समाप्त हुई और अंतत: याची को बर्खास्त किया गया था। अंत में वह निवेदन करते हैं कि विभागीय कार्यवाही में अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है और ऐसा होने के नाते न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी बैंक के मुताबिक इस रिट आवेदन को खारिज करने की आवश्यकता है।

10. उक्त विवरणानुसार मामले के तथ्यों से, मैं पाता हूँ कि याची सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है। स्वीकृत रूप से, वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सर्जरी करवाया, कम से कम दो बार। उसे जमशेदपुर में पद धारण करने के बावजूद उसकी शारीरिक नि:शक्तता को विचार में लेते हुए बैंक द्वारा उसे राँची से काम करने की अनुमति दी गयी थी। याची ने उसको राँची में पदस्थापित बने रहने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार नहीं किया गया था बल्कि उसे जमशेदपुर में पदग्रहण करने के लिए भार मुक्त किया गया था। याची ने जमशेदपुर में पदग्रहण किया और 28.10.2004 तक काम किया और तत्पश्चात, उसके स्वास्थ्य ने उसको जमशेदपुर में काम करने की अनुमति नहीं दी। वह अवकाश पर गया। उसका वेतन बिना अवकाश का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। तत्पश्चात, बैंक ने उसे दिनांक 28.12.2004 के आदेश के तहत लखनऊ स्थानांतरित किया। चूँकि याची बैंक में सेवा देने और काम करने की अवस्था में नहीं था, उसने अपना त्यागपत्र दिया किंतु बैंक ने इसे स्वीकार नहीं किया था। चूँकि याची ने लखनऊ में पदग्रहण नहीं किया था, बैंक ने विभागीय कार्यवाही आरंभ किया और एक पक्षीय कार्यवाही जारी रखा और तत्पश्चात, दिनांक 16.11.2004 के आदेश के तहत याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

11. उक्त उल्लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याची ने लखनऊ में अपने स्थानांतरित पद को ग्रहण नहीं किया था। स्वीकृत रूप से, याची को कोई अवकाश मंजूर करने वाला उच्चतर प्राधिकारियों से आदेश नहीं था। इस प्रकार, याची किसी आदेश के बिना अथवा किसी प्राधिकार के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित था। यह याची का अवकाश अप्राधिकृत बनाता है। चूँकि याची की अनुपस्थिति अप्राधिकृत थी, बैंक के पास विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के अलावा विकल्प नहीं था। स्वीकृत रूप से, याची

विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था। इस प्रकार, बैंक एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ और दिनांक 11.10.2006 के आदेश के तहत बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया। बर्खास्तगी के दंड का प्रभाव भावी नियोजन के लिए अनर्हता है। आगे वह अपना धनीय लाभ नहीं पाएगा। मामले के तथ्यों पर, चूँकि याची अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित था, मैं महसूस करता हूँ कि याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ किया जाना न्यायोचित है।

12. अब, प्रश्न यह है कि दंड की मात्रा क्या होगी। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दंड किए गए अवचार के अनुरुप होना चाहिए। इस मामले में, यह देखना होगा कि क्या अवचार जानबूझकर अथवा याची को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने से उसके नियंत्रण के परे परिस्थितियों द्वारा रोका गया था।

13. अभिलेख से, मैं पाता हूँ कि याची गंभीर रूप से बीमार था और अनेक सर्जरी करवाया था और अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका था। याची द्वारा बैंक को यह तथ्य सूचित किया गया था। बैंक को इस तथ्य की जानकारी थी क्योंकि उसको अग्रिम प्रदान किया गया था और राँची से काम करने की अनुमति दी गयी थी। स्थिति ऐसी थी कि याची को अपना त्याग पत्र भी देना पड़ा था। याची की यह कार्रवाई सुझाती है कि वह काम करने की अवस्था में नहीं था। इस प्रकार, उसे अपने नियंत्रण के परे कारणों से कर्तव्य पर उपस्थित होने से रोका गया था। इस प्रकार, उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं हुई है, यद्यपि, इसे ''अप्राधिकृत'' कहा जा सकता है। इस प्रकार, बर्खास्तगी का दंड आरोप के अनुरुप नहीं है।

14. विभागीय कार्यवाही में आरोपित दंड जो सदमा देने वाला अननुपातिक है में निश्चय ही न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम मुकुल कुमार चौधरी एवं अन्य, (2009)15 SCC 620,** में अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय विधि शास्त्र में आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सुमान्यता प्राप्त है। जो अन्यथा स्वविवेक क्षेत्र में है और एक बार अवचार का आरोप सिद्ध किए जाने पर दंड निर्धारित करना निर्णय करने वाले की एकमात्र शक्ति है, ऐसी स्वविवेकी शक्ति न्यायिक मध्यक्षेप के लिए खुली है यदि इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है जो बिल्कुल दोष के अननुपातिक है। दंड का अधिनिर्णय जो घोर रूप से अभिकथन के आधिक्य में है, उन्मुक्तता का दावा नहीं कर सकता है और न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमित विस्तार के अधीन हस्तक्षेप के लिए खुला बना रहता है। आगे उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में परीक्षा अधिकथित किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"20. nM dh ek=k d ç'u ij fopkj djr g, ykx dh tku okyh ijh{kk vk e l ,d ;g gkxh D;k fdlh ;fDr;Dr fu;ktd u le#i ifjfLFkfr e , lk nM vfèkjkfir fd;k gkrk\ Li"Vr%] ;fDr;Dr fu;kDrk l nM vfèkjkfir dju d igy vopkj dh ek=k] fo'kkyrk rFkk fMxh dk vkj vU; leLr çklfxd ifjfLFkfr;k dk fopkj e yu vkj vçklfxd ekeyk dk vioftr dju dh mEeln dh tkrh gA***

उक्त मामले में, **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड (ऊपर)** में, कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित था जिसके लिए विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी और उसे सेवा से हटाया गया था। कर्मकार ने अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट किया जिसे नियोक्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ अपचारी अवचार से आरोपित किए जाने पर निष्पक्ष रूप से अपना दोष स्वीकार करता है और अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करता है, हटाए जाने का दंड न केवल असम्यक रूप से कठोर है बल्कि घोर रूप से अभिकथन के परे है।

15. जगदीश सिंह बनाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य, (2009)7 SCC 301 में यथा उद्धृत **वी॰ रमना बनाम ए॰ पी॰ एस॰ आर॰ टी॰ सी॰** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य क्रम में यदि अधिरोपित दंड आघातपूर्ण रूप से अननुपातिक है, अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी को अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना समुचित होगा।

16. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों का निर्णयाधार लागू करते हुए, मैं पाता हूँ कि इस मामले में याची ने संतोषजनक रूप से स्थानांतरित पद नहीं ग्रहण करने का कारण स्पष्ट किया था। नियोक्ता से वर्तमान मामले में युक्तियुक्त रूप से कृत्य करने की अपेक्षा थी, खासकर जब याची ने स्वयं अपनी बीमारी के कारण त्यागपत्र देने का प्रस्ताव दिया है। इस चरण पर यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि यद्यपि बैंक ने प्रतिशपथ पत्र में कथन किया है कि याची को उसके द्वारा इस प्रभाव की किसी संसूचना को प्राप्त किए जाने तक सेवा से त्यागपत्र देने वाला नहीं समझा जा सकता है, किंतु आज की तिथि तक याची द्वारा बैंक से त्याग पत्र के लिए अपने आवेदन पर संसूचना प्राप्त नहीं की गयी है। मॉडल नियोक्ता से मामले के तथ्यों पर याची के त्यागपत्र आवेदन को शीघ्रातिशीघ्र विनिश्चित करने तथा आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है। आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की छूट बैंक को है किंतु यह इसे लंबित नहीं रख सकता है। इस मामले में याची को उक्त त्याग पत्र स्वीकार या अस्वीकार करते हुए बैंक से कोई सूचना नहीं भेजी गयी थी। त्यागपत्र स्वीकार किया जाना स्पष्टत: दर्शाता है कि याची की ओर से कोई वास्तविक मुश्किल थी। चूँकि वह काम करने की अवस्था में नहीं था, सेवा से त्यागपत्र देने का उसका आशय था। इस पृष्ठभूमि पर बैंक को व्यवहारिक दृष्टिकोण से याची के मामले पर विचार करना चाहिए था। बैंक ने सहानुभूतिपूर्ण हुए बिना याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह न्यायालय महसूस करता है कि बर्खास्तगी का दंड इस मामले के तथ्यों पर याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अनुपात में नंहीं है। याची को वास्तविक रूप से अपनी सेवा ग्रहण करने से रोका गया था और वस्तुत: वह ऐसा करने की अवस्था में नहीं था जो इस तथ्य से समर्थित है कि याची ने त्यागपत्र देने का आशय रखा।

17. इस प्रकार, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि सेवा से याची की बर्खास्तगी का दंड मामले के तथ्यों पर पूर्णत: दोषपूर्ण है। यह आघातपूर्ण रूप से अननुपातिक है। इस प्रकार, दिनांक 11.10.2006 का आदेश जहाँ तक यह बर्खास्तगी के दंड के अधिरोपण से संबंधित है अपास्त किया जाता है। उसके त्यागपत्र और दशा जिसने उसको कर्तव्य पर उपस्थित होने से रोका को विचार में लेते हुए याची के दंड की मात्रा पर पुनर्विचार करने और नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामला मुख्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे को वापस भेजा जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित प्रत्यर्थीगण, मुख्य प्रबंधक अथवा उसका नाम निर्देशिती याची के अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर ऊपर किए गए संप्रेक्षणों को विचार में लेने के बाद तार्किक आदेश पारित करेंगे।

18. पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह आवेदन अंशत: अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

मो॰ सगीर आलम

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 263 of 2002. Decided on 20th July, 2017.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

भारतीय वन अधिनियम, 1927—धारा 52 (3)—वन अपराध के संबंध में अधिहृत ट्रक की निर्मुक्ति–आवश्यकता आज्ञापक है कि स्वामी को सिद्ध करना होगा कि उसे जानकारी नहीं थी अथवा मौनानुकुलता नहीं थी–यह मामला उसकी जानकारी के भीतर है–किसी अन्य चीज के बिना प्राख्यान मात्र पर्याप्त नहीं होगा–याची द्वारा जानकारी की कमी के संबंध में अभिवचन कभी नहीं किया गया था–अवर न्यायालयों द्वारा तथ्यों के तीन समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–(2008) 12 SCC 763—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Uday Choudhary, For the Petitioner; Mr. Kaustav Roy, For the State-Respts.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका अधिहरण केस सं॰ 67 वर्ष 1997 में डिविजल वन अधिकारी–सह–अधिहरण प्राधिकारी, गिरीडिह द्वारा पारित दिनांक 28.5.1997 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची का रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 वाला ट्रक अधिहृत करने का आदेश दिया गया है। अपील सं॰ 13/97 में जिला दंडाधिकारी, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 2.7.1997 के आदेश और पुनरीक्षण याचिका सं॰ (सी॰) 28/97 में सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, झारखंड सरकार, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.8.2001 के आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण दोनों खारिज कर दिया गया है के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

3. मामले की ताथ्यिक पृष्ठ भूमि यह है कि डिविजनल वन अधिकारी–सह–अधिहरण प्राधिकारी गिरीडीह द्वारा दिनांक 14.11.1996 के पत्र सं॰ 3233 के तहत यह कारण बताने के लिए कहता जारी किया गया नोटिस प्राप्त किया कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 वाला उसमें कोयला से लदा ट्रक भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार अधिनियम 9 वर्ष 1990) (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के तौर पर निर्दिष्ट) की धारा 52(3) के अधीन क्यों नहीं जब्त कर लिया जाय। कारण बताओ नोटिस में यह अभिकथित किया गया है कि उक्त ट्रक धोबीडीह अधिसूचित वन क्षेत्र में अवैध खनन के बाद कोयला परिवहित करते हुए 13.11.1996 को ग्राम कल्याणडीह में जब्त किया गया था। याची ने 20.11.1996 को कारण बताओ का उत्तर यह कथन करते हुए दाखिल किया कि उसका रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 वाले ट्रक के साथ सरोकार नहीं है, बल्कि वह रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339, (G) वाले ट्रक का स्वामी है, जो घटना की अभिकथित तिथि पर मेसर्स प्रीमियर, ब्रिकेट्स इंडस्ट्रीज, मगमा, धनबाद के कारखाना से फायर ब्रिक्स लाने के लिए मेसर्स बिहार एन्ड रिफ्रैक्ट्री मिनरल, बरावड्डा द्वारा काम पर लगाया गया था। अंतत: दिनांक 28.5.1997 के आदेश के तहत अधिहरण प्राधिकारी ने 5-6 टन कोयला के साथ रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 वाला ट्रक अधिहृत किया। तद्द्वारा व्यथित होकर, याची ने जिला दंडाधिकारी, गिरीडिह के समक्ष अधिहरण अपील सं 13 वर्ष 1997 दाखिल किया जिसे 2.9.1997 को खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, याची ने पुनरीक्षण याचिका सं॰ (सी॰) 28/97 सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, झारखंड सरकार, राँची के समक्ष दाखिल किया जिसे भी 18.8.2001 को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया था कि याची यह संतुष्ट करने में विफल रहा है कि वह अथवा उसका चालक (एजेन्ट) अधिनियम के निबंधनानुसार वन अपराध की कारिता में अंतर्ग्रस्त नहीं था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि डिविजनल वन अधिकारी, गिरीडिह द्वारा पारित अधिहरण आदेश अवैध एवं अधिकारिताहीन है। आगे, उपायुक्त, गिरीडीह द्वारा अपील में पारित आदेश

और सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, झारखंड सरकार द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश भी विवेक के गैर–इस्तेमाल से पीड़ित है, और इसलिए अपास्त किये जाने का दायी है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि ट्रक जिसे अवैध वन उत्पाद (कोयला) ढोता पाया गया था की रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 थी जबकि याची के ट्रक की रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 (G) है और चूंकि उक्त वाहन किसी वन अपराध में कभी अंतर्ग्रस्त नहीं था, इसका अधिहरण भी अनावश्यक था। विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि याची को किसी वन अपराध की कारिता की जानकारी नहीं थी और, इसलिए, अधिनियम की धारा 52 (5) के प्रावधानों की दृष्टि में अधिहरण अधिकारी को याची के ट्रक के अधिहरण का आदेश पारित करते हुए उक्त पहलू पर विचार किया जाना चाहिए था। किंतु, अधिहरण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 52 (5) के उल्लंघन में आदेशों को पारित किया। अत:, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश अवैध होने के कारण अपास्त किए जाने के दायी हैं।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची लगातार झूठा बयान दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 एवं BR-17A-6339 (G) वाले ट्रक दो भिन्न ट्रक हैं। याची समस्त प्राधिकारियों के समक्ष–उक्त तथ्य सिद्ध करने में विफल रहा, अत:, इस चरण पर उक्त अभिवचन नहीं किया जा सकता है। वस्तुत:, डिविजनल वन अधिकारी ने याची को सम्यक अवसर देने और मामले में अंतर्ग्रस्त समस्त प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए अधिहरण आदेश पारित किया है, अत:, इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याची द्वारा किए गए ताथ्यिक अभिवचन पर विचार करते हुए तार्किक आदेश पारित किया है और इस प्रकार यह न्यायोचित एवं वैध है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि जहाँ तक याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का संबंध है कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 तथा BR-17A-6339 (जी॰) वाले ट्रक दो भिन्न ट्रक हैं, उक्त तथ्य पहले ही जिला परिवहन अधिकारी, धनबाद द्वारा सत्यापित किया गया है, जिन्होंने डिविजनल वन अधिकारियों, धनबाद एवं गिरीडीह को जारी क्रमश: दिनांक 14.11.1996 के पत्र सं॰ 3785 और दिनांक 14.5.1997 के पत्र सं॰ 1067 के अपने पत्र के तहत सूचित किया कि रजिस्ट्रेशन सं॰ BR-17A-6339 तथा BR-17A-6339 (G) वाले ट्रकों के बीच अंतर नहीं है। इंजन और चैसिस संख्या भी एक ही है। अन्य बातों के साथ यह कथन भी किया गया है कि उक्त ट्रक का स्वामी मो॰ सगीर आलम अर्थात् रिट याची है। उक्त तथ्य की दृष्टि में, मैं याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में कोई सार नहीं पाता हूँ कि याची का ट्रक वन अपराध की कारिता में अंतर्ग्रस्त नहीं था।

7. जहाँ तक वन अपराध की कारिता में याची की ओर से जानकारी न होने से संबंधित तर्क का संबंध है, मैं पाता हूँ कि उक्त अभिवाक याची द्वारा सभी अवर न्यायालयों में नहीं किया गया था। इस प्रकार, याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि आक्षेपित आदेश भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(5) के उल्लंघन में पारित किया गया है, अमान्य है।

8. पश्चिम बंगाल राज्य एवं एक अन्य बनाम महुआ सरकार, (2008)12 SCC 763, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 22 वर्ष 1998 द्वारा किया गया संशोधन) की धारा 59 (B) (2) के प्रावधान के निबंधनानुसार अधिहरण के विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

"9. èkkjk 59B dh mièkkjk (2) dk dkjk iBu voLFkk Li"V djrk g fd èkkjk 59A d vèkhu dkb vkt kj] jLlh pu] uko] okgu] i'k vfèkâr djrk vkn'k ikfjr fd;k tk,xk ;fn mldk Lokeh çkfèkÑr vfèkdkjh dh lrf"V d çfr fl) djrk g fd ,l vkt kj] jLlh] pu] uko] okgu vFkok i'k dk mi;kx Lo; Lokeh vFkok mld ,tUV] ;fn gk] vFkok mld çHkkj oky 0;fDr dh tkudkjh vFkok ekukudyrk d fcuk ydMh vFkok vU; ou mRikn <ku d fy, fd;k x;k Fkk vkj fd mue l çR;d u ,l mi;kx d fo#) leLr ;fDr;Dr ,o vko';d lkoèkkuh cjrk FkkA

10. ç;Dr Hkk"kk vR;Ur Li"V gA Lokeh dk fl) djuk gkxk fd okgu dk mi;kx mldh vFkok mld ,tUV dh tkudkjh vFkok ekukudyrk d fcuk ydMh vFkok vU; ou mRikn <ku d fy, fd;k x;k FkkA

*11. vko';drk vkKkid g fd Lokeh dk fl) djuk gkxk fd ml tkudkjh ugh Fkh vFkok mldh ekukudyrk ugh FkhA ;g ,d ,lk fo"k; g tk mldh tkudkjh e gA fdlh vU; pht d fcuk çk[;ku i;kIr ugh gkxkA ,d vU; vko';drk g fd mlu vFkok mld ,tV] ;fn gk] vFkok bld çHkkj oky 0;fDr u ,l mi;kx d fo#) leLr ;fDr;Dr ,o vko';d lkoèkkuh cjrk FkkA bl igy dk lcfèkr 0;fDr }kjk i;kIr lkexh }kjk LFkkfir fd;k tkuk gkxkA tl Åij xkj fd;k x;k g fd ml lcèk e çk[;ku ek= i;kIr ugh gk ldrk FkkA***

9. अवर न्यायालयों द्वारा तथ्यों के तीन समवर्ती निष्कर्षों के कारण मैं आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं देखता हूँ।

10. तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

मेसर्स सुजाता पिक्चर पैलेस एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3766 of 2007. Decided on 18th July, 2017.

झारखंड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000—धारा 5(2)—झारखंड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000—नियम 10—झारखंड सिनेमा प्रोन्नति नीति, 2005 का खंड 12—एक हजार सीट की क्षमता वाले सिनेमाघरों द्वारा भुगतेय वार्षिक लाइसेंस फीस की 2000/- रुपयों से 20,000/- रुपयों तक वृद्धि–अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रावधानित 5000/- रुपयों की महत्तम सीमा के परे लाइसेंस फीस की मात्रा नियत नहीं की जा सकती थी–आक्षेपित संकल्प का खंड 12 जिसके द्वारा लाइसेंस फीस 20,000/- रुपयों प्रतिवर्ष की सीमा तक पुनरीक्षित की गयी थी अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में है–दिनांक 6.1.2006 के आक्षेपित संकल्प का खंड 12 और फौलो अप आदेशों को अभिखंडित किया गया–प्रासंगिक वर्षों के लिए याचीगण द्वारा भुगतान की गयी लाइसेंस फीस को उनके लाइसेंस फीस के चालू/भावी दायित्व में समायोजित किया जाए। (पैराएँ 10, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2007) 15 SCC 129—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Saurabh Arun, For the Petitioner; M/s Bhawesh Kumar, Ravi Kumar, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका झारखंड सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के माध्यम से दिनांक 6.1.2006 के मेमो सं॰ 35, विशेषत: उक्त संकल्प का खंड 12, जिसके द्वारा सिनेमाघर की लाइसेंस फीस बढ़ायी गयी है के तहत जारी संकल्प के भाग के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है। याचीगण ने आगे प्रत्यर्थीगण को पुराने नियम के मुताबिक, जिसके निबंधनानुसार लाइसेंस के नवीकरण के लिए लाइसेंस फीस के रूप में केवल 2000/- रुपया जमा करने की आवश्यकता है, याचीगण का लाइसेंस नवीकृत करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है। याचीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 20.6.2007 तथा 29.6.2007 के पत्रों को अभिखंडित करने तथा समय-समय पर सिनेमाघरों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा जमा की गयी लाइसेंस फीस के आधिक्य की वापसी के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. मामले का ताथ्यिक पहलू यह है कि याचीगण बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954 (झारखंड सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के तत्सम) (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन लाइसेंस लिए हुए राँची शहर में सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शित करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। प्रत्यर्थी राज्य ने 1000 तथा इससे अधिक सीट की क्षमता वाले सिनेमा घरों द्वारा भुगतेय वार्षिक लाइसेंस फीस 2000/- रुपयों से 20,000/- रुपया तक अधिनियम के अधीन बढ़ा दिया है। उक्त स्लैब के अधीन आने वाले याचीगण ने 30.12.2006 को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया। किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने दिनांक 20.6.2007 और 29.6.2007 के पत्रों के तहत सूचित किया कि यदि दिनांक 6.1.2006 के संकल्प के खंड 12 के निबंधनानुसार बढ़ायी गयी लाइसेंस फीस एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं की जाती है, सिनेमा घरों को बंद करने के लिए प्रपीड़क कदम उठाए जाएँगे और इसलिए याचीगण ने 12.12.2006 को बढ़ायी गयी लाइसेंस फीस, जमा किया। इस प्रकार, याचीगण ने दिनांक 6.1.2006 के संकल्प के खंड 12 तथा दिनांक 20.6.2007 तथा 29.6.2007 के पारिणामिक पत्रों को चुनौती दिया है।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सिनेमा घरों को लाइसेंस का प्रदान अधिनियम की धारा 5 द्वारा विनियमित किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 (2) प्रावधानित करती है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति जैसा प्राधिकारी सुयोग्य समझता है को ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा यह विनिश्चित कर सकता है और ऐसी फीस जैसा अधिनियम के अधीन विरचित नियमावली में विहित किया जा सकता है जो 5000/- रुपयों के महत्तम के अध्यधीन है के भुगतान पर लाइसेंस प्रदान कर सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 9 राज्य सरकार पर अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्ति के निबंधनानुसार, बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 (झारखंड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के तत्सम) (इसमें इसके बाद ''नियमावली'' के रूप में निर्दिष्ट) तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा विरचित की गयी थी। नियमावली का नियम 10 स्थायी लाइसेंस फीस की वैधता की अवधि और सिनेमा घरों/प्रदर्शकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस फीस की मात्रा प्रावधानित करता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता नियम 10 में यथा उल्लिखित स्लैब को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि उक्त प्रावधान के मुताबिक 1000 से अधिक सीटों की क्षमता वाले सिनेमा घरों को एक वर्ष से अधिक न होनेवाली अवधि के लिए 2000/- रुपयों का लाइसेंस फीस का भुगतान करने की आवश्यकता है। किंतु, आश्चर्यजनक रूप से, झारखंड सरकार ने दिनांक 6.1.2006 के आक्षेपित संकल्प के खंड 12 के तहत 1000 सीटों से अधिक वाले सिनेमा घरों के लिए लाइसेंस फीस 2,000/- रुपया से 20,000/- रुपया तक बढ़ा दिया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा लाइसेंस फीस की उक्त वृद्धि अधिकारिता के बिना है विशेषत: इस तथ्य की

दृष्टि में कि अधिनियम की धारा 5 (2) के फलस्वरुप लाइसेंस फीस पर 5000/- रुपयों की महत्तम सीमा है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नियमावली में, जिसमें 1000 से अधिक सीटों वाले सिनेमाघरों के लिए एक वर्ष से अधिक न होनेवाली अवधि के लिए लाइसेंस फीस 2000/- रुपया प्रावधानित किया गया है, में उपयुक्त संशोधन करके किया जा सकता है। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि 20,000/- रुपयों की सीमा तक लाइसेंस फीस बढ़ाने वाले दिनांक 6.1.2006 के संकल्प का खंड 12 अपास्त किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्रों को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि नियम 10 के परिशीलन से यह प्रकट होगा कि सिनेमाघरों के स्वामियों को सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस फीस प्रभारित नहीं की गयी है। नियमावली भवन विभाग, विद्युत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, फायर सर्विस आदि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण की आज्ञा देती है। राज्य सरकार सिनेमा घरों के सुगम संचालन के लिए विधि व्यवस्था, लोक सुरक्षा आदि बनाए रखती है। बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 में उल्लिखित दर काफी कम है। उपभोक्ता कीमत इंडेक्स वर्षों में बढ़ गया है और बदले परिदृश्य में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फीस के पुनरीक्षण की आज्ञा दी गयी थी। राज्य सरकार ने कोई नया कर उद्ग्रहित नहीं किया है बल्कि पूर्व उद्ग्रहित लाइसेंस फीस की दर पुनरीक्षित की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित संकल्प के तहत सरकार ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा नीति पुर: स्थापित किया है और सिनेमा घरों को अनेक सुविधाएं दी गयी है, विशेषत: मनोरंजन कर से छूट और सिनेमा टिकटों की ऊपरी सीमा। इसके अतिरिक्त, उक्त संकल्प द्वारा लाइसेंस प्रदान प्रक्रिया सरल बनायी गयी है। झारखंड सरकार ने लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष के जगह तीन वर्ष तक बढ़ा दिया है। दूसरे शब्दों में, सिनेमा घर के लाइसेंस का नवीनीकरण तीन वर्ष पूरा होने पर किया जाना है। यह सुविधा सिनेमा घरों के स्वामियों के हित में लागू की गयी है। झारखंड सिनेमा प्रोन्नति नीति की पुर:स्थापना के क्रम में सरकार ने अधिनियम के अधीन भुगतेय वार्षिक लाइसेंस फीस का दर पुनरीक्षित किया है।

6. किंतु, राज्य के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि दिनांक 6.1.2006 को आक्षेपित संकल्प जारी करने के पहले अधिनियम की धारा 5 तथा नियमावली के नियम 10 में संशोधन नहीं किया गया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 5(2) में संशोधन किया गया है और अधिनियम की धारा 5 (2) में इस सीमा तक आने वाले शब्दों "5000/- रुपयों के महत्तम के अध्यधीन ''निरसित किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि चूँकि नयी सिनेमा नीति अधिसूचित की गयी है, झारखंड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 का खंड 10 संशोधित करने के लिए कैबिनेट अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार दिनांक 6.1.2006 के मेमो सं॰ 35 में अंतर्विष्ट संकल्प के तहत जारी झारखंड सिनेमा प्रोन्नति नीति, 2005 के रूप में ज्ञात नीति के साथ आयी। विद्यमान लाइसेंस फीस उक्त संकल्प के खंड 12 के कारण से बढ़ायी भी गयी थी। याचीगण पहले 2,000/- रुपया प्रतिवर्ष की लाइसेंस फीस का वार्षिक भुगतान कर रहे थे जिसे संकल्प के आक्षेपित खंड 12 के रूप में 20,000/- रुपया प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया था।

8. अधिनियम की धारा 5 अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्तियों के निर्बंधन पर विचार करती है। अधिनियम की धारा 5 (2) का पठन निम्नलिखित है:–

*^^bl èkkjk d iokDr çkoèkkuk vkj jkT; ljdkj d fu;=.k d vèkhu vuKfIr çkfèkdkjh ,l 0;fDr dk tlk çkfèkdkjh l;kX; le>rk g vkj ,l fucèkuk ,o 'krk ij vkj ,l fucèkuk tlk ;g fofuf'pr dj ldrk g d vè;ekhu vkj 5000/-#i;k d egÙke d vè;ekhu ,l ykbl Qhl tlk mDr vfèkfu;e d vèkhu fojfpr fu;e e fofgr fd;k tk ldrk g d Hkxrku ij bl vfèkfu;e d vèkhu ykbl l çnku dj ldrk gA***

9. आगे, अधिनियम की धारा 9 राज्य सरकार पर अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियमों को बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। तत्कालीन बिहार राज्य, अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्ति के फलस्वरुप बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 (झारखंड राज्य के सृजन के बाद इसे झारखंड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के रूप में अपनाया गया था) के साथ आया। नियम 10 स्थायी लाइसेंस की वैधता की अवधि तथा सिनेमा घरों द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस की मात्रा प्रावधानित करता है। नियम 10 के मुताबिक, एक वर्ष के परे न होनेवाली अवधि के लिए सिनेमा घर/प्रदर्शक द्वारा भुगतान किया जाने वाला वार्षिक लाइसेंस फीस की महत्तम मात्रा 2000/- रुपया है। याचीगण इसी स्लैब में आते हैं।

10. अधिनियम एवं नियमावली के पूर्वोक्त प्रावधानों की दृष्टि में, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिनांक 6.1.2006 का आक्षेपित संकल्प जारी करने के समय पर नियम 10 के मुताबिक सिनेमा घर से प्रभार्य महत्तम वार्षिक लाइसेंस फीस 2000/- रुपया थी और अधिनियम की धारा 5 के फलस्वरुप प्रावधानित महत्तम सीमा 5000/- रुपया थी। चूँकि लाइसेंस फीस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रावधानित 5000/- रुपयों की महत्तम सीमा के परे नियत नहीं किया जा सकता था, आक्षेपित संकल्प का खंड 12 जिसके द्वारा लाइसेंस फीस 20,000/- रुपया प्रतिवर्ष की सीमा तक पुनरीक्षित किया गया है, प्रकटत: अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में है और इस प्रकार यह राज्य सरकार की अविधिपूर्ण कार्रवाई है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उड़ीसा राज्य बनाम प्रसन्न कुमार साहू, (2007)15 SCC 129** में पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"12. Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 162 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; }kjk fy;k x;k uhfrxr fu.k; Hkh foèkk;h vfèkfu;e vFkok Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 309 d lkFk lyXku ijUrd d fucèkukuklkj jkT; }kjk fojfpr Hkkjrh fu;ek d vèkhu gkxhA dk;dkjh vun'k d ekè;e l fuxr rkRif;r uhfrxr fu.k; lfofèk ;k lkfofèkd fu;ek ij vè;k;kjkgh ugh gk ldrk g] loèkkfud çkoèkkuk dh rk ckr gh njA***

12. चूँकि संकल्प का आक्षेपित खंड 12 अधिनियम की धारा 5 के प्रत्यक्ष उल्लंघन में है, नियम 10 में उपयुक्त संशोधन किए बिना आक्षेपित संकल्प के खंड 12 की वैधता पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

13. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, दिनांक 6.1.2006 के आक्षेपित संकल्प का खंड 12 विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और इस दशा में, यह अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, दिनांक 20.6.2007 के मेमो सं॰ 3439 (रिट याचिका परिशिष्ट 3) तथा दिनांक 29.6.2007 के मेमो सं॰ 3582 (रिट याचिका का परिशिष्ट 311) के तहत जारी प्रत्यर्थी सं॰ 4 के फॉलोअप आदेशों को भी अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 को प्रासंगिक वर्षों के लिए याचीगण द्वारा भुगतान की गयी लाइसेंस फीस का आधिक्य उनके चालू/भावी लाइसेंस फीस के दायित्व में समायोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

14. तद्नुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के निबंधनानुसार अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

रावण मुर्मू

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1539 of 2007. Decided on 24th July, 2017.

सत्र मामला सं॰ 16 वर्ष 2006/67 वर्ष 2005 में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 29 सितंबर 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 376 एवं 201—हत्या, बलात्कार एवं साक्ष्य गायब करना तथा षड्यन्त्र–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य है–अन्वेषण अधिकारी द्वारा संस्वीकृति सिद्ध नहीं की गयी है–मृतका एवं अभियुक्त के बीच अवैध संबंध मृतका के पिता द्वारा स्वीकार किया गया है–प्रतिपादना कि परिवार के सदस्य अवैध संबंध पसंद नहीं करते थे, से इनकार नहीं किया जा सकता है–अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करने में विफल रहा है ताकि केवल अभियुक्त का दोष इंगित किया जा सके और न कि अन्यथा–संदेह का लाभ देकर अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 16 से 19)

अधिवक्तागण.–Ms. Bharti Kumari, Amicus Curiae, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान न्यायमित्र सुश्री भारती कुमारी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी सत्र मामला सं॰ 16 वर्ष 2006/67 वर्ष 2005 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जामतारा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दोषसिद्धि से व्यथित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 376 एवं 201 के अधीन दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 500 रुपयों के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए 500 रुपया के जुर्माना के साथ दस वर्षों का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 500 रुपया के जुर्माना के साथ सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियोजन मामला मृतक प्रजापति बेसरा की छोटी बहन सूचक द्रौपदी बेसरा के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। फर्दबयान के अनुसार मृतका प्रजापति बेसरा अभियुक्त रावण मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल राज्य में अपने गाँव में पति-पत्नी के रूप में रह रही थी। मृतका 9.8.2004 को मृतका अपने पिता के घर आयी थी और कुछ समय बाद अभियुक्त रावण मुर्मू भी वहाँ आया और मृतका को अपने साथ यह कथन करते हुए ले गया कि वे नाला हटिया जा रहे थे, जिसके बाद मृतका वापस नहीं लौटी थी। किसी रकीब अंसारी ने 10.8.2004 को सूचित किया कि किसी महिला का मृत शरीर तालाब में था, जिस पर वह रकीब मियाँ के तालाब गयी और उसके शरीर पर उपहतियों के साथ अपनी

बहन का मृत शरीर पाया और उसका गला सलवार से घोंटा गया था। मृतका के बैग एवं चप्पल भी वहाँ थे। सूचक ने अपने फर्दबयान में यह कथन भी किया है कि किसी लखीश्वर मरांडी ने भी अभियुक्त को मृतका के साथ देखा था और तत्पश्चात अभियुक्त फरार था। सूचक ने यह कथन भी किया कि उसकी बहन के घर से बाहर जाने के बाद, वह खेत की ओर गयी और जब वह लौट रही थी, उसने 3-4 व्यक्तियों को देखा जिन्हें वह नाम से नहीं जानती थी, किंतु वे अभियुक्त रावण मुर्मू के मित्र थे, और उन्होंने कथन किया कि वे रावण मुर्मू के साथ उसकी बहन की हत्या कर देंगे। उसने अभिकथित किया है कि अभियुक्त ने उसकी बहन की हत्या की थी। द्रौपदी बेसरा के फर्दबयान के आधार पर नाला पी॰ एस॰ केस सं॰ 44 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 229 वर्ष 2004 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/34 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी के बाद, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 376 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने तथा विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने मामले के अन्वेषण अधिकारी और डॉक्टर जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया सहित 9 अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया है।

5. अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा इस मामले की सूचक है जिसने कथन किया है कि उसकी बड़ी बहन प्रजापति बेसरा अपने घर (इस गवाह का घर) में रह रही थी और अभियुक्त रावण मुर्म वहाँ आता था। वह कहा करता था कि वह प्रजापति से विवाह करेगा, किंतु प्रजापति सदैव प्रस्ताव से इनकार कर रही थी। उसने कथन किया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले रावण मुर्मू आया और प्रजापति को साइकिल पर नाला हटिया की ओर ले गया। तत्पश्चात उसकी बहन नहीं लौटी। अगले दिन, रकीब मियाँ ने सूचित किया कि तालाब में मृत शरीर था, जिस पर वह वहाँ गयी और तालाब के निकट अपनी बहन का बैग और चप्पल पाया। तालाब में शव उसकी बहन का था। पुलिस को सूचित किया गया था और पुलिस वहाँ आयी और उसका फर्दबयान दर्ज किया जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया। लखीश्वर मरांडी एवं राजाधन बेसरा ने भी गवाहों के रूप में अपना हस्ताक्षर किया। इस गवाह ने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1/2 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि जब मृत शरीर बाहर निकाला गया था, उसके गुप्तांगों से खून बहता पाया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि अन्वेषण के दौरान, अभियुक्त रावण मुर्मू का फोटोग्राफ भी घटनास्थल के निकट से बरामद किया गया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि लखीश्वर मरांडी ने प्रजापति और रावण को साथ देखा था जब वे हटिया से लौट रहे थे। इस गवाह ने कथन किया है कि रावण मुर्मू ने उसकी बहन से कहा था कि यदि वह उससे विवाह नहीं करेगी, वह उसकी हत्या कर देगा और इस दशा में, उसने संदेह किया कि अभियुक्त द्वारा उसकी बहन की हत्या की गयी थी और मृत शरीर तालाब में फेंक दिया गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि अभियुक्त कहा करता था कि वह उसकी बहन से विवाह करेगा, मृतका प्रस्ताव से इनकार किया करती थी और अभियुक्त ने उसको कहा था कि यदि वह उससे विवाह नहीं करेगी, वह उसकी हत्या कर देगा। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में पुनः कथन किया है कि रावण मुर्मू उसके घर लगभग डेढ़ वर्ष से आता-जाता था और उसने इस सुझाव से इनकार किया कि मृतका रावण के घर में रह रही थी। उसने यह कथन भी किया है कि उसके पिता को आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे दोनों प्रेम करते थे। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतका रावण मुर्मू के साथ पति-पत्नी के रूप में रह

रही थी, जिसे परिवार के सदस्य पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उसके पिता द्वारा उसकी हत्या की गयी थी और अभियुक्त को मामले में झूठा आलिप्त किया गया है।

6. अ॰ सा॰ 1 राजाधन बेसरा मृतका का पिता है और इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी बड़ी पुत्री प्रजापति का अभियुक्त के साथ अवैध संबंध था और वह अभियुक्त के घर जाती थी। उसने कथन किया है कि घटना की तिथि पर रावण उसके घर आया और प्रजापति को अपने साथ हटिया ले गया जिसके बाद उसकी पुत्री नहीं लौटी थी। अगले दिन, उसकी पुत्री का मृत शरीर तालाब में पाया गया था तथा पुलिस को सूचित किया गया था। उसकी पुत्री का मृत शरीर पुलिस द्वारा तलाब से बाहर निकाला गया था और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस गवाह ने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे उसने पहचाना था और इसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि मृतका के नाक एवं कान से खून बह रहा था और सलवार से उसकी गर्दन दबायी गयी थी। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि अभियुक्त का मतदाता पत्र भी पुलिस द्वारा घटना स्थल के निकट से बरामद किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रजापति और रावण घटना के लगभग 2 वर्ष पहले से संबंध में थे, किंतु वे पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे थे। वे घर के बाहर मिला करते थे, किंतु उसने पुनः स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री अभियुक्त के घर आती-जाती थी जहाँ वप भी रहा करती थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि चूँकि वे अपनी पुत्री के अवैध संबंध के विरुद्ध थे, उसकी हत्या की गयी थी और अभियुक्त को झूठा आलिप्त किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 5 लखीश्वर मरांडी वह गवाह है जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि उसने मृतका और अभियुक्त को अंतिम बार साथ देखा था जबकि वे हटिया जा रहे थे। इस गवाह ने भी फर्दबयान और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया था और उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया था और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने प्रजापति को एक लड़का के साथ देखा था किंतु वह नहीं पहचानता था कि लड़का कौन था। तत्पश्चात, उसने उसके मृत शरीर की बरामदगी के बारे में सुना।

8. अ॰ सा॰ 2 सुरीन मुर्मू ने कथन किया है कि पुलिस ने कुछ कागजों पर उसका हस्ताक्षर लिया था, किंतु उसे जानकारी नहीं थी कि वे कागज क्या थे। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि वे कागज सादे थे। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 4 उमापदो भंडारी भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाला है, किंतु उसने अभियोजन मामले के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है, और अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसका हस्ताक्षर कोरे कागज पर लिया गया था।

9. अ॰ सा॰ 3 रकीब मियाँ ने केवल यह कथन किया है कि उसने अपने तालाब में मृत शरीर देखा था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया था और बाद में, उसे जानकारी हुई कि मृत शरीर राजाधन की पुत्री का था। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि घटना के लगभग दो वर्ष पहले मृतका अपने पिता के घर से चली गयी थी जिस कारण राजाधन उस पर बहुत क्रोधित था।

10. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ बिपद भंजन महतो चिकित्सा अधिकारी है, जिन्होंने 11.8.2004 को मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहति पाया था:-

(i) 2" x 1/2" x ekl i'kh rd xgjk ikLVhfj;j QkjpVV ij fonh.k t[e

(ii) 1" x1/2" eki oky nk, yfc;k etkjk d Åijh Hkkx ij [kjkp

(iii) 1/2 x 1/2" eki okyk ck, yfc;k etkjk dh Åijh Hkkx ij [kjkp

(iv) 3" yck ,o 2½" pkMk xnu d ,UVhfj;j igy ij fyxpj fu'kku n[kk x;k

xnu dk foPNnu& *fyxpj fu'kku d uhp lcD;Vfu;l fV'k èkèky ,o lQn FkA*

उन्होंने यह कथन किया है कि मृत्यु का कारण गला दबाए जाने के कारण दम घुटना था और मृतका के साथ उसकी मृत्यु के पहले बलात्कार भी किया गया था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 7 मदन मोहन प्रसाद सिन्हा मामले का अन्वेषण अधिकारी है। इस गवाह ने कथन किया है कि 11.8.2004 को जब वह नाला पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था, उसे सूचित किया गया था कि युवती का मृत शरीर तालाब में पाया गया था। उसने दिनांक 11.8.2004 का सन्हा प्रविष्टि सं॰ 199 किया और घटनास्थल पर गया, जहाँ उसने सूचक द्रौपदी बेसरा का फर्दबयान दर्ज किया। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में फर्दबयान जिसे प्रदर्श 1/3 चिन्हित किया गया था और फर्दबयान पर पृष्ठांकन जिसे प्रदर्श 1/4 चिन्हित किया गया था, पहचाना है। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने सूचक का पुनर्बयान दर्ज किया। उसने घटनास्थल का विवरण भी दिया है, जहाँ मृत शरीर बरामद किया गया था और कथन किया है कि मृतका के नाक एवं कानों में खून बह रहा था और सलवार से उसकी गर्दन दबायी गयी थी। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जिसे उसने पहचाना है और इसे प्रदर्श 3/1 चिन्हित किया गया था। उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा और अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया। उसने कथन किया है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसकी संस्वीकृति के आधार पर उसने घटनास्थल के निकट से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उसका मतदाता पत्र बरामद किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया, जिसे उसने प्रदर्श 2/2 के रूप में सिद्ध किया। उसने कथन किया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट पाने के बाद उसने आरोप पत्र दाखिल किया है। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि सूचक द्रौपदी बेसरा ने उसके समक्ष कोई बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त कहा करता था कि वह प्रजापति से विवाह करेगा जिससे प्रजापति द्वारा इनकार किया जा रहा था और उसके लिए उसे उसकी हत्या करने की धमकी दी गयी थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने दोषपूर्ण अन्वेषण किया। किंतु, इस गवाह ने अभियुक्त की किसी संस्वीकृति को सिद्ध नहीं किया है।

12. अ॰ सा॰ 9 जगत नारायण सिंह सब–इंस्पेक्टर है, जिसने केवल मतदाता पत्र प्रस्तुत किया था जिसे प्रदर्श 7 के तौर पर चिन्हित किया गया था।

13. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्तानुसार अपीलार्थी को अपराधों के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया।

14. अपीलार्थी के लिए तर्क करने वाले विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि बलात्कार एवं हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और गवाहों के साक्ष्य पूर्ण रूप से विरोधाभास से भरे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केवल दो गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है जो अत्यन्त हितबद्ध गवाह है और वे अ॰ सा॰ 1 राजाधन बेसरा मृतका का पिता है और अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा, जो मृतका की बहन है और उनके साक्ष्य भी विरोधाभास से भरे हैं। विद्वान

अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा ने कथन किया है, प्राथमिकी तथा अपने साक्ष्य दोनों में, कि मृतका को लखीश्वर मरांडी द्वारा अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, किंतु अ॰ सा॰ 5 लखीश्वर मरांडी ने कथन किया है कि उसने मृतका को एक लड़का के साथ देखा था, जिसको वह नहीं पहचानता था। यह निवेदन भी किया गया है कि यद्यपि प्राथमिकी में यह स्पष्टत: कथन किया गया है कि मृतका अभियुक्त के साथ पश्चिम बंगाल राज्य में उसके घर में लिव-इन संबंध में रह रही थी, किंतु, सूचक ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अपना विवरण बदल दिया है और कथन किया है कि मृतका स्वयं अपने घर में रह रही थी और अभियुक्त मृतक के स्थान पर आता था और वह (मृतक) अभियुक्त के घर कभी नहीं रही थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त और मृतका के बीच लिव-इन संबंध स्वीकृत तथ्य है और मामले के उस दृष्टिकोण में, अभियुक्त का मृतका के साथ बलात्कार करने का अवसर नहीं था और चिकित्सा अधिकारी अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ बिपद भंजन महतो द्वारा मृतका के साथ बलात्कार का सकारात्मक निष्कर्ष है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस तथ्य के कारण कि मृतका अभियुक्त के साथ लिव इन संबंध में थी, जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंत में विद्वान न्यायमित्र द्वारा निवेदन किया गया है कि यद्यपि अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि अभियुक्त की संस्वीकृति पर एक मतदाता पत्र बरामद किया गया था, किंतु इस मामले में कोई संस्वीकृति सिद्ध नहीं की गयी है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए था अथवा किसी सूरत में कम से कम संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध और निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है, क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी और मृतका की मुलाकात होती थी। घटना की तिथि पर, वे दोनों नाला हटिया की ओर गए और इस दशा में अभियुक्त के विरुद्ध मृतका के साथ अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य है और अगले दिन मृतका का मृत शरीर तालाब में पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्ष्य में आया है कि अभियुक्त मृतका को धमकी दिया करता था और चूँकि उसे अंतिम बार साथ देखा गया था और अगले दिन मृत शरीर बरामद किया गया था, परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है और अभियुक्त का दोष सिद्ध करती है कि उसने मृतका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या किया और साक्ष्य छुपाने के लिए मृत शरीर तालाब में फेंक दिया था।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य है। अ॰ सा॰ 1 राजाधन बेसरा, मृतका का पिता और अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा मृतका की बहन द्वारा कथन किया गया है कि घटना के पहले अभियुक्त उनके घर आया और नाला हटिया जाने के बहाना पर मृतका को अपने साथ ले गया, जिसके बाद मृतका को नहीं पाया गया था और अगले दिन उसका मृत शरीर पाया गया था। अभिकथित रूप से उसकी संस्वीकृति के आधार पर घटना स्थल के निकट से उसके मतदाता पत्र की बरामदगी के साथ केवल यही परिस्थिति अभियुक्त के विरुद्ध है। किंतु, तथ्य बना रहता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त संस्वीकृति सिद्ध नहीं की गयी है। हमने यह पता लगाने

के लिए क्या कोई संस्वीकृति थी या नहीं अवर न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध केस डायरी का परिशीलन किया है। हम पाते हैं कि यद्यपि केस डायरी में दर्ज संस्वीकृति है, किंतु उसमें यह कथन नहीं किया गया है कि उसकी हत्या करने के पहले मृतका के साथ बलात्कार किया गया था, यद्यपि चिकित्सीय साक्ष्य सकारात्मक रूप से दर्शाता है कि हत्या करने के पहले मृतका के साथ बलात्कार किया गया था। संस्वीकृति में यह कथन किया गया है कि मृतका की हत्या के बाद अभियुक्त ने घटना स्थल के निकट अपना मतदाता पत्र छुपाया था जो कहानी संदेहपूर्ण प्रतीत होती है। इस दशा में, अभियुक्त की संस्वीकृति दर्ज करने की कथा अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करती है।

17. इसके अतिरिक्त, स्वीकृत तथ्यों की दृष्टि में कि मृतका अभियुक्त के साथ लिव इन संबंध में थी और वह अपनी मुक्त इच्छा से अभियुक्त के साथ गयी थी, अभियुक्त के पास मृतका के साथ बलात्कार करने अथवा उसकी हत्या करने का अवसर प्रतीत नहीं होता है। यह तथ्य भी बना रहता है कि गवाहों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है। यद्यपि प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के घर में मृतका रहती थी, किंतु अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा द्वारा साक्ष्य में इस तथ्य से पूरी तरह इनकार किया गया है और उसने कथन किया है कि अभियुक्त ही मृतका के पास आता था और वह यह कथन करने की सीमा तक गयी कि अभियुक्त मृतका के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना चाहता था और वह उसकी हत्या करने की धमकी देता था यदि उसने उसके साथ विवाह नहीं किया। किंतु इस तथ्य का कथन प्राथमिकी में अथवा पुलिस के समक्ष कभी नहीं किया गया था, जैसा अ॰ सा॰ 7 मदन मोहन प्रसाद सिन्हा द्वारा स्वीकार किया गया है। मृतका और अभियुक्त के बीच अवैध संबंध मृतका के पिता अ॰ सा॰ 1 राजाधन बेसरा द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिसने कथन किया है कि उसकी बड़ी पुत्री प्रजापति का अभियुक्त के साथ अवैध संबंध था और वह अभियुक्त के घर जाती थी और अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि मृतका भी अभियुक्त के घर में रहती थी। हम अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पाते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य भी अत्यन्त संदेहपूर्ण है, क्योंकि अ॰ सा॰ 5 लखीश्वर मरांडी जिसके बारे में कथन किया गया है कि उसने अंतिम बार मृतका और अभियुक्त को साथ देखा था ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसने किसी लड़का के साथ प्रजापति को देखा था, किंतु वह नहीं पहचानता था कि लड़का कौन था।

18. मामले के तथ्यों में, यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य अ॰ सा॰ 1 राजाधन बेसरा और अ॰ सा॰ 6 द्रौपदी बेसरा के साक्ष्य में है किंतु अ॰ सा॰ 5 लखीश्वर मरांडी का साक्ष्य इस साक्ष्य को भी अत्यन्त संदेहपूर्ण बनाता है। तथ्य बना रहता है कि मृतका और अभियुक्त के बीच अवैध संबंध स्वीकृत तथ्य है और मामले के उस दृष्टिकोण में इस प्रतिपादना कि परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध संबंध पसन्द नहीं किया जाता था, से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, स्वीकृत तथ्यों की दृष्टि में मृतका अभियुक्त के साथ लिव-इन संबंध में थी और कि वह स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ गयी थी, उसके साथ बलात्कार करने अथवा उसकी हत्या करने का अवसर अभियुक्त के पास नहीं था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन केवल अभियुक्त के दोष की ओर न कि अन्यथा इंगित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करने में विफल रहा है और तद्नुसार अभियुक्त अपीलार्थी संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है।

19. पूर्वोक्त कारणों से सत्र मामला सं॰ 16 वर्ष 2006/67 वर्ष 2005 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 29 सितंबर, 2007 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है और

उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी रावण मुर्मू अभिरक्षा में है, उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

20. इस निर्णय से अलग होने के पहले हम विद्वान न्यायमित्र सुश्री भारती कुमारी द्वारा दी गयी बहुमूल्य सहायता दर्ज करते हैं और तद्नुसार सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को उसको विहित पारिश्रमिक के भुगतान का निर्देश देते हैं। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय की प्रति सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को दी जाए।

21. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तुरन्त अवर न्यायालय अभिलेख भेजा जाए।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

शकुंतला देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2376 of 2007. Decided on 21st July, 2017.

बिहार अभिधारी जोत (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973—धाराएँ 15 एवं 16—भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—नामान्तरण–भूमि के नामांतरण की मांग करने वाले आवेदन का अस्वीकरण–अधिनियम की धाराओं 15 तथा 16 के अधीन क्रमशः अपील तथा पुनरीक्षण के लिए मंच है–इस तथ्य की दृष्टि में कि याची के पास अधिनियम के अधीन प्रभावकारी/वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, इस चरण पर रिट याचिका पोषणीय नहीं है–तथापि, अगर याची अधिनियम की धारा 15 के अधीन उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राँची के समक्ष परिसीमा याचिका के साथ एक अपील दाखिल करने का विकल्प चुनता है, अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब पर उपायुक्त, भूमि सुधार, राँची द्वारा उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान रिट याचिका लम्बी अवधि तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रही है। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Rahul Gupta, For the Petitioner; Mr. Vineet Prakash, For the Respondents

आदेश

वर्तमान रिट याचिका अंचलाधिकारी, सदर, राँची द्वारा पारित दिनांक 26.10.2006 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा नामांतरण केस सं॰ 5166R 27/2006-07 में प्रश्नगत भूमि के नामांतरण के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया है। याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 (अंचलाधिकारी, सदर, राँची) को काश्तकारों की लेजर पंजी में याची का नाम नामांतरित करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रघुनाथ साहू ने एक निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से वर्ष 1962 में महाबीर प्रसाद को 25 डिस्मिल भूमि बेची थी। तत्पश्चात महाबीर प्रसाद ने वर्ष 1982 में निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से कृष्ण कुमार गुप्ता को 6 कट्ठा जयशंकर मिश्रा को 3 कट्ठा, उपेन्द्र बिहारी मिश्रा को 3 कट्ठा तथा काशीनाथ शर्मा को 3 कट्ठा भूमि बेची थी। बाद में, जयशंकर मिश्रा उपेन्द्र बिहारी मिश्रा तथा काशीनाथ शर्मा ने अपनी भूमियाँ श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को

अंतरित कर दी थी। कृष्ण कुमार गुप्ता का नाम नामांतरण केस सं॰ 79R 27/87-88 के तहत अंचलाधिकारी, सदर, राँची द्वारा सरकारी राजस्व अभिलेखों में नामांतरित किया गया था तथा लगान रसीदें नियमित रूप से जारी की जाती थी। तत्पश्चात प्रश्नगत भूमि प्रत्यावर्तित करने के लिए किसी छोटेलाल मुंडा द्वारा कृष्ण कुमार गुप्ता के विरुद्ध S.A.R. केस सं॰ 103 वर्ष 2000 दाखिल किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने दिनांक 6.5.2004 के एक निबंधित विक्रय विलेख द्वारा उक्त कृष्ण कुमार गुप्ता से ग्राम हेसल, थाना सं॰ 202 खाता सं॰ 100 भूखंड सं॰ 210 की कट्ठा 8 छँटाक क्षेत्रफल वाली भूमि खरीदी। तत्पश्चात याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष 16.10.2006 को सरकारी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंतरित करवाने के लिए आवेदन दिया। याची द्वारा दाखिल आवेदन नामांतरण केस सं॰ 5166R27/2006-07 के तौर पर दर्ज किया गया था तथा याची को 31.10.2006 को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने एक सार्वजनिक नोटिस निर्गत किया जिस पर अभ्यापत्तिकर्ताओं द्वारा 31.10.2006 तक अभ्यापत्तियाँ दाखिल की गयी थी।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य निवेदन यह है कि याची 31.10.2006 को प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष हाजिर हुई थी, परंतु उसे यह जानकार हैरानी हुई थी कि भूमि के नामांतरण का आवेदन प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा 26.10.2006 को शिविर न्यायालय में ग्रहण किया गया था तथा चूँकि याची उस तिथि को अनुपस्थित थी, उक्त आवेदन खारिज किया गया था। उक्त परिस्थिति में, याची प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष अपना मामला रखने में सक्षम नहीं थी, अतएव, दिनांक 26.10.2006 का आक्षेपित आदेश जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 3 (अंचलाधिकारी, सदर, राँची) द्वारा उसकी पीठ पीछे पारित किया गया था, अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता (एल॰ एण्ड सी॰) के कनीय अधिवक्ता श्री विनीत प्रकाश निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका बिहार अभिधारी जोत (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम' के तौर पर निर्दिष्ट) की धाराओं 15 तथा 16 की दृष्टि में पोषणीय नहीं है जिसमें अपील तथा पुनरीक्षण के लिए मंचों का प्रावधान किया गया है।

5. इस पर, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि वर्तमान रिट याचिका लम्बी अवधि तक इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रही है। उपायुक्त, भूमि सुधार, राँची (अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी) को याची के परिसीमा याचिका पर उदारतापूर्वक विचार करने का निर्देश दिया जाय।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, मैं पाता हूँ कि अधिनियम की धाराओं 15 तथा 16 के अधीन क्रमश: अपील तथा पुनरीक्षण का मंच है। इस तथ्य की दृष्टि में कि याची को अधिनियम के अधीन प्रभावकारी/वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, इस चरण पर रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

7. किन्तु, अगर याची इस आदेश की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर परिसीमा याचिका के साथ उप-समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राँची के समक्ष अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपील दाखिल करता है, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची द्वारा उक्त अपील दाखिल करने में कारित विलम्ब पर उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा। इस तथ्य की दृष्टि में की वर्तमान रिट याचिका लम्बी अवधि तक न्यायालय के समक्ष लंबित रही है।

8. पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।